आज़ादी का अमृत महोत्सव

एन एस आई सी
N S I C

G20 भारत 2023 INDIA

68वीं वार्षिक रिपोर्ट
2022–2023







एन एस आई सी
N S I C

विज़न

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सेक्टर के विकास को प्रोत्साहित करने वाला एक प्रमुख संगठन बनना।

मिशन

विपणन, प्रौद्योगिकी, वित्त और सेवाओं वाली एकीकृत सहायता सेवाएं उपलब्ध कराकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सेक्टर को बढ़ावा देना और उसकी सहायता करना।

विषय सूची

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

1.	कॉरपोरेट सूचना	02
2.	निदेशक मंडल	04
3.	अध्यक्ष महोदय का संदेश	08
4.	बोर्ड की रिपोर्ट	11
5.	एकल वित्तीय विवरणों की स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	61
6.	एकल वित्तीय विवरण	105
7.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां एकल वित्तीय विवरण	199
8.	समेकित वित्तीय विवरणों की स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	200
9.	समेकित वित्तीय विवरण	236
10.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां समेकित वित्तीय विवरण	332
11.	वार्षिक आम बैठक की सूचना	336

एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड

1.	कॉरपोरेट सूचना	339
2.	निदेशक मंडल	340
3.	अध्यक्ष महोदय का संदेश	343
4.	बोर्ड की रिपोर्ट	345
5.	स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	360
6.	वित्तीय विवरण	388
7.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	412
8.	वार्षिक आम बैठक की सूचना	418

सीआईएन नं. यू74140डीएल1955जीओआई002481

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)

श्री विपुल गोयल
(01 जुलाई, 2023 से)
सुश्री मर्सी एपाओ
(01 जनवरी 2023 से 30 जून, 2023 तक)
श्री गौरांग दीक्षित
(01 अगस्त 2022 से 31 दिसंबर, 2022 तक)
श्री पी. उदयकुमार, निदेशक (यो. एवं वि.)
(20 जून, 2022 से 31 जुलाई, 2022 तक)
सुश्री अल्का नांगिया अरोड़ा
(01 जून, 2022 तक)

निदेशक

- सुश्री मर्सी एपाओ, सरकारी नामित निदेशक
- श्रीमती समीरा सौरभ, सरकारी नामित निदेशक (07 नवम्बर, 2023 तक)
- सुश्री सिम्मी चौधरी, सरकारी नामित निदेशक (08 नवम्बर, 2023 से)
- श्री पी. उदयकुमार, निदेशक (यो. एवं वि.) (31 जुलाई, 2022 को सेवानिवृत्त)
- श्री कार्तिकेय सिन्हा निदेशक (यो. एवं वि.) (21 फरवरी, 2023 से)
- श्री गौरांग दीक्षित, निदेशक (वित्त) (31 दिसंबर, 2022 को सेवानिवृत्त)
- श्री गौरव गुलाटी, निदेशक (वित्त) (09 मई, 2023 से)
- डॉ. अशोक अहिरवार, स्वतंत्र निदेशक
- श्री कालंदी चरण सामल, स्वतंत्र निदेशक

कंपनी सचिव

श्रीमती निष्ठा गोयल

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स गोयल पारूल एण्ड कंपनी, सनदी लेखाकार

शाखा लेखापरीक्षक

क्र. सं.	लेखापरीक्षक का नाम	क्र. सं.	लेखापरीक्षक का नाम
1	मैसर्स सुरेन्द्र कुमार जैन एण्ड एसोसिएट्स, नई दिल्ली	9	मैसर्स संजय सतपाल एण्ड एसोसिएट्स, चंडीगढ़
2	मैसर्स एचएस आहूजा एण्ड कंपनी, नई दिल्ली	10	मैसर्स राजेश महाजन एण्ड कंपनी, लुधियाना
3	मैसर्स सुशील जीतपुरिया एण्ड कं., नई दिल्ली	11	मैसर्स वीएम अरोड़ा एण्ड कंपनी, जालंधर
4	मैसर्स पीएस सेठी एण्ड कंपनी, देहरादून	12	मैसर्स अरविंद माथुर एण्ड कंपनी, जयपुर
5	मैसर्स वेद मित्तल एण्ड कंपनी, आगरा	13	मैसर्स एमआर नारायण एण्ड कंपनी, चैन्नई
6	मैसर्स ब्रजेश अग्रवाल एण्ड एसोसिएट, अलीगढ़	14	मैसर्स सी जगतईश एण्ड कंपनी, पुडुचेरी
7	मैसर्स टंडन सेठ एण्ड कं. कानपुर	15	मैसर्स वीएन पुरोहित एण्ड कंपनी, कोलकाता
8	मैसर्स के.के. गुप्ता एण्ड श्वेता, इलाहाबाद	16	मैसर्स डीएम एसोसिएट्स, कटक

क्र. सं	लेखापरीक्षक का नाम	क्र. सं	लेखापरीक्षक का नाम
17	मैसर्स बीबीए एण्ड कंपनी, राउरकेला	29	मैसर्स लक्ष्मीपति एण्ड कंपनी, हैदराबाद
18	मैसर्स केकेएम एण्ड कंपनी, जमशेदपुर	30	मैसर्स बी.वी. स्वामी एण्ड कंपनी, बैंगलुरू
19	मैसर्स एएसन एण्ड कंपनी, राची	31	मैसर्स एस. कृष्णा एण्ड एसोसिएट्स, कोयम्बटूर
20	मैसर्स आलोक जैन एण्ड कंपनी, पटना	32	मैसर्स के सुब्रहमणियम एण्ड कंपनी, मुदरै
21	मैसर्स अशोक बुधिया एण्ड कंपनी, गुवाहाटी	33	मैसर्स एलक्स एण्ड कंपनी, कोच्चि
22	मैसर्स पीएचडी एण्ड एसोसिएट्स, मुम्बई	34	मैसर्स गांधी एण्ड गांधी, हैदराबाद
23	मैसर्स परम एण्ड एसोसिएट्स, नासिक	35	मैसर्स नरेन्द्र जैन एण्ड कंपनी, इंदौर
24	मैसर्स एसबीएच एण्ड कंपनी, पुणे	36	मैसर्स परिहार एण्ड सोनपर, भोपाल
25	मैसर्स जैन एण्ड गंगवाल, औरांगाबाद	37	मैसर्स पीएस ठाकरे एण्ड कंपनी, नागपुर
26	मैसर्स लालवानी एण्ड अग्रवाल, रायपुर	38	के वी वी प्रसाद एण्ड कंपनी, विजयवाड़ा
27	मैसर्स मार्क्स एण्ड कंपनी, अहमदाबाद	39	मैसर्स गडगिल एण्ड उपिन बेलागेवी
28	मैसर्स एससी मेकचेचा एण्ड एसोसिएट, राजकोट		

सचिवीय लेखापरीक्षक

मैसर्स सपना जी एण्ड एसोसिट्स
395/396, तृतीय तल,
पॉकेट 11–बी, रोहिणी
सेक्टर–23,
दिल्ली – 110 085

मुख्य बैंकर्स

एचएसबीसी
आईसीआईसीआई बैंक
एचडीएफसी बैंक
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
बैंक ऑफ बड़ौदा
इंडसइंड बैंक
एसएमबीसी
पंजाब नैशनल बैंक

पंजीकृत कार्यालय

एनएसआईसी भवन
ओखला औद्योगिक क्षेत्र,
नई दिल्ली–110 020

कॉरपोरेट वैबसाइट

www.nsic.co.in

निदेशक मंडल



श्री विपुल गोयल, संयुक्त सचिव (एआरआई प्रभाग) एवं सीएमडी (डीआईएनः 10229523)

श्री विपुल गोयल भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में संयुक्त सचिव (एआरआई प्रभाग) हैं, जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग, कॉयर बोर्ड और महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान (एमजीआईआरआई) के कार्यों को देखते हैं। उन्हें 1 जुलाई, 2023 से एनएसआईसी के अध्यक्ष–एवं–प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

वह विभिन्न घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्लेटफार्मों पर नीति निर्माण और एमएसएमई को जोड़ने में अग्रणी रहे हैं। वह हारकोर्ट बटलर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर से इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में बी.टेक हैं और भारतीय रेलवे सिग्नल इंजीनियर्स सेवा (आईआरएसएसई) – 1992 बैच के अधिकारी है। उनके पास पूरे भारत में विभिन्न रेलवे जोन/मंडलों में विभिन्न क्षमताओं में तैनात रहते हुए रेलवे सिग्नलिंग और दूरसंचार प्रणालियों के रखरखाव, निर्माण/परियोजना, रेलवे सिग्नलिंग उपकरणों के डिजाइन और विकास, ईपीसी अनुबंधों की हैंडलिंग, सामग्री प्रबंधन में व्यापक कार्य अनुभव है। उन्होनें रेलवे सिग्नलिंग और दूरसंचार प्रणालियों के रखरखाव/निर्माण में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। डीडीयू प्रभाग में सिग्नलिंग प्रणाली के रखरखाव में उल्लेखनीय सुधार के लिए उन्हें जीएम वार्षिक पुरस्कार 2002 से सम्मानित किया गया है।

वह एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनएसआईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) के बोर्ड के पदेन अध्यक्ष भी हैं।



श्री कार्तिकेय सिन्हा, निदेशक (योजना और विपणन) (डीआईएनः 02322056)

श्री कार्तिकेय सिन्हा, कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान, उत्तर प्रदेश से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्नातक (बी.टेक.) और आईआईटी दिल्ली से ऊर्जा अध्ययन में स्नातकोत्तर (एम.टेक.) उपाधि धारक है। उनके पास सेड बिजनेस स्कूल, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, यूनाइटेड किंगडम से पूर्णकालिक एमबीए की डिग्री भी है। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज की एक टीम ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में उनके मार्गदर्शन में वैश्विक युवा व्यवसाय विकास 2007 में प्रथम पुरस्कार जीता। वह यूपीएससी द्वारा आयोजित इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा (2000) के माध्यम से दूरसंचार विभाग की पी एंड टी बीडब्ल्यूएस ग्रुप "ए" सेवा में शामिल हुए।

उनके पास दूरसंचार, बिक्री और विपणन, बुनियादी ढांचे के विकास और रखरखाव, उत्पाद विकास और मूल्य निर्धारण, चैनल प्रबंधन, खरीद और अनुबंध प्रबंधन के क्षेत्र में 22 वर्षों से अधिक का विविध अनुभव है। उन्होंने भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के ग्राहकों के लिए ओमनी–चैनल संपर्क केंद्र की स्थापना और अत्याधुनिक मोबाइल एप के शुभारंभ के माध्यम से ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने पर भी बड़े पैमाने पर कार्य किया है। बीएसएनएल के प्रधान कार्यालय में बिक्री और विपणन/उत्पाद मूल्य निर्धारण प्रकोष्ठ का नेतृत्व करते हुए, मोबाइल सेवाओं के लिए उनकी नवाचारी टैरिफ रणनीतियों और देश भर में बिक्री और वितरण नेटवर्क के प्रभावी प्रबंधन के चलते भारत में दूरसंचार उद्योग में कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद, बीएसएनएल के मोबाइल व्यवसाय राजस्व में वृद्धि हुई।

श्री कार्तिकेय सिन्हा को 21 फरवरी, 2023 से एनएसआईसी का निदेशक (योजना एवं विपणन) नियुक्त किया गया है



श्री गौरव गुलाटी, निदेशक (वित्त) (डीआईएनः 10144109)

श्री गौरव गुलाटी एक विशिष्ट पेशेवर पृष्ठभूमि रखते हैं, उन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के फेलो सदस्य का दर्जा प्राप्त है, साथ ही वे एक अर्हक लागत लेखाकार (आईसीएआई) और कंपनी सचिव (आईसीएसआई) भी हैं। अपनी प्रभावशाली शैक्षणिक योग्यताओं के अलावा, श्री गुलाटी के पास व्यापार प्रशासन में स्नातकोत्तर डिग्री भी है।

25 वर्षों से अधिक की व्यापक पेशेवर यात्रा के साथ, श्री गुलाटी ने एनबीसीसी (आई) लिमिटेड, एनटीपीसी, सेल और इंडसइंड बैंक जैसे प्रमुख संगठनों से समृद्ध अनुभव अर्जित किया है, जहां उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया। उनकी विशेषज्ञता में वित्त और लेखा, अनुबंध प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, आंतरिक लेखापरीक्षा, बजटीय नियंत्रण, वित्तीय स्वीकृति और सैप कार्यान्वयन सहित विविध क्षेत्र शामिल हैं।

एनएसआईसी में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, उन्होंने कार्यकारी निदेशक (वित्त) के रूप में कार्य किया और क्षेत्रीय व्यापार समूह प्रमुख के रूप में एनबीसीसी (आई) लिमिटेड में रियल एस्टेट वर्टिकल का नेतृत्व किया।

अपने उल्लेखनीय संगठनात्मक कौशल और रणनीतिक आयोजना प्रखरता के साथ, श्री गुलाटी ने अपनी वर्तमान भूमिका में एनएसआईसी के भीतर आवश्यक सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेष रूप से आंतरिक नियंत्रण को बढ़ाने के अलावा योजनाओं के लिए नीतियों और दिशानिर्देशों को तैयार और सुदृढ़ करके कंपनी के एनबीएफसी कार्यक्षेत्र को मजबूत किया है।

इसके अलावा, श्री गुलाटी की उपलब्धियाँ उनके पेशेवर करियर से भी आगे फैली हुई हैं। वह न केवल उस टीम के प्रमुख सदस्य रहे हैं, जिसने ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन (एआईएमए) द्वारा आयोजित बिजनेस सिमुलेशन प्रतियोगिता, नेशनल मैनेजमेंट गेम्स (एनएमजी) में दो बार जीत हासिल की, बल्कि 2011 में कीव, यूक्रेन में ग्लोबल मैनेजमेंट चैलेंज (जीएमसी) में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया।

श्री गुलाटी की व्यापक वित्तीय प्रखरता, नेतृत्व और रणनीतिक क्षमताएं उन्हें एनएसआईसी के लिए एक मूल्यवान संपत्ति बनाती हैं और उनकी असाधारण उपलब्धियां और समर्पण संगठन की सफलता और वित्तीय स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

श्री गौरव गुलाटी को 09 मई, 2023 से एनएसआईसी के निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया है।

उन्हें एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनएसआईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) में निदेशक के रूप में भी नियुक्त किया गया है।



सुश्री सिम्मी चौधरी, सरकारी नामिति निदेशक (डीआईएनः 10387019)

सुश्री सिम्मी चौधरी भारतीय आर्थिक सेवा के 1996 बैच की अधिकारी हैं। वर्तमान में, वह एमएसएमई मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार और संयुक्त सचिव के रूप में तैनात हैं और मंत्रालय के वित्त, बजट के साथ–साथ समन्वय और योजना मामलों की प्रभारी अधिकारी हैं।

सुश्री चौधरी के पास दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज से इकोनॉमिक्स में ऑनर्स के साथ स्नातक की डिग्री है। उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है। वह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से मानव संसाधन प्रबंधन में विशेषज्ञता के साथ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातकोत्तर और दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय से शिक्षा में स्नातक भी हैं। वर्तमान में, वह राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, दिल्ली से शिक्षा में पीएचडी भी कर रही हैं।

सुश्री चौधरी के पास अंतरराष्ट्रीय मामलों, शिक्षा और मानव संसाधन विकास, कौशल विकास, नीति निर्माण, मिशन निर्माण और कार्यान्वयन, दृष्टिकोण और रणनीति निर्माण, कार्यक्रम कार्यान्वयन, राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक मंच, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और एमएसएमई क्षेत्र पर विशेष विशेषज्ञता के साथ भारत सरकार में 27 वर्षों का विविध और समृद्ध अनुभव है। उन्होंने 1996 में आईईएस प्रोबेशनर के रूप में वित्त मंत्रालय से अपना करियर शुरू किया और उसके बाद उन्हें अपनी तैनातियों में श्रम और रोजगार मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में कार्य करने का अवसर मिला। वर्तमान में वह भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के पद पर कार्यरत हैं।

उन्होंने विभिन्न आईएलओ अभिसमयों के अनुसमर्थन पर भारत के रुख को तैयार करने, औद्योगिक नीति को तैयार करने और लागू करने, सभी के लिए शिक्षा पर भारत के रुख को तैयार करने, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने, सतत विकास और राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन, अर्थात् डिजिटल इंडियाभाषिणी को लागू करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अलावा, उन्होंने शिक्षा का अधिकार अधिनियम और साक्षर भारत मिशन के निर्माण, आर्थिक योजना के समन्वय, राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन के निर्माण और कार्यान्वयन में अत्यधिक योगदान दिया है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ अपने कार्यकाल में, उन्होंने भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत हासिल

की गई उपलब्धियों के विश्लेषण और दस्तावेजीकरण, डिजिटल नॉर्थ ईस्ट 2022 के लिए विजन दस्तावेज तैयार करने, वास्तविक समय निष्पादन स्मार्ट बोर्ड के विकास, शिक्षा और डिजिटल अर्थव्यवस्था माप और रोडमैप के लिए डिजिटल सार्वजनिक मंच में योगदान दिया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार की भूमिका के अलावा, उन्होंने मुख्य सतर्कता अधिकारी तथा शिकायतों और सूचना के अधिकार पर नोडल अधिकारी के रूप में भी कार्य किया।

सुश्री चौधरी एक रणनीतिक विचारक हैं और उन्होंने भारत के ट्रिलियन डॉलर डिजिटल अवसर, विजन दस्तावेज, मंत्रालय के लिए रणनीतियाँ और कार्य योजनाएँ, क्षेत्र प्रोफाइल, राज्य प्रोफाइल, फोकस पेपर और अन्य रणनीतिक दस्तावेज जैसे दस्तावेजों को तैयार करने में अपनी महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान की है। इसके अलावा, उन्होंने व्यापार मुद्दे, कराधान मुद्दे, आर्थिक डाटा, एफएसएसएआई से संबंधित मामले भी देखे हैं।

उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में अपने कार्यकाल के दौरान यूनेस्को की महासभा और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और वाइन और व्हिस्की के बारे में ऑस्ट्रेलिया के साथ संयुक्त कार्य समूहों की सह–अध्यक्षता की।

इसके अलावा, सुश्री चौधरी कई प्रकाशनों वाली एक उत्साही लेखिका हैं, जिनमें श्रम और रोजगार, मानव संसाधन विकास, डिजिटल इंडिया के क्षेत्रों में जर्नलों, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में लेख और योगदान, कॉफी टेबल बुक का संकलन और डिजिटल इंडिया पर सार–संग्रह और डिजिटल इंडिया और इसके परिवर्तनकारी प्रभाव पर योजना पत्रिका के प्रकाशित किए गए समर्पित अंक शामिल हैं।

सुश्री चौधरी को 8 नवंबर, 2023 से कंपनी के बोर्ड में सरकारी नामिति निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।



सुश्री मर्सी एपाओ, सरकारी नामिति निदेशक (डीआईएनः 09331424)

सुश्री मर्सी एपाओ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। वर्तमान तैनाती से पहले, उन्होंने पिछले 25 वर्षों से भारत के मंत्रालयों/विभागों में विभिन्न क्षमताओं में सेवाएं प्रदान की है। उनकी कुछ महत्वपूर्ण तैनातियों में में वित्त, आवासन और शहरी कार्य और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास (डीओएनईआर) आदि मंत्रालय शामिल हैं। अपनी सेवा के दौरान, उन्होंने विभिन्न विषयों को हैंडिल किया है जिसमें डीओएनईआर में कृषि और संबद्ध क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं, वेतन संबंधी मामले, अखिल भारतीय सेवा (एआईएस) की कैडर समीक्षा, मानव संसाधन और प्रशासन से संबंधित कार्य शामिल है।

वह दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्नातकोत्तर डिग्री धारक हैं। संयुक्त सचिव के रूप में वह लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रभारी हैं। इनमें से कुछ योजनाएं राष्ट्रीय एससी/एसटी हब योजना हैं, जो एससी/एसटी उद्यमियों को समर्थन देने के लिए समर्पित है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग योजना उसे अन्य देशों के साथ एसएमई क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने/मोल–भाव करने/ परस्पर चर्चा करने और एमओयू/एफटीए/साझा करने और आदान–प्रदान करने में सक्षम बनाती है। एमएसएमई मंत्रालय क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप, जी2जी, बी2बी नेटवर्किंग के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने और संभावित साझेदारी का पता लगाने के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों में भाग लेता है।

मंत्रालय में, वह राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी), राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (एनआईएमएसएमई), जो क्रमशः सीपीएसई और एक स्वायत्त संगठन है, की भी देखरेख करती हैं। वह मंत्रालय में मानव संसाधन स्कंध के अलावा मीडिया वर्टिकल की प्रभारी हैं, जो सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर मंत्रालय की योजनाओं/पहलों की व्यापक कवरेज देता है। एक मासिक पत्रिका 'इनसाइडर', भी निकाली जाती है जिसे सभी उद्यम पंजीकरण धारकों के साथ साझा किया जाता है। महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए डब्ल्यूईसी की स्थापना की गई है। उनका जुनून महिलाओं और कमजोर/हाशिए पर होने वाले तबकों के उद्यमियों को लाभकारी रोजगार और सफल उद्यमशीलता के लिए ज्ञान प्राप्त करते देखना है जिससे सामाजिक उत्थान और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।

इसके अलावा, वह मंत्रालय में समन्वय वर्टिकल भी देखती हैं, जो विजन इंडिया/2047, खिलौना विनिर्माता हब, स्वच्छता अभियान भी संभालती है। वह स्वायत्तशासी निकायों के बोर्ड में निदेशक भी हैं।



श्री कालंदी चरण सामल, स्वतंत्र निदेशक, (डीआईएनः 09459531)

श्री कालंदी चरण सामल ओडिशा के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वह उड़िया भाषा के लेखक और उड़िया समाचारपत्रों के स्तंभकार हैं। वह ओडिशा के अंगुल जिले में स्थित तालचर के रहने वाले हैं। वह स्वदेशी मेलों का आयोजन करते रहे हैं जिनमें ओडिशा के ग्रामीण क्षेत्रों से आए छोटे पैमाने के उद्यमियों के उत्पादों का प्रदर्शन किया जाता है। वे स्व–रोजगार के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए विज्ञान मेलों के आयोजन का भी हिस्सा रहे हैं और नियमित रूप से स्थानीय किसानों/मजदूरों तथा उद्यमियों को नई तकनीकों का उपयोग करने के लिए पुस्तक मेल/प्रदर्शनी/प्रशिक्षण आयोजित करते हैं।

श्री कालंदी चरण सामल को एनएसआईसी के बोर्ड में 11 फरवरी, 2022 से स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।



डॉ. अशोक अहिरवार, स्वतंत्र निदेशक, (डीआईएनः 09459529)

डॉ. अशोक अहिरवार, इतिहास विभाग, मानविकी और सामाजिक विज्ञान विद्यालय, डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय (केंद्रीय विश्वविद्यालय), सागर, मध्य प्रदेश में प्रोफेसर हैं। उन्होंने वर्ष 2016–2019 के दौरान इतिहास विभाग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश से पूरी की है। उन्होंने इतिहास विषय में स्नातकोत्तर किया और डॉ. राम मनोहर लोहियाज आइडियाज एंड वर्क्सः ए हिस्टॉरिकल अनालीसिज पर डॉक्टरेट शोध पूरा किया। वह देश भर के विभिन्न संस्थानों से डायट, एचआरडीसी, टीएलसी में संसाधन व्यक्ति/विशेषज्ञ के रूप में जुड़े हुए हैं।

उन्होंने 1994–98 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से शोध अध्येतावृत्ति प्राप्त की। उन्होंने डॉ. बी.आर. अम्बेडकररू विजन एंड कॉन्ट्रिब्यूशन पर विस्तृत विभिन्न शोध पत्र लिखे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य (2008–11) के रूप में भी कार्य किया है। उन्हें भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021 में सलाहकार बोर्ड, उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र, इलाहाबाद में सदस्य के रूप में नामित किया गया था। वह लोकतांत्रिक तरीके से नागरिकता के अधिकारों के संवर्धन के लिए अपनी अकादमिक स्वायत्तता का प्रयोग करने में विश्वास रखते हैं। इसी उपयुक्त उद्देश्य के लिए उन्होंने लोकतांत्रिक राजनीति के साथ अपने अकादमिक दायरे को भी बढ़ाया है।

प्रो. अहिरवार को 11 फरवरी, 2022 से एनएसआईसी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

अध्यक्ष महोदय का संदेश



प्रिय शेयरधारकगण,

निदेशक मंडल की ओर से, मुझे "राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी)" की इस 68वीं वार्षिक आम बैठक में आपका स्वागत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। सबसे पहले, मैं कंपनी में उनके निरंतर समर्थन और विश्वास के लिए सभी हितधारकों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मेरे सहित सभी कार्यात्मक निदेशकों ने हाल ही में संबंधित पदों पर कार्यभार ग्रहण किया हैं, जिससे हमें एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने और एनएसआईसी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक और अवसर मिला है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कंपनी के बोर्ड की रिपोर्ट और उसके लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ आपके पास मौजूद हैं। मैं इन्हें पढ़ा हुआ मानने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं।

संचालन अवलोकन

वर्ष 2022–23 के लिए कंपनी के प्रचालनों से राजस्व 2770.14 करोड़ रुपए था जबकि पिछले वर्ष यह 2618.70 करोड़ रुपए था। कंपनी ने वर्ष 2022–23 के लिए 148.25 करोड़ रुपये का कर पूर्व लाभ अर्जित किया है, जबकि पिछले वर्ष यह 145.49 करोड़ रुपये था। वर्ष 2022–23 के दौरान कर पश्चात लाभ 112.95 करोड़ रुपये था, जबकि पिछले वर्ष यह 110.13 करोड़ रुपये था। निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए भारत सरकार को 33.14 करोड़ रुपए के लाभांश की भी सिफारिश की है जो शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है।

एनएसआईसी अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से एमएसएमई का समर्थन करता है। एमएसएमई को कच्चे माल की आपूर्ति की मांग और आपूर्ति अंतर की चुनौतियों को पूरा करने के लिए, एनएसआईसी ने अपनी कच्ची सामग्री वितरण योजना के तहत एमएसएमई की अपेक्षानुसार प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर लोहा और इस्पात, एल्यूमीनियम, तांबा, पॉलिमर, बिटुमेन, सीमेंट और अन्य प्रमुख कच्चे माल आपूर्तिकर्ताओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

वित्तीय वर्ष 2022–2023 में एमएसएमई इकाइयों को कच्चा माल सहायता (आरएमए) योजना के तहत 6401.16 करोड़ रुपये की ऋण सहायता दी गई। हाल ही में, एनएसआईसी ने पोर्टफोलियो को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए बिल डिस्काउंटिंग योजना के लिए एक वेब एप्लिकेशन भी विकसित किया है।

एनएसआईसी ने एमएसएमई इकाइयों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीयकृत और निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, बैंक क्रेडिट सुविधा योजना के पोर्टफोलियो के तहत आईडीबीआई बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड और पंजाब नेशनल बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

एनएसआईसी अपनी सेवाओं के डिजिटलीकरण को सुदृढ़ करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इस दिशा में, एनएसआईसी अपने ई–विपणन पोर्टल एमएसएमई ग्लोबल मार्ट (https://www.msmemart.com) के माध्यम से ई–विपणन सेवाएं प्रदान कर रहा है। पोर्टल में भारत के 1,90,000 से अधिक एमएसएमई का सदस्य आधार है और इसमें 1,00,000 से अधिक उत्पाद उपलब्ध है। आजादी का अमृत महोत्सव वाली आजादी के 75 वर्ष की भारत सरकार की थीम के साथ संरेखित करने के लिए, एमएसएमई मंत्रालय ने पीएमएस योजना के अंतर्गत ई–कॉमर्स पोर्टल "एमएसएमई ग्लोबल मार्ट" के माध्यम से सूक्ष्म उद्यमों द्वारा उत्पादों या सेवाओं को बेचने के लिए ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म को अपनाने के लिए 75 प्रतिशत की सब्सिडी प्रारंभ की है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, विभिन्न एनएसआईसी तकनीकी सेवा केंद्रों (एनटीएससी) के माध्यम से कुल 61,090 प्रशिक्षु उत्तीर्ण हुए, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में 48,182 प्रशिक्षु उत्तीर्ण हुए थे। एनटीएससी वर्तमान में उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न विषयों में रोजगार उन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और उपकरणों के क्षेत्र में युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स तथा इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल्स काउंसिल ऑफ इंडिया (ईएसएससीआई) के साथ हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन के अनुसरण में एनटीएससी–ओखला, नई दिल्ली में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। उत्कृष्टता केंद्र में प्रति वर्ष लगभग 600 प्रशिक्षुओं को प्रवेश मिलता है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, स्टाड फाउंडेशन, इंटीरियर और आर्किटेक्चर डिजाइन, फोटोशॉप और वी–रे, पीसीबी डिजाइन, विश्लेषण

और विनिर्माण, ईवी की मरम्मत और रखरखाव, फुल स्टैक डेवलपमेंट, डिजिटल ट्विन्स, ड्रोन टेक्नोलॉजीज, नवीकरणीय संसाधनों और विद्युत प्रणाली में उपयोग की जाने वाली इष्टतम तकनीकें, कम्प्यूटर विजन और रोबोटिक्स के लिए डीप लर्निंग, औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए कम्पोजिट सामग्री, जियोमैट्रिक डाइमेंशनिंग एण्ड टॉलरेन्स, अमेजॅन वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस) आदि पर नए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग खंड में, एनएसआईसी ने औद्योगिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (आईटीआरआई), ताइवान के सहयोग से ताइवान में भारत–ताइवान एसएमई सहयोग मंच की पहली बैठक का आयोजन किया, जिसका विषय था – ''स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण''। एनएसआईसी ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शुरू करने और एमएसएमई के बीच स्थायी व्यापार गठबंधन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं पर जानकारी साझा करने के लिए सहयोग की संभावना तलाशने हेतु अपने समकक्ष संगठनों के साथ विभिन्न ''वर्चुअल बी2बी बैठकें'' भी आयोजित की थी।

सूरीनाम, बहरीन, मॉरीशस, घाना और मिस्र आदि जैसे विभिन्न देशों के कई उच्च–स्तरीय प्रतिनिधिमंडलों ने एनएसआईसी का दौरा किया और एनएसआईसी के सहयोग से अपने–अपने देशों में एमएसई के विकास में सहयोग के लिए गहरी रुचि दिखाई। उपरोक्त के अलावा, एनएसआईसी ने विश्वसनीय व्यावसायिक गठबंधनों के साथ वैश्विक बाजार में एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए सहयोग करने हेतु कोरिया एसएमई और स्टार्टअप एजेंसी (केओएसएमई), दक्षिण कोरिया के साथ भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एनएसआईसी और आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन लिमिटेड (एएमटीजेड) ने 21 सितंबर, 2022 को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

एनएसआईसी एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार की एक पहल, नेशनल एससी/एसटी हब (एनएसएसएच) को कार्यान्वित कर रहा है। वर्ष 2016 में प्रारंभ होने के बाद से भारत में इस योजना का उद्देश्य लोक खरीद नीति के अनुसार सीपीएसई से 4 प्रतिशत खरीद के आदेश को पूरा करने के लिए एससी/एसटी उद्यमियों को पेशेवर सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय एससी/एसटी हब के तहत वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान विभिन्न हस्तक्षेप/कार्यक्रम/सम्मेलन आयोजित किए गए। वर्ष 2022–2023 के लिए एनएसएसएच योजना के तहत कुल 24410 एससी/एसटी उद्यमियों को सहायता और सहयोग प्रदान किया गया।

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि एनएसआईसी ने वर्ष 2022–2023 के लिए 4 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद का 7.58 प्रतिशत एससी/एसटी एमएसएमई से खरीदा है।

हमारा मानना है कि अच्छी कारपोरेट अभिशासन प्रथाएं कंपनी के कामकाज का अपरिहार्य हिस्सा हैं और सतत और दीर्घकालिक आधार पर अपने हितधारकों के लिए मूल्य सृजन करती हैं। नैतिकतापूर्ण शासन के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए, एनएसआईसी ने हमारे प्रचालनों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं की निगरानी के लिए बोर्ड स्तर पर कई समितियों का गठन किया है। एनएसआईसी लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी सभी दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए समर्पित है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान सीएसआर के लिए कुल 278.27 लाख रुपए की विभिन्न सीएसआर गतिविधियों हेतु योगदान दिया गया, जिसमें स्वच्छ भारत कोष में 167 लाख रुपये, पीएम केयर्स फंड में 23.33 लाख



30 नवंबर से 02 दिसंबर 2022 तक ताइवान में भारत–ताइवान एसएमई सहयोग मंच की पहली बैठक के लिए प्रतिनिधिमंडल।

रुपये और 70 लाख का सशस्त्र बल झंडा दिवस कोष में दिया गया योगदान शामिल है। इसके अतिरिक्त, जनता के लिए सुरक्षित पेयजल हेतु तीन सामुदायिक जल ईपीआईओ मशीनें स्थापित करने के लिए 17.94 लाख रुपये का योगदान दिया गया।

एनएसआईसी की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अर्थात एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल) है। एनवीसीएफएल भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियम, 2012 ('विनियम') के अंतर्गत 1 सितंबर 2021 से अपनी पहली योजना आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड के लिए श्रेणी–।। वैकल्पिक निवेश निधि के रूप में पंजीकृत है। एसआरआई फंड मदर/डॉटर फंड का एक संयोजन है। भारत सरकार एकमात्र एंकर निवेशक है और चरणबद्ध तरीके से मदर फंड को 10,000 करोड़ की प्रारंभिक बजटीय सहायता प्रदान करती है। 30 नवंबर 2023 तक, 48 डॉटर फंड को 6,105 करोड़ रुपये की एसआरआई फंड प्रतिबद्धता के साथ पैनलबद्ध किया गया है। एसआरआई फंड अंशदान से लगभग 730 करोड़ रुपये पहले ही इन डॉटर फंड द्वारा 382 एमएसएमई में नियोजित किए जा चुके हैं।

एनएसआईसी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के हित को बढ़ावा देने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहा है। एमएसएमई मंत्रालय ने समावेशी आर्थिक विकास के लिए एमएसई महिला योजना और ''डिजिटल एमएसएमई योजना'' का संचालन भी एनएसआईसी को सौंपा है, जिसका उद्देश्य एमएसएमई को डिजिटल उपकरण, एप्लिकेशन और प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए डिजिटल रूप से सशक्त और प्रेरित करना है ताकि उनकी घरेलू और वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हो सके। एनएसआईसी को भारत सरकार की एक प्रमुख योजना, पीएम विश्वकर्मा के कार्यान्वयन के लिए टूलकिट से संबंधित गतिविधियों के लिए भी अधिदेश दिया गया है।

सम्मान और पुरस्कार

आपकी कंपनी विभिन्न क्षेत्रों से पुरस्कार और सम्मान प्राप्त करती रही है। एनएसआईसी को प्रदान किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार निम्नवत हैं:

- एनएसआईसी को 08 जुलाई, 2022 को इंडिया एक्सपो मार्ट, ग्रेटर नोएडा में आयोजित ईईए–2022 में टॉर्चबियरर श्रेणी में प्रदर्शनी उत्कृष्टता पुरस्कार–2022 से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदर्शनी शोकेस द्वारा वैश्विक स्तर पर प्रदर्शनी उद्योग को बढ़ावा देने में एनएसआईसी के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किया गया है।
- एनएसआईसी के एकीकृत विपणन विकास केंद्र, भुवनेश्वर को 16 दिसंबर, 2022 को इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली मे भारत में स्विट्जरलैंड के महामहिम राजदूत द्वारा अनंतिम 3 स्टार गृह रेटिंग प्रदान की गई।

आभारोक्ति

मैं इस अवसर पर एमएसएमई के विकास को सुकर बनाने और बढ़ावा देने की इस पहल के लिए निरंतर मार्गदर्शन और समर्थन के लिए एमएसएमई मंत्रालय, आरबीआई, डीपीई और अन्य सांविधिक निकायों के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं सी एण्ड एजी, सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी से जुड़े अन्य पेशेवरों, एजेंसियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं कंपनी को और मजबूत करने के लिए अपने साथी बोर्ड सदस्यों के समय और मूल्यवान इनपुट के लिए उनकी सराहना भी करना चाहता हूं।

मैं कंपनी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और योगदान के लिए एनएसआईसी टीम की गहरी सराहना करना चाहूंगा।

ह./–
(विपुल गोयल)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या : 10229523

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12 दिसंबर, 2023

बोर्ड की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारीगण,

आपके निदेशकों को वित्तीय वर्ष 2022–2023 हेतु कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ कंपनी की 68वीं बोर्ड की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

1) वित्तीय प्रदर्शन

वर्ष 2022–23 हेतु एनएसआईसी का वित्तीय प्रदर्शन उसके पिछले वर्ष के प्रदर्शन के साथ नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

(करोड़ रूपये में)

विवरण	एकल		समेकित	
	वित्तीय वर्ष 2022–2023	वित्तीय वर्ष 2021–2022	वित्तीय वर्ष 2022–2023	वित्तीय वर्ष 2021–2022
प्रचालनों से राजस्व	2770.14	2618.70	2774.27	2620.71
सकल आय	453.78	417.88	457.74	418.67
कर–पूर्व लाभ	148.25	145.49	151.74	147.79
निवल मूल्य	1079.07	1023.86	1082.83	1025.15
उधार	1555.87	1523.36	1555.87	1523.36
लाभांश	33.14	33.17	33.14	33.17
प्रति शेयर आय (रुपयों में)	20.73	20.31	21.19	20.66

i) समेकित आधार पर:–

वर्ष 2022–2023 के लिए कंपनी के संचालन से राजस्व पिछले वर्ष के ₹2774.27 करोड़ के मुकाबले 2620.71 करोड़ था। कंपनी ने पिछले वर्ष के ₹151.74 करोड़ की तुलना में वर्ष 2022–23 हेतु ₹147.79 करोड़ का कर पूर्व लाभ अर्जित किया है। वर्ष 2022–23 के दौरान कर पश्चात लाभ पिछले वर्ष के ₹112.95 करोड़ की तुलना में ₹110.13 करोड़ रहा है।

ii) एकल आधार पर:–

वर्ष 2022–2023 के लिए कंपनी के संचालन से राजस्व पिछले वर्ष के ₹2770.14 करोड़ की तुलना में ₹2618.70 करोड़ था। कंपनी ने पिछले वर्ष के ₹148.25 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2022–23 के लिए ₹145.49 करोड़ का कर पूर्व लाभ अर्जित किया है। वर्ष 2022–23 के दौरान कर पश्चात लाभ ₹110.48 करोड़ है, जबकि पिछले वर्ष यह ₹108.23 करोड़ था।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, एनएसआईसी ने एमएसएमई को 19,617 करोड़ रुपए मूल्य की वस्तुओं की हैंडलिंग और सेवाएं प्रदान करने में सहायता की

2) लाभांश

कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए 33.14 करोड़ रुपए के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। बशर्ते



श्री विपुल गोयल, सीएमडी एनएसआईसी ने वर्ष 2022–23 के लिए 33.14 करोड़ रुपये का लाभांश चेक श्री नारायण तातु राणे, माननीय एमएसएमई मंत्री, भारत सरकार को प्रस्तुत किया। इस अवसर पर श्री एस.सी.एल.दास, सचिव (एमएसएमई), श्री कार्तिकेय सिन्हा, निदेशक (पी एंड एम), श्री गौरव गुलाटी, निदेशक (वित्त) और सुश्री निष्ठा गोयल, कंपनी सचिव, एनएसआईसी भी उपस्थित थे।

कि वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा इसे अनुमोदित कर दिया जाए।

3) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईसी के अंतर्गत आरक्षित निधि

वर्ष के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45–आईसी के अंतर्गत ₹22.10 करोड़ की अतिरिक्त आरक्षित निधि बनाई गई है, इस प्रकार 31 मार्च 2023 तक कुल आरक्षित निधि ₹83.39 करोड़ थी।

4) प्रचालन संबंधी कार्य–निष्पादन

i) कच्चे माल का विवरण

एनएसआईसी की महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक एमएसएमई को कच्चे माल की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करना है। एनएसआईसी प्रतिस्पर्धी कीमतों पर और एमएसएमई द्वारा आवश्यक मात्रा में लोहे और इस्पात, एल्यूमिनियम, तांबा, पॉलिमर, बिटुमेन, सीमेंट और कई अन्य वस्तुओं जैसे आवश्यक कच्चे माल की खरीद के लिए बड़े पैमाने पर निर्माताओं के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करता है।

इसके अलावा, एनएसआईसी औद्योगिक क्षेत्रों में कच्चे माल वितरण केंद्र स्थापित करके एमएसएमई के लिए प्रक्रिया को सरल बनाता है, जिससे उनके लिए उनके द्वार पर कच्चे माल तक पहुंच सुविधाजनक हो जाती है। यह दृष्टिकोण उनकी मालसूची लागत को कम करता है और सामग्रियों को उनकी उत्पादन सुविधाओं के निकट लाता है।

विशेष रूप से सूक्ष्म और लघु उद्यमों को एनएसआईसी के माध्यम से कच्चे माल की सहायता प्राप्त होने पर कई लाभ मिलते हैं। इन लाभों में शामिल हैं:

- कमी की स्थिति के दौरान भी सामग्री की समय पर और लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- छोटी मात्राओं में सामग्रियों तक पहुंच जो एमएसएमई की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप हो।
- विनिर्माताओं के मूल्यों पर सामग्रियों की सीधी खरीद, बिचौलियों को खत्म करना।
- बड़ी मात्रा में खरीदारी के लाभों को प्राप्त करना, जिसके परिणामस्वरूप लागत बचत हो सकती है।

इन लाभों ने एमएसएमई को बाजार के बड़े निकायों से प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए कीमतों में प्रतिस्पर्धी बनाए रखा।

- वर्ष 2022–23 के दौरान, एनएसआईसी ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल), आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड (एएमएनएस) से लौह और इस्पात, नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) से एल्युमीनियम, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल) से पैराफिन वैक्स, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) से कोयला, एसीसी लिमिटेड, डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड और अंबुजा सीमेंट से सीमेंट, अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एआईसीएल) से बिटुममन, जिंदल स्टेनलेस स्टीलवे लिमिटेड (जेएसएसएल) से स्टेनलेस स्टील की आपूर्ति के माध्यम से एमएसएमई की कच्चे माल की आवश्यकता को पूरा किया।

  एमएसएमई को और अधिक सुकर बनाने और उनके कच्चे माल की बाधाओं को कम करने के लिए, एनएसआईसी ने क्षेत्रीय उत्पादकों/स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं अर्थात स्टील सेंटर, त्रिवेणी एंटरप्राइजेज, एलाइड रीसाइक्लिंग लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू, अंजनी पोर्टलैंड सीमेंट लिमिटेड, सुगना मेटल्स, मेघालय सीमेंट लिमिटेड और शिवा फेरिक आदि के साथ एमएसएमई को कच्चे माल की आपूर्ति के लिए व्यवस्थाएं की/एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। एनएसआईसी ने उत्तरी क्षेत्र में सीमेंट की आपूर्ति के लिए 20 मई, 2022 को मैसर्स अंबुजा सीमेंट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।

- वर्ष 2022–2023 के दौरान, बिक्री खरीद के तहत कच्चे माल वितरण (आरएमडी) की मात्रा 2,85,635 मीट्रिक टन है, जिसकी राशि 2190 करोड़ रुपए है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह मात्रा 2,52,348 मीट्रिक टन थी, जिसकी राशि 2108 करोड़ रुपए थी।

ii) एकल बिंदु पंजीकरण योजना (एसपीआरएस)

भारत सरकार विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की अकेली सबसे बड़ी खरीदार है। लघु–स्तरीय क्षेत्र से खरीद की हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से, सरकारी खरीद कार्यक्रम में भागीदारी के लिए एकल बिंदु पंजीकरण योजना (एसपीआरएस) के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को पंजीकृत करने के माध्यम से 1976 में सरकारी स्टोर खरीद कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसके अलावा, एमएसई के लिए सार्वजनिक खरीद आदेश 2012 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, एनएसआईसी को लोक खरीद नीति के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यम को सूचीबद्ध करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। सरकारी लोक खरीद कार्यक्रम में भाग लेते समय, प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय/विभाग/पीएसयू को एमएसई द्वारा उत्पादित या प्रदान किए गए उत्पादों या सेवाओं की कुल वार्षिक खरीद का न्यूनतम 25 प्रतिशत वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करना होगा। एमएसई से 25 प्रतिशत खरीद की वार्षिक आवश्यकता में से, 4 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाली इकाइयों के लिए और 3 प्रतिशत महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाली इकाइयों के लिए निर्धारित किया गया है।

एनएसआईसी के एकल बिंदु पंजीकरण की विशेषताएं:

1. एसपीआरएस के तहत पंजीकरण पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में किया जा रहा है।
2. एनएसआईसी प्रमाणित दस्तावेज प्राप्त करके एमएसई की वास्तविक और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के बाद ही एसपीआरएस के तहत पंजीकरण जारी करता है।
3. स्वतंत्र तृतीय पक्ष निरीक्षण के बाद, आवेदक एमएसई द्वारा प्रदान किए गए भंडारों/वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में गुणात्मक और मात्रात्मक निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर एसपीआरएस के तहत पंजीकरण जारी किया जा रहा है।
4. एसपीआरएस के तहत पंजीकरण हर दो वर्ष के बाद समीक्षा और नवीनीकरण के अधीन वैध है।

वर्ष 2022–23 में एकल बिंदु पंजीकरण योजना स्कीम (एसपीआरएस) से अर्जित राजस्व 9.73 करोड़ रुपए था। वर्ष 2022–23 के दौरान 2,851 नई इकाइयाँ जोड़ी गईं और 6,035 इकाइयों का नवीनीकरण किया गया।

iii) कंसोर्टिया और निविदा विपणन

एमएसई के उत्पादों को बढ़ावा देना कंपनी का एक प्रमुख उद्देश्य है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों को अपनी व्यक्तिगत क्षमता में बड़े ऑर्डर प्राप्त करने और निष्पादित करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संवर्धन और विकास की सुविधा के लिए, भारत सरकार, एमएसएमई मंत्रालय ने राजपत्र अधिसूचना संख्या एस.ओ. 581(ई) दिनांक 23 मार्च 2012 में सीएमएसएमई के लिए लोक खरीद आदेश 2012 लागू किया गया। उपरोक्त लोक खरीद आदेश में, भारत सरकार ने एनएसआईसी को बड़े उद्यमों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए उप–अनुबंध और एनएसआईसी द्वारा गठित सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संघ सहित खरीद के वार्षिक लक्ष्य के लिए अधिदेश दिया है। एनएसआईसी ने अपनी कंसोर्टिया और निविदा विपणन योजना के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के कंसोर्टिया का गठन किया और सरकार विभागों, पीएसयू द्वारा आवश्यक स्टोर –। वस्तुओं की आपूर्ति कर रहा है और अपेक्षित सेवाएं प्रदान कर रहा है। एनएसआईसी कार्यालय लगातार कंसोर्टिया की निगरानी करते हैं और आवश्यकताओं के आधार पर नए कंसोर्टिया बनाते हैं।

पृथक एमएसई को उनकी लघु क्षमता के कारण बड़े उद्यमों के मुकाबले निविदाओं में भाग लेने से वंचित किया जाता है। कंपनी बाजार की खोज करती है और एमएसई के एकल एमएसई–। कंसोर्टिया के लिए ऑर्डर प्राप्त करने हेतु उनकी ओर से निविदाओं में भाग लेती है। फिर ये ऑर्डर कंसोर्टिया सदस्यों को उनकी उत्पादन क्षमता के अनुरूप वितरित किए जाते हैं। एनएसआईसी कंसोर्टिया दृष्टिकोण अपनाता है और वस्तुएं/पूरक उत्पाद बनाने वाली इकाइयों का कंसोर्टिया बनाता है जिससे एमएसई की विपणन समस्याएं आसान हो जाती हैं। इच्छुक एमएसई पृथक क्षमता के साथ–साथ कंसोर्टियम सदस्य के रूप में संबंधित शाखा के साथ समझौता करेंगे। ''कंसोर्टियम'' का न्यूनतम आकार दो इकाइयाँ होंगी।

एनएसआईसी निविदाओं में भागीदारी, ईएमओ जमा करने, बैक–टू–बैक ऑर्डर देने, बिल जारी करने आदि से लेकर निविदा गतिविधि के हर चरण में एमएसई को सुविधा प्रदान करता है।

वर्ष 2022–23 के दौरान, कंपनी ने 571 निविदाओं में भाग लिया है जिनका मूल्य 474 करोड़ रुपए था और 135.18 करोड़ रुपये की रकम की निविदाओं का कार्य–निष्पादन किया है।

iv) एमएसएमई को क्रेडिट सहायता

क) कच्चे माल की खरीद के लिए क्रेडिट सहायता

क्रेडिट पर कच्चे माल की खरीद करने में एमएसएमई को सहायता देने के लिए एनएसआईसी, एमएसमएई को अत्यधिक प्रतियोगी दरों पर अल्पकालिक क्रेडिट सहायता का लाभ उठाने का विकल्प उपलब्ध करता है। बैंक गारंटी की प्रतिभूति पर वित्तीय सहायता दी जा रही है। इस व्यवस्था में आवेदक एमएसएमई कच्चे माल की आपूर्ति करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं को सीधे भुगतान किया जाता है।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान एनएसआईसी ने कच्चे माल की सहायता (आरएमए) के अधीन 2569 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को 6401.16 करोड़ रूपये की क्रेडिट सहायता दी गई।

ख) बिल डिस्काउंटिंग योजना

इस योजना में वास्तविक व्यापार लेनदेन अर्थात सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) द्वारा प्रतिष्ठित सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों और राज्य और केंद्र सरकार के विनिर्माण/सेवा गतिविधियों में लगे विभाग/उपक्रम/प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों (व्यापारी नहीं) को की गई आपूर्ति से उत्पन्न बिलों में छूट शामिल है। पोर्टफोलियो को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए, एनएसआईसी द्वारा योजना के लिए एक वेब एप्लिकेशन विकसित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, बैंक गारंटी के विरुद्ध 39.37 करोड़ रुपए के कुल बिलों में छूट दी गई।

ग) बैंक के साथ गठबंधन के माध्यम से ऋण सुविधा

एमएसएमई इकाइयों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, एनएसआईसी ने विभिन्न राष्ट्रीयकृत और निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन बैंकों के साथ सिंडिकेशन के माध्यम से, एनएसआईसी एमएसएमई को इन बैंकों से क्रेडिट सहायता (निधि आधारित या गैर–निधि आधारित सीमाएं) प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करता है। एनएसआईसी बैंक को ऋण प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले बैंक की चेकलिस्ट के अनुसार दस्तावेजों को पूरा करने में एमएसएमई की सहायता करता है और बैंकों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई भी करता है। ये हैंडहोल्डिंग सहायता एनएसआईसी द्वारा एमएसएमई को बिना किसी लागत के प्रदान की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, बैंक क्रेडिट सुविधा योजना के पोर्टफोलियो के तहत आईडीबीआई बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड और पंजाब नेशनल बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक के साथ समझौता ज्ञापनों का नवीनीकरण किया गया।

v) रा.ल.उ.नि. तकनीकी सेवा केन्द्र (एनटीएससी)

रा.ल.उ.नि. अपने तकनीकी सेवा केन्द्रों के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रौद्योगिकी संबंधी निम्नलिखित सहायता सेवाएँ उपलब्ध करता है:

क) निम्नलिखित क्षेत्रों में डिमांड ड्राइवन –इंडस्ट्रीज सेंट्रिक प्रशिक्षण:

- उच्च–कौशल
- पारंपरिक ट्रेड

ख) एनएबीएल प्रस्तावित और बीआईएस द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के माध्यम से उच्च तकनीकी मशीनों और प्रशिक्षण सुविधा तकनीकी परामर्शी और पारंपारिक आधार पर जॉब कार्य के लिए सामान्य सुविधाएँ सेवाएँ प्रदान की जाती है।

I. कौशल विकास

एनएसआईसी का तकनीकी सेवा केंद्र वर्तमान में उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न विषयों में कार्योन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण दे रहा है। इन केंद्रों में उन्नत टूल रूम, सीएनसी मिलिंग एवं टर्निंग मशीन, ईडीएम, रोबोटिक्स लैब, सौर ऊर्जा अनुप्रयोग लैब, एससीएडीए और प्रक्रिया नियंत्रण लैब और एसएपी, मल्टीमीडिया, मैकेनिकल और विद्युत डिजाइन सॉफ्टवेयर, एआर/वीआर, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ईवी टेक्नोलॉजी, सोलर पीवी टेक्नोलॉजी आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों की सॉफ्टवेयर लैब जैसी पारंपरिक और उन्नत, उच्च तकनीकी मशीन और उपस्कर हैं।

इन केंद्रों में चल रहे प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है:



श्री नारायण तातु राणे, माननीय एमएसएमई मंत्री, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार ने 18 अक्टूबर, 2022 को एडिटिव टेक्नोलॉजीज में कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड और फिलिप्स मशीन टूल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर की शोभा बढ़ाई।

क) **डिजाइनः** कैड/कैम, कम्प्यूटर ऐडेड इंजीनियरिंग (सीएई), सीएनसी प्रोग्रामिंग और प्रचालन, कंप्यूटेशनल फ्लुइड डायनामिक्स (सीएफडी), मोल्ड डिजाइन, सॉलिड वर्क्स, 3डी प्रिंटिंग, इंटीरियर डिजाइन और एसटीएएडी प्रो और रिवाइट के जरिए प्रशिक्षण।

ख) **मैकेनिकलः** टूल डिजाइन और उन्नत विनिर्माण, गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण, एचवीएसी डिजाइन, मशीनिस्ट एवं वेल्डिंग आदि।

ग) **इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्सः** इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स, पीएलसी–एससीएडीए के साथ आटोमेशन, एम्बेडेड सिस्टम, सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रीकल सर्किट और सब–स्टेशन अनुरक्षण, मोटर वाइडिंग और मरम्मत, मेकाट्रोनिक्स, मशीन लर्निंग, ईवी टेक्नोलॉजी, सोलर पीवी टेक्नोलॉजी आदि।

घ) **सूचना प्रौद्योगिकीः** उन्नत सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर हार्डवेयर एवं नेटवर्किंग, 'ओ' लेवल, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंगुएजज, वेबसाइट डिजाइनिंग एवं तैयार करना, बिग डाटा एवं हडूप, पायथन, एसक्यूएल सर्वर, कोर जावा, एमसीपी–सीसीएनए, एंड्रायड अनुप्रयोग, उन्नत जावा, क्लाउड कंप्यूटिंग, सी++ और ओओपीएस, कंप्यूटरीकृत लेखांकन एवं टेली ईआरपी, आईओटी, डेटा साइंस आदि।

ङ) **एआईसीटीई द्वारा स्वीकृत पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इंजीनियरिंग और एनसीवीटी पाठ्यक्रमः** एनटीएससी, नीमका में छह विभिन्न विषयों में एआईसीटीई अनुमोदित डिप्लोमा इंजीनियरी पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके साथ–साथ एनटीएससी, ओखला, राजपुरा और हाबड़ा में एनसीवीटी से संबद्ध आईटीआई स्तर के पाठ्यक्रम संचारित किए जाते हैं, ताकि विद्यार्थियों को रोजगार के अवसरों के लिए व्यावसायिक/शैक्षिक पाठ्यक्रम उपलब्ध किए जा सकें।

च) **आजिविका कारोबार इंक्यूबेशन (एलबीआई):** इस पहल के माध्यम से एनएसआईसी बेकरी, सोया दूध उत्पादन, जुराबों की बुनाई, बुक बाइडिंग, पेपर कप पैकिंग, कलर प्रिंटिंग आदि जैसी कार्य परियोजनाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर युवाओं को जिनमें बेरोजगार भी शामिल हैं। उद्यमशीलता कौशल सिखाने के उद्देश्य से उन्हें कार्यरत रखता है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, कुल 61,090 प्रशिक्षु विभिन्न तकनीकी केंद्रों से उत्तीर्ण हुए जो अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है।

II. नई पहलें:

i) उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और एप्लाइसेस के क्षेत्र में युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल्स काउंसिल ऑफ इंडिया (ईएसएससीआई) के साथ हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन के अनुसरण में एनटीएससी–ओखला, नई दिल्ली में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया। इसने युवाओं के लिए

इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में एक नया रास्ता खोल दिया है और इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों की सर्विसिंग और मरम्मत पर प्रशिक्षण प्रदान करके इस क्षेत्र में रोजगार के लिए कुशल जनशक्ति उत्पन्न की है। उत्कृष्टता केंद्र में प्रति वर्ष लगभग 600 प्रशिक्षुओं को प्रवेश मिलता है।

ii) एनटीएससी–राजकोट में सौर पंप परीक्षण सुविधा सौराष्ट्र क्षेत्र में एमएसएमई विनिर्माण इकाइयों की सेवा के उद्देश्य से स्थापित की गई थी। श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, माननीय राज्य मंत्री, एमएसएमई मंत्रालय ने 24 फरवरी 2023 को सौर जल पंप परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया। परीक्षण सुविधा एनएबीएल द्वारा भी प्रत्यायन प्राप्त है।

iii) समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आधुनिक सिविल निर्माण परियोजनाओं (सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट) में उपयोग की जाने वाली डब्ल्ड वॉल्ड कोरूगेटिड एचडीपीई पाइप के लिए एनटीएससी–ओखला में एक परीक्षण सुविधा स्थापित की गई है।

iv) एनटीएससी–अलीगढ़ में सीएनसी प्रोग्रामिंग और ऑपरेशन, फिटर और मशीनिस्ट पाठ्यक्रम और सीएफएस (सीएनसी, वायर कट ईडीएम, वेव की मिलिंग, साल्ट बाथ फर्नेस और वर्टिकल मिलिंग मशीन आदि) में प्रशिक्षण के लिए कार्यशाला का उन्नयन।

v) एनटीएससी–हावड़ा में इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल और नवीकरणीय ऊर्जा, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग/एचवीएसी डिजाइन, सीएनसी प्रोग्रामिंग और संचालन तथा सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल क्षेत्रों में उन्नत सामग्री परीक्षण सुविधा में कौशल विकास प्रशिक्षणों का आधुनिकीकरण।

vi) एसटीएएडी फाउंडेशन, इंटीरियर और आर्किटेक्चर डिजाइन, फोटोशॉप और वी–रे, पीसीबी डिजाइन, विश्लेषण और विनिर्माण, ईवी की मरम्मत और रखरखाव, पूर्ण स्टैक विकास, डिजिटल ट्विन्स, ड्रोन टेक्नोलॉजीज, नवीकरणीय संसाधन और विद्युत प्रणाली, कंप्यूटर विजन और रोबोटिक्स के लिए गहन शिक्षण, औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए समग्र सामग्री, ज्यामितीय आयाम और सहनशीलता, अमेजॅन वेब सेवाएँ (एडब्ल्यूएस) आदि में उपयोग की जाने वाली अनुकूलन तकनीकों पर नए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए।

vii) एनटीएससी–ओखला ने उद्योग 4.0 से संबंधित प्रौद्योगिकियों, जैसे 3डी प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी, आईओटी अनुप्रयोग, सौर ऊर्जा आधारित समाधानों का डिजाइन और विकास, संरचनाओं में विश्लेषण और कम्प्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स (सीएफडी) के बारे में नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एनएसयूटी) के सहायक प्रोफेसरों के लिए उद्योग उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम एनएसयूटी (एनसीटी दिल्ली सरकार) द्वारा प्रायोजित था। प्रशिक्षण कार्यक्रम ने संकायों को उद्योग और उद्यमिता में तकनीकी कौशल का उपयोग सीखने में सक्षम बनाया।

viii) एनटीएससी–अलीगढ़ ने कुल 540 युवाओं के लिए सीएसआर के अंतर्गत न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन (एनएपीएस) से प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

ix) एनटीएससी–राजकोट ने अकादमिक और उद्योग संपर्क हासिल करने के उद्देश्य से 31 मार्च, 2023 को डेमो दिवस – "प्रयास" के अवसर पर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, राजकोट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

x) एलबीआई – नैनी ने ग्राम स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एनटीपीसी मेजा ऊर्जा निगम परिसर में कटिंग और टेलरिंग मॉड्यूल में 30 महिला लाभार्थियों के लिए प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

xi) प्रशिक्षण केंद्र – मंडी ने महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से एनटीपीसी द्वारा प्रायोजित ग्रामीण महिलाओं के लिए फ्रैब्रिक उत्पादों के निर्माण, महिलाओं और बच्चों की टेलरिंग, कंप्यूटर अनुप्रयोग, कृषि परीक्षण आदि में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। केंद्र ने नाबार्ड, सरकारी आईटीआई – मंडी और राजकीय डिग्री कॉलेज – मंडी के तहत प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया।

xii) एनटीएससी – राजपुरा ने विभिन्न घरेलू विद्युत उपकरणों जैसे वेट ग्राइंडर, राइस कुकर, न्यूट्री ब्लेंड, चॉपर, एग बॉयलर और हैंड मिक्सर के लिए नई परीक्षण गतिविधियाँ संचालित की हैं।

III. सामान्य सुविधा सेवाएं (सीएफएस)

एनटीएससी निम्नलिखित विशेषज्ञता में एमएसएमई को मांग संचालित एनएबीएल मान्यता प्राप्त और बीआईएस मान्यता प्राप्त परीक्षण सुविधाएं प्रदान करता है:

केंद्र	उपलब्ध परीक्षण सुविधाएँ
नई दिल्ली	लौह और अलौह सामग्री, पाइप, स्टील के तार, भवन निर्माण सामग्री, प्लास्टिक, लकड़ी और मिट्टी और कोलतार परीक्षण, पीपीई किट परीक्षण
राजकोट	डीजल इंजन परीक्षण, सौर/विद्युत पम्प परीक्षण, प्लास्टिक परीक्षण, सामग्री परीक्षण
हावड़ा	इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, तार और केबल, इंसुलेटर, सामग्री परीक्षण
राजपुरा	विद्युत उपकरण परीक्षण, पीपीई किट परीक्षण
चेन्नई	अंशांकन प्रयोगशाला, सामग्री परीक्षण, पंप परीक्षण, ऊर्जा लेखा परीक्षा
नीमका	लौह और अलौह सामग्री का रासायनिक और यांत्रिक परीक्षण

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान विभिन्न तकनीकी केंद्रों के माध्यम से सीएफएस में कुल 14,034 एमएसएमई इकाइयों को सेवाएं दी गईं।

IV. प्रशिक्षार्थियों को प्लेसमेंट सहायता

एनएसआईसी जॉब मेलों का आयोजित करके प्रशिक्षार्थियों का चयन करने के लिए कंपनियों को आमंत्रित करके अपने प्रशिक्षार्थियों को प्लेसमेंट में सहायता करता है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, एनएसआईसी ने प्रशिक्षार्थियों को प्लेसमेंट में सहायता के लिए 44 जॉब मेलों का आयोजन किया, जिसमें कुल 307 कंपनियों ने भाग लिया और 1536 प्रशिक्षार्थियों का चयन किया गया।

V. प्रशिक्षार्थियों के लिए शैक्षिक संस्थाओं और सीपीएसई के साथ संबंध

शैक्षिक संस्थाओं के साथ एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्रों का संपर्क बढ़ाना ताकि एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्रों की प्रौद्योगिकों के संबंध में विद्यार्थियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण की सुविधा मिल सके। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज राजकोट, गुजरात नॉलेज सोसाइटी, एनटीपीसी, नाबार्ड, सरकारी आईटीआई – मंडी, सरकारी डिग्री कॉलेज – मंडी आदि कुछ नाम हैं।

VI. डिजिटल सेवा सुविधा (एमएसएमई ग्लोबल मार्ट)

एनएसआईसी अपने ई–मार्केटिंग पोर्टल एमएसएमई ग्लोबल मार्ट (https://www.msmemart.com) के माध्यम से ई–मार्केटिंग सेवाएं प्रदान कर रहा है, जो एक वैश्विक बिजनेस टू बिजनेस (बी2बी) पोर्टल है जो बढ़ी हुई दृश्यता, खोज योग्यता और अपने व्यवसाय को ऑनलाइन बढ़ाने के लिए खरीदारों और आपूर्तिकर्ताओं के बीच नेटवर्किंग के अवसर के माध्यम से एमएसएमई को बाजार पहुंच प्रदान करता है। प्रधानमंत्री के ''वोकल फॉर लोकल'' के दृष्टिकोण को साकार करने और बढ़ाने और बढ़ती हुई ''मेक इन इंडिया'' अर्थव्यवस्था में योगदान और समर्थन करने के उद्देश्य से, एमएसएमई ग्लोबल मार्ट भीतरी इलाकों से लेकर राष्ट्रीय बाजार तक भी उत्पादों को प्रदर्शित करने में सुविधा प्रदान कर रहा है। पोर्टल में भारत के 1,96,525 से अधिक एमएसएमई का सदस्य आधार है और इसमें लगभग 1 लाख उत्पाद शामिल हैं। पोर्टल की प्रमुख विशेषताओं और सेवाओं में असीमित निविदा जानकारी, व्यापार लीड, सदस्य का होमपेज, विशेष उत्पाद सूची, कोटेशन के लिए अनुरोध आदि शामिल हैं। पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया कागज रहित और पूरी तरह से ऑनलाइन है।



उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत एमएसएमई को एमएसएमई ग्लोबल मार्ट में शामिल करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बड़ी संख्या में एमएसएमई की सेवा के लिए एमएसएमई ग्लोबल मार्ट पोर्टल बनाने के लिए, एनएसआईसी ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- एनएसआईसी ने ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेल के माध्यम से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का हिस्सा बनाने के लिए एमएसएमई की क्षमता निर्माण के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु वॉलमार्ट के साथ मिलकर कार्य करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन भारतीय एमएसएमई को निर्यात की निरंतर वृद्धि के लिए बाजार पहुंच प्रदान करेगा, विशेष रूप से टियर–II और टियर–III शहरों से और भारत से एमएसएमई उत्पादों की बिक्री के लिए ऑनलाइन रिटेल का लाभ उठाएगा।

- उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत एमएसएमई को एमएसएमई ग्लोबल मार्ट में शामिल करने और अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए पोर्टल की ई–मार्केटिंग सेवाओं की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए, एनएसआईसी और एमएसएमई के विकास आयुक्त का कार्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

- आजादी के 75 वर्ष पर आजादी का अमृत महोत्सव की भारत सरकार की थीम के अनुरूप, एमएसएमई मंत्रालय ने पीएमएस योजना के तहत, एनएसआईसी द्वारा संचालित ई–कॉमर्स पोर्टल ''एमएसएमई ग्लोबल मार्ट'' के माध्यम से माइक्रो एंटरप्राइजेज द्वारा उत्पादों या सेवाओं को बेचने के लिए ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म को अपनाने के लिए 75 प्रतिशत सब्सिडी शुरू की। यह योजना ई–कॉमर्स पोर्टल ''एमएसएमई ग्लोबल मार्ट'' के माध्यम से वार्षिक सदस्यता शुल्क/सदस्यता शुल्क/आकस्मिक व्यय (फोटोग्राफी, कैटलॉगिंग, विज्ञापन आदि) पर वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। सूक्ष्म उद्यमों द्वारा भुगतान की गई राशि का 75 प्रतिशत, अधिकतम 25,000/– (करों को छोड़कर), जो भी प्रति वित्तीय वर्ष कम हो, के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है। योजना की शुरुआत यानी सितंबर 2022 से, 2,008 इकाइयों ने सदस्यता शुल्क/सदस्यता शुल्क पर 1,02,70,500/– रुपए की वित्तीय सहायता का लाभ उठाया है। ''ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को अपनाने'' को प्रचारित करने के लिए वरिष्ठ महाप्रबंधक, डीएसएफ द्वारा दूरदर्शन उर्दू पर एक साक्षात्कार आयोजित किया गया है।

- एनएसआईसी ने एमएसएमई ग्लोबल मार्ट पर ''प्रमोशनल प्लान'' के रूप में एक नई ''मूल्य वर्धित सेवा'' और राजस्व सृजन के लिए अतिरिक्त चैनल भी लॉन्च किया। उक्त योजना का उद्देश्य कॉरपोरेट्स/खरीदारों को पोर्टल पर लाना है, जो कोई भी संस्थान/इवेंट आयोजक/बड़े कॉरपोरेट्स/पीएसयू, वित्तीय संस्थान और यहां तक कि एमएसएमई आदि हो सकते हैं, उन्हें अपने उत्पादों और सेवाओं के विज्ञापन के लिए मूल्य वर्धित प्रस्ताव की पेशकश करके विज्ञापनदाता के रूप में लाकर लक्षित डाटाबेस के लिए एमएसएमई ग्लोबल मार्ट पोर्टल पर उनकी सोर्सिंग जरूरतों के लिए सही आपूर्तिकर्ताओं को ढूंढना है। अगस्त 2022 में योजना शुरू होने के बाद से 50 इकाइयों ने विज्ञापन योजना सेवा का लाभ उठाया है जिसके परिणामस्वरूप अल्प अवधि में 8,32,500/– का राजस्व प्राप्त हुआ।

- आईसीटी पैनलबद्ध सेवा प्रदाताओं के उत्पादों/सेवाओं को डिजिटल रूप से पेश करने और एमएसएमई द्वारा दिखाई गई रुचि की लीड के संबंध में जानकारी हासिल करने के लिए एमएसएमई ग्लोबल मार्ट पोर्टल पर आईसीटी डिजिटल सेवा पेज बनाया गया है। एकत्रीकरण मॉडल के तहत एमएसएमई के लिए हर संभव समाधान प्रदान करने और एमएसएमई ग्लोबल मार्ट को एमएसएमई के लिए समाधान/सेवाओं के बाजार के रूप में विकसित करने के लिए एनएसआईसी को वन–स्टॉप समाधान बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, एमएसएमई ग्लोबल मार्ट पोर्टल के तहत 11,465 इकाइयों को सुविधा प्रदान की गई और कुल 4.86 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया।

5) सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन

कंपनी भारत सरकार की ओर से निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है:

क) राष्ट्रीय एससी/एसटी हब (एनएसएसएच)

एनएसआईसी एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार की एक पहल, नेशनल एससी/एसटी हब (एनएसएसएच) को लागू कर रहा है। वर्ष 2016 में प्रारंभ होने के बाद से भारत में इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद नीति के अनुसार सीपीएसई से 4 प्रतिशत खरीद के आदेश को पूरा करने के लिए एससी/एसटी उद्यमियों को पेशेवर सहायता प्रदान करना है।

क्षमता निर्माण, बाजार संपर्क और एससी/एसटी उद्यमियों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए, एनएसएसएच योजना के विभिन्न घटकों के तहत सब्सिडी के रूप में विभिन्न हस्तक्षेप और वित्तीय सहायता शुरू की गई है। अधिकतम जमीनी पहुंच के लिए और एससी/एसटी उद्यमियों को उनके व्यावसायिक जीवनचक्र में सहायता प्रदान करने हेतु, देश भर में 15 राष्ट्रीय एससी–एसटी हब कार्यालय (एनएसएसएचओ) स्थापित किए गए हैं।

एनएसएसएच के तहत विभिन्न हस्तक्षेपों/उप योजनाओं का विवरण www.scsthub.in पर उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान नेशनल एससी/एसटी हब द्वारा की गई गतिविधियां/उपलब्धियां निम्नवत हैं:

- उत्पादों/सेवाओं को प्रदर्शित करने और बाजार से जुड़ने के लिए, 2342 एससी/एसटी एमएसएमई को 85 घरेलू प्रदर्शनियों में भाग लेने की सुविधा प्रदान की गई है। एनएसएसएच कार्यालयों के माध्यम से कुल 94 विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनमें 3856 एससी/एसटी उद्यमियों ने भाग लिया।
- लोक खरीद में भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए, एनएसएसएचओ के माध्यम से 2131 एससी/एसटी उद्यमियों को ई–टेंडरिंग पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। क्रमशः 622 और 1214 एससी/एसटी एमएसई की कुल संख्या को एसपीआरएस और बी2बी सदस्यता के तहत पंजीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।
- कुल 7297 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के इच्छुक/विद्यमान उद्यमियों को विभिन्न सरकारी विभागों/स्वायत्त संस्थान जैसे एमएसएमई मंत्रालय का प्रौद्योगिकी केंद्र, एनटीएससी, एनआईएमएसएमई, सीआईपीईटी आदि के माध्यम से क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किए गए हैं।
- एससी/एसटी एमएसई के 577 दावा आवेदनों के संबंध में विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (एससीएलसीएसएस) के तहत 69.66 करोड़ रुपए की सब्सिडी जारी की गई है। इसी प्रकार, 135 एससी/एसटी एमएसई के संबंध में 47.09 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति विभिन्न प्रतिपूर्ति सब्सिडी योजनाओं (बैंक ऋण प्रक्रिया शुल्क, निष्पादन बैंक प्रभार शुल्क, परीक्षण शुल्क, ईपीसी की सदस्यता शुल्क, सरकार द्वारा संचालित ई–पोर्टल शुल्क, शीर्ष 50 एनआईआरएफ के अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम) के तहत की गई है।
- राष्ट्रीय एससी/एसटी हब योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, कुल 111 जागरूकता अभियान चलाए गए जिनमें कुल 5848 एससी/एसटी प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- इसके अलावा, एनएसएसएच योजना के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने और लोक खरीद में भागीदारी के लिए एससी/एसटी उद्यमियों को संवेदनशील बनाने के लिए, चूरनचंदपुर (मणिपुर), तंजौर (तमिलनाडु), अहमदाबाद (गुजरात), आइजॉल (मिजोरम), मयूरभंज (ओडिशा) और मुंबई (महाराष्ट्र) में एनएसएसएच कार्यालयों के माध्यम से 6 मेगा इवेंट (एनएसएसएच कॉन्क्लेव) आयोजित किए गए थे जिनमें लगभग 3247 एससी/एसटी प्रतिभागियों और विभिन्न केंद्रीय/राज्य सरकार के विभागों, सीपीएसई, बैंकों आदि ने भाग लिया।
- 18 नवंबर 2022 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में "भारत सरकार की लोक खरीद नीति – पुनरुत्थान के लिए लचीलापन" पर एक सीपीएसई कॉन्क्लेव आयोजित किया गया था। इस आयोजन का उद्देश्य लोक खरीद नीति के अधिदेश को पूरा करने की दिशा में सीपीएसई के प्रयासों को संवेदनशील बनाना, मान्यता प्रदान करना और इसके लिए उन्हें सम्मानित करना था। कॉन्क्लेव में श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, माननीय राज्य मंत्री, एमएसएमई मंत्रालय,

भारत सरकार की गरिमामयी उपस्थिति रही थी और इसमें एमएसएमई मंत्रालय और लोक उद्यम विभाग के गण्यमान्य व्यक्तियों के साथ–साथ 80 सीपीएसई का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

राष्ट्रीय एससी/एसटी हब के तहत वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान आयोजित मेगा कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

- 23 जनवरी 2023 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मुंबई में ''नेशनल एससी/एसटी हब कॉन्क्लेव'' का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में श्री नारायण राणे, माननीय मंत्री, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार, श्री बी.बी. स्वैन, तत्कालीन सचिव, एमएसएमई मंत्रालय, और साथ में सुश्री मर्सी एपाओ, संयुक्त सचिव (एसएमई), डॉ. इशिता जी. त्रिपाठी, अपर विकास आयुक्त, एमएसएमई मंत्रालय तथा केंद्रीय एवं राज्य सरकार और औद्योगिक संघ के अन्य गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

- ''भारत सरकार की लोक खरीद नीति – पुनरुत्थान के प्रति लचीलापन'' पर सीपीएसई कॉन्क्लेव 18 नवंबर 2022 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। सम्मेलन की शोभा माननीय श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, माननीय राज्य मंत्री, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार ने बढ़ाई और एमएसएमई मंत्रालय के अन्य गण्यमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे।

- एनएसएसएच कॉन्क्लेव का आयोजन 2 सितंबर 2022 को चुराचांदपुर, मणिपुर में किया गया था। श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, माननीय राज्य मंत्री, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और श्रीमती. नेम्चा किपगेन, माननीय मंत्री, वस्,, वाणिज्य और उद्योग विभाग, मणिपुर सरकार कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि थी। कॉन्क्लेव में लगभग 500 एससी/एसटी इच्छुक और मौजूदा उद्यमियों ने भाग लिया।

- एनएसएसएच मेगा इवेंट (कॉन्क्लेव) 23 सितंबर, 2022 को तंजौर, तमिलनाडु में आयोजित किया गया था जिसमें लगभग 900 एससी/एसटी इच्छुक और मौजूदा उद्यमियों ने भाग लिया था। श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा माननीय राज्य मंत्री, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। श्री. टी.एम. अनबरसन, माननीय एमएसएमई मंत्री, तमिलनाडु सरकार श्रीमती कायलविझी सेल्वराज, आदि–द्रविड़दार कल्याण, पहाड़ी जनजाति और बंधुआ मजदूरी की माननीय मंत्री और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

- एनएसएसएच कॉन्क्लेव का आयोजन 28 सितंबर 2022 को अहमदाबाद में किया गया था। डॉ. किरीट सोलंकी, माननीय संसद सदस्य और अध्यक्ष, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने संयुक्त सचिव–एसएमई, एमएसएमई मंत्रालय और सीएमडी, एनएसआईसी की उपस्थिति में कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम में लगभग 250 एससी/एसटी प्रतिभागियों ने भाग लिया।

6) अंतरराष्ट्रीय सहयोग

अंतरराष्ट्रीय सहयोग का मुख्य उद्देश्य अन्य देशों के उद्यमों के साथ तकनीकी या व्यावसायिक गठबंधन विकसित करने के अवसरों के बारे में भारत के एमएसएमई के मध्य जागरूकता उत्पन्न करना है। वर्ष के दौरान, अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्रभाग द्वारा की गई पहलें इस प्रकार हैं:

i) ताइवान में भारत–ताइवान एसएमई सहयोग मंच की पहली बैठक

एनएसआईसी ने आईटीआरआई, ताइवान के सहयोग से ताइवान में भारत–ताइवान एसएमई सहयोग मंच की पहली बैठक का आयोजन किया, जिसका विषय था– ''स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण'' जिसमें प्रतिनिधित्व एमएसएमई मंत्रालय के तत्कालीन सचिव (एमएसएमई) श्री बी.बी. स्वैन ने किया था और जिसमें सुश्री मर्सी एपाओ, जेएस (एसएमई), श्री गौरांग दीक्षित, तत्कालीन सीएमडी (एनएसआईसी), श्री सुनील त्यागी, जीएम–एसजी (आईसी), और श्री विवेकानंद साहू, एएमटीजेड शामिल हैं।

ii) मॉरीशस और भारत के बीच एमएसएमई सहयोग पर तीसरी संयुक्त समिति की बैठक

मॉरीशस और भारत के बीच एमएसएमई सहयोग पर तीसरी संयुक्त समिति की बैठक (जेसीएम) 25 अगस्त, 2022 को एमएसएमई मंत्रालय, नई दिल्ली में आयोजित की गई

थी। जेसीएम की अध्यक्षता भारत सरकार के माननीय एमएसएमई मंत्री श्री नारायण तातु राणे और मॉरीशस के माननीय औद्योगिक विकास, एसएमई और सहकारिता मंत्री श्री सूमिल्दुथ भोला ने की। बैठक में एमएसएमई मंत्रालय, विदेश मंत्रालय (एमईए), एनएसआईसी, डीसी–एमएसएमई, केवीआईसी, एनआई–एमएसएमई, ईडीआईआई के वरिष्ठ अधिकारी और मॉरीशस के प्रतिनिधिमंडल ने भी भाग लिया।

iii) वर्चुअल बी2बी बैठकें

1. एनएसआईसी ने अपने समकक्ष संगठन एसईडीए, दक्षिण अफ्रीका के सहयोग से एसएमई पर छठे त्रि–राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान तय की गई कार्य योजना के तहत भारत के एमएसएमई और दक्षिण अफ्रीका के एमएसएमई के बीच 4–13 अप्रैल, 2022 तक ''वर्चुअल बी2बी बैठक'' का आयोजन किया गया। भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका (आईबीएसए) शिखर सम्मेलन का एक हिस्सा वस्तुतः 2–3 सितंबर, 2021 को आयोजित किया गया। आभासी बी2बी बैठकें 17 भारतीय और 30 दक्षिण अफ्रीकी उद्यमों के बीच आयोजित की गईं, जहां दोनों पक्षों के उद्यमों ने आयात/निर्यात, संयुक्त उद्यम/सहयोग, और इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), वस्त्र और रसायन जैसे क्षेत्रों में तकनीकी जानकारी का आदान–प्रदान करने की संभावनाओं का पता लगाया।

2. एनएसआईसी ने ताइवान के औद्योगिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (आईटीआरआई) के सहयोग से 11–25 मई, 2022 के बीच भारत और ताइवान के एमएसएमई और हेल्थकेयर क्षेत्र में लगे लोगों के लिए एमएसएमई मंत्रालय, भारत और लघु और मध्यम उद्यम प्रशासन (एसएमईए), आर्थिक कार्य मंत्रालय (एमओईए), ताइवान के मध्य ताइवान–भारत एसएमई जेडब्ल्यूजी (संयुक्त कार्य समूह) की पहली बैठक के दौरान तय की गई कार्य योजना के तहत केंद्रित ''वर्चुअल बी2बी बैठक'' का आयोजन किया। इन वर्चुअल बी2बी बैठकों ने स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में आयात/निर्यात, संयुक्त उद्यम/प्रौद्योगिकी सहयोग की संभावनाएं तलाशने के लिए दोनों पक्षों के उद्यमों को एक मंच प्रदान किया।

3. एनएसआईसी ने अपने समकक्ष, कोरिया एसएमई और स्टार्ट–अप एजेंसी (केओएसएमई), दक्षिण कोरिया के सहयोग से 20 अक्टूबर, 2022 को भारतीय और दक्षिण कोरियाई उद्यमों के बीच बी2बी बैठकें आयोजित कीं। बैठकें सौर ऊर्जा और सोलर पैनल, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर वॉटर हीटर और पंप, सोलर पावर प्लांट और सोलर एलईडी लाइट के विनिर्माण करने वाले भारतीय उद्यमों के क्षेत्र से जुड़े लोगों ने बी2बी बैठकों में भाग लिया। बैठकों के दौरान दोनों पक्षों के उद्यमों ने प्रौद्योगिकी आदान–प्रदान और संयुक्त उद्यम के रूप में सहयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाया।

4. एनएसआईसी ने अपने समकक्ष संगठन आरएसएमबी कॉर्पोरेशन, रूस के साथ मिलकर जल मीटर, मसाले, औद्योगिक पंप, फैशन और वस्त्र परिधान, जिंक ऐश, कॉपर स्क्रैप, डिजिटल प्रयोगशाला उपकरण और हाइड्रोलिक पंप के क्षेत्र में 08 भारतीय और 12 रूसी उद्यमों के बीच ''वर्चुअल बी2बी बैठक'' का आयोजन किया। इन बैठकों के परिणामस्वरूप एक भारतीय कंपनी मेसर्स डीबीडी वॉटर मीटर्स प्राइवेट लिमिटेड और 2 रूसी उद्यम – इजीटेक एलएलसी और मेट्रोसर्विस एलएलसी के बीच एनडीए पर हस्ताक्षर किए गए हैं और भारत में डिजिटल प्रयोगशाला उपकरण के अनुबंध निर्माण के लिए हाइड्रोलिक प्रेस प्राइवेट लिमिटेड (भारत) और साइंटिफिक एंटरटेनमेंट (रूस) के बीच एक समझौता भी प्रक्रिया में है।

iv) आगंतुक प्रतिनिधिमंडल का एनएसआईसी का दौरा

1. श्री मुस्तफा एफ. शेखोन, मंत्री प्लेनीपोटेन्शयरी (वाणिज्यिक) के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल और सुश्री मारवा अबू एल सादात अली, वाणिज्यिक काउंसलर, मिस्र दूतावास, नई दिल्ली के साथ एक प्रतिनिधिमंडल ने एनटीएससी, ओखला में एनएसआईसी के रैपिड इनक्यूबेशन सेंटर और उन्नत प्रशिक्षण केंद्र का दौरा 9 जून, 2022 को दौरा किया और मिस्र में ऐसे केंद्र स्थापित करने में एनएसआईसी के साथ सहयोग करने में गहरी रूचि दर्शाई।

2. ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अबोगाबल, रक्षा अताशे, मिस्र दूतावास, नई दिल्ली के नेतृत्व में एक

प्रतिनिधिमंडल और उनके साथ श्री हेशम अलसैद, काउंसलर, मिस्र दूतावास, नई दिल्ली और श्री इब्राहिम मामदौह फौदा, द्वितीय सचिव, मिस्र दूतावास, ने नई दिल्ली में 22 जुलाई, 2022 को एनएसआईसी के रैपिड इनक्यूबेशन सेंटर और एडवांस्ड एनटीएससी, ओखला का दौरा किया।

3. मॉरीशस के औद्योगिक विकास, एसएमई और सहकारी समितियों के माननीय मंत्री श्री सूमिल्दुथ भोला के नेतृत्व में चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 26 अगस्त, 2022 को एनटीएससी, ओखला में एनएसआईसी के रैपिड इनक्यूबेशन सेंटर और उन्नत प्रशिक्षण केन्द्र का दौरा किया। विभिन्न सहयोग क्षेत्रों पर चर्चा की गई– मॉरीशस में प्रदर्शन स्टूडियो की स्थापना के लिए मशीनों की खरीद की स्थापना, एनएसआईसी के वेब पोर्टल msmemart.com पर मॉरीशस पवेलियन का विकास, एनएसआईसी और एसएमई मॉरीशस (एसएमईएमयू) के बीच सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना आदि।

4. एनएसआईसी ने 25 अगस्त, 2022 को भारत सरकार के एमएसएमई के माननीय मंत्री श्री नारायण तातु राणे के साथ बहरीन एसएमई सोसाइटी के अध्यक्ष डॉ. अब्दुलहसन अल–दैरी के नेतृत्व में बहरीन प्रतिनिधिमंडल की एक बैठक आयोजित की, जिसमें दोनों देशों के एमएसएमई के विकास के सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा की गई।

5. बहरीन एसएमई सोसाइटी के अध्यक्ष डॉ. अब्दुलहसन अल–दैरी के नेतृत्व में पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 26 अगस्त, 2022 को एनटीएससी, ओखला में एनएसआईसी के रैपिड इनक्यूबेशन सेंटर और एडवांस्ड ट्रेनिंग सेंटर का दौरा किया। एमएसएमई के विकास के लिए विभिन्न सहयोग क्षेत्रों पर चर्चा की गई।

6. श्री हरिप्रसाद सोखलाल, अध्यक्ष, एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, सूरीनाम ने भारत और सूरीनाम के उद्यमों के बीच सहयोग के अवसरों की पहचान करने के लिए 17 नवंबर, 2022 को ओखला, नई दिल्ली में एनटीएससी और उन्नत प्रशिक्षण केन्द्र का दौरा किया। उन्होंने भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, 2022 में एनएसआईसी के स्टॉल का भी दौरा किया और लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के प्रयासों की सराहना की।

7. श्री बी. गंगाराम पांडे, प्रबंध निदेशक, इलेक्ट्रिक लाइटिंग एंड टेक्निकल कंपनी (ईएलटीओ), सूरीनाम ने एनएसआईसी के रैपिड इनक्यूबेशन सेंटर और एनटीएससी (ओखला), नई दिल्ली में उन्नत प्रशिक्षण केंद्र का दौरा किया और एनएसआईसी और सूरीनाम के बीच संभावित सहयोग क्षेत्रों पर चर्चा में भाग लिया। .

8. डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट (डीटीआई), घाना की सीईओ सुश्री कॉन्स्टेंस स्वानिकर ने 3 मार्च, 2023 को ओखला में एनएसआईसी के रैपिड इनक्यूबेशन सेंटर एनटीएससी का दौरा किया। उन्होंने पाया कि रोजगार सृजन के लिए रैपिड इनक्यूबेशन और उन्नत प्रशिक्षण केंद्र का एनएसआईसी का मॉडल घाना और अन्य अफ्रीकी देशों में एमएसएमई के विकास के लिए उपयुक्त है। उन्होंने कौशल विकास और स्व–रोजगार के अवसरों के निर्माण के लिए एनएसआईसी की सुविधाओं की सराहना की।

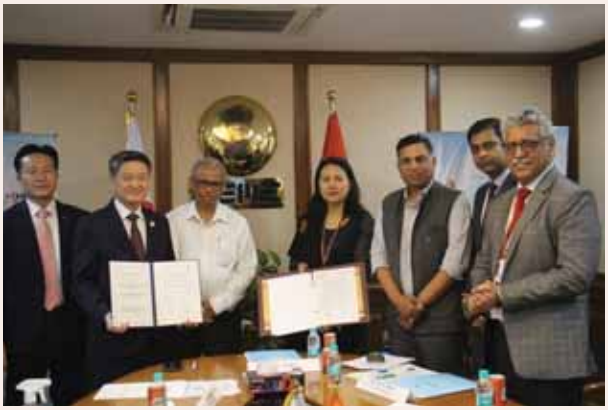
v) हस्ताक्षर किये गये समझौता ज्ञापन

1. एनएसआईसी और स्पिरिट स्लोवेनिया के बीच 20–25 अगस्त, 2022 के दौरान स्लोवेनिया की यात्रा के दौरान गोर्नजा, रेडगोना, स्लोवेनिया में वार्षिक अंतरराष्ट्रीय कृषि और खाद्य मेले, आगरा के 60वें संस्करण में भाग लेने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

2. श्री नारायण तातु राणे, माननीय एमएसएमई मंत्री, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार ने 21 सितंबर, 2022 को एमएसएमई मंत्रालय, उद्योग भवन में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सहयोग पर राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) और आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन लिमिटेड (एएमटीजेड) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर की शोभा बढ़ाई। इस अवसर पर सचिव (एमएसएमई) श्री बी. बी. स्वैन भी उपस्थित थे।

3. श्री बी.बी. स्वैन, सचिव (एमएसएमई, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार) 27 फरवरी, 2023 को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी)

और कोरिया एसएमई और स्टार्टअप एजेंसी (केओएसएमई), दक्षिण कोरिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर उपस्थित थे। यह समझौता ज्ञापन भारत और कोरिया में एमएसएमई के विकास से संबंधित प्रबंधन विशेषज्ञता साझा करने, नवीनतम प्रौद्योगिकियों की पहचान करने और आदान–प्रदान करने के साथ–साथ विश्वसनीय व्यापार गठबंधनों के साथ वैश्विक बाजार में एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए सहयोग करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा।



एनएसआईसी ने कोरिया एसएमई और स्टार्टअप एजेंसी (कोस्मे), दक्षिण कोरिया के साथ सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

vi) आभासी प्रशिक्षण सत्र

1. एनएसआईसी ने अपने समकक्ष, कोरिया एसएमई और स्टार्ट–अप एजेंसी (केओएसएमई), दक्षिण कोरिया के सहयोग से 19 अक्टूबर, 2022 को कोरिया में वैश्विक और नवीनतम रुझान और एआर/वीआर प्रौद्योगिकी पर एक वेबिनार का आयोजन किया। वेबिनार के सम्मानित वक्ता एक्सआर2 और लीड की सीईओ सुश्री मरियम चौधरी और सियोल में सेजोंग विश्वविद्यालय में कम्प्यूटर ग्राफिक्स के प्रोफेसर श्री युन गेउक कांग थे। एनएसआईसी अधिकारियों और देश भर के आठ तकनीकी सेवा केन्द्रों के प्रशिक्षुओं सहित 67 प्रतिभागियों ने वेबिनार में भाग लिया।

2. 27–28 दिसंबर, 2022 तक एक आभासी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें एएमटीजेड द्वारा ईऑन–एक्सआर प्लेटफॉर्म के माध्यम से संवर्धित और आभासी वास्तविकता पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। प्रतिभागियों को ईयान–एक्सआर प्लेटफॉर्म का उपयोग कैसे करें और उक्त प्लेटफॉर्म का उपयोग करके 3डी/360 एसेट पाठ कैसे बनाएं, इस पर प्रशिक्षित किया गया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में देश भर के एनटीएससी के लगभग 40 अधिकारियों, अतिथि संकायों ने भाग लिया।

vii) आभासी बैठकें और परस्पर चर्चा सत्र

1. समीक्षाधीन अवधि के दौरान, एनएसआईसी ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शुरू करने और एमएसएमई के बीच स्थायी व्यापार गठबंधनों के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं पर जानकारी साझा करने के लिए सहयोग की संभावना तलाशने हेतु अपने निम्नलिखित विदेशी समकक्षों के साथ आभासी बैठकें आयोजित कीं:

   - कतर डेवलपमेंट बैंक, कतर।
   - एजेंसी फॉर एंटरप्राइस डेवलपमेंट (एईडी), वियतनाम।
   - सीईपीटीएमई–स्पेन।

2. एनएसआईसी द्वारा कार्यान्वित की जा रही सीबीएफटीई योजना उपघटक के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए निर्यात से संबंधित प्रमाणन निकायों/संघों के साथ एक आभासी इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किया गया था, अर्थात अपने संबंधित संगठनों में निर्यात प्रमाणीकरण के लिए आवेदन करने और उन्हें इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों के मध्य "एमएसई द्वारा निर्यात उत्पादों के लिए प्राप्त परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन पर भुगतान की गई शुल्क की प्रतिपूर्ति"।

3. दोनों संगठनों के बीच संभावित सहयोग क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिए एनएसआईसी और रूसी नेशनल यूनियन ऑफ एजुकेशनल इक्विपमेंट इंडस्ट्री (एनएसपीपीओ) के बीच आरएसएमबी कॉर्पोरेशन, रूस के सहयोग से एक आभासी बैठक आयोजित की गई थी। एनएसपीपीओ ने रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदि के क्षेत्र में शैक्षिक उपकरण और प्रशिक्षण उपकरणों के उत्पादन में लगे हुए और एनएसपीपीओ के उत्पादों में उपयोग किए जाने

वाले घटक बना रहे भारतीय एसएमई में अपनी रुचि दिखाई है।

viii) अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियाँ

1. एनएसआईसी ने राष्ट्रीय एससी–एसटी हब की विशेष विपणन सहायता योजना के तहत 30–31 जुलाई, 2022 तक बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित पूर्वोत्तर भारत महोत्सव में उत्तर पूर्व क्षेत्र के 16 एससी/एसटी एमएसएमई की भागीदारी की सुविधा प्रदान की। मेले की प्रोफाइल में कृषि–बागवानी और प्रसंस्कृत भोजन, हथकरघा, वस्त्र और शिल्प, जैविक और मूल्य वर्धित चाय, प्राकृतिक मसाले और शुद्ध शहद, प्राकृतिक और हर्बल सौंदर्य प्रसाधन और प्रसाधन वस्तुए, बांस उत्पाद शामिल थे।

2. एनएसआईसी ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग योजना के तहत 14–16 सितंबर 2022 तक बैंकॉक, थाईलैंड में थाईलैंड लैब इंटरनेशनल में 13 एमएसएमई की भागीदारी की सुविधा प्रदान की। मेले की प्रोफाइल में प्रयोगशाला उपकरण, क्लीनिकल और नैदानिक उपकरण, विश्लेषणात्मक और परीक्षण उपकरण, रसायन और रीएजेंट, प्रयोगशाला सुरक्षा उपकरण और आयुर्विज्ञान शामिल थे।

3. एनएसआईसी ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग योजना के तहत 06–08 अक्टूबर 2022 तक हो ची मिन्ह सिटी, वियतनाम में मेटालेक्स वियतनाम एक्सपो में 13 एमएसएमई की भागीदारी की सुविधा प्रदान की। मेले की प्रोफाइल में धातु, मशीन उपकरण, शीट धातु बनाने की मशीन, परिशुद्धता माप और परीक्षण, मशीन उपकरण सहायक उपकरण, उपकरण, ग्राइंडिंग व्हील और अपघर्षक, मोल्ड और डाइज, द्रव पावर, पावर ट्रांसमिशन, विनिर्माण और प्रक्रिया स्वचालन, तार, ट्यूब, फास्टनर, नियंत्रक और कम्प्यूटर सिस्टम, वेल्डिंग, अर्ध–उत्पाद और कच्चे माल शामिल थे।

4. एनएसआईसी ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग योजना के तहत 07–09 दिसंबर, 2022 तक सियोल, दक्षिण कोरिया में सॉफ्टवेव कोरिया 2022 में 18 एमएसएमई की भागीदारी को सुकर बनाया। मेले की प्रोफाइल में आईटी सेवाएँ और इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर विकास सेवाएँ, इंटरनेट, आईओटी, बिग डाटा, क्लाउड, एआर/वीआर, मेटावर्स, गेमिंग, रोबोटिक्स, ड्रोन, एआई, ब्लॉकचेन, गेमिंग, फिनटेक, ई–कॉमर्स शामिल थे।

5. एनएसआईसी ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग योजना के तहत 29–31 मार्च, 2023 तक कोम्एक्सपो – पूर्ण विनिर्माण एक्सपो, म्यांमार में 10 एमएसएमई की भागीदारी को सुकर बनाया। मेले की प्रोफइल में प्लास्टिक, पैकेजिंग, प्रिंटिंग और कन्वर्टिंग, वेल्डिंग, फैब्रिकेशन, मशीन, उपकरण, मोटर, पंप, बियरिंग आदि शामिल थे।

7) सूचना प्रौद्योगिकी

एनएसआईसी एमएसएमई के समर्थन के लिए एक प्रमुख संगठन है, एनएसआईसी विभिन्न नई पहलों और प्रगतिशील सुधारों के माध्यम से अपने आईटी बुनियादी ढांचे का पुनरूद्धार करने की प्रक्रिया में है। कंपनी न केवल अपने व्यवसाय संचालन में वृद्धि के लिए बल्कि सुरक्षित वातावरण में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए भी डिजिटल प्रौद्योगिकी की शक्ति का सक्रिय रूप से उपयोग कर रही है।

ई–ऑफिस पैन इंडिया का कार्यान्वयन, क्लाउड पर टैली का केंद्रीकरण, ऑनलाइन निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली का कार्यान्वयन, एनएसआईसी के अधिकारियों को लैपटॉप प्रदान करने की नीति कंपनी द्वारा अपनी परिचालन और वित्तीय दक्षता बढ़ाने के लिए की गई कुछ पहलें हैं।

कंपनी की एक द्विभाषी वेबसाइट है जिसे "भारत सरकार की वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देश" के अनुसार अद्यतन जानकारी के साथ बनाए रखा जाता है। इसके अलावा, साइबर अपराधों को रोकने और कर्मचारियों के बीच 'साइबर स्वच्छता' पर निरंतर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान साइबर जागरूकता दिवस (सीजेडी) के तहत विभिन्न प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए हैं। हर महीने 'साइबर सुरक्षा जागरूकता' से संबंधित सत्र आयोजित किए गए। इसका उद्देश्य साइबर धोखाधड़ी और साइबर अपराधों से सुरक्षा के लिए एनएसआईसी कर्मचारियों में जागरूकता उत्पन्न करना और उन्हें संवेदनशील बनाना है।

8) पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में एनएसआईसी की सेवाएं

एनएसआईसी का शाखा कार्यालय गुवाहाटी में और पूर्वोत्तर में उप–कार्यालय इम्फाल (मणिपुर) में है, एनईआर में एनएसआईसी द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ इस प्रकार हैं:

1. उत्तर पूर्व क्षेत्र में एमएसई के विकास को बढ़ावा देने के लिए, एनएसआईसी शाखा कार्यालय, गुवाहाटी ने अपने प्रशिक्षण सह इन्क्यूबेशन केंद्र के माध्यम से फैशन डिजाइनिंग, खाद्य प्रसंस्करण, ब्यूटीशियन, सजावटी मोमबत्ती बनाने आदि जैसे विभिन्न प्रायोजित प्रशिक्षण के तहत 1513 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया।

2. एनएसआईसी, उत्तर पूर्व क्षेत्र ने एसएमएएस योजना के तहत उत्तर–पूर्वी क्षेत्र की विभिन्न इकाइयों का समर्थन किया है। प्रदर्शनियों का विवरण निम्नवत है:

   क) कोहिमा, नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव

   ख) शिलांग में नॉर्थ ईस्ट फूड शो

   ग) खानापारा, गुवाहाटी में 7वां भारत अंतरराष्ट्रीय मेला उद्यम, 2022

   घ) ग्रेटर नोएडा, नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटेलिटी एक्सपो

   ङ) मणिराम दीवान ट्रेड सेंटर, गुवाहाटी में 27वां अंतरराष्ट्रीय गुवाहाटी व्यापार मेला

   च) मनीराम दीवान ट्रेड सेंटर, गुवाहाटी, असम में अंतरराष्ट्रीय शीतकालीन एक्सपो

   छ) नई दिल्ली में उत्तर पूर्व महोत्सव

   ज) बैंकॉक में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल

   झ) 01 दिसंबर, 2022 से 10 दिसंबर 2022 तक 23वां हॉर्नबिल महोत्सव 2022

   ञ) 23 दिसंबर से 05 जनवरी 2023 तक एटीपीओ इंटरनेशनल विंटर एक्सपो

   ट) 6 से 12 फरवरी 2023 तक 12वां ईस्ट हिमालयन एक्सपो

   ठ) 21 फरवरी से 25 फरवरी 2023 तक पहला आइजोल मेला

3. राज्य मंत्री, एमएसएमई मंत्री और एमएसएमई सचिव की गरिमामयी उपस्थिति में चुराचनपुर, मणिपुर में एक कॉन्क्लेव भी आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 900 एससी/एसटी इकाइयों ने भाग लिया।

4. एनएसआईसी गुवाहाटी ने माननीय कैबिनेट मंत्री एमएसएमई, सचिव एमएसएमई की उपस्थिति में आइजॉल और मिजोरम में एमएसएमई कॉन्क्लेव आयोजित किया है जिसमें 300 से अधिक एससी/एसटी ने भाग लिया था।

5. एनएसआईसी उत्तर पूर्व क्षेत्र ने एनएसआईसी/एनएसएसएच योजना के बारे में जागरूकता के प्रसार के लिए विभिन्न राज्य सरकार के कार्यक्रमों में भी भाग लिया है।

9) एमओयू प्रदर्शन

आपकी कंपनी और उसके प्रशासनिक मंत्रालय यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के बीच हर साल एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। एनएसआईसी ने वर्ष 2021–22 के लिए ''बहुत अच्छी'' रेटिंग हासिल की है।

10) एनएसआईसी ने हर घर तिरंगा अभियान मनाया

एनएसआईसी ने लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना पैदा करने और राष्ट्र के निर्माण के लिए अथक प्रयास करने वालों के योगदान को याद करने के लिए एमएसएमई क्षेत्र और उसके कर्मचारियों को अपने घरों में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया। हर घर तिरंगा अभियान के उद्देश्य को पूरा करने के लिए देश भर के सभी एनएसआईसी कार्यालयों में राष्ट्रीय झंडे वितरित किए गए हैं। जागरूकता फैलाने के लिए 13 अगस्त 2022 से 15 अगस्त 2022 की अवधि के दौरान एनएसआईसी कार्यालयों में सेल्फी पॉइंट स्थापित किए गए और कॉर्पोरेट कार्यालय को प्रकाशमान किया गया।



एनएसआईसी द्वारा हर घर तिरंगा का आयोजन।

11) माननीय एमएसएमई मंत्री ने एनएसआईसी मंडप का उद्घाटन किया

एमएसएमई के माननीय कैबिनेट मंत्री श्री नारायण तातु राणे और माननीय राज्य मंत्री (एमएसएमई) श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने 15 नवंबर, 2022 को प्रगति मैदान में आयोजित 41वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में एनएसआईसी मंडप का उद्घाटन किया। एनएसआईसी ने एनएसएसएच योजना के तहत 268 एमएसई (एससी/एसटी एंटरप्राइजेज) ने हस्तशिल्प, कपड़ा, खाद्य उत्पाद, चमड़ा, रत्न और आभूषण, फर्निशिंग, कढ़ाई और लेस, कागज उत्पाद, हर्बल और आयुर्वेदिक/यूनानी, इनले पेंटिंग, बाल उत्पाद आदि की उत्पाद श्रृंखला को प्रदर्शित किया है, जिसमें महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, गुजरात, यूपी, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना आदि जैसे देश भर के राज्यों से इकाइयों ने भाग लिया है।



एमएसएमई के माननीय कैबिनेट मंत्री श्री नारायण तातु राणे और माननीय राज्य मंत्री (एमएसएमई) श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने 15 नवंबर, 2022 को प्रगति मैदान में आयोजित 41वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में एनएसआईसी मंडप का उद्घाटन किया।

12) एनएसआईसी द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन

एनएसआईसी ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2022 (31 अक्टूबर – 06 नवंबर, 2022) के अवसर पर एनएसआईसी कर्मचारियों को संगठनों और नागरिकों के लिए सत्यनिष्ठा शपथ दिलाई। सतर्कता जागरूकता सप्ताह अभियान देश के नागरिकों के बीच अखंडता को बढ़ावा देने के लिए हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

13) प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण पर एक अलग रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ "अनुलग्नक–क" के रूप में संलग्न है।

14) निवेश

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022–2023 के दौरान कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं किया है। इसके अलावा, आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुपालन में, कंपनी के निदेशक मंडल ने संबंधित संकल्प पारित किया है।

15) सार्वजनिक जमा

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कोई भी सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं किया है। इसके अलावा, आरबीआई दिशानिर्देश के अनुपालन में, कंपनी के निदेशक मंडल ने संबंधित प्रस्ताव पारित किया था।

16) कर्मचारियों का प्रशिक्षण

प्रशिक्षण एक सीखने की प्रक्रिया है जो कर्मचारियों के कौशल और कार्य के ज्ञान में सुधार करती है और उनकी क्षमताओं में उनका विश्वास उत्पन्न करती है। इससे उनके निष्पादन में सुधार होगा और वे अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से कार्य कर सकेंगे। प्रशिक्षण प्रभाग, एनएसआईसी क्षमता निर्माण कार्यक्रम बनाता और संचालित करता है जो कर्मचारियों को संगठनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनकी दक्षताओं में मौजूदा अंतराल को भरने में सहायता करता है। अधिकारियों को प्रसिद्ध संस्थानों/विभागों द्वारा आयोजित बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी भेजा जाता है। ये कार्यक्रम देश भर में हो रहे मौजूदा रुझानों के प्रति भिन्न दृष्टिकोण का एक समृद्ध स्रोत प्रदान करते हैं।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, एनएसआईसी ने निम्नलिखित विषयों पर ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के माध्यम से अपने कर्मचारियों के लिए सात (7) इन–हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए: –

1. लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2013 पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम (15 बैच)
2. जीईएम पोर्टल के माध्यम से खरीद को बढ़ाना (3 बैच)
3. साइबर सुरक्षा और जागरूकता
4. एनएसआईसी में निवारक सतर्कता, नैतिकता और मूल्य

5. सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आईटी अधिनियम), भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम और साइबर स्पेस में उनका उपयोग

6. कर योजना और धन प्रबंधन

7. महिला कल्याण – आप स्वस्थ रहें



एनएसआईसी ने 30 सितंबर 2022 को जीईएम पोर्टल के माध्यम से खरीद बढ़ाने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया और अधिकारियों को गवर्नमेंट–ई–मार्केटप्लेस (जीईएम) के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को अधिकतम करने के लिए प्रोत्साहित किया।

उपरोक्त के अलावा, पूरे भारत में 38 कर्मचारियों को बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पालन करने के लिए भी भेजा गया था।

1. संपर्क अधिकारियों (एससी/एसटी) के लिए कार्यशाला
2. बारहवा अंतरराष्ट्रीय हिन्दी सम्मेलन एवं कार्यशाला
3. परियोजना प्रबंधन (टीपीएम) की समग्रता जिसके परिणामस्वरूप परियोजना प्रबंधन में प्रमाणपत्र (सीआईपीएम) प्राप्त होता है।
4. प्रशासनिक सतर्कता – आईओ/पीओ की भूमिका (एवी1–15)
5. ''कार्य के भविष्य में लोगों, प्रौद्योगिकी और संस्कृति की पुनः संकल्पना'' विषय पर 22वां राष्ट्रीय प्रबंधन शिखर सम्मेलन
6. योग से आत्मसशक्तीकरण
7. उन्नत एमएस एक्सेल
8. ''भारत में हरित ऊर्जा: वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ना'' संबंधी 12वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2022
9. डिजिटलीकरण के माध्यम से सेवा एसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने पर बहुदेशीय अवलोकन अध्ययन मिशन
10. नए श्रम संहिता सुधार
11. पुलिस उपाधीक्षक/सहायक पुलिस आयुक्त और उससे ऊपर तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए वित्तीय अपराध की जांच संबंधी पाठ्यक्रम।
12. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए फोरेंसिक दस्तावेज परीक्षा के माध्यम से जोखिम शमन संबंधी पाठ्यक्रम
13. सीपीएसई द्वारा एमएसई से और जीईएम के माध्यम से खरीद
14. ऑनलाइन मोड में एसएमई के लिए रैनसमवेयर के बारे में जागरूकता और बचाव के उपाय
15. आईसीसी सदस्यों के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं

के लैंगिक उत्पीड़न का प्रतिषेध, प्रतितोष और निवारण संबंधी कार्यक्रम।

ये कार्यक्रम सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम), जगदम्बी प्रसाद यादव स्मृति प्रतिष्ठा, अंतरराष्ट्रीय हिंदी परिषद, अंतरराष्ट्रीय परियोजना और कार्यक्रम प्रबंधन संस्थान (आई2पी2एम, टॉप रैंकर्स मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, लोक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन (स्कोप), सीएसआर रिसर्च फाउंडेशन, एशियाई उत्पादकता संगठन, राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और न्यायालयिकविज्ञान संस्थान, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (सीईआरटी–इन) जैसे प्रसिद्ध संस्थानों और विभागों द्वारा आयोजित किए गए थे।

इसके अलावा, एनएसआईसी ने अनुसंधान, विकास और परामर्श (आरडीसी) योजना के तहत देश के अग्रणी पेशेवर संस्थानों के सहयोग से लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा आयोजित निम्नलिखित बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी अपने कर्मचारियों को भेजा है।

1. आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन द्वारा आयोजित व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए क्षमताओं का निर्माण।
2. आईसीएमएआई मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईएफआरएस)/ इंड एएस का कार्यान्वयन।
3. आईआईएम विशाखापत्तनम द्वारा आयोजित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए रणनीतिक नेतृत्व कार्यक्रम।
4. आईआईएम अमृतसर द्वारा आयोजित डाटा एनालिटिक्स के साथ निर्णय लेने को सशक्त बनाना।
5. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स द्वारा आयोजित बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों को पेशेवर बनाने के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम।

इन सभी केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने एनएसआईसी के कर्मचारियों को व्यवहारिक, कार्यात्मक और तकनीकी कौशल के संबंध में अत्यधिक ज्ञान प्रदान किया गया, जिससे संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति हुई।

विभिन्न श्रेणी में प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या।

क्र.सं.	वर्ग	प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या
1	क	319
2	ख	49
3	ग	29
4	घ	2
कुल		399

17) मानव संसाधन और प्रबंधन

क) 31 मार्च 2023 को कंपनी की कुल जनशक्ति 631 थी। जनशक्ति का विभाजन निम्न प्रकार था:

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
1.	प्रबंधकीय	467	484
2.	सुपरवाइजरी	82	82
3.	गैर–पर्यवेक्षी	82*	91
कुल		631	657

* (अनुबंध पर 16 ईए सहित)

एनएसआईसी अपने कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला का विस्तार करता है। इनमें गृह निर्माण अग्रिम, वाहन अग्रिम, कंप्यूटर अग्रिम, संघबद्ध कर्मचारियों को त्योहार अग्रिम, सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधाएं, कर्मचारी भविष्य निधि, परोपकारी निधि योजना, सेवारत कर्मचारियों के बच्चों के लिए एनएसआईसी छात्रवृत्ति योजना, एनएसआईसी पारिवारिक पेंशन योजना, सेवारत कर्मचारियों की मृत्यु, एनएसआईसी तकनीकी सेवा केंद्र में मृतक कर्मचारियों के पात्र आश्रितों को अपनी पसंद के अनुसार मुफ्त प्रशिक्षण, कंपनी में 25 वर्ष की सेवा पूरी करने पर उपहार, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति पर उपहार, सेवा के दौरान अर्जित अवकाश नकदीकरण और सेवानिवृत्ति आदि शामिल हैं। इसके अलावा, आईडीए कर्मचारियों के लिए एनएसआईसी कर्मचारी अधिवर्षिता पेंशन योजना भी लागू है।

वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी और यूनियन के कर्मचारियों के बीच बहुत अच्छे और सौहार्दपूर्ण संबंध बने रहे। द्वार–सभा और हड़ताल नहीं हुई। समय–समय पर यूनियनों के साथ बैठकें आयोजित की गईं, विभिन्न मुद्दों (यदि कोई हो) से संबंधित चर्चाओं को निपटाया गया और सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया गया। परिणामस्वरूप, सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखा गया।

ख) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगों और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व

कंपनी द्वारा, आरक्षित श्रेणियों जैसेकि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगों के संबंध में समय–समय पर जारी किए गए सरकारी निर्देशों का पालन किया गया। सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए पद आधारित आरक्षण रोस्टर रखा जा रहा है, जिसका निरीक्षण निगम के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के निगम के संपर्क अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से किया जाता है। समूह सी एंड डी पद पर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को समयमान पदोन्नति में पात्रता अवधि के संदर्भ में एक वर्ष की छूट दी जाती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दिव्यांग उम्मीदवारों को सीधी भर्ती पर चयन के मामले में अंकों में छूट दी जाती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के कर्मचारियों को, बाहर के रोज़गार के लिए उचित माध्यम से आवेदन करने के असंख्य अवसर दिए जाते हैं, जबकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अलावा कर्मचारी, बाहर के रोज़गार के लिए केवल दो बार आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों को सीधी भर्ती में, सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार आयु में छूट दी जाती है।

31 मार्च, 2023 को कंपनी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व इस प्रकार है:

क्र.सं.	विवरण	दिनांक 31.03.2023 को
1.	अनुसूचित जाति	103
2.	अनुसूचित जनजाति	12
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	118
4.	पीडब्ल्यूडी	21
5.	अल्पसंख्यक	65
कुल		**319**

18) यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए नीति

कंपनी में, यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निपटान के लिए कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का पालन किया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, आईसीसी–एनएसआईसी को एक शिकायत प्राप्त हुई और एक शिकायत का निपटारा किया गया।

19) कर्मचारियों के ब्यौरे

कंपनी ने किसी भी कर्मचारी को कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5(2) के अधीन निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हुआ है।

20) सतर्कता क्रियाकलाप

सतर्कता विभाग सक्रिय रूप से संगठन के एक प्रभावी उपकरण के रूप में कार्य करता है और केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। वर्ष 2022–23 के दौरान, सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2022 से पूर्व, अभियान अवधि (16 अगस्त, 2022 से 15 नवंबर, 2022) के दौरान एनएसआईसी द्वारा कुछ निवारक सतर्कता सह आंतरिक हाउसकीपिंग गतिविधियाँ आयोजित की गईं। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अभियान के रूप में और कंपनी के कर्मचारियों, ग्राहकों और अन्य हितधारकों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए 31 अक्टूबर, 2022 से 6 नवंबर, 2022 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2022 का आयोजन किया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय था **"विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत"**। देश भर में विभिन्न स्थानों पर कंपनी के सभी कार्यालयों में सभी कर्मचारियों में सत्यनिष्ठा लाने और भ्रष्टाचार मिटाने की

शपथ दिलाई गई। कंपनी के रोजमर्रा के कामकाज में अधिक पारदर्शिता के लिए निवारक सतर्कता उपायों पर एक प्रस्तुति कंपनी के सभी अधिकारियों को परिचालित की गई है। कंपनी के सभी कर्मचारियों की वर्ष 2021 की अचल संपत्ति रिटर्न प्राप्त कर उसकी जांच की गई।

वर्ष 2022–23 के दौरान, सतर्कता प्रभाग ने अचल संपत्ति रिटर्न जमा करने, चल/अचल संपत्ति की खरीद/बिक्री के लिए अनुरोध और दिन–प्रतिदिन की सतर्कता मंजूरी के लिए कर्मचारियों की आसानी के लिए ऑनलाइन सतर्कता क्लीयरेंस पोर्टल – नोविका को प्रारंभ किया है। बड़े/छोटे दंड के प्रकरणों में संलिप्त दोषी अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी है एवं शिकायतों पर दिशा–निर्देशों के अनुरूप उचित कार्यवाही की गयी है। सतर्कता विभाग ने विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के आवधिक और औचक निरीक्षण पर लगातार जोर देकर निवारक सतर्कता बरती है। दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी की परियोजनाओं/कार्यों पर सीटीई प्रकार का निरीक्षण भी सीवीओ द्वारा किया जा रहा है।

21) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल

कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल पर एक अलग रिपोर्ट इस रिपोर्ट के **"अनुलग्नक–ख"** के रूप में संलग्न है।

22) लेखापरीक्षक

क) आंतरिक लेखापरीक्षक

एनएसआईसी के पास कंपनी की सभी लेखा इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए एक घेरेलु आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के साथ–साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचीबद्ध सीए फर्मों से चुने गए लेखापरीक्षक हैं। आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट समय–समय पर बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखी गई।

ख) सांविधिक लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने मैसर्स गोयल पारूल एण्ड कंपनी को वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया है। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने कंपनी के वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। उन्होंने अपनी में कोई शर्त आपत्ति, प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की है, या अदाकरण नहीं किया है। लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (रिपोर्टें) इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

ग) सचिवालयी लेखापरीक्षा

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए मैसर्स सपना जी एण्ड एसोसिएटस व्यवसायी कंपनी सचिवों को निगम की सचिवालयी लेखापरीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया था। वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के **"अनुलग्नक–ग"** के रूप में संलग्न है।

घ) नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अधीन वित्तीय विवरण पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां बोर्ड की रिपोर्ट का भाग है।

23) वार्षिक विवरणी

अधिनियम की धारा 134(3)(क) के साथ पठित धारा 92(3) के अनुसार, 31 मार्च 2023 तक वार्षिक विवरणी कंपनी की वेबसाइट https://www.nsic.co.in/Corporate/AnnualReturns पर उपलब्ध है।

24) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कंपनी ने कंपनी की नीतियों का पालन करने, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सहित अपने व्यवसाय के कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को अपनाया है। आपकी कंपनी, कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को और अधिक मजबूत करने के लिए लगातार कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध है।

25) राजभाषा

कंपनी में हिंदी के प्रगामी प्रयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से, राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाए गए नियमों का कार्यान्वयन तथा राजभाषा विभाग और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के दिशानिर्देशों का अनुपालन करना वर्ष 2022–23 के दौरान जारी रहा। इसके अलावा, हिंदी

का प्रगामी प्रयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से निम्नलिखित विशेष क्रियाकलाप किए गए:

- कंपनी में 14 सितंबर, 2022 से 29 सितंबर, 2022 तक के दौरान हिंदी पखवाड़ा मनाया गया और कंपनी में 06 विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। इन प्रतियोगिताओं का मुख्य ध्यान केंद्र, कर्मचारियों को दिन–प्रति दिन के सरकारी कार्य में हिंदी के इस्तेमाल में वृद्धि करने के लिए उन्हें प्रेरित करना था।
- कंपनी में 14 सितंबर 2022 को "हिंदी दिवस" मनाया गया, जिसमें मुख्यालय के विभागाध्यक्षों के साथ–साथ एनसीआर में स्थित उनके क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रमुखों ने भाग लिया। इस दिन माननीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री और अध्यक्ष, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के हिन्दी दिवस संदेश पढ़े गए।
- 14 सितंबर 2022 को गुजरात में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित हिंदी दिवस समारोह में कंपनी के जोनल कार्यालय से झा, जोनल हेड को नामित किया गया था।
- कंपनी के मुख्य कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के विभिन्न प्रभागों के लिए राजभाषा वार्षिक निरीक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया और उसे कार्यान्वित किया गया।
- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम–2) दिल्ली के मार्गदर्शन में आयोजित हिंदी प्रतियोगिताओं में कंपनी की ओर से अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित किया गया। एक अधिकारी ने पुरस्कार राशि के साथ पुरस्कार जीता।
- पुस्तकों की खरीद के लिए निर्धारित कुल राशि में से 50 प्रतिशत से अधिक राशि हिंदी पुस्तकों की खरीद पर खर्च की गई।
- नराकास उपक्रम–2 नई दिल्ली के तत्वाधान में 31 मार्च, 2023 को एनएसआईसी द्वारा सरकार के सदस्यों के लिए एक कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। दिल्ली स्थित उपक्रमों में पांच विजेता प्रतिभागियों को प्रोत्साहन राशि दी गई।
- संसदीय राजभाषा समिति की तृतीय उपसमिति द्वारा 03 कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण सफलतापूर्वक किया गया तथा राजभाषा हिन्दी के उत्कृष्ट कार्यों हेतु प्रशस्ति पत्र प्रदान किये गये।

26) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आरटीआई अधिनियम 2005 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के तहत, भारत का कोई भी नागरिक निर्धारित प्रपत्र में जानकारी का अनुरोध कर सकता है जिसे वेबलिंक https://www.nsic.co.in/Corporate/RTI के तहत एनएसआईसी वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या rtionline.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन अनुरोध प्रस्तुत किया जा सकता है। एनएसआईसी की वेबसाइट पर एनएसआईसी के प्रत्येक कार्यालय के लिए नामित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) और प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों (एफएए) की एक सूची घोषित की गई है। आवेदन में मांगी गई जानकारी का उत्तर एनएसआईसी के संबंधित कार्यालय के लिए नामित सीपीआईओ द्वारा शीघ्रता से या तीस दिनों के भीतर दिया जाता है। आवेदक सीपीआईओ द्वारा अनुरोध की अस्वीकृति के 30 दिनों के भीतर संबंधित कार्यालय के नामित प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) को अपील भी प्रस्तुत कर सकता है।

वर्ष 2022–23 के दौरान, एनएसआईसी को आरटीआई के 116 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 112 का निपटान किया गया और 31 मार्च 2023 तक 04 अनुरोध लंबित थे, जिन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटाया गया।

27) पुरस्कार और सम्मान

एनएसआईसी को 08 जुलाई, 2022 को इंडिया एक्सपो मार्ट, ग्रेटर नोएडा में आयोजित ईईए–2022 में टॉर्चबियरर श्रेणी में प्रदर्शनी उत्कृष्टता पुरस्कार – 2022 से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदर्शनी शोकेस द्वारा वैश्विक स्तर पर प्रदर्शनी उद्योग को बढ़ावा देने में एनएसआईसी के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किया गया है।

सीएमडी, एनएसआईसी को 22 दिसंबर, 2022 को नई दिल्ली में वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस द्वारा आयोजित नॉर्थ इंडिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड्स और एचआर लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड्स में "सीईओ विद एचआर ओरिएंटेशन अवार्ड" से सम्मानित किया गया।

28) ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आत्मसात किए जाने का विवरण

सेवा क्षेत्र में होने के कारण एनएसआईसी के पास कोई विनिर्माण इकाई नहीं है, इसलिए ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी आत्मसात किए जाने से संबंधित कोई विशिष्ट प्रस्तुतिकरण

नहीं है। हालाँकि, एनएसआईसी द्वारा ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग और ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश के बारे में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

क. विभिन्न स्थानों पर ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पीवी प्रणाली की स्थापना:

स्थान	क्षमता (केडब्ल्यूपी)	परियोजना लागत (लाख रुपए में)
निम्नलिखित स्थानों पर ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पीवी प्रणाली की स्थापना:		220.08
(क) चेन्नई	89.145	
(ख) प्रधान कार्यालय और एनटीएससी–ओखला	133.560	
(ग) एनटीएससी और ईएमडीबीपी–हैदराबाद	237.195	
(घ) एनटीएससी–राजकोट	50.00	
(ङ) एनटीएससी–हावड़ा	50.00	
कुल क्षमता	**559.900**	

ख. भुवनेश्वर में 3 सितारा गृह रेटेड "एकीकृत विपणन विकास केंद्र" (आईएमडीसी) की स्थापना:

एमएसएमई/आईटी/आईटीईएस आदि की रणनीतिक रूप से स्थित स्थान की मांग को पूरा करने के लिए, एनएसआईसी ने भुवनेश्वर में एक अत्याधुनिक "एकीकृत विपणन विकास केंद्र (आईएमडीसी) भवन" की स्थापना की है। यह बेसमेंट और स्टिल्ट फ्लोर वाली सात (7) मंजिला इमारत है, जिसका कुल निर्मित क्षेत्र 1,08,600 वर्ग फुट है, जिसमें निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं हैं:

- **3 सितारा गृह प्रमाणित ऊर्जा कुशल और पर्यावरण अनुकूल हरित भवन**
- इमारत में ग्रिड से जुड़े छत पर सौर पैनल, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और इमारत के चारों ओर मनभावन हरे–भरे परिदृश्य जैसी हरित विशेषताएं हैं
- संरचनात्मक ग्लेजिंग और अग्रभाग पर पत्थर के आवरण के साथ भूकंप प्रतिरोधी संरचना
- इमारत वातानुकूलित है (आम क्षेत्र को छोड़कर)
- इमारत दिव्यांग अनुकूल है
- 100 प्रतिशत पावर बैक–अप और नवीनतम आग का पता लगाने वाली, फायर अलार्म और अग्निशमन प्रणाली
- बेसमेंट, स्टिल्ट फ्लोर में पर्याप्त पार्किंग स्थान और खुला क्षेत्र

गृह परिषद (नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार तथा ऊर्जा और संसाधन संस्थान की एक संयुक्त पहल) ने 14 अप्रैल, 2022 को प्रमाण–पत्र के माध्यम से उपरोक्त इमारत को "थ्री स्टार" गृह अनंतिम रेटिंग प्रदान की है।

एनएसआईसी के एकीकृत विपणन विकास केंद्र, भुवनेश्वर को 16 दिसंबर, 2022 को इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में महामहिम भारत में स्विट्जरलैंड के महामहिम राजदूत द्वारा अनंतिम 3 स्टार गृह रेटिंग प्रदान की गई।



एनएसआईसी बिजनेस पार्क भुवनेश्वर, ओडिशा को गृह काउंसिल द्वारा "थ्री स्टार" गृह प्रोविजनल वी3.1 रेटिंग प्रदान की गई।

29) सहायक कंपनी

एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल) एनएसआईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसे एसआरआई निधि को बढ़ावा देने के लिए 28 अगस्त, 2020 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) कंपनी के रूप में अधिनिगमित किया गया था। आत्मनिर्भर

भारत (एसआरआई) निधि एनवीसीएफएल की पहली योजना है।

एनवीसीएफएल भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक निवेश कोष) विनियम, 2012 ('विनियम') के तहत 1 सितंबर 2021 से अपनी पहली योजना आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) निधि के लिए। श्रेणी–।। वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में पंजीकृत है। एसआरआई निधि मां/बेटी निधियों का एक संयोजन है। भारत सरकार एकमात्र एंकर निवेशक है और चरणबद्ध तरीके से मदर फंड को 10,000 करोड़ की प्रारंभिक बजटीय सहायता प्रदान कर रही है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कुल 42 सहायक निधियों को एसआरआई फंड (मदर फंड) के साथ सूचीबद्ध किया गया है और इन सहायक निधियों ने इन एमएसएमई में 4529 करोड़ रुपए के निवेश के माध्यम से 315 संभावित एमएसएमई को सहायता प्रदान की है।

30) सहायक कंपनियों/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए समेकित वित्तीय विवरण तैयार किया है, जिसमें इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, अर्थात एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड शामिल है। समेकित वित्तीय विवरणों को कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों के साथ 68वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के समक्ष भी रखा जाएगा। अधिनियम की धारा 129 की उप–धारा 3 के अनुसार, फॉर्म एओसी–1 में एनएसआईसी (अर्थात् एनवीसीएफएल) की सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं संबंधी एक विवरण **"अनुलग्नक–घ"** के रूप में संलग्न है।

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 2(6) के अर्थ के भीतर कोई सहयोगी या संयुक्त उद्यम कंपनियां नहीं हैं।

31) संबंधित पार्टियों के साथ अनुबंध या समझौतों का विवरण

कंपनी अधिनियमए 2013 की धारा 134 (3) (एच) की आवश्यकता के अनुसार, निर्धारित प्रपत्र एओसी–2 में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 में उल्लिखित संबंधित पार्टियों के साथ अनुबंध अथवा समझौतों का विवरण रिपोर्ट के साथ **"अनुलग्नक–ङ"** के रूप में संलग्न है।

32) सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) हेतु सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012

एनएसआईसी ने एमएसई और एससी/एसटी और महिला नेतृत्व वाले एमएसई से खरीद के लिए सार्वजनिक खरीद नीति में निर्धारित सभी दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए 2022–23 के दौरान कुल ₹43.51 करोड़ की खरीद की है। विवरण इस प्रकार हैं:

खरीद	लक्ष्य (कुल खरीद पीपी नीति के अनुसार)	उपलब्धि
एमएसएमई से खरीद	25%	**27.33 करोड (62.82%)**
एससी/एसटी एमएसएमई से खरीद	4%	**3.30 करोड (7.58%)**
महिला एमएसएमई से खरीद	3%	**3.13 करोड (7.02%)**

33) विदेशी मुद्रा

वर्ष 2022–23 के दौरान कुल विदेशी मुद्रा में कुल व्यय 3.33 करोड़ रुपये था, जबकि वर्ष 2021–22 में 3.40 करोड़ रुपए था।

34) एनएसआईसी – एक आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित कंपनी

एनएसआईसी ने अपने ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने और गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली आईएसओ 9001:2015 वर्जन की स्थापना करके अपने सभी हितधारकों को संतुष्ट करने के लिए अपनी प्रणाली की लगातार समीक्षा, परिष्करण और उन्नयन किया है। वर्तमान में, एनएसआईसी के कुल 51 आईएसओ प्रमाणित कार्यालय हैं अर्थात 42 शाखा कार्यालय, 8 एनटीएससी और प्रधान कार्यालय। आईएसओ प्रमाणपत्र को 23 मई, 2021 से 22 मई, 2024 तक की अवधि के लिए मैसर्स टीयूवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नवीनीकरण किया गया और इसे जारी किया गया था।

एनएसआईसी में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली आईएसओ 9001:2015 का आवश्यक अनुपालन और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, मैसर्स टीयूवी इंडिया प्रा. लिमिटेड को क्यूएमएस आईएसओ 9001:2015 की वार्षिक निगरानी ऑडिट–।।

की प्रक्रिया को शामिल करने के लिए आईएसओ प्रमाणन का कार्य सौंपा गया है। मैसर्स टीयूवी इंडिया प्रा. लिमिटेड ने फरवरी से अप्रैल, 2023 के दौरान प्रधान कार्यालय सहित देश भर में 18 विभिन्न स्थानों पर चयनित शाखा कार्यालयों/एनटीएससी में नमूना संपरीक्षा के रूप में सफलतापूर्वक निगरानी संपरीक्षा को आयोजित किया है।

टीयूवी ने अंतिम संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की और यह टिप्पणी की कि एनएसआईसी बिना किसी गैर–अनुरूपता के आईएसओ 9001:2015 मानक के अनुसार सभी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली आवश्यकताओं को पूरा करता है। रिपोर्ट में संगठन में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के अनुसरण में प्रबंधन द्वारा अपनाई गई 'अच्छी प्रथाओं' पर भी प्रकाश डाला गया।

इस अवधि के दौरान दो मैनुअल अर्थात मानव संसाधन मैनुअल और वित्तीय एवं लेखा मैनुअल को भी नवीनतम संशोधन/आशोधन के साथ अद्यतन किया गया है। सभी आईएसओ मैनुअल कंपनी के इंट्रानेट पर उपलब्ध हैं।

नए आईएसओ 9001:2015 मानकों के कार्यान्वयन के साथ, संगठन के बाहरी और आंतरिक हितधारकों की अपेक्षाओं के संदर्भ में सुधार के लिए ''जोखिम पहचान, मूल्यांकन और शमन'' को शामिल करके दृष्टिकोण को दस्तावेज आधारित दृष्टिकोण से प्रक्रिया दृष्टिकोण में भी परिवर्तित दिया गया है जो स्थापित प्रभावी प्रबंधन प्रणाली के साथ अपने ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रक्रियाओं के पालन पर आधारित है।

आईएसओ प्रभाग क्यूएमएस आईएसओ 9001:2015 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है, एनएसआईसी के सभी प्रमाणित कार्यालयों यानी बीओ/एनटीएससी और कॉर्पोरेट कार्यालय में आंतरिक संपरीक्षा आयोजित करके प्रणाली प्रक्रियाओं का अनुपालन, संपरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा और विश्लेषण, स्थानीय प्रबंधन समीक्षा रिपोर्ट, पहचानी गई कमियों पर सुधारात्मक कार्रवाई करना और प्रत्येक संपरीक्षा से पहले और बाद में उन्हें बंद करने की सुविधा प्रदान करता है।

35) निदेशक

वर्ष 2022–23 के दौरान और अद्यतन तिथि तक, कंपनी के बोर्ड में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:–

क) एमएसएमई मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री विपुल गोयल को 1 जुलाई, 2023 एनएसआईसी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। तथापि, एनएसआईसी के बोर्ड में निदेशक के रूप में श्री विपुल गोयल की नियुक्ति 6 जुलाई, 2023 से प्रभावी है, जो कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा डीआईएन के आवंटन की तारीख है।

ख) श्री कार्तिकेय सिन्हा को 21 फरवरी 2023 से एनएसआईसी में निदेशक (योजना एवं विपणन) के रूप में नियुक्त किया गया है।

ग) श्री गौरव गुलाटी को 09 मई, 2023 से एनएसआईसी में निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया है।

घ) श्रीमती मर्सी एपाओ, संयुक्त सचिव, एमएसएमई मंत्रालय को 1 जनवरी, 2023 से 30 जून, 2023 तक अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उनके पास क्रमशः 20 फरवरी, 2023 और 8 मई, 2023 तक निदेशक (पी एंड एम) और निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार भी रहा है। श्रीमती मर्सी एपाओ भी 22 सितंबर 2021 से सरकार द्वारा नामिति निदेशक के रूप में कंपनी से संबद्ध हैं।

ड़) श्री गौरांग दीक्षित, निदेशक (वित्त) एनएसआईसी को 1 अगस्त, 2022 से प्रभावी करते हुए अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, एनएसआईसी के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वह अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख यानी 31 दिसंबर, 2022 तक एनएसआईसी के निदेशक (वित्त) और अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे।

च) श्री पी. उदयकुमार, निदेशक (पी एंड एम), एनएसआईसी को 20 जून 2022 से कंपनी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। वे उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक, अर्थात् 31 जुलाई 2022 तक, एनएसआईसी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे।

छ) श्रीमती अलका नांगिया अरोड़ा को 14 सितंबर 2021 से 31 मई 2022 तक कंपनी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।

वर्ष 2022–23 के दौरान निदेशक मंडल की छः बैठकें आयोजित की गई थी। इसके अलावा, निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति की बैठक, कार्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति की

बैठक और अन्य उप–समितियों की बैठकें आयोजित की गई थी। बैठकों का विवरण कारपोरेट सुशासन रिपोर्ट में दिया गया है, जो इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

36) निदेशकों का दायित्व संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अपेक्षाओं के अनुसरण में निदेशक मंडल इस बात की पुष्टि करता है कि:

- वार्षिक लेखे तैयार करते समय, सारवान विपथनों से संबंधित उपयुक्त स्पष्टीकरणों के साथ–साथ लागू होने वाले लेखांकन मानकों का पालन किया गया है;
- निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उनको लगातार लागू किया है और ऐसे निर्णय और आकलन किए हैं जो तर्कसंगत एवं विवेकपूर्ण हैं, ताकि वित्त वर्ष के अंत में कारपोरेशन की अद्यतन तथा समीक्षाधीन अवधि में निगम के लाभ या हानि की सही और उचित तस्वीर प्रस्तुत की जा सके;
- कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल बरती है;
- वित्तीय विवरण, सतत कारोबार के आधार पर तैयार किए गए हैं;

लागू होने वाले सभी कानूनों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की और यह प्रणालियाँ पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं;

37) कॉरपोरेट सुशासन

कॉरपोरेट सुशासन पर एक अलग रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ **"अनुलग्नक–च"** के रूप में संलग्न है।

38) आभार

निदेशक मंडल माननीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उप मंत्री द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता, मार्गदर्शन और समर्थन के लिए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। बोर्ड एमएसएमई मंत्रालय के सचिव द्वारा प्रदान किए गए मूल्यवान मार्गदर्शन और समर्थन के लिए अपनी प्रशंसा दर्ज करना चाहता है, और एएस एंड डीसी, एमएसएमई मंत्रालय, एएस एंड एफए, एमएसएमई मंत्रालय, संयुक्त सचिव और आर्थिक सलाहकार, एमएसएमई मंत्रालय से प्राप्त समर्थन के लिए भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है।

आपके निदेशक आरबीआई, सेबी, डीपीई, एमसीए, डीआईपीएएम, बैंकरों, वित्तीय संस्थानों और कंपनी के सभी हितधारकों द्वारा कंपनी में अपना विश्वास जताने के लिए दिए गए समर्थन के लिए भी आभारी हैं और उनके प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हैं।

आपकी कंपनी भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षकों और आंतरिक लेखा परीक्षकों के बहुमूल्य समर्थन के लिए उनकी आभारी है। निदेशक मंडल एनएसआईसी को उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाने के लिए एनएसआईसी कर्मियों द्वारा की गई कड़ी मेहनत, समर्पण और प्रयासों के लिए सराहना करने के लिए भी इस अवसर का उपयोग करता है।

निदेशक मंडल की ओर से

ह./–
(विपुल गोयल)
अध्यक्ष–एवं–प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 10229523

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12 दिसम्बर, 2023

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

i. उद्योग संरचना और विकास

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए विकास इंजन के रूप में उभरे। यह भारत के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में उद्यमशीलता के आधार को विस्तार करके औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और आर्थिक समृद्धि के लिए सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देकर विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देता है। एमएसएमई अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में अपने डोमेन का विस्तार कर रहे हैं, घरेलू और वैश्विक बाजारों में उत्पााद और सेवाएं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार का उत्पादन कर रहे हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, भारत सरकार ने देश में एमएसएमई के विकास के लिए विभिन्न नीतियां तैयार की हैं। एमएसएमई क्षेत्र के लिए 22,140 करोड़ रुपये, सरकार ने अनुमानित बजट रुपये आवंटित किया है। जो पिछले वर्षों से 42 प्रतिशत अधिक है। यह आवंटन ऋण, प्रौद्योगिकी उन्नयन और बुनियादी ढांचे के विकास तक आसान और किफायती पहुंच प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करने की दिशा में उपयोग किया जाएगा।

MyMSME का शुभारंभः उद्यमों को विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने की सुविधा प्रदान करने के लिए, विकास आयुक्त (एमएसएमई) के कार्यालय ने एक वेब–आधारित एप्लिकेशन मॉड्यूल लॉन्च किया है, जिसका नाम माय एमएसएमई है। इसे मोबाइल ऐप के जरिए भी एक्सेस किया जा सकता है। उद्यमी अपने मोबाइल पर ही अपना आवेदन कर सकते हैं और उसे ट्रैक भी कर सकते हैं (एमएसएमई वार्षिक रिपोर्ट)।

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा कोविड–19 अवधि के दौरान एमएसएमई को राहत प्रदान करने के लिए ''विवाद से विश्वास I. एमएसएमई को राहत'' योजना शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023–24 (केंद्रीय बजट 2023–24) में की थी।

डिजिटल भुगतानः–भारत सरकार कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और सुविधाजनक तरीके से निर्बाध डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयास कर रही है। इस दिशा में, एनएसआईसी ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान मूल्य के संदर्भ में 98.05% और संख्या के संदर्भ में 96.10% डिजिटल लेनदेन किया है।

अपने आधार पर उद्यमशीलता, नवाचार और चपलता के साथ, एमएसएमई क्षेत्र न केवल आने वाले वर्षों में भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, बल्कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने में भी महत्वपूर्ण कारकों में से एक बन सकता है।

ii. प्रचालन और वित्त संबंधी कार्य–निष्पादन

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने, एकीकृत सहायता सेवाओं के जरिए, जिनमें विपणन, ऋण, प्रौद्योगिकी और अन्य सेवाएँ शामिल हैं, वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान भी एमएसएमई को सुविधा प्रदान करने के अपने प्रयास जारी रखे हैं। कंपनी का कुल कारोबार वर्ष 2022–23 के लिए रु. 19617 करोड़ था, प्रचालनों से प्राप्त राजस्व 2774.27 करोड़ रूपये रहा, जबकि पिछले वर्ष 2620.71 करोड़ रूपये था। वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी ने कर पूर्व लाभ 151.74 करोड़ रूपये अर्जित किया।

कंपनी ने, विपणन सहायता–कच्चा माल वितरण (2190 करोड़ रुपये), ऋण सहायता (6401.16 करोड़ रुपये), प्रौद्योगिकी सहायता–प्रशिक्षण क्रियाकलाप (61090 प्रशिक्षार्थी) पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के साथ उन्हें एकीकृत सहायता में सुविधा प्रदान करके एमएसएमई को सुविधा प्रदाता की अपनी भूमिका जारी रखी है।

iii. खंड–वार कार्य–निष्पादन

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के क्रिया–कलाप मोटे तौर पर "संवर्धनात्मक" और "वाणिज्यिक" के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। संवर्धनात्मक क्रियाकलापों में ऐसे क्रियाकलाप शामिल हैं, जिनके लिए निगम को बजटीय सहायता, सरकार और/या इसकी एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। 'प्रशिक्षण संस्थानों के लिए सहायता' और 'अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब 'उद्यमशीलता और कौशल विकास कार्यक्रमों', 'खरीद और विपणन सहायता योजना', 'राष्ट्रीय उद्यमशीलता

* https://timesofindia.insiatimes.com

पुरस्कार योजना', आदि को 'संवर्धनात्मक' क्रियाकलापों के अधीन दर्शाया जाता है, जिनके लिए निगम को बजट संबंधी सहायता प्रदान की जाती है और ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित दिशा–निर्देशों के रूप में जहाँ कही लागू है। प्रशासनिक व्यय का प्रावधान किया जाता है। संगठन/प्रदर्शनियों (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों), क्रेता–विक्रेताओं की बैठक, गहन अभियान, अन्य विपणन सहायता सेवा (विज्ञान, प्रचार आदि) का व्यय और प्रशिक्षण व्यय, उपर्युक्त योजनाओं के लिए प्रदान किए जाने वाली बजटीय सहायता से पूरा किया जाता है।

अन्य बातों के साथ–साथ वाणिज्यिक क्रियाकलापों में ऐसे क्रियाकलाप भी शामिल हैं, जिनके द्वारा निगम सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 'विपणन' (जिसमें टेंडर विपणन और कच्चे माल का वितरण भी शामिल है), 'ऋण', 'प्रौद्योगिकी' और 'अन्य सहायता सेवाएं' उपलब्ध कराता है। निगम द्वारा इन 'समेकित' सहायता सेवाओं के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा, बजटीय सहायता में से पूरे न किए जाने वाले क्रियाकलापों, परंतु जो संवर्धनात्मक प्रकृति के हैं (जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की सहायता करने के उद्देश्य से किए जाते हैं), का विलय वाणिज्यिक क्रियाकलापों में कर दिया गया है, क्योंकि निगम द्वारा ऐसे क्रियाकलापों के व्यय को वहन किया जाता है। तद्नुसार, निगम के क्रियाकलापों को दो खंडों यथा 'वाणिज्यिक' और 'संवर्धनात्मक' में विभाजित किया गया है।

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया) द्वारा जारी किए गए "खंड रिपोर्टिंग" संबंधी भारतीय लेखाकरण मानक–108 के अनुसार अपेक्षित नीचे दी गई तालिका में 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के कारोबार खंड में राजस्व, लाभ/(हानि), परिसंपत्तियों और देयताओं संबंधी सूचना दर्शाई गई है।

(लाख रूपये में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए		
प्राथमिक खंड – कारोबार खंड	**संवर्धनात्मक**	**वाणिज्यिक**	**जोड़**	**संवर्धनात्मक**	**वाणिज्यिक**	**जोड़**
I. खंड राजस्व (अनुदान सहित)						
– वर्ष के दौरान स्वीकृत सरकारी अनुदान	10,508.11	-	10508.11	6,700.65	-	6,700.65
– उत्पादों की बिक्री	-	2,32,491.66	2,32,491.66	-	2,21,163.92	2,21,163.92
– सेवाओं की बिक्री	-	10,994.01	10,994.01	-	9,087.87	9,087.87
– अन्य	-	33,688.80	33,688.80	-	31,740.06	31,740.06
जोड़	**10,508.11**	**2,77,174.47**	**2,87,682.58**	**6,700.65**	**2,61,991.85**	**2,68,692.50**
II. खंड व्यय (अनुदान के अनुसार व्यय सहित)						
–वर्ष के दौरान स्वीकृत सरकारी अनुदान से किया गया व्यय	10,508.11	-	10,508.11	6700.65	-	6700.65
–अन्य	-	2,62,363.27	2,62,363.27	-	2,47,449.55	2,47,449.55
–कुल	**10,508.11**	**2,62,363.27**	**2,72,871.38**	**6,700.65**	**2,47,449.55**	**2,54,150.20**
III. परिणाम						
क. खंड परिणाम	-	11,048.27	11,048.27	-	10,822.58	10,822.58
ख. ब्याज से पहले प्रचालन लाभ	-	23,895.87	23,895.87	-	20,811.72	20,811.72
ग. अदा किया गया ब्याज	-	9,084.67	9,084.67	-	6,257.02	6,257.02
घ. विशिष्ट मदें	-	(13.94)	(13.94)	-	(6.20)	(6.20)
ङ. कर–पूर्व लाभ	-	14,825.14	14,825.14	-	14,548.50	14,548.50

(लाख रूपये में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए		
प्राथमिक खंड – कारोबार खंड	**संवर्धनात्मक**	**वाणिज्यिक**	**जोड़**	**संवर्धनात्मक**	**वाणिज्यिक**	**जोड़**
च. कर व्यय	-	3,776.87	3,776.87	-	3,725.92	3,725.92
छ. कर–पश्चात निवल लाभ	-	11,048.27	11,048.27	-	10,822.58	10,822.58
ज. अन्य व्यापक आय		28.98	28.98		(34.92)	(34.92)
झ. कुल व्यापक आय {जिसमें लाभ (हानि) और अन्य व्यापक आय शामिल है}	-	11,077.25	11,077.25	-	10787.66	10,787.66
III. परिसंपत्तियाँ और देयताएं						
क. खंड परिसंपत्तियां	4,343.93	3,03,066.54	3,07,410.47	4,155.99	2,82,243.21	2,86,399.20
ख. अनाबंटित परिसंपत्तियां	--	-	23,407.38	--	-	32,399.89
ग. कुल परिसंपत्तियां	**4,343.97**	**3,03,066.54**	**3,30,817.85**	**4,155.99**	**2,82,243.21**	**3,18,799.09**
घ. खंड देयताएं	10,018.27	1,82,413.13	1,92,431.40	9,429.56	1,78,232.97	1,87,662.53
ङ. अनाबंटित देयताएं	-	-	1,38,386.45	-	-	1,31,136.56
च. कुल देयताएं	**10,018.27**	**1,82,413.13**	**3,30,817.85**	**9,429.56**	**1,78,232.97**	**3,18,799.09**
IV. अन्य सूचना						
(क) अचल परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए इस अवधि के दौरान खर्च की गई लागत (सीडब्ल्यूआईपी सहित)	498.88	653.49	1,152.37	794.51	308.67	1,103.18
(ख) मूल्यह्रास #	375.41	703.59	1,079.00	361.14	742.00	1,103.14
(ग) मूल्यह्रास के अलावा अन्य गैर–नकद व्यय	-	38.75	38.75	-	539.68	539.68

 # संवर्धनात्मक खंड का मूल्यह्रास पूंजीगत आरक्षित राशि में प्रभारित किया जाता है।

iv. सामर्थ्य एवं चुनौतियों

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम 68 वर्षों के अनुभव के साथ भारत सरकार का एक मिनी रत्न उपक्रम है, जिसके पास सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के कार्यचालन के बारे में व्यापक जानकारी आधार है और इसकी मौजूदगी पूरे देश में है तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के वित्तीय सहायता, विपणन, प्रौद्योगिकी और सूचना सहायता जैसी विभिन्न प्रकार की सेवाओं का एक समेकित पैकेज देता है। कंपनी के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के विकास के लिए देश और विदेशों में कुछ साझेदार संगठनों सहित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम उद्योग संगठनों/संघों के साथ मजबूत संबंध हैं। कंपनी के पास सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के विकास और संस्थागत क्षमता निर्माण के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग का प्रमाणित ट्रैक रिकार्ड है। कंपनी का पर्याप्त परिसंपत्ति आधार, इसे अपने क्रियाकलापों का विस्तार करने के लिए एक अतिरिक्त लाभ प्रदान करता है।

एनएसआईसी को कुछ चुनौतियों का सामना कर पड़ रहा है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र को सेवाएं उपलब्ध कराने वाले अन्य संस्थानों की तुलना में एक लघु संसाधन आधार वाला संगठन। सरकारी खरीद में सूक्ष्म व लघु उद्यमों की भागीदारी में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा सूक्ष्म व लघु उद्यमों के लिए अधिप्राप्ति वरीयता नीति की अधिसूचना और

कार्यान्वयन करना। कंपनी के अलावा, कुछ अन्य एजेंसियों को भी सरकारी खरीद के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को पंजीकृत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

v. अवसर और जोखिम

एनएसआईसी द्वारा देश और विदेश में एमएसएमई इकाइयों को दी जा रही सेवाओं के लिए व्यापक संभावनाएँ हैं। एनएसआईसी अंतरराष्ट्रीय सहयोग, प्रौद्योगिकी अंतरण तथा विकासशील देशों को अंतरराष्ट्रीय परामर्श में भी सुविधा प्रदान करता है।

अवसरों के साथ–साथ कुछ खतरे भी हैं। विपणन, प्रौद्योगिकी सहायता और वित्त पोषण के क्षेत्रों में अन्य राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय संस्थानों से होने वाली प्रतिस्पर्धा से निगम के मुख्य क्रियाकलापों को खतरा उत्पन्न होना। राज्य सरकारें कच्चे माल के वितरण के लिए एनएसआईसी पर राज्य एजेंसियों को प्राथमिकता देती हैं, और वैश्वीकरण के कारण बड़े खिलाड़ियों का प्रवेश भी एमएसएमई क्षेत्र के लिए चुनौती बन गया है। वाणिज्यिक बैंकों से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को, विशेष रूप से नए और उदीयमान उद्यमों को अपर्याप्त ऋण प्रवाह।

vi. दृष्टिकोण–आगे का मार्ग

आज का भारत उन गतिविधियों की ओर उत्तरोत्तर बढ़ रहा है जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं और स्वयं के संसाधनों पर निर्भरता का संकेत देती हैं। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की सफलता एमएसएमई क्षेत्र के विकास पर निर्भर है। एनएसआईसी एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए उसी मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। एनएसआईसी का दृष्टिकोण विभिन्न वैश्विक और घरेलू कारकों द्वारा निर्देशित होगा। एमएसएमई क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एनएसआईसी द्वारा कई उपाय किए जा रहे हैं। कंपनी डिजिटलाइजेशन के माध्यम से अपने प्रचालन प्रणालियों को भी सुदृढ़ कर रही है।

इस दिशा में, एनएसआईसी ने एक कदम आगे बढ़ाया और वित्तीय वर्ष 2022–23 के अंत में कॉर्पोरेट योजना विभाग की स्थापना की। विभाग नए व्यवसाय क्षेत्र के निर्माण, मौजूदा योजनाओं में सुधार, विभिन्न कार्यालयों के बीच कामकाजी संबंधों को बढ़ाने और परियोजनाओं और कार्यों को निष्पादित करने में सुविधा प्रदान करने की दिशा में काम करेगा, जो बदले में एमएसएमई की सेवा के बड़े विजन और मिशन का एक उप–समूह है।

vii. जोखिम और चिंताएं

कंपनी ऐसे जोखिमों की निरंतर पहचान और समीक्षा करती है, जो नियमित कारोबारी क्रियाकलापों का परिणाम हो सकते हैं और कंपनी इन जोखिमों को कम करने के लिए समय–समय पर उपयुक्त कदम उठाती है। प्रबंधन स्टेकहोल्डरों के मूल्य की रक्षा और उसमें वृद्धि करने की दृष्टि से जोखिम प्रबंधन क्षमताओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी में कंपनी के जोखिमों की समीक्षा और आकलन करने के लिए बोर्ड के स्तर पर जोखिम प्रबंधन समिति है। यह निदेशक मंडल की एक उप–समिति है और अपनी रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करती है। कंपनी के पास एक व्यापक ढांचे के साथ जोखिम प्रबंधन नीति है। जोखिम प्रबंधन नीति में जोखिम की पहचान से लेकर जोखिमों के शमन तक अपनाए जाने वाले तंत्र को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है।

viii. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और इसकी पर्याप्तता

कंपनी ने अपने कारोबार की मॉनीटरिंग करने और प्रभावी आचरण को सुनिश्चित करने के लिए आईएसओ मैनुअल के अनुसार अपनी सभी योजनाओं की नीतियों और प्रक्रियाओं का अंगीकरण किया है और उन्हें सुदृढ़ किया है। स्कीमों का बेहतर कार्यान्वयन करने और कई एमएसएमई में स्कीमों के हितों का प्रसार करने के लिए आंतरिक दिशानिर्देशों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

कंपनी में कंपनी के फील्ड कार्यालयों सहित प्रधान कार्यालय के विभिन्न प्रभागों से प्राप्त टेंडरों की जांच करने के लिए प्रधान कार्यालय के स्तर पर एक अलग प्रभाग है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पर्याप्त जांच और नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली क्रम में है, विभिन्न शाखा कार्यालयों की नियमित और संपूर्ण आंतरिक लेखापरीक्षा घरेलू आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग/ बाहरी आरबीआई पैनलबद्ध चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों द्वारा संचालित की जाती हैं। इसके अलावा, आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा घरेलू आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग द्वारा परिभाषित अनुसार आवधिक आधार पर की जाती है, जो कि क्षेत्रीय कार्यालयों के आकार और संचालन के अनुरूप है। लेखापरीक्षा समिति आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की आपत्तियों / टिप्पणियों की समीक्षा करती है।

ix. मानव संसाधन, औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में भौतिक विकास

31 मार्च, 2023 को, कंपनी की कुल जनशक्ति, 631 कर्मचारी

थी, जिनमें 467 प्रबंधकीय स्तर के अधिकारी भी शामिल थे। कंपनी द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, क्योंकि प्रशिक्षण सीखने की एक प्रक्रिया है। एनएसआईसी का एक विशिष्ट प्रशिक्षण प्रभाग है, जो पूरे देश के एनएसआईसी के सभी कर्मचारियों के लिए प्रशासनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। वित्त वर्ष 2022–23 में, 399 कर्मचारियों ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, वेबिनारों, कार्यशालाओं, राष्ट्रीय सम्मेलनों आदि में भाग लिया। कंपनी के अपने कर्मचारियों के साथ बहुत सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण संबंध हैं।

x. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की दिशा में आपकी कंपनी द्वारा किए गए प्रयासों का विवरण कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट में दिया गया है, जो निदेशकों की रिपोर्ट का भाग है।

xi. संचेतक विवरण

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण के विवरण, जिनमें कंपनी के उद्देश्यों, अनुमानों, प्रत्याशाओं, आकलनों का उल्लेख किया गया है, वर्तमान कारोबार परिदृश्य पर आधारित हैं। वास्तविक परिणाम सरकार की नीति से संबंधित निर्णयों और भावी आर्थिक परिदृश्य के आधार पर अभिव्यक्त किए परिणामों से भिन्न हो सकते हैं। कंपनी बाद की घटनाओं या विकास के आधार पर ऐसे बयानों को संशोधित करने या संशोधित करने के लिए किसी भी तरह से कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है।

ह./–
(विपुल गोयल)
अध्यक्ष–एवं–प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 10229523

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12 दिसम्बर, 2023

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व की वार्षिक रिपोर्ट

1. **कंपनी की कार्पोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी नीति का संक्षिप्त विवरण:**

एनएसआईसी खुद को एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में और इस दिशा में मजबूती से पहचान रखता है; एनएसआईसी ने सीएसआर के लिए समाज के समावेशी विकास से संबंधित क्षेत्रों का चयन किया और उन्हें नई आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों से अच्छी तरह निपटने में मदद की है। इस संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के तहत निर्धारित गतिविधियों के अनुरूप कंपनी ने सीएसआर फंड का योगदान दिया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 और कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2022 के अनुसार कंपनी की 'कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति' है, और समय–समय पर कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी अधिसूचनाएँ हैं। पॉलिसी की प्रति कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान सीएसआर व्यय का विवरण इस रिपोर्ट के अनुबंध "I" के रूप में संलग्न है।

2. **सीएसआर समिति की संरचना:** उपलब्ध 31 मार्च 2023 को एनएसआईसी की सीएसआर समिति की संरचना इस प्रकार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/ निदेशक का प्रकार	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान आयोजित उन सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया
1	सुश्री मर्सी एपाओ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएसआईसी	अध्यक्ष	02	02
2	डॉ. अशोक अहिरवार, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	02	02
3	श्री गौरांग दीक्षित निदेशक (वित्त) *	सदस्य	02	02
4	श्री कालिंदी चरण सामल स्वतंत्र निदेशक **	सदस्य	00	00

* श्री गौरांग दीक्षित, निदेशक (वित्त) एनएसआईसी दिनांक 31 दिसंबर, 2022 से कंपनी की सेवाओं से सेवानिवृत्त हो गए।

** श्री कालंदीचरण सामल, स्वतंत्र निदेशक को दिनांक 16 जनवरी 2023 से समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था।

3. उन मामलों में वेब लिंक का उल्लेख करें, जहाँ निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीएसआर सीमिति के गठन सीएसआर नीति और सीएमआर परियोजनाओं को, कंपनी के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है:

- सीएसआर समिति की संरचना कंपनी की वेबसाइट https://www.nsic.co.in/Corporate/QualityPolicy पर उपलब्ध है।
- कंपनी की CSR नीति जिसमें CSR पहल शामिल है, कंपनी की वेबसाइट https://www.nsic.co.in/pdfs/CSR/Revised_CSR_&_SUSTAINABILITY_POLICY_21072023-pdf पर उपलब्ध है।

4. नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन के वेब–लिंक के साथ कार्यकारी सारांश प्रदान करें, यदि लागू हो: लागू नहीं

5. **(क)** धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ: **रू. 1,39,13,13,354.67**

(ख) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत: **रू. 2,78,26,267.09**

(ग) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष: **शून्य**

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए समंजन/सेट–ऑफ करने के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो: **शून्य**

(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (ख+ग–घ): **रू. 2,78,26,267.09**

6. **(क)** चल रही और चल रही परियोजनाओं के अलावा सीएसआर पर खर्च की गई राशि: **रु. 2,78,27,000/-**

(ख) प्रशासनिक उपरिव्यय में व्यय की गई राशिः **शून्य**

(ग) प्रभावी मूल्याकंन पर व्यय की गई राशि, यदि कोई होः **शून्य**

(घ) वित्त वर्ष में व्यय की गई कुल राशि (क+ख+ग): **रू. 2,78,27,000/-**

(ङ) इस वित्त वर्ष व्यय की गई या व्यय नहीं की गई सीएसआर राशिः

इस वित्त वर्ष में व्यय की गई कुल राशि (रूपयों में)	व्यय नहीं की गई राशि (रूपयों में)				
	धारा 135 की उप–धारा (6) के अनुसार व्यय नहीं की गई सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि		धारा 135 की उप–धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के अधीन विनिर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि		
	राशि	अंतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तिथि
2,78,27,000/-	लागू नहीं				

(च) स्थापना के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई होः

क्र. सं.	ब्यौरे	राशि (₹)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का 2 प्रतिशत	2,78,26,267/-
(ii)	इस वित्त वर्ष में व्यय की गई कुल राशि	2,78,27,000/-
(iii)	इस वित्त वर्ष में व्यय की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	733/-
(iv)	पिछले वित्त वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या क्रियाकलापों मे से अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
(v)	अनवुर्ती वित्त वर्षों में स्थापना के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	शून्य

7. (क) पिछले तीन वर्षों में व्यय नहीं की गई सीएसआर राशि का विवरणः

क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर लेखा में स्थानांतरित राशि (रु. में)	धारा 135 की उपधारा (6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर लेखा में शेष राशि (रु. में)	प्रतिवेदन के अधीन वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रु. में)	धारा 135 की उप–धारा 5 के अनुसार अनुसूची VII के अधीन विनिर्दिष्ट किसी फंड में राशि यदि कोई हो।		अनवुर्ती वित्त वर्षों में व्यय करने के लिए शेष राशि (रुपयों में)	कमी यदि कोई हो
					श्रकम (रुपयों में)	अंतरण की तिथि		
1	2022-23	लागू नहीं						
2	2021-22	शून्य	शून्य	शून्य	6,30,770/-	25.11.2021	शून्य	लागू नहीं
3	2020-21	लागू नहीं						

8. वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत संपत्ति सृजित की गई है या अधिग्रहीत की गई हैः **नहीं**

यदि हाँ, तो सृजित/अधिग्रहीत पूंजीगत संपत्तियों की संख्या दर्ज करें: **लागू नहीं**

वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से सृजित या अधिग्रहीत की गई संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें: **लागू नहीं**

क्र. सं.	संपत्ति अथवा परिसंपत्ति (यों) का संक्षिप्त विवरण ख्संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित,	संपत्ति अथवा परिसंपत्ति (यों) का पिनकोड	निर्माण की तिथि	व्यय की गई सीएसआर राशि	उपक्रम या सार्वजनिक प्राधिकरण के पंजीकृत स्वामी या लाभार्थी का विवरण		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत, उनका पता
लागू नहीं							

9. उस कारण (कारणों) का उल्लेख करें, यदि कंपनी, धारा 135(5) के अनुसार औसत निवल लाभ का 2 प्रतिशत खर्च करने में असफल रही हों: **वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु एनएसआईसी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार अपने सीएसआर निधि को पूरी तरह से खर्च किया है। इसलिए यह लागू नहीं है।**

अनुलग्नक 'झ'

एनएसआईसी–वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान सीएसआर व्यय का विवरण

क्र. सं.	परियोजना की प्रकृति	अनुसूची टप्प गतिविधि के अंतर्गत शामिल किया गया	एनएसआईसी के क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	प्रत्यक्ष/के माध्यम से	स्थान	आबंटित राशि (रूपये में)	वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि (रुपये में)
1	स्वच्छ भारत कोष में योगदान ।	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII(i) में उल्लिखित सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत कवर किया गया	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम मुख्य कार्यालय	प्रत्यक्ष योगदान	अखिल भारत	1,67,00,000/-	1,67,00,000/-
2	सशस्त्र बल झंडा दिवस कोष में योगदान।	कंपनियों की अनुसूची VII (vi) में उल्लिखित सीएसआर गतिविधियों, अधिनियम, 2013 के तहत कवर किया गया	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम मुख्य कार्यालय	प्रत्यक्ष योगदान	अखिल भारत	70,00,000/-	70,00,000/-
3	PM CARES Fund में योगदान।	कंपनियों की अनुसूची VII (viii) में उल्लिखित सीएसआर गतिविधियों अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कवर किया गया	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम मुख्य कार्यालय	प्रत्यक्ष योगदान	अखिल भारत	23,33,000/-	23,33,000/-
4	03 सामुदायिक जल ईपीआईओ मशीनों की स्थापना जो जनता को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराएगी।	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII(i) में उल्लिखित सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत कवर किया गया	एनएसआईसी शाखा कार्यालय, पुणे	"पैसिफिक क्रिएटिव सोसायटी" के माध्यम से –	सिन्धुडग जिला (महाराष्ट्र)	17,94,000/-	17,94 ,000/-
			जोड़			**2,78,27,000/ -**	**2,78,27,000/ -**

ह./–
(विपुल गोयल)
सीएसआर समिति के अध्यक्ष
डीआईएनः 10229523

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12 दिसम्बर, 2023

फार्म सं. एमआर–3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में)

सेवा में,
सदस्यगण

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड
पंजीकृत पताः एनएसआईसी भवन, ओखला औद्योगिक क्षेत्र,
नई दिल्ली – 110020

हमने मैसर्स **राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड** जिसकी कार्पोरेट पहचान संख्या यू74140डीएल1955जीओआई002481 है। (जिसे इसमें आगे 'कंपनी' कहा गया है) द्वारा अच्छी निगमित पद्धतियां के अनुपालन और लागू होने वाले सांविधिक उपबंधों के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा का आयोजन ऐसे तरीके से किया गया है, जिसमें निगमित आचरण/सांविधिक अनुपालनों और इन पर अपनी राय व्यक्त करने का मूल्यांकन करने हेतु एक उपयुक्त आधार उपलब्ध होता है।

कंपनी की खाता–बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों और दाखिल की गई विवरणियों तथा निगम द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों और सचिवीय लेखापरीक्षा करने के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों, प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई, प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण। हम एतद रिपोर्ट करते हैं कि हमारे अभिमत में कंपनी ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 31 मार्च, 2023 ('लेखापरीक्षा अवधि') को समाप्त वर्ष अवधि हेतु, यहाँ सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधान का अनुपालन किया गया है, और यह भी उल्लेख करते हैं कि इस हेतु कंपनी के पास उचित बोर्ड–प्रक्रियाएँ और अनुपालन–तंत्र विद्यमान है और एतद् निम्नानुसार किए गए रिपोर्टिंग के अधीन हैं:

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए और कंपनी द्वारा तैयार किए गए बही–खातों, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पुस्तकों, पत्रावलियों, फाइल किए गए प्रपत्रों और विवरणियों की जांच की है:

i. कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके अधीन बनाए गए नियम;

ii. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके अधीन बनाए गए नियम, **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

iii. डिपॉजिटरीज अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम तथा उप–विधि **(जो लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

iv. विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम तथा विनियम, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधारों की सीमा तक; **(जो लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

v. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('एसईबीआई अधिनियम') के अंतर्गत विनिर्धारित निम्नलिखित विनिमय और दिशानिर्देशः–

(क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण एवं टेकओवर) विनियमावली, 2011; **(जो लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (आंतरिक व्यापार का निषेध) नियमावली, 2015; **(जो लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

(ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम एवं शर्तें प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2018; **(जो लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और उद्यम इक्विटी) विनियम 2021; **(जो लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर–परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021; **(जो लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

(च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (निगम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियमावली, 1993, जो कंपनी अधिनियम और ग्राहकों के साथ संव्यवहार के बारे में है; **(जो लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021; **(जो लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

(ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनः खरीद) विनियमावली, 2018; **(जो लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

vi. कंपनी पर लागू होने वाले अन्य कानूनों सहित अनुपालन/प्रक्रियाएं/प्रणालियां कंपनी के निदेशक मंडल को प्रस्तुत आवधिक प्रमाण पत्र के आधार पर सत्यापित की जा रही हैं।

vii. कंपनी पर लागू अन्य विधियां इस प्रकार हैं:–

(i) लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देश;

(ii) कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन शोषण (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013;

हमने लागू होने वाले निम्नलिखित खंडों/विनियमों के अनुपालन की भी जांच की है:

(i) लागू होने की सीमा तक भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानक।

(ii) स्टॉक एक्सचेंजों के साथ कंपनी द्वारा किए गए सूचीकरण करार/सेबी (सूचीकरण एवं विगोपन शर्तें विनियमावली, 2015 (जो लेखापरीक्षा अवधि के दौरान निगम पर लागू नहीं);

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि का अनुपालन किया है।

- हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने, मेरी राय में, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और कंपनी के एसोसिएशन के ज्ञापन के अनुच्छेदों के साथ–साथ वहां बनाए गए नियमों का अनुपालन किया है।
- विभिन्न वैधानिक रजिस्टरों और दस्तावेजों का रखरखाव और उनमें आवश्यक प्रविष्टियां करना।
- कंपनियों के रजिस्ट्रार और केंद्र सरकार के पास दाखिल किए जाने वाले फॉर्म, रिटर्न, दस्तावेज और संकल्प।
- कंपनी द्वारा अपने सदस्यों, लेखा परीक्षकों और कंपनी रजिस्ट्रार को दस्तावेजों की सेवा।
- निदेशक मंडल की बैठकों और समिति की बैठकों की सूचना।
- निदेशकों की बैठकें और निदेशकों की समितियां जिनमें संचलन द्वारा संकल्प पारित करना शामिल है।
- 67वीं वार्षिक आम बैठक 19 दिसंबर 2022 को आयोजित हुई।
- सामान्य बैठकों और बोर्ड और उसकी समिति की बैठकों की कार्यवाही के कार्यवृत्त।
- जहां भी आवश्यक हो, सदस्यों, निदेशक मंडल, निदेशक समितियों और सरकारी प्राधिकारियों की मंजूरी।
- निदेशक मंडल/नदेशकों की समिति का गठन, नियुक्ति, सेवानिवृत्ति और निदेशकों की पुनर्नियुक्ति।
- आम तौर पर, अधिनियम के अन्य सभी लागू प्रावधान और अधिनियम के तहत बनाए गए नियम।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

➢ कंपनी का निदेशक बोर्ड में 31 मार्च 2022 तक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीमएडी), 2 कार्यकारी निदेशक, 2 नामित निदेशक और 2 स्वतंत्र निदेश शामिल हैं।

➢ समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल के गठन में जो परिवर्तन किए गए हैं, वे अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन के अनुसार किए गए हैं।

➢ बोर्ड की बैठकें आयोजित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया गया है, कार्यसूची और निदेशकों की

पूर्व सहमति से अल्प सूचना पर आयोजित बोर्ड की बैठकों को छोड़कर कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियाँ अग्रिम रूप से कम से कम 7 दिन पहले भेजी गई थीं और बैठक से पहले कार्यसूची की मदों पर आगे सूचना और स्पष्टीकरण मांगने तथा प्राप्त करने और बैठक में सार्थक रूप से भाग लेने के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

➢ संकल्प सभी बैठकों में अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित किए गए और असहमति के कोई ऐसे उदाहरण नहीं थे जिन्हें कार्यवृत्त के भाग के रूप में लिखे और दर्ज किए जाने की आवश्यकता थी।

मैं यह भी रिपोर्ट करता हूँ कि लागू होने वाली विधियों, नियमों, अधिनियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने और अनुवर्तन करने के लिए निगम के आकार और प्रचालनों के अनुरूप निगम में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

कृते सपना जी और एसोसिएटस
कंपनी सचिव

ह./–
(सपना गुप्ता)
एफसीएस संख्या 11875
सी पी संख्याः 15943
आईसीएसआई यूडीआईएनः एफ011857ई001239182

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10 अक्टूबर, 2023

टिप्पणी : यह रिपोर्ट हमारे समतारीख के पत्र, जोकि "अनुबंध क" में संलग्न है, के साथ पढ़ी जाए और यह उस रिपोर्ट को आंतरिक भाग को निरूपित करती है।

"सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध क"
31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

सेवा में,
सदस्यगण,

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड
पंजीकृत पताः एनएसआईसी भवन, ओखला औद्योगिक क्षेत्र,
नई दिल्ली – 110020

सम तारीख की हमारी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. सचिवीय रिकार्ड का रखरखाव निगम के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकार्डों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

2. हमने लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है, जो सचिवीय रिकॉर्ड की विषय–वस्तु की परिशुद्धता के बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित थीं। सत्यापन परीक्षण आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए किए गए कि सचिवीय रिकार्ड में सही तथ्य दर्शाए जाते हैं। हमें विश्वास है कि हमने जिन प्रक्रियाओं और पद्धतियों का पालन किया है, वे हमारी राय के लिए एक तर्कसंगत आधार उपलब्ध कराती हैं।

3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्डों और लेखा–बहियों की परिशुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है। हमने खाता बहियों, कागज–पत्रों और संगत वित्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के रख–रखाव से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के बारे में सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विश्वास किया है, जिसमें कंपनी के कारोबार की सत्य और उचित स्थिति बताई गई है।

4. हमने, आयकर अधिनियम, 1961, वित्त अधिनियम और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) जैसे वित्तीय कानूनों के पालन के बारे में सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विश्वास करते हैं।

5. जहाँ कहीं अपेक्षित था, हमने विधियों, नियमों और विनियमों तथा घटनाओं के घटित होने आदि के अनुपालन के बारे में प्रबंधन का प्रतिवेदन प्राप्त किया है।

6. कार्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन करना प्रबंधन–वर्ग की जिम्मेदारी है। हमारी जांच, परीक्षण आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित है।

7. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी संभाव्यता के बारे में कोई आश्वासन है और न ही इसकी दक्षता या प्रभावोत्पादकता का आश्वासन है, जिससे प्रबंधन–वर्ग ने निगम का कारोबार किया।

कृते सपना जी और एसोसिएटस
कंपनी सचिव

ह./–
(सपना गुप्ता)
एफसीएस संख्या 11875
सी पी संख्याः 15943
आईसीएसआई यूडीआईएनः एफ011857ई001239182

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10 अक्टूबर, 2023

फार्म सं. एओसी–1

सहायक कंपनियों/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं संबंधी विवरण

(कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उप–धारा (3) की पहली शर्त के अनुसार)

भाग 'क': सहायक कंपनियाँ

(राशि के साथ प्रस्तुत की जाने वाली प्रत्येक सहायक कंपनी के संबंध में जानकारी, रु. में)

(वित्तीय वर्ष 2022–23)

1.	**सहायक कंपनी का नाम**	एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड (एनवीसीएफएल)
2.	**संबंधित सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि, यदि होल्डिंग कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न हो**	लागू नहीं
3.	**विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में संबंधित वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि के अनुसार रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर**	लागू नहीं
4.	**शेयर पूंजी:**	प्राधिकृत शेयर पूंजी – रु. 10 करोड; भुगतान की गई शेयर पूंजी – रु. 6 करोड़
5.	**आरक्षित और अधिशेष**	रु. 375.75 लाख
6.	**कुल परिसंपतियां**	रु. 1406.66 लाख
7.	**कुल देनदारियां**	रु. 430.91 लाख
8.	**निवेश**	रु. 28.36 लाख
9.	**कारोबार**	रु. 452.90 लाख
10.	**कर के पूर्व लाभ**	रु. 405.63 लाख
11.	**कर के लिए प्रावधान**	रु. 101.97 लाख
12.	**कराधान के बाद लाभ**	रु. 303.66 लाख
13.	**प्रस्तावित लाभांश**	रु. 91.10 लाख
14.	**शेयरधारिता का %**	एनवीसीएफएल एनएसआईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

नोट: निम्नलिखित जानकारी विवरण के अंत में प्रस्तुत की जाएगी:

1. सहायक कंपनियों के नाम जिनका संचालन अभी शुरू होना बाकी है: लागू नहीं
2. सहायक कंपनियों के नाम जिनका वर्ष के दौरान परिसमापन किया गया या बेचा गया: लागू नहीं

ह./–
(विपुल गोयल)
अध्यक्ष–एवं–प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 10229523

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12 दिसंबर, 2023

फार्म सं. एओसी–2

वार्षिक अनुपालन – पार्टी संबंधित लेनदेन

(अधिनियम की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसार)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप–धारा (1) में संदर्भित संबंधित पार्टियों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरण के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र, जिसमें उनके परंतुक के तहत कुछ हाथ की लंबाई के लेनदेन शामिल हैं

1. अनुबंधों अथवा समझौतों अथवा लेन–देन का विवरण जो व्यक्तियों के बीच के आधार पर नहीं: वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी द्वारा किसी भी संबंधित पार्टी के साथ कोई सामग्री अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन दर्ज नहीं किया गया था

2. वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान सामग्री अनुबंध अथवा समझौते अथवा लेन–देन का विवरण जो व्यक्तियों के बीच के आधार पर नहीं:

क्र. सं.	संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति	अनुबंधों/समझौतों/ लेन–देन की प्रकृति	अनुबंधों/ व्यवस्थाओं/ लेन–देन की अवधि	मूल्य सहित, यदि कोई हो, अनुबंधों या समझौतों या लेनदेन की मुख्य शर्तें:	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि (यॉं), यदि कोई हो:	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो:
1.	एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (100 प्रतिशत सहायक कंपनी)	एनवीसीएफएल की ओर से जनशक्ति समर्थन लागत, मुद्रण और स्टेशनरी, यात्रा, वाहन और वाहन शुल्क और मनोरंजन व्यय का भुगतान। (करों का अनन्य)	जारी लेनदेन	जनशक्ति समर्थन लागत– रु. 60.26 लाख 2. प्रिंटिंग और स्टेशनरी, यात्रा, वाहन और वाहन शुल्क और मनोरंजन – रु. 3.83 लाख (सभी राशि वास्तविक आधार पर)	–	–
2.	एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (100 प्रतिशत सहायक कंपनी)	एनवीसीएफएल से प्राप्त किराया (करों को छोड़कर)	जारी लेनदेन	किराया रु. 5.93 लाख	–	–

ह./–
(विपुल गोयल)
अध्यक्ष–एवं–प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 10229523

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12 दिसंबर, 2023

कार्पोरेट सुशासन संबंधी रिपोर्ट

I. एनएसआईसी का कॉर्पोरेट अभिशासन दर्शन

एनएसआईसी एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक मिनी–रत्न कंपनी है। भारत का मानना है कि अच्छी कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाएँ कंपनी के कामकाज में अपरिहार्य हिस्सा हैं और स्थायी और दीर्घकालिक आधार पर अपने हितधारकों के लिए मूल्य बनाने का प्रयास करती हैं।

अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन अभ्यास के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सभी वैधानिक, विनियामक और महत्वपूर्ण जानकारी, कॉर्पोरेट प्रशासन के लिए जारी किए गए डीपीई दिशानिर्देश समय–समय पर बोर्ड के समक्ष रखे जाते हैं।

कार्पोरेट सुशासन संबंधी कंपनी की रिपोर्ट इस प्रकार है:

II. निदेशक मंडल

क) संरचना

एनएसआईसी, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी है। निदेशकों की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जाती है।

31 मार्च 2023 तक, कंपनी के बोर्ड में सात निदेशक थे, जिसमें एक अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, दो कार्यात्मक निदेशक, सरकार द्वारा नामित दो निदेशक और दो स्वतंत्र निदेशक शामिल थे। स्वतंत्र निदेशक का एक पद खाली पड़ा है। इस संबंध में प्रशासनिक मंत्रालय को पत्र भेज दिया गया है। स्वतंत्र निदेशक के रिक्त पद को भरने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय से लगातार अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

ख) बोर्ड की बैठकें

निदेशक मंडल की बैठकें आवधिक अंतराल पर आयोजित की गई। वर्ष 2022–23 के दौरान, 20 जुलाई, 2022, 28 जुलाई, 2022, 18 अगस्त, 2022, 25 नवंबर, 2022, 19 दिसंबर, 2022, और 16 जनवरी, 2023 को कुल छः बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं।

31 मार्च 2023 तक, बोर्ड के गठन और अन्य कंपनियों में आयोजित निदेशकों की संख्या और बोर्ड की बैठकों और वार्षिक आम बैठक में उनकी उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम और पदनाम	डीआईएन	कार्यकाल के दौरान उपस्थित बोर्ड की बैठकों की संख्या	पिछली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में उपस्थिति	बाहरी निदेशकों की संख्या
कार्यकारी निदेशक					
1.	श्रीमती अलका नांगिया अरोड़ा (सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार) (31.05.2022 तक)	03165567	0	लागू नहीं	• आईटीपीओ, निदेशक • डीएसआईआईडीसी, निदेशक • एनवीसीएफएल, अध्यक्ष
2.	श्री पी. उदयकुमार निदेशक (योजना एवं विपणन) और (सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार 20.06.2022 से 31.07.2022 तक)	03353625	02	लागू नहीं	शून्य
3.	श्री गौरांग दीक्षित निदेशक (वित्त) और (सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार 01.08.2022 से 31.12.2022 तक)	08535482	05	हाँ	एनवीसीएफएल, अध्यक्ष

क्र. सं.	निदेशक का नाम और पदनाम	डीआईएन	कार्यकाल के दौरान उपस्थित बोर्ड की बैठकों की संख्या	पिछली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में उपस्थिति	बाहरी निदेशकों की संख्या
4.	श्रीमती मर्सी एपाओ (सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार 01.1.2023 से 30.06.2023 तक)	09331424	05	हाँ	• डीएसआईआईडीसी, निदेशक • आईटीपीओ, निदेशक • एनवीसीएफएल, अध्यक्ष
5.	श्री कार्तिकेय सिन्हा निदेशक (योजना एवं विपणन) (21.02.2023 से)	02322056	–	लागू नहीं	शून्य
गैर–कार्यकारी निदेशक (सरकार द्वारा नामित)					
6.	श्रीमती समीरा सौरभ	09604102	04	हाँ	शून्य
7.	श्रीमती मर्सी एपाओ	09331424	05	हाँ	डीएसआईआईडीसी, निदेशक
गैर–कार्यकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)					
8.	डॉ. अशोक अहिरवार	09459529	06	हाँ	लागू नहीं
9.	श्री कालांदी चरण सामल	09459531	05	हाँ	लागू नहीं

●श्रीमती मर्सी एपाओ के पास 20 फरवरी, 2023 और 8 मई, 2023 तक निदेशक (पी एंड एम) और निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार भी है।

ग) निदेशक बोर्ड की संरचना में परिवर्तन

वर्ष 2022–23 के दौरान और अब तक, कंपनी के बोर्ड में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:–

क) एमएसएमई मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री विपुल गोयल को एनएसआईसी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार 1 जुलाई, 2023 को सौंपा गया था। हालाँकि, एनएसआईसी के बोर्ड में निदेशक के रूप में श्री विपुल गोयल की नियुक्ति 6 जुलाई, 2023 से प्रभावी है, जो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा डीआईएन के आवंटन की तारीख है।

ख) श्री कार्तिकेय सिन्हा को एनएसआईसी में निदेशक (योजना एवं विपणन) के रूप में 21 फरवरी 2023. को नियुक्त किया गया।

ग) श्री गौरव गुलाटी को एनएसआईसी में निदेशक (वित्त) के रूप में 09 मई, 2023 को नियुक्त किया गया।

घ) श्रीमती मर्सी एपाओ एमएसएमई मंत्रालय की संयुक्त सचिव, को अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार 1 जनवरी, 2023 से 30 जून, 2023 तक सौंपा गया है। उनके पास 20 फरवरी, 2023 और 8 मई, 2023 तक निदेशक (पी एंड एम) और निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार भी है। श्रीमती मर्सी एपाओ भी 22 सितंबर 2021 से सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में कंपनी से जुड़ी हुई हैं।

ङ) श्री गौरांग दीक्षित, निदेशक (वित्त) एनएसआईसी को एनएसआईसी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार 1 अगस्त, 2022 तक सौंपा गया है। वह अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख 31 दिसंबर, 2022 तक एनएसआईसी के निदेशक (वित्त) और अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे।

च) श्री. पी. उदयकुमार, निदेशक (पी एंड एम), एनएसआईसी को 20 जून, 2022 से कंपनी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। वह अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख यानी 31 जुलाई, 2022 तक निदेशक (पी एंड एम) और अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, एनएसआईसी के रूप में कार्यभार संभालेंगे।

छ) श्रीमती अलका नांगिया अरोड़ा को कंपनी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार 14 सितंबर, 2021 से 31 मई, 2022 तक सौंपा गया था।

III. बोर्ड की उप–समितियाँ

सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार निदेशक मंडल की निम्नलिखित उप–समिति (समितियाँ) गठित की गई थीं, जिसमें (जिनमें) कार्यकारी और गैर–कार्यकारी सदस्य थे। निदेशक मंडल में हुए परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, निदेशक मंडल द्वारा इस (इन) उप–समिति (समितियों) का पुनर्गठन किया गया था।

क) लेखापरीक्षा समिति

i) विचारार्थ विषयों (टीओआर) का संक्षिप्त विवरण

लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों (टीओआर) को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है और यह कॉर्पोरेट प्रशासन पर आंतरिक दिशानिर्देशों का भी हिस्सा है जो कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी और इसकी वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण, लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की सूचना और लेखापरीक्षा शुल्क के निर्धारण के लिए सिफारिश (यदि आवश्यक हो), प्रदान की गई किसी भी अन्य सेवाओं के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान के लिए अनुमोदन करना, प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरणों, जोखिम प्रबंधन नीतियों, सीएंडएजी लेखापरीक्षा की लेखापरीक्षा टिप्पणियों (यदि कोई हो) की समीक्षा करना, आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट और आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यों की पर्याप्तता की समीक्षा करना, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन करना; लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों में उल्लिखित कोई अन्य कार्य करना।

ii) संरचना

डीपीई दिशानिर्देशों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति का गठन किया गया है। 31 मार्च 2023 तक, लेखा परीक्षा समिति में तीन सदस्य शामिल हैं, अर्थात् समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉ. अशोक अहिरवार, स्वतंत्र निदेशक, और समिति के सदस्य के रूप में सुश्री समीरा सौरभ और श्री कालंदी चरण सामल शामिल हैं।

iii) बैठक का विवरण

वर्ष 2022–23 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की कुल पांच बैठकें 20 जुलाई 2022, 28 जुलाई 2022, 25 नवंबर 2022 और 19 दिसंबर 2022 और 16 जनवरी, 2023 को आयोजित की गईं।

क्र. सं.	सदस्य का नाम	धारित पद	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की
1.	श्री अशोक अहरिवार स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	05	05
2.	श्री कालंदी चरण सामल स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	05	04
3.	सुश्री समीरा सौरभ सरकारी नामित निदेशक	सदस्य	05	04
4.	श्री पी. उदयकुमार	विशेष आमंत्रित	02	02
5.	श्री गौरांग दीक्षित	विशेष आमंत्रित	04	04

* श्री पी. उदयकुमार और श्री गौरांग दीक्षित ने 28 जुलाई, 2022 और 19 दिसंबर 2022 तक विशेष आमंत्रित के रूप में लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में भाग लिया।

ऑडिट कमेटी कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन को आमंत्रित करती है। वर्ष 2022–2023 के दौरान वित्त प्रमुख, आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के प्रमुख और लेखापरीक्षकों के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया।

ख) नामांकन और पारिश्रमिक समिति

i) विचारार्थ विषयों (टीओआर) का संक्षिप्त विवरण

नामांकन और पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ विषयों (टीओआर) को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है और यह कॉर्पोरेट प्रशासन पर आंतरिक दिशानिर्देशों का हिस्सा भी है जो कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। समिति की मुख्य भूमिका कंपनी के कर्मचारियों को वितरण प्रदर्शन संबंधी वेतन से संबंधित मामले का निर्धारण करना है।

ii) संरचना

एनएसआईसी एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक और कार्यात्मक निदेशकों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक उनकी नियुक्ति के नियमों और शर्तों के अनुसार था। स्वतंत्र निदेशकों को केवल कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित सीमा के भीतर बोर्ड द्वारा अनुमोदित बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है, और बोर्ड और इसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार भी। सरकारी नामित निदेशक कंपनी से बोर्ड/समिति की बैठकों के लिए कोई पारिश्रमिक/बैठक शुल्क नहीं लेते हैं।

बोर्ड में परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, नामांकन और पारिश्रमिक समिति का बोर्ड द्वारा समय–समय पर पुनर्गठन किया गया। 31 मार्च 2023 तक, नामांकन और पारिश्रमिक समिति में तीन सदस्य, अर्थात् समिति के अध्यक्ष के रूप में श्री कालंदी चरण सामल स्वतंत्र निदेशक, और समिति के सदस्यों के रूप में श्रीमती मर्सी एपाओ और डॉ अशोक अहिरवार शामिल हैं।

iii) बैठक का विवरण

वित्तीय वर्ष 2022–2023 के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की दो बैठकें हुई। समिति की बैठकों का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	नाम	धारित पद	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया
1	श्री कालांदी चरण सामल	अध्यक्ष	1	1
2	डॉ. अशोक अहिरवार	सदस्य	1	1
3	श्रीमती मर्सी एपाओ	सदस्य	1	1

iv) निदेशकों का पारिश्रमिक

- वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया है:

(रुपये में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक का नाम		पूर्णकालिक निदेशक का नाम		
		श्रीमती अलका नांगिया अरोड़ा 31/05/2022 तक	श्रीमती मर्सी एपाओ प्रभावी 01/01/2023 से 30/06/2023 तक	पी. उदयकुमार (अतिरिक्त प्रभार सीएमडी भी संभाला) 01/04/2022 से 31/07/2022 तक	श्री गौरांग दीक्षित (सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला) 01/04/2022 से 31/12/2022 तक	श्री कार्तिकेय सिन्हा 21/02/2023 से 31/03/2023 तक
1.	सकल वेतन (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार)	-	-	9,807,897	9,234,400	438,007
2	पूंजी विकल्प	-	-			

(रुपये में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक का नाम		पूर्णकालिक निदेशक का नाम		
		श्रीमती अलका नांगिया अरोड़ा 31/05/2022 तक	श्रीमती मर्सी एपाओ प्रभावी 01/01/2023 से 30/06/2023 तक	पी. उदयकुमार (अतिरिक्त प्रभार सीएमडी भी संभाला) 01/04/2022 से 31/07/2022 तक	श्री गौरांग दीक्षित (सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला) 01/04/2022 से 31/12/2022 तक	श्री कार्तिकेय सिन्हा 21/02/2023 से 31/03/2023 तक
3	उद्यम इक्विटी	-	-			
4	लाभ के : के रूप में कमीशन; अन्य, निर्दिष्ट करें	-	-			
5	अन्य, निर्दिष्ट करें (नियोक्ता द्वारा जारी.)	-	-	1,45,747	2,47,698	33,869
	कुल	-	-	**9,953,642**	**9,482,098**	**471,876**

- **वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान स्वतंत्र निदेशक को भुगतान किए गए बैठक शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:**

क्र. सं.	स्वतंत्र निदेशक का नाम	राशि (रु.)
1.	डॉ. अशोक अहिरवार	2,20,000/-
2.	श्री कालंदी चरण सामल	1,55,000/-

ग) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

i. पणविचारार्थ विषयों (टीओआर) का संक्षिप्त विवरण

सीएसआर समिति के विचारार्थ विषयों में आते हैं, सीएसआर नीति तैयार करना और बोर्ड को सिफारिश करना, जो अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषयों में कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को इंगित करेगी; उपर्युक्त गतिविधियों पर किए जाने वाले व्यय की राशि की सिफारिश करना; बोर्ड द्वारा अनुमोदित समग्र व्यय के भीतर परियोजनाओं को अनुमोदित करना और समय–समय पर कंपनी की सीएसआर नीति की निगरानी करना। सीएसआर पर एक अलग प्रतिवेदन इस रिपोर्ट का हिस्सा बनेगी।

ii. संरचना

31 मार्च 2023 तक, सीएसआर समिति में तीन सदस्य शामिल हैं, अर्थात् श्रीमती मर्सी एपाओ समिति के अध्यक्ष के रूप में और डॉ. अशोक अहिरवार, श्री कालंदी चरण सामल समिति के सदस्य के रूप में।

iii. बैठक का विवरण

सीएसआर समिति की बैठक का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	धारित पद	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया
1.	श्रीमती मर्सी एपाओ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएसआईसी	अध्यक्ष	02	02
2.	डॉ. अशोक अहिरवार स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	02	02
3.	श्री गौरांग दीक्षित निदेशक (वित्त)	सदस्य	02	02
4.	श्री कालंदी चरण सामल	सदस्य	00	00

*श्री गौरांग दीक्षित, निदेशक (वित्त) एनएसआईसी दिनांक 31 दिसंबर, 2022 से कंपनी की सेवाओं से सेवानिवृत्त हो गए।

**श्री कालंदी चरण सामल, स्वतंत्र निदेशक को दिनांक 16 जनवरी 2023 से समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था।

VI) जोखिम प्रबंधन समिति

i. विचारार्थ विषयों (टीओआर) का संक्षिप्त विवरण

जोखिम प्रबंधन समिति के विचारार्थ विषयों में आते हैं समय–समय पर कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीतियों की स्थापना और समीक्षा करना; कंपनी के प्रदर्शन और लाभप्रदता लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति से जुड़े प्रमुख जोखिमों की पहचान करना, निगरानी करना, समीक्षा करना और इन्हें कम करने के लिए यह मुख्य रूप से जिम्मेदार होगा।

जोखिम प्रबंधन प्रणाली का एकीकरण और संरेखण कॉर्पोरेट और परिचालन उद्देश्यों के साथ सुनिश्चित किया जाएगा न कि एक अलग कार्य के रूप में।

ii. संरचना

31 मार्च 2023 तक, जोखिम प्रबंधन समिति में तीन सदस्य शामिल हैं, अर्थात् श्रीमती मर्सी एपाओ समिति के अध्यक्ष के रूप में और डॉ. अशोक अहिरवार, श्री कालंदी चरण सामल समिति के सदस्य के रूप में।

iii. बैठक का विवरण

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, जोखिम प्रबंधन समिति की एक बैठक अर्थात् 09 दिसंबर 2022 को हुई। समिति की बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	धारित पद	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया
1.	श्री गौरांग दीक्षित*	अध्यक्ष	01	01
2.	श्रीमती मर्सी एपाओ	सदस्य	01	01

*श्री गौरांग दीक्षित, निदेशक (वित्त) एनएसआईसी दिनांक 31 दिसंबर, 2022 से कंपनी की सेवाओं से सेवानिवृत्त हो गए।

ड़ परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति की बैठक (एएलसीओ)

आरबीआई के मास्टर निदेश – गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी – व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर–जमा लेने वाली कंपनी और जमा लेने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016 के अनुसार कार्यात्मक निदेशकों वाली एक एएलसीओ समिति का गठन किया गया है।

i. विचारार्थ विषयों (टीओआर) का संक्षिप्त विवरण

एएलसीओ कार्य के संदर्भ और कार्यक्षेत्र हैं, तरलता जोखिम प्रबंधन, बाजार जोखिमों का प्रबंधन, वित्त पोषण और पूंजी नियोजन, लाभ योजना और विकास प्रक्षेपण और पूर्वानुमान, और 'क्या होगा यदि परिदृश्य' का विश्लेषण और आकस्मिक योजनाओं की तैयारी करना है।

ii. संरचना

परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति में कंपनी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक सदस्य के रूप में कार्यात्मक निदेशकों के साथ समिति के प्रमुख होते हैं। बैठक के लिए वित्त प्रमुख और प्रौद्योगिकी प्रमुख को आमंत्रित किया जाएगा। वित्त विभाग एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख बैठक के स्थायी आमंत्रित/सदस्य होते हैं। बैठक के संयोजक वित्त विभाग के प्रमुख होते हैं। वर्ष 2022–2023 के दौरान 13 अप्रैल 2022, 14 जुलाई 2022 और 14 अक्टूबर 2022 और 13 जनवरी, 2023 को चार बैठकें हुईं।

iii. बैठक का विवरण

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, एएलसीओ समिति की चार बैठकें 13 अप्रैल 2022, 14 जुलाई 2022 और 14 अक्टूबर 2022 और 13 जनवरी, 2023 को आयोजित की गईं। समिति की बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	नाम	धारित पद	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया
1.	श्रीमती अलका नांगिया अरोड़ा 31/05/2022 तक	अध्यक्ष	01	01
2.	श्री गौरांग दीक्षित	सदस्य/अध्यक्ष	03	03
3.	श्री पी. उदयकुमार	अध्यक्ष	01	01
4.	श्रीमती मर्सी एपाओ प्रभावी 01/01/2023 से 30/06/2023 तक	अध्यक्ष	01	01
5.	श्री संदीप मोहन (आईटी विभाग के प्रमुख के रूप में)	सदस्य	04	04
6.	श्री पार्थ माझी (वित्त/लेखा विभाग के प्रमुख के रूप में)	सदस्य	04	04

*श्री गौरांग दीक्षित ने समिति के अध्यक्ष के रूप में 9वीं एलको समिति की बैठक में भाग लिया।

च) आईटी रणनीति समिति

i) विचारार्थ विषयों (टीओआर) का संक्षिप्त विवरण

आईटी रणनीति समिति के विचारार्थ विषयों और भूमिकाएं तथा जिम्मेदारियां हैं; आईटी रणनीति और नीति दस्तावेजों को मंजूरी देना और यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने एक प्रभावी रणनीतिक योजना प्रक्रिया को लागू किया है; यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने प्रक्रियाओं और प्रथाओं को लागू किया है जो यह सुनिश्चित करता है कि आईटी व्यवसाय को मूल्य प्रदान करता है; आईटी निवेश सुनिश्चित करना जोखिमों और लाभों के संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है और बजट स्वीकार्य हैं; रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक आईटी संसाधनों को निर्धारित करने के लिए प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली पद्धति की निगरानी करना और आईटी संसाधनों की सोर्सिंग और उपयोग के लिए उच्च–स्तरीय दिशा प्रदान करना; कंपनी के विकास को बनाए रखने के लिए आईटी निवेशों का उचित संतुलन सुनिश्चित करना और आईटी जोखिमों और नियंत्रणों के बारे में जागरूक होना।

ii) संरचना

एनबीएफसी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी ढांचे के लिए आरबीआई के मास्टर निर्देशों के अनुसार, कंपनी के निदेशक बोर्ड ने आईटी रणनीति समिति का गठन किया। समिति के अध्यक्ष कंपनी बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक हैं। आरएमए (कच्चा माल सहायता योजना) के प्रमुख और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख ख्मुख्य सूचना अधिकारी (सीआईओ), के रूप में, बैठक के स्थायी आमंत्रित सदस्य होते हैं। मुख्य सूचना अधिकारी बैठक के संयोजक होते हैं।

iii) बैठक का विवरण

निदेशक मंडल की बैठकें समय–समय पर आयोजित की जाती थी। वर्ष 2022–23 के दौरान, कुल एक बैठक आयोजित की गईं, अर्थात 25 नवंबर 2022 आयोजित बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	नाम	धारित पद	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया
1.	डॉ. अशोक अहिरवार (स्वतंत्र निदेशक)	अध्यक्ष	1	1
2.	श्रीमती समीरा सौरभ (सरकार द्वारा नामित निदेशक)	सदस्य	1	1
3.	श्री कालंदी चरण सामल (स्वतंत्र निदेशक)	सदस्य	1	0
4.	श्री पी. रवि कुमार (आरएमए विभाग के प्रमुख)	सदस्य	1	1
5.	श्री संदीप मोहन (सीआईओ के रूप में आईटी विभाग के प्रमुख)	सदस्य	1	1
6.	श्री गौरांग दीक्षित	विशेष आमंत्रित	1	1

IV. स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक

31 मार्च 2023 तक कंपनी के बोर्ड में दो स्वतंत्र निदेशक थे। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक 16 जनवरी 2023 को आयोजित की गई जिसमें सभी स्वतंत्र निदेशक उपस्थित थे।

V. सामान्य निकाय की बैठक

कंपनी की पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	दिनांक	समय	स्थान	विशेष संकल्प (यदि कोई हो)
2021-22	19/12/2022	दोपहर 12.00 बजे	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय	–
2020-21	29/11/2021	दोपहर 12.00 बजे		–
2019-20	19/02/2021	सायं 4.00 बजे		–

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान सदस्यों की कोई असाधारण आम बैठक नहीं हुई।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक आम बैठक दिनांक 12 दिसम्बर, 2023

VI. स्वतंत्र निदेशक द्वारा घोषणा

बोर्ड की पहली बैठक में सभी स्वतंत्र निदेशकों ने घोषणा की कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट अभिशासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों के तहत स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

उक्त बैठक में निदेशक बोर्ड ने पुष्टि की कि कंपनी के स्वतंत्र निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं, और सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई के दिशानिर्देश तथा प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

VII. स्वतंत्र निदेशकों हेतु परिचय कार्यक्रम

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, स्वतंत्र निदेशकों को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा आयोजित सीपीएसई के गैर–आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशकों के प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी 2–दिवसीय ओरिएंटेशन एंड लर्निंग समिट के लिए नामांकित किया गया था। क्षेत्र में चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करने के लिए सीपीएसई के वरिष्ठ नेतृत्व पर सत्र, 'अनिश्चितता की स्थिति में निर्णय लेने', भूमिकाएं और जिम्मेदारियां, क्षमता निर्माण आदि पर सत्र आयोजित किए जाते हैं।

स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी के समग्र दृष्टिकोण से परिचित होने के लिए कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालयों और एनएसआईसी तकनीकी सेवा केंद्रों का भी दौरा किया।

VIII. आचार संहिता

डीपीई द्वारा जारी कॉरपोरेट अभिशासन दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों, प्रमुख प्रबंधन कर्मियों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए 'आचार संहिता' जारी की है। आचार संहिता की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट पर भी अपलोड की गई है। जैसा कि आचार संहिता में उल्लेख किया गया है और बोर्ड के सदस्यों, प्रमुख प्रबंधन कर्मियों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक से प्राप्त पुष्टि के आधार पर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की गई आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में एक घोषणा इस रिपोर्ट के अनुलग्नक–I में संलग्न है।

IX. सहायक कंपनी

एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, अर्थात एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल) को 28 अगस्त 2020 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार एसआरआई फंड को समर्थित करने हेतु एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। सेल्फ रिलायंट इंडिया (एसआरआई) फंड एनवीसीएफएल की पहली योजना है। लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण एनवीसीएफएल की होल्डिंग कंपनी के समक्ष रखे जाते हैं।

X. कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ

इस रिपोर्ट में प्रकटीकरण यदि कोई हो के अलावा, कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले ऐसे कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ नहीं हैं, जो कंपनी के उस वित्तीय वर्ष के अंत, जिनसे वित्तीय विवरण संबंधित हैं और जिस तारीख की यह रिपोर्ट है, के बीच हुई हों।

XI. प्रकटीकरण

कारपोरेट सुशासन संबंधी सरकारी उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार निम्नलिखित प्रकटीकरण किए गए हैं:

- **प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपीज)**

31 मार्च, 2023 को यथास्थिति कंपनी में "प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों" के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति हैं।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	अवधि	
			से	तक
1.	श्रीमती मर्सी एपाओ	निदेशक (वित्त) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	01.01.2023	31.03.2023
2.	श्रीमती मर्सी एपाओ	(योजना एवं विपणन) (अतिरिक्त प्रभार)	01.01.2023	20.02.2023
3.	श्री कार्तिकेय सिन्हा	निदेशक (योजना एवं विपणन)	21.02.2023	31.03.2023
4.	श्री पार्थ माझी	मुख्य वित्त अधिकारी	02.01.2023	31.03.2023
5.	श्रीमती निष्ठा गोयल	कंपनी सचिव	01.04.2022	31.03.2023

- संबंधित पक्षकार के लेन–देन के ब्यौरे वित्त वर्ष 2022–23 में फार्म एओसी–2 में दिए जाने में, जो कंपनी की बोर्ड रिपोर्ट के साथ संलग्न है।
- सीईओ/सीएफओ प्रमाणनः कॉरपोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, वर्ष 2022–23 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित वित्तीय विवरणों और आंतरिक नियंत्रणों पर सीएमडी/सीएफओ द्वारा जारी अनुपालन प्रमाणपत्र को बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
- लागू कानूनों का अनुपालनः बोर्ड समय–समय पर कंपनी पर लागू सभी कानूनों की स्थिति की समीक्षा करता है।
- एनएसआईसी एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(पी) के प्रावधान, बोर्ड और इसकी समितियों के प्रदर्शन मूल्यांकन के संबंध में, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार छूट प्राप्त है।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुपालन के अनुसार, कंपनी ने 'व्हिसिल ब्लोअर नीति' को अपनाने के माध्यम से एक सतर्कता तंत्र लागू किया है, जिसका उद्देश्य किसी भी कर्मचारी को किसी भी या अप्रत्याशित अभ्यास और कदाचार की किसी भी घटना के बारे में सूचित करने के बारे में सक्षम बनाना है।
- संचार साधनः एनएसआईसी की एक समप्रित वेबसाइट है, अर्थात् www.nsic.co.in, जिसमें कंपनी की योजनाओं और गतिविधियों पर विस्तृत जानकारी का उल्लेख किया गया है और समय–समय पर अद्यतन किया जाता है। आधिकारिक वेबसाइट भी विभिन्न घटनाओं को पोस्ट करती है, जिसमें आधिकारिक समाचार रिलीज, दृष्टि, मिशन, नीतियां इत्यादि शामिल हैं, लेकिन ये इन तक ही सीमित नहीं है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ एकल लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरण, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट आदि शामिल हैं, कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

XII. कारपोरेट सुशासन संबंधी सरकारी उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुपालन के विवरण

केंद्र सरकारी क्षेत्र उद्यमों के लिए कारपोरेट सुशासन संबंधी सरकारी उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं का कंपनी द्वारा विधिवत पालन किया गया है। इस बारे में मैसर्स कुमार वाधवा एण्ड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिवों द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र **"अनुलग्नक–II"** के रूप में संलग्न है, जिसमें कारपोरेट सुशासन संबंधी सरकारी उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अधीन निर्धारित शर्तों के अनुपालन की पुष्टि की गई है।

ह./–
(विपुल गोयल)
अध्यक्ष–एवं–प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 10229523

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12 दिसंबर, 2023

कारपोरेट अभिशासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक घोषणा

"बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु "बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता" के अनुपालन की पुष्टि की है।"

ह./–
(विपुल गोयल)
अध्यक्ष–एवं–प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 10229523

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 अगस्त, 2023

कारपोरेट सुशासन अनुपालन प्रमाण-पत्र

सेवा में,

सदस्यगण

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

पंजीकृत पता: एनएसआईसी भवन, ओखला औद्योगिक क्षेत्र,

नई दिल्ली – 110020

हमने, भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए केंद्र सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईज) के लिए कारपोरेट सुशासन संबंधी दिशानिर्देशों में उल्लिखित, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए **सीआईएन: यू74140डीएल1955जीओआई002481** में **राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड** के कारपोरेट सुशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार तथा प्रबंधकवर्ग द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने उक्त दिशानिर्देशों में उल्लिखित कारपोरेट सुशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

कारपोरेट सुशासन प्रणाली की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच, भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय, सरकारी उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए केंद्र सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कारपोरेट सुशासन संबंधी दिशानिर्देशों में उल्लिखित कारपोरेट सुशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अंगीकृत प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन की समीक्षा करने तक सीमित थी। यह न तो कंपनी के वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा है और न ही इन पर राय की कोई अभिव्यक्ति।

हम यह भी उल्लेख करते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन, न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में या उस दक्षता या प्रभावकारिता के बारे में कोई आश्वासन है, जिससे प्रबंधकवर्ग ने कंपनी के कारोबार का संचालन किया है।

कृते कुमार वाधवा एण्ड कंपनी
कंपनी सचिव

ह./–
पी.सी.एस. संजय कुमार
प्रबंधन साझेदार
सदस्यता सं. : 9211
सी.पी. सं. : 7027
यूडीआईएन नः एफ009211ई001714631

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 07 नवम्बर, 2023

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के सदस्यों

भारतीय लेखा मानक एकल वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने **राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड** ('निगम') के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ और हानि के विवरण (अन्य व्यापक आय सहित) के साथ उस तिथि तक के तुलनपत्र और उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए इक्विटी और नकदी प्रवाह के विवरण में परिवर्तन, और वित्तीय विवरणों के लिए नोट जिसमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है, जिसमें हमारे द्वारा लेखा परीक्षित प्रधान कार्यालय के वित्तीय विवरण तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त अन्य स्वतंत्र लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 54 शाखा कार्यालय और तकनीकी केंद्र के विवरण शामिल हैं। (जिन्हें इसमें आगे "अकेले वित्तीय विवरण" कहा गया है)।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त अकेले वित्तीय विवरण, यथा अपेक्षित तरीके से, कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा अपेक्षित सूचना देते हैं और 31 मार्च, 2023 को यथास्थिति निगम के कारोबार की, उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके लाभ एवं हानि अन्य व्यापक आय, (इक्विटी में परिवर्तन) तथा इसके नकदी प्रवाह की यथा संसोधित कंपनी (भारतीय लेखाकंन मानक) नियमावली, 2015 ("भारतीय लेखाकंन मानक") के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्धारित भारतीय लेखाकंन मानकों और भारत में आमतौर पर स्वीकार किए गए अन्य लेखाकंन सिद्धांतों के अनुरूप सच्ची और सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

राय का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अनुसार अकेले वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी, हमारी रिपोर्ट के अकेले वित्तीय विवरण भाग की 'लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियाँ' वर्णित हैं। हम, नैतिकता अपेक्षाओं, जो कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा से सुसंगत हैं, के साथ–साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी की गई नैतिकता संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं और आईसीएआई की नैतिकता संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियाँ पूरी की हैं। हम विश्वास करते हैं कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किया है, वह अकेले वित्तीय विवरणों पर हमारी राय का आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और समुचित है।

मामलों पर जोर देना

1. हम निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

क) औद्योगिक एस्टेट नैनी में भूमि और भवन से संबंधित एकल वित्तीय विवरणों के साथ टिप्पणी संख्या 35(4)(ख)(ग) जिसमें विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान निगम का लाभ रू. 15,30,910 कम करके आंका गया है।

ख) केएफडब्ल्यू के साथ समझौते की शर्तों के अनुसार 2249.65 लाख रुपए (वित्तीय वर्ष 2175.00 लाख रुपए) की केएफडब्ल्यू बारहवीं लाइन ऑफ क्रेडिट के संबंध में विनिमय अंतर हानियों के प्रावधान के 31.03.2023 के समापन शेष के संबंध में एकल वित्तीय विवरण के साथ संलग्न टिप्पणी संख्या 35(4)(ञ)(क)(ii)। तथापि, कुल बकाया ऋण (संलग्न एकल वित्तीय विवरणों के अनुबंध–15ए में दर्शाए गए अनुसार) केवल 1988.81 लाख रुपए (गत वर्ष 2021.90 लाख रुपए) है।

ग) डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार निगम द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बनाई गई चिकित्सा योजनाओं के लिए कोष के संबंध में संलग्न एकल वित्तीय विवरणों में टिप्पणी संख्या 35(4)(झ)(ग)। 01.01.2007 से पहले और 01.01.2007 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए चिकित्सा योजना के लिए 31.03.2023 को कुल राशि क्रमशः 252.68 लाख रुपए (गत वर्ष 359.71 लाख रुपए) और 451.70 लाख रुपए (गत वर्ष 422.29 लाख रुपए) थी।

घ) डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार वर्ष 2022–23 के लिए निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी) के कारण 618.29 लाख रुपए (गत वर्ष रू. 754.12 लाख) की राशि के लिए निगम द्वारा किए गए तदर्थ प्रावधान के संबंध में संलग्न एकल वित्तीय विवरण में टिप्पणी 35(4)(ङ)।

उपर्युक्त मामले के संबंध में हमारी राय सीमित नहीं है।

एकल वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अलावा सूचना

अन्य सूचना के लिए निगम का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य सूचना में, प्रबंधन रिपोर्ट और अध्यक्ष का कथन शामिल की गई सूचना शामिल है परंतु इसमें वित्तीय विवरण और उन पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं है। वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य सूचना शामिल नहीं की गई है और हम उस पर किसी भी रूप में कोई आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी, ऊपर पहचान की गई अन्य सूचना को पढ़ना है, जब यह उपलब्ध हो और ऐसा करने में, यह विचार करना कि क्या अन्य सूचना अकेले वित्तीय विवरणों के या लेखापरीक्षा में प्राप्त की गई हमारी जानकारी के साथ सारवान रूप से सुसंगत है या अन्यथा सारवान रूप से अयथार्थ विवरण देने के रूप में प्रतीत होती है।

जब हम वार्षिक रिपोर्ट में शामिल अन्य सूचनाओं को पढ़ते हैं, और यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण शामिल है, तो हमें इस मामले में शाषी प्राधिकारियों के साथ संवाद करने की आवश्यकता होगी।

एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

ये एकल वित्तीय विवरण, जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मानकों सहित में आमतौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन मानकों के अनुसार निगम की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य–निष्पादन, (इक्विटी में परिवर्तन) और नकदी प्रवाह, की सही और सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए निगम का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। इस जिम्मेदारी में निगम की परिसंपत्तियों की रक्षा करने के लिए और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमिताओं का पता लगाने और उनकी रोकथाम के लिए, समुचित लेखांकन नीतियों के चयन और अनुप्रयोग ऐसे निर्णय लेने और अनुमान लगाने, जो तर्कसंगत और विवेकपूर्ण हों, ऐसे उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण, जो अकेले वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए सुसंगत लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और परिपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रचालरत हों, जो सच्ची और सही तस्वीर प्रस्तुत करते हों और सारवान मिथ्याकथन, चाहे धोखाधड़ी के कारण या गलती के कारण, से मुक्त हों, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड का रखरखाव भी शामिल है।

अकेले वित्तीय विवरण तैयार करने में, निदेशक मंडल, के चलते रहने वाले प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखे जाने की निगम की योग्यता का मूल्यांकन करने, चलते रहने वाले प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों के प्रकटीकरण, जैसा लागू हो, और लेखांकन के चलते रहने वाले आधार का इस्तेमाल करने, जब तक निदेशक मंडल या तो निगम के परिसमापन करने की या प्रचालन बंद करने की मंशा न रखे या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई अन्य वास्तविक विकल्प न हो, के लिए भी जिम्मेदार है।

यह निदेशक मंडल, निगम की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए भी जिम्मेदार है।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियाँ

हमारे उद्देश्य, इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या पूरे अकेले वित्तीय विवरण, सारवान मिथ्याकथन से मुक्त हैं, चाहे वे धोखाधड़ी के कारण हों या गलती के कारण, और लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना है, जिसमें हमारी राय शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन, आश्वासन का एक उच्चस्तर है परंतु यह गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा, सदैव किसी सारवान मिथ्या कथन का पता लगा लेगी, जब यह मौजूद हो। मिथ्या कथन, धोखाधड़ी या गलती से उत्पन्न हो सकता है और उसे सारवान तभी माना जाता है यदि अलग–अलग या स्वीकृत रूप से उनसे, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक विषयों को प्रभावित करने की संभावना हो।

लेखांकन मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय का इस्तेमाल करते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संदेह बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों के सारवान मिथ्या कथन के जोखिमों की पहचान करना और उनका मूल्यांकन करना, चाहे वे धोखाधड़ी के कारण हों या गलती के कारण और इन जोखिमों के प्रति लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार करना और लागू करना तथा ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना, जो हमारी राय के लिए एक आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और समुचित है। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप किसी सारवान मिथ्या कथन का पता न लगाए जाने का जोखिम गलती के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम की तुलना में उच्चतर होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूंकें, मिथ्यनिरूपण या आंतरिक नियंत्रणों का अधिक्रमण शामिल हो सकता है।
- ऐसी लेखपरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार करने की दृष्टि से, जो परिस्थितियों में समुचित हों, लेखापरीक्षा से सुसंगत आंतरिक नियंत्रण की समझबूझ प्राप्त करना। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3)(i) के अंतर्गत, हम इस पर भी अपनी राय

व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और उन नियंत्रणों का प्रचालनरत प्रभावीपन मौजूद हैं।

- इस्तेमाल की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित विगोपनों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के चल रहे प्रतिष्ठान आधार के प्रबंधन के इस्तेमाल की उपयुक्तता पर निष्कर्ष देना और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह पता लगाना कि क्या घटनाओं या शर्तों से संबंधित कोई सारवान अनिश्चितता मौजूद है, जो चल रहे प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखे जाने की निगम की योग्यता पर महत्त्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सारवान अनिश्चितता मौजूद है तो हमारे लिए यह आवश्यक होगा कि हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में, वित्तीय विवरणों में संबंधित विगोपनों की ओर ध्यान आकर्षित करें या यदि ये विगोपन हमारी राय संशोधित करने के लिए अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भावी घटनाएं या स्थितियां निगम के लिए एकचल रहे प्रतिष्ठान के रूप में जारी न रहने का कारण बन सकती हैं।
- विगोपनों सहित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण, संरचना और विषय–वस्तु का मूल्यांकन करना और क्या वित्तीय विवरण, किसी ऐसे तरीके से, जो उचित प्रस्तुतिकरण प्राप्त करता है, से अंतर्निहित लेन–देनों और घटनाओं को प्रदर्शित कर रहा है।

हम अन्य मामलों के साथ–साथ लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा आंतरिक नियंत्रण में किसी महत्त्वपूर्ण कमी, जिसका पता हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान लगाते हैं, सहित सारवान लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में अभिशासन के प्रभार वाले व्यक्तियों के साथ पत्र व्यवहार करते हैं।

हम अभिशासन के प्रभार वाले व्यक्तियों को एक विवरण भी उपलब्ध कराते हैं, जो हमने स्वतंत्रता के संबंध में सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं के साथ संकलित किया है और उनके साथपत्र व्यवहार करने के लिए सभी संबंध और अन्य मामले, जो हमारी स्वतंत्रता के संबंध में तर्कसंगत समझे जाते हैं और जहाँ लागू हों, संबंधित रक्षोपाय भी उपलब्ध कराते हैं।

अभिशासन के प्रभार वाले व्यक्तियों के साथ संसूचित मामलों से हम ऐसे मामले निर्धारित करते हैं जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्त्व के थे और इसलिए वे मुख्य लेखापरीक्षा के मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उन मामलों का वर्णन करते हैं। जब तक कानून या विनियम मामले के बारे में सार्वजनिक विगोपन से विवर्जित नहीं करते या जब अत्यधिक विरल परिस्थितियों में हम निर्धारित करते हैं कि कोई मामला हमारी रिपोर्ट में इसलिए संसूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों से यह आशा है कि वे इस संसूचन के सार्वजनिक हित लाभ को तर्कसंगत ढंग से समाप्त कर देंगे।

अन्य मामले

1. हमने निगम के वित्तीय विवरणों में शामिल किए गए उन 54 (पिछले वर्ष 54) शाखा कार्यालयों और तकनीकी केंद्रों के अकेले वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचनाएं, 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार 3,17,259.48 लाख रू. (31 मार्च, 2022 के अनुसार 2,98,451.15 लाख रुपए) की कुल परिसपत्तियां और उस तारीख को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों में यथानिर्धारित 2,72,151.38 लाख रुपए (पिछले वर्ष 2,59,702.55 लाख रुपए) का कुल राजस्व दर्शाते हैं, जैसाकि वित्तीय विवरणों पर विचार किया गया है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरण/सूचनाओं की लेखापरीक्षा उन स्वतंत्र लेखापरीक्षकों जिनकी नियुक्ति, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और हमारी राय, जहाँ तक यह इन शाखाओं के संबंध में शामिल की गई राशियों और प्रकटनों का संबंध है, यह पूर्णतः उन शाखाओं के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।
2. दिल्ली शाखा के शाखा लेखा परीक्षक ने उल्लेख किया है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान बैंक गारंटी के आह्वान के कारण केनरा बैंक (पूर्व में सिंडिकेट बैंक) से वसूली योग्य राशि बैंक द्वारा आज तक बकाया है। शाखा ने बैंक गारंटी के प्रति रु. 298.97 लाख की कुल बकाया राशि को अच्छा और पूरी तरह से वसूली योग्य माना है। प्रबंधन ने संकेत दिया कि वे सुनिश्चित हैं और कानूनी राय द्वारा भी समर्थित है कि राशि पूरी तरह से वसूली योग्य है और तदनुसार अच्छी और सुरक्षित मानी गई है। शाखा की लेखा नीति के अनुसार प्रावधान के अलावा कोई अन्य प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि यह मामला माननीय एनसीएलटी अदालत के अधीन विचारधीन है।

इन मामलों के संबंध में हमारे अभिमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. जैसाकि कम्पनी अधिनियम (2013) की धारा 143 की

उप–धारा (11) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") द्वारा अपेक्षित है, हम उक्त आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर लागू सीमा तक एक विवरण **"अनुबंध–क"** देते हैं।

2. (क) जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक थे।

(ख) हमारी राय में निगम ने कानून के अधीन अपेक्षित उचित लेखा–बहियांरखी हैं, जैसाकि लेखा–बहियों की जांच करने से हमें पता चला है और हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए उन शाखाओं और तकनीकी केंद्रों से पर्याप्त उचित विवरण प्राप्त किए गए हैं, जिनका हमने दौरा नहीं किया है।

(ग) शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के अंतर्गत कंपनी के लेखापरीक्षित शाखा कार्यालयों और तकनीकी केंद्रों के खातों की रिपोर्ट हमें भेजी गई है और हमारे द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार करने में, इन्हें उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

(घ) तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), (इक्विटी में परिवर्तन के विवरण) और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए नगदी प्रवाह विवरण, लेखा–बहियों और शाखाएँ जो हमारे द्वारा नहीं देखी गईं, से प्राप्त विवरणियों के साथ सहमति में हैं।

(ङ) हमारी राय में, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुरूप है।

(च) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (असाधारण) (ई) दिनांक 05–06–2015 के अनुसार, इस अधिनियम की धारा 164 की उपधारा–2 के प्रावधान इस निगम पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।

(छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों के प्रचालनात्मक प्रभावीपन के संबंध में अनुबंध "ख" के रूप में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।

(ख) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षकों) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसारः

(i) निगम ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है – संलग्न एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 33 देखें।

(ii) निगम के पास व्युत्पत्ति संविदाओं सहित कोई ऐसी दीर्घावधि संविदा नहीं थी, जिनके लिए कोई महत्त्वपूर्ण अनुमानित हानियां थीं।

(iii) कोई ऐसी राशियाँ नहीं थीं, जिन्हें निगम द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाना अपेक्षित था।

(iv) (क) प्रबंधन ने प्रतिवेदित किया है, कि अपने सर्वोत्तम संज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में, विदेशी संस्थाओं सहित ('मध्यवर्ती संस्थाएँ'), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में प्रलेखित किया गया हो या अन्यथा किसी भी फंड को अग्रिम तौर पर दिया या ऋण या निवेश (या तो उधार ली गई धनराशि से, या शेयर प्रीमियम, या किसी अन्य स्रोत, या किसी प्रकार की निधि से) नहीं किया गया है, कि मध्यवर्ती संस्था; 'प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों अथवा संस्थाओं में ('अंतिम लाभार्थियो') उधार देगा या निवेश करेगा; अथवा 'अंतिम लाभार्थियों' को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई प्रतिभूति प्रदान करेगा;

(ख) प्रबंधन ने प्रतिवेदित किया है, कि अपने सर्वोत्तम संज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से कोई धन प्राप्त नहीं किया गया है, जिसमें विदेशी संस्थाएं ('वित्त पोषक पार्टियां') शामिल हैं, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में प्रलेखित किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी; 'प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वित्त पोषक पार्टियों द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों अथवा संस्थाओं में ('अंतिम लाभार्थियो') उधार देगा या निवेश करेगा; अथवा 'अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई प्रतिभूति प्रदान करेगा।

(ग) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें उन परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप–खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदित, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण गलत विवरण प्रदान किया गया है।

(v) वर्ष के दौरान, निगम ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के अनुपालन में वित्त वर्ष 2021–22 से संबंधित लाभांश की घोषणा और भुगतान किया है।

(vi) कंपनी (लेखा) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 3(1) का परंतु, जो लेखा बहियों में निगम द्वारा प्रयुक्त लेखापरीक्षा ट्रेल, संपादन लॉग और उपयोग किए गए लेखांकन सॉफ्टवेयर में संबंधित मामलों की सुविधा प्रदान करता है, केवल 1 अप्रैल, 2023 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष से निगम पर लागू होता है, कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 11 के खंड (छ) के तहत रिपोर्टिंग वर्तमान में लागू नहीं है।

(ग) अधिनियम के 197 (16) के अंतर्गत लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुसार शामिल किए जाने वाले मामलों के संबंध में:

हमारी राय में और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार एमसीए की तारीख 05 जून. 2015 की अधिसूचना के अंतर्गत सरकारी कंपनियों प्रबंधकीय वर्ग का पारिश्रमिक के बारे में कंपनी अधिनियम के साथ पठित धारा 197 उपबंधों (V) के अनुप्रयोज्यता से छूट प्राप्त है।

3. हमारे द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसरण में मुख्य कार्यालय के 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के खातों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा 54 शाखा कार्यालयों और तकनीकी केंद्रों की लेखापरीक्षा के संबंध में तैयार की गई **"अनुबंध–ग"** के रूप में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।

गोयल पारूल एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 016750एन

ह./–
(पारुल गोयल)
साझेदार
सदस्यता सं. 099172
यूडीआईएन नः 23099172बीजीवीजेडएटी9630

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 28.08.2023

एकल भारतीय-लेखांकन मानक (इंड-एएस) वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध 'क'

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के एकल भारतीय–लेखांकन मानक (इंड–एएस) वित्तीय विवरणों पर सम–तिथि की स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट में हमारे 'अन्य कानूनी नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत अनुच्छेद 1 में संदर्भित अनुबंध के संबंध में, हम रिपोर्ट करता हैं कि:–

(i) निगम की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति के संबंध में:

(क) (क) निगम ने, मात्रात्मक विवरण और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की स्थिति सहित पूरा विवरण दर्शाने वाले उचित रिकार्ड रखे हैं।

(ख) निगम ने अमूर्त संपत्तियों का पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित प्रलेखों को अनुरक्षित किया है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, निगम के आकार और उसकी संपत्ति की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों को प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है, और इस तरह के सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गईं।

(ग) वित्तीय विवरणों में प्रकट सभी अचल संपत्तियों (उन संपत्तियों के अलावा, जहाँ निगम पट्टेदार है, और पट्टा समझौतों को पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किया गया है) के प्राधिकार विलेख, निगम के नाम पर निष्पादित/धारित किए जाते हैं, सिवाय निम्नलिखित को छोडकर:–

तुलन पत्रों में प्रासंगिक पंक्ति मदें	संपत्ति की वस्तु का विवरण	सकल वहन मूल्य (रु. लाख में)	निम्न के नाम पर धारित प्राधिकार विलेख	क्या प्राधिकार विलेख धारक प्रमोटर/ निदेशक का प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार # प्रमोटर/ निदेशक का कर्मचारी है	किस तिथि से संपत्ति का धारण किया गया है	एनएसआईसी के नाम पर धारण नहीं किए जाने का कारण
पीपीई	तकनीकी केंद्र हावड़ा में भूमि	1.60	टिप्पणी–1 देखें	नहीं	1959-60	–
पीपीई	शाखा कार्यालय मुंबई में फ्लैट	11.52	टिप्पणी–2 देखें	नहीं	1988	–

टिप्पणी–1: यद्यपि स्वामित्व विलेख एनएसआईसी के नाम पर रखे गए हैं, तथापि, स्थानीय सरकार से शीर्षक कार्यों की भौतिक हार्ड कॉपी प्राप्त करने का मामला प्रक्रियाधीन है।

टिप्पणी–2: तिलक नगर, चेंबुर में सोसायटी का पुनर्विकास, जिसमें एनएसआईसी के छह फ्लैट हैं, पूरा हो चुका है और उसका स्वामित्व विलेख एनएसआईसी के नाम पर है। नए फ्लैट एनएसआईसी के कब्जे में हैं। हालाँकि, संबंधित सरकारी प्राधिकारी से दस्तावेज की भौतिक हार्ड कॉपी (स्वामित्व विलेख सहित) अभी तक प्राप्त नहीं की गई है।

(घ) निगम ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार की संपत्ति सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (वर्ष 1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के लिए निगम के खिलाफ कोई कार्यवाही आरंभ नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

(ii) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांचे गए अभिलेखों के अनुसार, प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारी राय में, प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया उचित है।

अभिलेखों की खाता–बहियों की तुलना में प्रबंधन द्वारा स्टॉक के भौतिक सत्यापन पर इन्वेंट्री के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मिलाकर 10% या उससे अधिक की कोई विसंगति नहीं देखी गई।

(ख) निगम को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर, वर्ष के दौरान किसी भी समय, कुल मिलाकर रु. 5 करोड़ से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा बैंकों या वित्तीय संस्थान से स्वीकृत की गई है। निगम द्वारा ऐसे बैंक या वित्तीय संस्थान के साथ दाखिल विवरण की त्रैमासिक विवरणियां निगम के खाता–बहियों के अनुरूप है।

(iii) हमारे अभिमत में और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, निगम ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारों या किसी अन्य पक्ष को कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है। निगम ने निवेश किया है और वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारों और अन्य पार्टियों को सुरक्षित ऋण प्रदान किया है।

(क) हमारे अभिमत में और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, निगम का एक प्रमुख व्यवसाय ऋण प्रदान करना है (कंपनी आरबीआई के नियमों के अनुसार एक गैर–प्रमुख निवेश कंपनी है), और इसलिए आदेश के खंड 3 (iii)(क) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(ख) हमारे अभिमत में और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, दिए गए ऋण के नियम और शर्तें कंपनी के हितों के प्रतिकूल नहीं हैं।

(ग) हमारे अभिमत में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, मूलधन की अदायगी और ब्याज के भुगतान की अनुसूची निर्धारित की गई है, और प्राप्तियाँ आम तौर पर नियमित होती हैं।

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, निगम द्वारा दिए गए ऋणों की अतिदेय राशियाँ निम्नलिखित हैं। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार एवं हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, निगम ने मूलधन और ब्याज की वसूली के लिए उचित कदम उठाए हैं। हालांकि, 90 दिनों से अधिक के अतिदेय पर ब्याज को आय के रूप में मान्यता नहीं दी गई है और सुरक्षा के रूप में ली गई बैंक गारंटी के मूल्य के साथ कुल बकाया (मूलधन + ब्याज)।

(रू. लाख में)

मामलों की संख्या	मूल राशि अतिदेय	ब्याज अतिदेय	कुल अतिदेय	टिप्पणियाँ (यदि कोई)
246	28496.41	295.90	28792.31	शाखा लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

(ङ) हमारे अभिमत में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी आरबीआई के नियमों के अनुसार एक गैर–प्रमुख निवेश कंपनी है, और इसलिए आदेश के खंड 3(iii)(ङ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(च) निगम ने ऋण की प्रकृति में ऐसा कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है, जो या तो मांग पर चुकाने योग्य या पुनर्भुगतान की कोई शर्तें निर्दिष्ट किए बिना है, और इसलिए आदेश का 3(iii)(च) कंपनी पर लागू नहीं है।

(iv) हमारे अभिमत में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, और हमारे द्वारा संचालित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, वर्ष के दौरान प्रदान की गई प्रतिभूतियाँ, और निगम द्वारा किए गए निवेश, ऋण और अग्रिम, गारंटी और के संबंध में, निगम ने अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

(v) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, निगम ने किसी भी जमा या राशि को स्वीकार नहीं किया है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 73 से 76 या अधिनियम के किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रावधान और उसके तहत बनाए गए प्रासंगिक नियम के प्रावधानों के तहत जारी निर्देश के अर्थ में जनता से जमा माना जाता है। इसलिए, आदेश के खंड 3(v) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(vi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की

उप–धारा (1) के खंड (डी) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्धारित नहीं किया है।

(vii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार सांविधिक देय राशि के संबंध में:

(क) निगम द्वारा भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और लागू अन्य किसी सांविधिक देय राशियों सहित अविवादित सांविधिक देय राशियां उपयुक्त प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा कराई जाती हैं। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त सांविधिक देय राशियों के संबंध में उनके देय होने की तारीख से 6 महीने से अधिक की अवधि के लिए 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार कोई अविवादित राशि देय नहीं थी।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, माल और सेवा कर (जीएसटी), उपकर का ऐसा कोई बकाया नहीं है, जिसे निम्नलिखित के अलावा किसी भी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है:–

क्र. सं.	संविधि की प्रकृति	देय राशियों का स्वरूप	धनराशि (लाख रु. में)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	मंच, जहाँ विवाद लंबित है
1	सीएसटी अधिनियम, 1956	केंद्रीय बिक्री कर	0.49	2009–10	अपीलीय उपायुक्त, सीटी (III), चेन्नई
2	सीएसटी अधिनियम, 1956	केंद्रीय बिक्री कर	0.56	2011–12	अपीलीय उपायुक्त, सीटी (III), चेन्नई
3	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	3.29	2009–10	सेवा कर आयुक्त, चेन्नई
4	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	50.89	2015–16 से 2016–17	सेवा कर आयुक्त, चेन्नई
5	वाणिज्यिक कर	वाणिज्यिक कर	13.97	2012–13 एवं 2013–14	संयुक्त आयुक्त, बिक्री कर, कटक, उड़ीसा
6	बिक्री कर अधिनियम	सेवा कर	9.56	अक्टूबर 2007 से जून 2012	अपीलीय न्यायाधिकरण, इलाहाबाद
7	बिक्री कर अधिनियम	डिफरेंशियल टैक्स, ब्याज और जुर्माना	15.88	2005–06	बिक्री कर, उपायुक्त – अपील (मुम्बई)
8	बिक्री कर अधिनियम	डिफरेंशियल टैक्स, ब्याज और जुर्माना	23.92	2009–10	बिक्री कर, उपायुक्त – अपील (मुम्बई)
9	बिक्री कर अधिनियम	डिफरेंशियल टैक्स, ब्याज और जुर्माना	231.24	2012–13	बिक्री कर, संयुक्त आयुक्त, अपील (मुम्बई)
10	बिक्री कर अधिनियम	डिफरेंशियल टैक्स, ब्याज और जुर्माना	18.92	2013–14	बिक्री कर, उपायुक्त – अपील (मुम्बई)
11	बिक्री कर अधिनियम	डिफरेंशियल टैक्स, ब्याज और जुर्माना	46.97	2014–15	बिक्री कर, संयुक्त आयुक्त, अपील (मुम्बई)
12	बिक्री कर अधिनियम	डिफरेंशियल टैक्स, ब्याज और जुर्माना	82.43	2015–16	बिक्री कर, संयुक्त आयुक्त, अपील (मुम्बई)
13	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर	सेवा कर और जुर्माना	1.85	2015–16 से 2016–17	सीमा शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटी एटी), इलाहाबाद
14	जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017	जीएसटी राज्य उपकर	71.08	2018–19	संयुक्त आयुक्त केन्द्रीय कर (अपील), कटक
15	उड़ीसा वैट अधिनियम	बिक्री कर	13.89	2014–15	बिक्री कर, संयुक्त आयुक्त, कटक
16	आय कर अधिनियम	आयकर नियमित मांग	18.39	2016–17	सीआईटी (अपीलस), IX नई दिल्ली
17	आय कर अधिनियम	सेवा कर	0.08	2017–18	डीसीआईटी, सर्कल – 25(1), नई दिल्ली
	कुल		**603.41**		

(viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऐसा कोई लेनदेन नहीं है, जो लेखा–बहियों में दर्ज नहीं किया गया हो, जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्यर्पित किया गया हो अथवा आय के रूप में प्रकट किया गया हो।

(ix) (क) हमारे अभिमत में और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, निगम ने ऋण या अन्य उधारी की अदायगी में, अथवा उस पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं की है।

(ख) हमारे अभिमत में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, बैंक अथवा वित्तीय संस्थान, या अन्य ऋणदाता द्वारा निगम को जानबूझ कर चूककर्ता (विलफुल डिफॉल्टर) घोषित नहीं किया गया है।

(ग) हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, निगम ने वर्ष के दौरान सावधि ऋण के रूप में प्राप्त धन का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए किया है जिसके लिए उन्हें प्राप्त किया गया था।

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण एवं हमारे द्वारा निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के अनुसार, और निगम के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि अल्पकालिक आधार पर जुटाए गए किसी भी धन का उपयोग निगम द्वारा दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है।

(ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा निगम के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि निगम ने अपनी सहायक कंपनियों, अनुषंगी सहयोगी, या संयुक्त उद्यम के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है।

(च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण एवं हमारे द्वारा निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि निगम ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण नहीं लिया है।

(x) (क) निगम ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश, अथवा आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है।

(ख) निगम ने वर्ष के दौरान कोई रियायती/अधिमान्य आवंटन, या शेयरों का निजी स्थापन, या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह या आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से) नहीं किया है।

(xi) (क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान निगम द्वारा कोई धोखाधड़ी या निगम पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी अथवा रिपोर्ट की गई है, और इसलिए आदेश के खंड 3(xi) (क) और (ख) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(ख) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, निगम को इस रिपोर्ट की तारीख तक कोई मुखबिर (व्हिसल ब्लोअर) शिकायत नहीं मिली है, और इसलिए आदेश के खंड 3(xi)(ग) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(xii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, निगम एक निधि कंपनी नहीं है, और निधि नियम, 2014 इस पर लागू नहीं होते हैं। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xii) लागू नहीं होता है।

(xiii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेन–देन कंपनी अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहाँ लागू हो और विवरण का वित्तीय विवरणों में विधिवत खुलासा किया गया है।

(xiv) (क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, निगम के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

(ख) लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार किया गया है।

(xv) हमारी राय में वर्ष के दौरान निगम ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है, और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान निगम पर लागू नहीं होते हैं।

(xvi) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, निगम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के तहत पंजीकृत है, और इसे पंजीकरण संख्या एन.14–03090 दिनांक 29.12.2005 एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में व्यवसाय करने के लिए जारी किया गया है।

(ख) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार, निगम ने भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकरण के वैध प्रमाण पत्र के बिना कोई गैर–बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियों का संचालन नहीं किया है। निगम को गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी का व्यवसाय करने के लिए पंजीकरण संख्या एन.14.03090 दिनांक 29.12.2005 का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।

(ग) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, निगम एक प्रमुख निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है जैसा कि आरबीआई द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है। तदनुसार आदेश के खंड 3(xvi)(ग) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(घ) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, समूह के भीतर कोई प्रमुख निवेश कंपनी नहीं है (जैसा कि कोर निवेश कंपनियों (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016 में परिभाषित किया गया है), और तदनुसार आदेश के खंड 3 (xvi)(घ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(xvii) हमारी लेखापरीक्षा द्वारा शामिल किए गए वित्तीय वर्ष के दौरान, और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान निगम को कोई नकद हानि नहीं हुई है।

(xviii) वर्ष के दौरान निगम के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है।

(xix) वित्तीय अनुपात, जीवनकाल के घटने और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली तथा वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों के आधार पर, साथ ही वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, और निदेशक मंडल एवं प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी, और साक्ष्यों के हमारे सत्यापन के आधार पर व मान्यताओं का समर्थन करते हुए, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जो हमें विश्वास दिलाता है कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख के अनुसार कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तथा जो यह दर्शाता हो कि निगम तुलन पत्र की तारीख में अपनी मौजूदा देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, जैसा कि और जब वे तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय हो जाते हैं। हालांकि, हम प्रतिवेदित करते हैं कि यह निगम की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे वर्णित करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है, और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि सभी देनदारियों का निबटान कर दिया जाएगा, जैसा कि और जब वे तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय हो जाते हैं।

(xx) हमारे राय में और हमें दी गई जानकारी के अनुसार, कंपनी अधिनियम की धारा 135 की धारा (5) के तहत किसी भी चल रही परियोजना के अनुसार या चल रही परियोजना के अलावा कोई भी राशि खर्च नहीं की गई है, इसलिए आदेश के खंड 3(xx) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

गोयल पारूल एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 016750एन

ह./–
(पारुल गोयल)
साझेदार
सदस्यता सं. 099172
यूडीआईएन नः 23099172बीजीवीजेडएटी9630

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 28.08.2023

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के एकल भारतीय लेखाकंन मानक वित्तीय विवरणों पर सम तिथि की स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध 'ख'

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार **राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड** ("कंपनी") के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की उस तारीख को समाप्त वर्ष के कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ मिलाकर लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में प्रबंधक–वर्ग की जिम्मेदारी

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा संबंधी दिशा–निर्देश टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए निगम का प्रबंधक–वर्ग जिम्मेदार होता है। इस जिम्मेदारी में ऐसा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार करना, लागू करना और बनाए रखना भी शामिल है जो इसके कारोबार का विधिवत और प्रभावी रूप से संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहा हो। इसमें कंपनी की नीतियों, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, कपट और त्रुटि का निवारण तथा पता लगाना, लेखाकरण अभिलेखों की यथार्थता और पूर्णता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार करना भी शामिल है।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित वित्तीय निगम के आंतारिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक टिप्पणी ("मार्गदर्शक टिप्पणी") तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा, दोनों पर प्रयोज्य सीमा तक लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित माने जाने वाले भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार की है। इन मानकों और मार्गदर्शक टिप्पणी द्वारा यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखापरीक्षा का नियोजन इस प्रकार करें, जिनसे यह उपयुक्त आश्वासन प्राप्त हो कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण स्थापित किए गए हैं और उनका संचालन किया गया एवं क्या ऐसे नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उसकी प्रचालन प्रभावोत्पादकता के बारे में लेखापरीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं अपनाना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करने, जोखिम, जिनसे महत्त्वपूर्ण हानि होती है, का निर्धारण तथा निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय प्रणाली की प्रचालन प्रभावोत्पादकता की जांच तथा मूल्यांकन एवं निरूपण शामिल है। चयन की प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षणों के निर्णयों पर आधारित होती हैं, जिनमें वित्तीय विवरणों की महत्त्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी हो या त्रुटि हो, के जोखिमों का निर्धारण भी शामिल करना है।

हम विश्वास करते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त किया है, वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की हमारी लेखापरीक्षा की अर्हक राय का आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और समुचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों से तात्पर्य

वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन देने और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए बनाई गई है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो (1) अभिलेखों को उचित विवरणों, यथार्थता से बनाए रखने से संबंधित हों और जिनमें कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन–देन या निपटान को सही तरीके से दर्शाया गया हो, (2) इस संबंध में उचित आश्वासन दे कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आवश्यक लेन–देनों को दर्ज किया गया है और कंपनी की प्राप्तियों और व्यय को कंपनी के प्रबंधक वर्ग और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही किया जाता है, और (3) अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या कंपनी की परिसंपत्तियों के निपटान का निवारण करने या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन देता है, जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएँ

प्रबंधन की मिलीभगत की संभावना या अनुचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रण अधिभावी करने सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाओं से त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्त्वपूर्ण मिथ्या कथन किया जा सकता हो और जिसका पता नहीं लग पाया हो, शामिल है। इसके अलावा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर किसी मूल्यांकन को भविष्य में दर्शाना, जिससे जोखिम हो सकता है और जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में बदली हुई स्थितियों में अपर्याप्त हो सकता है या जिनसे नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा में गिरावट आ सकती हो।

अर्हक रायः

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों तथा हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, 31 मार्च 2023 को यथास्थिति निम्नलिखित प्रमुख कमियों का पता चलता हैः

1. उधारकर्ता के वित्तीय विवरणों/खातों की समीक्षा, कुछ मामलों में शेष राशि की आवधिक पुष्टि और इकाइयों को स्वीकृत सीमा के नवीनीकरण की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से लागू/निगरानी नहीं की गई थी। प्रबंधन ने बताया कि इसके प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में इसकी समीक्षा और संशोधन किया जाएगा।

2. जोखिम प्रबंधन नीति, रणनीति, उसके दस्तावेजीकरण आदि के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को और मजबूत करने की आवश्यकता है। प्रबंधन ने बताया कि इसकी समय–समय पर समीक्षा की जाती है और इसे निरंतर आधार पर लागू किया जाता है।

3. वित्तीय विवरणों की तैयारी और रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को और मजबूत करने की आवश्यकता है और किसी भी मैन्युअल हस्तक्षेप से बचने के लिए, एक एकीकृत लेखांकन पैकेज को लागू किए जाने की आवश्यकता है।

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, नियंत्रण मापदंड के उद्देश्यों की प्राप्ति पर ऊपर दी गई महत्त्वपूर्ण कमियों के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने सभी प्रकार से महत्त्वपूर्ण वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखा है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण "भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर मार्गदर्शक टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक संघटकों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण" के आधार पर 31 मार्च, 2023 को यथास्थिति प्रभावी ढंग से प्रचालनरत थे।

अन्य मामले

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रभावशीलता पर हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत अब तक की 54 शाखाओं/कार्यालयों की वित्तीय विवरणों/सूचनाओं से संबंधित है जिन्हें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त स्वतंत्र

लेखा परीक्षकों ने इस तरह की शाखाओं/कार्यालयों के लेखा परीक्षकों के लेखा परीक्षण रिपोर्ट पर आधारित है। तकनीकी केंद्रों और एनवीसीएफएल सहित की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जो ऐसी शाखाओं/कार्यालयों/कंपनियों के लेखापरीक्षकों की संबंधित रिपोर्ट पर आधारित है।

एनटीएससी–ओखला का शाखा लेखा परीक्षक ने शाखा के आंतरिक नियंत्रण में कई कमियों की सूचना दी है। इन कमियों में मुख्य रूप से ई–रिक्शा की खरीद प्रक्रिया में कमी, परफॉर्मा चालान की तुलना में वास्तविक चालान में सामग्री के विनिर्देश में विसंगतियां, अतिदेय के मामले में अनुवर्ती प्रणाली में कमजोरी, खरीदे गए निरीक्षण सामग्री की प्रक्रिया में कमी शामिल है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय सीमित नहीं है।

गोयल पारूल एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 016750एन

ह./–
(पारुल गोयल)
साझेदार
सदस्यता सं. 099172
यूडीआईएन नः 23099172बीजीवीजेडएटी9630

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 28.08.2023

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के एकल भारतीय लेखाकंन मानक वित्तीय विवरणों पर समतिथि की स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध 'ग'

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एकल भारतीय लेखाकंन मानक वित्तीय विवरणों पर सदस्यों को समतिथि की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य विधिक विनियामक अपेक्षाएं' भाग पर हमारी रिपोर्ट के अंतर्गत पैराग्राफ "3" में उल्लिखित अनुबंध

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए अन्य स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा किए गए तकनीकी सेवा केन्द्रों सहित 54 शाखा कार्यालयों और हमारे द्वारा लेखा परीक्षा किए गए **राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली** के लेखाओं के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर रिपोर्ट।

क्र. सं.	दिशा–निर्देश	उत्तर
I	क्या कंपनी में सभी लेखांकन लेन–देन आईटी प्रणाली के जरिए प्रोसेस करने की प्रणाली विद्यमान है? यदि हाँ तो वित्तीय प्रभावों, यदि कोई हैं, के साथ–साथ लेखांकन के एकीकरण पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन–देनों की प्रोसेसिंग के प्रभावों का उल्लेख किया जाए।	जी, हां, निगम में सभी लेखांकन लेन–देन आईटी प्रणाली के जरिए प्रोसेस करने के लिए प्रणाली विद्यमान है। निगम, लेखांकन के लिए टेली (ईआरपी 9) और स्टोव सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा है। आरएमए वित्तपोषण के लिए आरएमए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा है। तथापि, टेली अब एकीकृत किया जा रहा है। लेखापरीक्षा की गई शाखाओं की रिपोर्टों, अपनाई गई लेखापरीक्षा प्रक्रिया के आधार पर और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार आईटी प्रणाली के बाहर कोई लेखांकन लेन–देन प्रोसेस नहीं किया गया है/ना ही बाहर लेकर गए हैं।
II	क्या ऋण की अदायगी के लिए कंपनी की देयता के कारण, कंपनी को ऋणदाताओं द्वारा दिए गए कर्जों/ऋणों/ब्याज आदि की छूट/बट्टेखाते डालने के मामलों या मौजूद ऋण की कोई पुनर्संरचना की गई है? यदि हाँ तो वित्तीय प्रभाव का उल्लेख किया जाए।	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर किसी मौजूदा ऋण या निगम को किसी ऋणदाता द्वारा दिए गए कर्जों/ऋणों/ब्याज आदि के मामलों की कोई पुनर्संरचना नहीं की गई है।
III	क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट स्कीमों के लिए प्राप्त/प्राप्तव्य धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) का इसके नियम और शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार उनका उपयोग किया गया है? विपथन के मामलों की सूची दें।	लेखा परीक्षित शाखा रिपोर्टों के आधार पर, हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित नियमों और शर्तों के अनुसार उपयोग की गई केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त करने योग्य अभिलेखों की हमारी जांच पर आधारित हैं।

गोयल पारूल एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 016750एन

ह./–
(पारुल गोयल)
साझेदार
सदस्यता सं. 099172
यूडीआईएन नः 23099172बीजीवीजेडएटी9630

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 28.08.2023

अनुपालन संबंधी प्रमाणपत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लेखाओं की लेखापरीक्षा की है और प्रमाणित किया जाता है कि हमने, हमें जारी किए गए सभी निर्देशों/ उप–निर्देशों का पालन किया है।

गोयल पारूल एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 016750एन

ह./–
(पारुल गोयल)
साझेदार
सदस्यता सं. 099172
यूडीआईएन नः 23099172बीजीवीजेडएटी9630

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 28.08.2023

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

निदेशक मंडल
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड
ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट,
नई दिल्ली–110020

महोदय,

जैसाकि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी "गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016" द्वारा, उक्त निदेशों के अध्याय–II में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में निगम पर यथाप्रयोज्य सीमा तक यथापेक्षित है और लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:–

1) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के अनुसरण में, कंपनी ने पंजीकरण संख्या एन–14.03090 दिनांक 29.12.2005 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, जिससे कंपनी को गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने की अनुमति मिली है;

2) निदेशक मंडल ने 9 दिसंबर 1998 को भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना भविष्य में सार्वजनिक जमा स्वीकार न करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है; जिसकी 12 दिसंबर 2005 को पारित किए गए बोर्ड के प्रस्ताव में पुनः पुष्टि की गई है।

3) कंपनी ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं किए हैं।

4) निगम 31 मार्च 2023 तक अपने प्रमुख व्यवसाय मानदंड (वित्तीय परिसंपत्ति/आय पैटर्न) के संदर्भ में पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) जारी रखने का हकदार है।

5) निगम मास्टर निदेश–गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी–व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण जमा न लेने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 में निर्धारित आवश्यक निवल स्वाधिकृत निधि संबंधी अपेक्षा को पूरा कर रहा है।

6) आरबीआई अधिसूचना संख्या आरबीआई/2019–20/170 डीओआर (एनबीएफसी) सीसी.पीडी.सं. 109/22.10.106/2019–20 दिनांक 13.03.2020 के आधार पर, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के नियम 4 के अंतर्गत आने वाली गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को वर्ष 2019–20 और उसके बाद के वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए भारतीय लेखांकन मानकों (इंडएएस) का अनुपालन करना आवश्यक है। इसलिए, वित्तीय वर्ष 2019–20 से, इंडएएस–109 के संदर्भ में ईसीएल को वित्तीय लिखतों पर हानि भत्ते के रूप में मान्यता दी गई है।

7) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 की सभी तिमाहियों के लिए संबंधित तिमाहियों के अनंतिम वित्तीय परिणामों के आधार पर पूंजीगत निधियों, जोखिम परिसंपत्तियों/एक्सपोजर और जोखिम परिसंपत्ति अनुपात (डीएनबीएस03 रिटर्न) का विवरण दाखिल किया गया है जो आरबीआई के मानदंडों के अनुपालन में सीआरएआर सहित निर्धारित अवधि के भीतर दाखिल करने की तिथि पर किया गया है। इसके अलावा, 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर सीआरएआर का परिकलन सही ढंग से किया गया है और यह आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीआरएआर के अनुपालन में है।

गोयल पारूल एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 016750एन

ह./–
(पारुल गोयल)
साझेदार
सदस्यता सं. 099172
यूडीआईएन नः 23099172बीजीवीजेडएटी9630

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 28.08.2023

सांविधिक लेखापरीक्षक प्रमाणपत्र (एसएसी)

हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के प्रधान कार्यालय में रखे गए लेखा–विवरणों और अन्य अभिलेखों की जांच की है। हमें प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर, हम निम्नलिखित को प्रमाणित करते हैं:–

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा
1.	कंपनी का नाम	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड
2.	पंजीकरण संख्या का प्रमाण पत्र	एन.14.03090
3.	पंजीकृत कार्यालय का पता	एनएसआईसी भवन, ओखला औद्योगिक एस्टेट, नई दिल्ली–110020
4.	कॉर्पोरेट कार्यालय का पता	–वही–
5.	कंपनी को आरबीआई द्वारा निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है: (निवेश कंपनी / ऋण कंपनी / एएफसी / एनबीएफसी–एमएफआई / एनबीएफसी–फैक्टर / आईएफसी / आईडीएफ–एनबीएफसी)	ऋण कंपनी
6.	निवल स्वाधिकृत निधि (करोड़ रुपये में)	1076.06
7.	(इसकी गणना अनुबंध में दी गई है) कुल परिसंपत्तियाँ (करोड़ रुपये में)	3308.18
8.	परिसंपत्ति–आय पैटर्न: (आरबीआई की प्रेस विज्ञप्ति 1998–99 / 1269 दिनांक 8 अप्रैल 1999 के संदर्भ में) (क) कुल परिसंपत्ति में वित्तीय परिसंपत्तियों का % (ख) सकल आय में वित्तीय आय का % (एनबीएफसी–फैक्टर / एनबीएफसी–एमएफआई / एएफसी / आईएफसी की भी नीचे अलग से रिपोर्ट कर सकते हैं)	 88.66% 68.64%
9.	क्या 31 मार्च, 2023 तक कंपनी के पास कोई सार्वजनिक जमा राशि थी? यदि हाँ, तो राशि करोड़ में	नहीं
10.	क्या कंपनी ने वर्ष के लिए अपने निवल लाभ की कम से कम 20% राशि को आरक्षित निधि में स्थानांतरित कर दिया है? (आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईसी के अनुसार)।	हाँ
11.	क्या कंपनी को कोई एफडीआई मिला है? यदि हाँ, तो क्या कंपनी ने एफडीआई के न्यूनतम पूंजीकरण मानदंडों का अनुपालन किया?	नहीं

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा
12.	यदि कंपनी को एनबीएफसी–फैक्टर के रूप में वर्गीकृत किया गया है; (क) कुल परिसंपत्ति में फैक्टरिंग परिसंपत्ति का % (ख) सकल आय में फैक्टरिंग आय का %	लागू नहीं
13.	निगम को एनबीएफसी–एमएफआई के रूप में वर्गीकृत किया गया है; निवल परिसंपत्तियों में अर्हक परिसंपत्तियों का प्रतिशत (02 दिसंबर 2011 की अधिसूचना डीएनबीएस.पीडी.सं. 234सीजीएम(यूएस) 2011 देखें)	लागू नहीं
14.	यदि कंपनी को एएफसी के रूप में वर्गीकृत किया गया है; (क) कुल परिसंपत्तियों के संदर्भ में आर्थिक कार्यकलाप में सहायक भौतिक/वास्तविक परिसंपत्ति के निर्माण के लिए दिए गए अग्रिमों का % (ख) कुल आय के संदर्भ में इन परिसंपत्तियों से उत्पन्न आय का %	लागू नहीं
15.	यदि कंपनी को एनबीएफसी–आईएफसी के रूप में वर्गीकृत किया गया है तो कुल परिसंपत्तियों के संदर्भ में बुनियादी ढांचा ऋण का %	लागू नहीं
16.	क्या वर्ष के दौरान कोई अधिग्रहण/नियंत्रण का अधिग्रहण/शेयरधारिता/प्रबंधन में कोई परिवर्तन हुआ है जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्वानुमोदन की आवश्यकता हुई? (विवरण के लिए कृपया इस विषय पर 09 जुलाई 2015 का डीएनबीआर (पीडी) सीसी.सं.065/03.10.001/2015–16 देखें)	लागू नहीं

मास्टर निदेश–गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट (रिजर्व बैंक) निदेश, दिनांक 29 सितंबर 2016 के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल के लिए एक अलग रिपोर्ट तैयार की गई है।

गोयल पारूल एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 016750एन

ह./–
(पारुल गोयल)
साझेदार
सदस्यता सं. 099172
यूडीआईएन नः 23099172बीजीवीजेडएटी9630

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 28.08.2023

क्र. सं.	पूंजी निधि –टियर I	(रुपये करोड़ में)
1	चुकता इक्विटी पूंजी	532.99
2	अधिमानी शेयरों को अनिवार्यतः इक्विटी में परिवर्तित किया जाना	
3	निर्बंध आरक्षित निधियां:	
	सामान्य आरक्षित निधियां	
	शेयर प्रीमियम	
	पूंजीगत आरक्षित निधियां	
	डिबेंचर मोचन आरक्षित निधियां	
	पूंजी मोचन आरक्षित निधियां	
	पी एंड एल खाते में क्रेडिट शेष	546.08
	अन्य निर्बंध आरक्षित निधियाँ (निर्दिष्ट किया जा सकता है)	
4	विशेष आरक्षित निधियाँ	83.90
	कुल 1 से 4	1162.97
5	**घटाएं:** (i) संचित हानि शेष	
	(ii) आस्थगित राजस्व व्यय	
	(iii) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	35.28
	(iv) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	51.63
	स्वामित्व निधि	**1076.06**
6	निम्नलिखित के शेयरों में निवेश (i) एक ही समूह की कंपनियाँ	
	(ii) सहायक कंपनियाँ	6.00
	(iii) पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियाँ	
	(iv) अन्य एनबीएफसी	
7	निम्नलिखित के संदर्भ में डिबेंचर, बॉन्ड का बही मूल्य, बकाया ऋण और अग्रिम, खरीदे गए और भुनाए गए बिल (एचपी और लीज फाइनेंस सहित) और उनके साथ किए गए जमा	
	(i) एक ही समूह की कंपनियाँ	0.06
	(ii) सहायक कंपनियाँ	
	(iii) विदेश में पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक/संयुक्त उद्यम	
8	कुल 6 और 7	6.06
9	मद 8 में स्वामित्वाधीन निधि के 10% से अधिक राशि	-
10	**निवल स्वाधिकृत निधि**	**1076.06**

टिप्पणियाँ, जो 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं

टिप्पणी – 1 : कॉरपोरेट सूचना एवं लेखांकन का आधार

1. कॉरपोरेट सूचना

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (जिसे 'एनएसआईसी' या 'निगम' कहा गया है), वर्ष 1955 में अधिनियमित किया गया था। रा.ल.उ.नि. कंपनी अधिनियम के अंतर्गत विनियमित भारत में स्थित और अधिनिगमित (सीआईएन संख्या यू74140डीएल1955जीओआई002481) है और दिनांक 29.12.2005 के प्रमाण–पत्र सं. एन14.03090 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत सुव्यवस्थित महत्वपूर्ण गैर–जमा स्वीकार करने वाले गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है। ग्लोबल लीगल एनटीटी आइडेंटिफायर फाउण्डेशन (जीएलईआईएफ) के पास पंजीकृत विधिक सत्ता अभिनिर्धारक (लीगल एनटीटी आइडेंटिफायर) कोड 335800935क्यूडी3एलजेजीओएलजेड39 है। यह निगम सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का एक "मिनिरत्न श्रेणी–1" आईएसओ 9001–2015 प्रमाणित उद्यम है।

एनएसआईसी अपने विभिन्न कार्यालयों/तकनीकी केंद्रों के माध्यम से देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने, सहायता देने और प्रगति को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य कर रहा है। एनएसआईसी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की प्रतियोगितात्मकता में वृद्धि करने के लिए विशेष रूप से तैयार की गई योजना के एक सेट के साथ उन्हें सुविधा प्रदान करता है। एनएसआईसी, विपणन, प्रौद्योगिकी, वित्तपोषण और अन्य सहायता सेवाओं के अंतर्गत एकीकृत सहायता सेवाएं उपलब्ध कराता है।

2. लेखांकन का आधार

i. अनुपालन कथन

निगम के वित्तीय विवरण इण्डएएस के अनुसार होंगे, जिन्हें कंपनी (लेखा) नियम 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधान के कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक), नियम 2015 (यथासंशोधित) और अन्य लागू विनियामक मापदंड/दिशानिर्देशों के अधीन अधिसूचित किया गया है।

निगम के वित्तीय विवरण उपार्जित लेखा प्रणाली (बशर्ते कि अन्यथा उल्लेख न हो), भारतीय लेखाकरण मानक (जिसका उल्लेख "इण्डएएस के रूप में किया गया है) का ऐतिहासिक लागत की परंपरा का पालन करने के अधीन चलन के आधार पर तैयार किया गया है। यह निगम कंपनी (लेखा) नियमावली 2014 और अन्य लागू विनियामक मानदंडों/दिशानिर्देशों के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियमावली 2015 के अधीन अधिसूचित है।

ii. तैयार करने और प्रस्तुत करने का आधार

भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण एक चल रहे प्रतिष्ठान के रूप में उपार्जित आधार पर और ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत तैयार किए गए हैं, सिवाय कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों के (अन्य व्यापक आय आदि के जरिए उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत इक्विटी विलेख) और वित्तीय देयताओं (प्रतिभूति जमा राशियों आदि) के, जिन्हें सुसंगत भारतीय लेखांकन मानकों के अंतर्गत यथापेक्षित रिपोर्ट की प्रत्येक तारीख के अंत में उचित मूल्य पर मापा जाता है। इन नीतियों को वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों/समय के लिए लगातार लागू किया गया है। ये नीतियां वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों में सतत रूप से लागू की गई हैं।

iii. अनुमानों, कल्पनाओं और प्रबंधन निर्णयों का उपयोग

निगम की लेखांकन नीतियों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधन से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे अनुमान लगाएगा और कल्पना करेगा, जो वित्तीय विवरणों की तारीख को यथास्थिति आकस्मिक देयताओं के विगोपन और परिसंपत्तियों तथा देयताओं की रिपोर्ट की गई धनराशियों, रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान राजस्व और खर्चों की धनराशि तथा वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों को प्रभावित करेगा। हालांकि ये अनुमान प्रबंधन की वर्तमान कार्यक्रमों और कार्यवाहियों की सर्वोत्तम जानकारी पर आधारित हैं, परंतु वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों में किए गए किसी

संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें ये परिणाम स्पष्ट हो जाएं।

iv. महत्त्वपूर्ण लेखांकन अनुमान और प्रबंधन निर्णय

लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग में, निगम के प्रबंधन से यह अपेक्षा की जाती है कि वह परिसंपत्तियों और देयताओं की लागत धनराशियों के बारे में निर्णय करे, अनुमान लगाए और कल्पना करे, जो अन्य स्रोतों से आसानी से स्पष्ट न हो सके। ये अनुमान और कल्पनाएं ऐतिहासिक अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित हैं, जिन्हें सुसंगत माना जाता है।

लेखांकन नीतियां, जिनका वित्तीय विवरणों में मान्यता दी गई धनराशियों पर सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, लागू करने में इस्तेमाल किए गए अनुमान, अनिश्चितता और महत्त्वपूर्ण निर्णयों के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में सूचना नीचे दी गई है:

क. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीई)

पीपीईज और अमूर्त परिसंपत्तियों के अवशिष्ट मूल्य और अनुमानित उपयोगी जीवनकाल का मूल्यांकन, परिसंपत्तियों के स्वरूप, परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोग, परिसंपत्ति की परिचालनात्मक स्थिति, प्रतिस्थापन के पिछले इतिवृत्त और अनुरक्षण सहायता को ध्यान में रखते हुए, रिपोर्ट की गई प्रत्येक तारीख को किया जाता है। समीक्षा करने पर प्रबंधन, मूल्यह्रास/मौद्रिकीकरण के परिकलन के लिए दिया गया उपयोगी जीवनकाल और अवशिष्ट मूल्य स्वीकार करता है।

ख. बिक्री के लिए रखी गई परिसंत्तियां

भारतीय लेखाकंन मानक 105 "बिक्री के लिए रखी गई गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों और बंद कर दिए गए प्रचालन" के अंतर्गत बिक्री के लिए रखी गई गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों का लेखाकंन लागू करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। अनुप्रयोज्यता का आकलन करने में प्रबंधन ने, तत्काल बिक्री के लिए परिसंपत्ति की उपलब्धता, बिक्री के लिए प्रबंधन की प्रतिबद्धता और एक वर्ष के अंदर बिक्री की संभावना का मूल्याकंन करने के लिए निर्णय लिया है ताकि इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि क्या निरंतर उपयोग के जरिए के बजाए बिक्री लेनदेन के जरिए उनका रखाव मूल्य सिद्धांततः वसूल किया जाएगा।

ग. आय कर

भुगतान की जाने वाली प्रत्याशित धनराशि/अनिश्चित कर स्थितियों के लिए वसूल की गई धनराशि सहित आय कर के लिए प्रावधान निर्धारित करने में अनुमान शामिल होते हैं। स्थगित कर परिसंपत्ति देनदारियां का मूल्यांकन करने के लिए प्रत्याशित भावी लाभप्रदता के संबंध में निर्णय लिए जाते हैं।

घ. वित्तीय साधनों की हानि

वित्तीय साधनों की हानि का मूल्यांकन, प्रत्याशित हानि और चूक के जोखिम के बारे में लगाए गए अनुमानों के आधार पर किया जाता है। हानिकरण के परिकलन के लिए इनपुट का चयन, अनुमान, पिछले इतिवृत्त, बाज़ार स्थितियों और रिपोर्ट की जाने वाली प्रत्येक तारीख के अंत में भावी अनुमानों पर विचार करते हुए प्रबंधन के निर्णय पर आधारित है।

ङ. गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों का हानिकरण (पीपीई)

गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों के हानिकरण का मूल्यांकन उन परिसंपत्तियों की वसूलीयोग्य धनराशि के अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। वसूलीयोग्य धनराशि का परिकलन करने में इस्तेमाल किए गए अनुमान प्रबंधन के निर्णय पर आधारित होते हैं।

च. सुनिश्चित लाभ स्कीमें और अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

सुनिश्चित लाभ योजनाओं और अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभों की लागत और

इस दायित्व का वर्तमान मूल्य स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकक द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस बीमांकिक मूल्यांकन में ऐसे विभिन्न अनुमान लगाने शामिल हैं, जो भविष्य में वास्तविक प्रगतियों से भिन्न हो सकते हैं। प्रबंधन का विश्वास है कि बट्टा दर, भावी वेतन वृद्धियां, मर्त्यता दरों और संघर्षण दरों के निर्धारण में बीमांकिक द्वारा लगाए गए अनुमान तर्कसंगत होते हैं। मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं और इसके दीर्घावधिक स्वरूप के कारण इन अनुमानों में कोई परिवर्तन करने के लिए यह दायित्व अत्यधिक संवेदनशील है। सभी अनुमानों की समीक्षा रिपोर्टिंग की प्रत्येक तारीख को की जाती है।

छ. वित्तीय विलेखों का उचित मूल्य मापन

जब वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत मूल्यों के आधार पर नहीं मापे जा सकते तो ऐसी स्थिति में प्रबंधन इसके उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए अन्य मूल्यांकन तकनीकों का इस्तेमाल करता है। ये तकनीकें लागू करने के लिए इनपुट, जहाँ कहीं संभव हो, अवलोकनयोग्य बाज़ारों से प्राप्त किए जाते हैं, परंतु जहां ऐसा करना व्यवहार्य नहीं है, उचित मूल्य स्थापित करने में निर्णय का इस्तेमाल किया जाता है। इन निर्णयों में परिशोधन जोखिम, क्रेडिट जोखिम और सचलता जैसे इनपुटों पर विचार शामिल हैं।

ज. प्रावधान और आकस्मिकताएं

अन्य प्रावधानों की मान्यता और मापन, संसाधनों के बर्हिवय की संभाव्यता के मूल्यांकन और रिपोर्टिंग की तारीख को ज्ञात परिस्थितियों तथा पिछले अनुभव पर आधारित होते हैं। इसलिए, भविष्य की किसी तारीख को संसाधनों का वास्तविक बर्हिवय, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमानित आंकड़ों से भिन्न हो सकता है।

v. कार्यात्मक और प्रस्तुतिकरण मुद्रा

ये भारतीय लेखांकन मानक समेकित वित्तीय विवरण भारतीय रुपयों, जो भारत की मुद्रा है और निगम की कार्यात्मक मुद्रा है, में तैयार किए जाते हैं। रुपयों में प्रस्तुत की गई सभी वित्तीय सूचना को दो दशमलव के साथ निकटतम लाख रुपयों में पूर्णांकित कर दिया गया है, जब तक अन्यथा न दर्शाया गया हो।

टिप्पणी – 2: महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने में लागू की गई महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का एक सारांश, जो नीचे दिया गया है, वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत की गई सभी अवधियों के लिए निरंतर लागू किया गया है।

I. संपत्ति, संयत्र और उपस्कर (पीपीई) – मूर्त पीपीईज

क) आरंभिक मान्यता और मापन

i. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वस्तुओं को प्रारंभ में लागत पर मान्यता दी जाती है। लागत में व्यय और अन्य संबंधित व्यय शामिल होते हैं जो पीपीई को उसके इच्छित उपयोग के लिए आवश्यक स्थान पर लाने और कार्य करने की स्थिति में लाने के लिए सीधे जिम्मेदार होते हैं। ऋण लागत (उधार ली गई धनराशि के अस्थायी निवेश पर आय में कटौती के बाद, यदि कोई हो) सीधे संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की निर्दिष्ट मद को आरोप्य होती है, या ऐसी वस्तुओं को पूंजीकृत की जाती है।

ii. उत्तरवर्ती का मापन

क. **पट्टाधारित परिसंपत्तियों और 31 मार्च, 2001 तक अधिगृहीत पट्टाधारित परिसंपत्तियों में से जब्त की गई पट्टाधारित परिसंपत्तियों** का उल्लेख ऐतिहासिक लागत पर मूल्यह्रास के पश्चात निवल संचित शेष, पट्टा समाप्ति समायोजन और संचित हानिकरण हानियां, यदि कोई हैं, के आधार पर किया जाता है।

ख. **पट्टाधारित परिसंपत्तियों और पट्टाधारित परिसंपत्तियों में से**

जब्त कर ली गई पट्टाधारित परिसंपत्तियों के अलावा, संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मदों का उल्लेख उनके अधिग्रहण की मूल लागत के आधार पर किया जाता है, जिसमें कर, ड्यूटियां, मालभाड़ा और संचित मूल्यह्रास तथा संचित हानिकरण हानियां, यदि कोई हैं, घटाकर संबंधित परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और संस्थापन से संबंधित अन्य प्रासंगिक खर्चे शामिल हैं।

iii. जब पीपीई की किसी मद के भागों का उपयोगी जीवनकाल भिन्न होता है तो उन्हें ऐसे संघटकों का पता लगाकर अलग से मान्यता दी जाती है।

iv. इस्तेमाल के लिए/इस्तेमाल में लाने के लिए उपलब्ध परिसंपत्तियों के मामले में, जहां अंतिम लेखा विवरण/ठेकेदारों/कार्यान्वयन एजेंसी के साथ बिलों का निपटान अभी किया जाना है, ऐसी स्थिति में पूंजीकरण आवश्यक समायोजनों, जिनमें अंतिम निपटान के वर्ष में मध्यस्थता/न्यायालय के मामलों के निपटान से उत्पन्न समायोजन शामिल हैं, की शर्त के अधीन अनुमानित आधार पर किया जाता है।

ख) <u>उत्तरवर्ती लागतें</u>

उत्तरवर्ती खर्च को संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की लागत धनराशि में वृद्धि के रूप में मान्यता दी जाती है, जब यह संभावना हो कि लगाई गई लागत से प्राप्त होने वाले भावी आर्थिक लाभ उद्यम में प्राप्त होंगे और संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की लागत विश्वसनीय ढंग से मापी जा सकती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की किसी मद के प्रतिस्थापन भाग की लागत को उस मद की लागत धनराशि में मान्यता दी जाती है, यदि यह संभावना हो कि उस भाग के अंदर शामिल भावी आर्थिक लाभ निगम को प्राप्त होंगे और इसकी लागत विश्वसनीय ढंग से मापी जा सकती है। प्रतिस्थापित भाग की वहन धनराशि का विमान्यताकरण कर दिया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की दिन–प्रति दिन की सर्विसिंग की लागतों को, लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

ग) <u>विमान्यताकरण</u>

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर को विमान्यताकृत कर दिया जाता है, जब उनके इस्तेमाल से या उनके निपटान पर किसी भावी आर्थिक लाभ की आशा न हो। संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की किसी मद के निपटान पर हुए लाभ और हानियां संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की लागत धनराशि के साथ निपटान से प्राप्त धनराशि की तुलना करके निर्धारित किए जाते हैं और इन्हें लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

II. चल रहा पूंजीगत कार्य

क) चल रहे पूंजीगत कार्य में उन अचल परिसंपत्तियों की लागत शामिल है, जो तुलन–पत्र की तारीख को उनके आशयित इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं हैं।

ख) निर्माणाधीन परिसंपत्तियां लागत के आधार पर ली जाती हैं, जिनमें इसके आशयित इस्तेमाल के लिए परिसंपत्तियों को स्थान पर तथा आवश्यक कार्यचालन स्थिति में लाने के कारण प्रत्यक्ष लागत (सामग्री की लागत, श्रम और अन्य प्रासंगिक व्यय) तथा संबंधित अप्रत्यक्ष व्यय (ऊपरी व्यय सहित) शामिल हैं।

ग) निर्माण अवधि से संबंधित आय जैसे ब्याज संबंधी आय, वसूल की गई परिसमापन हानियां आदि को निर्माण अवधि के दौरान हुए खर्च के प्रति समायोजित किया जाता है।

घ) निक्षेप कार्य/लागत जमा संविदा को ठेकेदारों से प्राप्त लेखा विवरणों के आधार पर लेखे में लिया जाता है। जब तक परिसंपत्तियों को पीपीई के रूप में मान्यता दी जाती है।

ङ) पीपीई के अर्जन/निर्माण के लिए प्रदत्त उन अग्रिमों को 'पूंजी अग्रिमों' के अधीन वर्गीकृत किया गया है, जो तुलन–पत्र की तारीख को बकाया है।

III. अमूर्त परिसंपत्तियां

क) <u>आरंभिक मान्यता और मापन</u>

ऐसी अमूर्त परिसंपत्तियां, जो समूह द्वारा अर्जित की

गई हैं, जिनका निश्चित उपयोगी जीवनकाल हो, को लागत के आधार पर मान्यता दी जाती है। उत्तरवर्ती मापन से संचित मौद्रिकीकरण और संचित हानिकरण हानियां, यदि कोई हैं, घटाकर निकाली गई लागत पर मापन किया जाता है। उक्त लागत में ऐसा व्यय शामिल है जो प्रत्यक्षतः परिसंपत्ति को स्थान तक लाने और इसके आशयित उपयोग के लिए आवश्यक कार्य स्थिति में लाने के कारण हुआ है।

ख) उत्तरवर्ती लागते

उत्तरवर्ती खर्च को परिसंपत्ति की लागत धनराशि में वृद्धि के रूप में मान्यता दी जाती है, जब यह संभावना हो कि लगाई गई लागत से प्राप्त होने वाले भावी आर्थिक लाभ उद्यम में प्राप्त होंगे और परिसंपत्ति की लागत विश्वसनीय ढंग से मापी जा सकती है।

ग) विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

भारतीय लेखाकंन मानक–38 के अनुसार, किया गया कोई खर्च, विशेष रूप से किसी अमूर्त परिसंपत्ति के विकास के प्रति श्रेय देने योग्य खर्च और मान्यता एवं मापन मानदंड पूरा करने की संभावना वाला खर्च, विकास पूरा हो जाने पर, ''विकास के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियां'' के रूप में पूजीकृत किए जाते हैं, जब तक वे उनके आशयित उपयोग के लिए तैयार हैं।

जो कार्य वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक शुरू हो चुका है, लेकिन पूरा नहीं हुआ है, उसे ''पीपीई के तहत विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्ति'' के रूप में दर्शाया गया है, जबकि जो कार्य वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक भी शुरू नहीं किया गया है, लेकिन संविदात्मक समझौते के संदर्भ में कुछ अग्रिम भुगतान किया गया है, तो ऐसे अग्रिम को ''गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों के तहत विक्रेता को अग्रिम'' के रूप में दर्शाया गया है।

घ) विमान्यताकरण

अमूर्त परिसंपत्ति को विमान्यताकृत कर दिया जाता है, जब उनके इस्तेमाल से या उनके निपटान पर किसी भावी आर्थिक लाभ की आशा न हो। अमूर्त परिसंपत्ति की किसी मद के निपटान पर हुए लाभ और हानियां अमूर्त परिसंपत्ति की लागत धनराशि के साथ निपटान से प्राप्त धनराशि की तुलना करके निर्धारित किए जाते हैं और इन्हें लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

IV. संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का हानिकरण

संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियों को हानिकृत के रूप में माना जाता है, जब परिसंपत्तियों की रखाव लागत इसकी वसूलीयोग्य धनराशि से अधिक हो। हानिकृत हानि को उस वर्ष में लाभ एवं हानि विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है जिस वर्ष में परिसंपत्ति की पहचान हानिकृत के रूप में की गई हो और संपत्ति की लागत धनराशि इसकी वसूलीयोग्य धनराशि से घटा दी गई हो, जब तक संबंधित परिसंपत्ति पुनर्मूल्यकृत धनराशि पर लाई गई हो, जब हानिकृत हानि को पुनर्मूल्यांकन कमी के रूप में माना गया हो। यदि ऐसा कोई संकेत मिलता है कि पहले मूल्यांकन किया गया हानिकरण हानि अब मौजूद नहीं है तो ऐसी स्थिति में वसूलीयोग्य धनराशि का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और परिसंपत्ति को वसूलीयोग्य धनराशि के रूप में दर्शाया जाता है।

V. बिक्री के लिए रखी गई परिसंत्तियां

गैर वर्तमान परिसंत्तियां, बिक्री के लिए रखी गई परिसंत्तियों के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं, यदि उनकी वहन धनराशि, एक बिक्री लेनेदेन के जरिए (निरंतर उपयोग के जरिए के बजाए) सिद्धांततः वसूल किए जाने के लिए आशयित हो, जब यह परिसंपत्ति, अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो, केवल उन शर्तों के अधीन जो ऐसी परिसंपत्ति की बिक्री के लिए प्रायिक और प्रथागत हैं और यह बिक्री अत्यधिक संभावना वाली है और वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के अंदर एक पूरी कर ली गई बिक्री के रूप में मान्यता हेतु अर्हक बनने की आशा वाली है।

बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां, बिक्री लागतें घटाकर उचित मूल्य तथा उनकी रखाव धनराशि से निम्नतर मूल्य पर मापी जाती हैं, उन परिसंत्तियों को छोड़कर जैसे आस्थगित कर कर्मचारी लाभ से उत्पन्न परिसंपत्तियां, आर्थिक परिसंपत्तियां और बीमा संविदाओं के अंतर्गत संविदात्मक अधिकार, जो विशेष रूप से इस शर्त से छूट प्राप्त हैं। बिक्री लागतें घटाकर निकाले गए उचित मूल्य के निर्धारण में, प्रबंधन के आकलनों और अनुमानों का उपयोग शामिल है।

गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास या परिशोधन नहीं

किया जाता, जब वे बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं। बिक्री के लिए रखी गई गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां, तुलन–पत्र में अन्य परिसंपत्तियों से अलग प्रस्तुत की जाती हैं।

VI. मूर्त परिसंपत्तियों और परिशोधन तथा अमूर्त पीपीईज पर मूल्यह्रास

क) पट्टाधारित परिसंपत्तियां और 31 मार्च, 2001 तक अधिगृहीत पट्टाधारित परिसंपत्तियों में से जब्त कर ली गई परिसंपत्तियां :

मूल्यह्रास, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग 'ग' में विनिर्धारित उपयोगी जीवनकाल के अनुसार अपलेखित मूल्य पद्धति पर, परिसंपत्तियों के इस्तेमाल में लाने के दिन से अनुपाततः आधार पर किया जाता है।

ख) पट्टाधारित परिसंपत्तियां और पट्टाधारित परिसंपत्तियों में से जब्त कर ली गई पट्टाधारित परिसंपत्तियों के अलावा संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर की मदें

i) पीपीई पर मूल्यह्रास, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग 'ग' में विनिर्दिष्ट उपयोगी जीवनकाल के अनुसार सीधी रेखा पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है, सिवाय मोबाइल फोन यंत्र के।

क्र. सं.	परिसंपत्तियों के स्वरूप	उपयोगी जीवनकाल	दर (एसएलएम)	अवशिष्ट मूल्य
i.	आरसीसी फ्रेम ढांचा बनाना	60 वर्ष	1.58%	मूल लागत का 5%
ii.	आरसीसी फ्रेम ढांचे के अलावा अन्य बनाना	30 वर्ष	3.17%	मूल लागत का 5%
iii.	अस्थायी ढांचा बनाना	3 वर्ष	31.67%	मूल लागत का 5%
iv.	सड़कें – कारपेटेड – आरसीसी	10 वर्ष	9.50%	मूल लागत का 5%
v	सड़कें – कारपेटेड – आरसीसी के अलावा	5 वर्ष	19.00%	मूल लागत का 5%
vi.	सड़कें – गैर–कारपेरेटेड	3 वर्ष	31.67%	मूल लागत का 5%
vii.	संयंत्र और मशीनरी	15 वर्ष	6.33%	मूल लागत का 5%
viii.	फर्नीचर और फिटिंग	10 वर्ष	9.50%	मूल लागत का 5%
ix.	वाहन दुपहिया	10 वर्ष	9.50%	मूल लागत का 5%
x.	वाहन चारपहिया	8 वर्ष	11.88%	मूल लागत का 5%
xi.	कार्यालय उपस्कर	5 वर्ष	19.00%	मूल लागत का 5%
xii.	प्रसंकरण इकाइयों, कम्प्यूटर, लैपटॉप आदि के रूप में अंतिम उपयेगकर्ता उपकरण	3 वर्ष	31.67%	मूल लागत का 5%
xiii.	सर्वर और नेटवर्क	6 वर्ष	15.83%	मूल लागत का 5%
xiv.	विधुत वितरण संयंत्र	35 वर्ष	2.71%	मूल लागत का 5%
xv.	विद्युतीय संस्थापनाएं और उपस्कर	10 वर्ष	9.50%	मूल लागत का 5%
xvi.	ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर फोटो वोल्टेज (पीवी) सिस्टम	25 वर्ष	3.80%	मूल लागत का 5%
xvii.	अमूर्त परिसंपत्तियां – सॉफ्टवेयर	5 वर्ष	20.00%	₹ 1/-
xviii	मोबाइल फोन उपकरण	3 वर्ष	33.33%	₹ 1/-
xix	वेबसाइट	3 वर्ष	33.33%	₹ 1/-

ii) वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर (पीपीई) से घटावों/अभिवृद्धियों पर मूल्यह्रास, उस तारीख, जिसको परिसंपत्ति उपयोग/निपटान के लिए उपलब्ध है, से/तक अनुपाततः आधार पर प्रभारित किया जाता है।

iii) 0.10 लाख रुपए तक की लागत की परिसंपत्तियां, अवशिष्ट मूल्य के रूप में मूल लागत का 5% रखने के पश्चात, खरीद के वर्ष में पूर्णतः मूल्य ह्रासित की जाती हैं, सिवाय मोबाइल फोन उपकरण जहाँ रूपये 1 को अवशिष्ट मूल्य के रूप में रखा जाता है।

iv) 0.10 लाख से अधिक मूल्य के मोबाइल फोन उपकरण, अवशिष्ट मूल्य के रूप में 1/– रुपया रखने के पश्चात, उस वर्ष, जिसमें यह प्राप्त किया गया था, से आरंभ करके 3 वर्ष की अवधि में मूल्यह्रासित किया जाता है।

v) सरकारी अनुदानों से खरीदे गए पीपीई के मामले में मूल्यह्रास, उन परिसंपत्तियों पर प्रभारित मूल्यह्रास के अनुपात में 'पूंजीगत आरक्षित' (जो आस्थगित आय के स्वरूप

का है) के प्रति प्रभारित किया जाता है। पूंजीगत आरक्षित, खरीद लागत के साथ प्राप्त अनुदानों में से स्थिर परिसंपत्तियों की खरीद के समय सृजित किया जाता है।

vi) पट्टाधारित भूमि का परिशोधन, पट्टा अवधि में किया जाता है।

vii) 'अमूर्त परिसंपत्तियों' के रूप में मान्यताप्राप्त सॉफ्टवेयर की लागत का परिशोधन, अवशिष्ट मूल्य के रूप में 1/– रुपया रखने के पश्चात, उस वर्ष, जिसमें यह प्राप्त की गई थी, से आरंभ करके पांच वर्ष की अवधि में सीधी रेखा पद्धति आधार पर किया जाता है। हालांकि, जहाँ सॉफ्टवेयर का जीवनकाल पांच वर्ष से कम है, ऐसी संपत्तियों के उपयोगी जीवन पर लागत को रु. 1/– अवशिष्ट मूल्य के रूप में बनाए रखने के बाद परिशोधित/चुकता किया जाता है।

viii) सदस्यता के आधार पर खरीदे गए सॉफ्टवेयर को उसी के सापेक्ष किए भुगतान हेतु सदस्यता अवधि के वर्ष में लाभ और हानि के विवरण के अधीन प्रभारित किया जाता है।

VII. उधार लागतें

उधार लागतों में ब्याज और अन्य लागतें शामिल हैं, जो निगम निधियां उधार लेने के संबंध में खर्च करता है।

अर्हक परिसंपत्तियों के लिए लगाई गई उधार लागतें, विशेष रूप से परिसपंत्ति के वित्तपोषण के लिए खर्च की गई, उधार लेने के आधार पर, उन निधियों के अस्थायी निवेश पर अर्जित किसी आय के 'नेटिंग ऑफ' के पश्चात, आशयित उपयोग के लिए तैयार होने की तारीख तक पूंजीकृत की जाती हैं। अर्हक परिसंपत्तियां, ऐसी परिसंपत्तियां हैं, जो उनके आशयित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लेती हैं।

अन्य सभी उधार लागतों को, लाभ एवं हानि का समेकित विवरण में उस रिपोर्टिंग अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें वे उपार्जित हुई हैं।

VIII. मालसूचियाँ

क) मालसूची में मुख्यतः निम्नलिखित शामिल हैं:

i. लेखन–सामग्री का स्टॉक और विविध मदें।

ii. भंडार, औज़ार, मापन उपकरण और मार्गस्थ सामान।

iii. वाणिज्यिक क्रियाकलापों से संबंधित तैयार माल का स्टॉक।

iv. माल किराया खरीद (एचपी) और संयुक्त सावधि ऋण (सीटीएल) के अधीन पुनः कब्जे में ली गई/जब्त की गई/अभ्यप्रित मशीनों का भंडार।

v. जहां परिसंपत्तियां 01.04.2001 को या उसके बाद दी गई हैं, उपस्कर पट्टे के अधीन पुनः कब्जे में ली गई/ जब्त की गई/अभ्यप्रित मशीनों का भंडार।

vi. अप्रचलित और उपयोग में न लाई जाने वाली परिसंपत्तियां।

ख) लागत का निर्धारण 'पहले आए पहले जाए' (एफआईएफओ) आधार पर किया जाता है।

ग) मालसूचियों का मूल्यांकन, लागत के निम्नतर और निवल वसूलीयोग्य मूल्य पर किया जाता है।

घ) लागत में, खरीद की लागत और माल की उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में लगाई गई अन्य लागतें शामिल हैं।

ङ) खरीदे गए माल की लागतें, छूट और बट्टे घटाने के पश्चात निर्धारित की जाती हैं।

च) वसूलीयोग्य निवल मूल्य, सामान्य व्यवसाय के दौरान अनुमानित विक्रय मूल्य में से बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागतें और पूर्ण करने की अनुमानित लागतें घटाकर निकाला गया मूल्य है।

IX. अनुसंधान और विकास

क) राजस्व प्रकृति के अनुसंधान और विकास पर व्यय, लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है।

ख) पूंजीगत प्रकृति के अनुसंधान और विकास पर व्यय को पीपीई के अतिरिक्त के रूप में दिखाया गया है।

X. राजस्व मान्यता

राजस्व, प्राप्त किए गए और प्राप्तियोग्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर मापा जाता है। आय/राजस्व (प्रशिक्षण क्रियाकलापों और सामान्य सुविधाओं से प्राप्त राजस्व सहित) की सभी मदें और व्यय, प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिए जाते हैं, जहाँ नीचे यथा उल्लिखित वसूली के बारे में निश्चितता हो:

क) किराया खरीद, विपणन, कच्चे माल के वितरण / सहायता, थोक विक्रेताओं और खुदरा व्यापारियों को सहायता, बिल छूट और समग्र सावधि ऋण के तहत वित्तीय गतिविधियों से आय

i. ऋणों और अग्रिमों के संबंध में ब्याज आय को, संविदात्मक अवधियों के संदर्भ में प्रोद्भवन (समय अनुपात) आधार पर मान्यता दी जाती है।

ii. मास्टर निर्देश–गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी – सर्वांगी रूप से महत्त्वपूर्ण गैर–जमा लेने वाली कंपनी और जमा लेने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 के अनुसार, जिस तारीख से ऋण और अग्रिम एनपीए बन जाते हैं, उस तारीख से कोई ब्याज उपार्जित नहीं होगा।

iii. एनपीए लेखों के मामले में अर्जित लेकिन प्राप्त नहीं किए गए ब्याज को, रिपोर्टिंग की तारीख को अतिरिक्त सामान्य ब्याज उचंत (पीआईएस) के रूप में प्रत्यावर्जित किया जाता है और तदनुसार उसे कुल बकाया देयताओं में से घटाया जाता है। परंतु ऐसा उन मामलों में नहीं किया जाता है, जहाँ नई बैंक गारंटी की बिक्री से प्राप्त आय को रिपोर्टिंग की तारीख तक प्राप्त नहीं किया जाता है। (नीचे X(क)(ix) देखें)।

iv. बैंक गारंटी (बीजी) मांगे जाने पर बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक के पास अपना दावा पत्र प्रस्तुत करने की तारीख से बंद कर दिया जाता है और अर्जित, लेकिन प्राप्त नहीं किया गया ब्याज, जिसमें कुल देयताएं, यदि कोई हों, भी शामिल हैं, को 'अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उच्चंत (पीआईएस)' के रूप में ब्याज आय से प्रत्यावर्तित नहीं किया जाता है। वर्ष के अंत में, यदि, निगम के नामित बैंक लेखे में मांगी गई बैंक गारंटी से प्राप्त आय नहीं प्राप्त होती है, तो इस रकम को **"बैंक से वसूली योग्य"** के रूप में समझा जाएगा। लेकिन यदि बैंक मांगी गई बैंक गारंटी की बिक्री से प्राप्त आय को जारी करने में विलंब करता है, तो दावा करने की तारीख से निगम के नामित बैंक खाते, यदि कोई हो, में बिक्री से प्राप्त आय प्राप्त होने तक की विलंबित अवधि के लिए ब्याज लगाया जाएगा, जिसे उसकी प्राप्ति के वर्ष में आय के रूप में माना जाएगा।

v. प्रसंस्करण शुल्क/सेवा शुल्क को बीजी के विरुद्ध आरएमए/एडब्ल्यूआरटी/बीडी के तहत समय के अनुपात में आय के रूप में और अन्य मामलों में इसे प्रोद्भवन के आधार पर माना जाता है।

vi. आवेदन प्रसंस्करण शुल्क, जहाँ भी लागू हो, प्राप्ति के आधार पर आय के रूप में माना जाता है।

vii. जब्ती/विनियोजित/समप्रण की तारीख को किराया खरीद और उपकरण लीज के मामले में, उनके मूल्य से अधिक जब्त/विनियोजित/समप्रण की गई मशीनों की बिक्री से अधिक राशि को किराएदार केध्पट्टेदार के खाते के सापेक्ष समायोजित किया जाता है। किराएदार/पट्टेदार से देय राशि से अधिक कोई भी अधिक राशि, बिक्री आय की प्राप्ति के वर्ष में आय के रूप में मानी जाती है।

ख) ब्याज की मान्यता

i. निगम की विभिन्न गतिविधियों/योजनाओं के तहत विलंबित भुगतान/अतिरिक्त/सामान्य ब्याज पर दंडात्मक ब्याज/ब्याज, जहाँ कहीं वसूली के लिए संदिग्ध माना जाता है, को इसकी वसूली के वर्ष में आय के रूप में माना जाता है।

ii. जहाँ यूनिट के खाते फ्रीज/अप्रयुक्त हो जाते हैं, वहाँ यूनिट के खाते में कोई और ब्याज प्रभारित नहीं किया जाता है।

ग) माल और सेवाओं की बिक्री

i. बिक्री जीएसटी, छूट, रिबेट, रिटर्न, आदि के शुद्ध योग होते हैं, और अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार, चालान मूल्य के आधार पर इनका हिसाब लगाया जाता है।

ii. उत्पादों और परियोजनाओं के निर्यात के अंतर्गत बिक्री, निर्यात की शर्तों के अनुसार चालान मूल्य के आधार पर की जाती है।

घ) एकल बिंदु पंजीकरण योजना के अंतर्गत पंजीकरण शुल्क

एकल बिंदु पंजीकरण योजना के अंतर्गत पंजीकरण शुल्क को, नए पंजीकरण/नवीकरण/उसमें संशोधन के लिए प्रमाणपत्र के जारी किए जाने की तारीख को ही आय के रूप में माना जाता है।

ङ) बी2बी पोर्टल (एमएसएमई मार्ट)–(बी2बी स्कीम) का सदस्यता शुल्क

बी2बी स्कीम के अधीन बी2बी पोर्टल (एमएसएमई मार्ट) के सदस्यता शुल्क को यूनिट की सदस्यता सक्रिय होने (एक्टिवेशन) पर ही आय के रूप में समझा जाएगा।

च) प्रशिक्षण संबंधी क्रिया–कलापों और सामान्य सुविधाओं से प्राप्त राजस्व

प्रायोजित प्रशिक्षण को छोड़कर प्रशिक्षण गतिविधियों से राजस्व प्रशिक्षण कार्यक्रम के पूरा होने तक संचय (समय अनुपात) के आधार पर पहचाना जाता है।

प्रायोजित और अन्य संबद्ध प्रशिक्षण से प्राप्त राजस्व को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद मान्यता दी जाती है और जब यह निश्चित हो जाता है कि शुल्क अनुबंध/संविदा/समझौता ज्ञापन के नियमों व शर्तों के अनुरूप मान्यता दी जाती है।

सामान्य सुविधाओं (जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ परीक्षण शुल्क, जॉब कार्य प्रभार मशीनों पर मशीनिंग सुविधा इत्यदि एनटीएससी में शामिल हैं) से प्राप्त राजस्व को परीक्षण और जॉब कार्य पूरा होने पर मान्यता दी जाती है।

छ) तकनीकी इन्क्यूबेशन केंद्र (टीआईसी) इकाइयों से रॉयल्टी आय

टीआईसी इकाइयों से रॉयल्टी के कारण प्राप्त राजस्व को संचय आधार पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है। शुल्क/रॉयल्टी को नामांकित प्रशिक्षुओं की संख्या, पाठ्यक्रम शुल्क और पाठ्यक्रम की अवधि के आधार पर मासिक आधार पर मान्यता दी जाती है।

ज) समग्र (टर्नकी) परियोजनाओं/सेवा संविदाओं से प्राप्त आय

i. परामर्शी सेवाओं, परियोजना प्रबंधन और पर्यवेक्षण प्रभारों से प्राप्त राजस्व को संविदा की शर्तों के अनुसार रिपोर्टिंग की तारीख को परियोजना संबंधी लेन–देन और परियोजना की सुपुर्दगी के पूरा होने की अवस्था में आनुपातिक रूप में लाभ या हानि विवरण मान्यता दी जाती है।

ii. परियोजना पर किए गए प्रत्यक्ष व्यय का लेखा परियोजना के अंतर्गत किया जाता है, और अप्रत्यक्ष व्ययों को संबंधित शीर्ष के खाते के प्राकृतिक शीर्ष के अधीन लेखांकित किया जाता है।

झ) पट्टाकरण से आय

पट्टे, को प्रचालन पट्टे और वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। ऐसे पट्टे, जिनमें निगम, परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिम और प्रतिफल/लाभ पर्याप्त रूप से पट्टेदार को अंतरित नहीं करता, प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। प्रचालन पट्टे के अलावा अन्य पट्टे, वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं।

i. निगम, अपने उपस्कर पट्टाकरण व्यवसाय के अंतर्गत सहायता प्रदान कर रहा था, जिसे 2013 से बंद कर दिया गया है। ऐसी पट्टाधारित परिसंपत्तियों के संबंध में आय की मान्यता और पट्टाधारित परिसंपत्तियों में से जब्त की गई परिसंत्तियां निम्नलिखित हैं

I. दिनांक 31 मार्च, 2001 तक निष्पादित किए गए पट्टा लेन–देनों पर

i. दिनांक 31 मार्च, 2001 तक निष्पादित किए गए लेन–देनों के संबंध में पट्टा किरायों को पट्टा समकरण प्रभारों से घटाकर, प्रोद्भूत, आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

ii. पट्टाधारित परिसंपत्तियों में बकाया निवल निवेश से संबंधित पूंजी की लागत को पूंजी की वसूली निकालने के लिए पट्टा किराए से घटा दिया जाता है। पूंजी की वसूली और सांविधिक मूल्यह्रास के अंतर को, पट्टा समकरण प्रभार लेखा के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे पट्टा समकरण लेखे के प्रति प्रभाव को, तुलन–पत्र में पट्टा सीमांत समायोजन लेखा प्रचालित करके प्रदर्शित किया जाता है। पूंजी की वसूली में कमी, यदि कोई हो, को परिसंपत्ति के निपटान के वर्ष में हिसाब में लिया जाता है।

II. दिनांक 01 अप्रैल, 2001 को अथवा उसके बाद निष्पादित किए गए पट्टा लेन–देन

वित्त आय और पट्टा किराया में शामिल की गई निवल निवेश की वसूली का हिसाब, पट्टे में दी गई ब्याज दर पर लगाया जाता है। वित्त आय को आय के रूप में मान्यता दी जाती है और उसे लाभ व हानि विवरण में क्रेडिट किया जाता है। पट्टाधारित किराया और वित्त आय के अंतर को निवल निवेश के प्रति वसूली माना जाता है।

III. भारतीय लेखांकन मानक (इंड–एएस)–116 के अनुसार अन्य लीज के संबंध में आय की मान्यता।

i. पट्टाकर्ता के रूप में निगम

इसमें अन्य बातों के साथ–साथ निगम के स्वामित्व और निगम द्वारा पट्टे पर दिए जाने वाले स्थान, गोदाम, आदि भी शामिल होंगे, जिनके संबंध में किराया आय प्राप्त होती है। पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां भी संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर में शामिल की जाती हैं और इनके उपयोगी रहने तक इन पर मूल्यह्रास दिया जाता है। 'प्रचालन संबंधी पट्टे से संबंधित पट्टा आय को पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया जाता है।

निगम द्वारा पट्टाकर्ता के रूप में कोई वित्तीय पट्टा निष्पादित नहीं किया जाता है।

ii. पट्टेदार के रूप में निगम

इसमें अन्य बातों के साथ–साथ स्थान, गोदाम, कर्मचारियों के लिए आवास आदि शामिल है, जिसे निगम ने पट्टे पर लिया है और जिसके संबंध में पट्टा किराये का भुगतान किया जाता है। इन पट्टों की व्यवस्था का सामान्यतः आपस में तय की जाने वाली शर्तों के आधार पर नवीकरण किया जाता है।

निगम द्वारा पट्टाकर्ता के रूप में कोई वित्तीय पट्टा निष्पादित नहीं किया जाता है।

निये मानक इण्डएएस–116 के अधीन पट्टेदार द्वारा इसका लेखाकरण इस प्रकार किया जाता है:–

निगम परिसंपत्तियों को उपयोग करने के अधिकार और सभी पट्टा व्यवस्थाओं के लिए तदनुरूप पट्टा देयता को स्वीकार करता है, जिसमें इन्हें पट्टे पर दिया जाता है। लेकिन बारह माह या कम (अल्पकालिक पट्टों) की अवधि के संबंध में यह पट्टा स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि बिना लिखित करार और कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टे को स्वीकार नहीं किया जाता है।

अल्पकालिक पट्टे बारह माह या बारह माह से अधिक के पट्टा करारों से कम के संबंध में यह पट्टा करार लागू नहीं होता है, क्योंकि कुछ नोटिस अवधि देकर किसी भी समय इन्हें रद्द किया जा सकता है। बारह माह से अधिक की अवधि के निगम द्वारा निष्पादित पट्टा करार को भी अल्पकालिक पट्टे के रूप में समझा जाएगा, लेकिन इसमें उसे रद्द करने संबंधी एक खंड दिया जाएगा।

मानक में कम मूल्य की परिसंपत्तियों की कोई सीमा नहीं बताई गई है, लेकिन इसमें टेबलेट्स, पर्सनल कंप्यूटर/लैपटॉप और पीपीई की छोटी मदें आदि जैसी कम मूल्य की परिसंपत्तियां शामिल होती हैं।

अल्पकालिक और कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के संबंध में निगम पट्टे की अदायगी को पट्टे की अवधि के संबंध में ''स्ट्रेट लाइन'' आधार पर प्रचालन व्यय के रूप में स्वीकार करती है।

परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार को प्रारंभ में लागत पर स्वीकार किया जाता है, जिसमें पट्टा देयता की आरंभिक रकम शामिल होती है, जो ऐसे पट्टे भुगतान के संबंध में समायोजित की जाती है, जो किसी पट्टा प्रोत्साहन की प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत से कम और पट्टे की तारीख से या उससे पहले

अदा की जाती है। इनका मापन बाद में ऐसी कम लागत पर किया जाता है, जिसमें संचित मूल्यह्रास/परिशोधन और हानियां शामिल होती हैं। परिसंपत्तियों के उपयोग का आधार इण्डएएस 16–संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीई) के अनुसार कम किया जाएगा।

शुरू में पट्टे के दायित्व को भावी पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है। पट्टे के भुगतान, पट्टे में निहित ब्याज दर का इस्तेमाल करके या यदि तत्काल निर्धारण योग्य नहीं है तो वृद्धित उधार दर का इस्तेमाल करके बंद कर दिए जाते हैं।

ञ) दी गई डिक्री का निरूपण

जहाँ एनएसआईसी के पक्ष में एक आदेश पारित किया गया है, बकाया की वसूली के समय इकाई के लेखों में आवश्यक समायोजन किए जाते हैं।

ट) **लाभांश आय**

निवेश पर लाभांश को, उस आधार पर हिसाब में लिया जाता है, जब इसे प्राप्त करने का अधिकार सिद्ध हो जाता है।

ठ) **स्क्रैप बिक्री**

स्क्रैप की बिक्री से प्राप्त आय को वसूली आधार पर लेखे में लिया जाता है।

XI. विदेशी मुद्रा लेन–देन और रूपांतरण

क) विदेशी मुद्राओं में लेन–देन आरंभतः लेन–देन की मान्यता के लिए पहले अर्हता प्राप्त करने की तारीख को कार्यात्मक मुद्रा स्थल दरों पर दर्ज किए जाते हैं।

ख) विदेशी मुद्राओं में रखी गई मौद्रिक परिसंपत्तियां और देयताएं, रिपोर्टिंग तारीख को विनिमय की कार्यात्मक मुद्रा तत्समय दरों पर रूपांतरित की जाती हैं।

ग) मौद्रिक मदों के निपटान या रूपांतरण पर उत्पन्न विनिमय अंतरों को उस वर्ष, जिसमें ये उत्पन्न होते हैं, में लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

घ) गैर–मौद्रिक वस्तुएं जिन्हें विदेशी मुद्रा में उचित मूल्य पर मापा जाता है, उन्हें उस तिथि पर विनिमय दरों का उपयोग करके अनुवादित किया जाता है जब उचित मूल्य निर्धारित किया गया था।

ङ) गैर–मौद्रिक मदें, लेन–देन की तारीख को विनिमय दर का इस्तेमाल करके रूपांतरित की गई विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के अनुसार मापी जाती हैं।

XII. सरकारी अनुदान

क) विभिन्न क्रियाकलापों के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त अनुमोदित अनुदानों को प्रोद्भूत आधार पर मान्यता दी जाती है, जहां यह तर्कसंगत आश्वासन हो कि अनुदान प्राप्त होगा और सभी संबद्ध शर्तों का अनुपालन किया जाएगा।

ख) अनुमोदित संवर्धनात्मक क्रियाकलापों के मामले में, वर्ष के लिए खर्च किए गए/प्रतिबद्ध खर्च, परंतु अगले वर्ष में प्राप्त अनुदान, को प्रोद्भूत आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

ग) प्राप्त अनुदानों को, भारत सरकार से प्राप्त अग्रिम के रूप में माना जाता है और इन्हें भारत सरकार को भुगतान योग्य राशियों के रूप में जाता है।

घ) इसके पश्चात, अनुदान को, किए गए खर्च की सीमा तक लाभ एवं हानि विवरण में आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

ङ) पूंजीगत अनुदान के मामले में, किए गए खर्च को, आरक्षित पूंजी निधि, जो 'आस्थगित आय' के स्वरूप की है, सृजित करके मान्य अनुदान आय में से कम कर दिया जाता है। आरक्षित पूंजी को, उन परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास के अनुपात में सुसंगत परिसंपत्तियों के हर वर्ष में आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

च) राजस्व से संबंधित सरकारी अनुदानों को उस अवधि के दौरान व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि के समेकित विवरण में मान्यता दी जाती है, जिसमें एनएसआईसी खर्च से संबंधित लागतों को व्यय के रूप में मान्यता देता है, जिससे कि ऐसे अनुदान संबंधित हैं/शामिल करने के लिए तैयार किए गए हैं।

छ) एसपीआरएस स्कीम के अंतर्गत सदस्यता शुल्क (एनएसएसएच), 'एसपीआरएस स्कीम के अंतर्गत निरीक्षण प्रभार (एनएसएसएच)', **'बी2बी स्कीम के अंतर्गत सदस्यता शुल्क (एनएसएसएच)'**, 'क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण शुल्क (एनएसएसएच)' और 'कार्यालय परिसरों के किराए (एनएसएसएचओ)' (लागू, जहाँ संपत्ति का स्वामित्व एनएसआईसी के पास है और जहाँ किराए का भुगतान, बाहरी व्यक्ति को किया जाता है, उसे एनएसएसएचओ के व्यय के रूप में लेखे में लिया जाता है) के प्रति शुल्कों की धनराशि की प्रतिपूर्ति के प्रति सरकारी अनुदान, "एनएसएसएच के अंतर्गत सदस्यता/निरीक्षण शुल्क, किराया आदि" समूह शीर्ष के अंतर्गत

उपयोग में लाए गए अनुदान के रूप में प्रभारित किए जाएंगे और मान्यताप्राप्त अनुदान आय से घटा दिए जाएंगे। इसी प्रकार, प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता (एटीआई) स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षण शुल्कों की प्रतिपूर्ति के प्रति सरकारी अनुदान भी **"एटीआई के अंतर्गत प्रशिक्षण शुल्क"** समूह शीर्ष के अंतर्गत उपयोग में लाए गए अनुदान के रूप में प्रभारित किए जाते हैं और मान्यताप्राप्त अनुदान आय से घटा दिए जाएंगे।

उसी तर्ज पर, पीएमएसएस योजना के तहत सदस्यता शुल्क, विज्ञापन आदि की प्रतिपूर्ति के लिए सरकारी अनुदान को भी समूह शीर्ष **"बी2बी योजना (पीएमएसएस) के तहत सदस्यता शुल्क, विज्ञापन, आदि"** के तहत उपयोग किए जाने वाले अनुदान के रूप में प्रभारित किया जाता है और मान्यता प्राप्त आय अनुदान से कम किया जाता है।

क्योंकि निगम वाणिज्यिक आधार पर उपर्युक्त सभी सेवाएं पहले ही दे रहा है, इसलिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की इकाईयों के मामले में निगम का वाणिज्यिक शुल्क का भुगतान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की एमएसई की इकाईयों के बजाए भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। अतः उपर्युक्त सभी प्रतिपूर्तियों को "सेवा की बिक्री" के अधीन अलग–अलग शीर्षों में **वाणिज्यिक राजस्व** के रूप में भी समझा जाता है।

ज) अनुमोदित दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुसार खर्च की गई रकम पर किसी भी सरकारी प्रोत्साहन स्कीम के कार्यान्वयन के लिए निगम को दिया जाने वाला प्रशासनिक व्यय, यदि कोई हो, (जिसमें मानीटरिंग और रख–रखाव संबंधी सहायता, निगम का वाणिज्यिक राजस्व आदि पर किए गए व्यय की रकम शामिल नहीं होगी) को, **"सरकारी स्कीम के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक प्रभार (अनुदान और सब्सिडीज)"** के समूह शीर्ष के अधीन प्रयुक्त अनुदान के रूप में प्रभारित किया जाता है और तदनुसार स्वीकृत अनुदान राजस्व से घटाया जाता है। चूंकि यह निगम का वाणिज्यिक राजस्व है, अतः उसे भी "सेवा की बिक्री" शीर्ष के अधीन **"सरकारी स्कीम के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक प्रभार (अनुदान और सब्सिडीज)"** समूह शीर्ष में वाणिज्यिक राजस्व के रूप में भी दर्शाया जाएगा।

झ) यह निगम प्रोत्साहन स्कीम भी चालू कर रही है, यथा खरीद और विपणन सहायता स्कीम (पीएमएसएस), अंतरराष्ट्रीय सहयोग (आईसी), आदि। ये स्कीम मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार **प्रतिपूर्ति आधारित स्कीम** हैं, जिनमें एनएसआईसी द्वारा डीसी–एमएसएमई/मंत्रालय के कार्यालय से निधियों की प्राप्ति होती है और जिनके संबंध में दावाकृत व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है और उस वर्ष में उसे तदनुरूप अनुदान के रूप में समझा जाता है, जिस वर्ष में यह निधि प्राप्त होती है। पीएमएसएस घटक के मामले को छोड़कर ई–कॉमर्स प्लेटफार्म को अपनाना।

ञ) एटीआई और एनएसएसएच स्कीम, यदि कोई हो, के अधीन प्रशिक्षण के कारण किए गए वास्तविक प्रत्यक्ष व्यय को संबंधित शीर्ष के सामान्य लेखा शीर्ष के अधीन वाणिज्यिक व्यय के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

ट) सरकारी अनुदान पर अर्जित ब्याज, यदि कोई हो, को अनुदान की मंजूरी की शर्तों के अनुसार भारत सरकार से प्राप्त अग्रिम के रूप में मान्यता दी जाती है और इसे भारत सरकार को भुगतान योग्य राशियों के रूप में दर्शाया जाता है।

ठ) यदि विभिन्न संवर्धनात्मक क्रियाकलापों के अग्रिम लेखाओं के अंतर्गत निवल परिणाम "घाटा" हो तो इसे वित्तीय परिसंपत्तियां शीर्ष के अंतर्गत "अनुदानों में घाटे के लिए भारत सरकार से प्राप्तियोग्य राशि" के रूप में दर्शाया जाता है और यदि "अधिशेष" है तो इसे वित्तीय देयताएं शीर्ष के अंतर्गत "अनुदानों में अधिशेष के लिए भारत सरकार को भुगतान योग्य राशि" के रूप में दर्शाया जाता है।

XIII. व्यय का आवंटन

वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए सीधे जिम्मेदार खर्च, संबंधित गतिविधियों के लिए प्रभारित किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष व्यय के मामले में, उन्हें वर्ष के दौरान विभिन्न वाणिज्यिक

गतिविधियों के तहत अर्जित राजस्व/आय के आधार पर आवंटित किया जाता है।

XIV. कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभ में, वेतन और मजदूरियां, भविष्य निधि, उपदान, छुट्टी नकदीकरण और अन्य सेवांत लाभ शामिल हैं।

क) अल्पावधि कर्मचारी लाभ

अल्पावधि कर्मचारी लाभों में, वेतनों, भत्तों, वार्षिक छुट्टी और रुग्णता छुट्टी जैसी कर्मचारी लागतें शामिल हैं, जो उस वर्ष के दौरान उपार्जित की जाती हैं, जिसमें निगम के कर्मचारियों द्वारा संबद्ध सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

अल्पावधि कर्मचारी लाभों के संबंध में मान्यताप्राप्त देयताएं, संबंधित सेवाओं के बदले में भुगतान किए जाने के लिए प्रत्याशित लाभों की अबट्टाकृत धनराशियों पर मापी जाती हैं।

ख) नियोजनोपरांत लाभ और अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

(i) <u>परिभाषित अंशदान योजना</u>

परिभाषित अंशदान, एक ऐसा नियोजनोपरांत लाभ है, जहाँ एनएसआईसी, भिन्न–भिन्न संगठनों में निश्चित अंशदान का भुगतान करता है और आगे धनराशियों का भुगतान करने के लिए उसका कोई विधिक या रचनात्मक दायित्व नहीं होगा। निगम द्वारा भविष्य निधि, पेंशन निधि एवं सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) में भुगतान किए गए अंशदानों को परिभाषित अंशदान योजना माना जाता है। वर्ष के दौरान भुगतान किए गए/भुगतान योग्य इन अंशदानों को, उस वर्ष, जिसमें संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं, के लिए लाभ एवं हानि विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

भविष्य निधि में अंशदान का भुगतान, किसी अलग न्यास के जरिए संचालित निधि में किया जाता है और पेंशन निधि में अंशदान का भुगतान, न्यास के जरिए भारतीय जीवन बीमा निगम में किया जाता है। पीआरएमबी के संबंध में, लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार चिकित्सा कॉप्रस सृजित किया जाता है, जिसका उपयोग, बीमा कंपनी को प्रीमियम का भुगतान करने के लिए किया जाता है। परोपकारी निधि में योगदान निधि के नियमों के अनुसार किया जाता है।

(ii) <u>परिभाषित लाभ योजना</u>

परिभाषित लाभ योजना, परिभाषित अंशदान योजना के अलावा एक अन्य नियोजनोत्तर लाभ योजना है। निगम द्वारा भुगतान किए जाने वाले उपदान, छुट्टी नकदीकरण और अन्य कर्मचारी लाभों नामतः रुग्णता छुट्टी, सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ते, के प्रति निगम की देयता को परिभाषित लाभ योजना के अंतर्गत माना जाता है।

ऐसी परिभाषित लाभ योजनाओं के अंतर्गत दायित्व का वर्तमान मूल्य, अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

पुनः मापन, जिसमें बीमांकिक लाभ और हानियां शामिल हैं, को प्रत्यक्षतः अन्य व्यापक आय में उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें वे होती हैं। अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता दिए गए पुनःमापन को तुरंत अवधारित अर्जनों में दर्शाया जाता है और उसे लाभ एवं हानि विवरण में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाता।

XV. पूर्वावधि व्यय और आय

पूर्वावधि से संबंधित आय/व्यय, जो प्रत्येक मामले में प्रचालनों से निगम के राजस्व के 0.25 प्रतिशत से अधिक नहीं है, को चालू वर्ष के आय/व्यय के रूप में माना जाता है।

XVI. पूर्व–प्रदत्त मदें

उत्तरवर्ती वर्ष (वर्षों) से संबंधित खर्चों को, पूर्व–प्रदत्त के रूप में केवल तभी माना जाता है, जहाँ यह भुगतान, प्रत्येक मामले में 1.00 लाख रुपए से अधिक हो।

XVII. कराधान

अवधि के खर्चों में, चालू कर और आस्थगित कर शामिल होते हैं। कर को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय उस सीमा तक, जिस सीमा तक यह अन्य व्यापक आय या प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित है, जहाँ कर को अन्य व्यापक आय या इक्विटी में भी मान्यता दी जाती है।

क) चालू कर

चालू कर, लागू होने वाली कर दरों और आय कर अधिनियम, 1961 तथा लागू होने वाले अन्य कर कानूनों के अनुसार यथानिर्धारित, वर्ष के लिए कर योग्य आय पर भुगतान योग्य कर है।

ख) आस्थगित कर

i. आस्थगित कर को, वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देयताओं की रखाव धनराशियों के बीच अस्थायी अंतरों के संबंध में मान्यता दी जाती है और तदनुसार धनराशियों का उपयोग, कराधान उद्देश्य के लिए किया जाता है।

ii. आस्थगित कर देयताओं को आमतौर पर, सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है।

iii. आस्थगित कर परिसंपत्तियों को आमतौर पर, केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जिस सीमा तक यह संभावना हो कि भावी कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके प्रति परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकता है।

iv. आस्थगित कर परिसंपत्तियों की रखाव धनराशि की समीक्षा, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है और उस सीमा तक घटा दिया जाता है, जिस सीमा तक अब यह संभावना न हो कि संबंधित कर लाभ प्राप्त हो जाएंगे।

ग) अतिरिक्त आय कर, जो लाभांश के वितरण से उत्पन्न होता है, को उस समय मान्यता दी जाती है, जब संबंधित लाभांश भुगतान करने की देयता को मान्यता दी जाती है।

XVIII. नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी में, हस्तगत नकदी, बैंकों में मांग जमा राशियां आदि शामिल होती हैं। समूह, नकदी समतुल्य को, सभी अल्पावधि शेषों (अर्जन की तारीख से तीन महीने या इससे कम की मूल परिपक्वता अवधि वाले), अत्याधिक अस्थिर निवेशों, जो नकदी की ज्ञात धनराशियों में तत्काल परिवर्तित हैं और जो मूल्य में परिवर्तनों के नगण्य जोखिम के अधीन हों, के रूप में मानता है।

XIX. प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर मूल अर्जन का परिकलन इक्विटी शेयरधारकों पर आरोप्य अवधि के लिए निवल लाभ एवं हानि को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके किया जाता है।

XX. लाभांश

क) लाभांश आय

निवेश पर लाभांश को, उस आधार पर हिसाब में लिया जाता है, जब इसे प्राप्त करने का अधिकार सिद्ध हो जाता है।

ख) लाभांश व्यय

"समूह के शेयरधारकों को भुगतान योग्य लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तनों के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें उन्हें समय–समय पर आरबीआई डीआईपीएएम, सेबी, डीपीई, आदि द्वारा परिपत्रों/दिशानिर्देशों पर विचार करने के बाद क्रमशः शेयरधारकों की बैठक और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित/सिफारिश किया जाता है।

XXI. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह, भारतीय लेखांकन मानक–7 'नकदी प्रवाह विवरण' में यथाविनिर्धारित अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करके, रिपोर्ट किए जाते हैं।

XXII. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

क) प्रावधान

(i) प्रावधानों को, उस समय मान्यता दी जाती है, जब किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप निगम का कोई वर्तमान विधिक या रचनात्मक दायित्व हो, बशर्ते कि यह संभाव्य हो कि निगम के लिए इस दायित्व का निपटान करना आवश्यक होगा और दायित्व की धनराशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो।

(ii) प्रावधान के रूप में मानी गई धनराशि, दायित्व के जोखिमों और उसके इर्द–गिर्द की अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित प्रतिफल का सर्वोत्तम अनुमान होती है।

(iii) जब किसी प्रावधान का निपटान करने के लिए अपेक्षित कुछ या सभी आर्थिक लाभों के, किसी तृतीय पक्षकार से वसूल किए जाने की आशा हो तो प्राप्तियोग्य धनराशि को, परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, बशर्ते कि यह वास्तविक रूप से निश्चित हो कि प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जाएगी और प्राप्तियोग्य धनराशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

(iv) केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सरकारी संस्थाओं/सरकारी कंपनियों और अन्य केंद्रीय/राज्य सरकारी विभागों/निकायों से प्राप्य और ऋण एवं अग्रिमों से संबंधित प्रावधानों, यदि अपेक्षित हों, को लागू किया जाता है, बशर्ते कि प्रबंधकवर्ग द्वारा इसे उचित समझा जाए।

(v) उस सीमा तक नियति और विपणन स्कीम के अधीन "प्राप्य रकमों" के संबंध में प्राप्य रकमों के लिए प्रावधान नहीं किया जाता है, जब तक वे "देय" के अधीन वह रकम दर्शायी जाती है और जिस सीमा तक आपूर्तिकर्ताओं के साथ बैक टू बैक व्यवस्था के अधीन उस लेन–देन के संबंध में आपूर्तियों के लिए आपूर्तिकर्ता को देय रकम के अनुसार सेवा प्रभार समायोजित किए जाते हैं।

(vi) भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 13.03.2020 की अधिसूचना संख्या आरबीआई/2019–20/170 डीओआर (एनबीएफसी) सीसी. पीडी संख्या 109/22.10.106/2019–20 के आधार पर ईसीएलएस को भारतीय लेखांकन मानक–109 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय विलेखों से हानि संबंधी छूटों के रूप में मान्यता दी जाती है।

(vii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए भारतीय लेखांकन मानकों व आईआरएसी प्रूडेंशियल मानदंड के संदर्भ में प्राप्य व ऋण एंव अग्रिमों (ब्याज संस्पेंस खाते के निवल) के लिए वर्गीकरण और मानदण्ड की व्याख्या यहाँ संलग्न किया गया है।

ख) आकस्मिक देयताएं

आकस्मिक देयताएं, पिछले कार्य कार्यक्रमों से उत्पन्न एक संभावित दायित्व है, जिसके अस्तित्व की पुष्टि, निगम नियंत्रण के पूरी तरह अंदर न होने वाले एक या एक से अधिक अनिश्चित भावी घटना के घटित होने या घटित न होने द्वारा की जाएगी। जहाँ यह संभावना नहीं है कि आर्थिक लाभों का बहिर्वाह आवश्यक या धनराशि का अनुमान, विश्वसनीय ढंग से नहीं लगाया जा सकता तो दायित्व का प्रकटीकरण, आकस्मिक देयता के रूप में किया जाता है, जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की संभाव्यता बहुत ही कम न हो।

निगम, आकस्मिक देयताओं के अस्तित्व का प्रकटीकरण, वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में करता है। आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण, प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर करता है और यह निर्धारित करने के लिए क्या आर्थिक संसाधनों का बहिर्वाह संभाव्य हो गया है, प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख को निरंतर इनकी समीक्षा/मूल्यांकन किया जाता है। यदि बहिर्वाह संभाव्य हो जाता है तो तुलनात्मक प्रावधान को, प्रबंधन के चालू अनुमान प्रदर्शित करने के लिए वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाती है।

ग) आकस्मिक परिसंपत्तियां

आकस्मिक परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी जाती बल्कि इनका प्रकटीकरण उन टिप्पणियों में किया जाता है, जो आमतौर पर योजना न बनाई गई या अन्य अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न होती हैं, जो आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की संभाव्यता को जन्म देता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों का मूल्यांकन निरंतर रूप से यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि क्या आर्थिक लाभों को अंतर्वाह वास्तव में निश्चित हो गया है। इसके पश्चात ऐसी परिसंपत्तियों और तुलनात्मक आय को वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाएगी।

XXIII. वित्तीय विलेख

वित्तीय विलेख, एक ऐसा संविदा है, जिससे एक कंपनी की वित्तीय परिसंपत्ति उत्पन्न होती है और दूसरी कंपनी की वित्तीय देयता या इक्विटी विलेख उत्पन्न होता है।

क. वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों की आरंभिक मान्यता और मापन

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को आरंभतः उचित मूल्य पर मापा जाता है, सिवाय व्यापार प्राप्तव्यों के मामलों में, जिसमें इन्हें लेन–देन के मूल्य पर मापा जाता है। लेन–देन लागतें, जो प्रत्यक्षतः वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं (लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्ति के अलावा (एफवीटीपीएल) के अर्जन या निर्गमन के कारण होती हैं, आरंभिक मान्यता पर, वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं, जैसा भी उपयुक्त हो, के उचित मूल्य में जोड़ दी जाती हैं या उनमें से घटा दी जाती हैं। एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्ति के अर्जन के कारण प्रत्यक्षतः लेन–देन लागतों को, लाभ एवं हानि विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है।

ख. वित्तीय परिसंपत्तिया

वित्तीय परिसंपत्तियों में, निवेश, ऋण, व्यापार प्राप्य, प्रतिभूति जमा राशियां, नकदी और नकदी समतुल्य आदि शामिल हैं। मापन, उस उद्देश्य, जिसके लिए ये परिसंपत्तियां अर्जित की गई थीं, पर निर्भर करते हुए आरंभिक मान्यता पर किसी परिसंपत्ति का वर्गीकरण निर्धारित करता है।

I. उत्तरवर्ती मापन

उत्तरवर्ती मापन के उद्देश्य के लिए, वित्तीय परिसंपत्तियां, आरंभिक मान्यता पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत की जाती हैं:

1) प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का इस्तेमाल करके परिशोधित लागत पर

2) लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर (एफवीटीपीएल)

3) अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर (एफवीओसीआई)

एफवीटीपीएल पर परिसंपत्तियों के अलावा, अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियां, कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर हानिकरण हेतु समीक्षा के अधीन हैं।

i. परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ – कोई वित्तीय परिसंपत्ति, परिशोधित लागत पर मापी जाएगी, यदि निम्नलिखित

शर्तों में से दोनों शर्तें पूरी की गई हों:

क) वित्तीय परिसंपत्ति किसी ऐसे व्यवसाय मॉडल के अंदर रखी गई हो, जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह प्राप्त करने की दृष्टि से वित्तीय परिसंपत्तियां रखना है।

ख) वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदात्मक शर्तें, विशेष तारीखों को ऐसे नकदी प्रवाह उत्पन्न करना है, जो अनन्य रूप से मूलधन और मूलधन की बकाया धनराशि पर ब्याज के भुगतान हों।

आरंभिक मापन के पश्चात ये वित्तीय परिसंपत्तियां बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का इस्तेमाल करके परिशोधित लागत पर मापी जाती है। यह ईआईआर पद्धति किसी वित्तीय परिसंपत्ति की लागत का परिकलन करने और सुसंगत अवधि में ब्याज आय आबंटित करने की एक पद्धति है। प्रभावी ब्याज दर, वह दर है, जो वित्तीय परिसंपत्ति के प्रत्याशित जीवनकाल के जरिए या जहां उपयुक्त हो, आरंभिक मान्यता पर निवल रखरखाव धनराशि की अपेक्षाकृत कम अवधि की प्रत्याशित भावी नकदी प्राप्तियों (भुगतान की गई या प्राप्त की गई सभी शुल्कों सहित, जो प्रभावी ब्याज दर, लेन–देन लागतें और अन्य प्रीमियमों और छूटों का एक अभिन्न अंग है) में सही–सही बट्टाकृत करती हैं।

निगम की नकदी और नकदी समतुल्य, व्यापार प्राप्य और अन्य ऋण तथा अग्रित वित्तीय विलेखों की इस श्रेणी में आते हैं।

ii. अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर (एफवीटीओसीआई) – कोई वित्तीय परिसंपत्ति, अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर मापी जाएगी, यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी की गई हैं:

क) व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य, संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करके और वित्तीय परिसंपत्तियाँ बेचकर प्राप्त किया गया हो; तथा

ख) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह के लिए ऐसी निर्दिष्ट तिथियों को निर्धारित करती हैं, जो मूलधन पर मूलधन और ब्याज का एकमात्र भुगतान (एसपीपीआई) बकाया हैं।

ग) उचित मूल्य संचालनों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है और आरक्षित में संचित किया जाता है।

इक्विटी विलेख, एफवीटीओसीआई पर वर्गीकृत किए जाते हैं, जिनमें लाभांशों को छोड़कर विलेख पर सभी उचित मूल्य परिवर्तनों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। निवेश की बिक्री पर भी ओसीआई से लाभ एवं हानि में धनराशियों की रिसाइक्लिंग नहीं की जाती। तथापि, कंपनी, संचयी लाभ या

हानि को इक्विटी के अंदर अंतरित कर सकती है।

स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध इक्विटी शेयर, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में, वित्तीय वर्ष के अंतिम व्यापार दिवस के भारित औसत मूल्य पर मूल्यांकित किए जाते हैं।

iii. लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)

कोई वित्तीय परिसंपत्ति, एफवीटीपीएल पर मापी जाती है, जब तक यह लाभ एवं हानि का विवरण में माने गए उचित मूल्य में सभी परिवर्तनों के साथ परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई पर न मापी गई हो।

iv) सहायक कंपनियों में निवेश

सहायक कंपनियों में निवेश वित्तीय विवरणों में ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है, सिवाय इसके कि जब निवेश, या उसके एक हिस्से को बिक्री के लिए रखा गया हो, उस स्थिति में इसे बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू परिसंपत्तियों और बंद किए गए परिचालन के रूप में माना जाता है। लागत पर किए गए सहायक कंपनियों में निवेश को इंडस्ट्रीज एएस 36 परिसंपत्तियों की हानि के अनुसार हानि के लिए परीक्षण किया जाता है। निवेश की वहन राशि को उसकी पुनर्प्राप्ति योग्य राशि की उसकी वहन राशि के साथ तुलना करके एकल परिसंपत्ति के रूप में हानि के लिए परीक्षण किया जाता है, पहचानी गई कोई भी हानि हानि निवेश की वहन राशि को कम कर देती है।

II. वित्तीय परिसंपत्तियों में हानिकरण

निगम प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में साक्ष्य या सूचना, जो अनुचित लागत या प्रयास के बिना उपलब्ध हो, के आधार पर हानिकरण के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह (लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर रखी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा) की जांच करता है। प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का मूल्यांकन किया जाता है और हानिकरण क्षति को मान्यता दी जाती है, यदि वित्तीय परिसंपत्ति के क्रेडिट जोखिम में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है।

हानिकरण क्षतियों और प्रत्यावर्तनों को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अंतर्गत हानिकरण मॉडल, वित्तीय विलेखों पर लागू होता है, जो नीचे सूचीबद्ध हैं:

1. वित्तीय परिसंपत्तियां, जो ऋण विलेख हैं, परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं। जैसें ऋण, ऋण प्रतिभूतियां, जमा और बैंक शेष।
2. इक्विटी निवेश, अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के जरिए उचित मूल्य पर मापे जाते हैं।
3. ऋण प्रतिबद्धताएं, एफवीटीपीएल (लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य) पर नहीं मापी जाती।
4. इण्डएएस–116 के अधीन प्राप्य पट्टा
5. व्यापार और अन्य प्राप्य सामग्री

भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 13.03.2020 की अधिसूचना संख्या आरबीआई/2019–20/170 डीओआर (एनबीएफसी) सीसी. पीडी संख्या 109/22.10.106/2019–20 के आधार पर ईसीएलएस को भारतीय लेखांकन

मानक–109 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय विलेखों से हानि संबंधी छूटों के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

क) कच्चा माल सहायता, बिल बट्टा, मियादी ऋण, संमिश्र मियादी ऋण और बैंकों से प्राप्त ऋणों के अधीन ग्राहकों को दिया जाने वाला ऋण और अग्रिम।

ख) किराया खरीद, पट्टा, विपणन और अन्य (जिसमें बिक्री सेवा वाले लेन–देनों के कारण प्राप्त होने वाली रकम भी शामिल है) के अधीन होने वाली देयताओं के संबंध में व्यापार से प्राप्त राशि।

भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 13–03–2020 की उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसार किराया खरीद, पट्टा, कच्चा माल सहायता, बिल पट्टा, मियादी ऋण, संमिश्र मियादी ऋण बैंकों आदि से प्राप्त होने वाली रकम संबंधी स्कीमों के अधीन देयताओं के संबंध में प्राप्त होने वाली रकम सहित वित्तीय स्कीम के अधीन प्राप्त होने वाली रकम और ऋण एवं अग्रिम, जिनमें इण्डएएस–109 के अधीन हानि भत्ता आईआरएसीपी के अधीन अपेक्षित प्रावधान से कम हो (जिसमें मानक परिसंपत्तियों का प्रावधान भी शामिल है, एनएसआईसी **"हानि आरक्षित निधि"** को पृथक करने के लिए कर के बाद अपने निवल लाभ या हानि से इस अंतर को पृथक करता है। इस प्रकार का अंतरण कर के बाद लाभ या हानि के अनुसार पृथक करने के बजाय लाभ के अनुसार प्रभारित किया जाएगा।

III. वित्तीय परिसंपत्तियों की विमान्यताकरण

वित्तीय परिसंपत्तियों का विमान्यताकरण तब किया जाता है जब वित्तीय परिसंपत्तियों से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाता है या परिसंपत्तियों से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के संविदात्मक अधिकार अंतरित कर दिए जाते हैं।

पूरी तरह किसी वित्तीय परिसंपत्ति के विमान्यकरण पर परिसंपत्ति की रखाव धनराशि और प्राप्त हुए या प्राप्तियोग्य प्रतिफल तथा संचयी लाभ या हानि, जिसे अन्य व्यापक आय और इक्विटी में संचित के रूप में मान्यता दी गई थी, की रकम के बीच के अंतर को लाभ एवं हानि के विवरण के रूप में मान्यता दी जाती है, यदि यह लाभ या हानि उस वित्तीय परिसंपत्ति के निपटान पर लाभ एवं हानि विवरण में अन्यथा मान्यता दी गई हो।

ख. वित्तीय देयता

निगम की वित्तीय देयताओं में व्यापार तथा अन्य भुगतान योग्य राशियां, बैंक ड्राफ्टों सहित ऋण और उधार, बयाना राशि जमा और अवधारित धनराशि शामिल है।

सभी वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, और उधार तथा देय राशि के मामले में इसे सीधे तौर पर जिम्मेदार लेनदेन लागत को घटाकर किया जाता है।

I. उत्तरवर्ती मापन

i. **परिशोधित लागतों पर वित्तीय देयताएं–** आरंभिक मापन के

पश्चात ये वित्तीय परिसंपत्तियां बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं। लाभ और हानियों को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है जब ये देयताएं विमान्यताकृत कर दी गई हों और इन्हें ईआईआर परिशोधन की प्रक्रिया के जरिए मान्यता दी जाती है। परिशोधित लागत, किसी अधिग्रहण पर किसी बट्टे या प्रीमियम और ऐसे शुल्कों या लागतों, जो ईआईआर का अभिन्न अंग हैं, को ध्यान में रखते हुए परिकलित की जाती हैं। ईआईआर परिशोधन को लाभ एवं हानि विवरण में वित्तपोषण लागत के रूप में शामिल किया जाता है। यह श्रेणी आमतौर पर उधारों, भुगतान योग्य राशियों और अन्य संविदात्मक देयताओं पर लागू होती है।

ii. **लाभ एवं हानि विवरण के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं** में ट्रेडिंग के लिए रखी गई वित्तीय देयताएं और लाभ एवं हानि विवरण के जरिए उचित मूल्य पर आरंभिक मान्यता पर नामजद वित्तीय देयताएं शामिल हैं। उन वित्तीय देयताओं, जिनका निपटान 12 महीनों के अंदर किया जाना हो, के रखाव मूल्य को उसका उचित मूल्य माना जाता है।

II. **वित्तीय देयताओं का विमान्यकरण**

किसी वित्तीय देयता को उस समय विमान्यताकृत किया जाता है जब देयता के अंतर्गत दायित्व का निर्वहन कर दिया गया हो या रद्द कर दिया गया हो या उसकी अवधि समाप्त हो गई हो। जब कोई वर्तमान वित्तीय देयता उत्तरवर्ती भिन्न शर्तों या किसी वर्तमान देयता की शर्तों पर उसी ऋणदाता से अन्य ऋणदाता द्वारा प्रतिस्थापित कर दी जाती है तो उसे बाद में संशोधित कर दिया जाता है और इस प्रकार की अदला–बदली या संशोधन को मूल देयता का विमान्यकरण और नई देयता की मान्यता माना जाता है। संबंधित रखाव धनराशियों में आए अंतर को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

****

लेखांकन नीति- XXIII (क) (vii) का अनुलग्नक

प्राप्य और ऋणों व अग्रिमों का वर्गीकरण और प्रावधान करने के मापदंड

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी इण्डएएस और आईआरएसी विवेकपूर्ण मानदंडों के संबंध में प्राप्तियों और ऋणों व अग्रिमों (उचंत खाते के ब्याज को घटाकर) के वर्गीकरण और मानदंड निम्नानुसार हैः

1. प्रतिभूत प्राप्य और ऋण एवं अग्रिम

व्यापार से प्राप्य रकम और ऋण एवं अग्रिम को **"प्रतिभूत"** के रूप में समझा जाएगा (बशर्ते कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)। इसे उस सीमा तक प्रतिभूत समझा जाएगा, जहां तक एनएसआईसी के पास नगद प्रतिभूतियां उपलब्ध हों, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ बाजार मूल्य/डब्लूडीवी/ऐसी परिसंपत्तियों का वचनबद्ध मूल्य (जो विधिक/जब्त किए गए मामलों से संबंधित हों) और जिनकी वित्त व्यवस्था की गई हो (जो यूनिट/एनएसआईसी के कब्जे के रूप में अभिनिर्धारित हों और उसके पास पड़े हों। यूनिट से प्राप्त अग्रिम, अग्रिम धन जमा (ईएमडी), जब्त की गई मशीनें, प्रतिफल की धनराशि, अग्रिम की किस्त/ किराया, किराएदारों से प्राप्त अग्रिम/मशीनों की खरीद पर अग्रिम, जो अचल संपत्ति का संयुक्त प्रतिभूति इक्विटेबल बंधक से प्राप्त हुई हो, सरकारी विभागों, विधिमान्य बैंक गारंटी (बीजी)/ साख पत्र (एलसी) या किसी अन्य मूर्त प्रतिभूति/प्रतिभूति जमा से प्राप्त हुई हो, जो संविदा के विधिमान्य करार/ संविदा/ अधिकार/ एनएसआईसी के स्वामित्व की यूनिटों की रकम, जिनमें "बैक टू बैक" व्यवस्था के अधीन लेनदेन भी शामिल है, उस सीमा तक थोक आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया गया, अग्रिम (जिसकी व्यवस्था एनएसआईसी के साथ किए गए समझौता ज्ञापन में हो, जिसके संबंध में एमएसएमई और / या बीजी पर आरएमए के अधीन स्वीकृत सीमा में से भुगतान की गई रकम, एनएसआईसी द्वारा भुगतान की गई प्रतिभूति जमा और तदनुसार आपूर्तिकर्ताओं के क्रेताओं द्वारा जमा की गई रकम, जिसका प्रावधान एनएसआईसी के पास रखी गई प्रतिभूति में भी किया गया है (जिसमें संविदा के अधिकारों के अधीन प्रतिभूति जमा रकम भी शामिल है), प्रायोजित प्रशिक्षण की बकाया देयता के बराबर या 180 दिन से कम हो, विद्यमान कर्मचारियों को दिया गया कर्मचारी अग्रिम और उस पर उपार्जित ब्याज भी शामिल है, इसमें सहायता की स्वीकृति की शर्तों के अनुसार यूनिटों से प्राप्त सभी प्रतिभूतियां भी शामिल हैं।

उपर्युक्त के अंतर्गत नहीं आने वाली धनराशियों को **'अप्रतिभूत'** माना जाता है।

2. वित्तीय लिखतों का वर्गीकरण

इण्डएएस–109 के अनुसार प्राप्य राशि और ऋण एवं अग्रिम से संबंधित वित्तीय लिखत और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए आईआरएसी विवेक पूर्ण मापदंड के अनुसार वित्तीय स्कीमों के वित्तीय लिखतों का आगे वर्गीकरण में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल होंगीः

(i) **व्यापार से प्राप्त होने वाली राशिः** वित्तीय योजनाओं के अधीन व्यापार से प्राप्त होने वाली राशि में किराया खरीद और पट्टे के अधीन देयताओं के संबंध में प्राप्य राशि शामिल होती है, जबकि गैर वित्तीय योजनाओं में विपणन संबंधी क्रियाकलापों और अन्य (जिनमें बिक्री सेवा संबंधी लेन–देनों के कारण प्राप्त होने वाली राशि भी शामिल है) के अधीन देयताओं के संबंध में प्राप्त होने वाली राशि शामिल है।

(ii) **ऋण एवं अग्रिमः** वित्त–व्यवस्था संबंधी योजनाओं के अधीन ऋण और अग्रिमों में कच्चा माल सहायता, थोक विक्रेताओं और खुदरा व्यापारियों को सहायता, बिल–बट्टा, मियादी ऋण, संमिश्र मियादी ऋण, बैंक से प्राप्त राशि आदि के अधीन देयताओं संबंधी प्राप्त होने वाली राशि शामिल है।

(iii) **अन्यः** गैर–वित्तीय स्कीमों के अधीन इन लिखतों में प्राप्त होने वाली रकम और ऋण एवं अग्रिम शामिल है, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ नकद या वस्तु के रूप में प्राप्त होने वाला अग्रिम भी शामिल है (जिनमें निगम के साथ किए गए समझौता ज्ञापन वाले थोक आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किए गए अग्रिम सहित बाह्य पक्षकारों को भुगतान किए गए अग्रिम मुख्य रूप से शामिल हैं), प्रतिभूति जमा, कर्मचारी अग्रिम, उपार्जित ब्याज, जो उस पर देय नहीं है भी शामिल है) और अन्य परिसंपत्तियां भी शामिल हैं।

3. प्राप्त होने वाली राशियों और ऋण एवं अग्रिमों के प्रावधान संबंधी मापदंडः

वित्तीय लिखतों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए विवेकपूर्ण आईआरएसी मापदंडों पर इण्डएएस–109

के अनुसार हानि भत्तों को स्वीकार करने के संबंध में विवरण नीचे दिया जा रहा हैः–

क) इण्डएएस–109 के अनुसार प्रावधानों से संबंधित मापदंड व्यापार से प्राप्त राशि, ऋण एवं अग्रिम की विभिन्न मदों के लिए नीचे दर्शायी गई है:–

(i) कच्चा माल सहायता, थोक विक्रेताओं और खुदरा व्यापारियों को सहायता, बिल बट्टा, बैंकों से प्राप्त होने वाली राशि और व्यापार एवं अन्य से प्राप्त होने वाली राशि के अधीन ऋण और अग्रिम:

चरण	बकाया प्राप्त राशियों और ऋण एवं अग्रिम का वर्गीकरण
चरण–1 (निष्पादन)	इसमें अन्य बातों के साथ–साथ ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनमें आरंभिक मान्यता से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं है, चूंकि इनकी पहचान पहले कर ली गई थी या ये ऐसी परिसंपत्तियां हैं, जिनके संबंध में रिपोर्टिंग की तारीख को कम क्रेडिट जोखिम हैं। इनमें अन्य परिसंपत्तियों के साथ–साथ ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियां भी हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: क) उस सीमा तक बीजी पर आरएमए, एडब्ल्यूआरटी और बिल बट्टा, जो विधिमान्य बीजी के मूल्य के अंतर्गत आती हो– हानि भत्ता निवल बकाया के @ 0.40 प्रतिशत की दर से ख) जहाँ निगम को कम जोखिम होने की संभावना हो, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं: ❖ जहाँ प्राप्त होने वाली राशि को नकद/मूर्त प्रतिभूति के रूप में प्रतिभूत समझा जाता है यथा ईएमडी/अग्रिम किस्त/किराया/यूनिट से प्राप्त अग्रिम, वसूली योग्य संपार्श्विक प्रतिभूति आदि। ❖ प्रायोजित प्रशिक्षण की बकाया देयता, जो उसके बराबर या 180 दिन से कम हो ❖ उस सीमा तक निर्यात और विपणन स्कीम के अधीन प्राप्त होने वाली रकम, जो आपूर्तिकर्ता के साथ ''बैक टू बैक'' व्यवस्था के अधीन उसी लेन–देन के संबंध में आपूर्तियों के लिए आपूर्तिकर्ता को देय रकम तक। ऐसे मामलों में, क्योंकि यहाँ ईसीएल नहीं होता है, अतः इसमें हानि भत्ते का प्रावधान नहीं किया गया है।
चरण–2 (निष्पादन के अधीन	चरण–2 के अधीन वे वित्तीय परिसंपत्तियां आती हैं, जिनमें आरंभिक मान्यता से क्रेडिट जोखिम में काफी वृद्धि होती है, परंतु जिनमें हानि होने का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होता है। इनमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित मामले शामिल होते हैं:– **क) संपार्श्विक के प्रति आरएमए और बिल डिस्काउटिंग:** लंबे समय से बंद हो गई हैं या जिन्हें निगम द्वारा भविष्य में चालू रखने की योजना नहीं है, लेकिन जिनके पक्ष में उस सीमा तक वसूली योग्य प्रतिभूति है जो वसूली योग्य प्रतिभूति के ऐसे मूल्य से प्रतिभूत है– निवल बकाया का @ 100 प्रतिशत की दर से हानिकरणछूट। **ख) बैंक गारंटी के प्रति आरएमए, एडब्ल्यूआरटी और बिल डिस्काउटिंग:** इनमें ऐसे मामले शामिल हैं, जिनमें निगम द्वारा बैंक गारंटी मांगी गई है, लेकिन उनके दावे आस्थगित हैं या किसी आधार पर बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं और ऐसे मामले निगम द्वारा एएमआर सीडी, बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक के उच्च प्राधिकारियों, अन्य प्राधिकारियों आदि के सामने उठाए जाएंगे, ताकि उनके हस्तक्षेप से इन मुद्दों का समाधान हो सके और निगम के पक्ष में अंतिम प्राधिकारी का निर्णय प्राप्त हो। इसके अलावा, ऐसे मामले जिनमें निगम को भुगतान हेतु बैंक/प्राधिकरण से कोई मनाही/अस्वीकरण प्राप्त नहीं होता है और/या भुगतान एनसीएलटी/किसी न्यायालय/अन्य प्राधिकरणों आदि द्वारा स्थगित किया/रोका जाता है, – शुद्ध बकाया के @ 0.40% की दर से क्षतिपूर्ति भत्ता देय है। तथापि जहाँ तुलन–पत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले उपर्युक्त मामलों में कोई राशि प्राप्त होती है, किसी हानि संबंधी छूट का प्रावधान नहीं किया जाता है।

(ii) किराया खरीद, पट्टा, मियादी ऋण, संमिश्र मियादी ऋण, आदि के अधीन प्राप्त होने वाली राशि और ऋण एवं अग्रिम :

चरण	बकाया प्राप्यों और ऋण एवं अग्रिम का वर्गीकरण
चरण–3 (गैर निष्पादन)	चरण–3 की परिसंपत्तियों में वे वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल होंगी, जिनके संबंध में रिपोर्टिंग की तारीख को हानि का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। इसमें वे परिसंपत्तियां शामिल होती हैं, जो चरण 1 और 2 के अधीन नहीं आती हैं और इसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित बातें शामिल होती हैं:– क) ऐसी योजना, जो लंबे समय से बंद पड़ी हों और जिन्हें एनएसआईसी द्वारा भविष्य में चलाने का इरादा नहीं है और जिनके पक्ष में प्राप्त होने वाली कोई प्रतिभूति नहीं है।

चरण	बकाया प्राप्यों और ऋण एवं अग्रिम का वर्गीकरण
	ख) योजनाएँ यथा किराया खरीद (एचपी), पट्टा (ईएलएस), संमिश्र मियादी ऋण (सीटीएल) और मियादी ऋण (टीएल)। ग) ऐसी योजना, जिनमें कोई कपट नहीं है। घ) ऐसी योजना, जहाँ दावा स्वीकार करने के संबंध में बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक के साथ विवाद है और अंतिम प्राधिकारी जैसे (सीपीएसई के विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र–एएमआरसीडी है) का निर्णय एनएसआईसी के खिलाफ है। ङ) बाह्य पक्षकारों के पास पड़ी राशि/अग्रिम, जिसकी वसूली संदिग्ध है। च) एनएसआईसी छोड़ चुके/निगम से त्याग–पत्र देने वाले कर्मचारियों से प्राप्त की जाने वाली राशि और जहाँ बकाया के निपटान के लिए राशि उपलब्ध न हो। छ) प्रायोजित प्रशिक्षण से संबंधित बकाया देयताएं, जो 180 दिन से अधिक की हों। ज) ऐसी सभी अप्रतिभूत वसूल योग्य राशि और ऋण एवं अग्रिम ऐसे मामलों में निवल बकाया के @ 100 प्रतिशत की दर से हानिकरण छूट।

ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आईआरएसी विवेकपूर्ण मापदंडों के आधार पर मापदंडों का प्रावधान – यह प्रावधान व्यापार से प्राप्त राशियों, ऋण एवं अग्रिम की विभिन्न मदों से संबंधित है, जिन्हें नीचे दर्शाया गया है:

(i) किराया खरीद, पट्टा, मियादी ऋण और संमिश्र मियादी ऋण के अधीन प्राप्य राशियाँ :–

क्र. सं.	स्कीम	निवल बकाये का प्रावधान प्रतिशत
1.	किराया खरीद	100%
2.	पट्टा	
3.	संमिश्र मियादी ऋण	
4.	मियादी ऋण	

(ii) कच्चा माल सहायता, थोक विक्रेताओं और खुदरा व्यापारियों को सहायता और बिल बट्टा के अधीन प्राप्य राशि

क्र. सं.	बकाया प्राप्य राशियाँ और ऋण एवं अग्रिम का वर्गीकरण	निवल बकाये का प्रावधान प्रतिशत
1	मानक परिसंपत्तियां–270 दिनों तक	0.40%
2	घटिया परिसंपत्तियां (जिनका एनपीए एक वर्ष से कम हो)	10%
3	संदिग्ध परिसंपत्तियां	
	संदिग्ध परिसंपत्तियों का प्रतिभूत अंशः	
	एक वर्ष से संदिग्ध (अर्थात् दो वर्ष से एनपीए)	20%
	एक वर्ष से 3 वर्ष तक संदिग्ध (अर्थात् 2 से 4 वर्ष से एनपीए)	30%
	तीन वर्ष से अधिक अवधि से संदिग्ध (अर्थात् 4 वर्ष से अधिक अवधि से एनपीए)	50%
	प्रतिभूति के वसूली योग्य मूल्य द्वारा प्रतिभूत नहीं की गई जिनके संबंध में एनएसआईसी के पास विधिमान्य उपाय हों।	100%
4	हानि वाली परिसंपत्तियाँ, यदि बट्टे, खाते में न डाली गई हों	100%

(iii) बैंकों से प्राप्य राशियाँः

इनमें ऐसे मामले शामिल हैं, जिनमें निगम द्वारा बैंक गारंटी मांगी गई है, लेकिन उनके दावे आस्थगित हैं या किसी आधार पर बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं और ऐसे मामले निगम द्वारा एएमआरसीडी, बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक के उच्च प्राधिकारियों, अन्य प्राधिकारियों आदि के सामने उठाए जाएंगे, ताकि उनके हस्तक्षेप से इन मुद्दों का समाधान हो सके और एनएसआईसी के पक्ष में अंतिम प्राधिकारी का निर्णय प्राप्त हो। इसके

अलावा, ऐसे मामले जिनमें निगम को भुगतान हेतु बैंक/ प्राधिकरण से कोई मनाही/अस्वीकरण प्राप्त नहीं होता है और/या भुगतान एनसीएलटी/किसी न्यायालय/अन्य प्राधिकरणों आदि द्वारा स्थगित किया/रोका जाता है, – शुद्ध बकाया के @ 0.40% की दर से क्षतिपूर्ति भत्ता देय है।

तथापि जहाँ तुलन–पत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले उपर्युक्त मामलों में कोई राशि प्राप्त होती है, किसी हानि संबंधी छूट का प्रावधान नहीं किया जाता है।

ग) अन्य प्राप्यों और ऋणों एवं अग्रिमों के संबंध में प्रावधान संबंधी मापदंड :

(i) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सरकारी संस्थाओं/सरकारी कंपनियों और अन्य केन्द्रीय/राज्य सरकारी विभागों/निकायों से प्राप्य राशियों और ऋण एवं अग्रिमों के संबंध में प्रावधान, यदि अपेक्षित हों, किए जाते हैं, जहाँ प्रबंधक वर्ग द्वारा ऐसा करना उचित समझा जाता है।

(ii) ऐसी प्राप्य राशियों, ऋण एवं अग्रिम के संबंध में वर्गीकरण और प्रावधान को नीचे दर्शाया गया है:

क्र. सं.	बकाया प्राप्य राशियाँ और ऋण एवं अग्रिम का वर्गीकरण	निवल बकाये का प्रावधान प्रतिशत
1	निम्नलिखित सभी प्राप्य राशियाँ और ऋण एवं अग्रिम 'सुरक्षित' माने जाते हैं (जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो): क) सरकारी विभागों/संस्थानों/उपक्रमों से देय प्राप्य राशियाँ और ऋण एवं अग्रिम ख) सभी प्राप्य राशियाँ, ऋण और अग्रिम, जिनके प्रति निगम के पास मूर्त वसूलीयोग्य प्रतिभूति है ग) एमएसएमईज से पहले ही प्राप्त कर लिए गए अग्रिम की सीमा तक थोक आपूर्तिकर्ताओं (जिनका निगम के साथ समझौता ज्ञापन है) को दिए गए अग्रिम और/या बैंक गारंटी के प्रति आरएमए के अंतर्गत मंजूर की गई सीमा में से भुगतान की गई धनराशि घ) निगम द्वारा भुगतान की गई प्रतिभूति जमा राशियां और तदनुरूपी आपूर्तियों के क्रेता भी निगम को प्रतिभूति उपलब्ध कराते हैं (संविदात्मक अधिकारों के अंतर्गत प्रतिभूति जमा राशियों सहित)। ङ) संविदात्मक वैध करार/संविदा के अंतर्गत निगम द्वारा भुगतान की गई सभी प्राप्य राशियाँ और ऋण एवं अग्रिम/प्रतिभूति जमा च) निगम में कार्यरत कर्मचारियों से	शून्य
2	**"हानिकृत"** के रूप में माने गए प्राप्तव्य और ऋण एवं अग्रिम (जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो) जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं: (क) बाह्य पक्षकारों के पास धनराशि/अग्रिम और वसूली के लिए संदिग्ध। (ख) निगम की सेवा छोड़ देने वाले/त्यागपत्र दे देने वाले कर्मचारियों से प्राप्तियोग्य धनराशि और जब बकाया राशि को प्रतितुलित करने के लिए कोई धनराशि उपलब्ध हो।	100%

,,,,,,,,,

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

[सीआईएन नं. : यू74140डीएल1955जीओआई002481]

31.03.2023 को यथास्थिति एकल तुलन–पत्र

(लाख रू. में)

विवरण		नोट संख्या	31.03.23 को यथास्थिति		31.03.22 को यथास्थिति	
	परिसंपत्तियां					
1	**वित्तीय परिसंपत्तियां**					
(क)	नकदी एवं नकदी समतुल्य	3	8896.38		18555.25	
(ख)	नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	4	62.44		58.83	
(ग)	व्यापार प्राप्य	5	16303.10		14061.53	
(घ)	ऋण एवं अग्रिम	6	265648.04		247550.15	
(ड़)	निवेश	7	910.28		870.85	
(च)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	8	1493.73	293313.97	1948.89	283045.50
2	**गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां**					
(क)	माल–सूचियां	9	11.48		12.26	
(ख)	वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	10	186.11		699.24	
(ग)	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	11	3528.14		3848.57	
(घ)	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	12	28720.85		28343.23	
(ड़)	चालू पूंजीगत कार्य	12	437.42		750.33	
(च)	विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	12	35.65		23.39	
(छ)	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	12	58.32		82.95	
(ज)	उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियां	12	54.16		55.00	
(झ)	बिक्री के लिए वर्गीकृत परिसंपत्तियां	12	0.21		0.21	
(ञ)	अन्य गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां	13	4471.54	37503.88	1938.41	35753.59
	कुल परिसंपत्तियां			**330817.85**		**318799.09**
	देयताएं और इक्विटी					
1	**वित्तीय देयताएं**					
	(क) देयताएं					
	(i) व्यापार देयताएं					
	एमएसईज की बकाया देय धनराशियां	14	16463.62		14348.24	
	गैर–एमएसईज की बकाया देय धनराशियां	14	113.32		112.40	
	(ii) अन्य देय धनराशियां					
	एमएसईज की बकाया देय धनराशियां	14	0.00		0.00	
	गैर–एमएसईज की बकाया देय धनराशियां	14	0.00		0.00	
(ख)	उधार	15	155586.97		152335.57	
(ग)	अन्य वित्तीय देयताएं	16	19747.52	191911.43	21581.33	188377.54
2	**गैर–वित्तीय देयताएं**					
(क)	वर्तमान कर देयताएं (निवल)	10	0.00		0.00	
(ख)	प्रावधान	17	11412.02		11043.72	
(ग)	आस्थगित कर देयताएं (निवल)	11	0.00		0.00	
(घ)	अन्य गैर–वित्तीय देयताएं	18	2147.13	13559.15	1978.73	13022.45
3	**इक्विटी**					
(क)	इक्विटी शेयर पूंजी	19	53298.80		53298.80	
(ख)	अन्य इक्विटी	20	72048.47	125347.27	64100.30	117399.10
	कुल देयताएं और इक्विटी			**330817.85**		**318799.09**
	लेखाओं पर अन्य टिप्पणियां	35				

कॉरपोरेट सूचना विवरण (टिप्पणी–1), लेखांकन नीतियां (टिप्पणी–2)

टिप्पणीः उपर्युक्त संदर्भित टिप्पणियां 1 से 35 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

इक्विटी स्टेटमेंट में परिवर्तन तुलन पत्र का अभिन्न अंग है और लाभ एवं हानि लेखों का विवरण के पश्चात रखा गया है

इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
गोयल पारूल एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 016750एन

ह./–
(पारूल गोयल)
साझेदार
[सदस्यता सं.: 099172]
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.08.2023
यूडीआईएन : 23099172बीजीवीजेड़एटी9630

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह./–
गौरव गुलाटी
निदेशक (वित्त)
[डीआईएन नं.: 10144109]

ह./–
विपुल गोयल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
[डीआईएन नं.: 10229523]

ह./–
पार्थ माझी
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

ह./–
निष्ठा गोयल
कंपनी सचिव
[सदस्यता संख्याः ए22768]

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

[सीआईएन नं. : यू74140डीएल1955जीओआई002481]

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि (वाणिज्य) का एकल विवरण

(लाख रू. में)

विवरण		नोट संख्या	31.03.23 को यथास्थिति	31.03.23 को यथास्थिति
I	**राजस्व**			
क	प्रचालनों से राजस्व	21		
	उत्पादों की बिक्री		232491.66	221163.92
	सेवाओं की बिक्री		10994.01	9087.87
	ब्याज आय		28316.10	26130.56
	शुल्क और कमीशन आय		4730.12	4735.83
	[इसमें संचालित माल और प्रदान की गई सेवा के लिए 4730.12 लाख रू. (4735.83 लाख रू.) के मूल्य के अर्जित प्रोसेसिंग शुल्क सेवा प्रभार 1684329.65 लाख रू. (1819418.11 लाख रू.) शामिल है।]			
	अन्य प्रचालन आय		481.88	751.80
	प्रचालन से कुल राजस्व		**277013.77**	**261869.98**
ख	अन्य आय	22	160.70	121.87
ग	अनुदान और सब्सिडियां	23	10508.11	6700.65
	कुल राजस्व (क + ख + ग)		**287682.58**	**268692.50**
II	**व्यय**			
	उत्पादों की खरीद	24	231796.49	220204.04
	माल–सूचियों में परिवर्तन	25	0.00	1.91
	कर्मचारी लाभ व्यय	26	13377.28	13401.23
	वित्त लागतें	27	9084.67	6261.56
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	28	703.59	742.00
	निगमित सामाजिक जिम्मेदारी	29	278.27	230.60
	अन्य व्यय	30	17546.99	13237.01
	शुल्क और कमीशन व्यय	34	84.09	71.85
	कुल व्यय		**272871.38**	**254150.20**
III	**आपवादिक मदों, और कर से पूर्व लाभ**		**14811.20**	**14542.30**
	आपवादिक मदें (टिप्पणी–35 के बिंदु संख्या 4ई(बी) का संदर्भ लें)		-13.94	-6.20
IV	**कर पूर्व लाभ**		**14825.14**	**14548.50**
	कर व्यय	31		
	वर्तमान कर		3500.00	3500.00
	आस्थगित कर		310.68	234.25
	पूर्ववर्ती वर्ष		-33.81	-8.33
V	**कुल कर व्यय**		**3776.87**	**3725.92**
VI	**चल रहे प्रचालनों से अवधि के लिए कर–पश्चात लाभ**		**11048.27**	**10822.58**
VII	बंद हो गए प्रचालनों से लाभ		0.00	0.00
VIII	बंद हो गए प्रचालनों से कर व्यय		0.00	0.00
IX	बंद हो गए प्रचालनों से लाभ (कर–पश्चात)		0.00	0.00

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

[सीआईएन नं. : यू74140डीएल1955जीओआई002481]

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि (वाणिज्य) का एकल विवरण

(लाख रू. में)

विवरण		नोट संख्या	31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.22 को समाप्त वर्ष के लिए
X	**अवधि के लिए लाभ**		**11048.27**	**10822.58**
XI	**अन्य व्यापक आय**			
क	मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा–निवेश		35.69	94.70
	मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा–बीमांकिक सुनिश्चित लाभ स्कीमों पर लाभ/हानि		3.02	-141.37
	उन मदों से संबंधित आय कर जिन्हें लाभ/हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-9.73	11.75
	उप जोड़ (क)		**28.98**	**-34.92**
ख	मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा		0.00	0.00
	उन मदों से संबंधित आय कर, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा		0.00	0.00
	उप जोड़ (ख)		**0.00**	**0.00**
	अन्य व्यापक आय (क + ख)		**28.98**	**-34.92**
XII	**अवधि के लिए कुल व्यापक आय (X + XI) (लाभ/(हानि) सहित) और अवधि के लिए अन्य व्यापक आय)**		**11077.25**	**10787.66**
XIII	**प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (सतत प्रचालनों के लिए)**	**32**		
	मूल (रु.)		20.73	20.31
	तनुकृत (रु.)		20.73	20.31
XIV	**आकस्मिक देयताएं**	**33 (i)**	**3974.46**	**1286.20**
XV	**पूंजीगत प्रतिबद्धताएं**	**33 (ii)**	**986.82**	**3296.75**
	लेखाओं पर अन्य टिप्पणियां	**35**		
	कॉरपोरेट सूचना विवरण (टिप्पणी–1) और लेखांकन नीतियां (टिप्पणी–2)			
	टिप्पणी: उपर्युक्त संदर्भित टिप्पणियां 1 से 35 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं। इक्विटी स्टेटमेंट में परिवर्तन तुलन पत्र का अभिन्न अंग है और लाभ एवं हानि लेखों का विवरण के पश्चात रखा गया है			

इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
गोयल पारूल एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 016750एन

ह./–
(पारूल गोयल)
साझेदार
[सदस्यता सं.: 099172]
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.08.2023
यूडीआईएन : 23099172बीजीवीजेड़एटी9630

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह./–
गौरव गुलाटी
निदेशक (वित्त)
[डीआईएन नं.: 10144109]

ह./–
विपुल गोयल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
[डीआईएन नं.: 10229523]

ह./–
पार्थ माझी
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

ह./–
निष्ठा गोयल
कंपनी सचिव
[सदस्यता संख्या: ए22768]

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

[सीआईएन नं. : यू74140डीएल1955जीओआई002481]

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लेखाओं के भाग के रूप में संलग्न एकल नकद प्रवाह विवरण

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.22 को समाप्त वर्ष के लिए
कर से पूर्व शुद्ध निवल (+) लाभ/ (–) हानि	**14,825.14**	**14,548.50**
गैर–नकद/गैर–प्रचालन मदों के लिए समायोजनः		-
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	703.57	742.02
परिसंपत्तियों/अमूर्त की बिक्री/निपटान पर लाभ	(13.94)	(10.70)
परिसंपत्तियों/अमूर्त वस्तुओं की बिक्री/निपटान पर हानि	-	4.51
प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ (टर्मिनल लाभ)	1,381.46	1,593.95
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान (विनिमय भिन्नता)	408.13	425.07
अशोध्य ऋण माफ किये गये	17.35	7.75
विदेशी मुद्रा लेनदेन और संक्रमण पर हानि (शुद्ध)/(–)लाभ	-	(85.57)
यह अर्जित है लेकिन उधार पर देय नहीं है	8.52	13.01
छूट का प्रभाव (डेबिट)	21.40	53.62
छूट का प्रभाव (क्रेडिट)	(75.90)	(28.02)
लाभांश आय	(61.78)	(2.35)
बैंकों में एफडी/जमा पर ब्याज	(13.31)	(62.13)
अतिरिक्त प्रावधान लिखित–अन्य	(169.75)	(436.90)
विविध क्रेडिट शेष वापस लिखे गए	(114.69)	(314.15)
अतिरिक्त प्रावधान वापस लिखा गया (टर्मिनल लाभ)	(59.20)	(50.50)
अतिरिक्त प्रावधान लिखित वापसी (केएफडब्ल्यू ऋण)	(138.24)	(274.01)
पिछले वर्ष के लिए वसूली योग्य आयकर की मान्यता	**16,718.77**	**16,124.08**
कार्यशील पूंजी परिवर्तन के लिए समायोजनः		
व्यापार प्राप्य	(2,258.92)	4,649.80
अन्य वित्त परिसंपत्तियां	476.31	(661.73)
माल सूची	0.78	8.67
वर्तमान कर परिसंपत्तियां	(240.78)	(1,056.50)
ऋण और अग्रिम	(17,894.81)	(16,472.06)
अन्य गैर वित्त परिसंपत्तियां	(2,533.14)	(696.81)
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	2,230.99	(4,633.29)
अन्य वित्त देयताएं	1,170.63	4,329.41
प्रावधान–अनुसूची	(1,359.07)	(1,308.31)
अन्य देयताएं	(2,836.03)	301.31
कर से पूर्व नकद प्रवाहः	**(6,525.26)**	**584.58**
भुगतान किया गया कर	(2,712.28)	(3,086.61)
(क) निवल प्रचालन नकद (+) अंतर्वाह/(–) बहिर्वाह	**(9,237.54)**	**(2,502.04)**
निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाहः		
परिसंपत्तियों की बिक्री आय	35.86	26.74
पीपीई और पूंजी डब्ल्यूआईपी में वृद्धि	(589.00)	(417.37)

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.22 को समाप्त वर्ष के लिए
एसआरआई फंड में निवेश	(3.73)	(1.78)
सावधि जमा में निवेश (प्रवाह)	(3.61)	24.83
निवेश से लाभांश	61.78	2.35
बैंक जमा पर ब्याज	13.32	62.13
(ख) निवल निवेश नकद (+) अंतर्वाह/ (–) बहिर्वाह	**(485.38)**	**(303.12)**
वित्तीय पोषण गतिविधियों से नकद प्रवाहः		
(+) वृद्धि / (–) उधार में कमी (अल्पकालिक)	3,269.74	9,486.99
(+) वृद्धि / (–) उधार में कमी (दीर्घकालिक)	111.38	(24.67)
प्रदत्त लाभांश	(3,317.05)	(3,177.66)
(ग) निवल वित्तपोषण नकद (+) अंतर्वाह/ (–) बहिर्वाह	**64.07**	**6,284.66**
(क) प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकद (+) अंतर्वाह/ (–) बहिर्वाह	(9,237.54)	(2,502.04)
(ख) निवेश क्रियाकलापों से निवल नकद (+) अंतर्वाह/ (–) बहिर्वाह	(485.38)	(303.12)
(ग) वित्तपोषण क्रियाकलापों से निवल नकद (+) अंतर्वाह/ (–) बहिर्वाह	64.07	6,284.66
निवल नकद (+) अंतर्वाह/ (–) बहिर्वाह	**(9,658.86)**	**3,479.50**
जोड़ें: वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समतुल्य	**18,555.25**	**15,075.75**
वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य	**8,896.38**	**18,555.25**
नोट–3 तुलन पत्र के अनुसार नकद और नकद समतुल्य	**8,896.38**	**18,555.25**

कॉर्पोरेट सूचना का विवरण (नोट–1), लेखा नीतियां (नोट–2)

उपर्युक्त संदर्भित टिप्पणियां 1 से 35 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

इक्विटी स्टेटमेंट में परिवर्तन तुलन पत्र का अभिन्न अंग है और लाभ एवं हानि लेखों का विवरण के पश्चात रखा गया है

टिप्पणी:

1. उपरोक्त नकदी प्रवाह विवरण इण्डएस–7 नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके तैयार किया गया है।
2. नकद और नकद समकक्ष (बैंक शेष शामिल) में नकद और अन्य बैंक शेष शामिल होते हैं।
3. जहां भी आवश्यक हुआ, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।
4. हम एक एनबीएफसी हैं और भुगतान किए गए ब्याज को परिचालन व्यय माना गया है।

इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
गोयल पारूल एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 016750एन

ह./–
(पारूल गोयल)
साझेदार
[सदस्यता सं.: 099172]
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.08.2023
यूडीआईएन : 23099172बीजीवीजेड़एटी9630

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह./–
गौरव गुलाटी
निदेशक (वित्त)
[डीआईएन नं.: 10144109]

ह./–
विपुल गोयल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
[डीआईएन नं.: 10229523]

ह./–
पार्थ माझी
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

ह./–
निष्ठा गोयल
कंपनी सचिव
[सदस्यता संख्याः ए22768]

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

[सीआईएन नं. : यू74140डीएल1955जीओआई002481]

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए

इक्विटी में परिवर्तनों का समेकित विवरण

क: इक्विटी शेयर पूंजी

(लाख रू. में)

विवरण	अथ शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में पुनःउल्लिखित शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	जमा शेष
2021-22	53298.80	0.00	53298.80	0.00	53298.80
2022-23	53298.80	0.00	53298.80	0.00	53298.80

ख: अन्य इक्विटी

(लाख रू. में)

विवरण	रिजर्व और अधिशेष					अन्य व्यापक आय		कुल
	पूंजी प्रारक्षित	पूंजी मोचन रिजर्व	अवधारित अर्जन	हानिकरण प्रारक्षित	भा.रि.बैं. अधिनियम 1934 की धारा 45 आईसी के अंतर्गत सांविधिक प्रारक्षित	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी विलेख	अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिभाषित लाभ योजनाएं	
31 मार्च 2021 को यथास्थिति शेष	**3831.31**	**73.09**	**43606.37**	**4866.65**	**4015.70**	**187.96**	**-415.44**	**56165.64**
लेखांकन नीति के कारण परिवर्तन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण परिवर्तन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अवधि के लिए लाभ	0.00	0.00	10822.58	0.00	0.00	0.00	0.00	10822.58
अन्य व्यापक आय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.71	-141.37	-46.66
कुल व्यापक आय	**0.00**	**0.00**	**10822.58**	**0.00**	**0.00**	**94.71**	**-141.37**	**10775.92**
वर्ष 2020–21 के लिए लाभांश	0.00	0.00	-3177.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-3177.67
वर्ष के दौरान स्थानांतरण/समायोजन	685.81	0.00	-2164.51	0.00	2164.51	0.00	0.00	685.81
वर्ष के लिए मूल्यह्रास	-361.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-361.14
परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित आयकर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.58	35.58
इक्विटी निवेश से संबंधित आयकर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23.84	0.00	-23.84
31 मार्च 2022 को यथास्थिति शेष	**4155.98**	**73.09**	**49086.77**	**4866.65**	**6180.21**	**258.83**	**-521.23**	**64100.30**

(लाख रू. में)

विवरण	रिजर्व और अधिशेष					अन्य व्यापक आय		कुल
	पूंजी प्रारक्षित	पूंजी मोचन रिजर्व	अवधारित अर्जन	हानिकरण प्रारक्षित	भा.रि.बैं. अधिनियम 1934 की धारा 45 आईसी के अंतर्गत सांविधिक प्रारक्षित	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी विलेख	अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिभाषित लाभ स्कीमें	
लेखांकन नीति के कारण परिवर्तन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण परिवर्तन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अवधि के लिए लाभ	0.00	0.00	11048.27	0.00	0.00	0.00	0.00	11048.27
अन्य व्यापक आय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.69	3.02	38.71
कुल व्यापक आय	**0.00**	**0.00**	**11048.27**	**0.00**	**0.00**	**35.69**	**3.02**	**11086.98**
वर्ष के दौरान स्थानांतरण/समायोजन	563.38	0.00	-2209.66	0.00	2209.66	0.00	0.00	563.38
वर्ष 2021–22 के लिए लाभांश	0.00	0.00	-3317.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-3317.05
वर्ष के लिए मूल्यह्रास	-375.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-375.41
परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित आयकर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.75	-0.75
इक्विटी निवेश से संबंधित आयकर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8.98	0.00	-8.98
31 मार्च 2023 को यथास्थिति शेष	**4343.95**	**73.09**	**54608.33**	**4866.65**	**8389.87**	**285.54**	**-518.96**	**72048.47**

नोटः पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो, पुनर्गठित/पुनः समूहित किया गया है।

कॉर्पोरेट सूचना का विवरण (नोट–1), लेखांकन नीतियां (नोट–2)

टिप्पणीः उपर्युक्त संदर्भित टिप्पणियां 1 से 35 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

इक्विटी स्टेटमेंट में परिवर्तन तुलन पत्र का अभिन्न अंग है और लाभ एवं हानि लेखों का विवरण के पश्चात रखा गया है।

इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
गोयल पारूल एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 016750एन

ह./–
(पारूल गोयल)
साझेदार
[सदस्यता सं.: 099172]
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.08.2023
यूडीआईएन : 23099172बीजीवीजेड़एटी9630

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह./–
गौरव गुलाटी
निदेशक (वित्त)
[डीआईएन नं.: 10144109]

ह./–
विपुल गोयल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
[डीआईएन नं.: 10229523]

ह./–
पार्थ माझी
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

ह./–
निष्ठा गोयल
कंपनी सचिव
[सदस्यता संख्याः ए22768]

टिप्पणी – 3 : नकदी एवं नकदी समतुल्य

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति		31.03.22 को यथास्थिति	
नकदी एवं नकदी समतुल्य				
हस्तगत नकदी *		0.30		0.80
हस्तगत चेक, ड्राफ्ट		0.00		0.00
मार्गस्थ प्रेषण		0.00		0.00
बैंकों में शेष				
चालू खाता	8567.66		14074.68	
अन्य **	328.40	8896.06	4479.75	18554.43
हस्तगत स्टाम्प		0.02		0.02
तुलन–पत्र के अनुसार		**8896.38**		**18555.25**

टिप्पणीः– उपर्युक्त रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक रोकड़ और रोकड़ समतुल्यों के संदर्भ में प्रत्यावर्तन पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

* सुलभ नकदी (कैश ऑन हैंड) बैंक द्वारा जारी प्रीपेड कार्ड के स्टॉक का प्रतिनिधित्व करता है।

** इसमें फ्लेक्सी डिपॉजिट शेष शामिल है।

टिप्पणी – 4 : नकदी और नकदी समतुल्यों के अलावा बैंक शेष

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति	31.03.22 को यथास्थिति
जमा		
सावधि जमा	62.44	58.83
तुलन–पत्र के अनुसार	**62.44**	**58.83**

नोटः– 62.44 लाख रूपये (58.83 लाख रुपये) की सावधि जमा राशि 3 महीने से अधिक के लिए है और ग्रहणाधिकार चिहिन्त है।

टिप्पणी – 5 : व्यापार प्राप्य (परिशोधित लागत पर)

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति	31.03.22 को यथास्थिति
व्यापार प्राप्य		
सुरक्षित शोध्य माने गए	16303.10	14062.35
असुरक्षित शोध्य माने गए	0.00	0.00
व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है	0.00	0.00
ऋण हानिकृत	1616.02	1759.35
	17919.12	15821.70
घटाएं: जब्त पट्टा उचंत	50.71	50.72
घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत	284.48	294.17
	17583.93	15476.81
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00	0.82
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	1280.83	1414.46
तुलन–पत्र के अनुसार	**16303.10**	**14061.53**
व्यापार प्राप्यों का भौगोलिक वर्गीकरण :		
भारत में	16303.10	14061.53
भारत के बाहर	0.00	0.00
जोड़	**16303.10**	**14061.53**

अनुलग्नक – 5क : व्यापार प्राप्य (आयुवार सारांश)

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति	31.03.22 को यथास्थिति
अविवादित व्यापार प्राप्य शोध्य माने गए		
6 महीने के बराबर से कम	5184.12	2571.51
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	2051.12	4520.12
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	3305.10	1073.96
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	720.05	2610.05
3 वर्ष से अधिक	5001.96	3245.95
उप जोड़	**16262.35**	**14021.59**
विवादित व्यापार प्राप्य शोध्य माने गए		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	40.76	40.76
उप जोड़	**40.76**	**40.76**
निर्विवाद व्यापार प्राप्य जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
उप जोड़	**0.00**	**0.00**
अविवादित व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
उप जोड़	**0.00**	**0.00**
अविवादित ऋण हानिकृत		
6 महीने के बराबर से कम	2.07	0.53
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.69	26.03
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	99.14	134.48
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	14.77	66.40
3 वर्ष से अधिक	696.11	709.24
उप जोड़	**812.78**	**936.68**
विवादित ऋण हानिकृत		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	803.23	822.66
उप जोड़	**803.23**	**822.66**
	17919.12	15821.69
घटाएं: जब्त पट्टा उचंत	50.71	50.71

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति		31.03.22 को यथास्थिति	
घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत	284.48		294.17	
	17583.93		15476.81	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.82	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	1280.83		1414.46	
जोड़	**16303.10**		**14061.53**	
व्यापार प्राप्यों का भौगोलिक वर्गीकरण :				
भारत में		16303.10		14061.53
भारत के बाहर		0.00		0.00
जोड़		**16303.10**		**14061.53**

अनुलग्नक – 5ख : व्यापार प्राप्यों का विवरण (परिशोधित लागत पर)

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति		31.03.22 को यथास्थिति	
व्यापार प्राप्य – किराया खरीद				
सुरक्षित शोध्य माने गए	0.00		0.00	
असुरक्षित शोध्य माने गए	0.00		0.00	
व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है	0.00		0.00	
ऋण हानिकृत	757.37		776.42	
	757.37		776.42	
घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत	239.40		243.23	
	517.97		533.19	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	517.97		533.19	
उप–जोड़		**0.00**		**0.00**
व्यापार प्राप्य – पट्टाकरण				
सुरक्षित शोध्य माने गए	0.00		0.00	
असुरक्षित शोध्य माने गए	0.00		0.00	
व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है	0.00		0.00	
ऋण हानिकृत	165.85		189.89	
	165.85		189.89	
घटाएं: जब्त पट्टा उचंत	50.71		50.72	
घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत	44.40		50.26	
	70.74		88.91	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	70.74		88.91	
उप–जोड़		**0.00**		**0.00**
व्यापार प्राप्य – विपणन				
सुरक्षित शोध्य माने गए	15980.03		13550.65	
असुरक्षित शोध्य माने गए	0.00		0.00	
व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है	0.00		0.00	
ऋण हानिकृत	259.61		259.61	
	16239.64		13810.26	

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति		31.03.22 को यथास्थिति	
घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत	0.00		0.00	
	16239.64		13810.26	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	259.61		259.61	
उप–जोड़		**15980.03**		**13550.65**
व्यापार प्राप्य – अन्य				
सुरक्षित शोध्य माने गए	323.07		511.70	
असुरक्षित शोध्य माने गए	0.00		0.00	
व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है	0.00		0.00	
ऋण हानिकृत	433.19		533.43	
	756.26		1045.13	
घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत	0.68		0.68	
	755.58		1044.45	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.82	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	432.51		532.75	
उप–जोड़		**323.07**		**510.88**
जोड़		**16303.10**		**14061.53**

अनुलग्नक – 5ग : व्यापार प्राप्यों का आयुवार वर्गीकरण

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति	31.03.22 को यथास्थिति
व्यापार प्राप्य – किराया खरीद		
अविवादित व्यापार प्राप्य शोध्य माने गए		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
उप जोड़	**0.00**	**0.00**
विवादित व्यापार प्राप्य शोध्य माने गए		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
उप जोड़	**0.00**	**0.00**
अविवादित व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति	31.03.22 को यथास्थिति
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
उप जोड़	**0.00**	**0.00**
विवादित व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	**0.00**	**0.00**
उप जोड़	**0.00**	**0.00**
अविवादित ऋण हानिकृत		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	361.41	373.46
उप जोड़	**361.41**	**373.46**
विवादित ऋण हानिकृत		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	395.96	402.96
उप जोड़	**395.96**	**402.96**
	757.37	776.42
घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत	239.40	243.23
	517.97	533.19
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00	0.00
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	517.97	533.19
उप जोड़	**0**	**0**
व्यापार प्राप्य – पट्टाकरण		
अविवादित व्यापार प्राप्य शोध्य माने गए		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
उप जोड़	**0.00**	**0.00**
विवादित व्यापार प्राप्य शोध्य माने गए		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
उप जोड़	**0.00**	**0.00**

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति		31.03.22 को यथास्थिति	
अविवादित व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है				
6 महीने के बराबर से कम	0.00		0.00	
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
3 वर्ष से अधिक	0.00		0.00	
उप जोड़	**0.00**		**0.00**	
विवादित व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है				
6 महीने के बराबर से कम	0.00		0.00	
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
3 वर्ष से अधिक	0.00		0.00	
उप जोड़	**0.00**		**0.00**	
अविवादित ऋण हानिकृत				
6 महीने के बराबर से कम	0.00		0.00	
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
3 वर्ष से अधिक	65.85		77.66	
उप जोड़	**65.85**		**77.66**	
विवादित ऋण हानिकृत				
6 महीने के बराबर से कम	0.00		0.00	
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
3 वर्ष से अधिक	100.00		112.22	
उप जोड़	**100.00**		**112.22**	
	165.85		189.88	
घटाएं: जब्त पट्टा उचंत	50.71		50.71	
घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत	44.40		50.26	
	70.74		88.91	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	70.74		88.91	
उप जोड़		**0**		**0**
व्यापार प्राप्य – विपणन				
अविवादित व्यापार प्राप्य शोध्य माने गए				
6 महीने के बराबर से कम	4976.82		2141.57	
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	2044.20		4514.19	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	3298.59		1033.98	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	683.74		2609.68	
3 वर्ष से अधिक	4941.66		3216.21	
उप जोड़	**15945.01**		**13515.63**	

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति		31.03.22 को यथास्थिति	
विवादित व्यापार प्राप्य शोध्य माने गए				
6 महीने के बराबर से कम	0.00		0.00	
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
3 वर्ष से अधिक	35.02		35.02	
उप जोड़	**35.02**		**35.02**	
अविवादित व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है				
6 महीने के बराबर से कम	0.00		0.00	
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
3 वर्ष से अधिक	0.00		0.00	
उप जोड़	**0.00**		**0.00**	
विवादित व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है				
6 महीने के बराबर से कम	0.00		0.00	
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
3 वर्ष से अधिक	0.00		0.00	
उप जोड़	**0.00**		**0.00**	
अविवादित ऋण हानिकृत				
6 महीने के बराबर से कम	0.00		0.00	
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
1 महीने से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
3 वर्ष से अधिक	214.85		214.85	
उप जोड़	**214.85**		**214.85**	
विवादित ऋण हानिकृत				
6 महीने के बराबर से कम	0.00		0.00	
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
2 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
3 वर्ष से अधिक	44.76		44.76	
उप जोड़	**44.76**		**44.76**	
	16239.64		13810.26	
घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत	0.00		0.00	
	16239.64		13810.26	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	259.61		259.61	
उप जोड़		**15980.03**		**13550.65**
यापार प्राप्य – अन्य				
अविवादित व्यापार प्राप्य शोध्य माने गए				
6 महीने के बराबर से कम	207.30		429.94	
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	6.92		5.93	

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति		31.03.22 को यथास्थिति	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	6.51		39.98	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	36.31		0.37	
3 वर्ष से अधिक	60.30		29.74	
उप जोड़	**317.34**		**505.96**	
विवादित व्यापार प्राप्य शोध्य माने गए				
6 महीने के बराबर से कम	0.00		0.00	
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
3 वर्ष से अधिक	5.74		5.74	
उप जोड़	**5.74**		**5.74**	
अविवादित व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है				
6 महीने के बराबर से कम	0.00		0.00	
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
3 वर्ष से अधिक	0.00		0.00	
उप जोड़	**0.00**		**0.00**	
विवादित व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है				
6 महीने के बराबर से कम	0.00		0.00	
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
3 वर्ष से अधिक	0.00		0.00	
उप जोड़	**0.00**		**0.00**	
अविवादित ऋण हानिकृत				
6 महीने के बराबर से कम	2.07		0.53	
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.69		26.03	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	99.14		134.48	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	14.77		66.40	
3 वर्ष से अधिक	54.00		43.27	
उप जोड़	**170.67**		**270.71**	
विवादित ऋण हानिकृत				
6 महीने के बराबर से कम	0.00		0.00	
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
3 वर्ष से अधिक	262.51		262.72	
उप जोड़	**262.51**		**262.72**	
	756.26		1045.13	
घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत	0.68		0.68	
	755.58		1044.45	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.82	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	432.51		532.75	
उप जोड़		**323.07**		**510.88**
जोड़		**16303.10**		**14061.53**

टिप्पणी – 6 : ऋण एवं अग्रिम (परिशोधित लागत पर)

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति		31.03.22 को यथास्थिति	
ऋण एवं अग्रिम				
मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	1152.18		1157.74	
अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए	262376.67		243229.82	
असुरक्षित	13998.86		15597.38	
	277527.71		259984.94	
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत	669.77		953.66	
	276857.94		259031.28	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	11209.90		11481.13	
तुलन–पत्र के अनुसार		**265648.04**		**247550.15**
ऋणों और अग्रिमों का भौगोलिक वर्गीकरण :				
भारत में		265648.04		247550.15
भारत से बाहर		0.00		0.00
कुल		**265648.04**		**247550.15**
पीएसयू और अन्य को ऋण और अग्रिम:				
पीएसयू को		3507.23		4752.83
अन्य को		262140.81		242797.32
कुल		**265648.04**		**247550.15**

अनुलग्नक – 6क : ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण (परिशोधित लागत पर)

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति		31.03.22 को यथास्थिति	
कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम				
मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	21.11		26.67	
अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए	0.00		0.00	
असुरक्षित	23.92		12.36	
	45.03		39.03	
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत	0.00		0.00	
	45.03		39.03	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	0.00		0.03	
		45.03		39.00
नकद अथवा वस्तु रूप में या इसके मूल्य के लिए प्राप्त किए जाने वाले वसूली योग्य अग्रिम				
मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए	0.00		0.00	
असुरक्षित	4637.78		5903.29	

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति		31.03.22 को यथास्थिति	
	4637.78		5903.29	
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत	0.00		0.00	
	4637.78		5903.29	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	48.56	4589.22	52.90	5850.39
अन्य ऋण एवं अग्रिम *				
मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	1131.07		1131.07	
अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए	262376.67		243229.82	
असुरक्षित	9337.16		9681.73	
	272844.90		254042.62	
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत	669.77		953.66	
	272175.13		253088.96	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	11161.34	261013.79	11428.20	241660.76
संबंधित पक्षकारों को ऋण और अग्रिम				
मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए	0.00		0.00	
असुरक्षित	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	0.00	0.00	0.00	0.00
जोड़		**265648.04**		**247550.15**

नोट :– * अन्य ऋणों और अग्रिमों में वाणिज्यिक गतिविधियों के तहत बकाया राशि शामिल है अर्थात् आरएमए/एडब्ल्यूआरटी, बीडी, सीटीएल और मीयादी ऋण (विवरण के लिए अनुलग्नक 6बी देखें)

अनुलग्नक – 6ख : ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण (परिशोधित लागत पर)

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति	31.03.22 को यथास्थिति
थोक और खुदरा व्यापारियों को कच्चे माल की सहायता / सहायता		
मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	1003.70	1003.70
अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00	0.00
बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए	259503.47	240244.79
असुरक्षित	7636.73	7981.31
	268143.90	249229.80
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत	497.72	819.20
	267646.18	248410.60

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति		31.03.22 को यथास्थिति	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	9440.30	258205.88	9706.57	238704.03
बिल डिस्काउंटिंग				
मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	127.37		127.37	
अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए	2873.20		2985.03	
असुरक्षित	1509.30		1509.29	
	4509.87		4621.69	
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत	128.89		91.30	
	4380.98		4530.39	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	1573.07	2807.91	1573.66	2956.73
संयुक्त मियादी ऋण				
मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए	0.00		0.00	
असुरक्षित	175.69		175.69	
	175.69		175.69	
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत	38.91		38.91	
	136.78		136.78	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	136.78	0.00	136.78	0.00
मियादी ऋण				
मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए	0.00		0.00	
असुरक्षित	15.44		15.44	
	15.44		15.44	
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत	4.25		4.25	
	11.19		11.19	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	11.19	0.00	11.19	0.00
जोड़		**261013.79**		**241660.76**

टिप्पणी – 6ग : निगम के निदेशकों और अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण और अग्रिम (कर्मचारियों को ऋणों एवं अग्रिमों के अंतर्गत सहित)

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति	31.03.22 को यथास्थिति
निदेशकगण	0.00	0.00
कंपनी के अन्य अधिकारी	45.03	39.00
फर्म, जिसमें निदेशक साझेदार हो	0.00	0.00
निजी कंपनी, जिसमें निदेशक सदस्य हो	0.00	0.00
जोड़	**45.03**	**39.00**

टिप्पणी – 7: निवेश

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति		31.03.22 को यथास्थिति	
क. सहायक कंपनी में इक्विटी उपकरणों में निवेश (मूल लागत पर)				
– एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड [एनवीसीएफएल – एनएसआईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (6,00,000 इक्विटी शेयर @ रू. 100/– प्रत्येक)]	600.00		600.00	
घटाएं: क्षति हानि के लिए भत्ता	0.00	600.00	0.00	600.00
ख. एनवीसीएफएल में अन्य निवेश – एसआरआई निधि (मूल्यांकित लागत पर)				
आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) निधि 0.055 यूनिट @ रू. 1 करोड़ प्रति यूनिट (0.018 यूनिट @ रू. 1 करोड़ प्रति यूनिट)	5.52		1.78	
घटाएं: हानिकरण क्षति हेतु भत्ता	0.00	5.52	0.00	1.78
ग. इक्विटी उपकरणों में निवेश उचित मूल्य पर (अन्य व्यापक आय के माध्यम से)				
इक्विटी प्रलेख	314.76		279.07	
घटाएं: हानिकरण क्षति हेतु भत्ता	10.00	304.76	10.00	269.07
तुलन पत्र के अनुसार		**910.28**		**870.85**

निवेश (उचित मूल्य पर अन्य व्यापक आय के माध्यम से)	31.03.23 को यथास्थिति	31.03.22 को यथास्थिति
मैसर्स सिंगर इंडिया लिमिटेड के इक्विटी शेयर (दिनांक 31.03.23 को उप–विभाजन के पश्चात पूर्णतः प्रदत्त प्रत्येक 2/– रुपए के 470230 शेयर, उचित मूल्य 64.81 रू. प्रति शेयर) (दिनांक 31.03.22 को उप–विभाजन के पश्चात पूर्णतः प्रदत्त प्रत्येक 2/– रुपए के 470230 शेयर, उचित मूल्य 57.22 रू. प्रति शेयर)	304.76	269.07
मैसर्स लघु उद्योग उत्पादन प्रोन्नत संगठन लिमिटेड (एसआईपीपीओ) के इक्विटी शेयर (प्रत्येक 10–10 रुपए के पूर्णतः प्रदत्त – 100000 इक्विटी शेयर अनुद्धृत)	10.00	10.00
उप जोड़	**314.76**	**279.07**
घटाएं: एसआईपीपीओ के इक्विटी शेयरों हेतु हानिकरण क्षति की छूट	10.00	10.00
तुलन–पत्र के अनुसार	**304.76**	**269.07**

निवेश का भौगोलिक वर्गीकरण	31.03.23 को यथास्थिति	31.03.22 को यथास्थिति
भारत में	910.28	870.85
भारत से बाहर	0.00	0.00
जोड़	**910.28**	**870.85**

नोट :– * टिप्पणी–35 की क्रम सं. 4(वाय)(एफ)(क) देखें।

टिप्पणी – 8 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (परिशोधित लागत पर)

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति		31.03.22 को यथास्थिति	
प्रतिभूति जमा				
मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए	0.00		0.00	
असुरक्षित	278.08		263.67	
	278.08		263.67	
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत	0.00		0.00	
	278.08		263.67	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	0.75	277.33	1.71	261.96
उप जोड़		**277.33**		**261.96**
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां				
बैंकों से प्राप्य				
ब्याज	268.30		268.30	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	268.30	0.00	268.30	0.00
अन्य	934.28		1232.35	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	246.93	687.35	4.93	1227.42
सुनमय/लघु अवधि जमाओं पर प्रोदभत परंतु अदेय ब्याज		1.25		10.16
बयाना राशि जमा प्राप्य		0.00		3.00
अवधारण राशि प्राप्य		238.82		264.98
देय प्रतिभूति जमा का बट्टाकरण प्रभाव		207.80		146.51
देय ईएमडी पर छूट का प्रभाव		0.00		0.00
देय अवधारणा राशि का बट्टाकरण प्रभाव		0.94		1.53
एनवीसीएफएल के साथ खाता शेष का आदान–प्रदान		80.24		33.33
उप जोड़		**1216.40**		**1686.93**
तुलन–पत्र के अनुसार		**1493.73**		**1948.89**

टिप्पणी – 9 : निवेश

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति	31.03.22 को यथास्थिति
तैयार माल	0.00	0.00
भंडार और अतिरिक्त पुर्जे	9.85	7.23
खुले औज़ार और मापन यंत्र	1.63	5.03
स्टॉक में भूमि और भवन, औद्योगिक सम्पदा, नैनी*	0.00	0.00
उप–जोड़	**11.48**	**12.26**
घटाएं: हानिकरण क्षति भत्ता	**0.00**	**0.00**
तुलन–पत्र के अनुसार	**11.48**	**12.26**

टिप्पणी :– *माल–सूची पर भारतीय लेखकंन मानक–2 पर प्रकटन के लिए टिप्पणी–35 के क्रम संख्या 4 (ख) को देखें

टिप्पणी – 10 : चालू कर (निवल)

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति	31.03.22 को यथास्थिति
स्रोत पर काटा गया टीडीएस/टीसीएस	2459.21	1913.35
अग्रिम कर	8126.90	7585.89
घटाएं: आय कर हेतु प्रावधान	10400.00	8800.00
तुलन–पत्र के अनुसार	**186.11**	**699.24**

टिप्पणी – 11 : आस्थगित कर देयताएं/परिसंपत्तियां (निवल)

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति	31.03.22 को यथास्थिति
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	5757.48	5744.98
घटाएं : आस्थगित कर देयतांए	2229.34	1896.41
तुलन पत्र के अनुसार	**3528.14**	**3848.57**

टिप्पणी :– टिप्पणी 35 का क्रम संख्या 4(घ) देखें।

टिप्पणी – 12 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.2023 के अनुसार निवल वहन राशि	31.03.2022 के अनुसार निवल वहन राशि
भूमि	47.57	47.95
भवन	22871.86	22540.38
फर्नीचर एवं फिटिंग्स	300.34	336.65
कार्यालय उपकरण	338.16	300.85
वाहन	10.37	14.83
संयंत्र एवं उपकरण	5152.55	5102.57
कुल संपत्ति, संयत्र और उपकरण	**28720.85**	**28343.23**
बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत परिसंत्तियां	0.21	0.21
सॉफ्टवेयर और विकासधीन सॉफ्टवेयर	93.97	106.34
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियां	54.16	55.00
चल रहा पूंजीगत कार्य	437.42	750.33

(लाख रू. में)

विवरण	सकल ब्लॉक							संचित मूल्यह्रास						एलटीए		निवल ब्लॉक	
	01.04.22 को यथास्थिति	वृद्धि	बिक्री	कारोबार संयोजन के माध्यम से अभिगृहीत	पुनर्मूल्यांकन / हानि	अंतर इकाई अंतरण/ अंतर समूह समायोजन / अन्य समायोजन	31.03.23 तक लागत	01/04/22 को यथास्थिति	वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क	बिक्री	पुनर्मूल्यांकन / हानि	अंतर इकाई अंतरण/ अंतर समूह समायोजन / अन्य समायोजन	31/03/23 को यथास्थिति	31/03/23 को यथास्थिति	31/03/22 को यथास्थिति	31/03/23 को यथास्थिति	31/03/22 को यथास्थिति
मूर्त परिसंपत्तियां																	
स्वयं की परिसंपत्तियां																	
भवन	23165.86	0.00	8.09	0.00	0.00	0.00	23157.77	2237.02	370.40	0.21	0.00	0.00	2607.21	0.00	0.00	20550.56	20928.84
फर्नीचर एवं फिटिंग्स	615.13	26.25	7.36	0.00	0.00	0.00	634.02	419.72	37.76	2.08	0.00	0.00	455.40	0.00	0.00	178.62	195.41
भूमि	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.62	4.19	0.28	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	30.15	30.43
कार्यालय उपकरण	962.17	108.50	15.94	0.00	0.00	-8.01	1062.74	828.30	51.47	12.24	0.00	-5.26	872.79	0.00	0.00	189.95	133.87
वाहन	87.16	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00	80.06	73.10	4.08	6.76	0.00	0.00	70.42	0.00	0.00	9.64	14.06
संयंत्र एवं उपकरण	2558.47	4.85	28.02	0.00	0.00	9.09	2526.21	1009.96	78.54	26.51	0.00	5.97	1056.02	0.00	0.00	1470.19	1548.51
जोड़	**27423.41**	**139.60**	**66.51**	**0.00**	**0.00**	**1.08**	**27495.42**	**4572.29**	**542.53**	**47.80**	**0.00**	**0.71**	**5066.31**	**0.00**	**0.00**	**22429.11**	**22851.12**
पट्टायुक्त परिसंपत्तियां																	
संयंत्र एवं उपकरण	48.40	0.00	15.24	0.00	0.00	0.00	33.16	35.59	0.00	15.24	0.00	0.00	20.35	12.77	12.77	0.04	0.04
जब्त पट्टायुक्त परिसंपत्तियां																	
संयंत्र एवं उपकरण	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.35	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	9.67	48.80	48.80	0.88	0.88
सरकारी अनुदानों से प्रोद्भूत परिसंपत्तियां																	
भूमि	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.04	5.52	0.10	0.00	0.00	0.00	5.62	0.00	0.00	17.42	17.52
भवन	1009.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-677.46	1686.76	475.85	27.33	0.00	0.00	0.00	503.18	0.00	0.00	1183.58	533.45
फर्नीचर एवं फिटिंग्स	179.96	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	183.47	109.03	14.23	0.00	0.00	0.00	123.26	0.00	0.00	60.21	70.93
कार्यालय उपकरण	943.84	3.44	0.08	0.00	0.00	0.00	947.20	832.16	44.49	0.08	0.00	0.00	876.57	0.00	0.00	70.63	111.68
वाहन	11.16	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	10.44	10.67	0.00	0.68	0.00	0.00	9.99	0.00	0.00	0.45	0.49
संयंत्र एवं उपकरण	5204.68	332.99	6.75	0.00	0.00	0.00	5530.92	2347.62	276.99	6.41	0.00	0.00	2618.20	0.00	0.00	2912.72	2857.06
जोड़	**7371.98**	**339.94**	**7.55**	**0.00**	**0.00**	**-677.46**	**8381.83**	**3780.85**	**363.14**	**7.17**	**0.00**	**0.00**	**4136.82**	**0.00**	**0.00**	**4245.01**	**3591.13**
तकनीकी केंद्रों के संबंध में सरकारी अनुदानों से अप्रोद्भूत परिसंपत्तियां																	
भवन	1307.39	46.92	2.53	0.00	0.00	-45.95	1397.73	229.30	30.71	0.00	0.00	0.00	260.01	0.00	0.00	1137.72	1078.09
फर्नीचर एवं फिटिंग्स	166.47	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	172.10	96.16	14.43	0.00	0.00	0.00	110.59	0.00	0.00	61.51	70.31
कार्यालय उपकरण	649.71	37.56	3.08	0.00	0.00	0.00	684.19	594.41	15.13	2.93	0.00	0.00	606.61	0.00	0.00	77.58	55.30
वाहन	1106.23	152.46	0.26	0.00	0.00	0.00	1258.43	410.15	79.80	0.24	0.00	0.00	489.71	0.00	0.00	768.72	696.08
संयंत्र एवं उपकरण	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.67	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5.39	0.00	0.00	0.28	0.28
जोड़	**3235.47**	**242.57**	**5.87**	**0.00**	**0.00**	**-45.95**	**3518.12**	**1335.41**	**140.07**	**3.17**	**0.00**	**0.00**	**1472.31**	**0.00**	**0.00**	**2045.81**	**1900.06**
उप–जोड़ मूर्त परिसंपत्तियां	**38138.61**	**722.11**	**95.17**	**0.00**	**0.00**	**-722.33**	**39487.88**	**9733.81**	**1045.74**	**73.38**	**0.00**	**0.71**	**10705.46**	**61.57**	**61.57**	**28720.85**	**28343.23**
गत वर्ष	37447.12	658.34	82.88	0.00	0.00	-116.03	38138.61	8751.11	1049.53	62.91	0.00	3.92	9733.81	61.57	61.57	28343.23	28634.44

(लाख रू. में)

विवरण	सकल ब्लॉक							संचित मूल्यह्रास						एलटीए		निवल ब्लॉक	
	01.04.22 को यथास्थिति	वृद्धि	बिक्री	कारोबार संयोजन के माध्यम से अभिगृहीत	पुनर्मूल्यांकन / हानि	अंतर इकाई अंतरण/ अंतर समूह समायोजन / अन्य समायोजन	31.03.23 तक लागत	01/04/22 को यथास्थिति	वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क	बिक्री	पुनर्मूल्यांकन / हानि	अंतर इकाई अंतरण/ अंतर समूह समायोजन / अन्य समायोजन	31/03/23 को यथास्थिति	31/03/23 को यथास्थिति	31/03/22 को यथास्थिति	31/03/23 को यथास्थिति	31/03/22 को यथास्थिति
अमूर्त परिसंपत्तियां																	
स्वयं की परिसंपत्तियां																	
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	193.75	3.34	0.34	0.00	0.00	-1.08	197.83	157.67	16.10	0.26	0.00	-0.71	174.22	0.00	0.00	23.61	36.08
सरकारी अनुदान से प्रोद्भूत परिसंपत्तियां																	
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	109.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.08	75.10	12.27	0.00	0.00	0.00	87.37	0.00	0.00	21.71	33.98
तकनीकी केंद्रों के संबंध में सरकारी अनुदानों से अप्रोद्भूत परिसंपत्तियां																	
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	248.28	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	252.44	235.39	4.05	0.00	0.00	0.00	239.44	0.00	0.00	13.00	12.89
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियां																	
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियां	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.67	2.67	0.84	0.00	0.00	0.00	3.51	0.00	0.00	54.16	55.00
उप जोड़ – अमूर्त परिसंपत्तियां	608.78	7.50	0.34	0.00	0.00	-1.08	617.02	470.83	33.26	0.26	0.00	-0.71	504.54	0.00	0.00	112.48	137.95
गत वर्ष	592.06	17.45	0.73	0.00	0.00	0.00	608.78	417.43	53.61	0.21	0.00	0.00	470.83	0.00	0.00	137.95	174.63
चल रहा पूंजीगत कार्य																	
चल रहा पूंजीगत कार्य	231.81	251.56	0.00	0.00	0.00	45.95	437.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.42	231.81
गत वर्ष	246.81	3.42	0.00	0.00	18.42	231.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.81	246.81	285.57
सरकारी अनुदान से अर्जित सीडब्ल्यूआईपी	518.52	158.94	0.00	0.00	0.00	677.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.52
गत वर्ष	176.63	423.97	0.00	0.00	0.00	82.08	518.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.52	176.63
उप जोड़–चल रहा पूंजीगत कार्य	**750.33**	**410.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**723.41**	**437.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**437.42**	**750.33**
गत वर्ष	423.44	427.39	0.00	0.00	0.00	100.50	750.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.33	423.44
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां																	
मालिकाना परिसंपत्तियां																	
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	23.39	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.65	23.39
गत वर्ष	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.39	23.39
बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां																	
बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां (स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां)	4.24	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	4.13	4.03	0.00	0.11	0.00	0.00	3.92	0.00	0.00	0.21	0.21
बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां (सरकारी अनुदान)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जोड़	4.24	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	4.13	4.03	0.00	0.11	0.00	0.00	3.92	0.00	0.00	0.21	0.21
सकल जोड़	**39525.35**	**1152.37**	**95.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40582.10**	**10208.67**	**1079.00**	**73.75**	**0.00**	**0.00**	**11213.92**	**61.57**	**61.57**	**29306.61**	**29255.11**
गत वर्ष	38499.51	1103.18	96.99	0.00	0.00	-19.65	39525.35	9181.97	1103.14	76.44	0.00	0.00	10208.67	61.57	61.57	29255.11	29255.97

नोटः– अंतः यूनिट स्थानांतरण/अंतः समूह समायोजन/अन्य समायोजन कॉलम में सीडब्ल्यूआईपी से संबंधित परिसंपत्तियों के समूह में संपत्ति का पूंजीकरण शामिल है।

अनुलग्नक – 12क : सीडब्ल्यूआईपी (अनुदान सहित) और विकसोन्मुखी अमूर्त परिसंपत्ति का समय–निर्धारण

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति	31.03.22 को यथास्थिति
सीडब्ल्यूआईपी का समय–वार वर्गीकरण		
चल रही परियोजनाएं		
1 वर्ष के बराबर से कम	209.03	3.42
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	132.03
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	132.03	6.96
3 वर्ष से अधिक	96.36	89.40
उप जोड़	**437.42**	**231.81**
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित		
1 वर्ष के बराबर से कम	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
उप जोड़	0.00	0.00
कुल	**437.42**	**231.81**
वे परियोजनाएं जिनकी पूर्णता की निर्धारित तिथि बीत चुकी है या मूल लागत से अधिक हो चुकी है।		
1 वर्ष के बराबर से कम	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
कुल	**0.00**	**0.00**
सीडब्ल्यूआईपी का आयुवार वर्गीकरण (अनुदान से प्राप्त)		
चल रही परियोजनाएं		
1 वर्ष के बराबर से कम	0.00	423.97
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	94.55
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
उप जोड़	**0.00**	**518.52**
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित		
1 वर्ष के बराबर से कम	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
उप जोड़	**0.00**	**0.00**
कुल	**0.00**	**518.52**
वे परियोजनाएं जिनकी पूर्णता की निर्धारित तिथि बीत चुकी है या मूल लागत से अधिक हो चुकी है।		
1 वर्ष के बराबर से कम	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
कुल	**0.00**	**0.00**
विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियों का आयुवार वर्गीकरण		
चल रही परियोजनाएं		
1 वर्ष के बराबर से कम	12.26	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	23.39
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	23.39	0.00

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति	31.03.22 को यथास्थिति
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
उप जोड़	**35.65**	**23.39**
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित		
1 वर्ष के बराबर से कम	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
उप जोड़	**0.00**	**0.00**
कुल	**35.65**	**23.39**
वे परियोजनाएं जिनकी पूर्णता की निर्धारित तिथि बीत चुकी है या मूल लागत से अधिक हो चुकी है।		
1 वर्ष के बराबर से कम	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
कुल	**0.00**	**0.00**

टिप्पणी – 13 : अन्य गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति		31.03.22 को यथास्थिति	
पूंजीगत अग्रिम				
सीपीडब्ल्यूडी और अन्य के पास	9.67		159.60	
जोड़ें: पूंजी अग्रिम पर प्रोद्भूत ब्याज	0.00	9.67	0.00	159.60
ठेकेदारों के पास (सरकारी अनुदान की प्रति)	77.22		12.36	
जोड़ें: पूंजी अग्रिम पर प्रोद्भूत ब्याज	0.00	77.22	0.00	12.36
उप–जोड़		86.89		171.96
कर प्राधिकारियों के पास अन्य जमा		1368.63		545.45
अन्य गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां #	3016.95		1224.45	
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति भत्ता	0.93	3016.02	3.45	1221.00
तुलन–पत्र के अनुसार		**4471.54**		**1938.41**

नोट:–# इसमें सरकारी अनुदान के बदले बाहरी पार्टियों को दिया गया अग्रिम भुगतान, प्रीपेड खर्च, बाहरी पार्टियों को दिया गया अग्रिम भुगतान, अदालत में जमा की गई राशि और अग्रिम भुगतान की गई दरें और कर शामिल हैं।

टिप्पणी – 14 व्यापार प्राप्य

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति		31.03.22 को यथास्थिति	
व्यापार देय				
एमएसई की बकाया राशियां	16463.62		14348.24	
गैर–एमएसई की बकाया राशियां	113.32	16576.94	112.40	14460.64
अन्य देय				
एमएसई की बकाया राशियां	0.00		0.00	
गैर–एमएसई की बकाया राशियां	0.00	0.00	0.00	0.00
संबंधित पक्षकारों को देय	0.00		0.00	0.00
तुलन–पत्र के अनुसार		**16576.94**		**14460.64**

टिप्पणी: टिप्पणी–35 का क्रम सं. 1 देखें।

अनुलग्नक–14क : व्यापार देय (आयुवार सारांश)

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति		31.03.22 को यथास्थिति	
अविवादित व्यापार देय – एमएसई की देय राशि				
1 वर्ष के बराबर से कम	7220.47		6766.60	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	3340.10		1298.89	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	820.56		2559.05	
3 वर्ष से अधिक	4916.65		3499.75	
उप जोड़		**16297.78**		**14124.29**
विवादित व्यापार देय – एमएसई की देय राशि				
1 वर्ष के बराबर से कम	0.00		0.00	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
3 वर्ष से अधिक	165.84		223.94	
उप जोड़		**165.84**		**223.94**
कुल		**16463.62**		**14348.23**
अविवादित व्यापार देय – अन्य की देय राशि				
1 वर्ष के बराबर से कम	3.61		2.10	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.04		0.32	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.32		7.66	
3 वर्ष से अधिक	88.50		90.23	
उप जोड़		**92.47**		**100.31**
विवादित व्यापार देय – अन्य की देय राशि				
1 वर्ष के बराबर से कम	0.00		0.00	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
3 वर्ष से अधिक	20.85		12.10	
उप जोड़		**20.85**		**12.10**
कुल		**113.32**		**112.41**
कुल योग		**16576.94**		**14460.64**

टिप्पणी – 15 : उधार (परिशोधित लागत पर)

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति		31.03.22 को यथास्थिति	
सुरक्षित उधारियां				
बांड / डिबेंचर		0		0
निम्नलिखित से मियादी ऋणः				
बैंकों से		0		0
अन्यों सेः				
भारत सरकार	0		0	
राज्य सरकारें	0		0	
वित्तीय संस्थान	0		0	
विदेशी वित्तीय संस्थान	0		0	
अन्य	0	0	0	0
निम्नलिखित से मांग पर ऋणों की पुनःअदायगीः				
बैंकों से				
कार्यशील पूंजीगत ऋण	147000.00		147500.00	
नकदी क्रेडिट	3778.26		0.00	

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति		31.03.22 को यथास्थिति	
ओवरड्राफ्ट	0		0	
यादी ऋण	0.00	150778.26	0.00	147500.00
अन्य पक्षकार		0		0
आस्थगित भुगतान देयताएं		0		0
जमा		0		0
संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम		0		0
वित्तीय पट्टा इकरारों की दीर्घ अवधि परिपक्वता		0		0
निम्नलिखित से अन्य ऋण और अग्रिमः				
भारत सरकार	0		0	
राज्य सरकारें	0		0	
वित्तीय संस्थान	0		0	
विदेशी वित्तीय संस्थान	0		0	
अन्य	0	0	0	0
उप जोड़		**150778.26**		**147500.00**
असुरक्षित उधार				
बांड/डिबेंचर		0		0
निम्नलिखित से मियादी ऋण				
बैंक		0		0
अन्य पक्षकारों सेः				
भारत सरकार	0		0	
राज्य सरकारें	0		0	
वित्तीय संस्थान	0		0	
विदेशी वित्तीय संस्थान	4808.71		4835.57	
अन्य	0	4808.71	0	4835.57
निम्नलिखित से मांग पर ऋणों की पुनःअदायगीः				
बैंकों से				
कार्यशील पूंजीगत ऋण	0		0	
नकदी क्रेडिट	0		0	
ओवरड्राफ्ट	0		0	
मियादी ऋण	0	0	0	0
अन्य पक्षकार		0		0
आस्थगित अदायगी देयताएं		0		0
जमा		0		0
संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम		0		0
वित्तीय पट्टा इकरारों की दीर्घ अवधि परिपक्वता		0		0
निम्नलिखित से अन्य ऋण और अग्रिमः				
भारत सरकार	0		0	
राज्य सरकारें	0		0	
वित्तीय संस्थान	0		0	
विदेशी वित्तीय संस्थान	0		0	
अन्य	0	0	0	0
उप जोड़		**4808.71**		**4835.57**
तुलन–पत्र के अनुसार		**155586.97**		**152335.57**
उधारों का भौगोलिक वर्गीकरणः				
भारत में		150778.26		147500.00
भारत से बाहर		4808.71		4835.57
जोड़		**155586.97**		**152335.57**

टिप्पणी –35 की क्रम सं. 4(ज) देखें।

अनुलग्नक–15क : उधारों के ब्यौरे (परिशोधित लागत पर)

(लाख रू. में)

विवरण	निम्नलिखित को बकाया राशि:		अवधि एवं अदायगी योग्य किश्तों की बारंबारता (मासिक/त्रैमासिक/ अर्ध–वार्षिक/ वार्षिक)	प्रतिभूति का स्वरूप	क्या निदेशकों अथवा अन्यों द्वारा गारंटी दी गई है	31.03.23 को यथास्थिति निरंतर चूकें	
	31.03.23 को यथास्थिति	31.03.22 को यथास्थिति				अवधि	राशि
सुरक्षित उधार							
बांड/डिबेंचर							
निम्नलिखित से मियादी ऋण:							
बैंक							
विजया बैंक	0.00	0.00	अर्धवार्षिक		शून्य	0	
अन्यों से:							
भारत सरकार							
राज्य सरकारें							
वित्तीय संस्थान							
विदेशी वित्तीय संस्थान							
अन्य							
अदायगी योग्य ऋण:							
बैंक							
कार्यशील पूंजीगत ऋण							
द हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.00	0.00		ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली में 41920 वर्ग मीटर के माप वाली फ्री होल्ड भूमि के एकमात्र पंजीकृत बंधक के प्रति प्रतिभूत और विपणन क्रियाकलापों के अंतर्गत कच्चा माल सहायता स्कीम और बही ऋणों के अधीन प्राप्य राशियों पर समरूप प्रभार	शून्य	0	
इडंस इंड बैंक	67000.00	127500.00		ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली में स्थित 47 बीघा और 67 बिसवा माप वाली संपत्ति के साम्यिक बंधक के प्रति प्रतिभूत और बही ऋणों/वर्तमान परिसंपत्तियों पर समरूप प्रभार	शून्य	0	
भारतीय स्टेट बैंक	80000.00	0.00		बंधक रखकर, लेखा बही ऋणों पर समरूप प्रभार	शून्य	0	
एचडीएफसी डब्ल्यूसीडीएल	147000.00	127500.00					
नकद क्रेडिट							
पंजाब नेशनल बैंक	0.00	0.00		ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली में भूमि और भवन के साम्यिक बंधक के प्रति प्रतिभूत और ऋणों तथा अग्रिमों, बही ऋणों, बट्टाकृत बिलों और विपणन क्रियाकलापों समे संबंधित सभी चालू परिसंपत्तियों के रूप में प्राप्तियोग्य राशियों पर समरूप प्रभार	शून्य	0	
बंक ऑफ बड़ौदा (पहले विजया बैंक)	0.00	0.00		ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली में स्थित संपत्ति के पंजीकृत बंधक के प्रति प्रतिभूत और बही ऋणों/चालू परिसंपत्तियों पर समरूप प्रभार	शून्य	0	
भारतीय स्टेट बैंक	3778.26	0.00		ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली में स्थित 47 बीघा और 67 बिसवा माप वाली संपत्ति के साम्यिक बंधक के प्रति प्रतिभूत और बही ऋणों/वर्तमान परिसंपत्तियों पर समरूप प्रभार	शून्य	0	
	3778.26	0.00					

(लाख रू. में)

विवरण	निम्नलिखित को बकाया राशिः		अवधि एवं अदायगी योग्य किश्तों की बारंबारता (मासिक/त्रैमासिक/ अर्ध–वार्षिक/ वार्षिक)	प्रतिभूति का स्वरूप	क्या निदेशकों अथवा अन्यों द्वारा गारंटी दी गई है	31.03.23 को यथास्थिति निरंतर चूकें	
	31.03.23 को यथास्थिति	31.03.22 को यथास्थिति				अवधि	राशि
ओवरड्राफ्ट							
द हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.00	0.00		ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली में 41920 वर्ग मीटर के माप वाली फ्री होल्ड भूमि के एकमात्र पंजीकृत बंधक के प्रति प्रतिभूत और विपणन क्रियाकलापों के अंतर्गत कच्चा माल सहायता स्कीम और बही ऋणों के अधीन प्राप्य राशियों पर समरूप प्रभार	शून्य	0	
	0.00	**0.00**					
मियादी ऋण							
इंडस इंड बैंक	**0.00**	**20000.00**		कंपनी के ऋणों और अग्रिमों सहित लेखा बही ऋणों पर समरूप प्रभार			
	0.00	**20000.00**					
अन्य पक्षकार							
आस्थगित अदायगी देयताएं							
जमा							
संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम							
वित्त पट्टे की इकरारों दीर्घ अवधि परिपक्वताएं							
निम्नलिखित से अन्य ऋण और अग्रिमः							
भारत सरकार							
राज्य सरकारें							
वित्तीय संस्थान							
विदेशी वित्तीय संस्थान							
अन्य							
उप जोड़	**150778.26**	**147500.00**					
असुरक्षित उधार							
बांड/डिबेंचर							
निम्नलिखित से मियादी ऋणः							
बैंक							
निम्नलिखित से अन्य पक्षकारः							
भारत सरकार							
राज्य सरकारें							
वित्तीय संस्थान							
विदेशी वित्तीय संस्थान							

(लाख रू. में)

विवरण	निम्नलिखित को बकाया राशि:		अवधि एवं अदायगी योग्य किश्तों की बारंबारता (मासिक/त्रैमासिक/ अर्ध–वार्षिक/ वार्षिक)	प्रतिभूति का स्वरूप	क्या निदेशकों अथवा अन्यों द्वारा गारंटी दी गई है	31.03.23 को यथास्थिति निरंतर चूकें	
	31.03.23 को यथास्थिति	31.03.22 को यथास्थिति				अवधि	राशि
11वीं लाइन ऑफ क्रेडिट	2249.39	2231.91	अर्धवार्षिक		भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत		
12वीं लाइन ऑफ क्रेडिट	1988.81	2021.90	अर्धवार्षिक		भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत		
केसा डिपॉजिट ई प्रेसिटी, इटली (पूर्व में आर्टिगियाबेकसा, एसपीए के नाम से विख्यात)	570.51	581.76	अर्धवार्षिक		भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत[6]		
	4808.71	**4835.57**					
अन्य							
निम्नलिखित से मांग प्राप्त होने पर ऋणों की पुनः अदायगी:							
बैंक							
चल रहा पूंजीगत ऋण							
नकद क्रेडिट							
ओवरड्राफ्ट							
मियादी ऋण							
अन्य पक्षकार							
आस्थगित अदायगी देयताएं							
जमा							
संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम							
वित्त पट्टे इकरारों की दीर्घ अवधि परिपक्वताएं							
निम्नलिखित से अन्य ऋण और अग्रिम:							
भारत सरकार							
राज्य सरकारें							
वित्तीय संस्थान							
विदेशी वित्तीय संस्थान							
अन्य							
उप जोड़	**4808.71**	**4835.57**					
जोड़	**155586.97**	**152335.57**					

अनुबंध–15ख : विदेशी वित्तीय संस्थानों से उधारों के ब्यौरे

विवरण	केएफडब्ल्यू XI लाइन ऑफ क्रेडिट	केएफडब्ल्यू XII लाइन ऑफ क्रेडिट	इटालियन लाइन ऑफ क्रेडिट
कुल संस्वीकृत ऋण (यूरो में)	5112918.81	5036225.03	1053134.47
अदायगी की नियत तारीख	प्रत्येक वर्ष 30/6 और 31/12	प्रत्येक वर्ष 30/6 और 31/12	प्रत्येक वर्ष 17/7 और 17/1
पहली किश्त	30/06/2002	30/06/2006	17/01/2015
अंतिम किश्त	30/06/2042	30/12/2035	17/07/2035
कुल किश्तें	81	60	42
ब्याज	10.50%	12.50%	0.50%
31.03.22 को बकाया ऋण (यूरो में)	2471585.01	2185261.45	62686.61
पुनः अदायगी अवधि	अर्ध–वार्षिक	अर्ध–वार्षिक	अर्ध–वार्षिक
किश्तों की धनराशि (यूरो में)	62888.90	83851.87	25074.61
30.06.1993 से 31.12.2001 तक ड्यूश मार्क में अदा किया गया कुल ब्याज	592439.19	405995.68	-
30.06.2002 से 31.03.2023 तक यूरो में अदा किया गया कुल ब्याज	602237.43	616802.03	93705.76
हेजिंग	-	-	-

टिप्पणी – 16 : अन्य वित्तीय देयताएं (परिशोधित लागत पर)

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति	31.03.22 को यथास्थिति
आरएमए/एडब्ल्यूआरटी क्रेताओं से अग्रिम – इकाइयां	1632.78	2158.90
भुगतान योग्य बट्टा	1875.44	1667.69
थोक आपूर्तियां के संबंधी खाते में (आरएमए/एडब्ल्यूआरटी)	2195.73	3330.95
रेटिंग/क्रेडिट सूचना एजेंसियों को भुगतान योग्य	12.29	17.91
सुरक्षा जमा देय	2312.35	2042.01
बयाना राशि जमा (ईएमडी)	37.43	44.93
अवधारण राशि	1035.81	1121.46
परियोजनाओं के लिए भुगतान योग्य	850.44	834.85
व्यापार प्राप्यों में शेष क्रेडिट	4.78	37.18
उधारों/सीएसडी पर प्रोदभूत परंतु अदेय ब्याज	8.52	13.01
प्रशिक्षण हेतु देय भुगतान योग्य धनराशि	71.84	72.56
अन्य भुगतान योग्य – कर्मचारी	2380.86	3258.15
व्ययों हेतु चालू देयता	890.68	859.88
अन्य भुगतान योग्य – कर	599.87	657.02
अन्य भुगतान योग्य #	210.58	246.39
प्राप्त प्रतिबद्ध अग्रिम – प्रदर्शनियां	22.16	36.07
अनुदानों में अतिरेक के प्रति भारत सरकार को देय धनराशि (निवल)	5579.05	5164.42
प्राप्य सुरक्षा जमा का बट्टाकरण प्रभाव	25.79	16.02
प्राप्य अवधारण राशि जमा का बट्टाकरण प्रभाव	1.12	1.93
तुलन–पत्र के अनुसार	**19747.52**	**21581.33**

टिप्पणीः– # इसमें देय सरकारी गारंटी, देय गोदाम संचालन शुल्क, इंडएएस–116 आदि के अनुसार पट्टा दायित्व आदि शामिल हैं।

टिप्पणी – 16क: अनुदानों में अधिशेष के प्रति भारत सरकार को भुगतानयोग्य धनराशियां

(लाख रू. में)

विवरण	गत वर्ष में अग्रेषित शेष		वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान/ब्याज	राज्य एजेंसी को प्रतिपूर्ति/वापसी/समायोजन/अंतरण	अधिगृहीत अचल परिसंपत्तियां/डब्ल्यूआईपी	निवल राजस्व व्यय	कुल व्यय	प्रतिपूर्ति योग्य व्यय	31.03.23 को यथास्थिति	
	घाटा	अधिशेष							घाटा	अधिशेष
विपणन सहायता योजना										
विपणन सहायता योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उप–जोड़	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
निष्पादन एवं क्रेडिट रेटिंग स्कीम										
निष्पादन एवं क्रेडिट रेटिंग स्कीम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उप–जोड़	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
अंतरराष्ट्रीय सहयोग, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
संस्थानों को प्रशिक्षण हेतु सहायता										
संस्थानों को प्रशिक्षण हेतु सहायता	0.00	1222.98	2863.46	-2053.41	563.74	296.72	860.46	860.46	0.00	1172.57
पूर्वोत्तर क्षेत्र में संस्थानों को प्रशिक्षण हेतु सहायता	0.25	0.00	44.10	0.00	0.00	44.10	44.10	44.10	0.25	0.00
उप–जोड़	0.25	1222.73	2907.56	-2053.41	563.74	340.82	904.56	904.56	0.25	1172.32
राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी)	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
प्रशिक्षण एवं इंक्यूबेशन	0.00	16.22	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.57
राष्ट्रीय एससी–एसटी हब (एनएसएसएच)										
एनएसएसएच – एससीएसपी	0.00	2748.16	9619.90	-1645.39	0.00	7993.84	7993.84	7993.84	0.00	2728.83
एनएसएसएच – टीएसपी	0.00	775.88	2281.05	-525.89	0.00	1842.61	1842.61	1842.61	0.00	688.43
एनएसएसएच – पूर्वोत्तर क्षेत्र (एससीएसपी)	0.00	85.23	115.02	-34.73	0.00	61.80	61.80	61.80	0.00	103.72
एनएसएसएच – सामान्य	0.00	304.73	1365.69	-249.94	0.00	984.06	984.06	984.06	0.00	436.42
एनएसएसएच – पूर्वोत्तर क्षेत्र (टीएसपी)	0.00	10.38	885.00	0.00	0.00	408.05	408.05	408.05	0.00	487.33
उप–जोड़	**0.00**	**3924.38**	**14266.66**	**-2455.95**	**0.00**	**11290.36**	**11290.36**	**11290.36**	**0.00**	**4444.73**
प्रापण एवं विपणन सहायता स्कीम (पीएमएसएस)	0.00	0.35	95.20	0.00	0.00	150.86	150.86	150.86	55.31	0.00
अंतरराष्ट्रीय सहयोग (आईसी) स्कीम	0.00	0.00	9.26	0.00	0.00	9.26	9.26	9.26	0.00	0.00
जोड़	**0.00**	**5164.42**	**17279.03**	**-4509.36**	**563.74**	**11791.30**	**12355.04**	**12355.04**	**0.00**	**5579.05**
								निवल अधिशेष /(घाटा)	5579.05	
								गत वर्ष अधिशेष /(घाटा)	5164.42	

टिप्पणी – 17 : प्रावधान

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति		31.03.22 को यथास्थिति	
कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान				
उपदान हेतु	5383.82		5200.40	
छुट्टी नकदीकरण हेतु	3250.23		3156.28	
अर्ध–वेतन छुट्टी हेतु	524.27		508.11	
सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ते हेतु	4.04	9162.36	3.92	8868.72
अन्य				
संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों हेतु	13007.63		13173.98	
घटाएं: व्यापार से प्राप्यों, ऋणों एवं अग्रिमों आदि के प्रति कोंट्रा के अनुसार समायोजन	13007.63	0.00	13173.98	0.00
विनिमय भिन्नता के लिए				
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार शेष	2175.00		1977.70	
जोड़ें: वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	408.13		425.07	
घटाएं: विनिमय भिन्नता हानियों के लिए उपयोग किया गया	242.49		3.58	
घटाएं: पुरांकित राशि	90.98	2249.66	224.19	2175.00
संवर्धनात्मक क्रियाकलाप हेतु (केएफडब्ल्यू)				
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार शेष	0.00		0.00	
जोड़ें: वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	47.26		49.84	
घटाएं: उपयोग में लाई गई/पुरांकित राशि	47.26	0.00	49.84	0.00
तुलन–पत्र के अनुसार		**11412.02**		**11043.72**

टिप्पणी:– कर्मचारी लाभ प्रावधानों के लिए टिप्पणी–35 का क्रम सं. 4(झ) देखें।

अनुलग्नक–17क : परिवर्धन, प्रत्यावर्तन एवं प्रावधानों के उपयोगों के ब्यौरे 2022–23

(लाख रू. में)

विवरण	01.04.2022 को यथास्थिति आरंभ शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	उपयोग/उलट/समायोजन	वर्ष के दौरान वापस ली गई राशि	31.03.2023 को यथास्थिति अंत शेष
उपदान के लिए	5200.40	610.21	425.97	0.82	5383.82
छुट्टी नकदीकरण के लिए	3156.29	686.93	574.97	18.02	3250.23
अर्धवेतन छुट्टी के लिए	508.11	83.91	27.61	40.14	524.27
सेवा निवृत्ति पर यात्रा भत्ते के लिए	3.92	0.41	0.07	0.22	4.04
संदिग्ध ऋणों हेतु	13173.98	241.99	0.00	408.34	13007.63
विनिमय परिवर्तन हेतु	2175.00	408.13	242.49	90.98	2249.66
संवर्धनात्मक क्रियाकलाप हेतु	0.00	47.26	47.26	0.00	0.00
जोड़	**24217.70**	**2078.84**	**1318.37**	**558.52**	**24419.65**

2021–22

(लाख रू. में)

विवरण	01.04.2021 को यथास्थिति आरंभ शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	उपयोग/ उलट/ समायोजन	वर्ष के दौरान वापस ली गई राशि	31.03.2022 को यथास्थिति अंत शेष
उपदान के लिए	4926.49	665.22	390.24	1.07	5200.40
छुट्टी नकदीकरण के लिए	2842.72	847.59	528.02	6.00	3156.29
अर्धवेतन छुट्टी के लिए	491.42	80.77	20.88	43.20	508.11
सेवा निवृत्ति पर यात्रा भत्ते के लिए	3.84	0.37	0.06	0.23	3.92
संदिग्ध ऋणों हेतु	13105.01	478.31	0.00	409.34	13173.98
विनिमय परिवर्तन हेतु	1977.70	425.07	3.58	224.19	2175.00
संवर्धनात्मक क्रियाकलाप हेतु	0.00	49.84	49.84	0.00	0.00
जोड़	**23347.18**	**2547.17**	**992.62**	**684.03**	**24217.70**

टिप्पणी – 18 : अन्य गैर–वित्तीय देयताएं

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति	31.03.22 को यथास्थिति
अग्रिम रूप से प्राप्त आय	1347.76	1128.71
अन्य भुगतान योग्य #	794.89	842.77
कर्मचारी अग्रिम पर बट्टाकरण का प्रभाव	4.48	7.25
तुलन–पत्र के अनुसार	**2147.13**	**1978.73**

नोटः– # इसमें एसपीआरएस, एनएसएसएच इकाइयों, ड्यूटी ड्रॉबैक, प्रदर्शनी/प्रतिनिधिमंडल और अन्य देय खातों के लिए देय खाता शामिल है।

टिप्पणी – 19 : शेयर पूंजी

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति	31.03.22 को यथास्थिति
प्राधिकृत		
100–100 रुपए के 5,35,00,000 (गत वर्ष 5,35,00,000) इक्विटी शेयर	53500.00	53500.00
जारी, अभिदत्त और प्रदत्त		
100–100 रुपए के पूर्णतः प्रदत्त 5,32,98,800 (गत वर्ष 5,32,98,800) इक्विटी शेयर	53298.80	53298.80
तुलन पत्र के अनुसार	**53298.80**	**53298.80**

अनुलग्नक–19क : बकाया शेयरों की संख्या का लेखा मिलान

विवरण	इक्विटी शेयर (संख्या)	अधिमानी शेयर (संख्या)
वर्ष के आरंभ में बकाया शेयर	53298800	0
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	0	0
वर्ष के दौरान वापस खरीदे गए शेयर	0	0
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	53298800	0

अनुलग्नक – 19ख : भारत सरकार और प्रमोटरों द्वारा निगम में 5 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी का विवरण

शेयरधारक का नाम	31.03.23 के अनुसार धारित शेयरों की संख्या	31.03.23 के अनुसार धारण प्रतिशत	31.03.22 के अनुसार धारित शेयरों की संख्या	31.03.22 के अनुसार धारण प्रतिशत
प्रमोटर				
भारत सरकार	53298800	100	53298800	100
वर्ष के दौरान प्रमोटर होल्डिंग में परिवर्तन	-	-	-	-

अनुलग्नक – 19ग : पिछले 5 वर्षों के संबंध में नकद भुगतान प्राप्त किए बिना संविदा (संविदाओं) के अनुसरण में आबंटित शेयरों, बोनस शेयरों और वापस खरीदे गए शेयरों के विवरण

विवरण	शेयरों की कुल संख्या				
	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19
इक्विटी शेयरः					
नकद भुगतान प्राप्त किए बिना संविदा(संविदाओं) के अनुसार पूर्णतः प्रदत्त	0	0	0	0	0
बोनस शेयरों के रूप में पूर्णतः प्रदत्त शेयर	0	0	0	0	0
वापस खरीदे गए शेयर	0	0	0	0	0
अधिमानी शेयरः					
नकद भुगतान प्राप्त किए बिना संविदा(संविदाओं) के अनुसार पूर्णतः प्रदत्त	0	0	0	0	0
बोनस शेयरों के रूप में पूर्णतः प्रदत्त शेयर	0	0	0	0	0
वापस खरीदे गए शेयर	0	0	0	0	0

अनुलग्नक – 19घ : अप्रदत्त मांगों के विवरण

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति	31.03.22 को यथास्थिति
अप्रदत्त मांगें		
निदेशकों द्वारा	0	0
अधिकारियों द्वारा	0	0

अनुलग्नक – 19ङ : शेयरों से संबद्ध अधिकार, वरियता और प्रतिबंध

इक्विटी शेयर केवल शेयर पूंजी की वह श्रेणी है, जिनका सममूल्य 100/– रुपए प्रति शेयर है। इक्विटी शेयर को धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति बैठक में व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी रूप से उपस्थित होता है, जोकि एक वोट देने का हकदार है, और मतदान में प्रत्येक शेयर एक वोट का पात्र है।

इक्विटी शेयर का प्रति शेयर प्रदत्त मूल्य के अनुपात में मतदान अधिकार है। कंपनी की तरलता के मामले में, इक्विटी शेयरों के धारक क्रेडिट की गई धनराशियों को उन इक्विटी शेयरों पर प्रदत्त धनराशि को पुनः अदा किए जाने के पात्र हैं। समापन आरंभ होने पर सभी अधिशेष परिसंपत्तियां, देयताओं के समायोजन के पश्चात इक्विटी शेयर के धारकों को उनके शेयरधारण के अनुपात में अदा की जाएंगी।

टिप्पणी – 20 : अन्य इक्विटी के ब्यौरे

(लाख रू. में)

विवरण	01.04.2022 को यथास्थिति	वर्ष के दौरान वृद्धि/सृजन	वर्ष के दौरान कटौती		31.03.2023 को यथास्थिति
			अंतरण/ बिक्री/ समायोजन	वर्ष के लिए मूल्यह्रास	
प्रारक्षित पूंजी/आस्थगित आय (भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों से अधिगृहीत परिसंपत्तियों के मूल्य दर्शाने वाली आरक्षित निधि)					
तकनीकी केंद्र	266.09	0.00	-41.78	32.76	275.11
सरकारी खरीद योजना	0.41	0.00	0.00	0.00	0.41
उपर्युक्त प्रौद्योगकी	2.20	0.00	0.00	0.01	2.19
आधुनिकीकरण – ताला परियोजना	10.45	0.00	0.00	0.00	10.45
पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास	17.34	0.00	0.00	0.01	17.33
प्रौद्योगिकी कारोबार इंक्यूबेटर	60.91	0.00	0.00	7.29	53.62
लघु औज़ार कक्ष केंद्र	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85
अल्पसंख्यक कल्याण स्कीम	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12
तकनीकी केंद्र का आधुनिकीकरण	4.32	0.00	0.00	0.00	4.32
विज्ञान और प्रौद्योगिकी परियोजना	1.30	0.00	0.00	0.02	1.28
उत्पाद डिजाइन केंद्र (प्राइड)	10.15	0.00	0.00	0.32	9.83
प्रौद्योगिकी कारोबार इंक्यूबेटर (आईटी)	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
लघु उद्योग मार्ट (एलयूएम)	188.27	0.00	0.00	7.15	181.12
केएफडब्ल्यू (पश्चिम जर्मनी) ऋणों पर ब्याज विभेदक निधि	17.85	0.00	0.00	0.51	17.34
बैंकिंग ओवन का प्रौद्योगिकी विकास	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
डीएसटी–एसटीईपी (एस एण्ड टी परियोजना)	20.03	0.00	0.00	4.50	15.53
इंधन सक्षम डीजल इंजन परीक्षण (टीएफईडीई)	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36
विपणन विकास केंद्र	59.93	0.00	0.00	1.53	58.40
एस एण्ड टी परियोजना पर ब्याज विभेदक निधि	0.65	0.00	0.00	0.00	0.65
प्रशिक्षण एवं इंक्यूबेशन	222.90	0.00	89.31	14.20	119.39
संस्थानों को प्रशिक्षण के लिए सहायता	3271.84	563.75	-47.16	307.11	3575.64
एनएसएसएच–सामान्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उप जोड़	**4155.98**	**563.75**	**0.37**	**375.41**	**4343.95**
अन्य आरक्षित निधियां					
पूंजी प्रतिस्थापन आरक्षित निधि	73.09	0.00	0.00	0.00	73.09
हानिकरण आरक्षित *	4866.65	0.00	0.00	0.00	4866.65
अवधारित आरक्षित	49086.77	11048.27	5526.71	0.00	54608.33
अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के जरिए इक्विटी लेख	258.83	26.71	0.00	0.00	285.54
ओसीआई के जरिए सुनिश्चित लाभ योजनाओं पर बीमांकिक लाभ/हानि	-521.23	0.00	-2.27	0.00	-518.96
सांविधिक आरक्षित – भा.रि.बैं. अधिनियम 1934 के धारा 45 आईसी के अंतर्गत **	6180.21	2209.66	0.00	0.00	8389.87
तुलन–पत्र के अनुसार	**64100.30**	**13848.39**	**5524.81**	**375.41**	**72048.47**
बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों के प्रति आरक्षित	0	0	0	0	0

* टिप्पणी–35 के बिंदु क्रमांक में 4(वाय)(ए) देखें।

** टिप्पणी–35 के बिंदु क्रमांक में 4(वाय)(सी) देखें।

टिप्पणी – 21 : प्रचालनों से प्राप्त राजस्व

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.22 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रचालनों से राजस्व		
क उत्पादों की बिक्री		
विपणन क्रियाकलाप		
विपणन	13518.20	10350.71
निर्यात	0.00	0.00
कच्चा माल वितरण	218973.46	210813.21
लाभ व हानि विवरण के अनुसार	**232491.66**	**221163.92**
ख सेवाओं की बिक्री		
एकल बिंदु पंजीकरण योजना (एसपीआरएस) से आय	973.52	1072.10
डिजिटल सेवा सुविधा (डीएसएफ) से राजस्व	486.10	509.84
आवेदन प्रक्रिया शुल्क	2.64	3.10
प्राप्त किराया	4905.15	3502.67
साफ–सफाई एवं अन्य प्रभार	1177.01	1170.33
प्रशिक्षण क्रियाकलापों से राजस्व	1642.97	1323.73
सामान्य सुविधाओं के कारण राजस्व	996.06	954.69
परियोजना परामर्शी प्रभार	0.00	0.00
प्रशिक्षण–एवं–इंक्यूबेशन केंद्र–एलबीआई/एसपायर (टीआईसी) से आय	43.36	87.04
प्रदर्शिनियों, सेमिनारों, बैठकों, सम्मेलनों और विपणन अभियानों से प्राप्तियां	18.79	13.72
सेवाओं से अन्य प्राप्तियां	9.40	10.75
सरकारी स्कीमों के कार्यान्वयन पर प्रशासनिक प्रभार (अनुदान और सब्सिडी)	739.01	439.90
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार	**10994.01**	**9087.87**
ग ब्याज आय		
पक्षकारों से:		
सामान्य	28225.69	26035.06
दांडिक ब्याज	6.74	3.39
बैंकों के पास जमा से	4.41	61.50
कमचार्री अग्रिम से	0.75	0.67
अन्य से	2.61	1.92
विदेशी मुद्रा लेनदेन और अनुवाद पर ब्याज का लाभ (नेट)	0.00	0.00
परिशोधित लागत पर		
वित्तीय परिसंपत्तियों पर छूट का प्रभाव	75.90	28.02
ब्याज आय कर्मचारी/परिशोधित लागत	0.00	0.00
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार	**28316.10**	**26130.56**

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.22 को समाप्त वर्ष के लिए	
घ शुल्क और कमीशन आय				
अर्जित प्रक्रिया शुल्क/सेवा प्रभार	संचालित माल, प्रदान की गई सेवाओं का मूल्य	प्रक्रिया शुल्क	संचालित माल, प्रदान की गई सेवाओं का मूल्य	प्रक्रिया शुल्क
आरएमडी / आरएमए / एडब्ल्यूआरटी *	1641622.18	4334.52	1779183.57	4458.70
विविध मदें **	42707.47	395.60	40234.54	277.13
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार	**1684329.65**	**4730.12**	**1819418.11**	**4735.83**
ङ अन्य प्रचालन राजस्व				
आधिक्य प्रावधान पुरांकितः				
केएफडब्ल्यू	138.25		274.01	
सरकारी गारंटी शूल्क	0.00		0.00	
सेवांत लाभ	59.19		50.51	
अन्य से रु	169.75	367.19	27.56	352.08
पुरांकित विविध क्रेडिट शेष		114.69		314.15
विदेशी मुद्रा लेनदेनों और परिवर्तन पर लाभ (निवल)		0.00		85.57
उचित मूल्य परिवर्तन का शुद्ध लाभ/हानि		0.00		0.00
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार		**481.88**		**751.80**

नोटः– बिक्री छूट, छूट आदि के शुद्ध रूप में होती है। 8754.35 लाख
एनएसआईसी द्वारा एनवीसीएफएल से ली गई किराया आय के लिए 5.93 लाख रुपये, जो बदले में एसआरआई फंड द्वारा वहन किया गया है रुपये शामिल हैं।
*आरएमडी/आरएमए/एडब्ल्यूआरटी में बैंक गारंटी (थोक और थोक–भिन्न आपूर्ति), अग्रिम भुगतान और एजेंसी बिक्री/गोदाम संचालन हेतु प्रत्याभूति के लिए प्रसंस्करण शुल्क शामिल है।
**विविध मदों में बिल वित्तपोषण, विपणन और बैंक टाई अप के लिए प्रसंस्करण शुल्क शामिल हैं
संदिग्ध ऋण लिखित वापसी (नेट) रुपये का प्रावधान शामिल है। 166.35 लाख (रु. शून्य)

टिप्पणी – 22 : अन्य आय

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.22 को समाप्त वर्ष के लिए
आयकर की वापसियों पर ब्याज	14.34	19.27
विविध आय	84.58	100.25
लाभाशं आय	61.78	2.35
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार	**160.70**	**121.87**

टिप्पणी – 23 : अनुदान और आर्थिक सहायता

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.22 को समाप्त वर्ष के लिए
संवर्धनात्मक क्रियाकलापों के लिए	**12355.05**	**8360.86**
घटाएंः पूंजी व्यय (निवल)	563.74	699.11
घटाएंः एनएसएसएच के अंतर्गत सदस्यता/निरीक्षण शुल्क, प्रशिक्षण, किराया आदि	92.34	203.97
घटाएंः प्रशिक्षण शुल्क – एटीआई	340.82	317.23
घटाएंः सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर प्रशासनिक शुल्क (अनुदान और सब्सिडी)	739.01	439.90

विवरण	31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.22 को समाप्त वर्ष के लिए
घटाएं: बी2बी योजना (पीएमएसएस) के तहत सदस्यता शुल्क, विज्ञापन आदि	111.03	0.00
घटाएं: सरकारी अनुदान से विनियोगित राशि (लाभ और हानि के विवरण के अनुसार – प्रोमोशनल)	0.00	0.00
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार	**10508.11**	**6700.65**

टिप्पणी – 24 : उत्पादों की खरीद

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.22 को समाप्त वर्ष के लिए
विपणन गतिविधि		
विपणन	13518.15	10350.70
निर्यात	0.00	0.00
कच्चे माल का वितरण	218278.34	209853.34
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार	**231796.49**	**220204.04**

नोटः– खरीदारी छूट, रियायत आदि मिलाकर 9404.98 लाख रूपये है।

टिप्पणी – 25 : माल–सूचियों में परिवर्तन

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.22 को समाप्त वर्ष के लिए	
तैयार मालः				
समापन स्टॉक	0.00		0.00	
घटाएं: आरंभिक स्टॉक	0.00		1.91	
स्टॉक में समायोजन	0.00	0.00	0.00	1.91
चल रहा कार्यः				
समापन स्टॉक	0.00		0.00	
घटाएं: आरंभिक स्टॉक	0.00		0.00	
स्टॉक में समायोजन	0.00	0.00	0.00	0.00
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार		**0.00**		**1.91**

टिप्पणी – 26 कर्मचारी लाभ व्यय

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.22 को समाप्त वर्ष के लिए	
वेतन और भत्ते		9368.88		9051.74
निम्नलिखित के प्रति अंशदानः				
भविष्य निधि	782.86		754.18	
अधिवर्षिता योजना/पेंशन योजना	660.95	1443.81	619.79	1373.97
उपदान		631.99		588.24
स्टाफ कल्याण व्यय		145.15		116.47
अन्य लाभ		1721.91		2113.21
निदेशक (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित)				
वेतन और भत्ते		52.34		110.03
निम्नलिखित हेतु अंशदानः				
भविष्य निधि	4.27		7.15	
अधिवर्षिता योजना/पेंशन योजना	3.56	7.83	17.86	25.01
उपदान		0.61		4.11
अन्य लाभ		4.76		18.45
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार		**13377.28**		**13401.23**

टिप्पणी – 27 : वित्त लागत

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.22 को समाप्त वर्ष के लिए	
उधार पर ब्याजः				
क्रैडिटैन्स्टाल्ट पश्चिम जर्मनी (केएफडब्ल्यू ऋण)	487.14		508.41	
कासा डिपॉजिट ई प्रेसटिट, इटली (पूर्व में आर्टिजिनएनकासा एसपीए के नाम से विख्यात)	2.84		3.09	
बैंक	8590.12		5742.88	
अन्य	0.00	9080.10	0.00	6254.38
उधार लेने पर अन्य लागतः				
अन्य वित्त प्रभार		4.56		5.83
कर्मचारी अग्रिम/परिशोधित लागत पर ब्याज व्यय		**0.01**		**1.35**
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार		**9084.67**		**6261.56**

टिप्पणी – 28 : मूल्यह्रास एवं परिशोधन

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.22 को समाप्त वर्ष के लिए	
निम्नलिखित पर मूल्यह्रासः				
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण		683.44		708.16
पट्टायुक्त परिसंपत्तियां		0.00		0.00
अनुदानों के प्रति अर्जित संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण				
कोंट्रा के अनुसार मूल्यह्रास	375.41		361.14	
घटाएं: कोंट्रा के अनुसार प्रतिस्थापन प्रारक्षित निधियां	375.41	0.00	361.14	0.00
व्ययों का परिशोधन		20.15		33.84
संपत्ति, संयत्र एवं उपकरण पर हानिकरण क्षति		0.00		0.00
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार		**703.59**		**742.00**

नोटः– पीपीई पर मूल्यह्रास में संपत्ति के उपयोग के अधिकार का मूल्यह्रास रू. 0.83 लाख (रू. 0.83 लाख) शामिल है।

टिप्पणी 12 और टिप्पणी–35 का क्रम संख्या 4(ङ) देखें।

टिप्पणी – 29 : निगमित सामाजिक जिम्मेदारी

(लाख रू. में)

विवरण	नकद के रूप में 31.03.2023	अभी अदा किया जाना 31.03.2023	जोड़ 31.03.2023	नकद के रूप में 31.03.2022	अभी अदा किया जाना 31.03.2022	जोड़ 31.03.2022
किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अर्जन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उपर्युक्त के अलावा, अन्य खरीद पर	278.27	0.00	278.27	230.60	0.00	230.60
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार	**278.27**	**0.00**	**278.27**	**230.60**	**0.00**	**230.60**
संबंधित पक्षकार लेन–देन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि			278.27			223.53
किए गए व्यय की राशि			278.27			224.10
वर्ष के अंत में कमी			0.00			-0.57
पिछले वर्षों की कुल कमी			0.00			-0.19
कमी का कारण			लागू नहीं			लागू नहीं
सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति			संदर्भ एन–1			संदर्भ एन–2
संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण			शून्य			शून्य

टिप्पणी: 1) सीएसआर गतिविधि की प्रकृति में स्वच्छ भारत कोष, सशस्त्र बल झंडा दिवस निधि, पीएम केयर फंड में योगदान और 03 सामुदायिक जल ई–पीआईओ मशीनों की स्थापना के माध्यम से जनता को सुरक्षित पेयजल प्रदान करना शामिल है।

2) सीएसआर गतिविधि की प्रकृति में स्वच्छ भारत कोष, सशस्त्र बल झंडा दिवस कोष, पीएम केयर फंड और स्वच्छ गंगा कोष में योगदान

टिप्पणी – 30 : अन्य व्यय

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.22 को समाप्त वर्ष के लिए
बिजली, विद्युत एवं जल प्रभार	995.93	749.64
मुद्रण एवं लेखन–सामग्री	92.38	76.38
बीमा	28.03	27.24
यात्रा, सवारी एवं वाहन प्रभार	570.10	381.45
माल, भाड़ा एवं चुंगी व्यय	25.18	22.72
संचार व्यय	98.68	95.08
अदा किया गया किराया	430.95	459.59
कर्मचारी भर्ती व्यय	5.57	13.64
लाइसेंस, दरें एवं कर	276.36	256.00
सुरक्षा एवं अन्य संबद्ध सेवाओं पर व्यय	2103.91	2017.17
मरम्मत एवं रखरखाव व्यय	662.65	620.24
कम्प्यूटर अनुरक्षण प्रभार	14.44	23.69
वेब पोर्टल और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अनुरक्षण प्रभार	18.72	7.95
कंप्यूटर, सर्वर आदि, किराया प्रभार	64.55	45.57
सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान	54.66	50.43
आंतरिक लेखापरीक्षकों को भुगतान	36.93	35.23
कानूनी, व्यावसायिक एवं परामर्श प्रभार	214.24	247.90
निदेशकों का बैठक शुल्क	4.44	1.65
निदेशकों का अन्य व्यय	19.32	14.66
प्रशिक्षण व्यय	779.43	582.23
सामान्य सुविधा प्रभार	90.06	77.56
गोदाम प्रचालनों पर प्रभार	679.84	960.31
सूचनात्मक सेवा व्यय	4.49	1.53
कारोबार/बिक्री संवर्धन व्यय	86.94	44.05
मनोरंजन	31.60	16.88
विज्ञापन एवं प्रचार	83.99	42.52
विविध व्यय	18.51	24.42
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण/अवसूलीयोग्य अग्रिम	17.35	7.75
प्रदर्शियों, सेमिनारों एवं सम्मेलनों पर व्यय	64.64	20.93
क्रेडिट सूचना रिपोर्ट/पीसीआरएस पर व्यय	8.48	38.05
विशेष विपणन सहायता योजना (एसएमएएस) योजना पर व्यय	2421.92	674.51
अन्यों पर व्यय – एनएसएसएच	7437.07	5192.87
प्रापण एवं विपणन सहायता योजना (पीएमएसएस) पर व्यय	39.83	248.17
अंतराष्ट्रीय सहयोग (आईसी) स्कीम पर व्यय	9.26	0.00
वित्तीय परिसंपत्तियों पर छूट का प्रभाव	21.39	52.27
संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान	0.00	68.97
एसपीआरएस पर व्यय	31.92	32.07
सांविधिक देय राशियों के लिए ब्याज/शुल्क/दंड	3.23	5.69
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार	**17546.99**	**13237.01**

अनुलग्नक – 30क : अन्य व्ययों के ब्यौरे

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.22 को समाप्त वर्ष के लिए	
निम्न हेतु सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतानः				
सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क		42.24		38.50
कर लेखापरीक्षा शुल्क		10.23		10.26
अन्य कराधान मामले		0.00		0.00
कंपनी कानून मामले		0.00		0.00
प्रबंधन सेवाएं		0.00		0.00
अन्य सेवाएं		0.00		0.00
व्ययों की प्रतिपूर्ति		2.19		1.67
जोड़		**54.66**		**50.43**
निम्न पर मरम्मत एवं रखरखाव खर्चः				
भवन		480.64		460.67
मशीनरी		46.18		43.23
अन्य		135.83		116.34
जोड़		**662.65**		**620.24**
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण/अवसूलनीय अग्रिमः				
बट्टेखाते डाले गए अशोध्य ऋण		17.35		7.75
बट्टेखाते डाले गए अवसूलनीय अग्रिम		0.00		0.00
पीपीई को बट्टे खाते में डाल दिया गया				
बट्टेखाते डाली गई हानियां	0.00		0.00	
घटाएं: बट्टे डाली गई हानियों के लिए कोंट्रा समायोजन	0.00	0.00	0.00	0.00
जोड़		**17.35**		**7.75**
निम्न पर प्रशिक्षण व्ययः				
आंतरिक		431.22		362.16
प्रायोजित		187.99		93.57
व्यैक्तिक		4.42		3.92
एटीआई		90.73		68.83
क्षमता निर्माण (एनएसएसएच)		0.00		0.00
अन्य		65.07		53.75
जोड़		**779.43**		**582.23**
विशेष विपणन सहायता स्कीम पर व्ययः				
घरेलू प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों में सहभागिता		1836.18		639.48
विदेश में अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों में भागीदारी		32.00		0.00
संगठन का घरेलू प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों का दौरा		391.96		0.00
संगठन का विदेश में अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों/सेमिनारों का दौरा		6.47		0.00
वेंडर विकास कार्यक्रम		39.28		0.63
कार्यशालाओं, सम्मेलनों, जागरूकता अभियानों का आयोजन		20.47		20.70
मेगा इवेंट– एमएसएमई मंत्रालय के उद्योग संघों–संगठनों के साथ साझेदारी में एससी–एसटी कॉन्कलेव/सम्मेलन का आयोजन)		95.56		13.70
जोड़		**2421.92**		**674.51**

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.22 को समाप्त वर्ष के लिए
अंतरराष्ट्रीय सहयोग (आईसी) स्कीम पर व्यय :		
अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों आदि में एमएसएमई प्रतिनिधिमंडल का दौरा।	0.00	0.00
अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों आदि में एमएसएमई प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी।	9.26	0.00
अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आदि आयोजित करना।	0.00	0.00
मेगा अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों आदि का आयोज करना।	0.00	0.00
अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों आदि के लिए एमएसएमई प्रतिनिधिमंडल।	0.00	0.00
जोड़	**9.26**	**0.00**
सांविधिक देय राशियों के लिए ब्याज/शुल्क/दंड		
टीडीएस के विलंबित जमा पर के लिए भुगतान किया गया ब्याज	1.22	2.49
जीएसटी के विलंबित जमा पर के लिए भुगतान किया गया ब्याज	0.87	2.00
टीडीएस/टीसीएस रिटर्न के विलंबित जमा पर शुल्क	0.00	0.09
जीएसटी रिटर्न के विलंबित जमा के लिए शुल्क	0.93	0.00
धारा 234ए/बी/सी के तहत ब्याज	0.00	0.00
किसी कानून के तहत दंड	0.21	1.11
जोड़	**3.23**	**5.69**
अन्यों पर व्यय – एनएसएसएचः		
प्रौद्योगिकी सक्षमता के लिए विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी	6966.11	3664.16
मौजूदा और महत्वाकांक्षी एससी/एसटी उद्यमियों की क्षमता निर्माण– कौशल विकास कार्यक्रम	0.00	0.00
मंत्रालय द्वारा अनुमोदित संगठनों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति	233.13	691.75
मौजूदा और इच्छुक एससी/एसटी उद्यमियों का क्षमता निर्माण– क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए टूलकिट वितरण	10.31	0.00
विभिन्न प्रतिपूर्ति उप–योजनाओं/हस्तक्षेपों के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए समर्थन	0.00	0.00
बैंक ऋण प्रसंस्करण शुल्क की प्रतिपूर्ति	17.53	15.85
निष्पादन बैंक गारंटी के लिए बैंक शुल्क की प्रतिपूर्ति	0.38	1.78
परीक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति	1.31	0.29
निर्यात संवर्धन परिषद की सदस्यता/सदस्यता/प्रवेश शुल्क की प्रतिपूर्ति	0.72	0.36
एससी/एसटी उद्यमियों के अल्पकालिक प्रशिक्षण के लिए शीर्ष 50 एनआईआरएफ रेटेड प्रबंधन संस्थानों को पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति	0.00	0.00
सरकार द्वारा प्रवर्तित ई–कॉमर्स पोर्टल में सदस्यता की प्रतिपूर्ति (बी2बी को छोड़कर)	0.00	0.00
योजना के बारे में जागरूकता सृजन और प्रचार–प्रसार	2.94	593.44
एससी/एसटी हब को तकनीकी एवं प्रबंधकीय सहायता	204.64	225.24
कुल	**7437.07**	**5192.87**

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.22 को समाप्त वर्ष के लिए
खरीद और विपणन सहायता स्कीम पर (पीएमएसएस) पर व्यय		
देश भर में बाजार पहुंच पहल		
व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में व्यक्तिगत एमएसई की भागीदारी	39.83	248.17
डीसी (एमएसएमई) मंत्रालय/कार्यालय/सरकारी संगठनों द्वारा घरेलू/अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनी का आयोजन और व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी	0.00	0.00
विक्रेता विकास कार्यक्रम (वीडीपी)	0.00	0.00
क्षमता निर्माण	0.00	0.00
आधुनिक पैकेजिंग तकनीकों को अपनाना	0.00	0.00
बार कोड को अपनाना	0.00	0.00
ई–कॉमर्स प्लेटफार्म को अपनाना	0.00	0.00
राष्ट्रीय कार्यशालाएँ/संगोष्ठियाँ	0.00	0.00
मंत्रालय/डीसी (एमएसएमई) कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय कार्यशालाओं/सेमिनारों का आयोजन (पारंपरिक/आभासी)	0.00	0.00
रिटेल आउटलेट का विकास	0.00	0.00
कुल	**39.83**	**248.17**

टिप्पणी – 31 : कर व्यय

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.22 को समाप्त वर्ष के लिए	
चालू कर हेतु प्रावधान				
चालू कर हेतु प्रावधान	3500.00		3500.00	
आस्थगित कर हेतु प्रावधान	310.68		234.25	
संपत्ति कर हेतु प्रावधान	0.00	3810.68	0.00	3734.25
पूर्ववर्ती वर्ष के करों के लिए प्रावधान				
कर हेतु प्रावधान	-33.81		-8.33	
आस्थगित कर हेतु प्रावधान	0.00	-33.81	0.00	-8.33
लाभ एवं हानि विवरण के अुनसार		**3776.87**		**3725.92**

टिप्पणी – 32 : प्रति इक्विटी शेयर अर्जन

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.22 को समाप्त वर्ष के लिए
गणक		
लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर–पश्चात लाभ	11048.27	10822.58

विवरण	31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.22 को समाप्त वर्ष के लिए
मूल्य वर्ग		
इक्विटी शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य 100/– रुपए)	53298800	53298800
वर्ष के दौरान आबंटित शेयरों की संख्या	0	0
प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना करने के लिए इक्विटी शेयरों का भारित औसत	53298800	53298800
तरलीकृत प्रति शेयर की गणना करने के लिए इक्विटी शेयरों का भारित औसत	53298800	53298800
प्रति शेयर मूल अर्जन (रुपए प्रति शेयर) (100/– रुपए प्रत्येक शेयर अंकित मूल्य)	20.73	20.31
प्रति शेयर तरलीकृत अर्जन (रुपए प्रति शेयर) (100/– रुपए प्रत्येक शेयर अंकित मूल्य)	20.73	20.31

टिप्पणी – 33 आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं (प्रावधान न की गई सीमा तक)

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.22 को समाप्त वर्ष के लिए
(i) आकस्मिक देयताएं		
ऋणों के रूप में न माने गए निगम के प्रति दावे	156.05	89.57
विवादित आय कर, ब्याज कर, बिक्री कर, व्यापार की मांग	603.41	872.54
अन्य राशि, जिसके लिए निगम आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	3215.00	324.09
लाभ एवं हानि विवरण के अुनसार	**3974.46**	**1286.20**
(ii) प्रतिबद्धताएं:		
पूंजी लेखा पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित राशि, जिसका प्रावधान न किया गया हो (अग्रिमों को घटाकर निवल)	986.82	3296.75
लाभ एवं हानि विवरण के अुनसार	**986.82**	**3296.75**

टिप्पणी – 34 शुल्क और कमीशन व्यय

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.22 को समाप्त वर्ष के लिए
शुल्क और कमीशन:		
सरकारी गारंटी शुल्क	19.01	20.24
विदेशी म्रुदा लेन–देन और लेन–देन ब्याज भुगतान पर कम	24.15	0.00
बैंक शुल्क और कमीशन	37.83	51.50
अन्य	3.10	0.11
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार	**84.09**	**71.85**

टिप्पणी – 35 :

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों की अन्य टिप्पणियाँ

i. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रकटीकरण के लिए यथा अपेक्षित निम्नलिखित सूचनाएं, निगम के पास उपलब्ध सूचना/दस्तावेजों के आधार पर अभिज्ञात पक्षकारों के स्टेट्स की सीमा तक विनिर्धारित कर ली गई हैं।

(लाख रू. में)

क्र. सं.	विवरण	2022–23	2021–22
1	किसी आपूर्तिकर्ता को अप्रदत्त बची धनराशिः		
	क) मूलधन की धनराशि	16463.62	14348.24
	ख) उस पर देय ब्याज	शून्य	शून्य
2	नियुक्त दिन के पश्चात आपूर्तिकर्ता को भुगतान की गई धनराशि के साथ–साथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार भुगतान की गई ब्याज की धनराशि;	शून्य	शून्य
3	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट ब्याज जोड़े बिना भुगतान (जो कर दिया गया है, परंतु वर्ष के दौरान नियुक्त दिन के पश्चात) करने में विलंब की अवधि के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज की धनराशि;	शून्य	शून्य
4	उपार्जित और अप्रदत्त बचे ब्याज की धनराशि	शून्य	शून्य
5	उस तारीख तक, जब सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अंतर्गत कटौतीयोग्य खर्च के रूप में छूट के उद्देश्य के लिए लघु उद्यम को देय ब्याज का वास्तव में भुगतान कर दिया गया हो, आगामी वर्ष में भी देय बचे और भुगतान योग्य अगले ब्याज की धनराशि।	शून्य	शून्य

निगम, कंसोर्टिया और निविदा विपणन योजना के अंतर्गत सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमों की ओर से निविदा सहभागिता के जरिए अपने उत्पादों का विपणन करने में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को सुविधा प्रदान करता है। एनएसआईसी और एमएसईज के बीच किए गए करार के अनुसार एमएसईज एनएसआईसी के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा अवार्ड की गई निविदाएं कार्यान्वित कर रहे हैं और धनराशि केवल संबंधित क्रेता विभागों से भुगतान की प्राप्ति पर ही देय होती है। इन इकाइयों को भुगतानयोग्य धनराशि उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम)/उद्यम पंजीकरण संख्या और आपूर्तिकताओं के निगम (रा.ल.उ.नि.) में पंजीकरण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में ''एमएसएमईज की देय व्यापार भुगतान योग्य बकाया देय राशि'' के रूप में दर्शाई गई है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के अनुसार एनएसआईसी को धारा 2(एन) उप–खंड (प) के अंतर्गत एक "आपूर्तिकर्ता" के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके अलावा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने दिनांक 31.08.2016 के परिपत्र के अंतर्गत यह स्पष्ट किया है कि एनएसआईसी, एमएसईज (आपूर्तिकर्ता इकाइयों) और विभिन्न क्रेताओं को एकसाथ लाने में "सुविधाप्रदाता" के रूप में कार्य करता है। चूंकि एनएसआईसी किसी भी चरण में एनएसआईसी ''सुविधाकरण'' के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और अन्य सरकारी विभागों को एमएसईज द्वारा आपूर्ति किए जा रहे सामान के लिए लाभग्राही "क्रेता" नहीं बनता, इसलिए एनएसआईसी विलंबित भुगतान पर ब्याज के उद्देश्य के लिए एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 15 और 16 के अनुसार "क्रेता" के रूप में वर्गीकृत नहीं है। अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अन्य सरकारी विभागों के, सामान के लाभग्राही "क्रेता" होने के कारण वे "आपूर्तिकर्ता" द्वारा आपूर्ति किए गए सामान का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार हैं और एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 15 और 16 के अनुसार विलंबित भुगतान पर ब्याज के लिए भी जिम्मेदार हैं। तद्नुसार, उन इकाइयों को भुगतानयोग्य ब्याज से संबंधित उपबंध एनएसआईसी पर लागू नहीं होते।

अन्य व्यापार भुगतानयोग्य के संबंध में निगम ने कोई ज्ञापन (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के

अंतर्गत अधिसूचित प्राधिकारी के साथ आपूर्तिकर्ताओं द्वारा किए जाने के लिए यथापेक्षित) प्राप्त नहीं किया है, जिसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के रूप में अपनी स्थिति का दावा किया गया हो। इसके परिणामस्वरूप ऐसी इकाइयों को भुगतानयोग्य धनराशि "व्यापार भुगतानयोग्य – गैर–एमएसई की बकाया देय" के रूप में दर्शाई गई है।

2. निगम में बैंकों और अन्य पक्षकारों के शेषों की आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की एक प्रणाली है। वर्ष के अंत में बकाया शेषों के लिए पुष्टि प्राप्त करने के पत्र व्यापार प्राप्तियोग्य, लेनदारों, ठेकेदारों, अग्रिमों, जमा धनराशियों, ऋणियों आदि को इस अनुरोध के साथ भेज दिए गए हैं कि वे विनिर्धारित अवधि के अंदर पुष्टि करें या टिप्पणी भेजें और ऐसा करने में विफल रहने पर पत्र में दर्शाए गए शेष को अभिपुष्ट के रूप में माना जाएगा। सरकारी/स्थानीय प्राधिकरणों की देय धनराशियों के मामले में और ऐसे मामलों में, जहाँ 100 प्रतिशत प्रावधान किया गया है, वसूली प्रमाणपत्र जारी किया जाता है और/या मुकदमा/कानूनी कार्यवाही की जाती है, ग्राहकों की शेष धनराशियाँ आमतौर पर पुष्टि के अधीन नहीं होती। किसी भी पक्षकार से कोई प्रतिकूल संसूचन प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा, पक्षकारों के साथ लेखाओं के समाधान एक चल रही प्रक्रिया के रूप में किए जाते हैं।

तथापि, कुछ मामलों में पुष्टियां प्रतीक्षित हैं, जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं, जिनका प्रभाव प्रबंधन की राय में महत्त्वपूर्ण नहीं है:

शेष पुष्टि विवरण–

वित्तीय वर्ष 2022–23

(लाख रू. में)

क्र. सं.	लेखे का स्वरूप	कुल बकाया	पीआईएस/ अतिरिक्त/ सामान्य ब्याज/ जब्त पट्टाधारित उचंत संग्रहण के लिए भेजे गए चैक	पीआईएस छोड़कर निवल धनराशि/ अतिरिक्त/ सामान्य ब्याज/ जब्त पट्टाधारित उचंत/ संग्रहण के लिए भेजे गए चैक *	सरकारी देय राशियां, धनराशि, जहाँ 100 प्रतिशत प्रावधान किया गया है, वसूली प्रमाणपत्र जारी किया गया है और/या मुकदमे/कानूनी कार्यवाही के अधीन है	बकाया शेष	प्राप्त हुई पुष्टि	पुष्टि प्राप्त नहीं हुई
क	ख	ग	घ	ङ=ग–घ	च	छ=ङ–च	ज	झ=छ–ज
1	नकदी और बैंक शेष	8958.82	-	8958.82	-	8958.82	8958.82	-
2	प्राप्तियोग्य	17919.12	335.19	17583.93	15184.67	2399.26	2005.45	393.81
3	ऋण एवं अग्रिम	277527.71	669.77	276857.94	2651.30	274206.64	258509.28	15697.36
4	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	2009.71	-	2009.71	1202.58	807.13	577.54	229.59
5	व्यापार भुगतानयोग्य	16576.94	-	16576.94	6519.79	10057.15	9491.80	565.35
6	अन्य वित्तीय	19747.52	-	19747.52	9758.44	9989.08	8595.22	1393.86
7	अन्य – अन्य गैर–वित्तीय देयताएं	44.39	-	44.39	-	44.39	44.39	-
	जोड़	**342784.22**	**1004.96**	**341779.26**	**35316.78**	**306462.48**	**288182.51**	**18279.97**

*** धनराशि पीआईएस छोड़कर निवल है परंतु हानिकरण छूट से पहले का है।**

वित्तीय वर्ष 2021–22 (लाख रू. में)

क्र. सं.	लेखे का स्वरूप	कुल बकाया	पीआईएस/ अतिरिक्त/ सामान्य ब्याज/जब्त पट्टाधारित उचंत संग्रहण के लिए भेजे गए चैक	पीआईएस छोड़कर निवल धनराशि/ अतिरिक्त/ सामान्य ब्याज/ जब्त पट्टाधारित उचंत/ संग्रहण के लिए भेजे गए चैक *	सरकारी देय राशियां, धनराशि, जहाँ 100 प्रतिशत प्रावधान किया गया है, वसूली प्रमाणपत्र जारी किया गया है और/या मुकदमे/ कानूनी कार्यवाही के अधीन है	बकाया शेष	प्राप्त हुई पुष्टि	पुष्टि प्राप्त नहीं हुई
क	ख	ग	घ	ङ=ग–घ	च	छ=ङ–च	ज	झ=छ–ज
1	नकदी और बैंक शेष	18614.08	-	18614.08	-	18614.08	18614.08	-
2	प्राप्तियोग्य	15821.70	345.68	15476.02	6524.09	8951.93	1030.62	7921.31
3	ऋण एवं अग्रिम	259984.94	951.99	259032.95	11168.07	247864.88	244231.68	3633.20
4	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	2223.83	-	2223.83	407.57	1816.26	436.56	1379.70
5	व्यापार भुगतानयोग्य	14460.64	-	14460.64	327.71	14132.93	2231.88	11901.05
6	अन्य वित्तीय देयताएं	21581.33	-	21581.33	986.06	20595.27	14603.95	5991.32
7	अन्य – अन्य गैर–वित्तीय देयताएं	39.98	-	39.98	2.82	37.16	24.71	12.45
	जोड़	**332726.50**	**1297.67**	**331428.83**	**19416.32**	**312012.51**	**281173.48**	**30839.03**

*** धनराशि पीआईएस छोड़कर निवल है परंतु हानिकरण छूट से पहले का है।**

3. प्रबंधन की राय में ऋणों और अग्रिमों सहित सभी वित्तीय और गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की कम से कम उस धनराशि के बराबर सामान्य व्यवसाय में वसूल किए जाने पर एक मूल्य है, जिस पर मूल्य उनका उल्लेख तुलन–पत्र और लेखांकन नीति XXII (क) (vii) के अनुबंध के अनुसार प्रावधान मापदंडों के अनुसार में किया गया है, जहाँ कहीं आवश्यक हो।

4. **वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रकटीकरण इस प्रकार हैं।**

क. भारतीय लेखाकंन मानक 1 के अनुसार प्रकटीकरण: वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

क) वित्तीय विवरण के पाठक के लिए बेहतर निरूपण और समझबूझ के लिए, पहले से मौजूद लेखांकन नीतियाँ (जहाँ कहीं आवश्यक हों) पुनः तैयार की गई जोड़ी गई है।

ख. भारतीय लेखांकन मानक 2 के अनुसार प्रकटीकरण: माल–सूचियाँ

क) 31.03.2023 को यथास्थिति माल–सूचियों की कुल रखाव धनराशि 11.48 लाख रुपए (12.26 लाख) है, जैसाकि तुलन–पत्र की टिप्पणी संख्या 9 में दर्शाया गया है।

ख) माल–सूचियों का उल्लेख लागत या बाज़ार मूल्य से निम्नतर स्तर पर किया गया है और ऐसी कोई माल–सूची नहीं है, जिसकी रखाव लागत का उल्लेख 31 मार्च, 2023 को यथास्थिति उचित मूल्य पर किया गया हो।

ग) **स्टॉक में भूमि और भवन/शेड/आवास, औद्योगिक संपदा, नैनी वर्ष 2021–22**

औद्योगिक संपदा, नैनी की भूमि और भवन/शेड/आवास आदि, स्टॉक की प्रकृति में होने के कारण, वर्ष 1995–96 से खाता–बहियों में लगातार सूची के रूप में दिखाए गए थे, और लागत से कम और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित किया गए थे और ये निगम की लेखा नीतियों के संदर्भ में थे। यह उल्लेख करना उचित होगा कि भूमि और भवन/शेड/आवास आदि का निर्माण उद्योगों के विकास के लिए किया गया था और निर्माण के 60 से अधिक वर्षों के बाद भी ये निगम के पास पड़े हुए हैं।

तथापि, इस संबंध में प्रधान कार्यालय लेखापरीक्षा, उद्योग एवं निगम कार्यालय द्वारा जारी प्रबंधन पत्र संख्या एएमजी–III/4(21)/एनएसआईसी/वार्षिक लेखा/2021–22/419 दिनांक 19.01.2022 के अनुसार, बीओ नैनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए खाता–बहियों में 'वस्तु सूची' के बजाय 'संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)' के रूप में दिनांक 31.03.2021 को रु. 19.65 लाख की राशि हेतु भूमि और भवन/शेड/आवास आदि का लेखांकन किया है।

दिनांक 31.03.2021 को रु. 19.65 लाख की राशि की भूमि और भवन/शेड/आवास आदि में रु. 3.54 लाख की राशि और रु. 16.11 लाख की राशि क्रमशः शामिल है, और तदनुसार वर्ष 2021–22 के दौरान, इनकी प्रकृति के आधार पर संपत्ति, भूमि और भवन/शेड/आवास आदि को पीपीई के तहत क्रमशः इतनी राशि के साथ 'लागत' पर 'भूमि' और 'भवन' के रूप में अलग–अलग हिसाब में लिया गया है।

इसके अलावा, रु. 16.11 लाख की राशि के भवन (भवन/शेड/आवास आदि सहित) के संबंध में, चूंकि इसे वर्ष 1956 से 1958 के दौरान विकसित किया गया था और 60 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं, अतः इसे लिखित मूल्य (अवशिष्ट मूल्य) पर दर्शाया गया है, और वर्ष 2021–22 के लिए रु. 0.81 लाख (अर्थात् मूल लागत रु. 16.11 लाख का 5 प्रतिशत), और रु. 15.30 लाख (रु. 16.11 लाख घटाया रु. 0.81 लाख) के मूल्यह्रास व्यय के रूप में प्रभारित किया गया है।

ग. **आईएनडी एएस–8 के अनुसार प्रकटीकरण– "लेखा नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां"**

हाल की लेखांकन घोषणाएँ जारी किए गए मानक संशोधन लेकिन अभी तक प्रभावी नहीं कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 31 मार्च 2023 की अधिसूचना के माध्यम से कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2023 को अधिसूचित किया है जो कुछ भारतीय लेखांकन मानकों में संशोधन करता है जो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी हैं। ऐसे संशोधनों का एक सारांश नीचे दिया गया है।

1. इंड एएस 1 – वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति – इस संशोधन में संस्थाओं को अपनी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के बजाय अपनी सामग्री लेखांकन नीतियों का खुलासा करने की आवश्यकता है।

2. इंड एएस 8 – लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां – इस संशोधन ने लेखांकन अनुमानों की एक परिभाषा पेश की है और संस्थाओं को लेखांकन अनुमानों में परिवर्तनों से लेखांकन नीतियों में परिवर्तन को पृथक करने में सहायता करने के लिए इंड एएस 8 में संशोधन शामिल किए हैं।

3. इंड एएस 12 – आयकर – इस संशोधन ने प्रारंभिक मान्यता छूट के दायरे को सीमित कर दिया है ताकि यह उन लेनदेन पर लागू न हो जो समान और अस्थायी मतभेदों को उत्पन्न करते हैं।

निगम ने उपरोक्त संशोधनों का मूल्यांकन किया है और एकल वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है।

घ. भारतीय लेखांकन मानक 12 के अनुसार प्रकटीकरण – आयकर

क) वित्तीय वर्ष 2022–2023

(लाख रू. में)

विवरण	01.04.2022 को निवल शेष	लाभ एवं हानि लेखे में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	31.03.2023 को निवल शेष
आस्थगित कर देयताएं				
स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास पर समय के अंतर से संबंधित	1797.69	310.23	-	2107.92
वित्तीय परिसंपत्तियों/देयताओं का बट्टाकरण	31.00	13.72	-	44.72
निवेशों का उचित मूल्य	67.72	-	8.98	76.70
उप–जोड़	**1896.41**	**323.95**	**8.98**	**2229.34**
आस्थगित कर परिसंपत्तियां				
प्राप्तियोग्य और अग्रिमों के लिए प्रावधान	3315.89	(41.87)	-	3274.02
कर्मचारी लाभ	2429.09	55.14	(0.76)	2483.47
उप–जोड़	**5744.98**	**13.27**	**(0.76)**	**5757.49**
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	**3848.57**	**(310.68)**	**(9.74)**	**3528.15**

ख) वित्तीय वर्ष 2021–22

(लाख रू. में)

विवरण	01.04.2021 को निवल शेष	लाभ एवं हानि लेखे में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	31.03.2022 को निवल शेष
आस्थगित कर देयताएं				
स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास पर समय के अंतर से संबंधित	1448.70	348.99	-	1797.69
वित्तीय परिसंपत्तियों/वित्तीय देयताओं का बट्टाकरण	37.45	(6.45)	-	31.00
निवेशों का उचित मूल्य	43.88	-	23.84	67.72
उप–जोड़	**1530.03**	**342.54**	**23.84**	**1896.41**
आस्थगित कर परिसंपत्तियां				
प्राप्तियोग्य और अग्रिमों के लिए प्रावधान	3298.53	17.36	-	3315.89
कर्मचारी लाभ	2302.57	90.93	35.58	2429.09
उप–जोड़	**5601.10**	**108.29**	**35.58**	**5744.98**
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	**4071.07**	**(234.25)**	**11.74**	**3848.57**

आय कर के प्रावधान और कर–पूर्व लाभ के प्रति भारतीय सांविधिक आय कर की दरें लागू करके परिकलित की गई धनराशि के बीच समाधान

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
कर–पूर्व लाभ	14825.14	14548.50
किसी घरेलू कंपनी पर लागू कर की दर	25.17%	25.17%
परिकलित कर व्यय	3731.49	3661.86
निम्नलिखित का कर प्रभाव:		
ऐसे व्यय, जो कर योग्य लाभ निर्धारित करने में कटौतीयोग्य नहीं हैं	677.34	689.48
ऐसी आय, जो कर योग्य लाभ निर्धारित करने में कर योग्य नहीं है	(908.83)	(851.34)
चालू कर प्रावधान	**3500.00**	**3500.00**
पिछली अवधियों से संबंधित आय कर	(33.81)	(8.33)
वर्धित आस्थगित कर देयता / (परिसंपत्ति)	310.68	234.25
लाभ एवं हानि विवरण में मान्यताप्राप्त कर व्यय	**3776.87**	**3725.92**
प्रभावी कर दर	**25.48%**	**25.61%**

ङ. अघोषित आय का प्रकटीकरण –

निगम ने खातों की किताबों में ऐसा कोई लेन–देन दर्ज नहीं किया गया है। आयकर अधिनियम 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान किसी भी अप्रलेखित आय का अभ्यर्पण या प्रकटीकरण नहीं किया है।

च. भारतीय लेखांकन मानक 16 के अनुसार प्रकटीकरण– संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा भारतीय लेखांकन मानक 38 – अमूर्त परिसंपत्तियां

तुलन पत्रों में प्रासंगिक पंक्ति मदें	संपत्ति की वस्तु का विवरण	सकल वहन मूल्य (रु. लाख में)	निम्न के नाम पर धारित प्राधिकार विलेख	क्या प्राधिकार विलेख धारक प्रमोटर/ निदेशक का प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार # प्रमोटर/ निदेशक का कर्मचारी है	किस तिथि से संपत्ति का धारण किया गया है	एनएसआईसी के नाम पर धारण नहीं किए जाने का कारण
पीपीई	तकनीकी केंद्र हावड़ा में भूमि	1.60	टिप्पणी–1 देखें	नहीं	1959-60	–
पीपीई	शाखा कार्यालय मुंबई में फ्लैट	11.52	टिप्पणी–2 देखें	नहीं	1988	–

टिप्पणी–1: यद्यपि स्वामित्व विलेख एनएसआईसी के नाम पर रखे गए हैं, तथापि, स्थानीय सरकार से शीर्षक कार्यों की भौतिक हार्ड कॉपी प्राप्त करने का मामला प्रक्रियाधीन है।

टिप्पणी–2: तिलक नगर, चेंबुर में सोसायटी का पुनर्विकास, जिसमें एनएसआईसी के छह फ्लैट हैं, पूरा हो चुका है और उसका स्वामित्व विलेख एनएसआईसी के नाम पर है। नए फ्लैट एनएसआईसी के कब्जे में हैं। हालाँकि, संबंधित सरकारी प्राधिकारी से दस्तावेज की भौतिक हार्ड कॉपी (स्वामित्व विलेख सहित) अभी तक प्राप्त नहीं की गई है।

क) एनटीएससी–राजकोट की 3.28 एकड़ जमीन पर कुछ औद्योगिक इकाइयों के साथ–साथ अनधिकृत आवासीय इकाइयों का भी अतिक्रमण है। यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि इस तरह के अतिक्रमण को हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ऐसी भूमि का स्वामित्व निगम के पक्ष में है, और कब्जा निगम के पास है।

ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान, रु. 21.92 लाख (सकल वहन मूल्य रु. 95.66 लाख) के

शुद्ध वहन मूल्य वाली संपत्ति का निपटान रु. 35.86 लाख की बिक्री आय के साथ किया गया है, और रु. 13.94 लाख के लाभ को दर्ज किया गया है। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, रु. 20.55 लाख (सकल वहन मूल्य रु. 96.99 लाख) के शुद्ध वहन मूल्य वाली संपत्ति का निपटान रु. 26.75 लाख की बिक्री आय के साथ किया गया है, और रु. 6.20 लाख का नुकसान दर्ज किया गया है।

ग) वर्ष के दौरान किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त संपत्ति (उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति सहित) का कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है।

छ. बेनामी संपत्ति का प्रकटीकरणः

निगम के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है। इसलिए बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1988 (धारा 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए निगम के खिलाफ कोई कार्यवाही आरंभ की गई अथवा लंबित नहीं है। क्योंकि निगम के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है।

ज. उधारी पर प्रकटीकरण

क) निगम ने बैंकों/संस्थानों, या अन्य ऋणदाताओं से लिए गए उधार/ऋण के पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है।

ख) इस प्रकार निगम को बैंक या वित्तीय संस्थान, या अन्य ऋणदाता द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

ग) निगम ने किसी भी अर्हक परिसंपत्ति के लिए कोई राशि उधार नहीं ली है, जिसके ब्याज को भारतीय लेखांकन मानक 23 (इंड–एएस 23), "उधार लागत" के अनुसार पूंजीकृत किया जाना आवश्यक है। इसलिए, वर्ष के दौरान किसी भी ब्याज का पूंजीकृत नहीं किया गया है।

घ) बैंक/वित्तीय संस्थानों या अन्य उधारदाताओं से लिए गए ऋणों के संबंध में सभी प्रभारों को वैधानिक अवधि के भीतर कंपनी के पंजीकरण (आरओसी) के साथ पंजीकृत किए गए हैं।

(ड) निम्नलिखित प्रभारों की संतुष्टि को वैधानिक अवधि से परे के बाद भी आरओसी के साथ पंजीकृत किया जाना बाकी है:

क्र. सं.	बैंक का नाम	प्रभारों की संतुष्टि का विवरण	रजिस्ट्रार की अवस्थिति	विलंब की अवधि (माह)	राशि सीमा (लाख रुपए में)	कारण
1	सीटीबीसी बैंक	बही ऋण, फ्लोटिंग प्रभार, चल संपत्ति	नई दिल्ली	आठ	2500.00	यह प्रक्रियाधीन है और चालू वित्तीय वर्ष में इसे पूरा कर लिया जाएगा।
2	विजया बैंक	अचल संपत्ति या उस पर कोई ब्याज	नई दिल्ली	बैंक से एनओसी की प्रतीक्षा है	59200.00	यह प्रक्रियाधीन है और चालू वित्तीय वर्ष में इसे पूरा कर लिया जाएगा।
3	पंजाब नेशनल बैंक	बही ऋण, फ्लोटिंग प्रभार, चल संपत्ति	नई दिल्ली	बैंक से एनओसी की प्रतीक्षा है	100000.00	यह प्रक्रियाधीन है और चालू वित्तीय वर्ष में इसे पूरा कर लिया जाएगा।

झ. भारतीय लेखांकन मानक 19 के अनुसार प्रकटीकरण – कर्मचारी लाभ

क) विभिन्न सुनिश्चित कर्मचारी लाभ स्कीम का सामान्य विवरण निम्नलिखित है:

i. **सुनिश्चित अंशदान स्कीम**

(क) **भविष्य निधिः**

निगम की भविष्य निधि का प्रबंधन, कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत पंजीकृत एक अलग न्यास द्वारा किया जाता है, जो अनुमतिप्राप्त प्रतिभूतियों में निधियों का निवेश करता है। यह न्यास भारत सरकार द्वारा जारी की गई सूचना के आधार पर ब्याज की दर निश्चित करता है। देयता की मान्यता बीमांकिक आधार पर की जाती है।

(ख) **सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधाः**

निगम में सेवानिवृत्ति–पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ) है, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी और उसके पति/पत्नी को 5 लाख रुपए तक की मेडिक्लेम पॉलिसी के जरिए भर्ती इलाज हेतु चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है।

इस संबंध में देयता को बीमांकिक आधार पर मान्यता दी जाती है अर्थात् निगम की वहन क्षमता के आधार पर आईडीए पैटर्न के अधीन कर्मचारियों के 01.01.2007 के पश्चात सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के मामले में चालू वित्तीय वर्ष के मूल वेतन + महंगाई भत्ते पर 2 प्रतिशत अंशदान और 01.01.2007 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामले में कर–पूर्व लाभ का 1.5 प्रतिशत।

कर्मचारी पेंशन स्कीम के संबंध में इसका विलय क्षेत्रीय भविष्य निधि न्यास जरिए किया गया है।

ii. **सुनिश्चित लाभ योजनाएँ**

(क) **उपदानः**

निगम में एक सुनिश्चित लाभ उपदान योजना है। ऐसा प्रत्येक कर्मचारी, जिसने 5 वर्ष या इससे अधिक की निरंतर सेवा की है, अधिवर्षिता, त्यागपत्र, बर्खास्तगी और मृत्यु पर, सेवा के पूरे कर लिए गए प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन की दर से (15/26 ग अंतिम आहरित मूल वेतन + महंगाई भत्ता) उपदान प्राप्त करने का हकदार है।

(ख) **छुट्टीः**

निगम, निगम के कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी लाभ और अर्ध–वेतन छुट्टी प्रदान करता है, जो क्रमशः 30 दिन और 20 दिन प्रति वर्ष उपार्जित होती हैं। आईडीए पैटर्न के कर्मचारियों के मामले में सेवा में रहते हुए एक कैलेंडर वर्ष में अर्जित अवकाश अधिकतम 30 दिनों के लिए भुनाया जा सकता है, और सेवानिवृत्ति पर अधिकतम 300 दिन (अर्ध वेतन अवकाश सहित, कम्यूटेशन के बिना) के लिए भुनाया जा सकता है।

इस खाते पर देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

(ग) **सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ताः**

सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता गृह नगर में या ऐसे स्थान पर, जहाँ सेवानिवृत्त कर्मचारी का परिवार भारत में रहने का इच्छुक है, में रहने से संबंधित है और इसमें घरेलू सामान भत्ता भी शामिल है।

इस संबंध में देयता को, समूह में बीमांकिक मूल्याकंन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

(घ) अधिवर्षिता पेंशन योजनाः

कर्मचारी समूह अधिवर्षिता पेंशन योजना का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है। समूह का दायित्व नामांकित कर्मचारियों के मूल वेतन + महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत का भुगतान करने तक सीमित है।

अवधि के लिए योजना के प्रति अंशदान, निगम की वहन क्षमता के आधार पर बीमांकिक आधार पर कर्मचारी लागत के अंतर्गत समूहीकृत है।

(ङ) सेवा के दौरान चिकित्सा सुविधाः

निगम, स्वयं और उसके आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए सेवारत कर्मचारियों को भर्ती संबंधी इलाज के लिए चिकित्सा सुविधा प्रदान करता है। यदि इलाज सीजीएचएस दरों के अनुसार है, तो इस बाबत हुआ पूरा व्यय निगम द्वारा वहन किया जाता है और यदि इलाज अस्पताल दरों के अनुसार है तो कर्मचारी को व्यय का 15 प्रतिशत (दवाई और इम्पलांट तथा सुनिश्चित विशेष बीमारी को छोड़कर) वहन करना होता है।

ख) उपर्युक्त मामलों के संबंध में बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार विनिर्धारित प्रकटीकरण नीचे दिया गया हैः–

स्कीम देयता

(लाख रू. में)

विवरण	सीवाई/पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता
अवधि के अंत में यथास्थिति दायित्व का वर्तमान मूल्य	सीवाई	5383.82	3250.23	524.27	4.04
	पीवाई	5200.40	3156.29	508.11	3.92

सेवा लागत

(लाख रू. में)

विवरण	सीवाई/पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता
चालू सेवा लागत	सीवाई	259.62	185.00	39.77	5.42
	पीवाई	255.30	187.74	40.28	2.47
कटौती लाभों/हानियों सहित पिछली सेवा लागत	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
गैर–नैत्यक करारों पर लाभ या हानियाँ	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
कुल सेवा लागत	सीवाई	259.62	185.00	39.77	5.42
	पीवाई	255.30	187.74	40.28	2.47

निवल ब्याज लागत

(लाख रू. में)

विवरण	सीवाई/पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता
सुनिश्चित लाभ दायित्व पर ब्याज लागत	सीवाई	371.83	225.67	36.33	0.28
	पीवाई	335.99	193.87	33.51	0.26
स्कीम परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
निवल ब्याज लागत (आय)	सीवाई	371.83	225.67	36.33	0.28
	पीवाई	335.99	193.87	33.51	0.26

लाभ दायित्व में परिवर्तन

(लाख रू. में)

विवरण	सीवाई/पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता
अवधि आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	सीवाई	5200.40	3156.28	508.11	3.92
	पीवाई	4926.49	2842.72	491.42	3.84
अधिग्रहण समायोजन	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	8.18	5.36	0.49	-
ब्याज लागत	सीवाई	371.83	225.67	36.33	0.28
	पीवाई	335.99	193.87	33.51	0.26
सेवा लागत	सीवाई	259.62	185.00	39.77	5.42
	पीवाई	255.30	187.74	40.28	2.47
कटौती लाभों/हानियों सहित पिछली सेवा लागत	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
भुगतान किए गए लाभ	सीवाई	-445.37	-600.86	-35.73	-5.22
	पीवाई	-465.64	-594.32	-28.72	-3.93
दायित्व पर कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	सीवाई	-2.66	284.14	-24.20	-0.36
	पीवाई	140.08	520.91	-28.88	1.29
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	सीवाई	5383.82	3250.23	524.27	4.04
	पीवाई	5200.40	3156.29	508.11	3.92

दायित्व पर बीमांकिक लाभ/हानि का अलग–अलग विवरण

(लाख रू. में)

विवरण	सीवाई/पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता
जनसांख्यिकीय अनुमान में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
वित्तीय अनुमान में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	सीवाई	-79.69	-55.17	-11.48	-
	पीवाई	-113.85	-78.93	-16.63	-
अनुभव समायोजन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	सीवाई	77.04	228.97	-12.72	-0.36
	पीवाई	253.93	599.83	1.22	1.29

तुलन–पत्र और संबंधित विश्लेषण

(लाख रू. में)

विवरण	सीवाई/पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता
अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	सीवाई	5383.82	3250.23	524.27	4.04
	पीवाई	5200.40	3156.29	508.11	3.92
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
तुलन–पत्र में अनिधिकृत देयता/प्रावधान	सीवाई	5383.82	3250.23	524.27	4.04
	पीवाई	5200.40	3156.29	508.11	3.92

आय विवरण में मान्यताप्राप्त धनराशियाँ

(लाख रू. में)

विवरण	सीवाई/पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता
कुल सेवा लागत	सीवाई	259.62	185.00	39.77	5.42
	पीवाई	255.30	187.74	40.28	2.47
निवल ब्याज लागत	सीवाई	371.83	225.67	36.33	0.28
	पीवाई	335.99	193.87	33.51	0.26
अवधि में मान्यताप्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि	सीवाई	-	284.14	-24.20	-
	पीवाई	-	520.91	-28.88	-
आय विवरण में मान्यताप्राप्त व्यय	सीवाई	631.45	694.81	51.90	5.70
	पीवाई	591.29	902.52	44.92	2.73

अन्य व्यापक आय (ओसीआई)

(लाख रू. में)

विवरण	सीवाई/पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता
आरंभिक निवल संचयी गैर–मान्यताप्राप्त बीमांकिक लाभ/(हानि)	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
पीबीओ पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)	सीवाई	2.65	-	-	0.36
	पीवाई	-140.08	-		-1.29
परिसंपत्ति पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
अवधि के लिए गैर–मान्यताप्राप्त बीमांकिक लाभ/(हानि)	सीवाई	2.65	-	-	0.36
	पीवाई	-140.08	-		-1.29

निवल सुनिश्चित लाभ दायित्व में परिवर्तन

(लाख रू. में)

विवरण	सीवाई/पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता
अवधि के आरंभ में निवल सुनिश्चित लाभ देयता	सीवाई	5200.40	3156.28	508.11	3.92
	पीवाई	4926.49	2842.72	491.42	3.84
अधिग्रहण समायोजन	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	8.18	5.36	0.49	-
कुल सेवा लागत	सीवाई	259.62	185.00	39.77	5.42
	पीवाई	255.30	187.74	40.28	2.47
निवल ब्याज लागत (आय)	सीवाई	371.83	225.67	36.33	0.28
	पीवाई	335.99	193.87	33.51	0.26
पुनर्मापण	सीवाई	-2.65	284.14	-24.20	-0.36
	पीवाई	140.08	520.91	-28.88	1.29
निधि में भुगतान किया गया अंशदान	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
उद्यम द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भुगतान किया गया लाभ	सीवाई	-445.36	-600.86	-35.74	-5.22
	पीवाई	-465.64	-594.32	-28.72	-3.93
अवधि के अंत में निवल सुनिश्चित लाभ देयता	सीवाई	5383.82	3250.23	524.27	4.04
	पीवाई	5200.40	3156.29	508.11	3.92

वर्तमान और गैर–वर्तमान में वर्ष के अंत में पीबीओ का द्विभाजन

(लाख रू. में)

विवरण	सीवाई/पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता
वर्तमान देयता (एक वर्ष के भीतर राशि)	सीवाई	599.64	326.19	70.01	0.41
	पीवाई	510.40	320.91	49.83	0.34
गैर–वर्तमान देयता (एक वर्ष से अधिक राशि)	सीवाई	4784.19	2924.04	454.26	3.63
	पीवाई	4690.00	2835.38	458.29	3.58
वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	सीवाई	5383.82	3250.23	524.27	4.04
	पीवाई	5200.40	3156.29	508.11	3.92

अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए प्रत्याशित अंशदान

(लाख रू. में)

विवरण	सीवाई/पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता
सेवा लागत	सीवाई	271.11	200.81	44.03	4.21
	पीवाई	268.82	201.24	44.60	3.21
निवल ब्याज लागत	सीवाई	397.32	239.87	38.69	0.30
	पीवाई	371.83	225.67	36.33	0.28
अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए प्रत्याशित व्यय	सीवाई	668.43	440.68	82.71	4.51
	पीवाई	640.65	426.91	80.93	3.49

बीमांकिक मूल्यांकन के लिए उपयोग किए गए प्रधान अनुमान निम्नलिखित हैं:

विवरण	2021-22	2020-21
उपयोग की गई पद्धति	अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति	अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति
बट्टा दर	7.38%	7.15%
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ की प्रत्याशित दर	0	0
भावी वेतन में वृद्धि	5.50	5.50
मर्त्यता दर	100 प्रतिशत आईएएलएम (2012–14)	100 प्रतिशत आईएएलएम (2012–14)
आयु (आहरण दर) (प्रतिशत)		
30 वर्ष तक	3	3
31 से 44 वर्ष तक	2	2
44 वर्ष से अधिक	1	1

सुनिश्चित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता

(लाख रू. में)

विवरण	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता
बट्टा दर में परिवर्तन का प्रभाव				
अवधि के अंत में दायित्व को वर्तमान मूल्य	5383.82	3250.23	524.27	4.04
0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	-166.26	-114.55	-23.66	-0.14
0.50 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	175.97	122.04	25.47	0.15
वेतन की वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव				
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	5383.82	3250.23	524.27	-
0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	178.33	123.68	25.82	-
0.50 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	-169.93	-117.07	-24.18	-

सुनिश्चित लाभ दायित्व की परिपक्वता रूपरेखा

(लाख रू. में)

विवरण	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता
0 से 1 वर्ष	599.64	326.19	70.01	0.41
1 से 2 वर्ष	457.82	286.47	25.58	0.30
2 से 3 वर्ष	514.71	270.21	32.07	0.35
3 से 4 वर्ष	495.96	284.87	27.09	0.33
4 से 5 वर्ष	349.80	197.78	21.36	0.25
5 से 6 वर्ष	348.87	195.67	17.94	0.25
6 वर्ष से आगे	2617.03	1689.04	330.22	2.15

ग) मंत्रालय द्वारा दिनांक 02.12.2016 के पत्र के अंतर्गत यथाअनुमोदित, लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार, 01.01.2007 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए शून्य (शून्य रुपए) और 01.01.2007 को या इसके पश्चात सेवानिवृत्त

कर्मचारियों के लिए 128.05 लाख रुपए (124. 20 लाख रुपए) कॉर्पस चिकित्सा योजना हेतु सृजित किया गया हैं। इस कॉर्पस का उपयोग वर्ष के दौरान क्रमशः 115.79 लाख रुपए (174.55 लाख रुपए) और 112.73 लाख रुपए (63.84 लाख रुपए) की सीमा तक बीमा कंपनी को प्रीमियम के भुगतान के लिए किया गया है। दिनांक 1.1.2007 से पूर्व और दिनांक 1.1.2007 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए दिनांक 31.03.2023 को चिकित्सा योजना की कुल राशि क्रमशः रु. 252.68 लाख और रु. 451.70 लाख है।

ञ. भारतीय लेखांकन मानक–21 के अनुसार प्रकटीकरणः विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव

क) क्रेडिटांस्टाल्ट पश्चिम जर्मनी (केएफडब्ल्यू) ऋण श्रृंखला के अंतर्गत ऋणों के लिए विनिमय भिन्नता हानियों हेतु प्रावधान, ऋण करारों की शर्तों और निबंधनों के अनुसार सृजित किया गया हैः

(i) XIवीं ऋण श्रृंखला के अंतर्गत विनिमय भिन्नता हानियां पूरी करने के लिए वर्ष के दौरान 219.08 लाख रुपए (225.71 लाख रुपए) की विनिमय भिन्नता हानियों के लिए प्रावधान सृजित किया गया है। वर्ष के दौरान ऋण के लिए विनिमय भिन्नता हानि 128.10 लाख रुपए (1.52 लाख रुपए) थी और 90.98 लाख रुपए (224.19 लाख रुपए) का प्रावधान पुरांकित किया गया है और इसका उपयोग ऋण करार की शर्तों और निबंधनों के अनुसार संवर्धनात्मक क्रियाकलापों के लिए किया गया है।

(ii) केएफडब्ल्यू ग्प्वीं ऋण श्रृंखला के अंतर्गत ऋणों के लिए विनिमय भिन्नता हानियों हेतु ऋण करार के अनुसार प्रावधान सृजित किया गया है। ग्प्वीं ऋण श्रृंखला के अंतर्गत वर्ष के दौरान सृजित विनिमय भिन्नता के लिए किए गए प्रावधान में से प्रावधान के 80 प्रतिशत का उपयोग विनिमय भिन्नता हानियाँ पूरी करने के लिए किया जाएगा और 80 प्रतिशत में से बाकी बचा शेष, यदि कोई हो, को भविष्य में विनिमय भिन्नता हानियाँ पूरी करने के लिए रखा जाएगा।

तदनुसार, ग्प्वीं ऋण श्रृंखला के अंतर्गत विनिमय भिन्नता के लिए इस वर्ष के दौरान 236.20.20 लाख रुपए (249.20 लाख रुपए) की कुल धनराशि का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 80 प्रतिशत अर्थात् 189.05 लाख रुपए (199.36 लाख रुपए) का उपयोग वर्ष के दौरान विनिमय भिन्नता हानि के प्रति किया गया है और शेष 20 प्रतिशत अर्थात् 47.23 लाख रुपए (49.84 लाख रुपए) का उपयोग ऋण करार की शर्तों और निबंधनों के अनुसार संवर्धनात्मक उद्देश्यों के लिए किया गया है।

वर्ष के दौरान, ऋणों के लिए विनिमय भिन्नता हानियाँ 114.40 लाख रुपए (2.06 लाख रुपए) थीं, जिसे 80 प्रतिशत प्रावधान अर्थात् 189.05 लाख रुपए (199. 36 लाख रुपए) से समायोजित कर दिया गया है और शेष 74.65 लाख रुपए (197.30 लाख रुपए) भावी विनिमय भिन्नता हानियों के लिए रख लिया गया है। दिनांक 31.03.2023 को यथास्थिति इस बाबत संचयी अवधारित प्रावधान 2249.66 लाख रुपए (2175.00 लाख रुपए) है, जिसमें भविष्य में विनिमय भिन्नता हानियां पूरी करने के लिए इस वर्ष के लिए 74.65 लाख रुपए (197.30 लाख रुपए) का प्रावधान शामिल है।

ख) **विनिमय संबंधी अंतर**

(लाख रू. में)

क्र. सं.	विवरण	2022-23	2021-22
1	भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर मापे गए वित्तीय दस्तावेज़ों पर उत्पन्न को छोड़कर, लाभ या हानि में मान्यताप्राप्त विनिमय अंतरों की धनराशि।	(24.15)	85.57
2	अन्य व्यापक आय में मान्यताप्राप्त और इक्विटी के एक अलग संघटक में संचित के बीच निवल विनिमय अंतर	-	-
3	अवधि के आरंभ और अंत में इन विनिमय अंतरों की धनराशि का समाधान।	-	-

ट. **भारतीय लेखांकन मानक–24 के अनुसार प्रकटीकरण: संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण**

क) **संबंधित पक्ष** में किसी कंपनी के संदर्भ में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(76) के तहत यथापरिभाषित संबंधित पक्षों के साथ–साथ लागू लेखांकन मानकों के अनुसार सभी संबंधित पक्ष शामिल होंगे, जिसका अर्थ है (i) एक निदेशक या उसका संबंधी; (ii) एक प्रमुख प्रबंधकी; कार्मिक या उसका संबंधी; (iii) एक फर्म, जिसमें कोई निदेशक, प्रबंधक या उसका संबंधी भागीदार है, (iv) एक निजी कंपनी जिसमें प्रबंधक या निदेशक, सदस्; या निदेशक है; (v) एक सार्वजनिक कंपनी जिसमें कोई निदेशक या प्रबंधक, निदेशक है या अपने संबंधियों के साथ इसकी चुकता शेयर पूंजी के दो प्रतिशत से अधिक को धारित किए हुए है; (vi) कोई भी कॉर्पोरेट निकाय जिसका निदेशक मंडल, प्रबंध निदेशक या प्रबंधक किसी निदेशक या प्रबंधक के परामर्श, निर्देशों या अनुदेशों के अनुसार कार्य करने के लिए अभ्यस्त है, (vii) कोई भी व्यक्ति जिसके परामर्श, निर्देशों या अनुदेशों पर कोई निदेशक या प्रबंधक कार्य करने का अभ्यस्त है, बशर्ते कि उप–खंड (vi) और (vii) में से कुछ भी पेशेवर क्षमता में दिए गए परामर्श, निर्देशों या अनुदेशों पर लागू नहीं होगा; (viii) कोई भी कंपनी जो (क) ऐसी कंपनी की कोई धारक, सहायक कंपनी सहयोगी कंपनी है, या (ख) किसी धारक कंपनी की सहायक कंपनी है जिसकी वह भी सहायक कंपनी है, (ix) ऐसा अन्य व्यक्ति जो निर्धारित किया जाएं।

ख) **प्रमुख प्रबंधकी; कार्मिक (केएमपी)** में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(51) के अनुसार किसी कंपनी के संबंध में निम्नलिखित प्रमुख प्रबंधकी; कार्मिक शामिल होंगे, अर्थात – (i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंध निदेशक या प्रबंधक, (ii) कंपनी सचिव; (iii) पूर्णकालिक निदेशक; (iv) मुख्य वित्तीय अधिकारी, और (v) ऐसा अन्य अधिकारी, जो निदेशकों से एक स्तर से अधिक नीचे नहीं, जो पूर्णकालिक रोजगार में हों, जिसे बोर्ड द्वारा प्रमुख प्रबंधकी; कर्मियों के रूप में नामित किया गया है, और ऐसे अन्य अधिकारी जो निर्धारित किए जा सकते हैं

ग) **केएमपी के संबंधी** में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) और कंपनी (परिभाषा विवरणों का विनिर्देशन) नियम, 2014 के नियम 4 के तहत यथापरिभाषित संबंधी शामिल होंगे, किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में, इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी अन्य से संबंधित है, यदि – (i) वे एक हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य हैं; (ii) वे पति और पत्नी हैं; या (iii) एक व्यक्ति दूसरे से उस तरीके से संबंधित है जो निर्धारित किया जा सकता है।

घ) संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण पर भारतीय लेखांकन मानक–24 के अनुपालन में अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है:

i) एनएसआईसी के मुख्य प्रबंधन कार्मिक

मुख्य प्रबंधन कार्मिक	पदनाम	अवधि	
		कब से	कब तक
श्री अल्का नांगिया अरोड़ा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	01.04.2022	31.05.2022
श्री पी. उदयकुमार	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	20.06.2022	31.07.2022
श्री गौरांग दीक्षित	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	01.08.2022	31.12.2022
श्रीमती मर्सी एपाओ	निदेशक (वित्त) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	01.01.2023	31.03.2023
श्रीमती मर्सी एपाओ	निदेशक (पीएंडएम) (अतिरिक्त प्रभार)	01.01.2023	20.02.2023
श्री कार्तिकेय सिन्हा	निदेशक (पीएंडएम)	21.02.2023	31.03.2023
श्री गौरांग दीक्षित	निदेशक (वित्त) एण्ड सीएफओ	01.04.2022	31.12.2022
श्री पी. उदयकुमार	निदेशक (पीएंडएम)	01.04.2022	31.07.2022
श्री कालांदी चरण समल	स्वतंत्र निदेशक	01.04.2022	31.03.2023
श्री अशोक परिहार	स्वतंत्र निदेशक	01.04.2022	31.03.2023
श्री पार्थ माझी	मुख्य वित्त अधिकारी	02.01.2023	31.03.2023
सुश्री निष्ठा गोयल	कंपनी सचिव	01.04.2022	31.03.2023

ii) सहायक कंपनी – एनएसआईसी की एक सहायक कंपनी – मैसर्स एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल) है जिसके लिए निगम ने कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम 2017 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के खंड 87 के तहत निर्धारित कंपनियों की परतों की संख्या की आवश्यकता का नुपालन किया है।

iii) रा.ल.उ.नि. के साथ वर्ष के दौरान हुए लेनदेन

(लाख रू. में)

क्र. सं.	लेन–देन की प्रकृति	संबंधित पाटी		प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक		प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के सापेक्ष		कुल	
		2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
1.	**राजस्वः**								
क)	प्राप्त ब्याज	--	--	--	--	--	--	--	--
ख)	किराया	5.93	0.12	--	--	--	--	5.93	0.12
ग)	अन्य	64.09	28.62	--	--	--	--	64.09	28.62
2.	**व्ययः**								
क)	वेतन और भत्ते	--	--	75.62	126.91	--	--	75.62	126.91
ख)	छुट्टी/एलटीसी नकदीकरण	--	--	56.56	10.89	--	--	56.56	10.89
ग)	भविष्य निधि योगदान	--	--	6.19	8.52	--	--	6.19	8.52
घ)	पेंशन योजना में योगदान	--	--	5.16	19.00	--	--	5.16	19.00
ड.)	ब्याज का भुगतान किया गया	--	--			--	--		

(लाख रू. में)

क्र. सं.	लेन–देन की प्रकृति	संबंधित पाटी		प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक		प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के सापेक्ष		कुल	
		2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
च)	अन्य व्यय	--	--	20.35	14.85	--	--	20.35	14.85
छ)	किराया भुगतान	--	--		-	--	--		-
ज)	अंतिम लाभ के लिए प्रावधान	--	--	17.11	18.94	--	--	17.11	18.94
झ)	अन्य–पीआरपी	--	--	85.82	7.71	--	--	85.82	7.71
ज)	अन्य–बैठक शुल्क								
क)	उधार – ऋण और ब्याज बकाया	--	--	--	--	--	--	--	--
ख)	जमा–ऋण और बकाया ब्याज	--	--	--	--	--	--	--	--
ग)	अग्रिम	--	--	--	--	--	--	--	--
घ)	बीमांकिक मूल्याकंन के अनुसार अंतिम लाभ का प्रावधान	--	--	25.22	100.26	--	--	25.22	100.26
4.	**अन्यः**								
क)	निवेशः एनवीसीएफएल – आत्मनिर्भर भारत फंडः एसआरआई फंड) 0.55 यूनिट (0.018 यूनिट) @ ₹ 1 करोड़ प्रति यूनिट)	5.52	1.78	--	--	--	--	5.52	1.78
ख)	पीपीई/अन्य परिसंपत्तियों की खरीद	--	--	--	--	--	--	--	--
ग)	पीपीई/अन्य की बिक्री संपत्ति	--	--	0.40	--	--	--	0.40	--
5.	**स्वतंत्र निदेशकों के साथ लेन–देन**								
क)	बैठने की फीस	**4.44**	**1.65**	–	--	--	–	**4.44**	**1.65**
ख)	अन्य व्यय	**5.73**	**0.84**	–	--	--	–	**5.73**	**0.84**

iv) संबंधित पक्षकारों के साथ लेनेदनों की प्रमुख शर्तें और निबंधन

i. मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को दिया गया पारिश्रमिक निगम के सेवा नियमों के अनुरूप हैं।

ii. एनवीसीएफएल के साथ लेन–देन उनके ऐसे समकक्ष शर्तों पर किए जाते हैं, जो कि आमने–सामने के लेनदेन में मौजूदा तौर पर प्रचलित हैं।

v) निगम ने वर्ष के दौरान प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पार्टियों (जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 के तहत परिभाषित किया गया है) को अलग–अलग या संयुक्त रूप से किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है। तदनुसार कुल, ऋण एवं अग्रिम पर केएमपी के ऋण का प्रतिशत लागू नहीं है।

ठ. **भारतीय लेखाकंन मानक 109 के अनुसार प्रकटीकरण – वित्तीय विलेख**

किए गए प्रावधानों का प्रकटीकरण

क) भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 13.03.2020 की अधिसूचना संख्या आरबीआई/2019–20/170 डीओआर (एनबीएफसी).सीसी.पीडी. सं. 109/22.10.106/2019–20 के आधार पर भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार ईसीएलस को वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय विलेखों में हानि संबंधी छूट के रूप में मान्यता दी जाती है।

ख) वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में, किराया खरीद, पट्टे, कच्चे माल की सहायता, बिल पर छूट, सावधि ऋण, समग्र सावधि ऋण, बैंकों आदि के तहत देय राशियों के संबंध में, दिनांक 31.03.2023 को अनर्जक हानि के लिए संचयी प्रावधान रु. 12265.28 लाख (रु. 12323.53 लाख) के कुल बकाया के मुकाबले 273966.42 लाख (रु. 255211.72 लाख) था।

ग) गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों, जिनमें विपणन क्रियाकलापों के अंतर्गत देय राशियों के संबंध में प्राप्य तकनीकी केन्द्रों और एसटीबीपीज में लेनदेनों की बाबत प्राप्य, सेवाओं की बिक्री की बाबत प्राप्तव्य (अर्थात लाइसेंस और हाउसकीपिंग शुल्कों, किराये, प्रशिक्षण शुल्क, ईएमसी, टीआईसी, कार्यक्रमों आदि के लिए प्राप्य), नकद या वस्तु रूप में वसूली योग्य अग्रिम (मुख्यतः जिनमें निगम के साथ समझौता ज्ञापन वाले थोक आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किए गए अग्रिमों सहित बाह्य पक्षकारों को भुगतान किए गए अग्रिम शामिल हैं), प्रतिभूति जमा उपार्जित परंतु अदेय ब्याज सहित स्टाफ अग्रिम और एवं अन्य परिसंपत्तियाँ, दिनांक 31.03.2023 को अनर्जक हानि के लिए संचयी प्रावधान रु. 742.35 लाख (रु. 850.45 लाख) के कुल बकाया के मुकाबले 24971.42 लाख (रु. 22318.47 लाख) था।

घ) समग्र आधार पर, वित्तीय और गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल हैं। वित्तीय/गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों के तहत व्यापार प्राप्य और ऋण और अग्रिम और तकनीकी केंद्र/एसटीबीपी जिसमें प्राप्य और अग्रिम शामिल हैं, दिनांक 31.03.2023 को अनर्जक हानि के लिए संचयी प्रावधान रु. 13007.62 लाख (रु. 13173.98 लाख) की राशि में भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार रु. 298937.83 लाख (रु. 277530.18 लाख) के कुल बकाया के सापेक्ष वित्तीय/गैर–वित्तीय आस्तियों के प्राप्य और ऋण और अग्रिम (एनएसआईसी के पास उपलब्ध ब्याज उचंत खाते और नकद संपार्श्विक का शुद्ध) के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रावधान मानदंडों के अनुरूप किए गए हैं।

ड. **भारतीय लेखांकन मानक 37 के अनुसार प्रकटीकरण: प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ**

लोक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुसार, वर्ष 2022–23 हेतु प्रदर्शन संबंधित वेतन (पीआरपी) के मद में रु. 618.29 लाख (रु. 754.12 लाख) की राशि का प्रावधान किया गया है।

निगम ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 682.51 लाख रुपए और 728.11 लाख रुपए के निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी) का भुगतान किया है जो क्रमशः वित्तीय वर्ष 2019–20 और 2020–21 में प्रस्तावित किया गया था।

ढ. **भारतीय लेखांकन मानक 105 के अनुसार प्रकटकीकरण – बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू परिसंपत्ति और बंद कर दिए गए प्रचालन**

अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध और वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के अंदर बिक्री की अत्यधिक संभावना वाली परिसंपत्तियां, ''बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू परिसंपत्तियों'' के रूप में वर्गीकृत की गई हैं। भारतीय लेखाकंन मानक 105 के अंतर्गत यथा अपेक्षित, चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, शून्य के निवल रखाव मूल्य (शून्य के सकल रखाव मूल्य) वाली ऐसी परिसपंत्तियां, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत परिसंपत्तियों के भिन्न ब्लॉक

से परिसंपत्तियों के अलग ब्लॉक नामतः बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू परिसंपत्तियाँ'' में अंतरित कर दी गई थी।

पिछले वित्तीय वर्ष में, अर्थात वित्त वर्ष 2021–22 में रु. 0.20 लाख (रु. 4.12 लाख का सकल वहन मूल्य) के शुद्ध वहन मूल्य वाली संपत्ति अर्थात् 'बिक्री के लिए धारित गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों' को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत संपत्ति के अलग–अलग ब्लॉक से संपत्ति के अलग–अलग ब्लॉक में स्थानांतरित कर दिया गया था।

ण. भारतीय लेखांकन मानक 108 के अनुसार प्रकटीकरण – प्रचालन खंड

क) खंड रिपोर्टिंगः–

एनएसआईसी के क्रियाकलाप मोटे तौर पर 'संवर्धनात्मक' और 'वाणिज्यिक' के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। 'संवर्धनात्मक' क्रियाकलापों में ऐसे क्रियाकलाप शामिल हैं जिनके लिए निगम को बजटीय सहायता सरकार और/अथवा इसकी एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। 'संस्थानों को प्रशिक्षण हेतु सहायता' की योजनाएं, 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति – अनुसूचित जनजाति हब', 'प्रापण और विपणन सहायता योजना' 'अंतरराष्ट्रीय सहयोग (आईसी) योजना' आदि, जिनके लिए इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अनुमादित दिशा–निर्देशों के अनुसार, जहाँ, का लागू हो, प्रशासनिक व्यय के साथ–साथ निगम के क्रियाकलाप मोटे तौर पर –संवर्धनात्मक' के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। प्रदर्शनियों (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, दोनों), क्रेता–विक्रेता सम्मेलनों, सघन अभियान आयोजित करने/उनमें सहभागिता अन्य विपणन सहायता सेवाओं (विज्ञापन, प्रचार आदि), लघु और मध्यम उद्यमों की रेटिंग के लिए किए जाने वाले खर्च और प्रशिक्षण का व्यय उपरोक्त योजनाओं के लिए उपलब्ध कराई गई बजटीय सहायता में से पूरे किए जाते हैं।

अन्य बातों के साथ–साथ, 'वाणिज्यिक' क्रियाकलापों में ऐसे क्रियालाप शामिल हैं, जिनके द्वारा निगम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 'विपणन (निविदा विपणन और कच्चे माल की सहायता/ वितरण/ थोक विक्रेताओं और खुदरा व्यापार को सहायता सहित)', 'ऋण', 'प्रौद्योगिकी' और 'अन्य सहायता' सेवाएँ उपलब्ध कराता है। इन 'समेकित' सहायता सेवाओं का निधिकरण निगम द्वारा किया जाता है। इनके अलावा, बजटीय सहायता में से पूरे न किए जाने वाले क्रियाकलाप, परंतु जो संवर्धनात्मक स्वरूप के हैं, को वाणिज्यिक क्रियाकलापों के साथ मिला दिया गया है क्योंकि इन क्रियाकलापों के खर्चे निगम द्वारा वहन किए जाते हैं। तद्नुसार, निगम के क्रियाकलापों को दो खंडों नामतः "वाणिज्यिक" और "संवर्धनात्मक" में विभाजित किया गया है।

निम्नलिखित सारणी में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी 'खण्ड सूचना' पर भारतीय लेखांकन मानक–108 द्वारा यथापेक्षित दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कारोबार खण्ड के लिए राजस्व, लाभ/(हानि), परिसंपत्ति और देयताओं की सूचना दर्शाई गई है।

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए		
प्राथमिक खण्ड – कारोबार खण्ड	**संवर्धनात्मक**	**वाणिज्यिक**	**जोड़**	**संवर्धनात्मक**	**वाणिज्यिक**	**जोड़**
I. खण्ड राजस्व (अनुदान सहित)						
– वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त सरकारी अनुदान	10508.11	-	10508.11	6700.65	-	6700.65
–उत्पाद की बिक्री	-	232491.66	232491.66	-	221163.92	221163.92
–सेवाओं की बिक्री	-	10994.01	10994.01	-	9087.87	9,087.87
–अन्य	-	33688.80	33688.80	-	31740.06	31740.06

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए		
प्राथमिक खण्ड – कारोबार खण्ड	संवर्धनात्मक	वाणिज्यिक	जोड़	संवर्धनात्मक	वाणिज्यिक	जोड़
–जोड़	**10508.11**	**277174.47**	**287682.58**	**6700.65**	**261991.85**	**268692.50**
II. खंड व्यय (अनुदान के प्रति व्यय सहित)						
–वर्ष के दौरान मान्यता दिए गए सरकारी अनुदान के प्रति किया गया व्यय	10508.11	-	10508.11	6700.65	-	6700.65
–अन्य	-	262363.27	262363.27	-	247449.55	247449.55
–जोड़	**10508.11**	**262363.27**	**272871.38**	**6700.65**	**247449.55**	**254150.20**
III. परिणाम						
क. खण्ड परिणाम	-	11048.27	11048.27	-	10,822.58	10,822.58
ख. ब्याज से पहले प्रचालन लाभ	-	23895.87	23895.87	-	20,811.72	20,811.72
ग. भुगतान किया गया ब्याज	-	9084.67	9084.67	-	6,257.02	6,257.02
घ. आपवादिक मदें	-	(13.94)	(13.94)	-	(6.20)	(6.20)
ङ. कर–पूर्व लाभ	-	14825.14	14825.14	-	14,548.50	14,548.50
च. कर व्यय	-	3776.87	3776.87	-	3,725.92	3,725.92
छ. करोपरांत निवल लाभ	-	11048.27	11048.27	-	10,822.58	10,822.58
छ. अन्य व्यापक आय	-	28.98	28.98	-	(34.92)	(34.92)
झ. कुल व्यापक आय {जिसमें लाभ/(हानि) और अन्य व्यापक आय शामिल हैं}	-	11077.25	11077.25	-	10787.66	10787.66
IV. परिसंपत्तियां और देयताएं						
क. खण्ड परिसंपत्तियाँ	4343.93	303066.54	307410.47	4,155.99	282,243.21	286,399.20
ख. अनावंटित परिसंपत्तियां	-	-	23407.38	-	-	32,399.89
ग. कुल परिसंपत्तियाँ	**4343.93**	**303066.54**	**330817.85**	**4,155.99**	**282,243.21**	**318,799.09**
घ. खण्ड परिसंपत्तियाँ	10018.27	182413.13	192431.40	9,429.56	178,232.97	187,662.53
ङ. अनावंटित परिसंपत्तियां	-	-	138386.45	-	-	131,136.56
च. कुल देयताएँ	10018.27	182413.13	330817.85	9,429.56	178,232.97	318,799.09
V. अन्य सूचना						
(क) स्थिर परिसंपत्तियां अर्जित करने के लिए अवधि के दौरान लगाई गई लागत (सीडब्ल्यूआईपी सहित)	498.88	653.49	1152.37	794.51	308.67	1,103.18
(ख) मूल्यह्रास #	375.41	703.59	1079.00	361.14	742.00	1103.14
(ग) मूल्यह्रास के अलावा अन्य गैर–नकदी व्यय	-	38.75	38.75	-	539.68	539.68

 # संवर्धनात्मक खण्ड का मूल्यह्रास, पूंजी आरक्षित के प्रति प्रभारित किया गया है।

ख) प्रमुख उत्पादों और सेवाओं से प्राप्त राजस्व के बारे में सूचना –– नीचे दिए गए खंड ''पी'' को देखें

ग) अन्य गतिविधियों के लिए जानकारी

विवरण	यूनिट	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
एनएसआईसी प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षित उम्मीदवार	संख्या	61090	48182
एमएसएमई ने परीक्षण और अन्य सामान्य सुविधाओं की सुविधा प्रदान की	संख्या	14034	10840
कुल खरीद के % के रूप में जेम से खरीद	%	68.19	15.58

घ) निगम के पास कोई रिपोर्ट योग्य भौगोलिक खण्ड नहीं है, क्योंकि निगम के ऋण प्रचालन देश के अंदर किए जाते हैं।

ङ) किसी एकल ऋणी ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान निगम के राजस्व में 10 प्रतिशत या इससे अधिक का योगदान नहीं किया है।

त. भारतीय लेखांकन मानक 115 के अनुसार प्रकटीकरण– ग्राहकों के साथ किए गए संविदाओं से प्राप्त राजस्व

निगम का संघटक–वार राजस्व

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
उत्पादों की बिक्री	232491.66	221163.92
सेवाओं की बिक्री	10994.01	9087.87
ब्याज आय	28316.10	26130.56
प्रोसेसिंग शुल्क	4730.12	4735.83
अन्य प्रचालन आय	481.88	751.80
जोड़	**277013.77**	**261869.98**

थ. भारतीय लेखांकन मानक 116 के अनुसार प्रकटीकरण – पट्टेः

भारतीय लेखांकन मानक 116 के अनुसार, निगम तुलन पत्र में इन परिसंपत्तियों को भावी अवधियों में इन पट्टों के प्रति भुगतानयोग्य धनराशियों के संबंध में तदनरूपी पट्टा देयता के साथ 'उपयोग करने के अधिकार वाली परिसंपत्ति के रूप में मान्यता देता है। तथापि, निगम ने, अल्पावधि पट्टों और निम्न मूल्य वाली अंतर्निहित परिसंपत्तियों के पट्टों के संबंध में मान्यता छूट का उपयोग किया है। अल्पावधि पट्टों में परिसमापन विकल्प वाले पट्टे शामिल हैं, जहाँ ये पट्टे समाप्त करने के लिए कोई सारवान आर्थिक विप्रोत्साहन न हो। ऐसे करार, पट्टाधारित पोटफोलियों का प्रबंधन करने और निगम की व्यवसाय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने में सुनम्यता उपलब्ध कराते हैं।

वर्ष 2022–23 के दौरान अल्पावधि पट्टों से संबंधित व्यय 430.95 लाख रू. (459.59 लाख रु.) है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों सहित सभी पट्टों के प्रति कुल नकदी बहिर्वाह 430.98 लाख रू. (462.69 लाख रु.) है।

क) पट्टाधारी के रूप में पट्टेः

i. मान्यता प्राप्त पट्टा देयताओं और वर्ष के दौरान संचालनों की धारित धनराशियाँ निम्नलिखित हैं:

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
अथशेष	59.04	57.60
– पट्टा देयताओं में अभिवर्धन	-	1.46
– वर्ष के दौरान ब्याज लागत	-	-
– पट्टा दयेताओं का भुगतान	0.03	0.02
अंत शेष	59.01	59.04

ii. लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त धनराशियाँ निम्नलिखित हैं:

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
उपयोग के अधिकारवाली परिसंपत्तितयों के लिए मूल्यह्रास और परिशोधन	0.83	0.83
पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय	4.56	4.54

iii. अन्य प्रकटीकरण:

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
पट्टों से नकदी बहिर्वाह	0.03	3.10

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को यथास्थिति	31 मार्च, 2022 को यथास्थिति
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियां की धारण धनराशि	54.16	55.00

iv. पहले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के न्यूनतम के लिए और बाकी वर्षों के लिए वार्षिक आधार पर भुगतान किए जाने वाले बट्टाकृत पट्टा भुगतान निम्नलिखित हैं:

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को यथास्थिति	31 मार्च, 2022 को यथास्थिति
एक वर्ष से कम	4.58	3.10
एक और दो वर्षों के बीच	5.33	4.58
दो और तीन वर्षों के बीच	5.58	5.33
तीन और चार वर्षों के बीच	5.58	5.58
चार और पांच वर्षों के बीच	5.58	5.58
पांच वर्षों से अधिक	368.87	371.96

ख) पट्टादाता के रूप में पट्टे:

i. ये करार, भारतीय लेखांकन मानक 116 'पटटे' में पारगमन के पश्चात प्रचालनरत पट्टे के रूप में वर्गीकृत किए जाने जारी है।

ii. 4905.15 लाख रू. (3502.67 लाख रू.) की धनराशि 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण में पट्टा आय के रूप में लेखे में ली गई है।

iii. पहले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के न्यूनतम के लिए और बाकी वर्षों के लिए वार्षिक आधार पर प्राप्त किए जाने वाले बट्टाकृत पट्टा भुगतान निम्नलिखित हैं:

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को यथास्थिति	31 मार्च, 2022 को यथास्थिति
एक वर्ष से कम	4845.44	4091.89
एक और दो वर्षों के बीच	3529.67	2878.77
दो और तीन वर्षों के बीच	2920.66	2350.73
तीन और चार वर्षों के बीच	1764.77	1818.25
चार और पांच वर्षों के बीच	1742.27	1653.82
पांच वर्षों से अधिक	1512.21	3481.56

द. परिसंपत्ति देयता प्रबंधन – परिसंपत्तियों व देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता स्वरूप

(लाख रू. में)

31.03.2023 को यथास्थिति	निवल अग्रिम	निवेश	उधार		विदेशी मुद्रा की मदें	
			घरेलू	विदेशी	परिसंपत्तियां	देयताएं
30/31 दिनों तक	50003.68	-	19278.26	-	-	-
1 महीने से अधिक 2 महीने तक	19181.00	-	-	-	-	-
2 महीने से अधिक 3 महीने तक	25844.66	-	131500.00	133.55	-	-
3 महीने से अधिक 6 महीने तक	166671.80	-	-	22.82	-	-
6 महीने से अधिक 1 वर्ष तक	-	-	-	156.37	-	-
1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक	-	-	-	625.48	-	-
3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	-	-	-	625.48	-	-
5 वर्ष से अधिक	-	910.28	-	3245.01	-	-

(लाख रू. में)

31.03.2022 को यथास्थिति	निवल अग्रिम	निवेश	उधार		विदेशी मुद्रा की मदें	
			घरेलू	विदेशी	परिसंपत्तियां	देयताएं
30/31 दिनों तक	45731.35	-	27771.52	-		
1 महीने से अधिक 2 महीने तक	18558.35	-	11270.03	-	-	-
2 महीने से अधिक 3 महीने तक	26147.34	-	15878.63	126.09	-	-
3 महीने से अधिक 6 महीने तक	152451.14	-	92579.82	21.55	-	-
6 महीने से अधिक 1 वर्ष तक	-	-	-	147.63	-	-
1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक	-	-	-	590.52	-	-
3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	-	-	-	590.52	-	-
5 वर्ष से अधिक	-	870.85	-	3359.26	-	-

(ये अग्रिम, किराया खरीद, पट्टाकरण, कच्चा माल सहायता, बिल बट्टाकरण, संयुक्त सावधि ऋण, सावधि ऋण, बैंक आदि से संबंधित है)।

ध. वित्तीय विलेख

क) पूंजी प्रबंधन

निगम के पूंजी प्रबंधन के उद्देश्य के लिए, पूंजी में, निर्गत इक्विटी पूंजी, शेयर प्रीमियम और निगम के इक्विटीधारकों

को प्रदान किए जाने योग्य अन्य सभी इक्विटी आरक्षित राशियाँ शामिल हैं। निगम के पूंजी प्रबंधन के प्राथमिक उद्देश्य, शेयर पूंजी की सुरक्षा और बचाव तथा शेयरधारक संपत्ति को अधिकतम बनाना है।

प्रबंधन, अत्यधिक उत्तोलन शक्ति से बचते हुए एक दक्ष समग्र वित्तपोषण संरचना बनाए रखने की दृष्टि से निगम की पूंजीगत आवश्यकताओं का आकलन करता है। निगम, पूंजी संरचना का प्रबंधन करता है और गतिशील व्यवसाय वातावरण और सेक्टर के अंदर नकदी प्रवाह की स्थिति के आलोक में उपयुक्त विलेखों के जरिए निधियाँ जुटाता है। इसके अलावा, पूंजी पुनः संरचनाकरण के संबंध में, निगम, बोनस शेयरों के निर्गमन, लाभांश वितरण, इक्विटी शेयरों की वापस खरीद आदि के संबंध में अन्य बातों के साथ–साथ "केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का पूंजी पुनः संरचनाकरण" पर निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए। दिशानिर्देशों द्वारा भी मार्गदर्शित होता है। निगम ने बाह्य रूप से लगाई गई सभी पूंजीगत शर्तों का अनुपालन किया है।

विनियामक पूंजी संबंधी सूचना, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनिवार्य किए गए प्रकटीकरण के भाग के रूप में प्रस्तुत की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के मापदंड, पूंजी को निम्नलिखित स्तरों पर बनाए रखने को अनिवार्य बनाते हैं।

निगम ने, रिपोर्टिंग अवधि में पूंजी की सभी शर्तों का अनुपालन किया है।

ख) वित्तीय जोखिम प्रबंधन

निगम अनेक जोखिमों के प्रति आरक्षित है, जो ऐसे वातावरण में अंतर्निहित हैं, जिसमें वह प्रचालन करता है। निगम, एमएसएमई सेक्टर को वित्तीय सहायता प्रदान करने के व्यवसाय में है–

क) <u>क्रेडिट जोखिम</u>

(i) निगम, अपने ऋण प्रचालनों के जरिए प्राथमिक रूप से क्रेडिट जोखिम के प्रति आरक्षित है। नकदी और नकदी समतुल्य पर क्रेडिट जोखिम, सीमित है क्योंकि ये अनुसूचित वाणिज्यिक सार्वजनिक सेक्टर बैंकों और प्राइवेट सेक्टर बैंकों के साथ

किए जाते हैं। जहाँ तक निवेशों का संबंध है, निगम का इक्विटी दस्तावेज़ों में बहुत कम निवेश है जो रणनीतिक स्वरूप का है। जिसके भाग का प्रावधान निगम ने पहले ही हानिकरण छूट के प्रति कर दिया है और शेष का उचित मूल्यांकन कर दिया है और उस पर हुए लाभ को लेखा–बहियों में लेखे में ले लिया है।

क्रेडिट जोखिमों के एक प्रभावी तरीके से प्रबंधन के लिए निगम ने एक मूल्यांकन तंत्र स्थापित कर दिया है, जिसमें मूलधन और ब्याज की धनराशि की समय से अदायगी सुनिश्चित करने की दृष्टि से दिशानिर्देश दिए गए हैं। निगम, जोखिम की उस धनराशि, जिसे वह अलग–अलग प्रति–पक्षकारों के लिए स्वीकार करने और उनके सकेंद्रण का इच्छुक है, पर सीमाएं निर्धारित करके और बैंकों से लेखे का संव्यवहार प्राप्त करके इन सीमाओं के संबंध में अरक्षितताओं को मॉनीटर करके क्रेडिट जोखिमों का प्रबंधन और नियंत्रण करता है।

निगम को, बैंक गारंटी के प्रति कच्चा माल सहायता योजना में आपूर्तिकर्ता को भुगतान करके कच्चे माल के प्रापण के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली क्रेडिट सहायता के हिसाब से क्रेडिट जोखिम होता है।

(ii) महत्त्पूर्ण अनुमान और निर्णय

वित्तीय परिसंपत्तियों का हानिकरण:

वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानिकरण प्रावधान, चूक के जोखिम और प्रत्याशित हानि दरों के बारे में अनुमानों पर आधारित है। निगम, समूह के पिछले इतिवृत्त और अन्य बैंकों के साथ खाते के संचालन, मौजूदा बाज़ार दशाओं और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अग्रदर्शी अनुमानों के आधार पर यह अनुमान लगाने और हानिकरण के परिकलन में इनपुट का चयन करने में निर्णय का इस्तेमाल करता है।

भारतीय लेखांकन मानकों में पारगमन की तारीख को कोई कंपनी ऐसी तर्कसंगत और समर्थ योग्य सूचना का उपयोग करेगी, जो, उस तारीख, जिसकी वित्तीय दस्तावेज़ों को आरंभतः मान्यता दी गई थी, क्रेडिट जोखिम निर्धारित करने के लिए अनुचित लागत या प्रयास के बिना उपलब्ध हो और भारतीय लेखांकन मानकों के पारगमन की तारीख को जोखिम क्रेडिट के साथ इनका मिलान करेगी।

निगम ने भारतीय लेखांकन मानक–109 या भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उच्चतर प्रावधान के रूप में लेखा–बहियों में हानिकरण हानि (ईसीएल) को मान्यता देने की नीति अपनाई है।

निगम ने सभी ऋणों को तीन चरणों में वर्गीकृत किया है:

चरण 1 – निष्पादनशील (अपनी आरंभिक मान्यता से बहुत अधिक क्षति नहीं हुई)

चरण 2 – निम्न निष्पादनशील (अपनी आरंभिक मान्यता से बहुत अधिक क्षति हुई)

चरण 3 – गैर–निष्पादनशील (क्षति होने के उद्देश्यपरक साक्ष्य)

ईसीएल का परिकलन, पिछले दस वर्ष के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित रूप में किया जाता है:

ईसीएल = चूक की संभाव्यता (पीडी) X हानि दी गई चूक (एलजीडी)

चूक की संभाव्यता (पीडी) का परिकलन, प्रतिशत के रूप में पिछले 10 वर्षों में कुल ऋण वृद्धि के प्रति पिछले 10 वर्षों में एनपीए के रूप में किया जाता है।

हानि दी गई चूक का परिकलन, प्रतिशत के रूप में पिछले 10 वर्षों के दौरान कुल एनपीए के प्रति पिछले 10 वर्षों के दौरान मूलधन की हानि के रूप में किया जाता है।

निगम, क्रेडिट जोखिम में पर्याप्त वृद्धि हुई मानता है, जब ऋणी 30 पिछले देय दिन (डीपीडी) पार कर लेता है परंतु 90 डीपीडी के अंदर है।

अपेक्षित हानि के लिए प्रावधान

स्तर	श्रेणी	श्रेणी का विस्तार	प्रत्याशित क्रेडिट हानि के प्रावधान की मान्यता का आधार ऋण
चरण 1	मानक परिसंपत्तियाँ, उच्च गुणवत्ता परिसंपत्तिया, नगण्य क्रेडिट जोखिम	ऐसी परिसंपत्तियां जहां प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है या जिनमें रिपोर्टिंग तिथि पर कम क्रेडिट जोखिम है।	12 महीने का ईसीएल
चरण 2	वर्धित जोखिम परिसंपत्तियाँ या पर्याप्त जोखिम वाली परिसंपत्तियाँ	ऐसी परिसंपत्तियां जहां प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है लेकिन जिसमें हानि का वस्तुनिष्ठ साक्ष्य नहीं है।	आजीवन ईसीएल
चरण 3	हानिकृत परिसंपत्तियाँ	हानिकृत परिसंपत्तियाँ जिनके लिए रिपोर्टिंग तिथि पर हानि का वस्तुनिष्ठ साक्ष्य है।	आजीवन ईसीएल

ख) परिशोधन जोखिम

परिशोधन ऐसा जोखिम है कि निगम के व्यवसाय क्रियाकलापों के लिए निधिकरण के उपयुक्त स्रोत संभवतः उपलब्ध न हों। निगम का उद्देश्य, अपनी नकदी की आवश्यताएँ पूरी करने के लिए परिशोधन का इष्टतम स्तर बनाए रखना है। निगम, अपनी परिशोधन स्थिति को निकटता से मॉनीटर करता है और जब कभी आवश्यक हो, अपनी अल्पावधि और दीर्घावधि निधि आवश्यकताओं का वित्तपोषण करने के लिए पर्याप्त स्रोत बनाए रखता है।

(i) वित्तपोषण व्यवस्थाएँ

निगम के पास, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निम्नलिखित आहरित न की गई उधार सुविधाएं थीं:

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को यथास्थिति	31 मार्च, 2022 को यथास्थिति
अस्थायी दर – एक वर्ष के अंदर समाप्त होने वाली (बैंक ओवरड्राफ्ट और अन्य सुविधाएँ)	शून्य	शून्य

निगम के पास ब्याज की अस्थायी दर पर बैंकों से नकद क्रेडिट सुविधा है, जिसे हर वर्ष नवीकृत किया जाता है।

(ii) वित्तीय देयताओं की परिपक्वता रूपरेखा

नीचे दी गई सारणी में, निगम की वित्तीय देयताओं का सभी गैर–व्युत्पन्न वित्तीय देयताओं के लिए अपनी संविदात्मक परिपक्वताओं पर आधारित सुसंगत परिपक्वता में विश्लेषण किया गया है, जिसके लिए नकदी प्रवाहों के समय को समझने के लिए संविदात्मक परिपक्वताएँ आवश्यक हैं:–

सारणी में विगोपित धनराशियाँ, उनके रखाव शेषों के बराबर, 12 महीने के अंदर देय संविदात्मक अबट्टाकृत नकदी प्रवाह शेष है, क्योंकि बट्टाकरण का प्रभाव महत्त्वपूर्ण नहीं है:–

(लाख रू. में)

विवरण	वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताएँ			वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताएँ		
	31 मार्च, 2023			31 मार्च, 2022		
	बैंक उधार	बाज़ार उधार	जोड़	बैंक उधार	बाज़ार उधार	जोड़
1 दिन से 30/31 दिनों तक (एक महीना)	19278.26	-	19278.26	27771.52	-	27771.52
1 महीने से अधिक 2 महीने तक	-	-	-	11270.03	-	11270.03
2 महीने से अधिक 3 महीने तक	131500.00	133.55	131633.55	15878.63	126.09	16004.72
3 महीने से अधिक 6 महीने तक	-	22.82	22.82	92579.82	21.55	92601.37
6 महीने से अधिक 1 वर्ष तक	-	156.37	156.37	-	147.63	147.63
1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक	-	625.48	625.48	-	590.52	590.52
3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक	-	625.48	625.48	-	590.52	590.52
5 वर्ष से अधिक	-	3245.01	3245.01	-	3359.26	3359.26

ग) बाज़ार जोखिम

बाज़ार जोखिम ऐसा जोखिम है कि किसी वित्तीय दस्तावेज़ के भावी नकदी प्रवाहों के उचित मूल्य में, बाज़ार मूल्यों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होगा। बाज़ार जोखिम में तीन प्रकार के जोखिम शामिल हैं– ब्याज दर जोखिम, मुद्रा जोखिम और अन्य मूल्य जोखिम जैसे इक्विटी मूल्य जोखिम और वस्तु जोखिम। बाज़ार जोखिम द्वारा प्रभावित वित्तीय दस्तावेज़ों में, ऋण और उधार शामिल हैं।

(i) विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम ऐसा जोखिम है कि कार्यात्मक मुद्रा के अलावा विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित किसी वित्तीय दस्तावेज़ के भावी नकदी प्रवाहों के उचित मूल्य में, विदेशी विनियम दरों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होगा।

निगम, मुख्यतः अपने विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित उधारों पर विनिमय मुद्रा जोखिम के प्रति आरक्षित है। निगम के विदेशी मुद्रा मूल्यवर्गित उधारों की रखाव धनराशि निम्नलिखित है:–

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च 2023 को यथास्थिति		31 मार्च 2022 को यथास्थिति	
	विदेशी मुद्रा (यूरो में)	कार्यात्मक मुद्रा में (लाख रुपए में)	विदेशी मुद्रा (यूरो में)	कार्यात्मक मुद्रा में (लाख रुपए में)
केएफडब्ल्यू–XI	2471585.01	2249.39	2597362.81	2231.91
केएफडब्ल्यू–XII	2185261.45	1988.81	2352965.19	2021.90
आईएलसी	626866.10	570.51	677015.32	581.76

विदेशी मुद्रा जोखिम मॉनीटरिंग और प्रबंधन–

निगम द्वारा किए गए ऋण करार में, विनिमय उतार–चढ़ाव के जोखिम का ध्यान रखा जाता है और विनिमय उतार–चढ़ाव

हानि, यदि कोई है, कूपन भुगतान में राहत द्वारा समायोजित हो जाती है। इसके अलावा, यह विनिमय उतार–चढ़ाव के कारण भावी हानियों को भी सुरक्षित करता है।

विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता विश्लेषण

निगम द्वारा किए गए ऋण करार में, विनिमय उतार–चढ़ाव के जोखिम का ध्यान रखा जाता है और विनिमय उतार–चढ़ाव हानि, यदि कोई है, कूपन भुगतान में राहत द्वारा समायोजित हो जाती है। इसके अलावा, यह विनिमय उतार–चढ़ाव के कारण भावी हानियों को भी सुरक्षित करता है। इसलिए, कोई संवेदनशीलता विश्लेषण नहीं किया गया।

(ii) नकदी प्रवाह और उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम ऐसा जोखिम है कि वित्तीय दस्तावेज़ के उचित मूल्य या भावी नकदी प्रवाह में बाज़ार ब्याज दरों में परिवर्तनों के कारण उतार–चढ़ाव होगा। बाज़ार ब्याज दरों में परिवर्तन के जोखिम के प्रति निगम की अरक्षितता, प्राथमिक रूप से अल्पावधि उधारों से संबंधित है। बाज़ार ब्याज दर का अल्पीकरण, बाज़ार स्थितियों, कारणों आदि की उचित समीक्षा द्वारा किया जाता है। निगम के उधार, परिशोधित लागत पर लिए जाते हैं।

(क) ब्याज दर जोखिम अरक्षितता

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ब्याज दर परिवर्तनों के प्रति निगम की अल्पावधि उधारों की अरक्षितता निम्नलिखित है:

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च 2023 को यथास्थिति	31 मार्च 2022 को यथास्थिति
परिवर्तनीय दर वाले उधार	3778.26	-
निश्चित दर वाले उधार	147000.00	147500.00
कुल उधार	**150778.26**	**147500.00**

(ख) संवेदनशीलता

चूंकि निगम के अधिकतम अल्पावधि उधार निश्चित लागतों वाले हैं, इसलिए वे भारतीय लेखांकन मानक–107 में यथापरिभाषित ब्याज दर जोखिम की शर्त के अधीन नहीं हैं क्योंकि न तो रखाव धनराशि में और न ही भावी नकदी प्रवाह में, बाज़ार ब्याज दरों में होने वाले किसी परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होगा।

(iii) मूल्य जोखिम

(क) अरक्षितता

इक्विटी प्रतिभूति मूल्य जोखिम, के प्रति निगम की आरक्षितता ओसीआई के जरिए उचित मूल्य के रूप में तुलन–पत्र में वर्गीकृत और निगम द्वारा रखे गए निवेशों से उत्पन्न होता है। हालांकि पोर्टफोलियो का अपवर्तन समूह द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुसार किया जाता है। तथापि निगम ने पिछले समय में केवल कुछ रणनीतिक निवेश ही किया है, जिसका भाग पूर्णतः हानिकृत किया गया है और पहले ही प्रावधान कर दिए गए हैं और शेष भाग को उचित मूल्य पर मूल्यांकित किया गया है तथा उसके लाभों को उचित ढंग से लेखे में लिया गया है।

(ख) संवेदनशीलता

निगम की इक्विटी में निवेश की बहुत कम धनराशि है और पिछले दो वर्षों में कोई संचलन नहीं हुआ है। जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, निगम ने इक्विटी में अपने उद्धृत निवेश को पहले ही उचित मूल्य पर मूल्यांकित कर दिया है और उसके लाभ को उचित ढंग से लेखे में ले लिया है और निवेश के शेष भाग के लिए पूर्णतः प्रावधान कर दिया है, इसलिए संवेदनशीलता का प्रकटीकरण किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत इक्विटी दस्तावेज़ पर लाभों/हानियों के परिणामस्वरूप इक्विटी में वृद्धि/कमी होगी।

ग. उचित मूल्य मापन

निगम की वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं, में से कुछ रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य पर मापी जाती हैं। निम्नलिखित सारणियाँ, इन वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य पर मापे जाने के तरीके के बारे में सूचना देती हैं (विशेष रूप से उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन तकनीकों और इनपुटों के बारे में)।

उचित मूल्य क्रम–परंपरा

उचित मूल्य पर मापे गए और मान्यता दिए गए वित्तीय विलेख (एफवीटीओसीआई और एफवीटीपीएल)।

(लाख रू. में)

विवरण	उचित मूल्य पर धनराशि		उचित मूल्य क्रम–परंपरा	मूल्य तकनीकें और महत्त्वपूर्ण इनपुट
	31 मार्च, 2023 को यथास्थिति	31 मार्च, 2022 को यथास्थिति		
I. वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
एफवीटीओसीआई पर वित्तीय निवेश				
–इक्विटी विलेखों में निवेश	304.76	269.07	स्तर 1	उद्धृत बाज़ार मूल्य
एफवीटीपीएल पर वित्तीय निवेश				
जोड़	304.76	269.07		
II. वित्तीय देयताएं	-	-		
जोड़	-	-		

परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देयताएँ।

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को यथास्थिति		31 मार्च, 2022 को यथास्थिति		उचित मूल्य क्रम–परंपरा	मूल्य तकनीकें और महत्त्वपूर्ण इनपुट
	परिशोधित मूल्य	उचित मूल्य	परिशोधित मूल्य	उचित मूल्य		
I. वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
कंपनियों को ऋण/ एलएलपी	265603.01	265603.01	247511.15	247511.15	स्तर 3	प्रभावी ब्याज दर
कर्मचारियों को ऋण	45.03	45.03	39.00	39.00	स्तर 2	अनुलाभों के लिए एसबीआई दर पर एनपीवी
जोड़	**265648.04**	**265648.04**	**247550.15**	**247550.15**		
II. वित्तीय देयताएं						
उधार	155586.97	155586.97	152335.57	152335.57	स्तर 3	प्रभावी ब्याज दर
जोड़	**155586.97**	**155586.97**	**152335.57**	**152335.57**		

भारतीय लेखांकन मानकों के अंतर्गत उचित मूल्य मापन, उतनी मात्रा पर आधारित स्तर 1, 2 या 3 में वर्गीकृत किए जाते हैं, जिस तक उचित मूल्य के प्रति इनपुट अवलोकन योग्य हैं और पूरी तरह उचित मूल्य मापन के प्रति इनपुटों का महत्त्व है, जिनका नीचे वर्णन किया गया है:

– स्तर 1: समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित) जिसे निगम, मापन की तिथि को प्राप्त कर सकता है।

– स्तर 2: स्तर–1 में शामिल किए गए उद्धृत मूल्यों के अलावा, अन्य इनपुट, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिसंपत्ति या देयता के लिए अवलोकन योग्य हैं।

– स्तर 3: परिसंपत्ति या देयता के लिए इनपुट जो अवलोकन योग्य बाज़ार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं (अवलोकन योग्य इनपुट), जिन्हें निगम, मापन की तिथि को प्राप्त कर सकता है।

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का रखाव मूल्य और उचित मूल्य दर्शाने वाली तालिका

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को यथास्थिति		31 मार्च, 2022 को यथास्थिति	
	परिशोधित मूल्य	उचित मूल्य	परिशोधित मूल्य	उचित मूल्य
I. वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
– नकदी और नकदी समतुल्य	8896.38	8896.38	18555.25	18555.25
– बैंक शेष	62.44	62.44	58.83	58.83
– प्राप्ति योग्य	16303.10	16303.10	14061.53	14061.53
– ऋण एवं अग्रिम	265648.04	265648.04	247550.15	247550.15
– निवेश	910.28	910.28	870.85	870.85
– अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	1493.73	1493.73	1948.89	1948.89
जोड़	**293313.97**	**293313.97**	**283045.50**	**283045.50**
II. वित्तीय देयताएं				
– देय	16576.94	16576.94	14460.64	14460.64
– उधार	155586.97	155586.97	152335.57	152335.57
– अन्य वित्तीय देयताएँ	19747.52	19747.52	21581.33	21581.33
जोड़	**191911.43**	**191911.43**	**188377.54**	**188377.54**

नकदी और नकदी समतुल्य, प्राप्तियोग्य, भुगतानयोग्य, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और अन्य वित्तीय देयताओं की रखाव धनराशियाँ, उनके स्वरूप के अल्पावधि होने के कारण उनके उचित मूल्यों के रूप में माना जाता है।

न. संपत्ति और देनदारियों के तहत प्रत्येक पंक्ति वस्तु हेतु 12 महीने और उससे अधिक के भीतर की जाने वाली वसूली/निपटान की अपेक्षित राशिः

(लाख रू. में)

विवरण		31 मार्च, 2023 को यथास्थिति			31 मार्च, 2022 को यथास्थिति		
		12 महीनों के भीतर	12 महीने से अधिक	जोड़	12 महीनों के भीतर	12 महीने से अधिक	जोड़
	परिसंपत्तियाँ						
2.	**वित्तीय परिसंपत्तियाँ**						
(क)	नकद और नकद समतुल्य	8896.38	-	8896.38	18555.25	-	18555.25
(ख)	नकद और नकद समकक्षों में शामिल के अलावा अन्य बैंक शेष	62.44	-	62.44	58.83	-	58.83
(ग)	व्यापार प्राप्य	16303.10	-	16303.10	14061.53	-	14061.53
(घ)	ऋण और अग्रिम	243720.46	21927.58	265648.04	247528.96	21.19	247550.15
(ङ)	निवेश	-	910.28	910.28	-	870.85	870.85
(च)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	318.08	1175.65	1493.73	1620.38	328.51	1948.89
	कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ (1)	269300.46	24013.51	293313.97	281824.95	1220.55	283045.50

विवरण		31 मार्च, 2023 को यथास्थिति			31 मार्च, 2022 को यथास्थिति		
		12 महीनों के भीतर	12 महीने से अधिक	जोड़	12 महीनों के भीतर	12 महीने से अधिक	जोड़
3.	**गैर–वित्तीय परिसंपत्तियाँ**						
(क)	सूची	11.48	-	11.48	12.26	-	12.26
(ख)	चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	186.11	-	186.11	699.24	-	699.24
(ग)	आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	-	3528.14	3528.14	-	3848.57	3848.57
(घ)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	-	28720.85	28720.85	-	28343.23	28343.23
(ङ)	चालू पूंजीगत कार्य	-	437.42	437.42	-	750.33	750.33
(च)	विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियाँ	-	35.65	35.65	-	23.39	23.39
(छ)	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	-	58.32	58.32	-	82.95	82.95
(ज)	परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार	-	54.16	54.16	-	55.00	55.00
(झ)	बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां	0.21	-	0.21	0.21	-	0.21
(ञ)	अन्य गैर–वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	4471.54	4471.54	-	1938.41	1938.41
	कुल गैर–वित्तीय परिसंपत्तियाँ (2)	**197.80**	**37306.08**	**37503.88**	**711.71**	**35041.88**	**35753.59**
	कुल परिसंपत्तियाँ (1+2)	**269498.26**	**61319.59**	**330817.85**	**282536.66**	**36262.43**	**318799.09**
देयताएँ							
1.	**वित्तीय देयताएँ**						
(क)	व्यापार प्राप्य	6947.25	9629.70	16576.94	14460.64	-	14460.64
(ख)	उधार	150778.26	4808.71	155586.97	147795.27	4540.3	152335.57
(ग)	बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-	-	-
(घ)	अन्य वित्तीय देयताएँ	18391.54	1355.98	19747.52	20225.04	1356.29	21581.33
	कुल वित्तीय देयताएँ (1)	**176117.04**	**15794.39**	**191911.43**	**182480.95**	**5896.59**	**188377.54**
2.	**गैर–वित्तीय देयताएँ**						
(क)	चालू कर देयताएं (निवल)	-	-	-	-	-	-
(ख)	प्रावधान	5302.84	6109.18	11412.02	881.48	10162.24	11043.72
(ग)	आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	-	-	-	-	-	-
(घ)	अन्य गैर–वित्तीय देयताएँ	1860.83	286.30	2147.13	-	1978.73	1978.73
	कुल गैर–वित्तीय देयताएँ (2)	**7163.67**	**6395.48**	**13559.15**	**881.48**	**12140.97**	**13022.45**
	कुल देयताएँ (1+2)	**183280.71**	**22189.87**	**205470.58**	**183362.43**	**18037.56**	**201399.99**

प. प्रस्तावित लाभांशः इस वर्ष के लिए प्रस्तावित लाभांश निम्नलिखित हैं:

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
100–100 रुपए के इक्विटी शेयरों पर		
–प्रस्तावित लाभांश की धनराशि (लाख रुपए में)	3314.48	3317.05
–लाभांश दर (प्रतिशत)	30% कर अदायगी के बाद लाभ	30% कर अदायगी के बाद लाभ
–प्रति इक्विटी शेयर लाभांश (रुपए)	6.22	6.22

निगम द्वारा प्रस्तावित लाभांश, निगम के वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किए गए अनुसार करोपरांत लाभ और निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों पर आधारित है। निगम के निदेशक मंडल ने, वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन की शर्त के अधीन, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के संबंध में 3314.48 लाख रू. (6.22 रू. प्रति शेयर) के अंतिम लाभांश का प्रस्ताव किया है, यदि अनुमोदन कर दिया जाता है तो इस लाभांश के परिणामस्वरूप 3314.48 लाख रू. का नकद बहिर्वाह होगा।

इसके अलावा 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष से संबंधित कारपोरेट लाभांश लेखांकन मानक (ए.एस.)–10 दिनांक, 30 मार्च, 2016 के कंपनी (लेखांकन मानक) संशोधन नियमावली, 2016 में संशोधनों के जरिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित तुलन पत्र की तारीख के पश्चात उत्पन्न आकस्मिकताएँ और घटनाएँ के अनुसार वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के पश्चात आगामी वर्ष में लेखे में लिया जाएगा।

निगम ने वित्त वर्ष 2022–23 में रु. 3177.66 लाख के लाभांश का भुगतान किया है जिसे वित्त वर्ष 2021–22 में प्रस्तावित किया गया था।

वर्ष 2022–23 के दौरान, निगम को अपनी सहायक कंपनी – मैसर्स से वर्ष 2021–22 के लिए लाभांश के रूप में रु. 57.08 लाख प्राप्त हुए। एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल) और इसे एनएसआईसी के वित्तीय विवरणों में 'अन्य आय' के रूप में दर्ज किया गया है।

फ. हड़ताल प्रभावित कंपनियों के साथ संबंध

हड़ताल प्रभावित कंपनी का नाम	हड़ताल प्रभावित कंपनी के साथ लेनदेन की प्रकृति	बकाया शेष (रु. लाख में)		हड़ताल प्रभावित कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो
		31.03.2023	31.03.2022	
	प्रतिभूतियों में निवेश			
मैसर्स एसएसआई प्रोडक्ट्स मार्केटिंग ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड (एसआईपीएमओ)	– हड़ताल प्रभावित कंपनी के शेयरों में निवेश	–	–	–
–	प्राप्य	–	–	–
–	देय	–	–	–
–	हड़ताल प्रभावित कंपनी के साथ अटके हुए शेयर	–	–	–
–	अन्य बकाया शेष (विनिर्दिष्ट किया जाए)	–	–	–

ब. क्रिप्टो या आभासी मुद्रा पर प्रकटीकरण

निगम ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो मुद्रा या आभासी मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

भ. प्रमोटर्स की होल्डिंग पर प्रकटीकरण

निगम को भारत सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के पास वर्ष की शुरुआत और अंत में निगम में 100 प्रतिशत इक्विटी हैं। इस प्रकार वर्ष के दौरान प्रमोटर्स की इक्विटी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

म. भारतीय रिजर्व बैंक के मापदंडों के अंतर्गत प्रकट किए जाने के लिए आवश्यक अतिरिक्त सूचना

क) हानिकरण आरक्षित

दिनांक 13.03.2020 की भा.रि.बैं. की अधिसूचना संख्या आरबीआई/2019–20/170 डीओआर (एनबीएफसी) सी.सी.पी.डी. संख्या 109/22.10.106/2019–20 के आधार पर, इसलिए वित्तीय वर्ष 2019–20 से भारतीय लेखांकन मानक–109 के अनुसार ईसीएलस, को वित्तीय विलेखों पर हानि छूट के रूप में मान्यता दी जाती है। इसके अलावा, जहाँ भारतीय लेखांकन मानक–109 के अंतर्गत हानिकरण छूट, आय मान्यता परिसंपत्ति वर्गीकरण और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए प्रावधानीकरण (आईआरएसीपी) मानकों (मानक परिसंपत्ति प्रावधानीकरण सहित) के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधानीकरण से निम्नतर है, निगम ने यह अंतर अपने निवल करोपरांत लाभ से चालू वर्ष से संबंधित "हानिकरण आरक्षित" में और 01.04.2019 को यथास्थिति मौजूद धारित अर्जनों में

से विनियोजित किया है। पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना इस आरक्षित में से किसी आहरण की अनुमति नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 4866.65 लाख रूपये की धनराशि की हानिकरण आरक्षित राशि विनियोजित की गई थी क्योंकि भारतीय लेखाकंन मानक–109 के अंतर्गत हानिकरण छूट, उसी सीमा तक आईआरएसीपी मानदंडों के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधानीकरण की तलुना में निरंतर थी।

चूंकि 31.03.2023 तक इंड एएस–109 के संदर्भ में क्षति भत्ता की राशि 12265.28 लाख रुपए (12323.53 लाख रुपए) है, जो आईआरएसीपी मानदंडों के तहत आवश्यक प्रावधान की तुलना में 14960.81 लाख रुपए (14802.00 लाख रुपए) से कम है, इसलिए आईआरएसीपी मानदंड और इंड एएस–109 के तहत 2695.59 लाख (2478.47 लाख रुपए) की राशि के प्रावधान में अंतर को 31.03.2023 तक हानि आरक्षित के रूप में लेखांकित किया जाना है।

हालाँकि, 31.03.2023 को जिस हानि आरक्षित निधि का हिसाब लगाया जाना चाहिए, वह 31.03.2022 को पहले से ही विनियोजित हानि आरक्षित राशि से कम है, जो कि 4866.65 लाख रू. (4866.65 लाख रू.) है, इसलिए, पहले से ही विनियोजित हानि आरक्षित को उलटा नहीं किया गया है। 2171.12 लाख रू.(2388. 18 लाख रू.) की सीमा तक निकासी की अनुमति नहीं है। इस प्रकार, 31.03.2023 तक हानि आरक्षित को 4866.65 लाख रू.(4866.65 लाख रू.) पर बनाए रखा गया है।

ख) आईआरएसीपी के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधान और भारतीय लेखांकन मानक–109 के अंतर्गत हानिकरण छूटों के बीच की गई तुलनाः

वित्तीय वर्ष 2022–23

(लाख रू. में)

भा.रि.बैं. के मापदंडों के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	भा.ले.मा. 109 के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	भा.ले.मा. के अनुसार सकल रखाव धनराशि	भा.ले.मा. 109 के अंतर्गत यथा अपेक्षित हानि छूट प्रावधान	निवल रखाव धनराशि	आईआरएसीपी के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	भा.ले.मा.–109 के प्रावधान और आईआर एसीपी मापदंडों के बीच अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)–(4)	(6)	(7)=(4)–(6)
निष्पादन परिसंपत्तियाँ						
मानक	चरण–1	262996.32	1295.18	261701.14	1181.94	113.24
	चरण–2					
उप जोड़		**262996.32**	**1295.18**	**261701.14**	**1181.94**	**113.24**
गैर–निष्पादन परिसंपत्तियाँ (एनपीए)						
उप मानक	चरण–3	1131.07	1131.07	0.00	2376.09	-1245.02
संदिग्ध – 1 वर्ष तक	चरण–3	-	-	-	732.85	-732.85
1 से 3 वर्ष तक	चरण–3	-	-	-	265.37	-265.37
3 वर्ष से अधिक	चरण–3	9102.35	9102.35	-	9667.89	-565.54
संदिग्ध का उप जोड़		9102.35	9102.35	-	10666.11	-1563.75
हानि	चरण–3	736.68	736.68	-	736.68	0.00
एनपीए का उपजोड़		**10970.10**	**10970.10**	**0.00**	**13778.88**	**-2808.78**

भा.रि.बैं. के मापदंडों के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	भा.ले.मा. 109 के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	भा.ले.मा. के अनुसार सकल रखाव धनराशि	भा.ले.मा. 109 के अंतर्गत यथा अपेक्षित हानि छूट प्रावधान	निवल रखाव धनराशि	आईआरए सीपी के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	भा.ले.मा.–109 के प्रावधान और आईआर एसीपी मापदंडों के बीच अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)–(4)	(6)	(7)=(4)–(6)
अन्य मदें जैसे गारंटियाँ, ऋण प्रतिबद्धताएं जो भारतीय लेखाकंन मानक–109 के दायरे में है। परंतु चालू आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण (आईआरएसीपी) मापदंडों के अंतर्गत कवर नहीं होती।	चरण–1	-	-	-	-	-
	चरण–2	-	-	-	-	-
	चरण–3	-	-	-	-	-
उप जोड़		-	-	-	-	-
जोड़	**चरण–1**	262996.32	1295.18	261701.14	1181.94	113.24
	चरण–2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	चरण–3	10970.10	10970.10	0.00	13778.88	-2808.78
	जोड़	**273966.42**	**12265.28**	**261701.14**	**14960.81**	**-2695.53**

वित्तीय वर्ष 2021–22

(लाख रू. में)

भा.रि.बैं. के मापदंडों के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	भा.ले.मा. 109 के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	भा.ले.मा. के अनुसार सकल रखाव धनराशि	भा.ले.मा. 109 के अंतर्गत यथा अपेक्षित हानि छूट प्रावधान	निवल रखाव धनराशि	आईआरए सीपी के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	भा.ले.मा.–109 के प्रावधान और आईआर एसीपी मापदंडों के बीच अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)–(4)	(6)	(7)=(4)–(6)
निष्पादन परिसंपत्तियाँ						
मानक	चरण–1	243863.64	975.46	242888.18	877.62	97.84
	चरण–2	-	-	-	-	-
उप जोड़		**243863.64**	**975.46**	**242888.18**	**877.62**	**97.84**
गैर–निष्पादन परिसंपत्तियाँ (एनपीए)						
उप मानक	चरण–3	1131.07	1131.07	0.00	1904.02	-772.95
संदिग्ध – 1 वर्ष तक	चरण–3	-	-	-	775.96	-775.96
1 से 3 वर्ष तक	चरण–3	-	-	-	461.87	-461.87
3 वर्ष से अधिक	चरण–3	9446.93	9446.93	-	10012.47	-565.53
संदिग्ध का उप जोड़		9446.93	9446.93	-	11250.29	-1803.36

भा.रि.बैं. के मापदंडों के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	भा.ले.मा. 109 के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	भा.ले.मा. के अनुसार सकल रखाव धनराशि	भा.ले.मा. 109 के अंतर्गत यथा अपेक्षित हानि छूट प्रावधान	निवल रखाव धनराशि	आईआरए सीपी के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	भा.ले.मा.–109 के प्रावधान और आईआर एसीपी मापदंडों के बीच अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)–(4)	(6)	(7)=(4)–(6)
हानि	चरण–3	770.07	770.07	-	770.07	0.00
एनपीए का उपजोड़		**11348.07**	**11348.07**	**-**	**13924.38**	**-2576.31**
अन्य मदें जैसे गारंटियाँ, ऋण प्रतिबद्धताएं जो भारतीय लेखाकंन मानक–109 के दायरे में है। परंतु चालू आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण (आईआरएसीपी) मापदंडों के अंतर्गत कवर नहीं होती।	चरण–1	-	-	-	-	-
	चरण–2	-	-	-	-	-
	चरण–3	-	-	-	-	-
उप जोड़		-	-	-	-	-
जोड़	**चरण–1**	243863.64	975.46	242888.18	877.62	97.84
	चरण–2	-	-	-	-	-
	चरण–3	11348.07	11348.07	-	13924.38	-2576.31
	जोड़	**255211.71**	**12323.53**	**242888.18**	**14802.00**	**-2478.47**

ग) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईसी के अंतर्गत आरक्षित निधि

निगम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45आईसी के तहत आवश्यकतानुसार आरक्षित निधि का सृजन कर रहा है, जिसमें लाभांश की घोषणा से पहले शुद्ध लाभ का कम से कम 20 प्रतिशत राशि स्थानांतरित करना आवश्यक है, तथा जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट किए गए उद्देश्य को छोड़कर, आरक्षित निधि से कोई समायोजन करने की अनुमति नहीं है, और आगे इस तरह के किसी भी समायोजन को ऐसे आहरण की तारीख से 21 दिनो के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक को प्रतिवेदित करना भी आवश्यक है।

इस वर्ष के दौरान धारा 45आईसी के अंतर्गत 2209.66 लाख रू. (2164.66 लाख रू.) की धनराशि की अन्य आरक्षित निधि सृजित की गई है, इस प्रकार 31.03.2023 को यथास्थिति कुल आरक्षित निधि 8383.87 लाख रू. (6180.21 लाख रू.) की हो गई है।

घ) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के उधारों के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग

निगम की बैंक सुविधाओं को केयर द्वारा रेटिंग दी गई है और ।। रेटिंग दी गई है, जिसे वित्तीय दायित्वों की समय पर सेवा के संबंध में उच्च स्तर की प्रतिभूति माना जाता है। उपरोक्त के अलावा, वर्ष के दौरान रेटिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है, निगम को क्रिसिल और एसीयूआईटीई के साथ वाणिज्यिक पेपर के लिए भी ''ए1'' रेटिंग दी गई है, जिसे 'सुरक्षा की बहुत मजबूत डिग्री' माना जाता है।

ङ) शास्तियाँ

I- आरबीआई द्वारा लगाई गई – शून्य

II- किसी अन्य वैधानिक प्राधिकारी द्वारा लगाई गई रू 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, निगम द्वारा 0.21 (शून्य) की राशि की शास्ति को अदा किया गया है।

च) पूंजीगत पर्याप्ता

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष			31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष			% परिवर्तन
	मीटर	भाजक	%	मीटर	भाजक	%	
i) पूंजी से जोखिम भारित अनुपात (सीआरएआर)	108901.31	311026.16	35.01	99290.18	286095.50	34.70	0.89
ii) सीआरएआर – टियर I पूंजी	107606.13	311026.16	34.60	98314.72	286095.50	34.36	0.70
iii) सीआरएआर – टियर II पूंजी	1295.18	311026.16	0.42	975.46	286095.50	0.34	23.53
iv) नगदी प्रवाह व्याप्ति अनुपात	8958.82	6942.46	129.04	18614.08	9334.32	199.42	-35.29
v) टियर II पूंजी के रूप में जुटाए गए अधीनस्थ ऋण की धनराशि	-	-	शून्य	-	-	शून्य	-
vi) चिरस्थायी ऋण विलेखों के निर्गम द्वारा जुटाई गई धनराशि	-	-	शून्य	-	-	शून्य	-

नोटः नकदी कवरेज अनुपात की गणना कुल उच्च गुणवत्ता वाली नकदी परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) को कुल शुद्ध नकदी बहिर्प्रवाह से विभाजित करके की जाती है। रू. 27771.52 लाख का कार्यशील पूंजी मांग ऋण (डब्ल्यूसीडीएल) वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 30 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान के कारण था, जबकि रू. 19278.26 लाख का डब्ल्यूसीडीएल वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान पुनर्भुगतान के कारण था, यानी वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान शुद्ध लागत बहिर्वाह कम हो गया था।

क) **निवेशः** एनएसआईसी के पास भारत के बाहर कोई निवेश नहीं है। हालाँकि, निगम ने सहायक कंपनी मैसर्स एनवीसीएफल में 100 प्रतिशत अर्थात रु. 600 लाख और अन्य भारतीय कंपनियों में रु. 304.76 लाख का निवेश किया है।

आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड में योगदान के लिए एनवीसीएफएल के साथ दिनांक 12 अक्टूबर 2021 को हस्ताक्षरित योगदान समझौते के अनुसार, वर्ष 2022–23 के दौरान एनएसआईसी ने 0.055 इकाइयों हेतु अपने हिस्से का 0.01 प्रतिशत की राशि 5.52 लाख रू. का योगदान दिया है, जिसमें एसआरआई फंड की 1 इकाई का मूल्य रु. 100 लाख रू. है।

ख) **निवेशों का अलग–अलग विवरण**

(लाख रू. में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
1	निवेशों का मूल्य		
(i)	निवेशों का सकल मूल्य		
(क)	भारत में		
	ओसीआई के जरिए उचित मूल्य पर	314.76	279.07
(ख)	भारत से बाहर		
(ii)	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		
(क)	भारत में	10.00	10.00

	विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
(ख)	भारत से बाहर		
(iii)	निवेशों का निवल मूल्य		
(क)	भारत में	304.76	269.07
(ख)	भारत से बाहर		
(2)	निवेशों के प्रति रखे गए प्रावधानों का संचलन		
(i)	अथ शेष	10.00	15.00
(ii)	जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान		
(iii)	घटाएं वर्ष के दौरान अधिक प्रावधानों का पुरांकन/बट्टे खाते डालना	0.00	5.00
(iv)	अंत शेष	10.00	10.00
(3)	उद्धृत निवेशों की समग्र धनराशि	304.76	269.07
	उद्धृत निवेशों का बाज़ार मूल्य	304.76	269.07
(4)	अनुद्धृत निवेशों की समग्र धनराशि	615.52	611.78
(5)	निवेशों के मूल्य में घटाव के लिए समग्र प्रावधान	10.00	10.00

ग) निवेशों का मूल्यांकन

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
i) निवेशों का सकल मूल्य	870.85	786.15
ii) हानिकरण हानि के लिए छूट	10.00	10.00
iii) उचित मूल्य में परिवर्तन (निवल)	35.69	94.70
iv) निवेशों का उचित मूल्य	910.28	870.85
निवेश के उचित मूल्य परिवर्तन में संचलन (निवल)		
अथ शेष	269.07	174.36
जोड़ें: मूल्य में वृद्धि	35.69	94.70
घटाएं: मूल्य में कमी	-	-
अंत शेष	304.76	269.07

छ. व्युत्पत्तियाँ

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
व्युत्पन्न विलेखों/उत्पादों की अरक्षितता	शून्य	शून्य

ज. प्रतिभूतिकरण

क) परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण के लिए प्रायोजित एसपीवी के ब्यौरे

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
प्रायोजित एसपीवी	शून्य	शून्य

ख) परिसंपत्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण हेतु बेची गई वित्तीय परिसंपत्तियों के ब्यौरे

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
बेची गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ	शून्य	शून्य

ग) किए गए समनुदेशन लेनदेन के ब्यौरे

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
किए गए समनुदेशन लेनदेन	शून्य	शून्य

घ) खरीदी गई/बेची गई गैर–निष्पादनशील वित्तीय परिसंपत्तियों के ब्यौरे

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
खरीदी गई गैर–निष्पादनशील वित्तीय परिसंपत्तियाँ	शून्य	शून्य
बेची गई गैर–निष्पादनशील वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
i) बेचे गए खातों की संख्या		
ii) समग्र बकाया		
iii) प्राप्त किया गया समग्र प्रतिफल		
iv) निवल अंकित मूल्य पर लाभ/हानि		

ङ) एनबीएफसीएस के लिए स्केल आधारित विनियमन के तहत प्रकटीकरण आवश्यकताएँ

आरबीआई अधिसूचना सं. आरबीआई/2022–23/26 डीओआर.एसीसी.आरईसी. संख्या 20/21.04.018/2022–23 दिनांक 19 अप्रैल, 2022, एनबीएफसी के लिए स्केल आधारित नियमों के तहत प्रकटीकरण इस प्रकार है:

एक्सपोजर

I. पूंजी बाजार क्षेत्र में एक्सपोजर (सकल)

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुखी म्युचुअल फंडों की यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश, जिनके कॉर्पस का निवेश अनन्य रूप से कॉरपोरेट ऋण में नहीं किया गया है;	314.76	279.07

II. ऋण और अग्रिमों का क्षेत्रीय एक्सपोजर

लाख रू. में)

सेक्टर	चालू वर्ष			पिछले वर्ष		
	बीजी के खिलाफ सुरक्षित	संपार्श्विक/ असुरक्षित के विरुद्ध सुरक्षित	कुल	विरुद्ध सुरक्षित बीजी	संपार्श्विक/ असुरक्षित के विरुद्ध सुरक्षित	कुल
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	**99.49**	**-**	**99.49**	**98.92**	**-**	**98.92**
उद्योग						
खाद्य एवं खाद्य उत्पाद	3327.43	-	3327.43	2935.87	-	2935.87
कपड़ा	1592.46	43.68	1636.14	1476.90	43.68	1520.58
लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद	523.65	-	523.65	464.20	-	464.20
कागज एवं कागज उत्पाद	931.75	6.33	938.08	912.17	6.33	918.50
चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद	142.38	-	142.38	409.89	-	409.89
रबर एवं रबर उत्पाद	2301.30	43.68	2344.99	1665.99	43.68	1709.67
रासायनिक एवं रासायनिक उत्पाद	6436.03	43.68	6479.71	5703.74	43.68	5747.42
गैर–धात्विक खनिज उत्पाद	2008.68	0.01	2008.69	2343.65	-	2343.65
धातु उत्पाद	69517	596.79	70113.79	65307.69	835.65	66143.34
निर्माण	105439.56	339.19	105778.75	95494.22	344.41	95838.64
इलेक्ट्रिक मशीनें और उपकरण	28352.35	126.87	28479.21	25480.46	126.87	25607.33
परिवहन उपकरण/ऑटोमोबाइल	2855.07	31.23	2886.3	2891.93	31.23	2923.16
मुद्रण उद्योग	1256.51	0.27	1256.77	1755.46	0.27	1755.73

सेक्टर	चालू वर्ष			पिछले वर्ष		
	बीजी के खिलाफ सुरक्षित	संपार्श्विक/ असुरक्षित के विरुद्ध सुरक्षित	कुल	विरुद्ध सुरक्षित बीजी	संपार्श्विक/ असुरक्षित के विरुद्ध सुरक्षित	कुल
प्लास्टिक एवं प्लास्टिक उत्पाद	4414.53	173.86	4588.4	4068.84	173.86	4242.7
अन्य	28179.04	8871.51	37050.55	28260	8972.01	37232
उद्योग का कुल	**257277.75**	**10277.10**	**267554.84**	**239171.01**	**10621.67**	**249792.68**
सेवाएं	**4799.77**	**-**	**4799.77**	**3890.40**	**-**	**3890.40**
व्यक्तिगत ऋण	**-**	**45.03**	**45.03**	**-**	**39.03**	**39.03**
अन्य	**199.68**	**-**	**199.68**	**69.49**	**-**	**69.49**
तुलन पत्र के अनुसार	**262376.68**	**10322.13**	**272698.81**	**243229.82**	**10660.70**	**253890.52**

झ) लाभ एवं हानि लेखे में व्यय शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए प्रावधान और आकस्मिकताओं का अलग–अलग विवरण

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
क. निवेशों पर उचित मूल्य परिवर्तनों के लिए प्रावधान	शून्य	शून्य
ख. एनपीएज/संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	शून्य	शून्य
ग. ऋणों की एनपीवी में घटाव के लिए प्रावधान	शून्य	शून्य
घ. निवेशों के मूल्य में घटाव के लिए प्रावधान	शून्य	शून्य
ङ. मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	319.72	67.33
च. आय कर के प्रति किया गया प्रावधान	3500.00	3500.00
छ. अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं (अस्थगित कर देयताएं)	310.68	234.25

ञ) अग्रिमों और गैर–निष्पादनशील परिसंपत्तियों (एनपीए) का संकेंद्रण

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
I. अग्रिमों का संकेंद्रण		
बीस बड़े ऋणियों को कुल अग्रिम	12352.01	9960.49
बीस बड़े ऋणियों को अग्रिम का प्रतिशत	4.51	3.90
II. एनपीए का संकेंद्रण		
शीर्ष चार एनपीएज के प्रति कुल आरक्षितता	898.56	991.06

ट) सेक्टर–वार एनपीए (सकल)

(लाख रू. में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
1	कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप	शून्य	शून्य
2	एमएसएमई	10970.10	11348.07
3	कॉरपोरेट ऋणी	शून्य	शून्य
4	सेवाएँ	शून्य	शून्य
5	अप्रतिभूति व्यक्तिगत ऋण	शून्य	शून्य
6	ऑटो ऋण	शून्य	शून्य
7	अन्य व्यक्तिगत ऋण	शून्य	शून्य

ठ) एनपीएज का संचलन

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
1) निवल अग्रिमों के प्रति निवल एनपीएज (%)	-	-
2) सकल एनपीएज/संदिग्ध ऋणों का संचलन		
(क) अथ शेष	11348.07	11799.68
(ख) जोड़ें: वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	1.43	-
(ग) घटाएँ: वर्ष के दौरान कमी/बट्टा खाता	379.40	451.61
(घ) अंत शेष	10970.10	11348.07
3) निवल एनपीएज/संदिग्ध ऋणों का संचलन		
(क) अथ शेष	-	-
(ख) जोड़ें: वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	-	-
(ग) घटाएँ: वर्ष के दौरान कमी/बट्टा खाता	-	-
(घ) अंत शेष	-	-
4) एनपीए/संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान में संचलन		
(क) अथ शेष	11348.07	11799.68
(ख) जोड़ें: वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	1.43	-
(ग) घटाएं: वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए ऋण	-	-
(घ) घटाएं: पुरांकित प्रावधान	379.40	451.61
(ङ) अंत शेष	10970.10	11348.07

ड) अन्य सूचना

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
i) सकल गैर–निष्पादनशील परिसंपत्तियाँ		
– संबंधित पक्षकार	-	-
– संबंधित पक्षकारों के अलावा	10970.10	11348.07
ii) निवल गैर–निष्पादनशील परिसंपत्तियाँ		
– संबंधित पक्षकार	–	–
– संबंधित पक्षकारों के अलावा	–	

ढ) शिकायतें

I. ग्राहक एवं निवेशक शिकायतें

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
1. वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	5	शून्य
2. वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	104	55
3. वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	109	50
3.1 जिनमें से, एनबीएफसी द्वारा खारिज की गई शिकायतों की संख्या	6	शून्य
4. वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	**शून्य**	5

II. एनबीएफसी को ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पांच आधार

(लाख रू. में)

शिकायतों का आधार (अर्थात शिकायतों का कारण)	वर्ष के शुरू में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्षों में प्राप्त शिकायतों की संख्या में वृद्धि/कमी की प्रतिशतता	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	कॉलम 5 में से ऐसी शिकायतों की संख्या जो 30 दिन से अधिक समय से लंबित हैं
1	2	3	4	5	6
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष					
ग्राउंड–1 एससीएसटी हब	1	31	343% वर्धित	.	.
ग्राउंड – 2 एसपीआरएस	-	14	27% वर्धित	.	.
ग्राउंड – 3 आरएमडी	-	9	80% वर्धित	.	.
ग्राउंड – 4 एमएसएमई मार्ट	-	6	500% वर्धित	.	.
ग्राउंड – 5 आउटसोर्स कर्मचारियों को आरएमए और न्यूनतम वेतन का भुगतान	.	दोनों श्रेणियों में 3	300% वर्धित	.	.
कुल	**1**	**63**		.	.

शिकायतों का आधार (अर्थात शिकायतों का कारण)	वर्ष के शुरू में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्षों में प्राप्त शिकायतों की संख्या में वृद्धि/कमी की प्रतिशतता	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	कॉलम 5 में से ऐसी शिकायतों की संख्या जो 30 दिन से अधिक समय से लंबित हैं
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष					
ग्राउंड–1 एससीएसटी हब	-	7		1	-
ग्राउंड – 2 एसपीआरएस	-	11		-	-
ग्राउंड – 3 आरएमडी	-	5		-	-
ग्राउंड – 4 टेंडर मार्केटिंग	-	5		-	-
ग्राउंड – 5 एमएसएमई डेटाबैंक	-	2		-	-
कुल	-	**30**		**1**	-

iii 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष (पिछले वर्ष शून्य) के दौरान उचित व्यवहार संहिता के तहत उधारकर्ताओं से निगम को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

ण) किसी जमा स्वीकार न करने वाली गैर–वित्तीय कंपनी (यथासंशेधित, दिनांक 01 सिंतबर, 2016 के मास्टर निर्देश डीएनबीआर. पीडी.008/03.10.119/2016–17 के अंतर्गत जारी किए गए, गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – व्यवस्थित रूप से महत्त्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 के मास्टर निर्देश के पैराग्राफ 18 के अनुसार यथा अपेक्षित) के तुलन–पत्र की अनुसूची

देयताएँ पक्ष

1) उन पर उपार्जित ब्याज सहित गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा लिए गए परंतु भुगतान न किए गए ऋण और अग्रिमः

(लाख रू. में)

विवरण		31 मार्च, 2023 को यथास्थिति		31 मार्च, 2022 को यथास्थिति	
		बकाया धनराशि	अतिदेय धनराशि	बकाया धनराशि	अतिदेय धनराशि
(क)	डिबेंचर	-	-	-	-
(ख)	आस्थगित क्रेडिट	-	-	-	-
(ग)	सावधि ऋण	4817.23	-	4844.13	-
(घ)	अंतर–कॉरपोरेट ऋण और उधार	-	-	-	-
(ङ)	वाणिज्यिक पेपर	-	-	-	-
(च)	सार्वजनिक जमा	-	-	-	-
(छ)	अन्य ऋण				
	बैंक ओवरड्राफ्ट, नकद क्रेडिट एवं कार्यशील पूंजी मांग ऋण	150932.84	-	147502.51	-

2) ऊपर 1(च) (उन पर उपार्जित ब्याज सहित बकाया परंतु भुगतान न की गई सार्वजनिक जमा राशियाँ) का अलग–अलग विवरण:

–लागू नहीं–

परिसंपत्ति पक्ष

3) प्राप्तियोग्य बिलों सहित {नीचे (4) में शामिल किए गए के अलावा} ऋणों और अग्रिमों का अलग–अलग विवरण

(लाख रू. में)

विवरण	बकाया धनराशि	
	31 मार्च, 2023 को यथास्थिति	31 मार्च, 2022 को यथास्थिति
(क) प्रतिभूत (प्रावधान के पश्चात निवल)	-	-
(ख) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए (प्रावधान के पश्चात निवल)	261701.14	242888.18
(ग) अप्रतिभूत (प्रावधान के पश्चात निवल)	-	-

4) एएफसी क्रियाकलापों के प्रति गिने जाने वाले किराये और बंधक–पत्र के ऋणों पर पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों और स्टॉक का अलग–अलग विवरण

–लागू नहीं–

5) निवेशों का अलग–अलग विवरण (घटाव को छोड़कर निवल):

(लाख रू. में)

विवरण		बकाया धनराशि	
		31 मार्च, 2023 को यथास्थिति	31 मार्च, 2022 को यथास्थिति
चालू निवेश			
1	**उद्धृत**		
(i)	शेयर	शून्य	शून्य
(क)	इक्विटी		
(ख)	वरीयता		
(ii)	डिबेंचर और बांड		
(iii)	म्युचुअल फंड की यूनिटें		
(iv)	सरकारी प्रतिभूतियाँ		
(v)	अन्य		
2	**अनुद्धृत**		
(i)	शेयर		
(क)	इक्विटी	शून्य	शून्य
(ख)	वरीयता	शून्य	शून्य
(ii)	डिबेंचर और बांड	शून्य	शून्य
(iii)	म्युचुअल फंड की यूनिटें	शून्य	शून्य
(iv)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य

विवरण		बकाया धनराशि	
		31 मार्च, 2023 को यथास्थिति	31 मार्च, 2022 को यथास्थिति
(v)	अन्य	शून्य	शून्य
	दीर्घावधि निवेश		
1	**उद्धृत**		
(i)	शेयर		
(क)	इक्विटी (उचित मूल्य)	304.76	269.07
(ख)	वरीयता	शून्य	शून्य
(ii)	डिबेंचर और बांड	शून्य	शून्य
(iii)	म्युचुअल फंड की यूनिटें	शून्य	शून्य
(iv)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य
(v)	अन्य	शून्य	शून्य
2	**अनुद्धृत**		
(i)	शेयर		
(क)	इक्विटी (हानिकरण के पश्चात निवल)	600.00	600.00
(ख)	वरीयता	शून्य	शून्य
(ii)	डिबेंचर और बांड	शून्य	शून्य
(iii)	म्युचुअल फंड की यूनिटें	शून्य	शून्य
(iv)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य
(v)	अन्य	5.25	1.78

6) ऊपर (3) और (4) में दिए गए अनुसार वित्तपोषित परिसंपत्तियों का ऋणी समूह–वार वर्गीकरण

(लाख रू. में)

श्रेणी		31 मार्च, 2023 को यथास्थिति			31 मार्च, 2022 को यथास्थिति		
		प्रतिभूत (प्रावधान के पश्चात निवल)	बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किया गया (प्रावधान के पश्चात निवल)	अप्रतिभूत (प्रावधान के पश्चात निवल)	प्रतिभूत (प्रावधान के पश्चात निवल)	बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किया गया (प्रावधान के पश्चात निवल)	अप्रतिभूत (प्रावधान के पश्चात निवल)
1	संबंधित पक्षकार						
(क)	आर्थिक सहायता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ख)	उसी समूह में कंपनियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ग)	अन्य संबंधित पक्षकार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	संबंधित पक्षकारों के अलावा	शून्य	261701.14	शून्य	शून्य	242888.18	शून्य

7) **शेयरों और प्रतिभूतियों (उद्धृत और अनुद्धृत दोनों) में सभी निवेशों (चालू और दीर्घावधि) का निवेशक समूह–वार वर्गीकरणः**

(लाख रू. में)

श्रेणी		31 मार्च, 2023 को यथास्थिति		31 मार्च, 2022 को यथास्थिति	
		उचित मूल्य	अंकित मूल्य	उचित मूल्य	अंकित मूल्य
1	संबंधित पक्षकार				
(क)	आर्थिक सहायता	600.00	600.00	600.00	600.00
(ख)	उसी समूह में कंपनियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ग)	अन्य संबंधित पक्षकार	5.52	5.52	1.78	1.78
2	संबंधित पक्षकारों के अलावा	304.76	304.76	269.07	269.07

5. वर्ष के दौरान, निगम ने अनुसंधान और विकास (आर एंड डी)/नवाचार पर रु. 347.77 लाख (रू. 211.86) का व्यय किया है।

6. 31.03.2023 (पिछले वर्ष शून्य) तक कोई बिल नहीं किया गया (व्यापार देय और व्यापार प्राप्य) नहीं है।

7. सभी धनराशियां लाख रुपयों में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

8. वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं।

9. पिछले वर्ष के आँकड़ों को जहाँ कहीं आवश्यक हो, पुनर्वर्गीकृत, पुनर्व्यवस्थित और पुनर्गठित किया गया है।

****

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

[सीआईएन नं. : यू74140डीएल1955जीओआई002481]

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि (वाणिज्य) का एकल विवरण

(लाख रू. में)

विवरण		नोट संख्या	31.03.23 को यथास्थिति	31.03.22 को यथास्थिति
I	**राजस्व**			
क	प्रचालनों से राजस्व	21		
	उत्पादों की बिक्री		232491.66	221163.92
	सेवाओं की बिक्री		10994.01	9087.87
	ब्याज आय		28316.10	26130.56
	शुल्क और कमीशन आय		4730.12	4735.83
	[इसमें संचालित माल और प्रदान की गई सेवा के लिए 4730.12 लाख रू. (4735.83 लाख रू.) के मूल्य के अर्जित प्रोसेसिंग शुल्क सेवा प्रभार 1684329.65 लाख रू. (1819418.11 लाख रू.) शामिल है।]			
	अन्य परिचालन आय		481.88	751.80
	प्रचालन से कुल राजस्व		**277013.77**	**261869.98**
ख	अन्य आय	22	160.70	121.87
ग	अनुदान और सब्सिडियां	23	0.00	0.00
	कुल राजस्व (क + ख + ग)		**277174.47**	**261991.85**
II	**व्यय**			
	उत्पादों की खरीद	24	231796.49	220204.04
	माल–सूचियों में परिवर्तन	25	0.00	1.91
	कर्मचारी लाभ व्यय	26	13019.43	13021.74
	वित्त लागतें	27	9084.67	6261.56
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	28	703.59	742.00
	निगमित सामाजिक जिम्मेदारी	29	278.27	230.60
	अन्य व्यय	30	7396.73	6915.85
	शुल्क और कमीशन व्यय	34	84.09	71.85
	कुल व्यय		**262363.27**	**247449.55**
III	**आपवादिक मदों, और कर से पूर्व लाभ**		**14811.20**	**14542.30**
	असाधारण मदें (टिप्पणी–35 की बिंदु संख्या 4च(ख) देखें)		-13.94	-6.20
IV	**कर पूर्व लाभ**		**14825.14**	**14548.50**
	कर व्यय	31		
	वर्तमान कर		3500.00	3500.00
	आस्थगित कर		310.68	234.25
	पूर्ववर्ती वर्ष		-33.81	-8.33
V	**कुल कर व्यय**		**3776.87**	**3725.92**
VI	**चल रहे प्रचालनों से अवधि के लिए कर–पश्चात लाभ**		**11048.27**	**10822.58**
VII	बंद हो गए प्रचालनों से लाभ		0.00	0.00
VIII	बंद हो गए प्रचालनों से कर व्यय		0.00	0.00

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

[सीआईएन नं. : यू74140डीएल1955जीओआई002481]

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि (वाणिज्य) का एकल विवरण

(लाख रू. में)

विवरण		नोट संख्या	31.03.23 को यथास्थिति	31.03.22 को यथास्थिति
IX	बंद हो गए प्रचालनों से लाभ (कर–पश्चात)		0.00	0.00
X	**अवधि का लाभ**		**11048.27**	**10822.58**
XI	**अन्य व्यापक आय**			
क	मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		35.69	94.70
	ऐसी मदें, जो लाभ या हानि.सुनिश्चित लाभ स्कीमों पर लाभ/हानि पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		3.02	-141.37
	उन मदों से संबंधित आयकर, जो लाभ/हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-9.73	11.75
	उप–जोड़ (क)		**28.98**	**-34.92**
ख	मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा		0.00	0.00
	उन मदों से संबंधित आय कर, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा		0.00	0.00
	उप–जोड़ (ख)		**0.00**	**0.00**
	अन्य व्यापक आय (क + ख)		**28.98**	**-34.92**
XII	**अवधि के लिए कुल विस्तृत आय (X + XI) (लाभ/हानि सहित) और अवधि के लिए अन्य व्यापक आय**		**11077.25**	**10787.66**
XIII	**प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (सतत प्रचालनों से)**	**32**		
	मूल (रु.)		20.73	20.31
	न्यूनीकृत (रु.)		20.73	20.31
XIV	**आकस्मिक प्रतिबद्धताएं**	**33 (i)**	**3974.46**	**1286.20**
XV	**पूंजीगत प्रतिबद्धताएं**	**33 (ii)**	**986.82**	**1620.93**
	लेखाओं पर अन्य टिप्पणियां	**35**		

कॉरपोरेट सूचना विवरण (टिप्पणी–1), लेखांकन नीतियां (टिप्पणी–2)

टिप्पणीः उपर्युक्त संदर्भित टिप्पणियां 1 से 35 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

इक्विटी स्टेटमेंट में परिवर्तन तुलन पत्र का अभिन्न अंग है और लाभ एवं हानि लेखों का विवरण के पश्चात रखा गया है

इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
गोयल पारूल एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 016750एन

ह./–
(पारूल गोयल)
साझेदार
[सदस्यता सं.: 099172]
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.08.2023
यूडीआईएन : 23099172बीजीवीजेड़एटी9630

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह./–
गौरव गुलाटी
निदेशक (वित्त)
[डीआईएन नं.: 10144109]

ह./–
विपुल गोयल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
[डीआईएन नं.: 10229523]

ह./–
पार्थ माझी
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

ह./–
निष्ठा गोयल
कंपनी सचिव
[सदस्यता संख्याः ए22768]

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

[सीआईएन नं. : यू74140डीएल1955जीओआई002481]

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि (संवर्धनात्मक) का एकल विवरण

(लाख रू. में)

विवरण		नोट संख्या	31.03.23 को यथास्थिति	31.03.22 को यथास्थिति
I	**राजस्व**			
क	**प्रचालनों से राजस्व**	21		
	उत्पादों की बिक्री		0.00	0.00
	सेवाओं की बिक्री		0.00	0.00
	ब्याज आय		0.00	0.00
	प्रोसेसिंग शुल्क		0.00	0.00
	अन्य प्रचालन आय		0.00	0.00
	प्रचालनों से कुल राजस्व		**0.00**	**0.00**
ख	अन्य आय	22	0.00	0.00
ग	अनुदान और सब्सिडियां	23	10508.11	6700.65
	कुल राजस्व (क + ख + ग)		**10508.11**	**6700.65**
II	**व्यय**			
	उत्पादों की खरीद	24	0.00	0.00
	माल–सूचियों में परिवर्तन	25	0.00	0.00
	कर्मचारी लाभ व्यय	26	357.85	379.49
	वित्त लागतें	27	0.00	0.00
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	28	0.00	0.00
	निगमित सामाजिक जिम्मेदारी	29	0.00	0.00
	अन्य व्यय	30	10150.26	6321.16
	शुल्क और कमीशन व्यय	34	0.00	0.00
	कुल व्यय		**10508.11**	**6700.65**
III	**आपवादिक मदों, और कर से पूर्व लाभ**		**0.00**	**0.00**
	आपवादिक मदें		0.00	0.00
IV	**कर पूर्व लाभ**		**0.00**	**0.00**
	कर व्यय	31		
	वर्तमान कर		0.00	0.00
	आस्थगित कर		0.00	0.00
	पूर्ववर्ती वर्ष		0.00	0.00
V	**कुल कर व्यय**		**0.00**	**0.00**
VI	**चल रहे प्रचालनों से अवधि के लिए कर–पश्चात लाभ**		**0.00**	**0.00**
VII	बंद हो गए प्रचालनों से लाभ		0.00	0.00
VIII	बंद हो गए प्रचालनों से कर व्यय		0.00	0.00
IX	बंद हो गए प्रचालनों से लाभ (कर–पश्चात)		0.00	0.00
X	**अवधि का लाभ**		**0.00**	**0.00**

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

[सीआईएन नं. : यू74140डीएल1955जीओआई002481]

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि (संवर्धनात्मक) का एकल विवरण

(लाख रू. में)

विवरण		नोट संख्या	31.03.23 को यथास्थिति	31.03.22 को यथास्थिति
XI	**अन्य विस्तृत आय**			
क	मदें जिन्हें लाभ अथवा हानि–निवेश/सुनिश्चित लाभ स्कीमों पर बीमांकिक लाभ/हानि पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		0.00	0.00
	उन मदों से संबंधित आय कर, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		0.00	0.00
	उप जोड़ (क)		**0.00**	**0.00**
ख	मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा		0.00	0.00
	उन मदों से संबंधित आय कर, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा		0.00	0.00
	उप जोड़ (ख)		**0.00**	**0.00**
	अन्य व्यापक आय (क + ख)		0.00	0.00
XII	**अवधि के लिए कुल व्यापक आय (X + XI) (लाभ/हानि सहित) और अवधि के लिए अन्य व्यापक आय**		0.00	0.00
XIII	**प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (सतत प्रचालनों से)**	32		
	मूल (रु.)		0.00	0.00
	न्यूनीकृत (रु.)		0.00	0.00
XIV	**आकस्मिक देयताएं**	33 (i)	**0.00**	**0.00**
XV	**पूंजीगत प्रतिबद्धताएं**	33 (ii)	**0.00**	**1675.82**
	लेखाओं पर अन्य टिप्पणियां	35		

कॉरपोरेट सूचना विवरण (टिप्पणी–1), लेखांकन नीतियां (टिप्पणी–2)

टिप्पणी: उपर्युक्त संदर्भित टिप्पणियां 1 से 35 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

इक्विटी स्टेटमेंट में परिवर्तन तुलन पत्र का अभिन्न अंग है और लाभ एवं हानि लेखों का विवरण के पश्चात रखा गया है

इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
गोयल पारूल एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 016750एन

ह./–
(पारूल गोयल)
साझेदार
[सदस्यता सं.: 099172]
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.08.2023
यूडीआईएन : 23099172बीजीवीजेड़एटी9630

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह./–
गौरव गुलाटी
निदेशक (वित्त)
[डीआईएन नं.: 10144109]

ह./–
विपुल गोयल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
[डीआईएन नं.: 10229523]

ह./–
पार्थ माझी
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

ह./–
निष्ठा गोयल
कंपनी सचिव
[सदस्यता संख्या: ए22768]

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। उक्त अधिनियम की धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक उक्त अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143 के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। उनकी दिनांक 18 अगस्त, 2023 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के जरिए बताया गया है कि ऐसा कर दिया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, कंपनी अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अधीन राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यशील दस्तावेजों को प्राप्त किए बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ और कुछ लेखाकंन रिकार्डों की चयनात्मक जांच तक सीमित है।

मेरी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, तथा मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है, जो अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर किसी टिप्पणी का कारण बनती हो अथवा इसका पूरक बनती हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए और की ओर से

ह./–
(संजय कुमार झा)
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक
(उद्योग और कार्पोरेट मामले)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 6 नवंबर, 2023

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के सदस्यगण

भारतीय लेखा मानक समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने **राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड** (इसके बाद 'होल्डिंग कंपनी' के रूप में संदर्भित) और इसकी सहायक – एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी और इसकी सहायक कंपनी को 'समूह' के रूप में संदर्भित किया गया है), के संलग्न **समेकित** वित्तीय विवरणों का लेखा–परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च 2023 को समेकित तुलन पत्र, लाभ और हानि का समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण, और समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का समेकित विवरण और टिप्पणियाँ शामिल हैं, साथ ही इसमें समेकित वित्तीय विवरण, जिसमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश (इसके बाद समेकित वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित) शामिल है (जिन्हें इसमें आगे समेकित वित्तीय विवरण कहा गया है)।

हमारे अभिमत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, और अलग–अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर, और सहायक की अन्य वित्तीय जानकारी के आधार पर उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण देते हैं कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा अपेक्षित तरीके से आवश्यक जानकारी, और दिनांक 31 मार्च 2023 तक समूह के मामलों की समेकित स्थिति के भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिसमें समेकित लाभ (कुल व्यापक आय सहित), इक्विटी में समेकित परिवर्तन, और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह शामिल है।

राय का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी, हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरण भाग की 'लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियाँ' वर्णित हैं। हम, नैतिकता अपेक्षाओं, जो कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा से सुसंगत हैं, के साथ–साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी की गई नैतिकता संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं और नैतिकता संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियाँ पूरी की हैं। हम विश्वास करते हैं कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किया है, वह हमारी राय का आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और समुचित है।

मामलों पर जोर देना

1. **हम निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:**

   क) **औद्योगिक एस्टेट नैनी में भूमि और भवन से संबंधित एकल वित्तीय विवरणों के साथ टिप्पणी संख्या 35(4)(ख)(ग) जिसमें विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान समूह का लाभ 15,30,910 कम करके आंका गया है।**

   ख) केएफडब्ल्यू के साथ समझौते की शर्तों के अनुसार 2249.66 लाख रुपए (गत वर्ष 2175.00 लाख रुपए) की केएफडब्ल्यू बारहवीं लाइन ऑफ क्रेडिट के संबंध में विनिमय अंतर हानियों के प्रावधान के 31.03.2023 के समापन शेष के संबंध में एकल वित्तीय विवरण के साथ संलग्न टिप्पणी संख्या 35(4)(ञ)(क)(ii)। तथापि, कुल बकाया ऋण (संलग्न एकल वित्तीय विवरणों के अनुबंध–15ए में दर्शाए गए अनुसार) केवल 1988.81 लाख रुपए (गत वर्ष 2021.90 लाख रुपए) है।

   ग) डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार निगम द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बनाई गई चिकित्सा योजनाओं के लिए कोष के संबंध में संलग्न एकल वित्तीय विवरणों में टिप्पणी संख्या 35(4)(झ)(घ)।

01.01.2007 से पहले और 01.01.2007 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए चिकित्सा योजना के लिए 31.03.2023 को कुल राशि क्रमशः 252.68 लाख रुपए (गत वर्ष 359.71 लाख रुपए) और 451.70 लाख रुपए (गत वर्ष 422.29 लाख रुपए) थी।

घ) डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार वर्ष 2022–23 के लिए निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी) के कारण 618.29 लाख रुपए (गत वर्ष 754.12 लाख) की राशि के लिए समूह द्वारा किए गए तदर्थ प्रावधान के संबंध में संलग्न एकल वित्तीय विवरण में टिप्पणी 35(4)(त)।

उपर्युक्त मामले के संबंध में हमारी राय सीमित नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अलावा सूचना

अन्य सूचना के लिए समूह का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य सूचना में, प्रबंधन रिपोर्ट और अध्यक्ष का कथन शामिल की गई सूचना शामिल है परंतु इसमें वित्तीय विवरण और उन पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं है। समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य सूचना शामिल नहीं की गई है और हम उस पर किसी भी रूप में कोई आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अन्य सूचनाओं को पढ़ें और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी, समेकित वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है, अथवा भौतिक रूप से गलत बताया जाना अथवा लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी या अन्यथा प्रकट होती है। यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का एक महत्वपूर्ण गलत विवरण है; और हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है।

हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

ये समेकित वित्तीय विवरण, जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मानकों सहित में आमतौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन मानकों के अनुसार निगम की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य–निष्पादन, (इक्विटी में परिवर्तन) और नकदी प्रवाह, की सही और सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए समूह का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा करने के लिए और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमिताओं का पता लगाने और उनकी रोकथाम के लिए, समुचित लेखांकन नीतियों के चयन और अनुप्रयोग ऐसे निर्णय लेने और अनुमान लगाने, जो तर्कसंगत और विवेकपूर्ण हों, ऐसे उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण, जो समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए सुसंगत लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और परिपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रचालरत हों, जो सच्ची और सही तस्वीर प्रस्तुत करते हों और सारवान मिथ्याकथन, चाहे धोखाधड़ी के कारण या गलती के कारण, से मुक्त हों, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड का रखरखाव भी शामिल है। वित्तीय विवरण तैयार करने में, निदेशक मंडल, के चलते रहने वाले प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखे जाने की कंपनी की योग्यता का मूल्यांकन करने, चलते रहने वाले प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों के प्रकटीकरण, जैसा लागू हो, और लेखांकन के चलते रहने वाले आधार का इस्तेमाल करने, जब तक निदेशक मंडल या तो कंपनी के परिसमापन करने की या प्रचालन बंद करने की मंशा न रखे या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई अन्य वास्तविक विकल्प न हो, के लिए भी जिम्मेदार है।

यह निदेशक मंडल, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए भी जिम्मेदार है।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियाँ।

हमारे उद्देश्य, इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या पूरे **समेकित वित्तीय विवरण**, सारवान मिथ्याकथन से मुक्त हैं, चाहे वे धोखाधड़ी के कारण हों या गलती के कारण, और लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना है, जिसमें हमारी राय शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन, आश्वासन का एक उच्चस्तर है परंतु यह गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा, सदैव किसी सारवान मिथ्या कथन का पता लगा लेगी, जब यह मौजूद हो। मिथ्या कथन, धोखाधड़ी या गलती से उत्पन्न हो सकता है और उसे सारवान तभी माना जाता है यदि अलग–अलग या स्वीकृत रूप से उनसे, इन वित्तीय विवरणों

के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक विषयों को प्रभावित करने की संभावना हो।

लेखांकन मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय का इस्तेमाल करते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संदेह बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों के सारवान मिथ्या कथन के जोखिमों की पहचान करना और उनका मूल्यांकन करना, चाहे वे धोखाधड़ी के कारण हों या गलती के कारण और इन जोखिमों के प्रति लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार करना और लागू करना तथा ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना, जो हमारी राय के लिए एक आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और समुचित है। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप किसी सारवान मिथ्या कथन का पता न लगाए जाने का जोखिम गलती के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम की तुलना में उच्चतर होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूकें, मिथ्यनिरूपण या आंतरिक नियंत्रणों का अधिक्रमण शामिल हो सकता है।

- ऐसी लेखपरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार करने की दृष्टि से, जो परिस्थितियों में समुचित हों, लेखापरीक्षा से सुसंगत आंतरिक नियंत्रण की समझबूझ प्राप्त करना। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3)(i) के अंतर्गत, हम इस पर भी अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं कि क्या समूह के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और उन नियंत्रणों का प्रचालनरत प्रभावीपन मौजूद हैं।

- इस्तेमाल की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित विगोपनों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।

- लेखांकन के चल रहे प्रतिष्ठान आधार के प्रबंधन के इस्तेमाल की उपयुक्तता पर निष्कर्ष देना और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह पता लगाना कि क्या घटनाओं या शर्तों से संबंधित कोई सारवान अनिश्चितता मौजूद है, जो चल रहे प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखे जाने की समूह की योग्यता पर महत्त्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सारवान अनिश्चितता मौजूद है तो हमारे लिए यह आवश्यक होगा कि हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में, वित्तीय विवरणों में संबंधित विगोपनों की ओर ध्यान आकर्षित करें या यदि ये विगोपन हमारी राय संशोधित करने के लिए अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भावी घटनाएं या स्थितियां समूह के लिए एक चल रहे प्रतिष्ठान के रूप में जारी न रहने का कारण बन सकती हैं।

- विगोपनों सहित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण, संरचना और विषय–वस्तु का मूल्यांकन करना और क्या वित्तीय विवरण, किसी ऐसे तरीके से, जो उचित प्रस्तुतिकरण प्राप्त करता है, से अंतर्निहित लेन–देनों और घटनाओं को प्रदर्शित कर रहा है।

हम अन्य मामलों के साथ–साथ लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा आंतरिक नियंत्रण में किसी महत्त्वपूर्ण कमी, जिसका पता हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान लगाते हैं, सहित सारवान लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में अभिशासन के प्रभार वाले व्यक्तियों के साथ पत्र व्यवहार करते हैं।

हम अभिशासन के प्रभार वाले व्यक्तियों को एक विवरण भी उपलब्ध कराते हैं, जो हमने स्वतंत्रता के संबंध में सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं के साथ संकलित किया है और उनके साथ पत्र व्यवहार करने के लिए सभी संबंध और अन्य मामले, जो हमारी स्वतंत्रता के संबंध में तर्कसंगत समझे जाते हैं और जहाँ लागू हों, संबंधित रक्षोपाय भी उपलब्ध कराते हैं।

अभिशासन के प्रभार वाले व्यक्तियों के साथ संसूचित मामलों से हम ऐसे मामले निर्धारित करते हैं जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्त्व के थे और इसलिए वे मुख्य लेखापरीक्षा के मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उन मामलों का वर्णन करते हैं। जब तक कानून या विनियम मामले के बारे में सार्वजनिक विगोपन से विवर्जित नहीं करते या जब अत्यधिक विरल परिस्थितियों में हम निर्धारित करते हैं कि कोई मामला हमारी रिपोर्ट में इसलिए संसूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों से यह आशा है कि वे इस संसूचन के सार्वजनिक हित लाभ को तर्कसंगत ढंग से समाप्त कर देंगे।

अन्य मामले

1. हमने उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसकी सहायक कंपनी – एनवीसीएफएल के वित्तीय विवरणों का लेखा–जोखा नहीं किया, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी में कुल रु. 1406.66 लाख (पिछले वर्ष 903.57 लाख) की संपत्ति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कुल रु. 413.12 लाख (पिछले वर्ष 201.60 लाख) का राजस्व दर्शाया गया है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में इनकी गणना की गई है। एनवीसीएफएल की वित्तीय विवरण/सूचनाओं की लेखापरीक्षा उन स्वतंत्र लेखापरीक्षकों जिनकी नियुक्ति, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और हमारी राय, जहाँ तक यह इन शाखाओं के संबंध में शामिल की गई राशियों और प्रकटनों का संबंध है, यह पूर्णतः उन शाखाओं के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

2. हमने निगम के एकल वित्तीय विवरणों में शामिल तकनीकी केंद्रों सहित 54 (पिछले वर्ष 54) शाखा कार्यालयों के वित्तीय विवरणों (जानकारी की लेखापरीक्षा भी नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण) वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार 3,17,259.48 लाख रुपए (31 मार्च, 2022 तक 2,98,451.15 लाख रुपए) की कुल परिसंपत्ति दर्शाते है और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व 2,72,151.38 लाख रुपए (गत वर्ष 2,59,702.55 लाख रुपए), जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में विचारित है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरण/जानकारी की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है। जहां तक यह ऐसी शाखाओं के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल राशि और प्रकटीकरण का संबंध है, हमने अपनी राय बनाने में प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरण, अन्य जानकारी और रिकॉर्ड के साथ इन लेखा परीक्षकों के निष्कर्षों पर विचार किया है।

3. एनएसआईसी की दिल्ली शाखा के शाखा लेखा परीक्षक ने उल्लेख किया है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान बैंक गारंटी के आह्वान के कारण केनरा बैंक (पूर्व में सिंडिकेट बैंक) से वसूली योग्य राशि बैंक द्वारा आज तक बकाया है। शाखा ने बैंक गारंटी के प्रति रु. 298.97 लाख की कुल बकाया राशि को अच्छा और पूरी तरह से वसूली योग्य माना है। प्रबंधन ने संकेत दिया कि वे सुनिश्चित हैं और कानूनी राय द्वारा भी समर्थित है कि राशि पूरी तरह से वसूली योग्य है और तदनुसार अच्छी और सुरक्षित मानी गई है। शाखा की लेखा नीति के अनुसार प्रावधान के अलावा कोई अन्य प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि यह मामला माननीय एनसीएलटी अदालत के अधीन विचाराधीन है।

4. निगम ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए एनएसआईसी की बहियों में 'एनवीसीएफएल के साथ विनिमय खाता शेष'' और एनवीसीएफएल की बहियों में "एनएसआईसी को देय" के आंकड़ों को 33.33 लाख की सीमा तक नहीं हटाया है। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2021–22 की अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां और अन्य वित्तीय देनदारियाँ उस सीमा तक अधिक बताई गई हैं।

इन मामलों के संबंध में हमारे अभिमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. जैसाकि कम्पनी अधिनियम (2013) की धारा 143 की उप–धारा (11) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") द्वारा अपेक्षित है, हम उक्त आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर लागू सीमा तक एक विवरण अनुबंध–"क" देते हैं।

2. (क) जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम लागू सीमा तक रिपोर्ट करते हैं कि:

   (क) हमने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं और मांगे हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

   (ख) हमारे अभिमत में, पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में कानून द्वारा

अपेक्षित उचित लेखा बहियों का अनुरक्षण किया गया है, जहाँ तक उन लेखा बहियों की हमारी जांच और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से प्रतीत होता है।

(ग) समेकित बैलेंस शीट, लाभ और हानि का समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में समेकित परिवर्तन, और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए नकदी प्रवाह का समेकित विवरण, समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने का उद्देश्य के लिए तैयार किए गए लेखा बहियों की प्रासंगिक प्रलेखों के अनुरूप हैं।

(घ) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुरूप है।

(ङ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) दिनांक 05–06–2015 के अनुसार, इस अधिनियम की धारा 164 की उपधारा–2 के प्रावधान इस निगम पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।

(च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों के प्रचालनात्मक प्रभावीपन के संबंध में **अनुबंध "ख"** के रूप में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।

(ख) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षकों) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसारः

(i) समेकित वित्तीय विवरण समूह की समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा करते हैं। संलग्न समेकित वित्तीय विवरण में नोट 35 देखें।

(ii) समूह के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए कोई वास्तविक नुकसान हुआ हो।

(iii) कोई ऐसी राशियाँ नहीं थीं, जिन्हें समूह द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाना अपेक्षित था।

(iv)

(क) समूह प्रबंधन ने प्रतिवेदित किया है, कि अपने सर्वोत्तम संज्ञान और विश्वास के अनुसार, समूह द्वारा या किसी अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में, विदेशी संस्थाओं सहित ('मध्यवर्ती संस्थाएँ'), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में प्रलेखित किया गया हो या अन्यथा किसी भी फंड को अग्रिम तौर पर दिया या ऋण या निवेश (या तो उधार ली गई धनराशि से, या शेयर प्रीमियम, या किसी अन्य स्रोत, या किसी प्रकार की निधि से) नहीं किया गया है, कि मध्यवर्ती संस्था; प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समूह द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों अथवा संस्थाओं में ('अंतिम लाभार्थियो') उधार देगा या निवेश करेगा; अथवा 'अंतिम लाभार्थियों' को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई प्रतिभूति प्रदान करेगा;

(ख) प्रबंधन ने प्रतिवेदित किया है, कि अपने सर्वोत्तम संज्ञान और विश्वास के अनुसार, समूह द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से कोई धन प्राप्त नहीं किया गया है, जिसमें विदेशी संस्थाएं ('वित्त पोषक पार्टियां') शामिल हैं, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में प्रलेखित किया गया हो या अन्यथा, कि समूह; 'प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वित्त पोषक पार्टियों द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों अथवा संस्थाओं में ('अंतिम लाभार्थियो') उधार देगा या निवेश करेगा; अथवा अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई प्रतिभूति प्रदान करेगा।

(ग) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें उन परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप–खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदित, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण गलत विवरण प्रदान किया गया है।

(v) समूह ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के अनुपालन में वर्ष के दौरान लाभांश घोषित या भुगतान किया है।

(vi) कंपनी (लेखा) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 3(1) का परंतुक, जो लेखा बहियों में निगम द्वारा प्रयुक्त लेखापरीक्षा ट्रेल, संपादन लॉग और उपयोग किए गए लेखांकन सॉफ्टवेयर में संबंधित मामलों की सुविधा प्रदान करता है, केवल 1 अप्रैल, 2023 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष से निगम पर लागू होता है, कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 11 के खंड (छ) के तहत रिपोर्टिंग वर्तमान में लागू नहीं है।

गोयल पारूल एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 016750एन

ह./–
(पारूल गोयल)
साझेदार
सदस्यता सं. : 099172
यूडीआईएनः 23099172बीजीवीजेड़एयू5557

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 28 अगस्त, 2023

समेकित भारतीय-लेखांकन मानक इंड-एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध 'क'

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर सम–तिथि की स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट में हमारे 'अन्य कानूनी नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत अनुच्छेद 1 में संदर्भित अनुबंध के संबंध में, हम रिपोर्ट करते हैं कि:–

अधिनियम की धारा 143(11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') के पैराग्राफ 3(xxi) और 4 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, तथा कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल सहायक कंपनी के लेखा परीक्षक द्वारा जारी सीएआरओ रिपोर्ट के आधार पर, जो लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल है, जिस पर सीएआरओ के तहत रिपोर्टिंग लागू है, और जो कि कंपनी के प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान किया गया है, और संबंधित घटक के लेखा परीक्षकों द्वारा उनकी सीएआरओ रिपोर्ट में योग्यता या प्रतिकूल टिप्पणियों के मामलों की पहचान के आधार पर और हमें प्रदान किया गया है, हम रिपोर्ट करते हैं कि ऐसी कंपनियों के लेखापरीक्षकों ने अपनी सीएआरओ रिपोर्ट में किसी योग्यता या प्रतिकूल टिप्पणी की सूचना नहीं दी है।

गोयल पारूल एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 016750एन

ह./–
(पारूल गोयल)
साझेदार
सदस्यता सं. : 099172
यूडीआईएनः 23099172बीजीवीजेड़एयू5557

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 28 अगस्त, 2023

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के समेकित भारतीय लेखाकंन मानक वित्तीय विवरणों पर सम तिथि की स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध 'ख'

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट।

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संयोजन के साथ, हमने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (जिसे इसके बाद 'मूल कंपनी' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) और इसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा–जोखा किया है:

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में प्रबंधक–वर्ग की जिम्मेदारी

मूल कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के संबंधित निदेशक मंडल, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों के अनुसार आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। इस जिम्मेदारी में ऐसा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार करना, लागू करना और बनाए रखना भी शामिल है जो इसके कारोबार का विधिवत और प्रभावी रूप से संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहा हो। इसमें कंपनी की नीतियों, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, कपट और त्रुटि का निवारण तथा पता लगाना, लेखाकरण अभिलेखों की यथार्थता और पूर्णता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार करना भी शामिल है।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित वित्तीय निगम के आंतारिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक टिप्पणी ("मार्गदर्शक टिप्पणी") तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा, दोनों पर प्रयोज्य सीमा तक लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित माने जाने वाले भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार की है। इन मानकों और मार्गदर्शक टिप्पणी द्वारा यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखापरीक्षा का नियोजन इस प्रकार करें, जिनसे यह उपयुक्त आश्वासन प्राप्त हो कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण स्थापित किए गए हैं और उनका संचालन किया गया एवं क्या ऐसे नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उसकी प्रचालन प्रभावोत्पादकता के बारे में लेखापरीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं अपनाना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करने, जोखिम, जिनसे महत्त्वपूर्ण हानि होती है, का निर्धारण तथा निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय प्रणाली की प्रचालन प्रभावोत्पादकता की जांच तथा मूल्यांकन एवं निरूपण शामिल है। चयन की प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षणों के निर्णयों पर आधारित होती हैं, जिनमें वित्तीय विवरणों की महत्त्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी हो या त्रुटि हो, के जोखिमों का निर्धारण भी शामिल करना है।

हम विश्वास करते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त किया है, वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की हमारी लेखापरीक्षा की अर्हक राय का आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और समुचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों से तात्पर्य

वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित

आश्वासन देने और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए बनाई गई है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो (1) अभिलेखों को उचित विवरणों, यथार्थता से बनाए रखने से संबंधित हों और जिनमें कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन–देन या निपटान को सही तरीके से दर्शाया गया हो, (2) इस संबंध में उचित आश्वासन दे कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आवश्यक लेन–देनों को दर्ज किया गया है और कंपनी की प्राप्तियों और व्यय को कंपनी के प्रबंधक वर्ग और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही किया जाता है, और (3) अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या कंपनी की परिसंपत्तियों के निपटान का निवारण करने या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन देता है, जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएँ

प्रबंधन की मिलीभगत की संभावना या अनुचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रण अधिभावी करने सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाओं से त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्त्वपूर्ण मिथ्या कथन किया जा सकता हो और जिसका पता नहीं लग पाया हो, शामिल है। इसके अलावा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर किसी मूल्यांकन को भविष्य में दर्शाना, जिससे जोखिम हो सकता है और जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में बदली हुई स्थितियों में अपर्याप्त हो सकता है या जिनसे नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा में गिरावट आ सकती हो।

अर्हक रायः

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों तथा हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, 31 मार्च 2023 को यथास्थिति निम्नलिखित प्रमुख कमियों का पता चलता हैः

1. उधारकर्ता के वित्तीय विवरणों/खातों की समीक्षा, कुछ मामलों में शेष राशि की आवधिक पुष्टि और इकाइयों को स्वीकृत सीमा के नवीनीकरण की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से लागू/निगरानी नहीं की गई थी। प्रबंधन ने बताया कि इसके प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में इसकी समीक्षा और संशोधन किया जाएगा।

2. जोखिम प्रबंधन नीति, रणनीति, उसके दस्तावेजीकरण आदि के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को और मजबूत करने की आवश्यकता है। प्रबंधन ने बताया कि इसकी समय–समय पर समीक्षा की जाती है और इसे निरंतर आधार पर लागू किया जाता है।

3. वित्तीय विवरणों की तैयारी और रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को और मजबूत करने की आवश्यकता है और किसी भी मैन्युअल हस्तक्षेप से बचने के लिए, एक एकीकृत लेखांकन पैकेज को लागू किए जाने की आवश्यकता है।

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, नियंत्रण मापदंड के उद्देश्यों की प्राप्ति पर ऊपर दी गई महत्त्वपूर्ण कमियों के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने सभी प्रकार से महत्त्वपूर्ण वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखा है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण "भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर मार्गदर्शक टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक संघटकों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण" के आधार पर 31 मार्च, 2022 को यथास्थिति प्रभावी ढंग से प्रचालनरत थे।

अन्य मामले

1. वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रभावशीलता पर हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत अब तक की 54 शाखाओं/कार्यालयों की वित्तीय विवरणों/सूचनाओं से संबंधित है जिन्हें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त स्वतंत्र लेखा परीक्षकों ने इस तरह की शाखाओं/कार्यालयों के लेखा परीक्षकों के लेखा परीक्षण रिपोर्ट पर आधारित है। तकनीकी केंद्रों और एनवीसीएफएल सहित

की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जो ऐसी शाखाओं/कार्यालयों/कंपनियों के लेखापरीक्षकों की संबंधित रिपोर्ट पर आधारित है।

2. एनटीएससी–ओखला के शाखा लेखापरीक्षक ने शाखा के आंतरिक नियंत्रण में कुछ कमियों की सूचना दी है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ जेम पोर्टल के माध्यम से निविदा प्रक्रिया में कमी, परफॉर्मा चालान की तुलना में वास्तविक चालान में सामग्री के विनिर्देश में विसंगतियां, अतिदेय के मामले में अनुवर्ती प्रणाली में कमजोरी, खरीदी गई सामग्री के निरीक्षण की प्रक्रिया में कमी आदि शामिल है। इन मामलों के संबंध में हमारी राय सीमित नहीं है।

गोयल पारूल एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 016750एन

ह./–
(पारूल गोयल)
साझेदार
सदस्यता सं. : 099172
यूडीआईएनः 23099172बीजीवीजेड़एयू5557

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 28 अगस्त, 2023

टिप्पणियाँ, जो 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं

टिप्पणी – 1 : समूह सूचना एवं लेखांकन का आधार

1. कॉरपोरेट सूचना

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (जिसे 'एनएसआईसी' या 'मूल निगम' कहा गया है), वर्ष 1955 में अधिनियमित किया गया था। रा.ल.उ.नि. कंपनी अधिनियम के अंतर्गत विनियमित भारत में स्थित और अधिनिगमित (सीआईएन संख्या यू74140डीएल1955जीओआई002481) है और दिनांक 29.12.2005 के प्रमाण–पत्र सं. एन14.03090 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत सुव्यवस्थित महत्वपूर्ण गैर–जमा स्वीकार करने वाले गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है। ग्लोबल लीगल एनटीटी आइडेंटिफायर फाउण्डेशन (जीएलईआईएफ) के पास पंजीकृत विधिक सत्ता अभिनिर्धारक (लीगल एनटीटी आइडेंटिफायर) कोड 335800935क्यूडी3एलजेजीओएलजेड39 है। यह निगम सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का एक "मिनिरत्न श्रेणी–1" आईएसओ 9001–2015 प्रमाणित उद्यम है।

एनएसआईसी अपने विभिन्न कार्यालयों/तकनीकी केंद्रों के माध्यम से देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने, सहायता देने और प्रगति को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य कर रहा है। एनएसआईसी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की प्रतियोगितात्मकता में वृद्धि करने के लिए विशेष रूप से तैयार की गई योजना के एक सेट के साथ उन्हें सुविधा प्रदान करता है। एनएसआईसी, विपणन, प्रौद्योगिकी, वित्तपोषण और अन्य सहायता सेवाओं के अंतर्गत एकीकृत सहायता सेवाएं उपलब्ध कराता है।

एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (जिसे 'एनवीसीएफएल' या 'सहायक कंपनी' कहा जाता है), भारत में अवस्थित एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है, और जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत 28 अगस्त 2020 को निगमित किया गया था। कंपनी राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड ('एनएसआईसी' या 'एनएसआईसी'), भारत सरकार के एक उद्यम की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, और पंजीकरण संख्या IN/AIF2/21-22/0924 दिनांक 01/09/2021 के माध्यम से सेबी (वैकल्पिक निवेश कोष) विनियम, 2012 के अधीन श्रेणी–II वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में पंजीकृत है। इस योजना में भारत सरकार, एनएसआईसी और कंपनी इसके योगदानकर्ता हैं, और इसे एक अलग 'एसोसिएशन ऑफ पर्सन' (व्यक्तियों का संघ) के रूप में माना गया है। इस योजना का उद्देश्य इक्विटी, अर्ध–इक्विटी और ऋण के माध्यम से एमएसएमई को विकास पूंजी के रूप में सहायता के प्रावधान के लिए संतति/अनुषंगी निधियों को वित्त पोषण सहायता प्रदान करना है।

हालांकि, एनवीसीएफएल को भारतीय रिजर्व बैंक के समय–समय पर अद्यतन किए गए मास्टर निदेश के तहत आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों में निर्दिष्ट छूट के अंतर्गत गैर–बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) के रूप में आरबीआई के साथ पंजीकरण से छूट दी गई है, एनवीसीएफएल ने 31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए अपने वित्तीय विवरण तैयार करते समय कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–III के भाग–III का अनुपालन किया है। भाग–III एनबीएफसी पर लागू होता है जैसा कि कंपनी (भारतीय लेखा मानक नियम), 2015 में यथा परिभाषित किया गया है, जिसमें वेंचर कैपिटल फंड कंपनियां शामिल हैं और एनवीसीएफएल को एआईएफ की स्थापना के विशिष्ट उद्देश्य के साथ एक वेंचर कैपिटल फंड कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था, और यह 31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि के दौरान सेबी से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में था। दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी को विधिवत पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त हो गया है, और यह एक स्वीकृत/मान्य एआईएफ है।

एनएसआईसी और एनवीसीएफएल दोनों का पंजीकृत कार्यालय एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रीयल एस्टेट, फेस–III, नई दिल्ली–110020 में स्थित है।

इन समेकित वित्तीय विवरणों में एनएसआईसी और इसकी सहायक – एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (जो सामूहिक रूप से 'समूह' के रूप में संदर्भित किया गया है) के वित्तीय विवरण शामिल हैं।

2. लेखांकन का आधार

i. अनुपालन कथन

निगम के समेकित वित्तीय विवरण इण्डएएस के

अनुसार होंगे, जिन्हें कंपनी (लेखा) नियम 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधान के कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक), नियम 2015 (यथासंशोधित) और अन्य लागू विनियामक मापदंड/दिशानिर्देशों के अधीन अधिसूचित किया गया है।

निगम के समेकित वित्तीय विवरण उपार्जित लेखा प्रणाली (बशर्ते कि अन्यथा उल्लेख न हो), भारतीय लेखाकरण मानक (जिसका उल्लेख "इण्डएएस के रूप में किया गया है) का ऐतिहासिक लागत की परंपरा का पालन करने के अधीन चलन के आधार पर तैयार किया गया है। यह निगम कंपनी (लेखा) नियमावली 2014 और अन्य लागू विनियामक मानदंडों/दिशानिर्देशों के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियमावली 2015 के अधीन अधिसूचित है।

ii. तैयार करने और प्रस्तुत करने का आधार

भारतीय लेखांकन मानक समेकित वित्तीय विवरण एक चल रहे प्रतिष्ठान के रूप में उपार्जित आधार पर और ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत तैयार किए गए हैं, सिवाय कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों के (अन्य व्यापक आय आदि के जरिए उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत इक्विटी विलेख) और वित्तीय देयताओं (प्रतिभूति जमा राशियों आदि) के, जिन्हें सुसंगत भारतीय लेखांकन मानकों के अंतर्गत यथापेक्षित रिपोर्ट की प्रत्येक तारीख के अंत में उचित मूल्य पर मापा जाता है। इन नीतियों को वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों/समय के लिए लगातार लागू किया गया है। ये नीतियां वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों में सतत रूप से लागू की गई हैं।

iii. समेकन के सिद्धांत

इन समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी में, भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 110, समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार, सहायक कंपनियों में निवेश का लेखा–जोखा लगाया गया है। समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित आधार पर तैयार किए गए हैं:

अप्राप्त लाभ या हानि के साथ सभी महत्वपूर्ण अंतर–समूह बकाया/लेन–देन को पूर्ण करने के बाद, संपत्ति, देनदारियों, आय और व्यय की समान वस्तुओं के बही मूल्यों को एक साथ जोड़कर, पंक्ति–दर–पंक्ति आधार पर सहायक कंपनियों को समेकित किया गया हैए सिवाय उन मामलों के जहाँ लागत की वसूली नहीं की जा सकती।

जहाँ तक संभव हो, समेकित वित्तीय विवरण समान लेखा नीतियों का उपयोग करके तैयार किए गए हैं, जैसे लेनदेन और समान परिस्थितियों में अन्य घटनाएँ हुई हों तथा जहाँ तक संभव हो, मूल कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों की तरह ही प्रस्तुत की जाती हैं। लेखांकन नीतियों में अंतर को अलग से दर्शाया गया है (यदि कोई हो)।

iv. अनुमानों, कल्पनाओं और प्रबंधन निर्णयों का उपयोग

समूह की लेखांकन नीतियों के अनुरूप समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधन से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे अनुमान लगाएगा और कल्पना करेगा, जो समेकित वित्तीय विवरणों की तारीख को यथास्थिति आकस्मिक देयताओं के विगोपन और परिसंपत्तियों तथा देयताओं की रिपोर्ट की गई धनराशियों, रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान राजस्व और खर्चों की धनराशि तथा समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों को प्रभावित करेगा। हालांकि ये अनुमान प्रबंधन की वर्तमान कार्यक्रमों और कार्यवाहियों की सर्वोत्तम जानकारी पर आधारित हैं, परंतु वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों में किए गए किसी संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें ये परिणाम स्पष्ट हो जाएं।

v. महत्त्वपूर्ण लेखांकन अनुमान और प्रबंधन निर्णय

लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग में, समूह के प्रबंधन से यह अपेक्षा की जाती है कि वह परिसंपत्तियों और देयताओं की लागत धनराशियों के बारे में निर्णय करे, अनुमान लगाए और कल्पना करे, जो अन्य स्रोतों से आसानी से स्पष्ट न हो सके। ये अनुमान और कल्पनाएं ऐतिहासिक अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित हैं, जिन्हें सुसंगत माना जाता है।

लेखांकन नीतियां, जिनका समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता दी गई धनराशियों पर सबसे अधिक

महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, लागू करने में उपयोग किए गए अनुमान, अनिश्चितता और महत्त्वपूर्ण निर्णयों के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में सूचना नीचे दी गई है:

क. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीई)

पीपीईज और अमूर्त परिसंपत्तियों के अवशिष्ट मूल्य और अनुमानित उपयोगी जीवनकाल का मूल्यांकन, परिसंपत्तियों के स्वरूप, परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोग, परिसंपत्ति की परिचालनात्मक स्थिति, प्रतिस्थापन के पिछले इतिवृत्त और अनुरक्षण सहायता को ध्यान में रखते हुए, रिपोर्ट की गई प्रत्येक तारीख को किया जाता है। समीक्षा करने पर प्रबंधन, मूल्यह्रास/ मौद्रिकीकरण के परिकलन के लिए दिया गया उपयोगी जीवनकाल और अवशिष्ट मूल्य स्वीकार करता है।

ख. बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्ति

भारतीय लेखाकंन मानक 105 ''बिक्री के लिए रखी गई गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों और बंद कर दिए गए प्रचालन'' के अंतर्गत बिक्री के लिए रखी गई गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों का लेखाकंन लागू करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। अनुप्रयोज्यता का आकलन करने में प्रबंधन ने, तत्काल बिक्री के लिए परिसंपत्ति की उपलब्धता, बिक्री के लिए प्रबंधन की प्रतिबद्धता और एक वर्ष के अंदर बिक्री की संभावना का मूल्याकंन करने के लिए निर्णय लिया है ताकि इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि क्या निरंतर उपयोग के जरिए के बजाए बिक्री लेनदेन के जरिए उनका रखाव मूल्य सिद्धांततः वसूल किया जाएगा।

ग. आय कर

भुगतान की जाने वाली प्रत्याशित धनराशि/अनिश्चित कर स्थितियों के लिए वसूल की गई धनराशि सहित आय कर के लिए प्रावधान निर्धारित करने में अनुमान शामिल होते हैं। स्थगित कर परिसंपत्ति का मूल्यांकन करने के लिए प्रत्याशित भावी लाभप्रदता के संबंध में निर्णय लिए जाते हैं।

घ. वित्तीय साधनों की हानि

वित्तीय साधनों की हानि का मूल्यांकन, प्रत्याशित हानि और चूक के जोखिम के बारे में लगाए गए अनुमानों के आधार पर किया जाता है। हानिकरण के परिकलन के लिए इनपुट का चयन, अनुमान, पिछले इतिवृत्त, बाज़ार स्थितियों और रिपोर्ट की जाने वाली प्रत्येक तारीख के अंत में भावी अनुमानों पर विचार करते हुए प्रबंधन के निर्णय पर आधारित है।

ङ. गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों का हानिकरण (पीपीई)

गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों के हानिकरण का मूल्यांकन उन परिसंपत्तियों की वसूलीयोग्य धनराशि के अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। वसूलीयोग्य धनराशि का परिकलन करने में उपयोग किए गए अनुमान प्रबंधन के निर्णय पर आधारित होते हैं।

च. सुनिश्चित लाभ योजनाएं और अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

सुनिश्चित लाभ योजनाओं और अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभों की लागत और इस दायित्व का वर्तमान मूल्य स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकक द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस बीमांकिक मूल्यांकन में ऐसे विभिन्न अनुमान लगाने शामिल हैं, जो भविष्य में वास्तविक प्रगतियों से भिन्न हो सकते हैं। प्रबंधन का विश्वास है कि बट्टा दर, भावी वेतन वृद्धियां, मर्त्यता दरों और संघर्षण दरों के निर्धारण में बीमांकिक द्वारा लगाए गए अनुमान तर्कसंगत होते हैं। मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं और इसके दीर्घावधिक स्वरूप के कारण इन अनुमानों

में कोई परिवर्तन करने के लिए यह दायित्व अत्यधिक संवेदनशील है। सभी अनुमानों की समीक्षा रिपोर्टिंग की प्रत्येक तारीख को की जाती है।

छ. वित्तीय विलेखों का उचित मूल्य मापन

जब वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत मूल्यों के आधार पर नहीं मापे जा सकते तो ऐसी स्थिति में प्रबंधन इसके उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए अन्य मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करता है। ये तकनीकें लागू करने के लिए इनपुट, जहाँ कहीं संभव हो, अवलोकनयोग्य बाज़ारों से प्राप्त किए जाते हैं, परंतु जहां ऐसा करना व्यवहार्य नहीं है, उचित मूल्य स्थापित करने में निर्णय का उपयोग किया जाता है। इन निर्णयों में परिशोधन जोखिम, क्रेडिट जोखिम और सचलता जैसे इनपुटों पर विचार शामिल हैं।

ज. प्रावधान और आकस्मिकताएं

अन्य प्रावधानों की मान्यता और मापन, संसाधनों के बर्हिवय की संभाव्यता के मूल्यांकन और रिपोर्टिंग की तारीख को ज्ञात परिस्थितियों तथा पिछले अनुभव पर आधारित होते हैं। इसलिए, भविष्य की किसी तारीख को संसाधनों का वास्तविक बर्हिवय, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमानित आंकड़ों से भिन्न हो सकता है।

झ. निधि द्वारा व्यय की प्रतिपूर्ति (एसआरआई फंड एनवीसीएफएल):

एसआरआई निधि की ओर से कंपनी द्वारा खर्च की गई किसी भी राशि की प्रतिपूर्ति इस निधि द्वारा, निधि दस्तावेजों के रूप में की जाती है और लेखाबहियों में समायोजित की जाती है।

vi. कार्यात्मक और प्रस्तुतिकरण मुद्रा

ये भारतीय लेखांकन मानक समेकित वित्तीय विवरण भारतीय रुपयों, जो भारत की मुद्रा है और निगम की कार्यात्मक मुद्रा है, में तैयार किए जाते हैं। रुपयों में प्रस्तुत की गई सभी वित्तीय सूचना को दो दशमलव के साथ निकटतम लाख रुपयों में पूर्णांकित कर दिया गया है, जब तक अन्यथा न दर्शाया गया हो।

टिप्पणी – 2: महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने में लागू की गई महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का एक सारांश, जो नीचे दिया गया है, समेकित वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत की गई सभी अवधियों के लिए निरंतर लागू किया गया है।

I. संपत्ति, संयत्र और उपस्कर (पीपीई) – मूर्त पीपीईज़

क) आरंभिक मान्यता और मापन

i. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वस्तुओं को प्रारंभ में लागत पर मान्यता दी जाती है। लागत में व्यय और अन्य संबंधित व्यय शामिल होते हैं जो पीपीई को उसके इच्छित उपयोग के लिए आवश्यक स्थान पर लाने और कार्य करने की स्थिति में लाने के लिए सीधे जिम्मेदार होते हैं। ऋण लागत (उधार ली गई धनराशि के अस्थायी निवेश पर आय में कटौती के बाद, यदि कोई हो) सीधे संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की निर्दिष्ट मद को आरोप्य होती है, या ऐसी वस्तुओं को पूंजीकृत की जाती है।

ii. उत्तरवर्ती का मापन

क. **पट्टाधारित परिसंपत्तियों और 31 मार्च, 2001 तक अधिगृहीत पट्टाधारित परिसंपत्तियों में से जब्त की गई पट्टाधारित परिसंपत्तियों** का उल्लेख ऐतिहासिक लागत पर मूल्यह्रास के पश्चात निवल संचित शेष, पट्टा समाप्ति समायोजन और संचित हानिकरण हानियां, यदि कोई हैं, के आधार पर किया जाता है।

ख. **पट्टाधारित परिसंपत्तियों और पट्टाधारित परिसंपत्तियों में से जब्त कर ली गई पट्टाधारित परिसंपत्तियों** के अलावा, संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मदों का उल्लेख उनके अधिग्रहण की मूल लागत के आधार पर किया जाता है, जिसमें कर, ड्यूटियाँ, मालभाड़ा और संचित मूल्यह्रास तथा संचित हानिकरण हानियां, यदि कोई हैं, घटाकर संबंधित परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और संस्थापन से संबंधित अन्य प्रासंगिक खर्चे शामिल हैं।

iii जब पीपीई की किसी मद के भागों का उपयोगी जीवनकाल भिन्न होता है तो उन्हें ऐसे संघटकों का पता लगाकर अलग से मान्यता दी जाती है।

iv उपयोग के लिए/उपयोग में लाने के लिए उपलब्ध परिसंपत्तियों के मामले में, जहां अंतिम लेखा विवरण/ठेकेदारों/कार्यान्वयन एजेंसी के साथ बिलों का निपटान अभी किया जाना है, ऐसी स्थिति में पूंजीकरण आवश्यक समायोजनों, जिनमें अंतिम निपटान के वर्ष में मध्यस्थता/न्यायालय के मामलों के निपटान से उत्पन्न समायोजन शामिल हैं, की शर्त के अधीन अनुमानित आधार पर किया जाता है।

ख) <u>उत्तरवर्ती का मापन</u>

उत्तरवर्ती खर्च को संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की लागत धनराशि में वृद्धि के रूप में मान्यता दी जाती है, जब यह संभावना हो कि लगाई गई लागत से प्राप्त होने वाले भावी आर्थिक लाभ उद्यम में प्राप्त होंगे और संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की लागत विश्वसनीय ढंग से मापी जा सकती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की किसी मद के प्रतिस्थापन भाग की लागत को उस मद की लागत धनराशि में मान्यता दी जाती है, यदि यह संभावना हो कि उस भाग के अंदर शामिल भावी आर्थिक लाभ निगम को प्राप्त होंगे और इसकी लागत विश्वसनीय ढंग से मापी जा सकती है। प्रतिस्थापित भाग की वहन धनराशि का विमान्यताकरण कर दिया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की दिन–प्रति दिन की सर्विसिंग की लागतों को, लाभ एवं हानि का समेकित विवरण में मान्यता दी जाती है।

ग) <u>विमान्यताकरण</u>

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर को विमान्यताकृत कर दिया जाता है, जब उनके उपयोग से या उनके निपटान पर किसी भावी आर्थिक लाभ की आशा न हो। संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की किसी मद के निपटान पर हुए लाभ और हानियां संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की लागत धनराशि के साथ निपटान से प्राप्त धनराशि की तुलना करके निर्धारित किए जाते हैं और इन्हें लाभ एवं हानि का समेकित विवरण में मान्यता दी जाती है।

II. चल रहा पूंजीगत कार्य

क) चल रहे पूंजीगत कार्य में उन पीपीई की लागत शामिल है, जो तुलन–पत्र की तारीख को उनके आशयित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं।

ख) निर्माणाधीन परिसंपत्तियां लागत के आधार पर ली जाती हैं, जिनमें इसके आशयित उपयोग के लिए परिसंपत्तियों को स्थान पर तथा आवश्यक कार्यचालन स्थिति में लाने के कारण प्रत्यक्ष लागत (सामग्री की लागत, श्रम और अन्य प्रासंगिक व्यय) तथा संबंधित अप्रत्यक्ष व्यय (ऊपरी व्यय सहित) शामिल हैं।

ग) निर्माण अवधि से संबंधित आय जैसे ब्याज संबंधी आय, वसूल की गई परिसमापन हानियां आदि को निर्माण अवधि के दौरान हुए खर्च के प्रति समायोजित किया जाता है।

घ) निक्षेप कार्य/लागत जमा संविदा को ठेकेदारों से प्राप्त लेखा विवरणों के आधार पर लेखे में लिया जाता है। जब तक परिसंपत्तियों को पीपीई के रूप में मान्यता दी जाती है।

ङ) पीपीई के अर्जन/निर्माण के लिए प्रदत्त उन अग्रिमों को 'पूंजी अग्रिमों' के अधीन वर्गीकृत किया गया है, जो तुलन–पत्र की तारीख को बकाया है।

III. अमूर्त परिसंपत्तियां

क) आरंभिक मान्यता और मापन

ऐसी अमूर्त परिसंपत्तियां, जो समूह द्वारा अर्जित की गई हैं, जिनका निश्चित उपयोगी जीवनकाल हो, को लागत के आधार पर मान्यता दी जाती है। उत्तरवर्ती मापन से संचित मौद्रिकीकरण और संचित हानिकरण हानियां, यदि कोई हैं, घटाकर निकाली गई लागत पर मापन किया जाता है। उक्त लागत में ऐसा व्यय शामिल है जो प्रत्यक्षतः परिसंपत्ति को स्थान तक लाने और इसके आशयित उपयोग के लिए आवश्यक कार्य स्थिति में लाने के कारण हुआ है।

ख) उत्तरवर्ती लागतें

उत्तरवर्ती खर्च को परिसंपत्ति की लागत धनराशि में वृद्धि के रूप में मान्यता दी जाती है, जब यह संभावना हो कि लगाई गई लागत से प्राप्त होने वाले भावी आर्थिक लाभ उद्यम में प्राप्त होंगे और परिसंपत्ति की लागत विश्वसनीय ढंग से मापी जा सकती है।

ग) विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

भारतीय लेखाकंन मानक–38 के अनुसार, समूह द्वारा किया गया कोई खर्च, विशेष रूप से किसी अमूर्त परिसंपत्ति के विकास के प्रति श्रेय देने योग्य खर्च और मान्यता एवं मापन मानदंड पूरा करने की संभावना वाला खर्च, विकास पूरा हो जाने पर, ''विकास के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियां'' के रूप में पूजीकृत किए जाते हैं, जब तक वे उनके आशयित उपयोग के लिए तैयार हैं।

जो कार्य वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक शुरू हो चुका है, लेकिन पूरा नहीं हुआ है, उसे ''पीपीई के तहत विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्ति'' के रूप में दर्शाया गया है, जबकि जो कार्य वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक भी शुरू नहीं किया गया है, लेकिन संविदात्मक समझौते के संदर्भ में कुछ अग्रिम भुगतान किया गया है, तो ऐसे अग्रिम को ''गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों के तहत विक्रेता को अग्रिम'' के रूप में दर्शाया गया है।

घ) विमान्यताकरण

अमूर्त परिसंपत्ति को विमान्यताकृत कर दिया जाता है, जब उनके उपयोग से या उनके निपटान पर किसी भावी आर्थिक लाभ की आशा न हो। अमूर्त परिसंपत्ति की किसी मद के निपटान पर हुए लाभ और हानियां अमूर्त परिसंपत्ति की लागत धनराशि के साथ निपटान से प्राप्त धनराशि की तुलना करके निर्धारित किए जाते हैं और इन्हें लाभ एवं हानि का समेकित विवरण में मान्यता दी जाती है।

IV. संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का हानिकरण

संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियों को हानिकृत के रूप में माना जाता है, जब परिसंपत्तियों की रखाव लागत इसकी वसूलीयोग्य धनराशि से अधिक हो। हानिकृत हानि को उस वर्ष में लाभ एवं हानि का समेकित विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है जिस वर्ष में परिसंपत्ति की पहचान हानिकृत के रूप में की गई हो और संपत्ति की लागत धनराशि इसकी वसूलीयोग्य धनराशि से घटा दी गई हो, जब तक संबंधित परिसंपत्ति पुनर्मूल्यकृत धनराशि पर लाई गई हो, जब हानिकृत हानि को पुनर्मूल्यांकन कमी के रूप में माना गया हो। यदि ऐसा कोई संकेत मिलता है कि पहले मूल्यांकन किया गया हानिकरण हानि अब मौजूद नहीं है तो ऐसी स्थिति में वसूलीयोग्य धनराशि का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और परिसंपत्ति को वसूलीयोग्य धनराशि के रूप में दर्शाया जाता है।

V. बिक्री के लिए रखी गई परिसंत्तियां

गैर वर्तमान परिसंत्तियां, बिक्री के लिए रखी गई परिसंत्तियों के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं, यदि उनकी वहन धनराशि, एक बिक्री लेनेदेन के जरिए (निरंतर उपयोग के जरिए के बजाए) सिद्धांततः वसूल किए जाने के लिए आशयित हो, जब यह परिसंपत्ति, अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो, केवल उन शर्तों के अधीन जो ऐसी परिसंपत्ति की बिक्री के लिए प्रायिक और प्रथागत हैं और यह बिक्री अत्यधिक संभावना वाली है और वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के अंदर एक पूरी कर ली गई बिक्री के रूप में मान्यता हेतु अर्हक बनने की आशा वाली है।

बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां, बिक्री लागतें घटाकर उचित मूल्य तथा उनकी

रखाव धनराशि से निम्नतर मूल्य पर मापी जाती हैं, उन परिसंत्तियों को छोड़कर जैसे आस्थगित कर कर्मचारी लाभ से उत्पन्न परिसंपत्तियां, आर्थिक परिसंपत्तियां और बीमा संविदाओं के अंतर्गत संविदात्मक अधिकार, जो विशेष रूप से इस शर्त से छूट प्राप्त हैं। बिक्री लागतें घटाकर निकाले गए उचित मूल्य के निर्धारण में, प्रबंधन के आकलनों और अनुमानों का उपयोग शामिल है।

गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास या परिशोधन नहीं किया जाता, जब वे बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं। बिक्री के लिए रखी गई गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां, तुलन–पत्र में अन्य परिसंपत्तियों से अलग प्रस्तुत की जाती हैं।

VI. मूर्त परिसंपत्तियों और परिशोधन तथा अमूर्त पीपीईज़ पर मूल्यह्रास

क) पट्टाधारित परिसंपत्तियां और 31 मार्च, 2001 तक अधिगृहीत पट्टाधारित परिसंपत्तियों में से जब्त कर ली गई परिसंपत्तियां :

मूल्यह्रास, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग 'ग' में विनिर्धारित उपयोगी जीवनकाल के अनुसार अपलेखित मूल्य पद्धति पर, परिसंपत्तियों के उपयोग में लाने के दिन से अनुपाततः आधार पर किया जाता है।

ख) पट्टाधारित परिसंपत्तियां और पट्टाधारित परिसंपत्तियों में से जब्त कर ली गई पट्टाधारित परिसंपत्तियों के अलावा संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर की मदें

i) पीपीई पर मूल्यह्रास, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग 'ग' में विनिर्दिष्ट उपयोगी जीवनकाल के अनुसार सीधी रेखा पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है, सिवाय मोबाइल फोन यंत्र के।

क्र. सं.	परिसंपत्तियों के स्वरूप	उपयोगी जीवनकाल	दर (एसएलएम)	अवशिष्ट मूल्य
i.	आरसीसी फ्रेम ढांचा बनाना	60 वर्ष	1.58%	मूल लागत का 5%
ii.	आरसीसी फ्रेम ढांचे के अलावा अन्य बनाना	30 वर्ष	3.17%	मूल लागत का 5%
iii.	अस्थायी ढांचा बनाना	3 वर्ष	31.67%	मूल लागत का 5%
iv.	सड़कें – कारपेटेड – आरसीसी	10 वर्ष	9.50%	मूल लागत का 5%
v	सड़कें – कारपेटेड – आरसीसी के अलावा	5 वर्ष	19.00%	मूल लागत का 5%
vi.	सड़कें – गैर–कारपेरेटेड	3 वर्ष	31.67%	मूल लागत का 5%
vii.	संयंत्र और मशीनरी	15 वर्ष	6.33%	मूल लागत का 5%
viii.	फर्नीचर और फिटिंग	10 वर्ष	9.50%	मूल लागत का 5%
ix.	वाहन दुपहिया	10 वर्ष	9.50%	मूल लागत का 5%
x.	वाहन चारपहिया	8 वर्ष	11.88%	मूल लागत का 5%
xi.	कार्यालय उपस्कर	5 वर्ष	19.00%	मूल लागत का 5%
xii.	कंप्यूटर और प्रोसेसिंग इकाइयां	3 वर्ष	31.67%	मूल लागत का 5%
xiii.	सर्वर और नेटवर्क	6 वर्ष	15.83%	मूल लागत का 5%
xiv.	विद्युत वितरण संयंत्र	35 वर्ष	2.71%	मूल लागत का 5%
xv.	विद्युतीय संस्थापनाएं और उपस्कर	10 वर्ष	9.50%	मूल लागत का 5%
xvi.	ग्रिड कनेक्टेड रूफऑप सोलर फोटो वोल्टेज (पीवी) प्रणाली	25 वर्ष	3.80%	मूल लागत का 5%
xvii.	अमूर्त परिसंपत्तियां – सॉफ्टवेयर	5 वर्ष	20.00%	₹ 1/-
xviii.	मोबाइल फोन उपकरण	3 वर्ष	33.33%	₹ 1/-
xviii.	वेबसाइट	3 वर्ष	33.33%	₹ 1/-

ii) वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर (पीपीई) से घटावों/अभिवृद्धियों पर मूल्यह्रास, उस तारीख, जिसको परिसंपत्ति उपयोग/निपटान के लिए उपलब्ध है, से/तक अनुपाततः आधार पर प्रभारित किया जाता है।

iii) 0.10 लाख रुपए तक की लागत पीपीई, अवशिष्ट मूल्य के रूप में मूल लागत का 5% रखने के पश्चात, खरीद के वर्ष में पूर्णतः मूल्य ह्रासित की जाती हैं, सिवाय मोबाइल फोन उपकरण जहाँ रूपये 1 को अवशिष्ट मूल्य के रूप में रखा जाता है।

iv) 0.10 लाख से अधिक मूल्य के मोबाइल फोन उपकरण, अवशिष्ट मूल्य के रूप में रू. 1/– रखने के पश्चात, उस वर्ष, जिसमें यह प्राप्त किया गया था, से आरंभ करके 3 वर्ष की अवधि में मूल्यह्रासित किया जाता है।

v) सरकारी अनुदानों से खरीदे गए पीपीई के मामले में मूल्यह्रास, उन परिसंपत्तियों पर प्रभारित मूल्यह्रास के अनुपात में 'पूंजीगत आरक्षित' (जो आस्थगित आय के स्वरूप का है) के प्रति प्रभारित किया जाता है। पूंजीगत आरक्षित, खरीद लागत के साथ प्राप्त अनुदानों में से स्थिर परिसंपत्तियों की खरीद के समय सृजित किया जाता है।

vi) पट्टाधारित भूमि का परिशोधन, पट्टा अवधि में किया जाता है।

vii) 'अमूर्त परिसंपत्तियों' के रूप में मान्यताप्राप्त सॉफ्टवेयर की लागत का परिशोधन, अवशिष्ट मूल्य के रूप में रू. 1/– रखने के पश्चात, उस वर्ष, जिसमें यह प्राप्त की गई थी, से आरंभ करके पांच वर्ष की अवधि में सीधी रेखा पद्धति आधार पर किया जाता है। हालांकि, जहाँ सॉफ्टवेयर का जीवनकाल पांच वर्ष से कम है, ऐसी संपत्तियों के उपयोगी जीवन पर लागत को रु. 1/– अवशिष्ट मूल्य के रूप में बनाए रखने के बाद परिशोधित/चुकता किया जाता है।

viii) सदस्यता के आधार पर खरीदे गए सॉफ्टवेयर को उसी के सापेक्ष किए भुगतान हेतु सदस्यता अवधि के वर्ष में लाभ और हानि के विवरण के अधीन प्रभारित किया जाता है।

VII. उधार लागतें

उधार लागतों में ब्याज और अन्य लागतें शामिल हैं, जो निगम निधियां उधार लेने के संबंध में खर्च करता है।

अर्हक परिसंपत्तियों के लिए लगाई गई उधार लागतें, विशेष रूप से परिसपंत्ति के वित्तपोषण के लिए खर्च की गई, उधार लेने के आधार पर, उन निधियों के अस्थायी निवेश पर अर्जित किसी आय के 'नेटिंग ऑफ' के पश्चात, आशयित उपयोग के लिए तैयार होने की तारीख तक पूंजीकृत की जाती हैं। अर्हक परिसंपत्तियाँ, ऐसी परिसंपत्तियां हैं, जो उनके आशयित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लेती हैं।

अन्य सभी उधार लागतों को, लाभ एवं हानि विवरण में उस रिपोर्टिंग अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें वे उपार्जित हुई हैं।

VIII. मालसूचियाँ

क) मालसूची में मुख्यतः निम्नलिखित शामिल हैं:

i. लेखन–सामग्री का स्टॉक और विविध मदें।

ii. भंडार, औज़ार, मापन उपकरण और मार्गस्थ सामान।

iii. वाणिज्यिक क्रियाकलापों से संबंधित तैयार माल का स्टॉक।

iv. माल किराया खरीद (एचपी) और संयुक्त सावधि ऋण (सीटीएल) के अधीन पुनः कब्जे में ली गई/जब्त की गई/अभ्यप्रित मशीनों का भंडार।

v. जहां परिसंपत्तियां 01.04.2001 को या उसके बाद दी गई हैं, उपस्कर पट्टे के अधीन पुनः कब्जे में ली गई/ जब्त की गई/अभ्यप्रित मशीनों का भंडार।

vi. अप्रचलित और उपयोग में न लाई जाने वाली परिसंपत्तियां।

ख) लागत का निर्धारण 'पहले आए पहले जाए' (एफआईएफओ) आधार पर किया जाता है।

ग) मालसूचियों का मूल्यांकन, लागत के निम्नतर और निवल वसूलीयोग्य मूल्य पर किया जाता है।

घ) खरीदी गई इन्वेंट्री की लागत छूट और छूट में कटौती के बाद निर्धारित की जाती है।

ङ) खरीदे गए माल की लागतें, छूट और बट्टे घटाने के

पश्चात निर्धारित की जाती हैं। वसूलीयोग्य निवल मूल्य, सामान्य व्यवसाय के दौरान अनुमानित विक्रय मूल्य में से बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागतें और पूर्ण करने की अनुमानित लागतें घटाकर निकाला गया मूल्य है।

IX. अनुसंधान और विकास

क) राजस्व प्रकृति के अनुसंधान और विकास पर व्यय, लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है।

ख) पूंजीगत प्रकृति के अनुसंधान और विकास पर व्यय को पीपीई के अतिरिक्त के रूप में दिखाया गया है।

X. राजस्व मान्यता

राजस्व, प्राप्त किए गए और प्राप्तियोग्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर मापा जाता है। आय/राजस्व (प्रशिक्षण क्रियाकलापों और सामान्य सुविधाओं से प्राप्त राजस्व सहित) की सभी मदें और व्यय, प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिए जाते हैं, जहाँ नीचे यथा उल्लिखित वसूली के बारे में निश्चितता हो:

क) **किराया खरीद, विपणन, कच्चे माल के वितरण / सहायता, थोक विक्रेताओं और खुदरा व्यापारियों को सहायता, बिल छूट और समग्र सावधि ऋण के तहत वित्तीय गतिविधियों से आय**

i. ऋणों और अग्रिमों के संबंध में ब्याज आय को, संविदात्मक अवधियों के संदर्भ में प्रोद्भवन (समय अनुपात) आधार पर मान्यता दी जाती है।

ii. मास्टर निर्देश–गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी – सर्वांगी रूप से महत्त्वपूर्ण गैर–जमा लेने वाली कंपनी और जमा लेने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 के अनुसार, जिस तारीख से ऋण और अग्रिम एनपीए बन जाते हैं, उस तारीख से कोई ब्याज उपार्जित नहीं होगा।

iii. एनपीए लेखों के मामले में अर्जित लेकिन प्राप्त नहीं किए गए ब्याज को, रिपोर्टिंग की तारीख को अतिरिक्त सामान्य ब्याज उचंत (पीआईएस) के रूप में प्रत्यावर्जित किया जाता है और तदनुसार उसे कुल बकाया देयताओं में से घटाया जाता है। परंतु ऐसा उन मामलों में नहीं किया जाता है, जहाँ नई बैंक गारंटी की बिक्री से प्राप्त आय को रिपोर्टिंग की तारीख तक प्राप्त नहीं किया जाता है। (नीचे X(क)(iv) देखें)।

iv. बैंक गारंटी (बीजी) मांगे जाने पर बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक के पास अपना दावा पत्र प्रस्तुत करने की तारीख से बंद कर दिया जाता है और अर्जित, लेकिन प्राप्त नहीं किया गया ब्याज, जिसमें कुल देयताएं, यदि कोई हों, भी शामिल हैं, को 'अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उच्चंत (पीआईएस)' के रूप में ब्याज आय से प्रत्यावर्तित नहीं किया जाता है। वर्ष के अंत में, यदि, निगम के नामित बैंक लेखे में मांगी गई बैंक गारंटी से प्राप्त आय नहीं प्राप्त होती है, तो इस रकम को **"बैंक से वसूली योग्य"** के रूप में समझा जाएगा। लेकिन यदि बैंक मांगी गई बैंक गारंटी की बिक्री से प्राप्त आय को जारी करने में विलंब करता है, तो दावा करने की तारीख से निगम के नामित बैंक खाते, यदि कोई हो, में बिक्री से प्राप्त आय प्राप्त होने तक की विलंबित अवधि के लिए ब्याज लगाया जाएगा, जिसे उसकी प्राप्ति के वर्ष में आय के रूप में माना जाएगा।

v. प्रसंस्करण शुल्क/सेवा शुल्क को बीजी के विरुद्ध आरएमए/एडब्ल्यूआरटी/बीडी के तहत समय के अनुपात में आय के रूप में और अन्य मामलों में इसे प्रोद्भवन के आधार पर माना जाता है।

vi. आवेदन प्रसंस्करण शुल्क, जहाँ भी लागू हो, प्राप्ति के आधार पर आय के रूप में माना जाता है।

vii. जब्ती/विनियोजित/समप्रण की तारीख को किराया खरीद और उपकरण लीज के मामले में, उनके मूल्य से अधिक जब्त/विनियोजित/समप्रण की गई मशीनों की बिक्री से अधिक राशि को किराएदार के/पट्टेदार के खाते के सापेक्ष समायोजित

किया जाता है। किराएदार/पट्टेदार से देय राशि से अधिक कोई भी अधिक राशि, बिक्री आय की प्राप्ति के वर्ष में आय के रूप में मानी जाती है।

ख) **ब्याज की मान्यता और खातों को फ्रीज करना**

i. निगम की विभिन्न गतिविधियों/योजनाओं के तहत विलंबित भुगतान/अतिरिक्त/सामान्य ब्याज पर दंडात्मक ब्याज/ब्याज, जहाँ कहीं वसूली के लिए संदिग्ध माना जाता है, को इसकी वसूली के वर्ष में आय के रूप में माना जाता है।

ii. जहाँ यूनिट के खाते फ्रीज/अप्रयुक्त हो जाते हैं, वहाँ यूनिट के खाते में कोई और ब्याज प्रभारित नहीं किया जाता है।

ग) **माल और सेवाओं की बिक्री**

i. बिक्री जीएसटी, छूट, रिबेट, रिटर्न, आदि के शुद्ध योग होते हैं, और अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार, चालान मूल्य के आधार पर इनका हिसाब लगाया जाता है।

ii. उत्पादों और परियोजनाओं के निर्यात के अंतर्गत बिक्री, निर्यात की शर्तों के अनुसार चालान मूल्य के आधार पर की जाती है।

घ) **एकल बिंदु पंजीकरण योजना के अंतर्गत पंजीकरण शुल्क**

एकल बिंदु पंजीकरण योजना के अंतर्गत पंजीकरण शुल्क को, नए पंजीकरण/नवीकरण/उसमें संशोधन के लिए प्रमाणपत्र के जारी किए जाने की तारीख को ही आय के रूप में माना जाता है।

ङ) **ब्याज आय (एनवीसीएफएल)**

सावधि जमा पर ब्याज आय समय के आधार पर, मूल बकाया और लागू प्रभावी ब्याज दर के संदर्भ में अर्जित की जाती है, जो कि वह दर है जो अनुमानित भविष्य की नकद रसीद को उस परिसंपत्ति की शुद्ध वहन राशि के लिए प्रारंभिक मान्यता/मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों के अपेक्षित जीवन के माध्यम से छूट देती है।

च) **प्रबंधन शुल्क (एनवीसीएफएल)**

भारत सरकार द्वारा जारी परिचालन दिशानिर्देशों और फंड के योगदानकर्ताओं के साथ हस्ताक्षरित योगदान समझौते के अनुसार, एनवीसीएफएल द्वारा एक निवेश प्रबंधन शुल्क ('प्रबंधन शुल्क') प्राप्य है। एनवीसीएफएल द्वारा प्राप्य प्रबंधन शुल्क, अंशदान समझौते में निर्दिष्ट प्रतिशत के रूप में एनवीसीएफएल द्वारा प्राप्य प्रबंधन शुल्क, वास्तव में निधि के निपटान में रखी गई राशि से है।

छ) **बी2बी पोर्टल (एमएसएमई मार्ट)–(बी2बी स्कीम) का सदस्यता शुल्क**

बी2बी स्कीम के अधीन बी2बी पोर्टल (एमएसएमई मार्ट) के सदस्यता शुल्क को यूनिट की सदस्यता सक्रिय होने एक्टिवेशन पर ही आय के रूप में समझा जाएगा।

ज) **प्रशिक्षण संबंधी क्रिया–कलापों और सामान्य सुविधाओं से प्राप्त राजस्व**

प्रशिक्षण संबंधी क्रिया–कलापों से प्राप्त राजस्व को उपार्जन (समय अनुपात) के आधार पर मान्यता दी जाती है, जब तक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित प्रशिक्षण की अपेक्षा करता है।

प्रायोजित और अन्य संबद्ध प्रशिक्षण से प्राप्त राजस्व को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद मान्यता दी जाती है और जब यह निश्चित हो जाता है कि शुल्क समझौते/अनुबंध/एमओयू के नियमों और शर्तों के अनुरूप वसूल किया जाएगा।

सामान्य सुविधाओं (जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ परीक्षण शुल्क, जॉब कार्य प्रभार एनटीएससी में मशीनों पर मशीनिंग सुविधा आदि शामिल हैं) से प्राप्त राजस्व को परीक्षण और जॉब कार्य पूरा होने पर मान्यता दी जाती है।

झ) **तकनीकी इन्क्यूबेशन केंद्र (टीआईसी) इकाइयों से रॉयल्टी आय**

टीआईसी इकाइयों से रॉयल्टी के कारण प्राप्त राजस्व को संचय आधार पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है। शुल्क/रॉयल्टी को नामांकित प्रशिक्षुओं

की संख्या, पाठ्यक्रम शुल्क और पाठ्यक्रम की अवधि के आधार पर मासिक आधार पर मान्यता दी जाती है।

ञ) **समग्र (टर्नकी) परियोजनाओं/सेवा संविदाओं से प्राप्त आय**

i. परामर्शी सेवाओं, परियोजना प्रबंधन और पर्यवेक्षण प्रभारों से प्राप्त राजस्व को संविदा की शर्तों के अनुसार रिपोर्टिंग की तारीख को परियोजना संबंधी लेन–देन और परियोजना की सुपुर्दगी के पूरा होने की अवस्था में आनुपातिक रूप में लाभ या हानि का समेकित विवरण मान्यता दी जाती है।

ii. परियोजना पर किए गए प्रत्यक्ष व्यय का लेखा परियोजना के अंतर्गत किया जाता है, और अप्रत्यक्ष व्ययों को संबंधित शीर्ष के खाते के प्राकृतिक शीर्ष के अधीन लेखांकित किया जाता है।

ट) **पट्टाकरण से आय**

पट्टे, को प्रचालन पट्टे और वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। ऐसे पट्टे, जिनमें निगम, परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिम और प्रतिफल/लाभ पर्याप्त रूप से पट्टेदार को अंतरित नहीं करता, प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। प्रचालन पट्टे के अलावा अन्य पट्टे, वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं।

i. निगम, अपने उपस्कर पट्टाकरण व्यवसाय के अंतर्गत सहायता प्रदान कर रहा था, जिसे 2003 से बंद कर दिया गया है। ऐसी पट्टाधारित परिसंपत्तियों के संबंध में आय की मान्यता और पट्टाधारित परिसंपत्तियों में से जब्त की गई परिसंत्तियां निम्नलिखित हैं:

I. **दिनांक 31 मार्च, 2001 तक निष्पादित किए गए पट्टा लेन–देनों पर**

i. दिनांक 31 मार्च, 2001 तक निष्पादित किए गए लेन–देनों के संबंध में पट्टा किरायों को पट्टा समकरण प्रभारों से घटाकर, प्रोद्भूत, आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

ii. पट्टाधारित परिसंपत्तियों में बकाया निवल निवेश से संबंधित पूंजी की लागत को पूंजी की वसूली निकालने के लिए पट्टा किराए से घटा दिया जाता है। पूंजी की वसूली और सांविधिक मूल्यह्रास के अंतर को, पट्टा समकरण प्रभार लेखा के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे पट्टा समकरण लेखे के प्रति प्रभाव को, तुलन–पत्र में पट्टा सीमांत समायोजन लेखा प्रचालित करके प्रदर्शित किया जाता है। पूंजी की वसूली में कमी, यदि कोई हो, को परिसंपत्ति के निपटान के वर्ष में हिसाब में लिया जाता है।

II. **दिनांक 01 अप्रैल, 2001 को अथवा उसके बाद निष्पादित किए गए पट्टा लेन–देन**

वित्त आय और पट्टा किराया में शामिल की गई निवल निवेश की वसूली का हिसाब, पट्टे में दी गई ब्याज दर पर लगाया जाता है। वित्त आय को आय के रूप में मान्यता दी जाती है और उसे लाभ व हानि विवरण में क्रेडिट किया जाता है।

पट्टाधारित किराया और वित्त आय के अंतर को निवल निवेश के प्रति वसूली माना जाता है।

ii. भारतीय लेखांकन मानक (इंड–एएस)–116 के अनुसार अन्य लीज के संबंध में आय की मान्यता।

I पट्टाकर्ता के रूप में निगम

i इसमें अन्य बातों के साथ–साथ निगम के स्वामित्व और निगम द्वारा पट्टे पर दिए जाने वाले स्थान, गोदाम, आदि भी शामिल होंगे, जिनके संबंध में किराया आय प्राप्त होती है। पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां भी संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर में शामिल की जाती हैं और इनके उपयोगी रहने तक इन पर मूल्यह्रास दिया जाता है। 'प्रचालन संबंधी पट्टे से संबंधित पट्टा आय को पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया जाता है।

ii निगम द्वारा पट्टाकर्ता के रूप में कोई वित्तीय पट्टा निष्पादित नहीं किया जाता है।

II पट्टेदार के रूप में निगम

i इसमें अन्य बातों के साथ–साथ स्थान, गोदाम, कर्मचारियों के लिए आवास आदि शामिल है, जिसे निगम ने पट्टे पर लिया है और जिसके संबंध में पट्टा किराये का भुगतान किया जाता है। इन पट्टों की व्यवस्था का सामान्यतः आपस में तय की जाने वाली शर्तों के आधार पर नवीकरण किया जाता है।

ii निगम द्वारा पट्टाकर्ता के रूप में कोई वित्तीय पट्टा निष्पादित नहीं किया जाता है।

iii नये मानक इण्डएएस–116 के अधीन पट्टेदार द्वारा इसका लेखाकरण इस प्रकार किया जाता है:–

निगम परिसंपत्तियों को उपयोग करने के अधिकार और सभी पट्टा व्यवस्थाओं के लिए तदनुरूप पट्टा देयता को स्वीकार करता है, जिसमें इन्हें पट्टे पर दिया जाता है। लेकिन बारह माह या कम (अल्पकालिक पट्टों) की अवधि के संबंध में यह पट्टा स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि बिना लिखित करार और कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टे को स्वीकार नहीं किया जाता है।

अल्पकालिक पट्टे बारह माह या बारह माह से अधिक के पट्टा करारों से कम के संबंध में यह पट्टा करार लागू नहीं होता है, क्योंकि कुछ नोटिस अवधि देकर किसी भी समय इन्हें रद्द किया जा सकता है। बारह माह से अधिक की अवधि के निगम द्वारा निष्पादित पट्टा करार को भी अल्पकालिक पट्टे के रूप में समझा जाएगा, लेकिन इसमें उसे रद्द करने संबंधी एक खंड दिया जाएगा।

मानक में कम मूल्य की परिसंपत्तियों की कोई सीमा नहीं बताई गई है, लेकिन इसमें टेबलेट्स, पर्सनल

कंप्यूटर/लैपटॉप और पीपीई की छोटी मदें आदि जैसी कम मूल्य की परिसंपत्तियां शामिल होती हैं।

अल्पकालिक और कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के संबंध में निगम पट्टे की अदायगी को पट्टे की अवधि के संबंध में "स्ट्रेट लाइन" आधार पर प्रचालन व्यय के रूप में स्वीकार करती है।

परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार को प्रारंभ में लागत पर स्वीकार किया जाता है, जिसमें पट्टा देयता की आरंभिक रकम शामिल होती है, जो ऐसे पट्टे भुगतान के संबंध में समायोजित की जाती है, जो किसी पट्टा प्रोत्साहन की प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत से कम और पट्टे की तारीख से या उससे पहले अदा की जाती है। इनका मापन बाद में ऐसी कम लागत पर किया जाता है, जिसमें संचित मूल्यह्रास/परिशोधन और हानियां शामिल होती हैं। परिसंपत्तियों के उपयोग का आधार इण्डएएस 16–संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीई) के अनुसार कम किया जाएगा।

शुरू में पट्टे के दायित्व को भावी पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है। पट्टे के भुगतान, पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके या यदि तत्काल निर्धारण योग्य नहीं है तो वृद्धित उधार दर का उपयोग करके बंद कर दिए जाते हैं।

ठ) **दी गई डिक्री का निरूपण**

जहाँ एनएसआईसी के पक्ष में एक आदेश पारित किया गया है, बकाया की वसूली के समय इकाई के लेखों में आवश्यक समायोजन किए जाते हैं।

ड) **स्क्रैप बिक्री**

स्क्रैप की बिक्री से प्राप्त आय को वसूली आधार पर लेखे में लिया जाता है।

XI. विदेशी मुद्रा लेन–देन और रूपांतरण

क) विदेशी मुद्राओं में लेन–देन आरंभतः लेन–देन की मान्यता के लिए पहले अर्हता प्राप्त करने की तारीख को कार्यात्मक मुद्रा स्थल दरों पर दर्ज किए जाते हैं।

ख) विदेशी मुद्राओं में रखी गई मौद्रिक परिसंपत्तियां और देयताएं, रिपोर्टिंग तारीख को विनिमय की कार्यात्मक मुद्रा तत्समय दरों पर रूपांतरित की जाती हैं।

ग) मौद्रिक मदों के निपटान या रूपांतरण पर उत्पन्न विनिमय अंतरों को उस वर्ष, जिसमें ये उत्पन्न होते हैं, में लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

घ) गैर–मौद्रिक वस्तुएं जिन्हें विदेशी मुद्रा में उचित मूल्य पर मापा जाता है, उन्हें उचित मूल्य निर्धारित की गई तिथि पर विनिमय दरों का उपयोग करके परिवर्तित किया जाता है।

ङ) गैर–मौद्रिक मदें, लेन–देन की तारीख को विनिमय दर का उपयोग करके रूपांतरित की गई विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के अनुसार मापी जाती हैं।

XII. सरकारी अनुदान

क) विभिन्न क्रियाकलापों के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त अनुमोदित अनुदानों को प्रोद्भूत आधार पर मान्यता दी जाती है, जहां यह तर्कसंगत आश्वासन हो कि अनुदान प्राप्त होगा और सभी संबद्ध शर्तों का अनुपालन किया जाएगा।

ख) अनुमोदित संवर्धनात्मक क्रियाकलापों के मामले में, वर्ष के लिए खर्च किए गए/प्रतिबद्ध खर्च, परंतु अगले वर्ष में प्राप्त अनुदान, को प्रोद्भूत आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

ग) प्राप्त अनुदानों को, भारत सरकार से प्राप्त अग्रिम के रूप में माना जाता है और इन्हें भारत सरकार को भुगतान योग्य राशियों के रूप में जाता है।

घ) इसके पश्चात, अनुदान को, किए गए खर्च की सीमा

तक लाभ एवं हानि का समेकित विवरण में आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

ङ) पूंजीगत अनुदान के मामले में, किए गए खर्च को, आरक्षित पूंजी निधि, जो 'आस्थगित आय' के स्वरूप की है, सृजित करके मान्य अनुदान आय में से कम कर दिया जाता है। आरक्षित पूंजी को, उन परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास के अनुपात में सुसंगत परिसंपत्तियों के हर वर्ष में आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

च) राजस्व से संबंधित सरकारी अनुदानों को उस अवधि के दौरान व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि के समेकित विवरण में मान्यता दी जाती है, जिसमें एनएसआईसी खर्च से संबंधित लागतों को व्यय के रूप में मान्यता देता है, जिससे कि ऐसे अनुदान संबंधित हैं/शामिल करने के लिए तैयार किए गए हैं।

छ) एसपीआरएस स्कीम के अंतर्गत सदस्यता शुल्क (एनएसएसएच), 'एसपीआरएस स्कीम के अंतर्गत निरीक्षण प्रभार (एनएसएसएच)', 'बी2बी स्कीम के अंतर्गत सदस्यता शुल्क (एनएसएसएच)', 'क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण शुल्क (एनएसएसएच)' और 'कार्यालय परिसरों के किराए (एनएसएसएचओ)' (लागू, जहाँ संपत्ति का स्वामित्व एनएसआईसी के पास है और जहां किराए का भुगतान, बाहरी व्यक्ति को किया जाता है, उसे एनएसएसएचओ के व्यय के रूप में लेखे में लिया जाता है) के प्रति शुल्कों की धनराशि की प्रतिपूर्ति के प्रति सरकारी अनुदान, **"एनएसएसएच के अंतर्गत सदस्यता/निरीक्षण शुल्क, किराया आदि"** समूह शीर्ष के अंतर्गत उपयोग में लाए गए अनुदान के रूप में प्रभारित किए जाएंगे और मान्यताप्राप्त अनुदान आय से घटा दिए जाएंगे। इसी प्रकार, प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता (एटीआई) स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षण शुल्कों की प्रतिपूर्ति के प्रति सरकारी अनुदान भी **"एटीआई के अंतर्गत प्रशिक्षण शुल्क"** समूह शीर्ष के अंतर्गत उपयोग में लाए गए अनुदान के रूप में प्रभारित किए जाते हैं और मान्यताप्राप्त अनुदान आय से घटा दिए जाएंगे।

उसी तर्ज पर, पीएमएसएस योजना के तहत सदस्यता शुल्क, विज्ञापन आदि की प्रतिपूर्ति के लिए सरकारी अनुदान को भी समूह शीर्ष **"बी2बी योजना (पीएमएसएस) के तहत सदस्यता शुल्क, विज्ञापन, आदि"** के तहत उपयोग किए जाने वाले अनुदान के रूप में प्रभारित किया जाता है और मान्यता प्राप्त आय अनुदान से कम किया जाता है।

क्योंकि एनएसआईसी वाणिज्यिक आधार पर उपर्युक्त सभी सेवाएं पहले ही दे रहा है, इसलिए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की इकाईयों के मामले में एनएसआईसी का वाणिज्यिक शुल्क का भुगतान अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की एमएसई की इकाईयों के बजाए भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। अतः उपर्युक्त सभी प्रतिपूर्तियों को "सेवा की बिक्री" के अधीन अलग–अलग शीर्षों में **वाणिज्यिक राजस्व** के रूप में भी समझा जाता है।

ज) अनुमोदित दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुसार खर्च की गई रकम पर किसी भी सरकारी प्रोत्साहन स्कीम के कार्यान्वयन के लिए एनएसआईसी को दिया जाने वाला प्रशासनिक व्यय, यदि कोई हो, (जिसमें मानीटरिंग और रख–रखाव संबंधी सहायता, निगम का वाणिज्यिक राजस्व आदि पर किए गए व्यय की रकम शामिल नहीं होगी) को, **"सरकारी स्कीम के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक प्रभार (अनुदान और सब्सिडीज)"** के समूह शीर्ष के अधीन प्रयुक्त अनुदान के रूप में प्रभारित किया जाता है और तदनुसार स्वीकृत अनुदान राजस्व से घटाया जाता है। चूंकि यह निगम का वाणिज्यिक राजस्व है, अतः उसे भी "सेवा की बिक्री" शीर्ष के अधीन **"सरकारी स्कीम के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक प्रभार (अनुदान और सब्सिडीज)"** समूह शीर्ष में वाणिज्यिक राजस्व के रूप में भी दर्शाया जाएगा।

झ) यह एनएसआईसी प्रोत्साहन स्कीम भी चालू कर रही है, यथा खरीद और विपणन सहायता स्कीम (पीएमएसएस), अंतरराष्ट्रीय सहयोग (आईसी), आदि। ये स्कीम मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार **प्रतिपूर्ति आधारित स्कीम** हैं, जिनमें एनएसआईसी द्वारा डीसी–एमएसएमई/मंत्रालय के कार्यालय से निधियों की प्राप्ति होती है और जिनके संबंध में दावाकृत व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है और उस वर्ष में उसे तदनुरूप अनुदान के रूप में समझा जाता है, जिस वर्ष में यह निधि प्राप्त होती है

पीएमएसएस घटक के मामले को छोड़कर ई–कॉमर्स प्लेटफार्म को अपनाना।

ञ) एटीआई और एनएसएसएच स्कीम, यदि कोई हो, के अधीन प्रशिक्षण के कारण किए गए वास्तविक प्रत्यक्ष व्यय को संबंधित शीर्ष के सामान्य लेखा शीर्ष के अधीन वाणिज्यिक व्यय के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

ट) सरकारी अनुदान पर अर्जित ब्याज, यदि कोई हो, को अनुदान की मंजूरी की शर्तों के अनुसार भारत सरकार से प्राप्त अग्रिम के रूप में मान्यता दी जाती है और इसे भारत सरकार को भुगतान योग्य राशियों के रूप में दर्शाया जाता है।

ठ) यदि विभिन्न संवर्धनात्मक क्रियाकलापों के अग्रिम लेखाओं के अंतर्गत निवल परिणाम "घाटा" हो तो इसे वित्तीय परिसंपत्तियां शीर्ष के अंतर्गत "अनुदानों में घाटे के लिए भारत सरकार से प्राप्तियोग्य राशि" के रूप में दर्शाया जाता है और यदि "अधिशेष" है तो इसे वित्तीय देयताएं शीर्ष के अंतर्गत "अनुदानों में अधिशेष के लिए भारत सरकार को भुगतान योग्य राशि" के रूप में दर्शाया जाता है।

XIII. व्यय की प्रतिपूर्ति (एनवीसीएफएल)

ऐसी राशि जो एसआरआई फंड की ओर से कंपनी द्वारा खर्च की जाती है, निधि के दस्तावेजों के अनुसार निधि द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है, और यह लाभ और हानि खाते में दर्ज/प्रविष्ट की जाती है।

XIV. व्यय का आवंटन

वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए सीधे जिम्मेदार खर्च, संबंधित गतिविधियों के लिए प्रभारित किए जाते हैं।

अप्रत्यक्ष व्यय के मामले में, उन्हें वर्ष के दौरान विभिन्न वाणिज्यिक गतिविधियों के तहत अर्जित राजस्व/आय के आधार पर आवंटित किया जाता है।

XV. कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभ में, वेतन और मजदूरियां, भविष्य निधि, उपदान, छुट्टी नकदीकरण और अन्य सेवांत लाभ शामिल हैं।

क) अल्पावधि कर्मचारी लाभ

अल्पावधि कर्मचारी लाभों में, वेतनों, भत्तों, वार्षिक छुट्टी और रुग्णता छुट्टी जैसी कर्मचारी लागतें शामिल हैं, जो उस वर्ष के दौरान उपार्जित की जाती हैं, जिसमें एनएसआईसी के कर्मचारियों द्वारा संबद्ध सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

अल्पावधि कर्मचारी लाभों के संबंध में मान्यताप्राप्त देयताएं, संबंधित सेवाओं के बदले में भुगतान किए जाने के लिए प्रत्याशित लाभों की अबट्टाकृत धनराशियों पर मापी जाती हैं।

ख) नियोजनोपरांत लाभ और अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

(i) <u>परिभाषित अंशदान योजना</u>

परिभाषित अंशदान, एक ऐसा नियोजनोपरांत लाभ है, जहाँ एनएसआईसी, भिन्न–भिन्न संगठनों में निश्चित अंशदान का भुगतान करता है और आगे धनराशियों का भुगतान करने के लिए उसका कोई विधिक या रचनात्मक दायित्व नहीं होगा। एनएसआईसी द्वारा भविष्य निधि, पेंशन निधि एवं सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) में भुगतान किए गए अंशदानों को परिभाषित अंशदान योजना माना जाता है। वर्ष के दौरान भुगतान किए गए/भुगतान योग्य इन अंशदानों को, उस वर्ष, जिसमें संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं, के लिए लाभ एवं हानि का समेकित विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

भविष्य निधि में अंशदान का भुगतान, किसी अलग न्यास के जरिए संचालित निधि में किया जाता है और पेंशन निधि में अंशदान का भुगतान, न्यास के जरिए भारतीय जीवन बीमा निगम में किया जाता है। पीआरएमबी के संबंध में, लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार चिकित्सा कॉप्रस सृजित किया जाता है, जिसका उपयोग, बीमा कंपनी को प्रीमियम का भुगतान करने

के लिए किया जाता है।

(ii) परिभाषित लाभ योजना

परिभाषित लाभ योजना, परिभाषित अंशदान योजना के अलावा एक अन्य नियोजनोत्तर लाभ योजना है। एनएसआईसी द्वारा भुगतान किए जाने वाले उपदान, छुट्टी नकदीकरण और अन्य कर्मचारी लाभों नामतः रुग्णता छुट्टी, सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ते, के प्रति एनएसआईसी की देयता को परिभाषित लाभ योजना के अंतर्गत माना जाता है।

ऐसी परिभाषित लाभ योजनाओं के अंतर्गत दायित्व का वर्तमान मूल्य, अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

पुनः मापन, जिसमें बीमांकिक लाभ और हानियां शामिल हैं, को प्रत्यक्षतः अन्य व्यापक आय में उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें वे होती हैं। अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता दिए गए पुनःमापन को तुरंत अवधारित अर्जनों में दर्शाया जाता है और उसे लाभ एवं हानि का समेकित विवरण में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाता।

XVI. पूर्वावधि व्यय और आय

पूर्वावधि से संबंधित आय/व्यय, जो प्रत्येक मामले में प्रचालनों से एनएसआईसी के राजस्व के 0.25 प्रतिशत से अधिक नहीं है, को चालू वर्ष के आय/व्यय के रूप में माना जाता है।

XVII. पूर्व–प्रदत्त मदें

उत्तरवर्ती वर्ष (वर्षों) से संबंधित खर्चों को, पूर्व–प्रदत्त के रूप में केवल तभी माना जाता है, जहाँ यह भुगतान, प्रत्येक मामले में 1.00 लाख रुपए से अधिक हो।

XVIII. कराधान

अवधि के खर्चों में, चालू कर और आस्थगित कर शामिल होते हैं। कर को लाभ एवं हानि का समेकित विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय उस सीमा तक, जिस सीमा तक यह अन्य व्यापक आय या प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित है, जहाँ कर को अन्य व्यापक आय या इक्विटी में भी मान्यता दी जाती है।

क) चालू कर

चालू कर, लागू होने वाली कर दरों और आय कर अधिनियम, 1961 तथा लागू होने वाले अन्य कर कानूनों के अनुसार यथानिर्धारित, वर्ष के लिए कर योग्य आय पर भुगतान योग्य कर है।

ख) आस्थगित कर

i. आस्थगित कर को, वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देयताओं की रखाव धनराशियों के बीच अस्थायी अंतरों के संबंध में मान्यता दी जाती है और तदनुसार धनराशियों का उपयोग, कराधान उद्देश्य के लिए किया जाता है।

ii. आस्थगित कर देयताओं को आमतौर पर, सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है।

iii. आस्थगित कर परिसंपत्तियों को आमतौर पर, केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जिस सीमा तक यह संभावना हो कि भावी कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके प्रति परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकता है।

iv. आस्थगित कर परिसंपत्तियों की रखाव धनराशि की समीक्षा, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है और उस सीमा तक घटा दिया जाता है, जिस सीमा तक अब यह संभावना न हो कि संबंधित कर लाभ प्राप्त हो जाएंगे।

ग) अतिरिक्त आय कर

अतिरिक्त आय कर, जो लाभांश के वितरण से उत्पन्न होता है, को उस समय मान्यता दी जाती है, जब संबंधित लाभांश भुगतान करने की देयता को मान्यता दी जाती है।

XIX. नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी में, हस्तगत नकदी, बैंकों में मांग जमा राशियां आदि शामिल होती हैं। समूह, नकदी समतुल्य को, सभी अल्पावधि शेषों (अर्जन की तारीख से तीन महीने या इससे कम की मूल परिपक्वता अवधि वाले), अत्याधिक अस्थिर निवेशों, जो नकदी की ज्ञात धनराशियों में तत्काल परिवर्तित हैं और जो मूल्य में परिवर्तनों के नगण्य जोखिम के अधीन हों, के रूप में मानता है।

XX. प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर मूल अर्जन का परिकलन इक्विटी शेयरधारकों पर आरोप्य अवधि के लिए निवल लाभ एवं हानि को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके किया जाता है।

XXI. लाभांश

क) लाभांश आय

निवेश पर लाभांश को, उस आधार पर हिसाब में लिया जाता है, जब इसे प्राप्त करने का अधिकार सिद्ध हो जाता है।

ख) लाभांश व्यय

"समूह के शेयरधारकों को भुगतान योग्य लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तनों के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें उन्हें समय–समय पर आरबीआई डीआईपीएएम, सेबी, डीपीई, आदि द्वारा परिपत्रों/दिशानिर्देशों पर विचार करने के बाद क्रमशः शेयरधारकों की बैठक और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित/सिफारिश किया जाता है।

XXII. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह, भारतीय लेखांकन मानक–7 'नकदी प्रवाह विवरण' में यथाविनिर्धारित अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करके, रिपोर्ट किए जाते हैं।

XXIII. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

क) प्रावधान

(i) प्रावधानों को, उस समय मान्यता दी जाती है, जब किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप निगम का कोई वर्तमान विधिक या रचनात्मक दायित्व हो, बशर्ते कि यह संभाव्य हो कि समूह के लिए इस दायित्व का निपटान करना आवश्यक होगा और दायित्व की धनराशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो।

(ii) प्रावधान के रूप में मानी गई धनराशि, दायित्व के जोखिमों और उसके इर्द–गिर्द की अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित प्रतिफल का सर्वोत्तम अनुमान होती है।

(iii) जब किसी प्रावधान का निपटान करने के लिए अपेक्षित कुछ या सभी आर्थिक लाभों के, किसी तृतीय पक्षकार से वसूल किए जाने की आशा हो तो प्राप्तियोग्य धनराशि को, परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, बशर्ते कि यह वास्तविक रूप से निश्चित हो कि प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जाएगी और प्राप्तियोग्य धनराशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

(iv) केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सरकारी संस्थाओं/सरकारी कंपनियों और अन्य केंद्रीय/राज्य सरकारी विभागों/निकायों से प्राप्य और ऋण एवं अग्रिमों से संबंधित प्रावधानों, यदि अपेक्षित हों, को लागू किया जाता है, बशर्ते कि प्रबंधकवर्ग द्वारा इसे उचित समझा जाए।

(v) उस सीमा तक नियति और विपणन स्कीम के अधीन "प्राप्य रकमों" के संबंध में प्राप्य रकमों के लिए प्रावधान नहीं किया जाता है, जब तक वे "देय" के अधीन वह रकम दर्शायी जाती है और जिस सीमा तक आपूर्तिकर्ताओं के साथ बैक टू बैक व्यवस्था के अधीन उस लेन–देन के संबंध में आपूर्तियों के लिए आपूर्तिकर्ता को देय रकम के अनुसार सेवा प्रभार समायोजित किए जाते हैं।

(vi) भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 13.03.2020 की अधिसूचना संख्या आरबीआई/2019–20/170 डीओआर (एनबीएफसी) सीसी. पीडी संख्या 109/22.10.106/2019–20 के आधार पर ईसीएलएस को भारतीय लेखांकन मानक–109 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय विलेखों से हानि संबंधी छूटों के रूप में मान्यता दी जाती है।

(vii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए भारतीय लेखांकन मानकों व आईआरएसी प्रूडेंशियल मानदंड के संदर्भ में प्राप्य व ऋण एंव अग्रिमों (ब्याज संस्पेंस खाते के निवल) के लिए वर्गीकरण और मानदण्ड की व्याख्या यहाँ संलग्न किया गया है।

ख) आकस्मिक देयताएं

आकस्मिक देयताएं, पिछले कार्य कार्यक्रमों से उत्पन्न एक संभावित दायित्व है, जिसके अस्तित्व की पुष्टि, निगम नियंत्रण के पूरी तरह अंदर न होने वाले एक या एक से अधिक अनिश्चित भावी घटना के घटित होने या घटित न होने द्वारा की जाएगी। जहाँ यह संभावना नहीं है कि आर्थिक लाभों का बहिर्वाह आवश्यक या धनराशि का अनुमान, विश्वसनीय ढंग से नहीं लगाया जा सकता तो दायित्व का प्रकटीकरण, आकस्मिक देयता के रूप में किया जाता है, जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की संभाव्यता बहुत ही कम न हो।

समूह, आकस्मिक देयताओं के अस्तित्व का प्रकटीकरण, समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में करता है। आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण, प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर करता है और यह निर्धारित करने के लिए क्या आर्थिक संसाधनों का बहिर्वाह संभाव्य हो गया है, प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख को निरंतर इनकी समीक्षा/मूल्यांकन किया जाता है। यदि बहिर्वाह संभाव्य हो जाता है तो तुलनात्मक प्रावधान को, प्रबंधन के चालू अनुमान प्रदर्शित करने के लिए समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाती है।

ग) आकस्मिक परिसंपत्तियां

आकस्मिक परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी जाती बल्कि इनका प्रकटीकरण उन टिप्पणियों में किया जाता है, जो आमतौर पर योजना न बनाई गई या अन्य अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न होती हैं, जो आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की संभाव्यता को जन्म देता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों का मूल्यांकन निरंतर रूप से यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि क्या आर्थिक लाभों को अंतर्वाह वास्तव में निश्चित हो गया है। इसके पश्चात ऐसी परिसंपत्तियों और तुलनात्मक आय को समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाएगी।

XXIV. वित्तीय विलेख

वित्तीय विलेख, एक ऐसा संविदा है, जिससे एक कंपनी की वित्तीय परिसंपत्ति उत्पन्न होती है और दूसरी कंपनी की वित्तीय देयता या इक्विटी विलेख उत्पन्न होता है।

क. वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देनदारियों की प्रारंभिक पहचान और माप

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को आरंभतः उचित मूल्य पर मापा जाता है, सिवाय व्यापार प्राप्तव्यों के मामलों में, जिसमें इन्हें लेन–देन के मूल्य पर मापा जाता है। लेन–देन लागतें, जो प्रत्यक्षतः वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं (लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्ति के अलावा) के अर्जन या निर्गमन के कारण होती हैं, आरंभिक मान्यता पर, वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं, जैसा भी उपयुक्त हो, के उचित मूल्य में जोड़ दी जाती हैं या उनमें से घटा दी जाती हैं। एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्ति के अर्जन के कारण प्रत्यक्षतः लेन–देन लागतों को, लाभ एवं हानि विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है।

ख. वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों में, निवेश, ऋण, व्यापार प्राप्य, प्रतिभूति जमा राशियां, नकदी और नकदी समतुल्य आदि शामिल हैं। मापन, उस उद्देश्य, जिसके लिए ये परिसंपत्तियां अर्जित की गई थीं, पर निर्भर करते हुए

आरंभिक मान्यता पर किसी परिसंपत्ति का वर्गीकरण निर्धारित करता है।

I. उत्तरवर्ती मापन

उत्तरवर्ती मापन के उद्देश्य के लिए, वित्तीय परिसंपत्तियां, आरंभिक मान्यता पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत की जाती हैं:

1) प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करके परिशोधित लागत पर

2) लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर (एफवीटीपीएल)

3) अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर (एफवीओसीआई)

एफवीटीपीएल पर परिसंपत्तियों के अलावा, अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियां, कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर हानिकरण हेतु समीक्षा के अधीन हैं।

i) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ– कोई वित्तीय परिसंपत्ति, परिशोधित लागत पर मापी जाएगी, यदि निम्नलिखित शर्तों में से दोनों शर्तें पूरी की गई हों:

क) वित्तीय परिसंपत्ति किसी ऐसे व्यवसाय मॉडल के अंदर रखी गई हो, जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह प्राप्त करने की दृष्टि से वित्तीय परिसंपत्तियां रखना है।

ख) वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदात्मक शर्तें, विशेष तारीखों को ऐसे नकदी प्रवाह उत्पन्न करना है, जो अनन्य रूप से मूलधन और मूलधन की बकाया धनराशि पर ब्याज के भुगतान हों।

आरंभिक मापन के पश्चात ये वित्तीय परिसंपत्तियां बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापी जाती है। यह ईआईआर पद्धति किसी वित्तीय परिसंपत्ति की लागत का परिकलन करने और सुसंगत अवधि में ब्याज आय आबंटित करने की एक पद्धति है। प्रभावी ब्याज दर, वह दर है, जो वित्तीय परिसंपत्ति के प्रत्याशित जीवनकाल के जरिए या जहां उपयुक्त हो, आरंभिक मान्यता पर निवल रखरखाव धनराशि की अपेक्षाकृत कम अवधि की प्रत्याशित भावी नकदी प्राप्तियों (भुगतान की गई या प्राप्त की गई सभी शुल्कों सहित, जो प्रभावी ब्याज दर, लेन–देन लागतें और अन्य प्रीमियमों और छूटों का एक अभिन्न अंग है) में सही–सही बट्टाकृत करती हैं।

समूह की नकदी और नकदी समतुल्य, व्यापार प्राप्य और अन्य ऋण तथा अग्रिम वित्तीय विलेखों की इस श्रेणी में आते हैं।

ii) अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर (एफवीटीओसीआई) – कोई वित्तीय परिसंपत्ति, अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर मापी जाएगी, यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी की गई हैं:

क) व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य, संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करके और वित्तीय परिसंपत्तियां बेचकर प्राप्त किया गया हो; तथा

ख) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह के लिए ऐसी निर्दिष्ट तिथियों को निर्धारित करती हैं, जो मूलधन पर मूलधन और ब्याज का एकमात्र भुगतान (एसपीपीआई) बकाया हैं।

ग) उचित मूल्य संचालनों को ओसीआई में मान्यता दी जाती

है और आरक्षित में संचित किया जाता है।

इक्विटी विलेख, एफवीटीओसीआई पर वर्गीकृत किए जाते हैं, जिनमें लाभांशों को छोड़कर विलेख पर सभी उचित मूल्य परिवर्तनों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। निवेश की बिक्री पर भी ओसीआई से लाभ एवं हानि में धनराशियों की रिसाइक्लिंग नहीं की जाती। तथापि, कंपनी, संचयी लाभ या हानि को इक्विटी के अंदर अंतरित कर सकती है।

स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध इक्विटी शेयर, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में, वित्तीय वर्ष के अंतिम व्यापार दिवस के भारित औसत मूल्य पर मूल्यांकित किए जाते हैं।

iii) लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)

कोई वित्तीय परिसंपत्ति, एफवीटीपीएल पर मापी जाती है, जब तक यह लाभ एवं हानि का विवरण में माने गए उचित मूल्य में सभी परिवर्तनों के साथ परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई पर न मापी गई हो।

II. वित्तीय परिसंपत्तियों में हानिकरण

समूह प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में साक्ष्य या सूचना, जो अनुचित लागत या प्रयास के बिना उपलब्ध हो, के आधार पर हानिकरण के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह (लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर रखी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा) की जांच करता है। प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का मूल्यांकन किया जाता है और हानिकरण क्षति को मान्यता दी जाती है, यदि वित्तीय परिसंपत्ति के क्रेडिट जोखिम में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है।

हानिकरण क्षतियों और प्रत्यावर्तनों को लाभ एवं हानि का समेकित विवरण में मान्यता दी जाती है।

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अंतर्गत हानिकरण मॉडल, वित्तीय विलेखों पर लागू होता है, जो नीचे सूचीबद्ध हैं:

1) वित्तीय परिसंपत्तियां, जो ऋण विलेख हैं, परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं। जैसें ऋण, ऋण प्रतिभूतियां, जमा और बैंक शेष।

2) इक्विटी निवेश, अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के जरिए उचित मूल्य पर मापे जाते हैं।

3) ऋण प्रतिबद्धताएं, एफवीटीपीएल (लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य) पर नहीं मापी जाती।

4) इण्डएएस–116 के अधीन प्राप्य पट्टा

5) व्यापार और अन्य प्राप्य सामग्री

भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 13.03.2020 की अधिसूचना संख्या आरबीआई/2019–20/170 डीओआर (एनबीएफसी) सीसी. पीडी संख्या 109/22.10.106/2019–20 के आधार पर ईसीएलएस को भारतीय लेखांकन मानक–109 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय विलेखों से हानि संबंधी छूटों के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

क) कच्चा माल सहायता, बिल बट्टा, मियादी ऋण, संमिश्र मियादी ऋण और बैंकों से प्राप्त ऋणों के अधीन ग्राहकों को दिया जाने वाला ऋण और अग्रिम।

ख) किराया खरीद, पट्टा, विपणन और अन्य (जिसमें बिक्री सेवा

वाले लेन–देनों के कारण प्राप्त होने वाली रकम भी शामिल है) के अधीन होने वाली देयताओं के संबंध में व्यापार से प्राप्त राशि।

भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 13.03.2020 की उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसार किराया खरीद, पट्टा, कच्चा माल सहायता, बिल पट्टा, मियादी ऋण, संमिश्र मियादी ऋण बैंकों आदि से प्राप्त होने वाली रकम संबंधी स्कीमों के अधीन देयताओं के संबंध में प्राप्त होने वाली रकम सहित वित्तीय स्कीम के अधीन प्राप्त होने वाली रकम और ऋण एवं अग्रिम, जिनमें इण्डएएस–109 के अधीन हानि भत्ता आईआरएसीपी के अधीन अपेक्षित प्रावधान से कम हो (जिसमें मानक परिसंपत्तियों का प्रावधान भी शामिल है, एनएसआईसी **"हानि आरक्षित निधि"** को पृथक करने के लिए कर के बाद अपने निवल लाभ या हानि से इस अंतर को पृथक करता है। इस प्रकार का अंतरण कर के बाद लाभ या हानि के अनुसार पृथक करने के बजाय लाभ के अनुसार प्रभारित किया जाएगा।

III. वित्तीय परिसंपत्तियों की विमान्यताकरण

वित्तीय परिसंपत्तियों का विमान्यताकरण तब किया जाता है जब वित्तीय परिसंपत्तियों से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाता है या परिसंपत्तियों से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के संविदात्मक अधिकार अंतरित कर दिए जाते हैं।

पूरी तरह किसी वित्तीय परिसंपत्ति के विमान्यकरण पर परिसंपत्ति की रखाव धनराशि और प्राप्त हुए या प्राप्तियोग्य प्रतिफल तथा संचयी लाभ या हानि, जिसे समेकित अन्य व्यापक आय और इक्विटी में संचित के रूप में मान्यता दी गई थी, की रकम के बीच के अंतर को लाभ एवं हानि का समेकित विवरण के रूप में मान्यता दी जाती है, यदि यह लाभ या हानि उस वित्तीय परिसंपत्ति के निपटान पर लाभ एवं हानि का समेकित विवरण में अन्यथा मान्यता दी गई हो।

ग. वित्तीय देयता और इक्विटी विलेख

समूह की वित्तीय देयताओं में व्यापार तथा अन्य भुगतान योग्य राशियां, बैंक ओवरड्राफ्टों सहित ऋण और उधार, बयाना राशि जमा और अवधारित धनराशि शामिल है।

सभी वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, और उधार तथा देय राशि के मामले में इसे सीधे तौर पर जिम्मेदार लेनदेन लागत को घटाकर किया जाता है।

I. एक इक्विटी विलेख (एनवीसीएफएल)

एक इक्विटी विलेख एक ऐसा अनुबंध है, जो एक इकाई की संपत्ति में अपनी सभी देनदारियों को घटाने के बाद अवशिष्ट ब्याज का सबूत प्रदान करता है। इकाई द्वारा जारी किए गए इक्विटी विलेखों को प्राप्त आय पर, प्रत्यक्ष निर्गम लागतों के निवल पर मान्यता दी जाती है।

II. उत्तरवर्ती मापन

i. **परिशोधित लागतों पर वित्तीय देयताएं–** आरंभिक मापन के पश्चात ये वित्तीय परिसंपत्तियां बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं। लाभ और हानियों को लाभ एवं हानि का समेकित विवरण में मान्यता दी जाती है जब ये देयताएं विमान्यताकृत कर दी गई हों और इन्हें ईआईआर परिशोधन

की प्रक्रिया के जरिए मान्यता दी जाती है। परिशोधित लागत, किसी अधिग्रहण पर किसी बट्टे या प्रीमियम और ऐसे शुल्कों या लागतों, जो ईआईआर का अभिन्न अंग हैं, को ध्यान में रखते हुए परिकलित की जाती हैं। ईआईआर परिशोधन को लाभ एवं हानि का समेकित विवरण में वित्तपोषण लागत के रूप में शामिल किया जाता है। यह श्रेणी आमतौर पर उधारों, भुगतान योग्य राशियों और अन्य संविदात्मक देयताओं पर लागू होती है।

ii. लाभ एवं हानि विवरण के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं में ट्रेडिंग के लिए रखी गई वित्तीय देयताएं और लाभ एवं हानि का समेकित विवरण के जरिए उचित मूल्य पर आरंभिक मान्यता पर नामजद वित्तीय देयताएं शामिल हैं। उन वित्तीय देयताओं, जिनका निपटान 12 महीनों के अंदर किया जाना हो, के रखाव मूल्य को उसका उचित मूल्य माना जाता है।

III. वित्तीय देयताओं का विमान्यकरण

किसी वित्तीय देयता को उस समय विमान्यताकृत किया जाता है जब देयता के अंतर्गत दायित्व का निर्वहन कर दिया गया हो या रद्द कर दिया गया हो या उसकी अवधि समाप्त हो गई हो। जब कोई वर्तमान वित्तीय देयता उत्तरवर्ती भिन्न शर्तों या किसी वर्तमान देयता की शर्तों पर उसी ऋणदाता से अन्य ऋणदाता द्वारा प्रतिस्थापित कर दी जाती है तो उसे बाद में संशोधित कर दिया जाता है और इस प्रकार की अदला–बदली या संशोधन को मूल देयता का विमान्यकरण और नई देयता की मान्यता माना जाता है। संबंधित रखाव धनराशियों में आए अंतर को लाभ एवं हानि का समेकित विवरण में मान्यता दी जाती है।

******

लेखांकन नीति- XXIII (क) (vii) का अनुलग्नक

प्राप्य और ऋणों व अग्रिमों का वर्गीकरण और प्रावधान करने के मापदंड

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी इण्डएएस और आईआरएसी विवेकपूर्ण मानदंडों के संबंध में प्राप्तियों और ऋणों व अग्रिमों (उचंत खाते के ब्याज को घटाकर) के वर्गीकरण और मानदंड निम्नानुसार है:

1. प्रतिभूत प्राप्य और ऋण एवं अग्रिम

व्यापार से प्राप्य रकम और ऋण एवं अग्रिम को **"प्रतिभूत"** के रूप में समझा जाएगा (बशर्ते कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)। इसे उस सीमा तक प्रतिभूत समझा जाएगा, जहां तक एनएसआईसी के पास नगद प्रतिभूतियां उपलब्ध हों, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ बाजार मूल्य/डब्लूडीवी/ऐसी परिसंपत्तियों का वचनबद्ध मूल्य (जो विधिक/जब्त किए गए मामलों से संबंधित हों) और जिनकी वित्त व्यवस्था की गई हो (जो यूनिट/एनएसआईसी के कब्जे के रूप में अभिनिर्धारित हों और उसके पास पड़े हों। यूनिट से प्राप्त अग्रिम, अग्रिम धन जमा (ईएमडी), जब्त की गई मशीनें, प्रतिफल की धनराशि, अग्रिम की किस्त/किराया, किराएदारों से प्राप्त अग्रिम/मशीनों की खरीद पर अग्रिम, जो अचल संपत्ति का संयुक्त प्रतिभूति इक्विटेबल बंधक से प्राप्त हुई हो, सरकारी विभागों, विधिमान्य बैंक गारंटी (बीजी)/ साख पत्र (एलसी) या किसी अन्य मूर्त प्रतिभूति/प्रतिभूति जमा से प्राप्त हुई हो, जो संविदा के विधिमान्य करार/संविदा/अधिकार/एनएसआईसी के स्वामित्व की यूनिटों की रकम, जिनमें "बैक टू बैक" व्यवस्था के अधीन लेनदेन भी शामिल है, उस सीमा तक थोक आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया गया, अग्रिम (जिसकी व्यवस्था एनएसआईसी के साथ किए गए समझौता ज्ञापन में हो, जिसके संबंध में एमएसएमई और/या बीजी पर आरएमए के अधीन स्वीकृत सीमा में से भुगतान की गई रकम, एनएसआईसी द्वारा भुगतान की गई प्रतिभूति जमा और तदनुसार आपूर्तिकर्ताओं के क्रेताओं द्वारा जमा की गई रकम, जिसका प्रावधान एनएसआईसी के पास रखी गई प्रतिभूति में भी किया गया है (जिसमें संविदा के अधिकारों के अधीन प्रतिभूति जमा रकम भी शामिल है), प्रायोजित प्रशिक्षण की बकाया देयता के बराबर या 180 दिन से कम हो, विद्यमान कर्मचारियों को दिया गया कर्मचारी अग्रिम और उस पर उपार्जित ब्याज भी शामिल है, इसमें सहायता की स्वीकृति की शर्तों के अनुसार यूनिटों से प्राप्त सभी प्रतिभूतियां भी शामिल हैं।

उपर्युक्त के अंतर्गत नहीं आने वाली धनराशियों को **'अप्रतिभूत'** माना जाता है।

2. वित्तीय लिखतों का वर्गीकरण

इण्डएएस–109 के अनुसार प्राप्य राशि और ऋण एवं अग्रिम से संबंधित वित्तीय लिखत और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए आईआरएसी विवेक पूर्ण मापदंड के अनुसार वित्तीय स्कीमों के वित्तीय लिखतों का आगे वर्गीकरण में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल होंगी:

(i) व्यापार से प्राप्त होने वाली राशि: वित्तीय योजनाओं के अधीन व्यापार से प्राप्त होने वाली राशि में किराया खरीद और पट्टे के अधीन देयताओं के संबंध में प्राप्य राशि शामिल होती है, जबकि गैर वित्तीय योजनाओं में विपणन संबंधी क्रियाकलापों और अन्य (जिनमें बिक्री सेवा संबंधी लेन–देनों के कारण प्राप्त होने वाली राशि भी शामिल है) के अधीन देयताओं के संबंध में प्राप्त होने वाली राशि शामिल है।

(ii) ऋण एवं अग्रिम: वित्त–व्यवस्था संबंधी योजनाओं के अधीन ऋण और अग्रिमों में कच्चा माल सहायता, थोक विक्रेताओं और खुदरा व्यापारियों को सहायता, बिल–बट्टा, मियादी ऋण, संमिश्र मियादी ऋण, बैंक से प्राप्त राशि आदि के अधीन देयताओं संबंधी प्राप्त होने वाली राशि शामिल है।

(iii) अन्य: गैर–वित्तीय स्कीमों के अधीन इन लिखतों में प्राप्त होने वाली रकम और ऋण एवं अग्रिम शामिल है, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ नकद या वस्तु के रूप में प्राप्त होने वाला अग्रिम भी शामिल है (जिनमें एनएसआईसी के साथ किए गए समझौता ज्ञापन वाले थोक आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किए गए अग्रिम सहित बाह्य पक्षकारों को भुगतान किए गए अग्रिम मुख्य रूप से शामिल हैं), प्रतिभूति जमा, कर्मचारी अग्रिम, उपार्जित ब्याज, जो उस पर देय नहीं है भी शामिल है) और अन्य परिसंपत्तियां भी शामिल हैं।

3. प्राप्त होने वाली राशियों और ऋण एवं अग्रिमों के प्रावधान संबंधी मापदंड:

वित्तीय लिखतों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए विवेकपूर्ण आईआरएसी मापदंडों पर इण्डएएस–109 के

अनुसार हानि भत्तों को स्वीकार करने के संबंध में विवरण नीचे दिया जा रहा है:–

क) इण्डएएस–109 के अनुसार प्रावधानों से संबंधित मापदंड व्यापार से प्राप्त राशि, ऋण एवं अग्रिम की विभिन्न मदों के लिए नीचे दर्शायी गई है:–

(i) कच्चा माल सहायता, थोक विक्रेताओं और खुदरा व्यापारियों को सहायता, बिल बट्टा, बैंकों से प्राप्त होने वाली राशि और व्यापार एवं अन्य से प्राप्त होने वाली राशि के अधीन ऋण और अग्रिम:

चरण	बकाया प्राप्त राशियों और ऋण एवं अग्रिम का वर्गीकरण
चरण–1 (निष्पादन)	इसमें अन्य बातों के साथ–साथ ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनमें आरंभिक मान्यता से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं है, चूंकि इनकी पहचान पहले कर ली गई थी या ये ऐसी परिसंपत्तियां हैं, जिनके संबंध में रिपोर्टिंग की तारीख को कम क्रेडिट जोखिम हैं। इनमें अन्य परिसंपत्तियों के साथ–साथ ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियां भी हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: क) उस सीमा तक बीजी पर आरएमए, एडब्ल्यूआरटी और बिल बट्टा, जो विधिमान्य बीजी के मूल्य के अंतर्गत आती हो– हानि भत्ता निवल बकाया के 0.40 प्रतिशत की दर से ख) जहाँ निगम को कम जोखिम होने की संभावना हो, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं: ❖ जहाँ प्राप्त होने वाली राशि को नकद/मूर्त प्रतिभूति के रूप में प्रतिभूत समझा जाता है यथा ईएमडी/अग्रिम किस्त/किराया/यूनिट से प्राप्त अग्रिम, वसूली योग्य संपार्श्विक प्रतिभूति आदि। ❖ प्रायोजित प्रशिक्षण की बकाया देयता, जो उसके बराबर या 180 दिन से कम हो ❖ उस सीमा तक निर्यात और विपणन स्कीम के अधीन प्राप्त होने वाली रकम, जो आपूर्तिकर्ता के साथ ''बैक टू बैक'' व्यवस्था के अधीन उसी लेन–देन के संबंध में आपूर्तियों के लिए आपूर्तिकर्ता को देय रकम तक। ऐसे मामलों में, क्योंकि यहाँ ईसीएल नहीं होता है, अतः इसमें हानि भत्ते का प्रावधान नहीं किया गया है।
चरण–2 (निष्पादन के अधीन)	चरण–2 के अधीन वे वित्तीय परिसंपत्तियां आती हैं, जिनमें आरंभिक मान्यता से क्रेडिट जोखिम में काफी वृद्धि होती है, परंतु जिनमें हानि होने का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होता है। इनमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित मामले शामिल होते हैं:– **क) संपार्श्विक के प्रति आरएमए और बिल डिस्काउटिंग:** लंबे समय से बंद हो गई हैं या जिन्हें एनएसआईसी द्वारा भविष्य में चालू रखने की योजना नहीं है, लेकिन जिनके पक्ष में उस सीमा तक वसूली योग्य प्रतिभूति है जो वसूली योग्य प्रतिभूति के ऐसे मूल्य से प्रतिभूत है– निवल बकाया का 100 प्रतिशत की दर से हानिकरणछूट। **ख) बैंक गारंटी के प्रति आरएमए, एडब्ल्यूआरटी और बिल डिस्काउटिंग:** इनमें ऐसे मामले शामिल हैं, जिनमें एनएसआईसी द्वारा बैंक गारंटी मांगी गई है, लेकिन उनके दावे आस्थगित हैं या किसी आधार पर बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं और ऐसे मामले एनएसआईसी द्वारा एएमआर सीडी, बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक के उच्च प्राधिकारियों, अन्य प्राधिकारियों आदि के सामने उठाए जाएंगे, ताकि उनके हस्तक्षेप से इन मुद्दों का समाधान हो सके और एनएसआईसी के पक्ष में अंतिम प्राधिकारी का निर्णय प्राप्त हो। इसके अलावा, ऐसे मामले जिनमें निगम को भुगतान हेतु बैंक/ प्राधिकरण से कोई मनाही/ अस्वीकरण प्राप्त नहीं होता है और/या भुगतान एनसीएलटी/किसी न्यायालय/अन्य प्राधिकरणों आदि द्वारा स्थगित किया/रोका जाता है, – शुद्ध बकाया के 0.40% की दर से क्षतिपूर्ति भत्ता देय है। तथापि जहाँ तुलन–पत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले उपर्युक्त मामलों में कोई राशि प्राप्त होती है, किसी हानि संबंधी छूट का प्रावधान नहीं किया जाता है।

(ii) किराया खरीद, पट्टा, मियादी ऋण, संमिश्र मियादी ऋण, आदि के अधीन प्राप्त होने वाली राशि और ऋण एवं अग्रिम :

चरण	बकाया प्राप्यों और ऋण एवं अग्रिम का वर्गीकरण
चरण–3 (गैर निष्पादन)	चरण–3 की परिसंपत्तियों में वे वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल होंगी, जिनके संबंध में रिपोर्टिंग की तारीख को हानि का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। इसमें वे परिसंपत्तियां शामिल होती हैं, जो चरण 1 और 2 के अधीन नहीं आती हैं और इसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित बातें शामिल होती हैं:–

चरण	बकाया प्राप्यों और ऋण एवं अग्रिम का वर्गीकरण
	क) ऐसी योजना, जो लंबे समय से बंद पड़ी हों और जिन्हें निगम द्वारा भविष्य में चलाने का इरादा नहीं है और जिनके पक्ष में प्राप्त होने वाली कोई प्रतिभूति नहीं है। ख) योजनाएँ यथा किराया खरीद (एचपी), पट्टा (ईएलएस), संमिश्र मियादी ऋण (सीटीएल) और मियादी ऋण (टीएल)। ग) ऐसी योजना, जिनमें कोई कपट नहीं है। घ) ऐसी योजना, जहाँ दावा स्वीकार करने के संबंध में बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक के साथ विवाद है और अंतिम प्राधिकारी जैसे (सीपीएसई के विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र–एएमआरसीडी है) का निर्णय निगम के खिलाफ है। ङ) बाह्य पक्षकारों के पास पड़ी राशि/अग्रिम, जिसकी वसूली संदिग्ध है। च) निगम छोड़ चुके/निगम से त्याग–पत्र देने वाले कर्मचारियों से प्राप्त की जाने वाली राशि और जहाँ बकाया के निपटान के लिए राशि उपलब्ध न हो। छ) प्रायोजित प्रशिक्षण से संबंधित बकाया देयताएं, जो 180 दिन से अधिक की हों। ज) ऐसी सभी अप्रतिभूत वसूल योग्य राशि और ऋण एवं अग्रिम ऐसे मामलों में निवल बकाया के 100 प्रतिशत की दर से हानिकरण छूट।

ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आईआरएसी विवेकपूर्ण मापदंडों के आधार पर मापदंडों का प्रावधान – यह प्रावधान व्यापार से प्राप्त राशियों, ऋण एवं अग्रिम की विभिन्न मदों से संबंधित है, जिन्हें नीचे दर्शाया गया है:

(i) किराया खरीद, पट्टा, मियादी ऋण और संमिश्र मियादी ऋण के अधीन प्राप्य राशियाँ:

क्र. सं.	योजना	निवल बकाये का प्रावधान प्रतिशत
1.	किराया खरीद	100%
2.	पट्टा	
3.	संमिश्र मियादी ऋण	
4.	मियादी ऋण	

(ii) कच्चा माल सहायता, थोक विक्रेताओं और खुदरा व्यापारियों को सहायता और बिल बट्टा के अधीन प्राप्य राशि:

क्र. सं.	बकाया प्राप्य राशियाँ और ऋण एवं अग्रिम का वर्गीकरण	निवल बकाये का प्रावधान प्रतिशत
1	मानक परिसंपत्तियां–270 दिनों तक	0.40%
2	घटिया परिसंपत्तियां (जिनका एनपीए एक वर्ष से कम हो)	10%
3	संदिग्ध परिसंपत्तियां	
	संदिग्ध परिसंपत्तियों का प्रतिभूत अंश:	
	एक वर्ष से संदिग्ध (अर्थात् दो वर्ष से एनपीए)	20%
	एक वर्ष से 3 वर्ष तक संदिग्ध (अर्थात् 2 से 4 वर्ष से एनपीए)	30%
	तीन वर्ष से अधिक अवधि से संदिग्ध (अर्थात् 4 वर्ष से अधिक अवधि से एनपीए)	50%
	प्रतिभूति के वसूली योग्य मूल्य द्वारा प्रतिभूत नहीं की गई जिनके संबंध में एनएसआईसी के पास विधिमान्य उपाय हों।	100%
4	हानि वाली परिसंपत्तियाँ, यदि बट्टे, खाते में न डाली गई हों	100%

(iii) **बैंकों से प्राप्य राशियाँ:**

इनमें ऐसे मामले शामिल हैं, जिनमें एनएसआईसी द्वारा बैंक गारंटी मांगी गई है, लेकिन उनके दावे आस्थगित हैं या किसी आधार पर बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं और ऐसे मामले एनएसआईसी द्वारा एएमआरसीडी, बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक के उच्च प्राधिकारियों, अन्य प्राधिकारियों आदि के सामने उठाए जाएंगे, ताकि उनके हस्तक्षेप से इन मुद्दों का समाधान हो सके और एनएसआईसी के पक्ष में अंतिम प्राधिकारी का निर्णय प्राप्त हो। इसके अलावा, ऐसे मामले जिनमें निगम को भुगतान हेतु बैंक/प्राधिकरण से कोई मनाही/अस्वीकरण प्राप्त नहीं होता है और/या भुगतान एनसीएलटी/किसी न्यायालय/अन्य प्राधिकरणों आदि द्वारा स्थगित किया/रोका जाता है, – शुद्ध बकाया के 0.40% की दर से क्षतिपूर्ति भत्ता देय है।

तथापि जहाँ तुलन–पत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले उपर्युक्त मामलों में कोई राशि प्राप्त होती है, किसी हानि संबंधी छूट का प्रावधान नहीं किया जाता है।

ग) अन्य प्राप्यों और ऋणों एवं अग्रिमों के संबंध में प्रावधान संबंधी मापदंड

(i) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सरकारी संस्थाओं/सरकारी कंपनियों और अन्य केन्द्रीय/राज्य सरकारी विभागों/निकायों से प्राप्य राशियों और ऋण एवं अग्रिमों के संबंध में प्रावधान, यदि अपेक्षित हों, किए जाते हैं, जहाँ प्रबंधक वर्ग द्वारा ऐसा करना उचित समझा जाता है।

(ii) ऐसी प्राप्य राशियों, ऋण एवं अग्रिम के संबंध में वर्गीकरण और प्रावधान को नीचे दर्शाया गया है:

क्र. सं.	बकाया प्राप्य राशियाँ और ऋण एवं अग्रिम का वर्गीकरण	निवल बकाये का प्रावधान प्रतिशत
1	निम्नलिखित सभी प्राप्य राशियाँ और ऋण एवं अग्रिम 'सुरक्षित' माने जाते हैं (जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो): क) सरकारी विभागों/संस्थानों/उपक्रमों से देय प्राप्य राशियाँ और ऋण एवं अग्रिम ख) सभी प्राप्य राशियाँ, ऋण और अग्रिम, जिनके प्रति एनएसआईसी के पास मूर्त वसूलीयोग्य प्रतिभूति है ग) एमएसएमईज से पहले ही प्राप्त कर लिए गए अग्रिम की सीमा तक थोक आपूर्तिकर्ताओं (जिनका एनएसआईसी के साथ समझौता ज्ञापन है) को दिए गए अग्रिम और/या बैंक गारंटी के प्रति आरएमए के अंतर्गत मंजूर की गई सीमा में से भुगतान की गई धनराशि घ) एनएसआईसी द्वारा भुगतान की गई प्रतिभूति जमा राशियां और तदनुरूपी आपूर्तियों के क्रेता भी एनएसआईसी को प्रतिभूति उपलब्ध कराते हैं (संविदात्मक अधिकारों के अंतर्गत प्रतिभूति जमा राशियों सहित)। ङ) संविदात्मक वैध करार/संविदा के अंतर्गत निगम द्वारा भुगतान की गई सभी प्राप्य राशियाँ और ऋण एवं अग्रिम/प्रतिभूति जमा च) निगम में कार्यरत कर्मचारियों से	शून्य
2	''हानिकृत'' के रूप में माने गए प्राप्तव्य और ऋण एवं अग्रिम (जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो) जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं: (क) बाह्य पक्षकारों के पास धनराशि/अग्रिम और वसूली के लिए संदिग्ध। (ख) एनएसआईसी की सेवा छोड़ देने वाले/त्यागपत्र देने वाले कर्मचारियों से प्राप्तियोग्य धनराशि और जब बकाया राशि को प्रतितुलित करने के लिए कोई धनराशि उपलब्ध हो।	100%

****

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

[सीआईएन नं. : यू74140डीएल1955जीओआई002481]

31.03.2023 को यथास्थिति तुलन–पत्र

(लाख रू. में)

विवरण		नोट संख्या	31.03.23 को यथास्थिति		31.03.22 को यथास्थिति	
	परिसंपत्तियां					
1	**वित्तीय परिसंपत्तियां**					
(क)	नकदी एवं नकदी समतुल्य	3	9249.17		18884.73	
(ख)	नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	4	390.83		492.65	
(ग)	व्यापार प्राप्य	5	16303.10		14061.53	
(घ)	ऋण एवं अग्रिम	6	265648.23		247551.40	
(ड़)	निवेश	7	338.64		279.76	
(च)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	8	2034.58	293964.55	2065.69	283335.76
2	**गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां**					
(क)	माल–सूचियां	9	11.48		12.26	
(ख)	वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	10	247.22		646.33	
(ग)	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	11	3539.42		3860.37	
(घ)	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	12	28724.30		28343.91	
(ड़)	चालू पूंजीगत कार्य	12	437.42		750.33	
(च)	विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	12	35.65		23.39	
(छ)	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	12	58.32		82.95	
(ज)	उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियां	12	54.16		55.00	
(झ)	बिक्री के लिए वर्गीकृत परिसंपत्तियां	12	0.21		0.21	
(ञ)	अन्य गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां	13	4471.54	37579.72	1939.24	35713.99
	कुल परिसंपत्तियां			**331544.27**		**319049.75**
	देयताएं और इक्विटी					
1	**वित्तीय देयताएं**					
	(क) देयताएं					
	(i) व्यापार देयताएं					
	एमएसईज की बकाया देय धनराशियां	14	16463.62		14348.24	
	गैर–एमएसईज की बकाया देय धनराशियां	14	113.32		112.40	
	(ii) अन्य देय धनराशियां					
	एमएसईज की बकाया देय धनराशियां	14	0.00		0.00	
	गैर–एमएसईज की बकाया देय धनराशियां	14	0.00		0.00	
(ख)	उधार	15	155586.97		152335.57	
(ग)	अन्य वित्तीय देयताएं	16	20096.32	192260.23	21702.82	188499.03
2	**गैर–वित्तीय देयताएं**					
(क)	वर्तमान कर देयताएं (निवल)	10	0.00		0.00	
(ख)	प्रावधान	17	11413.89		11043.72	
(ग)	आस्थगित कर देयताएं (निवल)	11	0.00		0.00	
(घ)	अन्य गैर–वित्तीय देयताएं	18	2147.13	13561.02	1978.73	13022.45
3	**इक्विटी**					
(क)	इक्विटी शेयर पूंजी	19	53298.80		53298.80	
(ख)	अन्य इक्विटी	20	72424.22	125723.02	64229.47	117528.27
	कुल देयताएं और इक्विटी			**331544.27**		**319049.75**
	लेखाओं पर अन्य टिप्पणियां	35				

कॉरपोरेट सूचना विवरण (टिप्पणी–1), लेखांकन नीतियां (टिप्पणी–2)

टिप्पणी: उपर्युक्त संदर्भित टिप्पणियां 1 से 35 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

इक्विटी स्टेटमेंट में परिवर्तन तुलन पत्र का अभिन्न अंग है और लाभ एवं हानि लेखों का विवरण के पश्चात रखा गया है

इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
गोयल पारूल एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 016750एन

ह./–
(पारूल गोयल)
साझेदार
[सदस्यता सं.: 099172]
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.08.2023
यूडीआईएन : 23099172बीजीवीजेड़एयू5557

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह./–
गौरव गुलाटी
निदेशक (वित्त)
[डीआईएन नं.: 10144109]

ह./–
विपुल गोयल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
[डीआईएन नं.: 10229523]

ह./–
पार्थ माझी
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

ह./–
निष्ठा गोयल
कंपनी सचिव
[सदस्यता संख्या: ए22768]

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

[सीआईएन नं. : यू74140डीएल1955जीओआई002481]

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का समेकित विवरण

(लाख रू. में)

विवरण		नोट संख्या	31.03.23 को यथास्थिति	31.03.22 को यथास्थिति
I	**राजस्व**			
क	प्रचालनों से राजस्व	21		
	उत्पादों की बिक्री		232491.66	221163.92
	सेवाओं की बिक्री		11380.67	9265.99
	ब्याज आय		28342.56	26153.92
	शुल्क और कमीशन आय		4730.12	4735.83
	[इसमें संचालित माल और प्रदान की गई सेवा के लिए 4730.12 लाख रू. (4735.83 लाख रू.) के मूल्य के अर्जित प्रोसेसिंग शुल्क सेवा प्रभार 1684329.65 लाख रू. (1819418.11 लाख रू.) शामिल है।]			
	अन्य प्रचालन आय		481.88	751.80
	प्रचालन से कुल राजस्व		**277426.89**	**262071.46**
ख	अन्य आय	22	143.40	191.24
ग	अनुदान और सब्सिडियां	23	10508.11	6700.65
	कुल राजस्व (क + ख + ग)		**288078.40**	**268963.35**
II	**व्यय**			
	उत्पादों की खरीद	24	231796.49	220204.04
	माल–सूचियों में परिवर्तन	25	0.00	1.91
	कर्मचारी लाभ व्यय	26	13407.50	13429.93
	वित्त लागतें	27	9084.67	6261.56
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	28	704.10	742.32
	निगमित सामाजिक जिम्मेदारी	29	278.27	230.60
	अन्य व्यय	30	17563.53	13247.90
	शुल्क और कमीशन व्यय	34	84.09	71.85
	कुल व्यय		**272918.65**	**254190.11**
III	**आपवादिक मदों, और कर से पूर्व लाभ**		**15159.75**	**14773.24**
	आपवादिक मदें (टिप्पणी–35 के बिंदु संख्या 4एफ(बी) का संदर्भ लें)		-13.94	-6.20
IV	**कर पूर्व लाभ**		**15173.69**	**14779.44**
	कर व्यय	31		
	वर्तमान कर		3602.00	3555.25
	आस्थगित कर		311.21	222.45
	पूर्ववर्ती वर्ष		-34.37	-11.11
V	**कुल कर व्यय**		**3878.84**	**3766.59**
VI	**चल रहे प्रचालनों से अवधि के लिए कर–पश्चात लाभ**		**11294.85**	**11012.85**
VII	बंद हो गए प्रचालनों से लाभ		0.00	0.00
VIII	बंद हो गए प्रचालनों से कर व्यय		0.00	0.00
IX	बंद हो गए प्रचालनों से लाभ (कर–पश्चात)		0.00	0.00
X	**अवधि के लिए लाभ**		**11294.85**	**11012.85**

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

[सीआईएन नं. : यू74140डीएल1955जीओआई002481]

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का समेकित विवरण

(लाख रू. में)

विवरण		नोट संख्या	31.03.23 को यथास्थिति	31.03.22 को यथास्थिति
XI	**अन्य व्यापक आय**			
क	मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा–निवेश		35.69	94.70
	मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा–बीमांकिक सुनिश्चित लाभ स्कीमों पर लाभ/हानि		3.02	-141.37
	उन मदों से संबंधित आय कर जिन्हें लाभ/हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-9.73	11.75
	उप जोड़ (क)		**28.98**	**-34.92**
ख	मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा		0.00	0.00
	उन मदों से संबंधित आय कर, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा		0.00	0.00
	उप जोड़ (ख)		**0.00**	**0.00**
	अन्य व्यापक आय (क + ख)		**28.98**	**-34.92**
XII	**अवधि के लिए कुल व्यापक आय (X + XI) (लाभ/(हानि) सहित) और अवधि के लिए अन्य व्यापक आय)**		**11323.83**	**10977.93**
XIII	**प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (सतत प्रचालनों के लिए)**	**32**		
	मूल (रु.)		21.19	20.66
	तनुकृत (रु.)		21.19	20.66
XIV	**आकस्मिक देयताएं**	**33 (i)**	**3974.46**	**1286.20**
XV	**पूंजीगत प्रतिबद्धताएं**	**33 (ii)**	**986.82**	**3296.75**
	लेखाओं पर अन्य टिप्पणियां	**35**		

कॉरपोरेट सूचना विवरण (टिप्पणी–1) और लेखांकन नीतियां (टिप्पणी–2)

टिप्पणी: उपर्युक्त संदर्भित टिप्पणियां 1 से 35 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

इक्विटी स्टेटमेंट में परिवर्तन तुलन पत्र का अभिन्न अंग है और लाभ एवं हानि लेखों का विवरण के पश्चात रखा गया है

इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
गोयल पारूल एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 016750एन

ह./–
(पारूल गोयल)
साझेदार
[सदस्यता सं.: 099172]
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.08.2023
यूडीआईएन : 23099172बीजीवीजेड़एयू5557

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह./–
गौरव गुलाटी
निदेशक (वित्त)
[डीआईएन नं.: 10144109]

ह./–
विपुल गोयल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
[डीआईएन नं.: 10229523]

ह./–
पार्थ माझी
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

ह./–
निष्ठा गोयल
कंपनी सचिव
[सदस्यता संख्या: ए22768]

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

[सीआईएन नं. : यू74140डीएल1955जीओआई002481]

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लेखाओं के भाग के रूप में संलग्न समेकित नकद प्रवाह विवरण

(लाख रू. में)

	31.03.23 समाप्त वर्ष के लिए	31.03.22 समाप्त वर्ष के लिए
कर से पूर्व शुद्ध (+) लाभ/(–) हानि	**15,173.69**	**14,779.44**
गैर–नकद/गैर–प्रचालन मदों के लिए समायोजनः		-
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	704.08	742.34
परिसंपत्तियों/अमूर्त की बिक्री/निपटान पर लाभ	(13.94)	(10.70)
परिसंपत्तियों/अमूर्त वस्तुओं की बिक्री/निपटान पर हानि	-	4.51
प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ (टर्मिनल लाभ)	1,381.47	1,593.95
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान (विनिमय भिन्नता)	408.13	425.07
अशोध्य ऋण माफ किये गये	17.34	7.75
विदेशी मुद्रा लेनदेन और संक्रमण पर हानि (शुद्ध)/(–)लाभ	-	(85.57)
यह अर्जित है लेकिन उधार पर देय नहीं है	8.52	13.01
छूट का प्रभाव (डेबिट)	21.40	53.62
छूट का प्रभाव (क्रेडिट)	(75.90)	(28.02)
लाभांश आय	(4.70)	(2.35)
बैंकों में एफडी/जमा पर ब्याज	(13.32)	(62.13)
अतिरिक्त प्रावधान लिखित–अन्य	(169.75)	(436.90)
विविध क्रेडिट शेष वापस लिखे गए	(114.68)	(314.15)
अतिरिक्त प्रावधान वापस लिखा गया (टर्मिनल लाभ)	(59.20)	(50.50)
अतिरिक्त प्रावधान लिखित वापसी (केएफडब्ल्यू ऋण)	(138.23)	(274.01)
पिछले वर्ष के लिए वसूली योग्य आयकर की मान्यता	-	0.83
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचालन नकद प्रवाहः	**17,124.92**	**16,356.19**
कार्यशील पूंजी परिवर्तन के लिए समायोजनः		
व्यापार प्राप्य	(2,258.92)	4,540.38
अन्य वित्त परिसंपत्तियां	(27.98)	(659.41)
माल सूची	0.78	8.67
वर्तमान कर परिसंपत्तियां	(403.89)	(1,056.50)
ऋण और अग्रिम	(17,893.75)	(16,473.31)
अन्य गैर वित्त परिसंपत्तियां	(2,532.31)	(692.74)
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	2,230.99	(4,555.44)
अन्य वित्त देयताएं	1,478.18	4,370.88
प्रावधान–अनुसूची	(1,357.20)	(1,308.31)
अन्य देयताएं	(2,836.03)	301.31
कर से पूर्व नकद प्रवाहः	**(6,475.21)**	**831.71**
भुगतान किया गया कर	(2,764.63)	(3,088.95)
(क) निवल प्रचालन नकद (+) अंतर्वाह/ (–) बहिर्वाह	**(9,239.84)**	**(2,257.24)**
निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाहः		
परिसंपत्तियों की बिक्री आय	35.86	26.74
पीपीई और पूंजी डब्ल्यूआईपी में वृद्धि	(592.30)	(417.37)
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए प्रतिपूर्ति की गई राशि	-	16.93
एसआरआई फंड में निवेश	(3.73)	(1.78)
सावधि जमा में निवेश (परिपक्वता 3 माह से कम)	-	(70.00)

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

[सीआईएन नं. : यू74140डीएल1955जीओआई002481]

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लेखाओं के भाग के रूप में संलग्न समेकित नकद प्रवाह विवरण

(लाख रू. में)

	31.03.23 समाप्त वर्ष के लिए	31.03.22 समाप्त वर्ष के लिए
सावधि जमा में निवेश (परिपक्वता 1 वर्ष से कम)	101.82	161.01
एआईएफ–एसआरआई निधि में निवेश	(19.45)	(8.91)
निवेश से लाभांश	4.70	2.35
बैंक जमा पर ब्याज	13.32	62.13
(ख) निवल निवेश नकद अंतर्वाह/बहिर्वाह	**(459.79)**	**(228.91)**
वित्तीय पोषण गतिविधियों से नकद प्रवाहः		
(+) वृद्धि/(–) उधार में कमी (अल्पकालिक)	3,269.74	9,486.96
(+) वृद्धि/(–) उधार में कमी (दीर्घकालिक)	111.38	(24.67)
प्रदत्त लाभांश	(3,317.05)	(3,177.66)
(ग) शुद्ध वित्त नकदी (+) प्रवाह/(–) बहिर्वाह	**64.07**	**6,284.63**
(क) परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी (+) प्रवाह/(–) बहिर्वाह	(9,239.84)	(2,257.24)
(ख) निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी (+) प्रवाह/(–) बहिर्वाह	(459.79)	(228.91)
(ग) वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी (+) प्रवाह/(–) बहिर्वाह	64.07	6,284.63
शुद्ध नकदी (+) प्रवाह/(–) बहिर्वाह	**(9,635.56)**	**3,798.48**
जोड़ें: वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समतुल्य	**18,884.73**	**15,086.25**
वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य	**9,249.17**	**18,884.73**
नोट–3 तुलन पत्र के अनुसार नकद और नकद समतुल्य	**9,249.17**	**18,884.73**

नोटः पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो, पुनर्गठित/पुनः समूहित किया गया है।

कॉर्पोरेट सूचना का विवरण (नोट–1), लेखा नीतियां (नोट–2)

टिप्पणीः उपर्युक्त संदर्भित टिप्पणियां 1 से 35 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

इक्विटी स्टेटमेंट में परिवर्तन तुलन पत्र का अभिन्न अंग है और लाभ एवं हानि लेखों का विवरण के पश्चात रखा गया है

टिप्पणीः

1. उपरोक्त नकदी प्रवाह विवरण इण्डएस–7 नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके तैयार किया गया है।
2. नकद और नकद समकक्ष (बैंक शेष शामिल) में नकद और अन्य बैंक शेष शामिल होते हैं।
3. जहां भी आवश्यक हुआ, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।
4. हम एक एनबीएफसी हैं और भुगतान किए गए ब्याज को परिचालन व्यय माना गया है।

इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
गोयल पारूल एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 016750एन

ह./–
(पारूल गोयल)
साझेदार
[सदस्यता सं.: 099172]
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.08.2023
यूडीआईएन : 23099172बीजीवीजेड़एयू5557

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह./–
गौरव गुलाटी
निदेशक (वित्त)
[डीआईएन नं.: 10144109]

ह./–
विपुल गोयल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
[डीआईएन नं.: 10229523]

ह./–
पार्थ माझी
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

ह./–
निष्ठा गोयल
कंपनी सचिव
[सदस्यता संख्याः ए22768]

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

[सीआईएन नं. : यू74140डीएल1955जीओआई002481]

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का समेकित विवरण

क: इक्विटी शेयर पूंजी

(लाख रू. में)

विवरण	अथ शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में पुनःउल्लिखित शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में	जमा शेष
2021-22	53298.80	0.00	53298.80	0.00	53298.80
2022-23	53298.80	0.00	53298.80	0.00	53298.80

ख: अन्य इक्विटी

(लाख रू. में)

विवरण	रिजर्व और अधिशेष					अन्य व्यापक आय		कुल
	पूंजी प्रारक्षित	पूंजी मोचन रिजर्व	अवधारित अर्जन	हानिकरण प्रारक्षित	भा.रि.बैं. अधिनियम 1934 की धारा 45 आईसी के अंतर्गत सांविधिक प्रारक्षित	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी विलेख	अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिभाषित लाभ स्कीमें	
31 मार्च 2021 को यथास्थिति शेष	**3831.31**	**73.09**	**43545.27**	**4866.65**	**4015.70**	**187.96**	**-415.44**	**56104.54**
लेखांकन नीति के कारण परिवर्तन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण परिवर्तन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अवधि के लिए लाभ	0.00	0.00	11012.85	0.00	0.00	0.00	0.00	11012.85
अन्य व्यापक आय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.71	-141.37	-46.66
कुल व्यापक आय	**0.00**	**0.00**	**11012.85**	**0.00**	**0.00**	**94.71**	**-141.37**	**10966.19**
वर्ष 2020–21 के लिए लाभांश	0.00	0.00	-3177.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-3177.67
वर्ष के दौरान स्थानांतरण/समायोजन	685.81	0.00	-2164.51	0.00	2164.51	0.00	0.00	685.81
वर्ष के लिए मूल्यह्रास	-361.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-361.14
परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित आयकर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.58	35.58
इक्विटी निवेश से संबंधित आयकर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23.84	0.00	-23.84
31 मार्च 2022 को यथास्थिति शेष	**4155.98**	**73.09**	**49215.94**	**4866.65**	**6180.21**	**258.83**	**-521.23**	**64229.47**

विवरण	रिजर्व और अधिशेष					अन्य व्यापक आय		कुल
	पूंजी प्रारक्षित	पूंजी मोचन रिजर्व	अवधारित अर्जन	हानिकरण प्रारक्षित	भा.रि.बैं. अधिनियम 1934 की धारा 45 आईसी के अंतर्गत सांविधिक प्रारक्षित	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी विलेख	अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिभाषित लाभ स्कीमें	
लेखांकन नीति के कारण परिवर्तन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण परिवर्तन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अवधि के लिए लाभ	0.00	0.00	11294.85	0.00	0.00	0.00	0.00	11294.85
अन्य व्यापक आय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.69	3.02	38.71
कुल व्यापक आय	**0.00**	**0.00**	**11294.85**	**0.00**	**0.00**	**35.69**	**3.02**	**11333.56**
वर्ष के दौरान स्थानांतरण/समायोजन	563.38	0.00	-2209.66	0.00	2209.66	0.00	0.00	563.38
वर्ष 2021–22 के लिए लाभांश	0.00	0.00	-3317.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-3317.05
वर्ष के लिए मूल्यह्रास	-375.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-375.41
परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित आयकर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.75	-0.75
इक्विटी निवेश से संबंधित आयकर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8.98	0.00	-8.98
31 मार्च 2023 को यथास्थिति शेष	**4343.95**	**73.09**	**54984.08**	**4866.65**	**8389.87**	**285.54**	**-518.96**	**72424.22**

नोटः पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो, पुनर्गठित/पुनः समूहित किया गया है।

कॉर्पोरेट सूचना का विवरण (नोट–1), लेखांकन नीतियां (नोट–2)

टिप्पणीः उपर्युक्त संदर्भित टिप्पणियां 1 से 35 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

इक्विटी स्टेटमेंट में परिवर्तन तुलन पत्र का अभिन्न अंग है और लाभ एवं हानि लेखों का विवरण के पश्चात रखा गया है

इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
गोयल पारूल एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 016750एन

ह./–
(पारूल गोयल)
साझेदार
[सदस्यता सं.: 099172]
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.08.2023
यूडीआईएन : 23099172बीजीवीजेड़एयू5557

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह./–
गौरव गुलाटी
निदेशक (वित्त)
[डीआईएन नं.: 10144109]

ह./–
विपुल गोयल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
[डीआईएन नं.: 10229523]

ह./–
पार्थ माझी
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

ह./–
निष्ठा गोयल
कंपनी सचिव
[सदस्यता संख्याः ए22768]

टिप्पणी – 3 : नकदी एवं नकदी समतुल्य

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति		31.03.22 को यथास्थिति	
नकदी एवं नकदी समतुल्य				
हस्तगत नकदी *		0.30		0.80
हस्तगत चेक, ड्राफ्ट		0.00		1.78
मार्गस्थ प्रेषण		0.00		0.00
बैंकों में शेष				
चालू खाता	8920.45		29636.75	
घटाएं: एसआरआई फंड की ओर से प्राप्त राशि	0.00		-15234.37	
अन्य **	328.40	9248.85	4479.75	18882.13
हस्तगत स्टाम्प		0.02		0.02
तुलन–पत्र के अनुसार		**9249.17**		**18884.73**

टिप्पणी:– उपर्युक्त रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक रोकड़ और रोकड़ समतुल्यों के संदर्भ में प्रत्यावर्तन पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

* सुलभ नकदी (कैश ऑन हैंड) बैंक द्वारा जारी प्रीपेड कार्ड के स्टॉक का प्रतिनिधित्व करता है।

** इसमें फ्लेक्सी डिपॉजिट शेष शामिल है।

टिप्पणी – 4 : नकदी और नकदी समतुल्यों के अलावा बैंक शेष

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति	31.03.22 को यथास्थिति
जमा		
सावधि जमा	390.83	492.65
तुलन–पत्र के अनुसार	**390.83**	**492.65**

नोटः– 1) 390.83 लाख रूपये (492.65 लाख रूपये) की सावधि जमा राशि 3 महीने से अधिक के लिए हैं।

2) 390.83 लाख रुपये (492.65 लाख रुपये) में से 62.44 लाख रुपये (58.83 लाख रुपये) की सावधि जमा पर ग्रहणाधिकार अंकित है।

टिप्पणी – 5 : व्यापार प्राप्य (मूल कीमत पर)

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति		31.03.22 को यथास्थिति	
व्यापार प्राप्य				
सुरक्षित शोध्य माने गए	16303.10		14062.35	
असुरक्षित शोध्य माने गए	0.00		0.00	
व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है	0.00		0.00	
ऋण हानिकृत	1616.02		1759.35	
	17919.12		15821.70	
घटाएं: जब्त पट्टा उचंत	50.71		50.72	
घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत	284.48		294.17	
	17583.93		15476.81	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.82	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	1280.83		1414.46	
तुलन–पत्र के अनुसार		**16303.10**		**14061.53**
व्यापार प्राप्यों का भौगोलिक वर्गीकरण :				
भारत में		16303.10		14061.53
भारत के बाहर		0.00		0.00
जोड़		**16303.10**		**14061.53**

अनुलग्नक – 5क : व्यापार प्राप्य (आयुवार सारांश)

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति	31.03.22 को यथास्थिति
अविवादित व्यापार प्राप्य शोध्य माने गए		
6 महीने के बराबर से कम	5184.12	2680.93
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	2051.12	4520.12
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	3305.10	1074.12
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	720.05	2609.89
3 वर्ष से अधिक	5001.96	3245.95
उप जोड़	**16262.35**	**14131.01**
विवादित व्यापार प्राप्य शोध्य माने गए		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	40.76	40.76
उप जोड़	**40.76**	**40.76**
निर्विवाद व्यापार प्राप्य जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
उप जोड़	**0.00**	**0.00**
अविवादित व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
उप जोड़	**0.00**	**0.00**
अविवादित ऋण हानिकृत		
6 महीने के बराबर से कम	2.07	0.53
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.69	26.03
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	99.14	134.48
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	14.77	66.40
3 वर्ष से अधिक	696.11	710.32
उप जोड़	**812.78**	**937.76**
विवादित ऋण हानिकृत		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	803.23	821.58
उप जोड़	**803.23**	**821.58**
	17919.12	15931.11

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति		31.03.22 को यथास्थिति	
घटाएं: जब्त पट्टा उचंत	50.71		50.71	
घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत	284.48		294.17	
	17583.93		15586.23	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.82	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	1280.83		1414.46	
जोड़	**16303.10**		**14170.95**	
व्यापार प्राप्यों का भौगोलिक वर्गीकरण :				
भारत में		16303.10		14061.53
भारत के बाहर		0.00		0.00
जोड़		**16303.10**		**14061.53**

अनुलग्नक – 5ख : व्यापार प्राप्यों का विवरण (परिशोधित लागत पर)

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति		31.03.22 को यथास्थिति	
व्यापार प्राप्य – किराया खरीद				
सुरक्षित शोध्य माने गए	0.00		0.00	
असुरक्षित शोध्य माने गए	0.00		0.00	
व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है	0.00		0.00	
ऋण हानिकृत	757.37		776.42	
	757.37		776.42	
घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत	239.40		243.23	
	517.97		533.19	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	517.97		533.19	
उप–जोड़		**0.00**		**0.00**
व्यापार प्राप्य – अन्य				
सुरक्षित शोध्य माने गए	0.00		0.00	
असुरक्षित शोध्य माने गए	0.00		0.00	
व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है	0.00		0.00	
ऋण हानिकृत	165.85		189.89	
	165.85		189.89	
घटाएं: जब्त पट्टा उचंत	50.71		50.72	
घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत	44.40		50.26	
	70.74		88.91	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	70.74		88.91	
उप–जोड़		**0.00**		**0.00**
व्यापार प्राप्य – विपणन				
सुरक्षित शोध्य माने गए	15980.03		13550.65	
असुरक्षित शोध्य माने गए	0.00		0.00	
व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है	0.00		0.00	
ऋण हानिकृत	259.61		259.61	
	16239.64		13810.26	

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति		31.03.22 को यथास्थिति	
घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत	0.00		0.00	
	16239.64		13810.26	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	259.61		259.61	
उप–जोड़		**15980.03**		**13550.65**
व्यापार प्राप्य – अन्य				
सुरक्षित शोध्य माने गए	323.07		511.70	
असुरक्षित शोध्य माने गए '	0.00		0.00	
व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है	0.00		0.00	
ऋण हानिकृत	433.19		533.43	
	756.26		1045.13	
घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत	0.68		0.68	
	755.58		1044.45	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.82	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	432.51		532.75	
उप–जोड़		**323.07**		**510.88**
जोड़		**16303.10**		**14061.53**

अनुलग्नक – 5ग : व्यापार प्राप्यों का आयुवार वर्गीकरण

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति	31.03.22 को यथास्थिति
व्यापार प्राप्य – किराया खरीद		
अविवादित व्यापार प्राप्य शोध्य माने गए		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
उप जोड़	**0.00**	**0.00**
विवादित व्यापार प्राप्य शोध्य माने गए		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
उप जोड़	**0.00**	**0.00**
अविवादित व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
उप जोड़	**0.00**	**0.00**

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति		31.03.22 को यथास्थिति	
विवादित व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है				
6 महीने के बराबर से कम	0.00		0.00	
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
3 वर्ष से अधिक	0.00		0.00	
उप जोड़	**0.00**		**0.00**	
अविवादित ऋण हानिकृत				
6 महीने के बराबर से कम	0.00		0.00	
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
3 वर्ष से अधिक	361.41		373.46	
उप जोड़	**361.41**		**373.46**	
विवादित ऋण हानिकृत				
6 महीने के बराबर से कम	0.00		0.00	
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
3 वर्ष से अधिक	395.96		402.96	
उप जोड़	**395.96**		**402.96**	
	757.37		776.42	
घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत	239.40		243.23	
	517.97		533.19	
घटाएं: वसूली के लिए भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानि हानि भत्ता	517.97		533.19	
उप जोड़		**0.00**		**0.00**
व्यापार प्राप्य – पट्टाकरण				
अविवादित व्यापार प्राप्य शोध्य माने गए				
6 महीने के बराबर से कम	0.00		0.00	
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
3 वर्ष से अधिक	0.00		0.00	
उप जोड़	**0.00**		**0.00**	
विवादित व्यापार प्राप्य शोध्य माने गए				
6 महीने के बराबर से कम	0.00		0.00	
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
3 वर्ष से अधिक	0.00		0.00	
उप जोड़	**0.00**		**0.00**	
अविवादित व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है				
6 महीने के बराबर से कम	0.00		0.00	
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति		31.03.22 को यथास्थिति	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
3 वर्ष से अधिक	0.00		0.00	
उप जोड़	**0.00**		**0.00**	
विवादित व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है				
6 महीने के बराबर से कम	0.00		0.00	
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
3 वर्ष से अधिक	0.00		0.00	
उप जोड़	**0.00**		**0.00**	
अविवादित ऋण हानिकृत				
6 महीने के बराबर से कम	0.00		0.00	
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
3 वर्ष से अधिक	65.85		77.66	
उप जोड़	**65.85**		**77.66**	
विवादित ऋण हानिकृत				
6 महीने के बराबर से कम	0.00		0.00	
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
3 वर्ष से अधिक	100.00		112.22	
उप जोड़	**100.00**		**112.22**	
	165.85		189.88	
घटाएं: जब्त पट्टा उचंत	50.71		50.71	
घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत	44.40		50.26	
	70.74		88.91	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	70.74		88.91	
उप जोड़		**0.00**		**0.00**
व्यापार प्राप्य – विपणन				
अविवादित व्यापार प्राप्य शोध्य माने गए				
6 महीने के बराबर से कम	4976.82		2141.57	
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	2044.20		4514.19	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	3298.59		1033.98	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	683.74		2609.68	
3 वर्ष से अधिक	4941.66		3216.21	
उप जोड़	**15945.01**		**13515.63**	
विवादित व्यापार प्राप्य शोध्य माने गए				
6 महीने के बराबर से कम	0.00		0.00	
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति		31.03.22 को यथास्थिति	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
3 वर्ष से अधिक	35.02		35.02	
उप जोड़	**35.02**		**35.02**	
अविवादित व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है				
6 महीने के बराबर से कम	0.00		0.00	
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
3 वर्ष से अधिक	0.00		0.00	
उप जोड़	**0.00**		**0.00**	
विवादित व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है				
6 महीने के बराबर से कम	0.00		0.00	
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
3 वर्ष से अधिक	0.00		0.00	
उप जोड़	**0.00**		**0.00**	
अविवादित ऋण हानिकृत				
6 महीने के बराबर से कम	0.00		0.00	
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
3 वर्ष से अधिक	214.85		214.85	
उप जोड़	**214.85**		**214.85**	
विवादित ऋण हानिकृत				
6 महीने के बराबर से कम	0.00		0.00	
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
3 वर्ष से अधिक	44.76		44.76	
उप जोड़	**44.76**		**44.76**	
	16239.64		13810.26	
घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत	0.00		0.00	
	16239.64		13810.26	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	259.61		259.61	
उप जोड़		**15980.03**		**13550.65**
व्यापार प्राप्य – अन्य				
अविवादित व्यापार प्राप्य शोध्य माने गए				
6 महीने के बराबर से कम	207.30		539.36	
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	6.92		5.93	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	6.51		40.14	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	36.31		0.21	
3 वर्ष से अधिक	60.30		29.74	
उप जोड़	**317.34**		**615.38**	

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति		31.03.22 को यथास्थिति	
विवादित व्यापार प्राप्य शोध्य माने गए				
6 महीने के बराबर से कम	0.00		0.00	
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
वर्ष से अधिक	5.74		5.74	
उप जोड़	**5.74**		**5.74**	
अविवादित व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है				
6 महीने के बराबर से कम	0.00		0.00	
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
3 वर्ष से अधिक	0.00		0.00	
उप जोड़	**0.00**		**0.00**	
विवादित व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है				
6 महीने के बराबर से कम	0.00		0.00	
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
3 वर्ष से अधिक	0.00		0.00	
उप जोड़	**0.00**		**0.00**	
ऋण हानिकृत				
6 महीने के बराबर से कम	2.07		0.53	
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.69		26.03	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	99.14		134.48	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	14.77		66.40	
3 वर्ष से अधिक	54.00		44.35	
उप जोड़	**170.67**		**271.79**	
विवादित ऋण हानिकृत				
6 महीने के बराबर से कम	0.00		0.00	
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
3 वर्ष से अधिक	262.51		261.64	
उप जोड़	**262.51**		**261.64**	
	756.26		1154.55	
घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत	0.68		0.68	
	755.58		1153.87	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.82	
	432.51		532.75	
उप जोड़		**323.07**		**620.30**
जोड़		**16303.10**		**14170.95**

टिप्पणी – 6 : ऋण एवं अग्रिम (परिशोधित लागत पर)

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति		31.03.22 को यथास्थिति	
ऋण एवं अग्रिम				
मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	1152.18		1157.74	
अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गऐ	262376.67		243229.82	
असुरक्षित	13999.05		15598.63	
	277527.90		259986.19	
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत	669.77		953.66	
	276858.13		259032.53	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	11209.90		11481.13	
तुलन–पत्र के अनुसार		**265648.23**		**247551.40**
ऋणों और अग्रिमों का भौगोलिक वर्गीकरण :				
भारत में		265648.23		247551.40
भारत से बाहर		0.00		0.00
कुल		**265648.23**		**247551.40**
पीएसयू और अन्य को ऋण और अग्रिम:				
पीएसयू को		3507.23		4752.83
अन्य को		262141.00		242798.57
कुल		**265648.23**		**247551.40**

अनुलग्नक – 6क : ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण (परिशोधित लागत पर)

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति		31.03.22 को यथास्थिति	
कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम				
मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	21.11		26.67	
अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए	0.00		0.00	
असुरक्षित	23.99		12.36	
	45.10		39.03	
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत	0.00		0.00	
	45.10		39.03	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	0.00		0.03	
		45.10		39.00
नकद अथवा वस्तु रूप में या इसके मूल्य के लिए प्राप्त किए जाने वाले वसूली योग्य अग्रिम				
मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए	0.00		0.00	
असुरक्षित	4637.78		5903.29	
	4637.78		5903.29	

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति		31.03.22 को यथास्थिति	
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत	0.00		0.00	
	4637.78		5903.29	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	48.56	4589.22	52.90	5850.39
अन्य ऋण एवं अग्रिम '				
मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	1131.07		1131.07	
अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए	262376.67		243229.82	
असुरक्षित	9337.16		9681.73	
	272844.90		254042.62	
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत	669.77		953.66	
	272175.13		253088.96	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	11161.34	261013.79	11428.20	241660.76
संबंधित पक्षकारों को ऋण और अग्रिम				
मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए	0.00		0.00	
असुरक्षित	0.12		1.25	
	0.12		1.25	
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत	0.00		0.00	
	0.12		1.25	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	0.00	0.12	0.00	1.25
जोड़		**265648.23**		**247551.40**

नोट :– *अन्य ऋणों और अग्रिमों में वाणिज्यिक गतिविधियों के तहत बकाया राशि शामिल है अर्थात् आरएमए/एडब्ल्यूआरटी, बीडी, सीटीएल और मीयादी ऋण (विवरण के लिए अनुलग्नक 6बी देखें)

अनुलग्नक – 6ख : ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण (परिशोधित लागत पर)

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति		31.03.22 को यथास्थिति	
थोक और खुदरा व्यापारियों को कच्चे माल की सहायता / सहायता				
मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	1003.70		1003.70	
अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए	259503.47		240244.79	
असुरक्षित	7636.73		7981.31	
	268143.90		249229.80	
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत	497.72		819.20	
	267646.18		248410.60	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	9440.30	258205.88	9706.57	238704.03

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति		31.03.22 को यथास्थिति	
बिल डिस्काउंटिंग				
मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	127.37		127.37	
अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए	2873.20		2985.03	
असुरक्षित	1509.30		1509.29	
	4509.87		4621.69	
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत	128.89		91.30	
	4380.98		4530.39	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	1573.07	2807.91	1573.66	2956.73
संयुक्त मियादी ऋण				
मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए	0.00		0.00	
असुरक्षित	175.69		175.69	
	175.69		175.69	
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत	38.91		38.91	
	136.78		136.78	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	136.78	0.00	136.78	0.00
मियादी ऋण				
मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए	0.00		0.00	
असुरक्षित	15.44		15.44	
	15.44		15.44	
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत	4.25		4.25	
	11.19		11.19	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	11.19	0.00	11.19	0.00
जोड़		**261013.79**		**241660.76**

टिप्पणी – 6ग : निगम के निदेशकों और अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण और अग्रिम (कर्मचारियों को ऋणों एवं अग्रिमों के अंतर्गत सहित)

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति	31.03.22 को यथास्थिति
निदेशकगण	0.12	0.00
कंपनी के अन्य अधिकारी	45.09	39.00
फर्म, जिसमें निदेशक साझेदार हो	0.00	0.00
निजी कंपनी, जिसमें निदेशक सदस्य हो	0.00	0.00
जोड़	**45.21**	**39.00**

टिप्पणी – 7 : निवेश

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति		31.03.22 को यथास्थिति	
क) एनवीसीएफएल में अन्य निवेश – एसआरआई निधि (मूल्यांकित लागत पर)				
आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) निधि : 0.339 यूनिट @ रु 1 करोड़ प्रति यूनिट, (0.107 यूनिट @ रू 1 करोड़ प्रति यूनिट)	33.88		10.69	
घटाएं: हानिकरण क्षति हेतु भत्ता	0.00	33.88	0.00	10.69
ख) इक्विटी उपकरणों में निवेश उचित मूल्य पर (अन्य व्यापक आय के माध्यम से)				
इक्विटी प्रलेख	314.76		279.07	
घटाएं: हानिकरण क्षति हेतु भत्ता	10.00	304.76	10.00	269.07
तुलन पत्र के अनुसार		**338.64**		**279.76**

निवेश (उचित मूल्य पर अन्य व्यापक आय के माध्यम से)	31.03.23 को यथास्थिति	31.03.22 को यथास्थिति
मैसर्स सिंगर इंडिया लिमिटेड के इक्विटी शेयर (दिनांक 31.03.23 को उप–विभाजन के पश्चात पूर्णतः प्रदत्त प्रत्येक 2/– रुपए के 470230 शेयर, उचित मूल्य 64.81 रू. प्रति शेयर) (दिनांक 31.03.22 को उप–विभाजन के पश्चात पूर्णतः प्रदत्त प्रत्येक 2/– रुपए के 470230 शेयर, उचित मूल्य 57.22 रू. प्रति शेयर)	304.76	269.07
मैसर्स लघु उद्योग उत्पादन प्रोन्नत संगठन लिमिटेड (एसआईपीपीओ) के इक्विटी शेयर (प्रत्येक 10–10 रुपए के पूर्णतः प्रदत्त – 100000 इक्विटी शेयर अनुद्धृत)	10.00	10.00
उप जोड़	**314.76**	**279.07**
घटाएं: एसआईपीपीओ के इक्विटी शेयरों हेतु हानिकरण क्षति की छूट	10.00	10.00
तुलन–पत्र के अनुसार	**304.76**	**269.07**

निवेश का भौगोलिक वर्गीकरण	31.03.23 को यथास्थिति	31.03.22 को यथास्थिति
भारत में	338.64	279.76
भारत से बाहर	0.00	0.00
जोड़	**338.64**	**279.76**

नोट :– *टिप्पणी–35 की क्रम सं. 4(वाय)(एफ)(क) देखें।

टिप्पणी – 8 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (परिशोधित लागत पर)

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति		31.03.22 को यथास्थिति	
प्रतिभूति जमा				
मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए	0.00		0.00	
असुरक्षित	278.08		263.67	
	278.08		263.67	
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत	0.00		0.00	
	278.08		263.67	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	0.75	277.33	1.71	261.96
उप जोड़		**277.33**		**261.96**
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां				
बैंकों से प्राप्य				
ब्याज	268.30		268.30	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	268.30	0.00	268.30	0.00
अन्य	934.28		1232.35	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	246.93	687.35	4.93	1227.42
सुनमय/लघु अवधि जमाओं पर प्रोदभत परंतु अदेय ब्याज		8.66		17.54
बयाना राशि जमा प्राप्य		0.00		3.00
अवधारण राशि प्राप्य		238.82		264.98
देय प्रतिभूति जमा का बट्टाकरण प्रभाव		207.80		146.51
देय ईएमडी पर छूट का प्रभाव		0.00		0.00
देय अवधारणा राशि का बट्टाकरण प्रभाव		0.94		1.53
एसआरआई निधि से प्राप्य		613.68		109.42
एनवीसीएफएल के साथ खाता शेष का आदान–प्रदान		0.00		33.33
उप जोड़		**1757.25**		**1803.73**
तुलन–पत्र के अनुसार		**2034.58**		**2065.69**

टिप्पणी – 9 : निवेश

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति	31.03.22 को यथास्थिति
तैयार माल	0.00	0.00
भंडार और अतिरिक्त पुर्जे	9.85	7.23
खुले औज़ार और मापन यंत्र	1.63	5.03
स्टॉक में भूमि और भवन, औद्योगिक सम्पदा, नैनी *	0.00	0.00
उप–जोड़	**11.48**	**12.26**
घटाएं: हानिकरण क्षति भत्ता	**0.00**	**0.00**
तुलन–पत्र के अनुसार	**11.48**	**12.26**

टिप्पणी :– * माल–सूची पर भारतीय लेखकंन मानक–2 पर प्रकटन के लिए टिप्पणी–35 के क्रम संख्या 4 (ख) को देखें।

टिप्पणी – 10 : चालू कर (निवल)

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति	31.03.22 को यथास्थिति
स्रोत पर काटा गया टीडीएस/टीसीएस	2512.32	1915.69
अग्रिम कर	8236.90	7585.89
घटाएं: आय कर हेतु प्रावधान	10502.00	8855.25
तुलन–पत्र के अनुसार	**247.22**	**646.33**

टिप्पणी – 11 : आस्थगित कर देयताएं/परिसंपत्तियां (निवल)

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति	31.03.22 को यथास्थिति
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	5768.78	5756.79
घटाएं : आस्थगित कर देयतांए	2229.36	1896.42
तुलन पत्र के अनुसार	**3539.42**	**3860.37**

टिप्पणी :– टिप्पणी–35 का क्रम संख्या 4(घ) देखें।

टिप्पणी – 12 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.2023 के अनुसार निवल वहन राशि	31.03.2022 के अनुसार निवल वहन राशि
भूमि	47.57	47.95
भवन	22871.86	22540.38
फर्नीचर एवं फिटिंग्स	301.11	336.65
कार्यालय उपकरण	341.42	301.53
वाहन	10.37	14.83
संयंत्र एवं उपकरण	5151.97	5102.57
कुल संपत्ति, संयत्र और उपकरण	**28724.30**	**28343.91**
बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत परिसंत्तियां	0.21	0.21
सॉफ्टवेयर और विकासधीन सॉफ्टवेयर	93.97	106.34
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियां	54.16	55.00
चल रहा पूंजीगत कार्य	437.42	750.33

(लाख रू. में)

विवरण	सकल ब्लॉक							संचित मूल्यह्रास						एलटीए		निवल ब्लॉक	
	01.04.22 को यथास्थिति	वृद्धि	बिक्री	कारोबार संयोजन के माध्यम से अभिगृहीत	पुनर्मूल्यांकन / हानि	अंतर इकाई अंतरण/ अंतर समूह समायोजन / अन्य समायोजन	31.03.23 तक लागत	01/04/22 को यथास्थिति	वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क	बिक्री	पुनर्मूल्यांकन / हानि	अंतर इकाई अंतरण/ अंतर समूह समायोजन / अन्य समायोजन	31/03/23 को यथास्थिति	31/03/23 को यथास्थिति	31/03/22 को यथास्थिति	31/03/23 को यथास्थिति	31/03/22 को यथास्थिति
मूर्त परिसंपत्तियां																	
स्वयं की परिसंपत्तियां																	
भवन	23165.86	0.00	8.09	0.00	0.00	0.00	23157.77	2237.02	370.40	0.21	0.00	0.00	2607.21	0.00	0.00	20550.56	20928.84
फर्नीचर एवं फिटिंग्स	615.13	27.04	7.36	0.00	0.00	0.00	634.81	419.72	37.78	2.08	0.00	0.00	455.42	0.00	0.00	179.39	195.41
भूमि	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.62	4.19	0.28	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	30.15	30.43
कार्यालय उपकरण	963.18	110.99	15.94	0.00	0.00	-8.01	1066.24	828.63	51.96	12.24	0.00	-5.26	873.61	0.00	0.00	192.63	134.55
वाहन	87.16	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00	80.06	73.10	4.08	6.76	0.00	0.00	70.42	0.00	0.00	9.64	14.06
संयंत्र एवं उपकरण	2558.47	4.85	28.02	0.00	0.00	9.09	2526.21	1009.96	78.54	26.51	0.00	5.97	1056.02	0.00	0.00	1470.19	1548.51
जोड़	**27424.42**	**142.88**	**66.51**	**0.00**	**0.00**	**1.08**	**27499.71**	**4572.62**	**543.04**	**47.80**	**0.00**	**0.71**	**5067.15**	**0.00**	**0.00**	**22432.56**	**22851.80**
पट्टायुक्त परिसंपत्तियां																	
संयंत्र एवं उपकरण	48.40	0.00	15.24	0.00	0.00	0.00	33.16	35.59	0.00	15.24	0.00	0.00	20.35	12.77	12.77	0.04	0.04
जब्त पट्टायुक्त परिसंपत्तियां																	
संयंत्र एवं उपकरण	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.35	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	9.67	48.80	48.80	0.88	0.88
सरकारी अनुदानों से प्रोद्भूत परिसंपत्तियां																	
भूमि	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.04	5.52	0.10	0.00	0.00	0.00	5.62	0.00	0.00	17.42	17.52
भवन	1009.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-677.46	1686.76	475.85	27.33	0.00	0.00	0.00	503.18	0.00	0.00	1183.58	533.45
फर्नीचर एवं फिटिंग्स	179.96	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	183.47	109.03	14.23	0.00	0.00	0.00	123.26	0.00	0.00	60.21	70.93
कार्यालय उपकरण	943.84	3.44	0.08	0.00	0.00	-0.58	947.78	832.16	44.49	0.08	0.00	0.00	876.57	0.00	0.00	71.21	111.68
वाहन	11.16	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	10.44	10.67	0.00	0.68	0.00	0.00	9.99	0.00	0.00	0.45	0.49
संयंत्र एवं उपकरण	5204.68	332.99	6.75	0.00	0.00	0.58	5530.34	2347.62	276.99	6.41	0.00	0.00	2618.20	0.00	0.00	2912.14	2857.06
जोड़	**7371.98**	**339.94**	**7.55**	**0.00**	**0.00**	**-677.46**	**8381.83**	**3780.85**	**363.14**	**7.17**	**0.00**	**0.00**	**4136.82**	**0.00**	**0.00**	**4245.01**	**3591.13**
तकनीकी केंद्रों के संबंध में सरकारी अनुदानों से अप्रोद्भूत परिसंपत्तियां																	
भवन	1307.39	46.92	2.53	0.00	0.00	-45.95	1397.73	229.30	30.71	0.00	0.00	0.00	260.01	0.00	0.00	1137.72	1078.09
फर्नीचर एवं फिटिंग्स	166.47	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	172.10	96.16	14.43	0.00	0.00	0.00	110.59	0.00	0.00	61.51	70.31
कार्यालय उपकरण	649.71	37.56	3.08	0.00	0.00	0.00	684.19	594.41	15.13	2.93	0.00	0.00	606.61	0.00	0.00	77.58	55.30
वाहन	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.67	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5.39	0.00	0.00	0.28	0.28
संयंत्र एवं उपकरण	1106.23	152.46	0.26	0.00	0.00	0.00	1258.43	410.15	79.80	0.24	0.00	0.00	489.71	0.00	0.00	768.72	696.08
जोड़	**3235.47**	**242.57**	**5.87**	**0.00**	**0.00**	**-45.95**	**3518.12**	**1335.41**	**140.07**	**3.17**	**0.00**	**0.00**	**1472.31**	**0.00**	**0.00**	**2045.81**	**1900.06**
उप–जोड़ मूर्त परिसंपत्तियां	**38139.62**	**725.39**	**95.17**	**0.00**	**0.00**	**-722.33**	**39492.17**	**9734.14**	**1046.25**	**73.38**	**0.00**	**0.71**	**10706.30**	**61.57**	**61.57**	**28724.30**	**28343.91**
गत वर्ष	37448.13	658.34	82.88	0.00	0.00	-116.03	38139.62	8751.12	1049.85	62.91	0.00	3.92	9734.14	61.57	61.57	28343.91	28635.44
अमूर्त परिसंपत्तियां																	
स्वयं की परिसंपत्तियां																	
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	193.75	3.34	0.34	0.00	0.00	-1.08	197.83	157.67	16.10	0.26	0.00	-0.71	174.22	0.00	0.00	23.61	36.08

(लाख रू. में)

विवरण	सकल ब्लॉक							संचित मूल्यह्रास						एलटीए		निवल ब्लॉक	
	01.04.22 को यथास्थिति	वृद्धि	बिक्री	कारोबार संयोजन के माध्यम से अभिगृहीत	पुनर्मूल्यांकन / हानि	अंतर इकाई अंतरण/ अंतर समूह समायोजन / अन्य समायोजन	31.03.23 तक लागत	01/04/22 को यथास्थिति	वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क	बिक्री	पुनर्मूल्यांकन / हानि	अंतर इकाई अंतरण/ अंतर समूह समायोजन / अन्य समायोजन	31/03/23 को यथास्थिति	31/03/23 को यथास्थिति	31/03/22 को यथास्थिति	31/03/23 को यथास्थिति	31/03/22 को यथास्थिति
सरकारी अनुदान से प्रोद्भूत परिसंपत्तियां																	
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	109.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.08	75.10	12.27	0.00	0.00	0.00	87.37	0.00	0.00	21.71	33.98
तकनीकी केंद्रों के संबंध में सरकारी अनुदानों से अप्रोद्भूत परिसंपत्तियां																	
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	248.28	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	252.44	235.39	4.05	0.00	0.00	0.00	239.44	0.00	0.00	13.00	12.89
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियां																	
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियां	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.67	2.67	0.84	0.00	0.00	0.00	3.51	0.00	0.00	54.16	55.00
उप जोड़ – अमूर्त परिसंपत्तियां	608.78	7.50	0.34	0.00	0.00	-1.08	617.02	470.83	33.26	0.26	0.00	-0.71	504.54	0.00	0.00	112.48	137.95
गत वर्ष	592.06	17.45	0.73	0.00	0.00	0.00	608.78	417.43	53.61	0.21	0.00	0.00	470.83	0.00	0.00	137.95	174.63
चल रहा पूंजीगत कार्य																	
चल रहा पूंजीगत कार्य	231.81	251.56	0.00	0.00	0.00	45.95	437.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.42	231.81
गत वर्ष	246.81	3.42	0.00	0.00	18.42	231.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.81	246.81
सरकारी अनुदान से अर्जित सीडब्ल्यूआईपी	518.52	158.94	0.00	0.00	0.00	677.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.52
गत वर्ष	176.63	423.97	0.00	0.00	0.00	82.08	518.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.52	176.63
उप जोड़-चल रहा पूंजीगत कार्य	**750.33**	**410.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**723.41**	**437.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**437.42**	**750.33**
गत वर्ष	423.44	427.39	0.00	0.00	0.00	100.50	750.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.33	423.44
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां																	
मालिकाना परिसंपत्तियां																	
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	23.39	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.65	23.39
गत वर्ष	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	16.93	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.39	40.32
बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां																	
बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां (स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां)	4.24	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	4.13	4.03	0.00	0.11	0.00	0.00	3.92	0.00	0.00	0.21	0.21
बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां (सरकारी अनुदान)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जोड़	4.24	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	4.13	4.03	0.00	0.11	0.00	0.00	3.92	0.00	0.00	0.21	0.21
सकल जोड़	**39526.36**	**1155.65**	**95.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40586.39**	**10209.00**	**1079.51**	**73.75**	**0.00**	**0.00**	**11214.76**	**61.57**	**61.57**	**29310.06**	**29255.79**
गत वर्ष	38517.45	1103.18	96.99	0.00	0.00	-19.65	39526.36	9181.98	1103.46	76.44	0.00	0.00	10209.00	61.57	61.57	29255.79	29273.90

नोटः– अंतः यूनिट स्थानांतरण/अंतः समूह समायोजन/अन्य समायोजन कॉलम में सीडब्ल्यूआईपी से संबंधित परिसंपत्तियों के समूह में संपत्ति का पूंजीकरण शामिल है।

अनुलग्नक – 12क : सीडब्ल्यूआईपी (अनुदान सहित) और विकसोन्मुखी अमूर्त परिसंपत्ति का समय–निर्धारण

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति	31.03.22 को यथास्थिति
सीडब्ल्यूआईपी का समय–वार वर्गीकरण		
चल रही परियोजनाएं		
1 वर्ष के बराबर से कम	209.03	3.42
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	132.03
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	132.03	6.96
3 वर्ष से अधिक	96.36	89.40
उप जोड़	**437.42**	**231.81**
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित		
1 वर्ष के बराबर से कम	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
उप जोड़	0.00	0.00
कुल	**437.42**	**231.81**
वे परियोजनाएं जिनकी पूर्णता की निर्धारित तिथि बीत चुकी है या मूल लागत से अधिक हो चुकी है।		
1 वर्ष के बराबर से कम	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
कुल	**0.00**	**0.00**
सीडब्ल्यूआईपी का आयुवार वर्गीकरण (अनुदान से प्राप्त)		
चल रही परियोजनाएं		
1 वर्ष के बराबर से कम	0.00	423.97
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	94.55
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
उप जोड़	**0.00**	**518.52**
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित		
1 वर्ष के बराबर से कम	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
उप जोड़	**0.00**	**0.00**
कुल	**0.00**	**518.52**
वे परियोजनाएं जिनकी पूर्णता की निर्धारित तिथि बीत चुकी है या मूल लागत से अधिक हो चुकी है।		
1 वर्ष के बराबर से कम	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
कुल	**0.00**	**0.00**
विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियों का आयुवार वर्गीकरण		
चल रही परियोजनाएं		
1 वर्ष के बराबर से कम	12.26	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	23.39

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.22 को यथास्थिति	31.03.21 को यथास्थिति
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	23.39	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
उप जोड़	**35.65**	**23.39**
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित		
1 वर्ष के बराबर से कम	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
उप जोड़	**0.00**	**0.00**
कुल	**35.65**	**23.39**
वे परियोजनाएं जिनकी पूर्णता की निर्धारित तिथि बीत चुकी है या मूल लागत से अधिक हो चुकी है।		
1 वर्ष के बराबर से कम	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
कुल	**0.00**	**0.00**

टिप्पणी – 13 : अन्य गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति		31.03.22 को यथास्थिति	
पूंजीगत अग्रिम				
सीपीडब्ल्यूडी और अन्य के पास	9.67		159.60	
जोड़ें: पूंजी अग्रिम पर प्रोद्भूत ब्याज	0.00	9.67	0.00	159.60
ठेकेदारों के पास (सरकारी अनुदान की प्रति)	77.22		12.36	
जोड़ें: पूंजी अग्रिम पर प्रोद्भूत ब्याज	0.00	77.22	0.00	12.36
उप–जोड़		86.89		171.96
कर प्राधिकारियों के पास अन्य जमा		1368.63		546.28
अन्य गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां	3016.95		1224.45	
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति भत्ता	0.93	3016.02	3.45	1221.00
तुलन–पत्र के अनुसार		**4471.54**		**1939.24**

नोट:–# इसमें सरकारी अनुदान के बदले बाहरी पार्टियों को दिया गया अग्रिम भुगतान, प्रीपेड खर्च, बाहरी पार्टियों को दिया गया अग्रिम भुगतान, अदालत में जमा की गई राशि और अग्रिम भुगतान की गई दरें और कर शामिल हैं।

टिप्पणी – 14 : व्यापार प्राप्य

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति		31.03.22 को यथास्थिति	
व्यापार देय				
एमएसई की बकाया राशियां	16463.62		14348.24	
गैर–एमएसई की बकाया राशियां	113.32	16576.94	112.40	14460.64
अन्य देय				
एमएसई की बकाया राशियां	0.00		0.00	
गैर–एमएसई की बकाया राशियां	0.00	0.00	0.00	0.00
संबंधित पक्षकारों को देय		0.00		0.00
तुलन–पत्र के अनुसार		**16576.94**		**14460.64**

टिप्पणी: टिप्पणी–35 का क्रम सं. 1 देखें।

अनुलग्नक – 14क : व्यापार देय (आयुवार सारांश)

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति		31.03.22 को यथास्थिति	
अविवादित व्यापार देय – एमएसई की देय राशि				
1 वर्ष के बराबर से कम	7220.47		6766.61	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	3340.10		1298.89	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	820.56		2559.05	
3 वर्ष से अधिक	4916.65		3499.75	
उप जोड़		**16297.78**		**14124.30**
विवादित व्यापार देय – एमएसई की देय राशि				
1 वर्ष के बराबर से कम	0.00		0.00	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
3 वर्ष से अधिक	165.84		223.94	
उप जोड़		**165.84**		**223.94**
कुल		**16463.62**		**14348.24**
अविवादित व्यापार देय – अन्य की देय राशि				
1 वर्ष के बराबर से कम	3.61		2.10	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.04		0.03	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.32		7.65	
3 वर्ष से अधिक	88.50		90.52	
उप जोड़		**92.47**		**100.30**
विवादित व्यापार देय – अन्य की देय राशि				
1 वर्ष के बराबर से कम	0.00		0.00	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
3 वर्ष से अधिक	20.85		12.10	
उप जोड़		**20.85**		**12.10**
कुल		**113.32**		**112.40**
कुल योग		**16576.94**		**14460.64**

टिप्पणी – 15 : उधार (परिशोधित लागत पर)

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति		31.03.22 को यथास्थिति	
सुरक्षित उधारियां				
बांड/डिबेंचर		0		0
निम्नलिखित से मियादी ऋण:				
बैंकों से		0		0
अन्यों से:				
भारत सरकार	0		0	
राज्य सरकारें	0		0	
वित्तीय संस्थान	0		0	
विदेशी वित्तीय संस्थान	0		0	
अन्य	0	0	0	0
निम्नलिखित से मांग पर ऋणों की पुनःअदायगी:				
बैंकों से				
कार्यशील पूंजीगत ऋण	147000.00		127500.00	

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति		31.03.22 को यथास्थिति	
नकदी क्रेडिट	3778.26		0.00	
ओवरड्राफ्ट	0.00		0.00	
मियादी ऋण	0.00	150778.26	20000.00	147500.00
अन्य पक्षकार		0		0
आस्थगित भुगतान देयताएं		0		0
जमा		0		0
संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम		0		0
वित्तीय पट्टा इकरारों की दीर्घ अवधि परिपक्वता		0		0
निम्नलिखित से अन्य ऋण और अग्रिमः				
भारत सरकार	0		0	
राज्य सरकारें	0		0	
वित्तीय संस्थान	0		0	
विदेशी वित्तीय संस्थान	0		0	
अन्य	0	0	0	0
उप जोड़		**150778.26**		**147500.00**
असुरक्षित उधार				
बांड/डिबेंचर		0		0
निम्नलिखित से मियादी ऋण				
बैंकों से		0		0
अन्य पक्षकारों सेः				
भारत सरकार	0		0	
राज्य सरकारें	0		0	
वित्तीय संस्थान	0		0	
विदेशी वित्तीय संस्थान	4808.71		4835.57	
अन्य	0	4808.71	0	4835.57
निम्नलिखित से मांग पर ऋणों की पुनःअदायगीः				
बैंकों से				
कार्यशील पूंजीगत ऋण	0		0	
नकदी क्रेडिट	0		0	
ओवरड्राफ्ट	0		0	
मियादी ऋण	0	0	0	0
अन्य पक्षकार		0		0
आस्थगित अदायगी देयताएं		0		0
जमा		0		0
संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम		0		0
वित्तीय पट्टा इकरारों की दीर्घ अवधि परिपक्वता		0		0
निम्नलिखित से अन्य ऋण और अग्रिमः				
भारत सरकार	0		0	
राज्य सरकारें	0		0	
वित्तीय संस्थान	0		0	
विदेशी वित्तीय संस्थान	0		0	
अन्य	0	0	0	0
उप जोड़		**4808.71**		**4835.57**
तुलन–पत्र के अनुसार		**155586.97**		**152335.57**
उधारों का भौगोलिक वर्गीकरणः				
भारत में		150778.26		147500.00
भारत से बाहर		4808.71		4835.57
जोड़		**155586.97**		**152335.57**

टिप्पणीः टिप्पणी–35 का क्रम सं. 4(एच) देखें।

अनुलग्नक – 15क : उधारों के ब्यौरे (परिशोधित लागत पर)

(लाख रू. में)

विवरण	निम्नलिखित को बकाया राशि:		अवधि एवं अदायगी योग्य किश्तों की बारंबारता (मासिक/त्रैमासिक/ अर्ध–वार्षिक/ वार्षिक)	प्रतिभूति का स्वरूप	क्या निदेशकों अथवा अन्यों द्वारा गारंटी दी गई है	31.03.23 को यथास्थिति निरंतर चूकें	
	31.03.23 को यथास्थिति	31.03.22 को यथास्थिति				अवधि	राशि
सुरक्षित उधार							
बांड/डिबेंचर							
निम्नलिखित से मियादी ऋण:							
बैंक							
विजया बैंक	0	0	अर्धवार्षिक		शून्य	0	
अन्यों से:							
भारत सरकार							
राज्य सरकारें							
वित्तीय संस्थान							
विदेशी वित्तीय संस्थान							
अन्य							
अदायगी योग्य ऋण:							
बैंक							
कार्यशील पूंजीगत ऋण							
द हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.00	0.00		ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली में 41920 वर्ग मीटर के माप वाली फ्री होल्ड भूमि के एकमात्र पंजीकृत बंधक के प्रति प्रतिभूत और विपणन क्रियाकलापों के अंतर्गत कच्चा माल सहायता स्कीम और बही ऋणों के अधीन प्राप्य राशियों पर समरूप प्रभार	शून्य	0	
भारतीय स्टेट बैंक	67000.00	127500.00		ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली में स्थित 47 बीघा और 67 बिसवा माप वाली संपत्ति के साम्यिक बंधक के प्रति प्रतिभूत और बही ऋणों/वर्तमान परिसंपत्तियों पर समरूप प्रभार			
एचडीएफसी डब्ल्यूसीडीएल	80000.00	0.00		बंधक रखकर, लेखा बही ऋणों पर समरूप प्रभार	शून्य	0	
	147000.00	127500.00			शून्य	0	
नकद क्रेडिट							
पंजाब नेशनल बैंक	0	0		ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली में भूमि और भवन के साम्यिक बंधक के प्रति प्रतिभूत और ऋणों तथा अग्रिमों, बही ऋणों, बट्टाकृत बिलों और विपणन क्रियाकलापों समे संबंधित सभी चालू परिसंपत्तियों के रूप में प्राप्तियोग्य राशियों पर समरूप प्रभार	शून्य	0	
बंक ऑफ बड़ौदा (पहले विजया बैंक)	0	0		ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली में स्थित संपत्ति के पंजीकृत बंधक के प्रति प्रतिभूत और बही ऋणों/चालू परिसंपत्तियों पर समरूप प्रभार	शून्य	0	
भारतीय स्टेट बैंक	3778.26	0		ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली में स्थित 47 बीघा और 67 बिसवा माप वाली संपत्ति के साम्यिक बंधक के प्रति प्रतिभूत और बही ऋणों/वर्तमान परिसंपत्तियों पर समरूप प्रभार	शून्य	0	
	3778.26	0					

(लाख रू. में)

विवरण	निम्नलिखित को बकाया राशि:		अवधि एवं अदायगी योग्य किश्तों की बारंबारता (मासिक/त्रैमासिक/ अर्ध–वार्षिक/ वार्षिक)	प्रतिभूति का स्वरूप	क्या निदेशकों अथवा अन्यों द्वारा गारंटी दी गई है	31.03.23 को यथास्थिति निरंतर चूकें	
	31.03.23 को यथास्थिति	31.03.22 को यथास्थिति				अवधि	राशि
ओवरड्राफ्ट							
द हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0	0		ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली में 41920 वर्ग मीटर के माप वाली फ्री होल्ड भूमि के एकमात्र पंजीकृत बंधक के प्रति प्रतिभूत और विपणन क्रियाकलापों के अंतर्गत कच्चा माल सहायता स्कीम और बही ऋणों के अधीन प्राप्य राशियों पर समरूप प्रभार	शून्य	0	
	0	0					
मियादी ऋण							
इंडस इंड बैंक	0.00	20000.00		कंपनी के ऋणों और अग्रिमों सहित लेखा बही ऋणों पर समरूप प्रभार			
	0.00	20000.00					
अन्य पक्षकार							
आस्थगित अदायगी देयताएं							
जमा							
संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम							
वित्त पट्टे की इकरारों दीर्घ अवधि परिपक्वताएं							
निम्नलिखित से अन्य ऋण और अग्रिम:							
भारत सरकार							
राज्य सरकारें							
वित्तीय संस्थान							
विदेशी वित्तीय संस्थान							
अन्य							
उप जोड़	**150778.26**	**147500.00**					
असुरक्षित उधार							
बांड/डिबेंचर							
निम्नलिखित से मियादी ऋण:							
बैंक							
निम्नलिखित से अन्य पक्षकार:							
भारत सरकार							
राज्य सरकारें							
वित्तीय संस्थान							
विदेशी वित्तीय संस्थान							

(लाख रू. में)

विवरण	निम्नलिखित को बकाया राशि:		अवधि एवं अदायगी योग्य किश्तों की बारंबारता (मासिक/त्रैमासिक/ अर्ध–वार्षिक/ वार्षिक)	प्रतिभूति का स्वरूप	क्या निदेशकों अथवा अन्यों द्वारा गारंटी दी गई है	31.03.23 को यथास्थिति निरंतर चूकें	
	31.03.23 को यथास्थिति	31.03.22 को यथास्थिति				अवधि	राशि
11वीं लाइन ऑफ क्रेडिट	2249.39	2231.91	अर्धवार्षिक		भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत		
12वीं लाइन ऑफ क्रेडिट	1988.81	2021.90	अर्धवार्षिक		भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत		
केसा डिपॉजिट ई प्रेसिटी, इटली (पूर्व में आर्टिगियाबेकसा, एसपीए के नाम से विख्यात)	570.51	581.76	अर्धवार्षिक		भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत		
	4808.71	**4835.57**					
अन्य							
निम्नलिखित से मांग प्राप्त होने पर ऋणों की पुनः अदायगी:							
बैंक							
चल रहा पूंजीगत ऋण							
नकद क्रेडिट							
ओवरड्राफ्ट							
मियादी ऋण							
अन्य पक्षकार							
आस्थगित अदायगी देयताएं							
जमा							
संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम							
वित्त पट्टे इकरारों की दीर्घ अवधि परिपक्वताएं							
निम्नलिखित से अन्य ऋण और अग्रिम:							
भारत सरकार							
राज्य सरकारें							
वित्तीय संस्थान							
विदेशी वित्तीय संस्थान							
अन्य							
उप जोड़	**4808.71**	**4835.57**					
जोड़	**155586.97**	**152335.57**					

अनुलग्नक – 15ख : विदेशी वित्तीय संस्थानों से उधारों के ब्यौरे

विवरण	केएफडब्ल्यू XI लाइन ऑफ क्रेडिट	केएफडब्ल्यू XII लाइन ऑफ क्रेडिट	इटालियन लाइन ऑफ क्रेडिट
कुल संस्वीकृत ऋण (यूरो में)	5112918.81	5036225.03	1053134.47
अदायगी की नियत तारीख	प्रत्येक वर्ष 30/6 और 31/12	प्रत्येक वर्ष 30/6 और 31/12	प्रत्येक वर्ष 17/7 और 17/1
पहली किश्त	30/06/2002	30/06/2006	17/01/2015
अंतिम किश्त	30/06/2042	30/12/2035	17/07/2035
कुल किश्तें	81	60	42
ब्याज	10.50%	12.50%	0.50%
31.03.23 को बकाया ऋण (यूरो में)	2471585.01	2185261.45	62686.61
पुनः अदायगी अवधि	अर्ध–वार्षिक	अर्ध–वार्षिक	अर्ध–वार्षिक
किश्तों की धनराशि (यूरो में)	62888.90	83851.87	25074.61
30.06.1993 से 31.12.2001 तक ड्यूश मार्क में अदा किया गया कुल ब्याज	592439.19	405995.68	-
30.06.2002 से 31.03.2022 तक यूरो में अदा किया गया कुल ब्याज	602237.43	616802.03	93705.76
हेजिंग	-	-	-

टिप्पणी – 16 : अन्य वित्तीय देयताएं (परिशोधित लागत पर)

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति	31.03.22 को यथास्थिति
आरएमए/एडब्ल्यूआरटी क्रेताओं से अग्रिम – इकाइयां	1632.78	2158.90
भुगतान योग्य बट्टा	1875.44	1667.69
थोक आपूर्तियां के संबंधी खाते में (आरएमए/एडब्ल्यूआरटी)	2195.73	3330.95
रेटिंग/क्रेडिट सूचना एजेंसियों को भुगतान योग्य	12.28	17.91
सुरक्षा जमा देय	2312.35	2042.01
बयाना राशि जमा (ईएमडी)	37.43	44.93
अवधारण राशि	1035.81	1121.46
परियोजनाओं के लिए भुगतान योग्य	850.44	834.85
व्यापार प्राप्यों में शेष क्रेडिट	4.78	37.18
उधारों/सीएसडी पर प्रोदभूत परंतु अदेय ब्याज	8.52	13.01
प्रशिक्षण हेतु देय भुगतान योग्य धनराशि	71.84	72.56
अन्य भुगतान योग्य – कर्मचारी	2390.02	3258.15
व्ययों हेतु चालू देयता	1132.96	938.29
अन्य भुगतान योग्य – कर	697.24	700.10
अन्य भुगतान योग्य #	210.58	246.39
प्राप्त प्रतिबद्ध अग्रिम – प्रदर्शनियां	22.16	36.07
अनुदानों में अतिरेक के प्रति भारत सरकार को देय धनराशि (निवल)	5579.05	5164.42
प्राप्य सुरक्षा जमा का बट्टाकरण प्रभाव	25.79	16.02
प्राप्य अवधारण राशि जमा का बट्टाकरण प्रभाव	1.12	1.93
तुलन–पत्र के अनुसार	**20096.32**	**21702.82**

टिप्पणी:– # इसमें देय सरकारी गारंटी, देय गोदाम संचालन शुल्क, इंडएएस–116 आदि के अनुसार पट्टा दायित्व आदि शामिल हैं।

अनुलग्नक – 16क : अनुदानों में अधिशेष के प्रति भारत सरकार को भुगतान योग्य धनराशियां

(लाख रू. में)

विवरण	गत वर्ष में अग्रेनीत शेष		वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान/ब्याज	राज्य एजेंसी को प्रतिपूर्ति/वापसी/समायोजन/अंतरण	अधिगृहीत अचल परिसंपत्तियां/डब्ल्यूआईपी	निवल राजस्व व्यय	कुल व्यय	प्रतिपूर्ति योग्य व्यय	31.03.23 को यथास्थिति	
	घाटा	अधिशेष							घाटा	अधिशेष
विपणन सहायता योजना										
विपणन सहायता योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उप–जोड़		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
निष्पादन एवं क्रेडिट रेटिंग स्कीम										
निष्पादन एवं क्रेडिट रेटिंग स्कीम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उप–जोड़		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
संस्थानों को प्रशिक्षण हेतु सहायता										
संस्थानों को प्रशिक्षण हेतु सहायता	0.00	1222.98	2863.46	-2053.41	563.74	296.72	860.46	860.46	0.00	1172.57
पूर्वोत्तर क्षेत्र में संस्थानों को प्रशिक्षण हेतु सहायता	0.25	0.00	44.10	0.00	0.00	44.10	44.10	44.10	0.25	0.00
उप–जोड़		**1222.73**	**2907.56**	**-2053.41**	**563.74**	**340.82**	**904.56**	**904.56**		**1172.32**
राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी)	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
प्रशिक्षण एवं इंक्यूबेशन	0.00	16.22	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.57
राष्ट्रीय एससी–एसटी हब (एनएसएसएच)										
एनएसएसएच – एससीएसपी	0.00	2748.16	9619.90	-1645.39	0.00	7993.84	7993.84	7993.84	0.00	2728.83
एनएसएसएच – टीएसपी	0.00	775.88	2281.05	-525.89	0.00	1842.61	1842.61	1842.61	0.00	688.43
एनएसएसएच – पूर्वोत्तर क्षेत्र (एससीएसपी)	0.00	85.23	115.02	-34.73	0.00	61.80	61.80	61.80	0.00	103.72
एनएसएसएच – सामान्य	0.00	304.73	1365.69	-249.94	0.00	984.06	984.06	984.06	0.00	436.42
एनएसएसएच – पूर्वोत्तर क्षेत्र (टीएसपी)	0.00	10.38	885.00	0.00	0.00	408.05	408.05	408.05	0.00	487.33
उप–जोड़		**3924.38**	**14266.66**	**-2455.95**	**0.00**	**11290.36**	**11290.36**	**11290.36**	**0.00**	**4444.73**
प्रापण एवं विपणन सहायता स्कीम (पीएमएसएस)	0.00	0.35	95.20	0.00	0.00	150.86	150.86	150.86	55.31	0.00
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) स्कीम	0.00	0.00	9.26	0.00	0.00	9.26	9.26	9.26	0.00	0.00
जोड़		**5164.42**	**17279.03**	**-4509.36**	**563.74**	**11791.30**	**12355.04**	**12355.04**	**0.00**	**5579.05**
								निवल अधिशेष /(घाटा)	5579.05	
								गत वर्ष अधिशेष /(घाटा)	5164.42	

टिप्पणी – 17 : प्रावधान

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति		31.03.22 को यथास्थिति	
कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान				
उपदान हेतु	5384.35		5200.40	
छुट्टी नकदीकरण हेतु	3251.29		3156.28	
अर्ध–वेतन छुट्टी हेतु	524.55		508.11	
सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ते हेतु	4.04	9164.23	3.92	8868.72
अन्य				
संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों हेतु	13007.63		13173.98	
घटाएं: व्यापार से प्राप्यों, ऋणों एवं अग्रिमों आदि के प्रति कोंट्रा के अनुसार समायोजन	13007.63	0.00	13173.98	0.00
विनिमय भिन्नता के लिए				
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार शेष	2175.00		1977.70	
जोड़ें: वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	408.13		425.07	
घटाएं: विनिमय भिन्नता हानियों के लिए उपयोग किया गया	242.49		3.58	
घटाएं: पुरांकित राशि	90.98	2249.66	224.19	2175.00
संवर्धनात्मक क्रियाकलाप हेतु (केएफडब्ल्यू)				
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार शेष	0.00		0.00	
जोड़ें: वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	47.26		49.84	
घटाएं: उपयोग में लाई गई/पुरांकित राशि	47.26	0.00	49.84	0.00
तुलन–पत्र के अनुसार		**11413.89**		**11043.72**

टिप्पणी: कर्मचारी लाभ प्रवाधनों के लिए टिप्पणी–35 का क्रम सं. 4(आई) देखें।

अनुलग्नक – 17क : परिवर्धन, प्रत्यावर्तन एवं प्रावधानों के उपयोगों के ब्यौरे

2022–23

(लाख रू. में)

विवरण	01.04.2022 को यथास्थिति आरंभ शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	उपयोग/उलट/समायोजन	वर्ष के दौरान वापस ली गई राशि	31.03.2023 को यथास्थिति अंत शेष
उपदान के लिए	5200.40	610.74	425.97	0.82	5384.35
छुट्टी नकदीकरण के लिए	3156.29	687.99	574.97	18.02	3251.29
अर्धवेतन छुट्टी के लिए	508.11	84.19	27.61	40.14	524.55
सेवा निवृत्ति पर यात्रा भत्ते के लिए	3.92	0.41	0.07	0.22	4.04
संदिग्ध ऋणों हेतु	13173.98	241.99	0.00	408.34	13007.63
विनिमय परिवर्तन हेतु	2175.00	408.13	242.49	90.98	2249.66
संवर्धनात्मक क्रियाकलाप हेतु	0.00	47.26	47.26	0.00	0.00
जोड़	**24217.70**	**2080.71**	**1318.37**	**558.52**	**24421.52**

2021–22

(लाख रू. में)

विवरण	01.04.2021 को यथास्थिति आरंभ शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन^	उपयोग / उलट / समायोजन	वर्ष के दौरान वापस ली गई राशि	31.03.2022 को यथास्थिति अंत शेष
उपदान के लिए	4926.49	665.22	390.24	1.07	5200.40
छुट्टी नकदीकरण के लिए	2842.72	847.59	528.02	6.00	3156.29
अर्धवेतन छुट्टी के लिए	491.42	80.77	20.88	43.20	508.11
सेवा निवृत्ति पर यात्रा भत्ते के लिए	3.84	0.37	0.06	0.23	3.92
संदिग्ध ऋणों हेतु	13105.01	478.31	0.00	409.34	13173.98
विनिमय परिवर्तन हेतु	1977.70	425.07	3.58	224.19	2175.00
संवर्धनात्मक क्रियाकलाप हेतु	0.00	49.84	49.84	0.00	0.00
जोड़	**23347.18**	**2547.17**	**992.62**	**684.03**	**24217.70**

टिप्पणी – 18 : अन्य गैर–वित्तीय देयताएं

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति	31.03.22 को यथास्थिति
अग्रिम रूप से प्राप्त आय	1347.76	1128.71
अन्य भुगतान योग्य #	794.89	842.77
कर्मचारी अग्रिम पर बट्टाकरण का प्रभाव	4.48	7.25
तुलन–पत्र के अनुसार	**2147.13**	**1978.73**

नोटः– # इसमें एसपीआरएस, एनएसएसएच इकाइयों, ड्यूटी ड्रॉबैक, प्रदर्शनी / प्रतिनिधिमंडल और अन्य देय खातों के लिए देय खाता शामिल है।

टिप्पणी – 19 : शेयर पूंजी

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति	31.03.22 को यथास्थिति
प्राधिकृत		
100–100 रुपए के 5,35,00,000 (गत वर्ष 5,35,00,000) इक्विटी शेयर	53500.00	53500.00
जारी, अभिदत्त और प्रदत्त		
100–100 रुपए के पूर्णतः प्रदत्त 5,32,98,800 (गत वर्ष 5,32,98,800) इक्विटी शेयर	53298.80	53298.80
तुलन पत्र के अनुसार	**53298.80**	**53298.80**

अनुलग्नक – 19क : बकाया शेयरों की संख्या का लेखा मिलान

विवरण	इक्विटी शेयर (संख्या)	अधिमानी शेयर (संख्या)
वर्ष के आरंभ में बकाया शेयर	53298800	0
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	0	0
वर्ष के दौरान वापस खरीदे गए शेयर	0	0
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	53298800	0

अनुलग्नक – 19ख : भारत सरकार और प्रमोटरों द्वारा निगम में 5 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी का विवरण

शेयरधारक का नाम	31.03.23 के अनुसार धारित शेयरों की संख्या	31.03.23 के अनुसार धारण प्रतिशत	31.03.22 के अनुसार धारित शेयरों की संख्या	31.03.22 के अनुसार धारण प्रतिशत
प्रमोटर एवं शेयरधारक				
भारत सरकार	53298800	100	53298800	100
वर्ष के दौरान प्रमोटर एवं शेयरधारक होल्डिंग में परिवर्तन	.	.	.	.

अनुलग्नक – 19ग : पिछले 5 वर्षों के संबंध में नकद भुगतान प्राप्त किए बिना संविदा (संविदाओं) के अनुसरण में आबंटित शेयरों, बोनस शेयरों और वापस खरीदे गए शेयरों के विवरण

विवरण	शेयरों की कुल संख्या				
	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19
इक्विटी शेयरः					
नकद भुगतान प्राप्त किए बिना संविदा(संविदाओं) के अनुसार पूर्णतः प्रदत्त	0	0	0	0	0
बोनस शेयरों के रूप में पूर्णतः प्रदत्त शेयर	0	0	0	0	0
वापस खरीदे गए शेयर	0	0	0	0	0
अधिमानी शेयरः					
नकद भुगतान प्राप्त किए बिना संविदा(संविदाओं) के अनुसार पूर्णतः प्रदत्त	0	0	0	0	0
बोनस शेयरों के रूप में पूर्णतः प्रदत्त शेयर	0	0	0	0	0
वापस खरीदे गए शेयर	0	0	0	0	0

अनुलग्नक – 19घ : अप्रदत्त मांगों के विवरण

विवरण	31.03.23 को यथास्थिति	31.03.22 को यथास्थिति
अप्रदत्त मांगें		
निदेशकों द्वारा	0	0
अधिकारियों द्वारा	0	0

अनुलग्नक – 19ङ : शेयरों से संबद्ध अधिकार, वरियता और प्रतिबंध

इक्विटी शेयर केवल शेयर पूंजी की वह श्रेणी है, जिनका सममूल्य 100/– रुपए प्रति शेयर है। इक्विटी शेयर को धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति बैठक में व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी रूप से उपस्थित होता है, जोकि एक वोट देने का हकदार है, और मतदान में प्रत्येक शेयर एक वोट का पात्र है।

इक्विटी शेयर का प्रति शेयर प्रदत्त मूल्य के अनुपात में मतदान अधिकार है। कंपनी की तरलता के मामले में, इक्विटी शेयरों के धारक क्रेडिट की गई धनराशियों को उन इक्विटी शेयरों पर प्रदत्त धनराशि को पुनः अदा किए जाने के पात्र हैं। समापन आरंभ होने पर सभी अधिशेष परिसंपत्तियां, देयताओं के समायोजन के पश्चात इक्विटी शेयर के धारकों को उनके शेयरधारण के अनुपात में अदा की जाएंगी।

टिप्पणी – 20 : अन्य इक्विटी के ब्यौरे

(लाख रू. में)

विवरण	01.04.2022 को यथास्थिति	वर्ष के दौरान वृद्धि/सृजन	वर्ष के दौरान कटौती		31.03.2023 को यथास्थिति
			अंतरण/बिक्री/ समायोजन	वर्ष के लिए मूल्यह्रास	
प्रारक्षित पूंजी/आस्थगित आय (भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों से अधिगृहीत परिसंपत्तियों के मूल्य दर्शाने वाली आरक्षित निधि)					
तकनीकी केंद्र	266.09	0.00	-41.78	32.76	275.11
सरकारी खरीद योजना	0.41	0.00	0.00	0.00	0.41
उपर्युक्त प्रौद्योगकी	2.20	0.00	0.00	0.01	2.19
आधुनिकीकरण – ताला परियोजना	10.44	0.00	0.00	0.00	10.44
पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास	17.34	0.00	0.00	0.01	17.33
प्रौद्योगिकी कारोबार इंक्यूबेटर	60.91	0.00	0.00	7.29	53.62
लघु औज़ार कक्ष केंद्र	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85
अल्पसंख्यक कल्याण स्कीम	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12
तकनीकी केंद्र का आधुनिकीकरण	4.32	0.00	0.00	0.00	4.32
विज्ञान और प्रौद्योगिकी परियोजना	1.30	0.00	0.00	0.02	1.28
उत्पाद डिजाइन केंद्र (प्राइड)	10.15	0.00	0.00	0.32	9.83
प्रौद्योगिकी कारोबार इंक्यूबेटर (आईटी)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लघु उद्योग मार्ट (एलयूएम)	188.27	0.00	0.00	7.15	181.12
केएफडब्ल्यू (पश्चिम जर्मनी) ऋणों पर ब्याज विभेदक निधि	17.85	0.00	0.00	0.51	17.34
बैंकिंग ओवन का प्रौद्योगिकी विकास	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
डीएसटी–एसटीईपी (एस एण्ड टी परियोजना)	20.03	0.00	0.00	4.50	15.53
इंधन सक्षम डीजल इंजन परीक्षण (टीएफईडीई)	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36

(लाख रू. में)

विवरण	01.04.2021 को यथास्थिति	वर्ष के दौरान वृद्धि/सृजन	वर्ष के दौरान कटौती		31.03.2022 को यथास्थिति
			अंतरण/बिक्री/समायोजन	वर्ष के लिए मूल्यह्रास	
विपणन विकास केंद्र	59.93	0.00	0.00	1.53	58.40
एस एण्ड टी परियोजना पर ब्याज विभेदक निधि	0.65	0.00	0.00	0.00	0.65
प्रशिक्षण एवं इंक्यूबेशन	222.90	0.00	89.31	14.20	119.39
संस्थानों को प्रशिक्षण के लिए सहायता	3271.84	563.75	-47.16	307.11	3575.64
एनएसएसएच–सामान्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उप जोड़	**4155.98**	**563.75**	**0.37**	**375.41**	**4343.95**
अन्य आरक्षित निधियां					
पूंजी प्रतिस्थापन आरक्षित निधि	73.09	0.00	0.00	0.00	73.09
हानिकरण आरक्षित *	4866.65	0.00	0.00	0.00	4866.65
अवधारित आरक्षित	49215.94	11294.85	5526.71	0.00	54984.08
अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के जरिए इक्विटी लेख	258.83	26.71	0.00	0.00	285.54
ओसीआई के जरिए सुनिश्चित लाभ योजनाओं पर बीमांकिक लाभ/हानि	-521.23	0.00	-2.27	0.00	-518.96
सांविधिक आरक्षित – भा.रि.बैं. अधिनियम 1934 ** के धारा 45 आईसी के अंतर्गत	6180.21	2209.66	0.00	0.00	8389.87
तुलन–पत्र के अनुसार	**64229.47**	**14094.97**	**5524.81**	**375.41**	**72424.22**
बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों के प्रति आरक्षित	0	0	0	0	0

* टिप्पणी–35 का बिन्दू क्रमांक 4(वाय)(क) देखें।

** टिप्पणी–35 का बिन्दू क्रमांक 4(वाय)(ग) देखें।

टिप्पणी – 21 : प्रचालनों से प्राप्त राजस्व

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.22 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रचालनों से राजस्व		
क उत्पादों की बिक्री		
विपणन क्रियाकलाप		
विपणन	13518.20	10350.71
निर्यात	0.00	0.00
कच्चा माल वितरण	218973.46	210813.21
लाभ व हानि विवरण के अनुसार	**232491.66**	**221163.92**
ख सेवाओं की बिक्री		
एकल बिंदु पंजीकरण योजना (एसपीआरएस) से आय	973.52	1072.10
डिजिटल सेवा सुविधा (डीएसएफ) से राजस्व	486.10	509.84
आवेदन प्रक्रिया शुल्क	2.64	3.10
प्राप्त किराया *	4905.15	3502.55
साफ–सफाई एवं अन्य प्रभार	1177.01	1170.33
प्रशिक्षण क्रियाकलापों से राजस्व	1642.97	1323.73
सामान्य सुविधाओं के कारण राजस्व	996.06	954.69
परियोजना परामर्शी प्रभार	0.00	0.00
प्रशिक्षण–एवं–इंक्यूबेशन केंद्र–एलबीआई/एसपायर (टीआईसी) से आय	43.36	87.04

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.22 को समाप्त वर्ष के लिए	
प्रदर्शिनियों, सेमिनारों, बैठकों, सम्मेलनों और विपणन अभियानों से प्राप्तियां		18.79		13.72
सेवाओं से अन्य प्राप्तियां		9.40		10.75
सरकारी स्कीमों के कार्यान्वयन पर प्रशासनिक प्रभार (अनुदान और सब्सिडी)		739.01		439.90
एसआरआई निधि से प्रबंधन शुल्क		386.66		178.24
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार		**11380.67**		**9265.99**
ग ब्याज आय				
मूल लागत पर				
पक्षकारों से:				
सामान्य		28225.69		26035.06
दांडिक ब्याज		6.74		3.39
बैंकों के पास जमा से		30.87		84.86
कमचार्री अग्रिम से		0.75		0.67
अन्य से		2.61		1.92
विदेशी मुद्रा लेनदेन और अनुवाद पर ब्याज का लाभ (नेट)		0.00		0.00
परिशोधित लागत पर				
वित्तीय परिसंपत्तियों पर छूट का प्रभाव		75.90		28.02
ब्याज आय कर्मचारी/परिशोधित लागत		0.00		0.00
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार		**28342.56**		**26153.92**
घ शुल्क और कमीशन आय				
अर्जित प्रक्रिया शुल्क/सेवा प्रभार	संचालित माल, प्रदान की गई सेवाओं का मूल्य	प्रक्रिया शुल्क	संचालित माल, प्रदान की गई सेवाओं का मूल्य	प्रक्रिया शुल्क
आरएमडी / आरएमए / एडब्ल्यूआरटी **	1641622.18	4334.52	1779183.57	4458.70
विविध मदें ***	42707.47	395.60	40234.54	277.13
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार	**1684329.65**	**4730.12**	**1819418.11**	**4735.83**
ङ अन्य प्रचालन राजस्व				
आधिक्य प्रावधान पुरांकित:				
केएफडब्ल्यू	138.25		274.01	
सरकारी गारंटी शूल्क	0.00		0.00	
सेवांत लाभ	59.19		50.51	
अन्य #	169.75	367.19	27.56	352.08
पुरांकित विविध क्रेडिट शेष		114.69		314.15
विदेशी मुद्रा लेनदेनों और परिवर्तन पर लाभ (निवल)		0.00		85.57
उचित मूल्य परिवर्तन का शुद्ध लाभ/हानि		0.00		0.00
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार		**481.88**		**751.80**

नोट:– बिक्री छूट, छूट आदि के शुद्ध रूप में होती है। 8754.35 लाख

* एनएसआईसी द्वारा एनवीसीएफएल से ली गई किराया आय के लिए 5.93 लाख रुपये, जो बदले में एसआरआई फंड द्वारा वहन किया गया है रुपये शामिल हैं।

**आरएमडी/आरएमए/एडब्ल्यूआरटी में बैंक गारंटी (थोक और थोक–भिन्न आपूर्ति), अग्रिम भुगतान और एजेंसी बिक्री/गोदाम संचालन हेतु प्रत्याभूति के लिए प्रसंस्करण शुल्क शामिल है।

***विविध मदों में बिल वित्तपोषण, विपणन और बैंक टाई अप के लिए प्रसंस्करण शुल्क शामिल हैं।

संदिग्ध ऋण लिखित वापसी (नेट) रुपये का प्रावधान शामिल है। 166.35 लाख (रु. शून्य)।

टिप्पणी – 22 : अन्य आय

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.22 को समाप्त वर्ष के लिए
आयकर की वापसियों पर ब्याज	14.34	19.27
विविध आय	84.58	100.25
लाभांश आय	4.70	2.35
एसआरआई निधि की ओर से किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति	39.78	69.37
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार	**143.40**	**191.24**

टिप्पणी – 23 : अनुदान और आर्थिक सहायता

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.22 को समाप्त वर्ष के लिए
संवर्धनात्मक क्रियाकलापों के लिए	**12355.05**	**8360.86**
घटाएं: पूंजी व्यय (निवल)	563.74	699.11
घटाएं: एनएसएसएच के अंतर्गत सदस्यता/निरीक्षण शुल्क, प्रशिक्षण, किराया आदि	92.34	203.97
घटाएं: प्रशिक्षण शुल्क – एटीआई	340.82	317.23
घटाएं: सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर प्रशासनिक शुल्क (अनुदान और सब्सिडी)	739.01	439.90
घटाएं: बी2बी योजना (पीएमएसएस) के तहत सदस्यता शुल्क, विज्ञापन आदि	111.03	0.00
घटाएं: सरकारी अनुदान से विनियोगित राशि (लाभ और हानि के विवरण के अनुसार – प्रोमोशनल)	0.00	0.00
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार	**10508.11**	**6700.65**

टिप्पणी – 24 : उत्पादों की खरीद

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.22 को समाप्त वर्ष के लिए
विपणन गतिविधि		
विपणन	13518.15	10350.70
निर्यात	0.00	0.00
कच्चे माल का वितरण	218278.34	209853.34
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार	**231796.49**	**220204.04**

नोटः– खरीदारी छूट, रियायत आदि मिलाकर 9404.98 लाख रूपये है।

टिप्पणी – 25 : माल–सूचियों में परिवर्तन

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.22 को समाप्त वर्ष के लिए	
तैयार मालः				
समापन स्टॉक	0.00		0.00	
घटाएं: आरंभिक स्टॉक	0.00		1.91	
स्टॉक में समायोजन	0.00	0.00	0.00	1.91
चल रहा कार्यः				
समापन स्टॉक	0.00		0.00	
घटाएं: आरंभिक स्टॉक	0.00		0.00	
स्टॉक में समायोजन	0.00	0.00	0.00	0.00
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार		**0.00**		**1.91**

टिप्पणी – 26 कर्मचारी लाभ व्यय

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.22 को समाप्त वर्ष के लिए	
वेतन और भत्ते		9368.88		9073.90
निम्नलिखित के प्रति अंशदानः				
भविष्य निधि	782.86		755.69	
अधिवर्षिता योजना/पेंशन योजना	660.95	1443.81	621.05	1376.74
उपदान		631.99		588.88
स्टाफ कल्याण व्यय		145.15		116.68
अन्य लाभ		1721.91		2116.13
निदेशक (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित)				
वेतन और भत्ते		69.72		110.03
निम्नलिखित हेतु अंशदानः				
भविष्य निधि	5.71		7.15	
अधिवर्षिता योजना/पेंशन योजना	4.75	10.46	17.86	25.01
उपदान		1.14		4.11
अन्य लाभ		14.44		18.45
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार		**13407.50**		**13429.93**

टिप्पणी – 27 : वित्त लागत

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.22 को समाप्त वर्ष के लिए	
उधार पर ब्याजः				
क्रैडिटैन्स्टाल्ट पश्चिम जर्मनी (केएफडब्ल्यू ऋण)	487.14		508.41	
कासा डिपॉजिट ई प्रेसटिट, इटली (पूर्व में आर्टिजिनएनकासा एसपीए के नाम से विख्यात)	2.84		3.09	
बैंक	8590.12		5742.88	
अन्य	0.00	9080	0.00	6254
उधार लेने पर अन्य लागतः				
अन्य वित्त प्रभार		4.56		5.83
कर्मचारी अग्रिम/परिशोधित लागत पर ब्याज व्यय		**0.01**		**1.35**
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार		**9084.67**		**6261.56**

टिप्पणी – 28 : मूल्यह्रास एवं परिशोधन

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.22 को समाप्त वर्ष के लिए	
निम्नलिखित पर मूल्यह्रासः				
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण		683.95		708.48
पट्टायुक्त परिसंपत्तियां		0.00		0.00
अनुदानों के प्रति अर्जित संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण				
कोंट्रा के अनुसार मूल्यह्रास	375.41		361.14	
घटाएः कोंट्रा के अनुसार प्रतिस्थापन प्रारक्षित निधियां	375.41	0.00	361.14	0.00

विवरण	31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.22 को समाप्त वर्ष के लिए
अमूर्त संपत्ति का परिशोधन	20.15	33.84
संपत्ति, संयत्र एवं उपकरण एवं अमूर्त संपत्ति पर हानिकरण क्षति	0.00	0.00
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार	**704.10**	**742.32**

टिप्पणी::– पीपीई पर मूल्यह्रास में संपत्ति के उपयोग के अधिकार का मूल्यह्रास रू. 0.83 लाख (0.83 लाख) शामिल है टिप्पणी–12 और टिप्पणी–35 का क्रम संख्या 4(च) देखें।

टिप्पणी – 29 : निगमित सामाजिक जिम्मेदारी

(लाख रू. में)

विवरण	नकद के रूप में 31.03.2023	अभी अदा किया जाना 31.03.2023	जोड़ 31.03.2023	नकद के रूप में 31.03.2022	अभी अदा किया जाना 31.03.2022	जोड़ 31.03.2022
किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अर्जन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उपर्युक्त के अलावा, अन्य खरीद पर	278.27	0.00	278.27	230.60	0.00	230.60
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार	**278.27**	**0.00**	**278.27**	**230.60**	**0.00**	**230.60**
संबंधित पक्षकार लेन–देन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि			278.27			223.53
किए गए व्यय की राशि			278.27			224.10
वर्ष के अंत में कमी			0.00			-0.57
पिछले वर्षों की कुल कमी			0.00			-0.19
कमी का कारण			लागू नहीं			लागू नहीं
सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति			संदर्भ एन–1			संदर्भ एन–2
संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण			शून्य			शून्य

टिप्पणी : 1) सीएसआर गतिविधि की प्रकृति में स्वच्छ भारत कोष, सशस्त्र बल झंडा दिवस निधि, पीएम केयर फंड में योगदान और 03 सामुदायिक जल ई–पीआईओ मशीनों की स्थापना के माध्यम से जनता को सुरक्षित पेयजल प्रदान करना शामिल है।

2) सीएसआर गतिविधि की प्रकृति में स्वच्छ भारत कोष, सशस्त्र बल झंडा दिवस कोष, पीएम केयर फंड और स्वच्छ गंगा कोष में योगदान

टिप्पणी – 30 : अन्य व्यय

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.22 को समाप्त वर्ष के लिए
बिजली, विद्युत एवं जल प्रभार	995.93	749.64
मुद्रण एवं लेखन–सामग्री	93.25	76.84
बीमा	28.03	27.24
यात्रा, सवारी एवं वाहन प्रभार	570.37	382.22
माल, भाड़ा एवं चुंगी व्यय	25.18	22.72
संचार व्यय	98.73	95.19
अदा किया गया किराया	430.95	459.61
कर्मचारी भर्ती व्यय	6.04	13.64
लाइसेंस, दरें एवं कर	276.36	256.00
सुरक्षा एवं अन्य संबद्ध सेवाओं पर व्यय	2103.91	2019.79
मरम्मत एवं रखरखाव व्यय	663.69	620.24
कम्प्यूटर अनुरक्षण प्रभार	14.44	23.69

विवरण	31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.22 को समाप्त वर्ष के लिए
वेब पोर्टल और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अनुरक्षण प्रभार	18.72	8.24
कंप्यूटर, सर्वर आदि, किराया प्रभार	64.55	45.57
सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान	55.16	50.94
आंतरिक लेखापरीक्षकों को भुगतान	36.93	35.23
कानूनी, व्यावसायिक एवं परामर्श प्रभार	216.22	249.09
निदेशकों का बैठक शुल्क	4.44	1.65
निदेशकों का अन्य व्यय	21.86	14.66
प्रशिक्षण व्यय	779.43	582.23
सामान्य सुविधा प्रभार	90.06	77.56
गोदाम प्रचालनों पर प्रभार	679.84	960.31
सूचनात्मक सेवा व्यय	4.49	1.53
कारोबार/बिक्री संवर्धन व्यय	86.94	44.05
मनोरंजन	32.70	17.38
विज्ञापन एवं प्रचार	83.99	46.73
विविध व्यय	19.20	24.63
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण/अवसूलीयोग्य अग्रिम	17.35	7.75
प्रदर्शियों, सेमिनारों एवं सम्मेलनों पर व्यय	64.64	20.93
क्रेडिट सूचना रिपोर्ट/पीसीआरएस पर व्यय	8.48	38.05
विशेष विपणन सहायता योजना (एसएमएएस) योजना पर व्यय	2421.92	674.51
अन्यों पर व्यय – एनएसएसएच	7437.07	5192.87
प्रापण एवं विपणन सहायता योजना (पीएमएसएस) पर व्यय	39.83	248.17
अंतराष्ट्रीय सहयोग (आईसी) स्कीम पर व्यय	9.26	0.00
वित्तीय परिसंपत्तियों पर छूट का प्रभाव	21.39	52.27
संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान	0.00	68.97
एसपीआरएस पर व्यय	31.92	32.07
ईएसडीपी पर व्यय	0.00	0.00
सांविधिक देय राशियों के लिए ब्याज/शुल्क/दंड	10.26	5.69
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार	**17563.53**	**13247.90**

अनुलग्नक – 30क : अन्य व्ययों के ब्यौरे

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.22 को समाप्त वर्ष के लिए
निम्न हेतु सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतानः		
सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क	42.74	39.01
कर लेखापरीक्षा शुल्क	10.23	10.26
अन्य कराधान मामले	0.00	0.00
कंपनी कानून मामले	0.00	0.00
प्रबंधन सेवाएं	0.00	0.00
अन्य सेवाएं	0.00	0.00
व्ययों की प्रतिपूर्ति	2.19	1.67
जोड़	**55.16**	**50.94**

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.22 को समाप्त वर्ष के लिए	
निम्न पर मरम्मत एवं रखरखाव खर्च:				
भवन		480.64		460.67
मशीनरी		46.18		43.23
अन्य		136.87		116.34
जोड़		**663.69**		**620.24**
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण/अवसूलनीय अग्रिम:				
बट्टेखाते डाले गए अशोध्य ऋण		17.35		7.75
बट्टेखाते डाले गए अवसूलनीय अग्रिम		0.00		0.00
पीपीई को बट्टे खाते में डाल दिया गया				
बट्टेखाते डाली गई हानियां	0.00		0.00	
घटाएं: बट्टे डाली गई हानियों के लिए कोंट्रा समायोजन	0.00	0.00	0.00	0.00
जोड़		**17.35**		**7.75**
निम्न पर प्रशिक्षण व्यय:				
आंतरिक		431.22		362.16
प्रायोजित		187.99		93.57
व्यैक्तिक		4.42		3.92
एटीआई		90.73		68.83
क्षमता निर्माण (एनएसएसएच)		0.00		0.00
अन्य		65.07		53.75
जोड़		**779.43**		**582.23**
विशेष विपणन सहायता स्कीम पर व्यय:				
घरेलू प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों में सहभागिता		1836.18		639.48
विदेश में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों में भागीदारी		32.00		0.00
संगठन का घरेलू प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों का दौरा		391.96		0.00
संगठन का विदेश में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों/सेमिनारों का दौरा		6.47		0.00
वेंडर विकास कार्यक्रम		39.28		0.63
कार्यशालाओं, सम्मेलनों, जागरूकता अभियानों का आयोजन		20.47		20.70
मेगा इवेंट– एमएसएमई मंत्रालय के उद्योग संघों–संगठनों के साथ साझेदारी में एससी–एसटी कॉन्कलेव/सम्मेलन का आयोजन)		95.56		13.70
जोड़		**2421.92**		**674.51**
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) स्कीम पर व्यय :				
अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों आदि में एमएसएमई प्रतिनिधिमंडल का दौरा।		0.00		0.00
अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों आदि में एमएसएमई प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी।		9.26		0.00
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आदि आयोजित करना।		0.00		0.00
मेगा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों आदि का आयोज करना।		0.00		0.00
अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों आदि के लिए एमएसएमई प्रतिनिधिमंडल।		0.00		0.00
जोड़		**9.26**		**0.00**

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.22 को समाप्त वर्ष के लिए
सांविधिक देय राशियों के लिए ब्याज/शुल्क/दंड		
टीडीएस के विलंबित जमा पर के लिए भुगतान किया गया ब्याज	8.25	2.49
जीएसटी के विलंबित जमा पर के लिए भुगतान किया गया ब्याज	0.87	2.00
टीडीएस/टीसीएस रिटर्न के विलंबित जमा पर शुल्क	0.00	0.09
जीएसटी रिटर्न के विलंबित जमा के लिए शुल्क	0.93	0.00
धारा 234ए/बी/सी के तहत ब्याज	0.00	0.00
किसी कानून के तहत दंड	0.21	1.11
जोड़	**10.26**	**5.69**
अन्यों पर व्यय – एनएसएसएचः		
प्रौद्योगिकी सक्षमता के लिए विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी	6966.11	3664.16
मौजूदा और महत्वाकांक्षी एससी/एसटी उद्यमियों की क्षमता निर्माण– कौशल विकास कार्यक्रम	0.00	0.00
मंत्रालय द्वारा अनुमोदित संगठनों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति	233.13	691.75
मौजूदा और इच्छुक एससी/एसटी उद्यमियों का क्षमता निर्माण– क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए टूलकिट वितरण	10.31	0.00
विभिन्न प्रतिपूर्ति उप–योजनाओं/हस्तक्षेपों के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए समर्थन	0.00	0.00
बैंक ऋण प्रसंस्करण शुल्क की प्रतिपूर्ति	17.53	15.85
निष्पादन बैंक गारंटी के लिए बैंक शुल्क की प्रतिपूर्ति	0.38	1.78
परीक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति	1.31	0.29
निर्यात संवर्धन परिषद की सदस्यता/सदस्यता/प्रवेश शुल्क की प्रतिपूर्ति	0.72	0.36
एससी/एसटी उद्यमियों के अल्पकालिक प्रशिक्षण के लिए शीर्ष 50 एनआईआरएफ रेटेड प्रबंधन संस्थानों को पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति	0.00	0.00
सरकार द्वारा प्रवर्तित ई–कॉमर्स पोर्टल में सदस्यता की प्रतिपूर्ति (बी2बी को छोड़कर)	0.00	0.00
योजना के बारे में जागरूकता सृजन और प्रचार–प्रसार	2.94	593.44
एससी/एसटी हब को तकनीकी एवं प्रबंधकीय सहायता	204.64	225.24
कुल	**7437.07**	**5192.87**
खरीद और विपणन सहायता स्कीम पर (पीएमएसएस) पर व्यय		
देश भर में बाजार पहुंच पहल		
व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में व्यक्तिगत एमएसई की भागीदारी	39.83	248.17

विवरण	31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.22 को समाप्त वर्ष के लिए
डीसी (एमएसएमई) मंत्रालय/कार्यालय/सरकारी संगठनों द्वारा घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनी का आयोजन और व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी	0.00	0.00
विक्रेता विकास कार्यक्रम (वीडीपी)	0.00	0.00
क्षमता निर्माण	0.00	0.00
आधुनिक पैकेजिंग तकनीकों को अपनाना	0.00	0.00
बार कोड को अपनाना	0.00	0.00
ई–कॉमर्स प्लेटफार्म को अपनाना	0.00	0.00
राष्ट्रीय कार्यशालाएँ/संगोष्ठियाँ	0.00	0.00
मंत्रालय/डीसी (एमएसएमई) कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय कार्यशालाओं/सेमिनारों का आयोजन (पारंपरिक/आभासी)	0.00	0.00
रिटेल आउटलेट का विकास	0.00	0.00
कुल	**39.83**	**248.17**

टिप्पणी – 31 : कर व्यय

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.22 को समाप्त वर्ष के लिए	
चालू कर हेतु प्रावधान				
चालू कर हेतु प्रावधान	3602.00		3555.25	
आस्थगित कर हेतु प्रावधान	311.21		222.45	
संपत्ति कर हेतु प्रावधान	0.00	3913.21	0.00	3777.70
पूर्ववर्ती वर्ष के करों के लिए प्रावधान				
कर हेतु प्रावधान	-34.37		-11.11	
आस्थगित कर हेतु प्रावधान	0.00	-34.37	0.00	-11.11
लाभ एवं हानि विवरण के अुनसार		**3878.84**		**3766.59**

टिप्पणी – 32 : प्रति इक्विटी शेयर अर्जन

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.22 को समाप्त वर्ष के लिए
गणक		
लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर–पश्चात लाभ	11294.85	11012.85
मूल्य वर्ग		
इक्विटी शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य 100/– रुपए)	53298800	53298800
वर्ष के दौरान आबंटित शेयरों की संख्या	0	0

विवरण	31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.22 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना करने के लिए इक्विटी शेयरों का भारित औसत	53298800	53298800
तरलीकृत प्रति शेयर की गणना करने के लिए इक्विटी शेयरों का भारित औसत	53298800	53298800
प्रति शेयर मूल अर्जन (रुपए प्रति शेयर) (100/– रुपए प्रत्येक शेयर अंकित मूल्य)	21.19	20.66
प्रति शेयर तरलीकृत अर्जन (रुपए प्रति शेयर) (100/– रुपए प्रत्येक शेयर अंकित मूल्य)	21.19	20.66

टिप्पणी – 33 : आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं (प्रावधान न की गई सीमा तक)

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.22 को समाप्त वर्ष के लिए
(i) आकस्मिक देयताएं		
ऋणों के रूप में न माने गए निगम के प्रति दावे	156.05	89.57
विवादित आय कर, ब्याज कर, बिक्री कर, व्यापार की मांग	603.41	872.54
अन्य राशि, जिसके लिए निगम आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	3215.00	324.09
लाभ एवं हानि विवरण के अुनसार	**3974.46**	**1286.20**
(ii) प्रतिबद्धताएं:		
पूंजी लेखा पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित राशि, जिसका प्रावधान न किया गया हो (अग्रिमों को घटाकर निवल)	986.82	3296.75
लाभ एवं हानि विवरण के अुनसार	**986.82**	**3296.75**

टिप्पणी – 34 शुल्क और कमीशन व्यय

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.23 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.22 को समाप्त वर्ष के लिए
शुल्क और कमीशन:		
सरकारी गारंटी शुल्क	19.01	20.24
विदेशी म्रुदा लेन–देन और लेन–देन ब्याज भुगतान पर कम	24.15	0.00
बैंक शुल्क और कमीशन	37.83	51.50
अन्य	3.10	0.11
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार	**84.09**	**71.85**

टिप्पणी – 35 :

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की अन्य टिप्पणियाँ

इन समेकित वित्तीय विवरणों में, रा.ल.उ.नि. और इसकी सहायक कंपनी एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड (जिन्हें मिलाकर समूह कहा गया है) के वित्तीय विवरण शामिल है।

एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (''एनवीसीएफएल'' या ''कंपनी''), भारत में अधिवासित एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत 28 अगस्त 2020 को निगमित की गई थी। एनवीसीएफएल, भारत सरकार का एक उद्यम राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (''एनएसआईसी'') की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, और इसका पंजीकृत कार्यालय एनएसआईसी भवन, ओखला औद्योगिक एस्टेट, फेज–III, नई दिल्ली–110020 (भारत) में स्थित है। 1 सितंबर 2021 से, एनवीसीएफएल को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') के साथ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक निवेश कोष) विनियम, 2012 ('विनियम') के तहत सेल्फ रिलाएंट इंडिया (एसआरआई) फंड ('योजना' या 'निधि') नामक इसकी पहली योजना के लिए श्रेणी II वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में पंजीकृत किया गया और पंजीकरण संख्या आईएन/एआईएफ2/21–22/0924 प्राप्त हुई है। इस योजना में भारत सरकार, एनएसआईसी और कंपनी इसके योगदानकर्ता हैं, और इसे एक अलग 'एसोसिएशन ऑफ पर्सन' (व्यक्तियों का संघ) के रूप में माना गया है। इस योजना का उद्देश्य इक्विटी, अर्ध–इक्विटी और ऋण के माध्यम से एमएसएमई को विकास पूंजी के रूप में सहायता के प्रावधान के लिए संतति/अनुषंगी निधियों को वित्त पोषण सहायता प्रदान करना है।

1. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रकटीकरण के लिए यथा अपेक्षित निम्नलिखित सूचनाएं, समूह के पास उपलब्ध सूचना/दस्तावेजों के आधार पर अभिज्ञात पक्षकारों के स्टेट्स की सीमा तक विनिर्धारित कर ली गई हैं।

(लाख रू. में)

क्र. सं.	विवरण	2021–2022	2020–21
1	किसी आपूर्तिकर्ता को अप्रदत्त बची धनराशि:		
	क) मूलधन की धनराशि	16463.62	14348.24
	ख) उस पर देय ब्याज	शून्य	शून्य
2	नियुक्त दिन के पश्चात आपूर्तिकर्ता को भुगतान की गई धनराशि के साथ–साथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार भुगतान की गई ब्याज की धनराशि;	शून्य	शून्य
3	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट ब्याज जोड़े बिना भुगतान (जो कर दिया गया है, परंतु वर्ष के दौरान नियुक्त दिन के पश्चात) करने में विलंब की अवधि के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज की धनराशि;	शून्य	शून्य
4	उपार्जित और अप्रदत्त बचे ब्याज की धनराशि	शून्य	शून्य
5	उस तारीख तक, जब सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अंतर्गत कटौतीयोग्य खर्च के रूप में छूट के उद्देश्य के लिए लघु उद्यम को देय ब्याज का वास्तव में भुगतान कर दिया गया हो, आगामी वर्ष में भी देय बचे और भुगतान योग्य अगले ब्याज की धनराशि।	शून्य	शून्य

रा.ल.उ.नि, कंसोर्टिया और निविदा विपणन योजना के अंतर्गत सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमों की ओर से निविदा सहभागिता के जरिए अपने उत्पादों का विपणन करने में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को सुविधा प्रदान करता है। एनएसआईसी और एमएसईज के बीच किए गए करार के अनुसार एमएसईज एनएसआईसी के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा अवार्ड की गई निविदाएं कार्यान्वित कर रहे हैं और धनराशि केवल संबंधित क्रेता विभागों से भुगतान की प्राप्ति पर ही देय होती है। इन इकाइयों को भुगतानयोग्य धनराशि उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम)/उद्यम पंजीकरण संख्या और आपूर्तिकताओं के निगम (रा.ल.उ.नि.) में पंजीकरण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में ''एमएसएमईज की देय व्यापार भुगतान योग्य बकाया देय राशि'' के रूप में दर्शाई गई है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के अनुसार एनएसआईसी को धारा 2(एन) उप–खंड (i) के अंतर्गत एक "आपूर्तिकर्ता" के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके अलावा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने दिनांक 31.08.2016 के परिपत्र के अंतर्गत यह स्पष्ट किया है कि एनएसआईसी, एमएसईज (आपूर्तिकर्ता इकाइयों) और विभिन्न क्रेताओं को एक साथ लाने में "सुविधाप्रदाता" के

रूप में कार्य करता है। चूंकि एनएसआईसी किसी भी चरण में एनएसआईसी ''सुविधाकरण'' के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और अन्य सरकारी विभागों को एमएसईज द्वारा आपूर्ति किए जा रहे सामान के लिए लाभग्राही "क्रेता" नहीं बनता, इसलिए एनएसआईसी विलंबित भुगतान पर ब्याज के उद्देश्य के लिए एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 15 और 16 के अनुसार "क्रेता" के रूप में वर्गीकृत नहीं है। अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अन्य सरकारी विभागों के, सामान के लाभग्राही "क्रेता" होने के कारण वे "आपूर्तिकर्ता" द्वारा आपूर्ति किए गए सामान का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार हैं और एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 15 और 16 के अनुसार विलंबित भुगतान पर ब्याज के लिए भी जिम्मेदार हैं। तद्नुसार, उन इकाइयों को भुगतानयोग्य ब्याज से संबंधित उपबंध एनएसआईसी पर लागू नहीं होते।

अन्य व्यापार भुगतानयोग्य के संबंध में रा.ल.उ.नि. ने कोई ज्ञापन (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अधिसूचित प्राधिकारी के साथ आपूर्तिकर्ताओं द्वारा किए जाने के लिए यथापेक्षित) प्राप्त नहीं किया है, जिसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के रूप में अपनी स्थिति का दावा किया गया हो। इसके परिणामस्वरूप ऐसी इकाइयों को भुगतानयोग्य धनराशि "व्यापार भुगतानयोग्य – गैर–एमएसई की बकाया देय" के रूप में दर्शाई गई है।

2. समूह में बैंकों और अन्य पक्षकारों के शेषों की आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की एक प्रणाली है। वर्ष के अंत में बकाया शेषों के लिए पुष्टि प्राप्त करने के पत्र व्यापार प्राप्तियोग्य, लेनदारों, ठेकेदारों, अग्रिमों, जमा धनराशियों, ऋणियों आदि को इस अनुरोध के साथ भेज दिए गए हैं कि वे विनिर्धारित अवधि के अंदर पुष्टि करें या टिप्पणी भेजें और ऐसा करने में विफल रहने पर पत्र में दर्शाए गए शेष को अभिपुष्ट के रूप में माना जाएगा। सरकारी/स्थानीय प्राधिकरणों की देय धनराशियों के मामले में और ऐसे मामलों में, जहाँ 100 प्रतिशत प्रावधान किया गया है, वसूली प्रमाणपत्र जारी किया जाता है और/या मुकदमा/कानूनी कार्यवाही की जाती है, ग्राहकों की शेष धनराशियाँ आमतौर पर पुष्टि के अधीन नहीं होती। किसी भी पक्षकार से कोई प्रतिकूल संसूचन प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा, पक्षकारों के साथ लेखाओं के समाधान एक चल रही प्रक्रिया के रूप में किए जाते हैं।

तथापि, कुछ मामलों में पुष्टियां प्रतीक्षित हैं, जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं, जिनका प्रभाव प्रबंधन की राय में महत्त्वपूर्ण नहीं है:

शेष पुष्टि विवरण–
वित्तीय वर्ष 2022–23

(लाख रू. में)

क्र. सं.	लेखे का स्वरूप	कुल बकाया	पीआईएस/ अतिरिक्त/ सामान्य ब्याज/ जब्त पट्टाधारित उचंत संग्रहण के लिए भेजे गए चैक	पीआईएस छोड़कर निवल धनराशि/ अतिरिक्त/ सामान्य ब्याज/ जब्त पट्टाधारित उचंत/ संग्रहण के लिए भेजे गए चैक *	सरकारी देय राशियां, धनराशि, जहाँ 100 प्रतिशत प्रावधान किया गया है, वसूली प्रमाणपत्र जारी किया गया है और/या मुकदमे/कानूनी कार्यवाही के अधीन है	बकाया शेष	प्राप्त हुई पुष्टि	पुष्टि प्राप्त नहीं हुई
क	ख	ग	घ	ङ=ग–घ	च	छ=ङ–च	ज	झ=छ–ज
1	नकदी और	9640.00	-	9640.00	-	9640.00	9640.00	-
2	बैंक शेष	17919.12	335.19	17583.93	15184.67	2399.26	2005.45	393.81
3	प्राप्तियोग्य	277527.90	669.77	276858.13	2651.30	274206.83	258509.47	15697.36
4	ऋण एवं अग्रिम	2550.56	-	2550.56	1202.58	1347.98	1118.39	229.59
5	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	16576.94	-	16576.94	6519.79	10057.15	9491.80	565.35
6	व्यापार भुगतानयोग्य	20096.32	-	20096.32	9758.44	10337.88	8944.02	1393.86
7	अन्य – अन्य गैर–वित्तीय देयताएं	44.39	-	44.39	-	44.39	44.39	-
	जोड़	**344355.24**	**1004.96**	**343350.28**	**35316.78**	**308033.50**	**289753.53**	**18279.97**

* धनराशि पीआईएस छोड़कर निवल है परंतु हानिकरण छूट से पहले का है।

वित्तीय वर्ष 2021–22

(लाख रू. में)

क्र. सं.	लेखे का स्वरूप	कुल बकाया	पीआईएस/ अतिरिक्त/ सामान्य ब्याज/ जब्त पट्टाधारित उचंत संग्रहण के लिए भेजे गए चैक	पीआईएस छोड़कर निवल धनराशि/ अतिरिक्त/ सामान्य ब्याज/ जब्त पट्टाधारित उचंत/ संग्रहण के लिए भेजे गए चैक *	सरकारी देय राशियां, धनराशि, जहाँ 100 प्रतिशत प्रावधान किया गया है, वसूली प्रमाणपत्र जारी किया गया है और/या मुकदमे/ कानूनी कार्यवाही के अधीन है	बकाया शेष	प्राप्त हुई पुष्टि	पुष्टि प्राप्त नहीं हुई
क	ख	ग	घ	ङ=ग–घ	च	छ=ङ–च	ज	झ=छ–ज
1	नकदी और बैंक शेष	19377.38	-	19377.38	-	19377.38	19377.38	-
2	प्राप्तियोग्य	15821.70	345.68	15476.02	6524.09	8951.93	1030.62	7921.31
3	ऋण एवं अग्रिम	259986.19	951.99	259034.20	11168.07	247866.13	244232.93	3633.20
4	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	2340.63	-	2340.63	407.57	1933.06	553.36	1379.70
5	व्यापार भुगतानयोग्य	14460.64	-	14460.64	327.71	14132.93	2231.88	11901.05
6	अन्य वित्तीय देयताएं	21702.82	-	21702.82	986.06	20716.76	14725.44	5991.32
7	अन्य – अन्य गैर–वित्तीय देयताएं	39.98	-	39.98	2.82	37.16	24.71	12.45
	जोड़	**333729.34**	**1297.67**	**332431.67**	**19416.32**	**313015.35**	**282176.32**	**30839.03**

* धनराशि पीआईएस छोड़कर निवल है परंतु हानिकरण छूट से पहले का है।

3. प्रबंधन की राय में ऋणों और अग्रिमों सहित सभी वित्तीय और गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की कम से कम उस धनराशि के बराबर सामान्य व्यवसाय में वसूल किए जाने पर एक मूल्य है, जिस पर मूल्य उनका उल्लेख तुलन–पत्र और लेखांकन नीति XXII (क) (vii) के अनुबंध के अनुसार प्रावधान मापदंडों के अनुसार में किया गया है, जहाँ कहीं आवश्यक हो।

4. लागू हाने वाले भारतीय लेखाकंन मानकों (इंड एएस) का पैरावार प्रकटीकरण निम्नलिखित हैं:

क. भारतीय लेखाकंन मानक 1 के अनुसार प्रकटीकरण: वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

लेखाओं के पाठक के लिए बेहतर निरूपण और समझबूझ के लिए, पहले से मौजूद लेखांकन नीतियाँ (जहाँ कहीं आवश्यक हों) पुनः तैयार की गई जोड़ी गई है।

ख. भारतीय लेखांकन मानक 2 के अनुसार प्रकटीकरण: माल–सूचियाँ

क) 31.03.2023 को यथास्थिति माल–सूचियों की कुल रखाव धनराशि 11.48 लाख रुपए (रू. 12.26 लाख) है, जैसाकि तुलन–पत्र की टिप्पणी संख्या 9 में दर्शाया गया है।

ख) माल–सूचियों का उल्लेख लागत या बाज़ार मूल्य से निम्नतर स्तर पर किया गया है और ऐसी कोई माल–सूची नहीं है, जिसकी रखाव लागत का उल्लेख 31 मार्च, 2023 को यथास्थिति उचित मूल्य पर किया गया हो।

ग) **स्टॉक में भूमि और भवन/शेड/आवास, औद्योगिक संपदा, नैनी वर्ष 2021–22 के लिए**

औद्योगिक संपदा, नैनी की भूमि और भवन/शेड/आवास आदि, स्टॉक की प्रकृति में होने के कारण, वर्ष 1995–96 से खाता–बहियों में लगातार सूची के रूप में दिखाए गए थे, और लागत से कम और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित किया गए थे और ये एनएसआईसी की लेखा नीतियों के संदर्भ में थे। यह उल्लेख करना उचित होगा कि भूमि और भवन/शेड/आवास आदि का निर्माण उद्योगों के विकास के लिए किया गया था और निर्माण के 60 से अधिक वर्षों के बाद भी ये एनएसआईसी के पास पड़े हुए हैं।

तथापि, इस संबंध में प्रधान कार्यालय

लेखापरीक्षा, उद्योग एवं निगम कार्यालय द्वारा जारी प्रबंधन पत्र संख्या एएमजी–III/4(21)/एनएसआईसी/वार्षिक लेखा/2021–22/419 दिनांक 19.01.2022 के अनुसार, बीओ नैनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए खाता–बहियों में 'वस्तु सूची' के बजाय 'संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)' के रूप में दिनांक 31.03.2021 को रु. 19.65 लाख की राशि हेतु भूमि और भवन/शेड/आवास आदि का लेखांकन किया है।

दिनांक 31.03.2021 को रु. 19.65 लाख की राशि की भूमि और भवन/शेड/आवास आदि में रु. 3.54 लाख की राशि और रु. 16.11 लाख की राशि क्रमशः शामिल है, और तदनुसार वर्ष 2021–22 के दौरान, इनकी प्रकृति के आधार पर संपत्ति, भूमि और भवन/शेड/आवास आदि को पीपीई के तहत क्रमशः इतनी राशि के साथ 'लागत' पर 'भूमि' और 'भवन' के रूप में अलग–अलग हिसाब में लिया गया है।

इसके अलावा, रु. 16.11 लाख की राशि के भवन (भवन/शेड/आवास आदि सहित) के संबंध में, चूंकि इसे वर्ष 1956 से 1958 के दौरान विकसित किया गया था और 60 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं, अतः इसे लिखित मूल्य (अवशिष्ट मूल्य) पर दर्शाया गया है, और वर्ष 2021–22 के लिए रु. 0.81 लाख (अर्थात मूल लागत रु.16.11 लाख का 5 प्रतिशत), और रु. 15.30 लाख (रु. 16.11 लाख घटाया रु. 0.81 लाख) के मूल्यह्रास व्यय के रूप में प्रभारित किया गया है।

ग. इंड एएस 8 के अनुसार प्रकटीकरण– 'लेखा नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां'

हाल की लेखांकन घोषणाएँ

जारी किए गए मानक संशोधन लेकिन अभी तक प्रभावी नहीं कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 31 मार्च 2023 की अधिसूचना के माध्यम से कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2023 को अधिसूचित किया है जो कुछ भारतीय लेखांकन मानकों में संशोधन करता है जो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी हैं। ऐसे संशोधनों का एक सारांश नीचे दिया गया है।

1. इंड एएस 1 – वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति – इस संशोधन में संस्थाओं को अपनी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के बजाय अपनी सामग्री लेखांकन नीतियों का खुलासा करने की आवश्यकता है।

2. इंड एएस 8 – लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां – इस संशोधन ने लेखांकन अनुमानों की एक परिभाषा पेश की है और संस्थाओं को लेखांकन अनुमानों में परिवर्तनों से लेखांकन नीतियों में परिवर्तन को पृथक करने में सहायता करने के लिए इंड एएस 8 में संशोधन शामिल किए हैं।

3. इंड एएस 12 – आयकर – इस संशोधन ने प्रारंभिक मान्यता छूट के दायरे को सीमित कर दिया है ताकि यह उन लेनदेन पर लागू न हो जो समान और अस्थायी मतभेदों को उत्पन्न करते हैं।

निगम ने उपरोक्त संशोधनों का मूल्यांकन किया है और एकल वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है।

घ. भारतीय लेखांकन मानक 12 के अनुसार प्रकटीकरण "आयकर"

क) वित्तीय वर्ष 2022–23

(लाख रू. में)

विवरण	01.04.2022 को निवल शेष	लाभ एवं हानि लेखे में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	31.03.2023 को निवल शेष
आस्थगित कर देयताएं				
स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास पर समय के अंतर से संबंधित	1797.70	310.24	-	2107.94
वित्तीय परिसंपत्तियों/देयताओं का बट्टाकरण	31.00	13.72	-	44.72
निवेशों का उचित मूल्य	67.72	-	8.98	76.70
उप–जोड़	**1896.42**	**323.96**	**8.98**	**2229.36**

(लाख रू. में)

विवरण	01.04.2022 को निवल शेष	लाभ एवं हानि लेखे में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	31.03.2023 को निवल शेष
आस्थगित कर परिसंपत्तियां				
प्राप्तियोग्य और अग्रिमों के लिए प्रावधान	3315.89	(41.87)	-	3274.02
कर्मचारी लाभ	2429.09	55.91	(0.76)	2484.24
अन्य	11.81	(1.28)	0.00	10.53
उप–जोड़	**5756.79**	**12.76**	**(0.76)**	**5768.79**
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	**3860.37**	**(311.20)**	**(9.74)**	**3539.43**

ख) वित्तीय वर्ष 2021–22

(लाख रू. में)

विवरण	01.04.2021 को निवल शेष	लाभ एवं हानि लेखे में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	31.03.2022 को निवल शेष
आस्थगित कर देयताएं				
स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास पर समय के अंतर से संबंधित	1448.70	349.00	-	**1797.70**
वित्तीय परिसंपत्तियों/देयताओं का बट्टाकरण	37.45	(6.45)	-	31.00
निवेशों का उचित मूल्य	43.88	-	23.84	67.72
उप–जोड़	**1530.03**	**342.55**	**23.84**	**1896.42**
आस्थगित कर परिसंपत्तियां				
प्राप्तियोग्य और अग्रिमों के लिए प्रावधान	3298.53	17.36	-	3315.89
कर्मचारी लाभ	2302.57	90.93	35.58	2429.09
अन्य	-	11.81	-	11.81
उप–जोड़	**5601.10**	**120.10**	**35.58**	**5756.79**
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	**4071.07**	**(222.45)**	**11.74**	**3860.37**

आय कर के प्रावधान और कर–पूर्व लाभ के प्रति भारतीय सांविधिक आय कर की दरें लागू करके परिकलित की गई धनराशि के बीच समाधान

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
कर–पूर्व लाभ	15230.79	14779.44
किसी घरेलू कंपनी पर लागू कर की दर	25.17%	25.17%
परिकलित कर व्यय	3833.58	3719.99
निम्नलिखित का कर प्रभावः		
ऐसे व्यय, जो कर योग्य लाभ निर्धारित करने में कटौतीयोग्य नहीं हैं	680.90	689.65
ऐसी आय, जो कर योग्य लाभ निर्धारित करने में कर योग्य नहीं है	(912.48)	(854.39)
चालू कर प्रावधान	**3602.00**	**3555.25**
पिछली अवधियों से संबंधित आय कर	(34.37)	(11.11)
वर्धित आस्थगित कर देयता/(परिसंपत्ति)	311.21	222.45
लाभ एवं हानि विवरण में मान्यताप्राप्त कर व्यय	**3878.84**	**3766.59**
प्रभावी कर दर	**25.47%**	**25.49%**

ङ. **अघोषित आय का प्रकटीकरण –**

समूह ने आयकर अधिनियम 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान किसी भी अप्रलेखित आय का अभ्यर्पण या प्रकटीकरण नहीं किया है।

च. **भारतीय लेखांकन मानक 16 के अनुसार प्रकटीकरण– संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा भारतीय लेखांकन मानक 38 – अमूर्त परिसंपत्तियां**

तुलन पत्रों में प्रासंगिक पंक्ति मदें	संपत्ति की वस्तु का विवरण	सकल वहन मूल्य (रु. लाख में)	निम्न के नाम पर धारित प्राधिकार विलेख	क्या प्राधिकार विलेख धारक प्रमोटर/ निदेशक का प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार # प्रमोटर/ निदेशक का कर्मचारी है	किस तिथि से संपत्ति का धारण किया गया है	एनएसआईसी के नाम पर धारण नहीं किए जाने का कारण
पीपीई	तकनीकी केंद्र हावड़ा में भूमि	1.60	टिप्पणी–1 देखें	नहीं	1959-60	
पीपीई	शाखा कार्यालय मुंबई में फ्लैट	11.52	टिप्पणी–2 देखें	नहीं	1988	

टिप्पणी–1: यद्यपि स्वामित्व विलेख एनएसआईसी के नाम पर रखे गए हैं, तथापि, स्थानीय सरकार से शीर्षक कार्यों की भौतिक हार्ड कॉपी प्राप्त करने का मामला प्रक्रियाधीन है।

टिप्पणी–2: तिलक नगर, चेंबुर में सोसायटी का पुनर्विकास, जिसमें एनएसआईसी के छह फ्लैट हैं, पूरा हो चुका है और उसका स्वामित्व विलेख एनएसआईसी के नाम पर है। नए फ्लैट एनएसआईसी के कब्जे में हैं। हालाँकि, संबंधित सरकारी प्राधिकारी से दस्तावेज की भौतिक हार्ड कॉपी (स्वामित्व विलेख सहित) अभी तक प्राप्त नहीं की गई है।

क) एनटीएससी–राजकोट की 3.28 एकड़ जमीन पर कुछ औद्योगिक इकाइयों के साथ–साथ अनधिकृत आवासीय इकाइयों का भी अतिक्रमण है। यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि इस तरह के अतिक्रमण को हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ऐसी भूमि का स्वामित्व एनएसआईसी के पक्ष में है, और कब्जा एनएसआईसी के पास है।

ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान, रु. 21.92 लाख (सकल वहन मूल्य रु. 95.66 लाख) के शुद्ध वहन मूल्य वाली संपत्ति का निपटान रु. 35.86 लाख की बिक्री आय के साथ किया गया है, और रु. 13.94 लाख के लाभ को दर्ज किया गया है। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, रु. 20.55 लाख (सकल वहन मूल्य रु. 96.99 लाख) के शुद्ध वहन मूल्य वाली संपत्ति का निपटान रु. 26.75 लाख की बिक्री आय के साथ किया गया है, और रु. 6.20 लाख का नुकसान दर्ज किया गया है।

ग) वर्ष के दौरान किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त संपत्ति का कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है।

छ. **बेनामी संपत्ति का प्रकटीकरण:**

बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 (धारा 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए निगम के खिलाफ कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई है या लंबित है, क्योंकि समूह के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है।

ज. **उधारी पर प्रकटीकरण**

(क) समूह ने बैंकों/संस्थानों, या अन्य ऋणदाताओं से लिए गए उधार/ऋण के पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है।

(ख) समूह को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर व्यतिक्रमी घोषित नहीं किया गया है।

(ग) समूह ने किसी भी अर्हक परिसंपत्ति के लिए कोई राशि उधार नहीं ली है, जिसके ब्याज को भारतीय लेखांकन मानक 23 (इंड–एएस 23), 'उधार लागत' के अनुसार पूंजीकृत किया जाना आवश्यक है। इसलिए, वर्ष के दौरान किसी भी ब्याज का पूंजीकृत नहीं किया गया है।

(घ) बैंक/वित्तीय संस्थानों या अन्य उधारदाताओं

से लिए गए ऋणों के संबंध में सभी प्रभारों को वैधानिक अवधि के भीतर कंपनी के पंजीकरण (आरओसी) के साथ पंजीकृत किए गए हैं।

(ड) निम्नलिखित प्रभारों की संतुष्टि को वैधानिक अवधि से परे के बाद भी आरओसी के साथ पंजीकृत किया जाना बाकी है।

क्र. सं.	बैंक का नाम	प्रभारों की संतुष्टि का विवरण	रजिस्ट्रार की अवस्थिति	विलंब की अवधि (माह)	राशि सीमा (लाख रुपए में)	कारण
1	सीटीबीसी बैंक	बही ऋण, फ्लोटिंग प्रभार, चल संपत्ति	नई दिल्ली	आठ	2500.00	यह प्रक्रियाधीन है और चालू वित्तीय वर्ष में इसे पूरा कर लिया जाएगा।
2	विजया बैंक	अचल संपत्ति या उस पर कोई ब्याज	नई दिल्ली	बैंक से एनओसी की प्रतीक्षा है	59200.00	यह प्रक्रियाधीन है और चालू वित्तीय वर्ष में इसे पूरा कर लिया जाएगा।
3	पंजाब नेशनल बैंक	बही ऋण, फ्लोटिंग प्रभार, चल संपत्ति	नई दिल्ली	बैंक से एनओसी की प्रतीक्षा है	100000.00	यह प्रक्रियाधीन है और चालू वित्तीय वर्ष में इसे पूरा कर लिया जाएगा।

झ. भारतीय लेखांकन मानक 19 के अनुसार प्रकटीकरण – कर्मचारी लाभ

क) विभिन्न सुनिश्चित कर्मचारी लाभ योजना का सामान्य विवरण निम्नलिखित है:

i. सुनिश्चित अंशदान योजना

क) भविष्य निधि :

समूह की भविष्य निधि का प्रबंधन, कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत पंजीकृत एक अलग न्यास द्वारा किया जाता है, जो अनुमतिप्राप्त प्रतिभूतियों में निधियों का निवेश करता है। यह न्यास भारत सरकार द्वारा जारी की गई सूचना के आधार पर ब्याज की दर निश्चित करता है। देयता की मान्यता बीमांकिक आधार पर की जाती है।

ख) सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा:

समूह में सेवानिवृत्ति–पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ) है, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी और उसके पति/पत्नी को 5.00 लाख रुपए तक की मेडिक्लेम पॉलिसी के जरिए भर्ती इलाज हेतु चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है।

इस संबंध में देयता को बीमांकिक आधार पर मान्यता दी जाती है अर्थात् एनएसआईसी की वहन क्षमता के आधार पर आईडीए पैटर्न के अधीन कर्मचारियों के 01.01.2007 के पश्चात सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के मामले में चालू वित्तीय वर्ष के मूल वेतन + महंगाई भत्ते पर 2 प्रतिशत अंशदान और 01.01.2007 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामले में कर–पूर्व लाभ का 1.5 प्रतिशत।

कर्मचारी पेंशन स्कीम के संबंध में इसका विलय क्षेत्रीय भविष्य निधि न्यास जरिए किया गया है।

ii. सुनिश्चित लाभ योजनाएँ

(क) उपदान:

समूह में एक सुनिश्चित लाभ उपदान योजना है। ऐसा प्रत्येक

कर्मचारी, जिसने 5 वर्ष या इससे अधिक की निरंतर सेवा की है, अधिवर्षिता, त्यागपत्र, बर्खास्तगी और मृत्यु पर, सेवा के पूरे कर लिए गए प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन की दर से (15/26 ग अंतिम आहरित मूल वेतन + महंगाई भत्ता) उपदान प्राप्त करने का हकदार है।

(ख) छुट्टी:

समूह, समूह के कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी लाभ और अर्ध–वेतन छुट्टी प्रदान करता है, जो क्रमशः 30 दिन और 20 दिन प्रति वर्ष उपार्जित होती हैं। आईडीए पैटर्न के कर्मचारियों के मामले में सेवा में रहते हुए एक कैलेंडर वर्ष में अर्जित अवकाश अधिकतम 30 दिनों के लिए भुनाया जा सकता है, और सेवानिवृत्ति पर अधिकतम 300 दिन (अर्ध वेतन अवकाश सहित, कम्यूटेशन के बिना) के लिए भुनाया जा सकता है।

इस संबंध में देयता की मान्यता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

(ग) सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता

सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता गृह नगर में या ऐसे स्थान पर, जहाँ सेवानिवृत्त कर्मचारी का परिवार भारत में रहने का इच्छुक है, में रहने से संबंधित है और इसमें घरेलू सामान भत्ता भी शामिल है।

इस संबंध में देयता को, समूह में बीमांकिक मूल्याकंन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

(घ) अधिवर्षिता पेंशन योजना:

कर्मचारी समूह अधिवर्षिता पेंशन योजना का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है। समूह का दायित्व नामांकित कर्मचारियों के मूल वेतन + महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत का भुगतान करने तक सीमित है।

अवधि के लिए योजना के प्रति अंशदान, समूह की वहन क्षमता के आधार पर बीमांकिक आधार पर कर्मचारी लागत के अंतर्गत समूहीकृत है।

(ङ) सेवा के दौरान चिकित्सा सुविधा:

समूह, स्वयं और उसके आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए सेवारत कर्मचारियों को भर्ती संबंधी इलाज के लिए चिकित्सा सुविधा प्रदान करता है। यदि इलाज सीजीएचएस दरों के अनुसार है, तो इस बाबत हुआ पूरा व्यय समूह द्वारा वहन किया जाता है और यदि इलाज अस्पताल दरों के अनुसार है तो कर्मचारी को व्यय का 15 प्रतिशत (दवाई और इम्पलांट तथा सुनिश्चित विशेष बीमारी को छोड़कर) वहन करना होता है।

ख) उपर्युक्त मामलों के संबंध में बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार विनिर्धारित प्रकटीकरण नीचे दिया गया है:

<u>योजना देयता</u>

(लाख रू. में)

विवरण	सीवाई/पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता
अवधि के अंत में यथास्थिति दायित्व का वर्तमान मूल्य	सीवाई	5384.35	3251.29	524.55	4.04
	पीवाई	5200.40	3156.29	508.11	3.92

सेवा लागत

(लाख रू. में)

विवरण	सीवाई / पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता
चालू सेवा लागत	सीवाई	260.15	186.06	40.05	5.42
	पीवाई	255.30	187.74	40.28	2.47
कटौती लाभों / हानियों सहित पिछली सेवा लागत	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
गैर–नैत्यक करारों पर लाभ या हानियाँ	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
कुल सेवा लागत	सीवाई	260.15	186.06	40.05	5.42
		255.30	187.74	40.28	2.47

निवल ब्याज लागत

(लाख रू. में)

विवरण	सीवाई / पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता
सुनिश्चित लाभ दायित्व पर ब्याज लागत	सीवाई	371.83	225.67	36.33	0.28
	पीवाई	335.99	193.87	33.51	0.26
योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
निवल ब्याज लागत (आय)	सीवाई	371.83	225.67	36.33	0.28
	पीवाई	335.99	193.87	33.51	0.26

लाभ दायित्व में परिवर्तन

(लाख रू. में)

विवरण	सीवाई / पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता
अवधि आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	सीवाई	5200.40	3156.28	508.11	3.92
	पीवाई	4926.49	2842.72	491.42	3.84
अधिग्रहण समायोजन	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	8.18	5.36	0.49	-
ब्याज लागत	सीवाई	371.83	225.67	36.33	0.28
	पीवाई	335.99	193.87	33.51	0.26
सेवा लागत	सीवाई	260.15	186.06	40.05	5.42
	पीवाई	255.30	187.74	40.28	2.47
कटौती लाभों / हानियों सहित पिछली सेवा लागत	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
भुगतान किए गए लाभ	सीवाई	-445.37	-600.86	-35.73	-5.22
	पीवाई	-465.64	-594.32	-28.72	-3.93

विवरण	सीवाई / पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता
दायित्व पर कुल बीमांकिक (लाभ) / हानि	सीवाई	-2.66	284.14	-24.20	-0.36
	पीवाई	140.08	520.91	-28.88	1.29
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	सीवाई	5384.35	3251.29	524.55	4.04
	पीवाई	5200.40	3156.29	508.11	3.92

दायित्व पर बीमांकिक लाभ / हानि का अलग–अलग विवरण

(लाख रू. में)

विवरण	सीवाई / पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता
जनसांख्यिकीय अनुमान में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ) / हानि	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
वित्तीय अनुमान में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ) / हानि	सीवाई	-79.69	-55.17	-11.48	-
	पीवाई	-113.85	-78.93	-16.63	-
अनुभव समायोजन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ) / हानि	सीवाई	-77.04	228.97	-12.72	-0.36
	पीवाई	253.93	599.83	1.22	1.29

तुलन–पत्र और संबंधित विश्लेषण

(लाख रू. में)

विवरण	सीवाई / पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता
अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	सीवाई	5384.35	3251.29	524.55	4.04
	पीवाई	5200.40	3156.29	508.11	3.92
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
तुलन–पत्र में अनिधिकृत देयता / प्रावधान	सीवाई	5330.82	3249.17	523.99	4.04
	पीवाई	5200.40	3156.29	508.11	3.92

आय विवरण में मान्यता प्राप्त धनराशियाँ

(लाख रू. में)

विवरण	सीवाई / पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता
कुल सेवा लागत	सीवाई	260.15	186.06	40.05	5.42
	पीवाई	255.30	187.74	40.28	2.47
निवल ब्याज लागत	सीवाई	371.83	225.67	36.33	0.28
	पीवाई	335.99	193.87	33.51	0.26
अवधि में मान्यताप्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ) / हानि	सीवाई	-	284.14	-24.20	-
	पीवाई	-	520.91	-28.88	-
आय विवरण में मान्यताप्राप्त व्यय	सीवाई	631.98	695.87	51.90	5.70
	पीवाई	591.29	902.52	44.92	2.73

अन्य व्यापक आय (ओसीआई)

(लाख रू. में)

विवरण	सीवाई / पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता
आरंभिक निवल संचयी गैर–मान्यताप्राप्त बीमांकिक लाभ / (हानि)	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
पीबीओ पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ / (हानि)	सीवाई	2.65	-	-	0.36
	पीवाई	-140.08	-		-1.29
परिसंपत्ति पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ / (हानि)	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
अवधि के लिए गैर–मान्यताप्राप्त बीमांकिक लाभ / (हानि)	सीवाई	2.65	-	-	0.36
	पीवाई	-140.08	-		-1.29

निवल सुनिश्चित लाभ दायित्व में परिवर्तन

(लाख रू. में)

विवरण	सीवाई / पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता
अवधि के आरंभ में निवल सुनिश्चित लाभ देयता	सीवाई	5200.40	3156.28	508.11	3.92
	पीवाई	4926.49	2842.72	491.42	3.84
अधिग्रहण समायोजन	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	8.18	5.36	0.49	-
कुल सेवा लागत	सीवाई	260.15	186.06	40.05	5.42
	पीवाई	255.30	187.74	40.28	2.47
निवल ब्याज लागत (आय)	सीवाई	371.83	225.67	36.33	0.28
	पीवाई	335.99	193.87	33.51	0.26
पुर्नमापण	सीवाई	-2.65	284.14	-24.20	-0.36
	पीवाई	140.08	520.91	-28.88	1.29
निधि में भुगतान किया गया अंशदान	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
उद्यम द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भुगतान किया गया लाभ	सीवाई	-445.36	-600.56	-35.74	-5.22
	पीवाई	-465.64	-594.32	-28.72	-3.93
अवधि के अंत में निवल सुनिश्चित लाभ देयता	सीवाई	5384.35	3251.29	524.55	4.04
	पीवाई	5200.40	3156.29	508.11	3.92

वर्तमान और गैर–वर्तमान में वर्ष के अंत में पीबीओ का द्विभाजन

(लाख रू. में)

विवरण	सीवाई / पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता
वर्तमान देयता (एक वर्ष के भीतर राशि)	सीवाई	599.65	326.26	70.05	0.41
	पीवाई	510.40	320.91	49.83	0.34
गैर–वर्तमान देयता (एक वर्ष से अधिक राशि)	सीवाई	4784.71	2925.03	454.50	3.63
	पीवाई	4690.00	2835.38	458.29	3.58
वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	सीवाई	5384.35	3251.29	524.55	4.04
	पीवाई	5200.40	3156.29	508.11	3.92

अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए प्रत्याशित अंशदान

(लाख रू. में)

विवरण	सीवाई / पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता
सेवा लागत	सीवाई	272.42	203.38	44.71	4.21
	पीवाई	268.82	201.24	44.60	3.21
निवल ब्याज लागत	सीवाई	397.36	239.95	38.71	0.30
	पीवाई	371.83	225.67	36.33	0.28
अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए प्रत्याशित व्यय	सीवाई	669.78	443.33	83.41	4.51
	पीवाई	640.65	426.91	80.93	3.49

बीमांकिक मूल्यांकन के लिए उपयोग किए गए प्रधान अनुमान निम्नलिखित हैं:

विवरण	2022.23	2021.22
उपयोग की गई पद्धति	अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति	अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति
बट्टा दर	7.38%	7.15%
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ की प्रत्याशित दर	0	0
भावी वेतन में वृद्धि	5.50	5.50
मर्त्यता दर	100 प्रतिशत आईएएलएम (2012–14)	100 प्रतिशत आईएएलएम (2012–14)
आयु (आहरण दर) (प्रतिशत)		
30 वर्ष तक	3	3
31 से 44 वर्ष तक	2	2
44 वर्ष से अधिक	1	1

सुनिश्चित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता

(लाख रू. में)

विवरण	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता
बट्टा दर में परिवर्तन का प्रभाव				
अवधि के अंत में दायित्व को वर्तमान मूल्य	5384.35	3251.29	524.55	4.04
0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	-166.27	-114.57	-23.66	-0.14
0.50 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	175.98	122.06	25.51	0.15
वेतन की वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव				
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	5384.35	3251.29	524.55	4.04
0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	178.34	123.70	25.82	
0.50 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	-169.93	-117.09	-24.18	

सुनिश्चित लाभ दायित्व की परिपक्वता रूपरेखा

(लाख रू. में)

विवरण	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता
0 से 1 वर्ष	599.65	326.20	70.01	0.41
1 से 2 वर्ष	457.83	286.47	25.59	0.30
2 से 3 वर्ष	514.72	270.21	32.08	0.35
3 से 4 वर्ष	495.99	285.66	27.29	0.33
4 से 5 वर्ष	350.26	197.84	21.36	0.25
5 से 6 वर्ष	348.87	195.70	17.95	0.25
6 वर्ष से आगे	2617.03	1689.13	330.23	2.15

ग) एनवीसीएफएल के संबंध में वर्तमान में, कंपनी में केवल एक कर्मचारी है, परिभाषित लाभ योजना की लागत और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ और ऐसे दायित्व का वर्तमान मूल्य स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित किया जाता है। बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ शामिल होती है जो वास्तविक से भिन्न हो सकती हैं। प्रबंधन का मानना है कि छूट दर, भविष्य की वेतन वृद्धि, मृत्यु दर और पृथकीकरण दर के निर्धारण में बीमांकिक द्वारा उपयोग की जाने वाली धारणा उचित है।

घ) मंत्रालय द्वारा दिनांक 02.12.2016 के पत्र के अंतर्गत यथाअनुमोदित, लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार, 01.01.2007 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए शून्य (शून्य) और 01.01.2007 को या इसके पश्चात सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए 128. 05 लाख रुपए (124.20 लाख रुपए) कॉप्रस चिकित्सा योजना हेतु सृजित किया गया हैं। इस कॉप्रस का उपयोग वर्ष के दौरान क्रमशः 1145.79 लाख रुपए (174.55 लाख रुपए) और 112.73 लाख रुपए (63.84 लाख रुपए) की सीमा तक बीमा कंपनी को प्रीमियम के भुगतान के लिए किया गया है। दिनांक 1.1.2007 से पूर्व और दिनांक 1.1.2007 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए दिनांक 31.03.2023 को चिकित्सा योजना की कुल राशि क्रमशः रु. 252.68 लाख और रु. 451.70 लाख है।

ञ. भारतीय लेखांकन मानक–21: के अनुसार प्रकटीकरण विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव

क) क्रेडिटांस्टाल्ट पश्चिम जर्मनी (केएफडब्ल्यू) ऋण श्रृंखला के अंतर्गत ऋणों के लिए

विनिमय भिन्नता हानियों हेतु प्रावधान, ऋण करारों की शर्तों और निबंधनों के अनुसार सृजित किया गया है:

(i) XIवीं ऋण श्रृंखला के अंतर्गत विनिमय भिन्नता हानियां पूरी करने के लिए वर्ष के दौरान 219.08 लाख रुपए (225.71 लाख रुपए) की विनिमय भिन्नता हानियों के लिए प्रावधान सृजित किया गया है। वर्ष के दौरान ऋण के लिए विनिमय भिन्नता हानि 128.10 लाख रुपए (1.52 लाख रुपए) थी और 90.98. 19 लाख रुपए (224.19 लाख रुपए) का प्रावधान पुरांकित किया गया है और इसका उपयोग ऋण करार की शर्तों और निबंधनों के अनुसार संवर्धनात्मक क्रियाकलापों के लिए किया गया है।

(ii) केएफडब्ल्यू XIIवीं ऋण श्रृंखला के अंतर्गत ऋणों के लिए विनिमय भिन्नता हानियों हेतु ऋण करार के अनुसार प्रावधान सृजित किया गया है। XIIवीं ऋण श्रृंखला के अंतर्गत वर्ष के दौरान सृजित विनिमय भिन्नता के लिए किए गए प्रावधान में से प्रावधान के 80 प्रतिशत का उपयोग विनिमय भिन्नता हानियां पूरी करने के लिए किया जाएगा और 80 प्रतिशत में से बाकी बचा शेष, यदि कोई हो, को भविष्य में विनिमय भिन्नता हानियां पूरी करने के लिए रखा जाएगा।

तदनुसार, XIIवीं ऋण श्रृंखला के अंतर्गत विनिमय भिन्नता के लिए इस वर्ष के दौरान 236.31 लाख रुपए (249.20 लाख रुपए) की कुल धनराशि का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 80 प्रतिशत अर्थात् 189.05 लाख रुपए (199.36 लाख रुपए) का उपयोग वर्ष के दौरान विनिमय भिन्नता हानि के प्रति किया गया है और शेष 20 प्रतिशत अर्थात् 47.26 लाख रुपए (49.84 लाख रुपए) का उपयोग ऋण करार की शर्तों और निबंधनों के अनुसार संवर्धनात्मक उद्देश्यों के लिए किया गया है।

वर्ष के दौरान, ऋणों के लिए विनिमय भिन्नता हानियां 114.40 लाख रुपए (2.06 लाख रुपए) थीं, जिसे 80 प्रतिशत प्रावधान अर्थात् 189.05 लाख रुपए (199.36 लाख रुपए) से समायोजित कर दिया गया है और शेष 74.65 लाख रुपए (197.30 लाख रुपए) भावी विनिमय भिन्नता हानियों के लिए रख लिया गया है। दिनांक 31.03.2023 को यथास्थिति इस बाबत संचयी अवधारित प्रावधान 2249.66 लाख रुपए (2175.00 लाख रुपए) है, जिसमें भविष्य में विनिमय भिन्नता हानियां पूरी करने के लिए इस वर्ष के लिए 74.65 लाख रुपए (197.30 लाख रुपए) का प्रावधान शामिल है।

ख) विनिमय संबंधी अंतर

(लाख रू. में)

क्र. सं.	विवरण	2022-23	2021-22
1	भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर मापे गए वित्तीय दस्तावेज़ों पर उत्पन्न को छोड़कर, लाभ या हानि में मान्यताप्राप्त विनिमय अंतरों की धनराशि।	(24-15)	85-57
2	अन्य व्यापक आय में मान्यताप्राप्त और इक्विटी के एक अलग संघटक में संचित के बीच निवल विनिमय अंतर	-	-
3	अवधि के आरंभ और अंत में इन विनिमय अंतरों की धनराशि का समाधान।	-	-

ट. **भारतीय लेखांकन मानक–24 के अनुसार प्रकटीकरण: संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण**

क) **संबंधित पक्ष** में किसी कंपनी के संदर्भ में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(76) के तहत यथापरिभाषित संबंधित पक्षों के साथ–साथ लागू लेखांकन मानकों के अनुसार सभी संबंधित पक्ष शामिल होंगे, जिसका अर्थ है (i) एक निदेशक या उसका संबंधी; (ii) एक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उसका संबंधी; (iii) एक फर्म, जिसमें कोई निदेशक, प्रबंधक या उसका संबंधी भागीदार है, (iv) एक निजी कंपनी जिसमें प्रबंधक या निदेशक, सदस्य या निदेशक है; (v) एक सार्वजनिक कंपनी जिसमें कोई निदेशक या प्रबंधक, निदेशक है या अपने संबंधियों के साथ इसकी चुकता शेयर पूंजी के दो प्रतिशत से अधिक को धारित किए हुए है; (vi) कोई भी कॉर्पोरेट निकाय जिसका निदेशक मंडल, प्रबंध निदेशक या प्रबंधक किसी निदेशक या प्रबंधक के परामर्श, निर्देशों या अनुदेशों के अनुसार कार्य करने के लिए अभ्यस्त है, (vii) कोई भी व्यक्ति जिसके परामर्श, निर्देशों या अनुदेशों पर कोई निदेशक या प्रबंधक कार्य करने का अभ्यस्त है, बशर्ते कि उप–खंड (vi) और (vii) में से कुछ भी पेशेवर क्षमता में दिए गए परामर्श, निर्देशों या अनुदेशों पर लागू नहीं होगा; (viii) कोई भी कंपनी जो (क) ऐसी कंपनी की कोई धारक, सहायक कंपनी सहयोगी कंपनी है, या (ख) किसी धारक कंपनी की सहायक कंपनी है जिसकी वह भी सहायक कंपनी है, (ix) ऐसा अन्य व्यक्ति जो निर्धारित किया जाएं।

ख) **प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)** में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(51) के अनुसार किसी कंपनी के संबंध में निम्नलिखित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक शामिल होंगे, अर्थात – (i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंध निदेशक या प्रबंधक, (ii) कंपनी सचिव; (iii) पूर्णकालिक निदेशकय (iv) मुख्य वित्तीय अधिकारी, और (v) ऐसा अन्य अधिकारी, जो निदेशकों से एक स्तर से अधिक नीचे नहीं, जो पूर्णकालिक रोजगार में हों, जिसे बोर्ड द्वारा प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के रूप में नामित किया गया है, और ऐसे अन्य अधिकारी जो निर्धारित किए जा सकते हैं

ग) **केएमपी के संबंधी** में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) और कंपनी (परिभाषा विवरणों का विनिर्देशन) नियम, 2014 के नियम 4 के तहत यथापरिभाषित संबंधी शामिल होंगे, किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में, इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी अन्य से संबंधित है, यदि – (i) वे एक हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य हैंय (ii) वे पति और पत्नी हैं; या (iii) एक व्यक्ति दूसरे से उस तरीके से संबंधित है जो निर्धारित किया जा सकता है।

घ) संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण पर भारतीय लेखांकन मानक–24 के अनुपालन में अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है:

i) मुख्य प्रबंधन कार्मिक

मुख्य प्रबंधन कार्मिक	पदनाम	अवधि	
		कब से	कब तक
श्री अल्का नांगिया अरोड़ा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	01.04.2022	31.05.2022
श्री पी. उदयकुमार	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	20.06.2022	31.07.2022
श्री गौरांग दीक्षित	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	01.08.2022	31.12.2022
श्रीमती मर्सी एपाओ	निदेशक (वित्त) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	01.01.2023	31.03.2023
श्रीमती मर्सी एपाओ	निदेशक (पीएंडएम) (अतिरिक्त प्रभार)	01.01.2023	20.02.2023

मुख्य प्रबंधन कार्मिक	पदनाम	अवधि	
		कब से	कब तक
श्री पी. उदयकुमार	निदेशक (पी एंड एम)	01.04.2022	31.07.2022
श्री कार्तिकेय सिन्हा	निदेशक (पी एंड एम)	21.02.2023	31.03.2023
श्री गौरांग दीक्षित	निदेशक (वित्त) एण्ड सीएफओ	01.04.2022	31.12.2022
श्री सरवण कुमार अनणथन	सीईओ एण्ड निदेशक (एनवीसीएफएल)	17.10.2022	31.03.2023
श्री कालांदी चरण समल	स्वतंत्र निदेशक	01.04.2022	31.03.2023
श्री अशोक परिहार	स्वतंत्र निदेशक	01.04.2022	31.03.2023
श्री पार्थ माझी	मुख्य वित्त अधिकारी	02.01.2023	31.03.2023
सुश्री निष्ठा गोयल	कंपनी सचिव	01.04.2022	31.03.2023

ड़) **सहायक कंपनी** – एनएसआईसी की एक सहायक कंपनी – मैसर्स एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल) है जिसके लिए निगम ने कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम 2017 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के खंड 87 के तहत निर्धारित कंपनियों की परतों की संख्या की आवश्यकता का अनुपालन किया है।

च) **संबंधित पार्टी/पक्ष** – सेल्फ रिलायंट इंडिया (एसआरआई) फंड

छ) **संबंधित पार्टी केएमपी, आदि के साथ लेनदेन**

(i) मुख्य प्रबंधन कार्मिक– रा.ल.उ.नि. के साथ वर्ष के दौरान हुए लेनदेन

(लाख रू. में)

क्र. सं.	लेन–देन की प्रकृति	संबंधित पाटी		प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक		प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के सापेक्ष		कुल	
		2022–23	2021–22	2022–23	2021–22	2022–23	2021–22	2022–23	2021–22
1.	**राजस्वः**								
क)	प्राप्त ब्याज	--	--	--	--	--	--	--	--
ख)	किराया	--	--	--	--	--	--	--	--
ग)	अन्य	551.53	304.39	--	--	--	--	551.53	304.39
2.	**व्ययः**								
क)	वेतन और भत्ते	--	--	93.00	126.91	--	--	93.00	126.91
ख)	छुट्टी/एलटीसी नकदीकरण	--	--	56.56	10.89	--	--	56.56	10.89
ग)	भविष्य निधि योगदान	--	--	7.62	8.52	--	--	7.62	8.52
घ)	पेंशन योजना में योगदान	--	--	6.35	19.00	--	--	6.35	19.00
ड.)	ब्याज का भुगतान किया गया	--	--	--	--	--	--	--	--
च)	अन्य व्यय	5.73	0.84	22.89	14.85	--	--	28.62	15.69

क्र. सं.	लेन–देन की प्रकृति	संबंधित पार्टी		प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक		प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के सापेक्ष		कुल	
		2022–23	2021–22	2022–23	2021–22	2022–23	2021–22	2022–23	2021–22
छ)	किराया भुगतान	--	--	--	--	--	--	--	--
ज)	अंतिम लाभ के लिए प्रावधान	--	--	18.98	18.94	--	--	18.98	18.94
झ)	अन्य–पीआरपी	--	--	85.82	7.71	--	--	85.82	7.71
ज)	अन्य–बैठक शुल्क	4.44	1.65	--	--	--	--	4.44	1.65
3.	**बकाया शेष**								
क)	उधार – ऋण और ब्याज बकाया	--	--	0.12	--	--	--	0.12	--
ख)	जमा–ऋण और बकाया ब्याज	--	--	--	--	--	--		
ग)	व्यापार प्राप्य	613.68	109.42	--	--	--	--	613.68	109.42
घ)	अग्रिम	--	1.25	--	--	--	--	--	1.25
4.	**अन्य**								
क)	निवेश:	33.88	10.69	--	--	--	--	33.88	10.69
ख)	पीपीई/अन्य परिसंपत्तियों की खरीद	--	--	--	--	--	--	--	--
ग)	पीपीई/अन्य की बिक्री संपत्ति	--	--	0.40	--	--	--	0.40	--
घ)	बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार अंतिम लाभ का प्रावधान	--	--	25.22	100.26	--	--	25.22	100.26

(ii) प्रमुख शर्तें और निबंधन

(क) मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को दिया गया पारिश्रमिक रा. ल.उ.नि. के सेवा नियमों के अनुरूप हैं।

(ख) एनवीसीएफएल के साथ लेन–देन परस्पर सहमत शर्तों के लेन–देन के समतुल्य पर किए जाते है।

(ग) समूह ने निदेशक को ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम प्रदान किए हैं (कंपनी अधिनियम 2013 के तहत यथा परिभाषित)। 277527.90 लाख रुपए के कुल ऋण और अग्रिम की तुलना में निदेशक को ऋण की राशि 0.12 लाख है, जो बहुत न्यूनतम है और इसकी गणना नहीं की जा सकती।

ठ. **भारतीय लेखाकंन मानक 109 के अनुसार प्रकटीकरण – वित्तीय विलेख**

एनएसआईसी में किए गए प्रावधानों का प्रकटीकरण

क) भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 13.03.2020 की अधिसूचना संख्या आरबीआई/2019–20/170 डीओआर (एनबीएफसी) सी.सी. पीडी. सं. 109/22.10.106/2019–20 के आधार पर भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार ईसीएलस को वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय विलेखों में हानि संबंधी छूट के रूप में मान्यता दी जाती है।

ख) वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में, किराया खरीद, पट्टे, कच्चे माल की सहायता, बिल पर छूट, सावधि ऋण, समग्र सावधि ऋण, बैंकों आदि के तहत देय राशियों के संबंध में, दिनांक 31.03.2023 को अनर्जक हानि के लिए संचयी प्रावधान रु. 12265.28 लाख (रु. 12323.53 लाख) के कुल बकाया के मुकाबले 273966.42 लाख (रु. 255211.72 लाख) था।

ग) गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों, जिनमें विपणन क्रियाकलापों के अंतर्गत देय राशियों के संबंध में प्राप्य तकनीकी केन्द्रों और एसटीबीपीज में लेनदेनों की बाबत प्राप्य, सेवाओं की बिक्री की बाबत प्राप्तव्य (अर्थात लाइसेंस और हाउसकीपिंग शुल्कों, किराये, प्रशिक्षण शुल्क, ईएमसी, टीआईसी, कार्यक्रमों आदि के लिए प्राप्य), नकद या वस्तु रूप में वसूली योग्य अग्रिम (मुख्यतः जिनमें एनएसआईसी के साथ समझौता ज्ञापन वाले थोक आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किए गए अग्रिमों सहित बाह्य पक्षकारों को भुगतान किए गए अग्रिम शामिल हैं), प्रतिभूति जमा उपार्जित परंतु अदेय ब्याज सहित स्टाफ अग्रिम और एवं अन्य परिसंपत्तियाँ, दिनांक 31.03.2023 को अनर्जक हानि के लिए संचयी प्रावधान रु. 742.35 लाख (रु. 850.45 लाख) के कुल बकाया के मुकाबले 24971.42 लाख (रु. 22318.47 लाख) था।

घ) समग्र आधार पर, वित्तीय और गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल हैं। वित्तीय/गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों के तहत व्यापार प्राप्य और ऋण और अग्रिम और तकनीकी केंद्र/एसटीबीपी जिसमें प्राप्य और अग्रिम शामिल हैं, दिनांक 31.03.2023 को अनर्जक हानि के लिए संचयी प्रावधान रु. 13007.62 लाख (रु. 13173.98 लाख) की राशि में भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार रु. 298937.83 लाख (रु.277530.19 लाख) के कुल बकाया के सापेक्ष वित्तीय/गैर–वित्तीय आस्तियों के प्राप्य और ऋण और अग्रिम (एनएसआईसी के पास उपलब्ध ब्याज उचंत खाते और नकद संपार्श्विक का शुद्ध) के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रावधान मानदंडों के अनुरूप किए गए हैं।

ड. **भारतीय लेखांकन मानक 37 के अनुसार प्रकटीकरणः प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियांः–**

लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्ष 2022–23 के लिए कार्य–निष्पादन संबद्ध वेतन (पीआरपी), की एनएसआईसी में बाबत 626.26 लाख रुपए (754.12 लाख रुपए) की धनराशि तदर्थ प्रावधान किया गया है।

निगम ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 682.51 लाख रुपए और 728.11 लाख रुपए के निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी) का भुगतान किया है जो क्रमशः वित्तीय वर्ष 2019–20 और 2020–21 में प्रस्तावित किया गया था।

ढ. **भारतीय लेखांकन मानक 105 के अनुसार प्रकटकीकरण – बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू परिसंपत्ति और बंद कर दिए गए प्रचालन**

अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध और वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के अंदर बिक्री की अत्यधिक संभावना वाली परिसंपत्तियां,

''बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू परिसंपत्तियों'' के रूप में वर्गीकृत की गई हैं। भारतीय लेखाकंन मानक 105 के अंतर्गत यथा अपेक्षित, चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, शून्य के निवल रखाव मूल्य (शून्य के सकल रखाव मूल्य) वाली ऐसी परिसपंत्तियां, संपत्ति, एनएसआईसी में संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत परिसंपत्तियों के भिन्न ब्लॉक से परिसंपत्तियों के अलग ब्लॉक नामतः बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू परिसंपत्तियां'' में अंतरित कर दी गई थी।

पिछले वित्तीय वर्ष में, अर्थात् वित्त वर्ष 2021–22 में रु. 0.20 लाख (रु. 4.12 लाख का सकल वहन मूल्य) के शुद्ध वहन मूल्य वाली संपत्ति अर्थात् एनएसआईसी में 'बिक्री के लिए धारित गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों' को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत संपत्ति के अलग–अलग ब्लॉक से संपत्ति के अलग–अलग ब्लॉक में स्थानांतरित कर दिया गया था।

ण. भारतीय लेखांकन मानक 108 के अनुसार प्रकटीकरण – प्रचालन खंड

क) खंड रिपोर्टिंगः–

एनएसआईसी के क्रियाकलाप मोटे तौर पर 'संवर्धनात्मक' और 'वाणिज्यिक' के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। 'संवर्धनात्मक' क्रियाकलापों में ऐसे क्रियाकलाप शामिल हैं जिनके लिए एनएसआईसी को बजटीय सहायता सरकार और/अथवा इसकी एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। 'संस्थानों को प्रशिक्षण हेतु सहायता' की योजनाएं, 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति – अनुसूचित जनजाति हब', 'प्रापण और विपणन सहायता योजना' 'अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) योजना' आदि, जिनके लिए इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अनुमादित दिशा–निर्देशों के अनुसार, जहाँ, का लागू हो, प्रशासनिक व्यय के साथ–साथ एनएसआईसी के क्रियाकलाप मोटे तौर पर –संवर्धनात्मक' के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। प्रदर्शनियों (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों), क्रेता–विक्रेता सम्मेलनों, सघन अभियान आयोजित करने/उनमें सहभागिता अन्य विपणन सहायता सेवाओं (विज्ञापन, प्रचार आदि), लघु और मध्यम उद्यमों की रेटिंग के लिए किए जाने वाले खर्च और प्रशिक्षण का व्यय उपरोक्त योजनाओं के लिए उपलब्ध कराई गई बजटीय सहायता में से पूरे किए जाते हैं।

अन्य बातों के साथ–साथ, 'वाणिज्यिक' क्रियाकलापों में ऐसे क्रियालाप शामिल हैं, जिनके द्वारा एनएसआईसी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 'विपणन (निविदा विपणन और कच्चे माल की सहायता/ वितरण/ थोक विक्रेताओं और खुदरा व्यापार को सहायता सहित)', 'ऋण', 'प्रौद्योगिकी' और 'अन्य सहायता' सेवाएं उपलब्ध कराता है। इन 'समेकित' सहायता सेवाओं का निधिकरण एनएसआईसी द्वारा किया जाता है। इनके अलावा, बजटीय सहायता में से पूरे न किए जाने वाले क्रियाकलाप, परंतु जो संवर्धनात्मक स्वरूप के हैं, को वाणिज्यिक क्रियाकलापों के साथ मिला दिया गया है क्योंकि इन क्रियाकलापों के खर्चे एनएसआईसी द्वारा वहन किए जाते हैं। तद्नुसार, एनएसआईसी के क्रियाकलापों को दो खंडों नामतः "वाणिज्यिक" और "संवर्धनात्मक" में विभाजित किया गया है।

निम्नलिखित सारणी में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी 'खण्ड सूचना' पर भारतीय लेखांकन मानक–108 द्वारा यथापेक्षित दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कारोबार खण्ड के लिए राजस्व, लाभ/(हानि), परिसंपत्ति और देयताओं की सूचना दर्शाई गई हैः

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए		
प्राथमिक खण्ड – कारोबार खण्ड	संवर्धनात्मक	वाणिज्यिक	जोड़	संवर्धनात्मक	वाणिज्यिक	जोड़
I. खण्ड राजस्व (अनुदान सहित)						
–वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त सरकारी अनुदान	10508.11	-	10508.11	6,700.65	-	6,700.65
–उत्पाद की बिक्री	-	232491.66	232491.66	-	2,21,163.92	2,21,163.92
–सेवाओं की बिक्री		11380.67	11380.67	-	9265.99	9265.99
–अन्य		33697.96	33697.96	-	31832.79	31832.79
–जोड़	**10508.11**	**277570.29**	**288078.40**	**6,700.65**	**2,62,262.70**	**268963.35**
II. खंड व्यय (अनुदान के प्रति व्यय सहित)						
–वर्ष के दौरान मान्यता दिए गए सरकारी अनुदान के प्रति किया गया व्यय	10508.11		10508.11	6,700.65	-	6,700.65
–अन्य		262410.54	262410.54	-	247489.46	247489.46
–जोड़	**10508.11**	**262410.54**	**272918.65**	**6,700.65**	**247489.46**	**254190.11**
III. परिणाम						
क. खण्ड परिणाम		11294.85	11294.85	-	11,012.85	11,012.85
ख. ब्याज से पहले प्रचालन लाभ		24244.42	24244.42	-	21034.80	21034.80
ग. भुगतान किया गया ब्याज		9084.67	9084.67	-	6261.56	6261.56
घ. आपवादिक मदें		(13.94)	(13.94)	-	(6.20)	(6.20)
ङ. कर–पूर्व लाभ		15173.69	15173.69	-	14,779.44	14,779.44
च. कर व्यय		3878.84	3878.84	-	3,766.59	3,766.59
छ. करोपरांत निवल लाभ		11294.85	11294.85	-	11,012.85	11,012.85
छ. अन्य व्यापक आय		28.98	28.98	-	(34.92)	(34.92)
झ. कुल व्यापक आय {जिसमें लाभ/(हानि) और अन्य व्यापक आय शामिल हैं}		11323.83	11323.83	-	10,977.93	10977.93
III. परिसंपत्तियां और देयताएं						
क. खण्ड परिसंपत्तियाँ	4343.93	304392.96	308736.89	4,155.99	2,83,093.87	2,87,249.86
ख. अनावंटित परिसंपत्तियां			22807.38	-	-	31,799.89
ग. कुल परिसंपत्तियाँ	**4343.93**	**304392.96**	**331544.27**	**4,155.99**	**2,83,093.87**	**3,19,049.75**
घ. खण्ड परिसंपत्तियाँ	10018.27	183739.55	193757.82	9,429.56	1,79,083.63	1,88,513.19
ङ. अनावंटित परिसंपत्तियां			137786.45	-	-	1,30,536.56
च. कुल देयताएँ	10018.27	183739.55	331544.27	9,429.56	1,79,083.63	3,19,049.75
IV. अन्य सूचना						
(क) स्थिर परिसंपत्तियां अर्जित करने के लिए अवधि के दौरान लगाई गई लागत (सीडब्ल्यूआईपी सहित)	498.88	656.77	1155.65	794.51	308.67	1,103.18
(ख) मूल्यह्रास #	375.41	704.10	1079.51	361.14	742.32	1103.46
(ग) मूल्यह्रास के अलावा अन्य गैर–नकदी व्यय		38.75	38.75	-	539.68	539.68

 # संवर्धनात्मक खण्ड का मूल्यह्रास, पूंजी आरक्षित के प्रति प्रभारित किया गया है।

क) प्रमुख उत्पादों और सेवाओं से प्राप्त राजस्व के बारे में सूचना – नीचे दिए गए खंड 'पी' को देखें।

ख) अन्य गतिविधियों के लिए जानकारी।

विवरण	यूनिट	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
एनएसआईसी प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षित उम्मीदवार	संख्या	61090	48182
एमएसएमई ने परीक्षण और अन्य सामान्य सुविधाओं की सुविधा प्रदान की	संख्या	14034	10840
कुल खरीद के : के रूप में जेम से खरीद	%	68.19	15.58

ग) समूह के पास कोई रिपोर्ट योग्य भौगोलिक खण्ड नहीं है, क्योंकि समूह के ऋण प्रचालन देश के अंदर किए जाते हैं।

घ) किसी एकल ऋणी ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान समूह के राजस्व में 10 प्रतिशत या इससे अधिक का योगदान नहीं किया है।

त. भारतीय लेखांकन मानक 115 के अनुसार प्रकटीकरण– ग्राहकों के साथ किए गए संविदाओं से प्राप्त राजस्व

समूह का संघटक–वार राजस्व

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
उत्पादों की बिक्री	232491.66	221163.92
सेवाओं की बिक्री	11380.67	9265.99
ब्याज आय	28342.56	26153.92
प्रोसेसिंग शुल्क	4730.12	4735.83
अन्य प्रचालन आय	481.88	751.80
जोड़	**277426.89**	**262071.46**

थ. भारतीय लेखांकन मानक 116 के अनुसार प्रकटीकरण – पट्टे:

भारतीय लेखांकन मानक 116 के अनुसार, समूह तुलन पत्र में इन परिसंपत्तियों को भावी अवधियों में इन पट्टों के प्रति भुगतानयोग्य धनराशियों के संबंध में तदनरूपी पट्टा देयता के साथ 'उपयोग करने के अधिकार वाली परिसंपत्ति के रूप में मान्यता देता है। तथापि, समूह ने, अल्पावधि पट्टों और निम्न मूल्य वाली अंतर्निहित परिसंपत्तियों के पट्टों के संबंध में मान्यता छूट का इस्तेमाल किया है। अल्पावधि पट्टों में परिसमापन विकल्प वाले पट्टे शामिल हैं, जहां ये पट्टे समाप्त करने के लिए कोई सारवान आर्थिक विप्रोत्साहन न हो। ऐसे करार, पट्टाधारित पोटफोलियों का प्रबंधन करने और समूह की व्यवसाय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने में सुनम्यता उपलब्ध कराते हैं।

वर्ष 2022–23 के दौरान अल्पावधि पट्टों से संबंधित व्यय 430.95 लाख रू. (459.59 लाख रु.) है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों सहित सभी पट्टों के प्रति कुल नकदी बहिर्वाह 430.98 लाख रू. (462.69 लाख रु.) है।

क) पट्टाधारी के रूप में पट्टे:

i. मान्यता प्राप्त पट्टा देयताओं और वर्ष के दौरान संचालनों की धारित धनराशियाँ निम्नलिखित हैं:

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
अथशेष	59.04	57.60
– पट्टा देयताओं में अभिवर्धन		1.46
– वर्ष के दौरान ब्याज लागत		-
– पट्टा दयेताओं का भुगतान	0.03	0.02
अंत शेष	59.01	59.04

ii. लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त धनराशियाँ निम्नलिखित हैं:

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
उपयोग के अधिकारवाली परिसंपत्तियों के लिए मूल्यह्रास और परिशोधन	0.83	0.83

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय	4.56	4.54

iii. अन्य प्रकटीकरण:

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
पट्टों से नकदी बहिर्वाह	0.03	3.10

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को यथास्थिति	31 मार्च, 2022 को यथास्थिति
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियां की धारण धनराशि	54.16	55.00

iv पहले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के न्यूनतम के लिए और बाकी वर्षों के लिए वार्षिक आधार पर भुगतान किए जाने वाले बट्टाकृत पट्टा भुगतान निम्नलिखित हैं

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को यथास्थिति	31 मार्च, 2022 को यथास्थिति
एक वर्ष से कम	4.58	3.10
एक और दो वर्षों के बीच	5.33	4.58
दो और तीन वर्षों के बीच	5.58	5.33
तीन और चार वर्षों के बीच	5.58	5.58
चार और पांच वर्षों के बीच	5.58	5.58
पांच वर्षों से अधिक	368.87	371.96

ख) पट्टादाता के रूप में पट्टे:

i. ये करार, भारतीय लेखांकन मानक 116 'पटटे' में पारगमन के पश्चात प्रचालनरत पट्टे के रूप में वर्गीकृत किए जाने जारी है।

ii. 4899.22 लाख रू. (3502.55 लाख रू.) की धनराशि 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण में पट्टा आय के रूप में लेखे में ली गई है।

iii. पहले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के न्यूनतम के लिए और बाकी वर्षों के लिए वार्षिक आधार पर प्राप्त किए जाने वाले बट्टाकृत पट्टा भुगतान निम्नलिखित हैं:

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को यथास्थिति	31 मार्च, 2022 को यथास्थिति
एक वर्ष से कम	4845.44	4091.89
एक और दो वर्षों के बीच	3529.67	2878.77
दो और तीन वर्षों के बीच	2920.66	2350.73
तीन और चार वर्षों के बीच	1764.77	1818.25
चार और पांच वर्षों के बीच	1742.27	1653.82
पांच वर्षों से अधिक	1512.21	3481.56

द. परिसंपत्ति देयता प्रबंधन – परिसंपत्तियों व देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता स्वरूप

(लाख रू. में)

31.03.2023 को यथास्थिति	निवल अग्रिम	निवेश	उधार		विदेशी मुद्रा की मदें	
			घरेलू	विदेशी	परिसंपत्तियां	देयताएं
30/31 दिनों तक	50003.68	-	19278.26	-		
1 महीने से अधिक 2 महीने तक	19181.00	-	-	-	-	-
2 महीने से अधिक 3 महीने तक	25844.66	-	131500.00	133.55	-	-

31.03.2023 को यथास्थिति	निवल अग्रिम	निवेश	उधार		विदेशी मुद्रा की मदें	
			घरेलू	विदेशी	परिसंपत्तियां	देयताएं
3 महीने से अधिक 6 महीने तक	166671.80	-		22.82	-	-
6 महीने से अधिक 1 वर्ष तक	-	-	-	156.37	-	-
1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक	-	-	-	625.48	-	-
3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	-	-	-	625.48	-	-
5 वर्ष से अधिक	-	338.64	-	3245.01	-	-

(लाख रू. में)

31.03.2022 को यथास्थिति	निवल अग्रिम	निवेश	उधार		विदेशी मुद्रा की मदें	
			घरेलू	विदेशी	परिसंपत्तियां	देयताएं
30/31 दिनों तक	45731.35	-	27771.52	-		
1 महीने से अधिक 2 महीने तक	18558.35	-	11270.03	-	-	-
2 महीने से अधिक 3 महीने तक	26147.34	-	15878.63	126.09	-	-
3 महीने से अधिक 6 महीने तक	152451.14	-	92579.82	21.55	-	-
6 महीने से अधिक 1 वर्ष तक	-	-	-	147.63	-	-
1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक	-	-	-	590.52	-	-
3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	-	-	-	590.52	-	-
5 वर्ष से अधिक	-	279.76	-	3359.26	-	-

(ये अग्रिम, किराया खरीद, पट्टाकरण, कच्चा माल सहायता, बिल बट्टाकरण, संयुक्त सावधि ऋण, सावधि ऋण, बैंक आदि से संबंधित है)।

ध. वित्तीय विलेख

क) पूंजी प्रबंधन

समूह के पूंजी प्रबंधन के उद्देश्य के लिए, पूंजी में, निर्गत इक्विटी पूंजी, शेयर प्रीमियम और समूह के इक्विटीधार को प्रदान किए जाने योग्य अन्य सभी इक्विटी आरक्षित राशियां शामिल हैं। समूह के पूंजी प्रबंधन के प्राथमिक उद्देश्य, शेयर पूंजी की सुरक्षा और बचाव तथा शेयरधारक संपत्ति को अधिकतम बनाना है।

प्रबंधन, अत्यधिक उत्तोलन शक्ति से बचते हुए एक दक्ष समग्र वित्तपोषण संरचना बनाए रखने की दृष्टि से समूह की पूंजीगत आवश्यकताओं का आकलन करता है। समूह, पूंजी संरचना का प्रबंधन करता है और गतिशील व्यवसाय वातावरण और सेक्टर के अंदर नकदी प्रवाह की स्थिति के आलोक में उपयुक्त विलेखों के जरिए निधियां जुटाता है। इसके अलावा, पूंजी पुनः संरचनाकरण के संबंध में, समूह, बोनस शेयरों के निर्गमन, लाभांश वितरण, इक्विटी शेयरों की वापस खरीद आदि के संबंध में अन्य बातों के साथ–साथ "केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का पूंजी पुनः संरचनाकरण" पर निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए। दिशानिर्देशों द्वारा भी मार्गदर्शित होता है। समूह ने बाह्य रूप से लगाई गई सभी पूंजीगत शर्तों का अनुपालन किया है।

विनियामक पूंजी संबंधी सूचना, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनिवार्य किए गए प्रकटीकरण के भाग के रूप में प्रस्तुत की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के मापदंड, पूंजी को निम्नलिखित स्तरों पर बनाए रखने को अनिवार्य बनाते हैं।

समूह ने, रिपोर्टाधीन अवधि में पूंजी की सभी शर्तों का अनुपालन किया है।

ख) वित्तीय जोखिम प्रबंधन

समूह अनेक जोखिमों के प्रति आरक्षित है, जो ऐसे वातावरण में अंतर्निहित हैं, जिसमें वह प्रचालन करता है। समूह, एमएसएमई सेक्टर को वित्तीय सहायता प्रदान करने के व्यवसाय में है–

क) क्रेडिट जोखिम

(i) समूह, अपने ऋण प्रचालनों के जरिए प्राथमिक रूप से क्रेडिट जोखिम के प्रति आरक्षित है। नकदी और नकदी समतुल्य पर क्रेडिट जोखिम, सीमित है क्योंकि ये अनुसूचित वाणिज्यिक सार्वजनिक सेक्टर बैंकों और प्राइवेट सेक्टर बैंकों के साथ किए जाते हैं। जहाँ तक निवेशों का संबंध है, समूह का इक्विटी दस्तावेज़ों में बहुत कम निवेश है जो रणनीतिक स्वरूप का है। जिसके भाग का प्रावधान समूह ने पहले ही हानिकरण छूट के प्रति कर दिया है और शेष का उचित मूल्यांकन कर दिया है और उस पर हुए लाभ को लेखा–बहियों में लेखे में ले लिया है।

क्रेडिट जोखिमों के एक प्रभावी तरीके से प्रबंधन के लिए समूह ने एक मूल्यांकन तंत्र स्थापित कर दिया है, जिसमें मूलधन और ब्याज की धनराशि की समय से अदायगी सुनिश्चित करने की दृष्टि से दिशानिर्देश दिए गए हैं। समूह, जोखिम की उस धनराशि, जिसे वह अलग–अलग प्रति–पक्षकारों के लिए स्वीकार करने और उनके सकेंद्रण का इच्छुक है, पर सीमाएं निर्धारित करके और बैंकों से लेखे का संव्यवहार प्राप्त करके इन सीमाओं के संबंध में अरक्षितताओं को मॉनीटर करके क्रेडिट जोखिमों का प्रबंधन और नियंत्रण करता है।

समूह को, बैंक गारंटी के प्रति कच्चा माल सहायता योजना में आपूर्तिकर्ता को भुगतान करके कच्चे माल के प्रापण के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली क्रेडिट सहायता के हिसाब से क्रेडिट जोखिम होता है।

(ii) महत्त्पूर्ण अनुमान और निर्णय

वित्तीय परिसंपत्तियों का हानिकरणः

वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानिकरण प्रावधान, चूक के जोखिम और प्रत्याशित हानि दरों के बारे में अनुमानों पर आधारित है। समूह, समूह के पिछले इतिवृत्त और अन्य बैंकों के साथ खाते के संचालन, मौजूदा बाज़ार दशाओं और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अग्रदर्शी अनुमानों के आधार पर यह अनुमान लगाने और हानिकरण के परिकलन में इनपुट का चयन करने में निर्णय का इस्तेमाल करता है।

भारतीय लेखांकन मानकों में पारगमन की तारीख को कोई कंपनी ऐसी तर्कसंगत और समर्थ योग्य सूचना का इस्तेमाल करेगी, जो, उस तारीख, जिसकी वित्तीय दस्तावेज़ों को आरंभतः मान्यता दी गई थी, क्रेडिट जोखिम निर्धारित करने के लिए अनुचित लागत या प्रयास के बिना उपलब्ध हो और भारतीय लेखांकन मानकों के पारगमन की तारीख को जोखिम क्रेडिट के साथ इनका मिलान करेगी।

समूह ने भारतीय लेखांकन मानक–109 या भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उच्चतर प्रावधान के रूप में लेखा–बहियों में हानिकरण हानि (ईसीएल) को मान्यता देने की नीति अपनाई है।

एनएसआईसी ने सभी ऋणों को तीन चरणों में वर्गीकृत किया है:

चरण 1 – निष्पादनशील (अपनी आरंभिक मान्यता से बहुत अधिक क्षति नहीं हुई)

चरण 2 – निम्न निष्पादनशील (अपनी आरंभिक मान्यता से बहुत अधिक क्षति हुई)

चरण 3 – गैर–निष्पादनशील (क्षति होने के उद्देश्यपरक साक्ष्य)

ईसीएल का परिकलन, पिछले दस वर्ष के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित रूप में किया जाता है:

ईसीएल = चूक की संभाव्यता (पीडी) X हानि दी गई चूक (एलजीडी)

चूक की संभाव्यता (पीडी) का परिकलन, प्रतिशत के रूप में पिछले 10 वर्षों में कुल ऋण वृद्धि के प्रति पिछले 10 वर्षों में एनपीए के रूप में किया जाता है।

हानि दी गई चूक का परिकलन, प्रतिशत के रूप में पिछले 10 वर्षों के दौरान कुल एनपीए के प्रति पिछले 10 वर्षों के दौरान मूलधन की हानि के रूप में किया जाता है।

एनएसआईसी, क्रेडिट जोखिम में पर्याप्त वृद्धि हुई मानता है, जब ऋणी 30 पिछले देय दिन (डीपीडी) पार कर लेता है परंतु 90 डीपीडी के अंदर है।

अपेक्षित हानि के लिए प्रावधान

स्तर	श्रेणी	श्रेणी का विस्तार	प्रत्याशित क्रेडिट हानि के प्रावधान की मान्यता का आधार ऋण
चरण 1	मानक परिसंपत्तियाँ, उच्च गुणवत्ता परिसंपत्तिया, नगण्य क्रेडिट जोखिम	ऐसी परिसंपत्तियां जहां प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है या जिनमें रिपोर्टिंग तिथि पर कम क्रेडिट जोखिम है।	12 महीने का ईसीएल
चरण 2	वर्धित जोखिम परिसंपत्तियाँ या पर्याप्त जोखिम वाली परिसंपत्तियाँ	ऐसी परिसंपत्तियां जहां प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है लेकिन जिसमें हानि का वस्तुनिष्ठ साक्ष्य नहीं है।	आजीवन ईसीएल
चरण 3	हानिकृत परिसंपत्तियाँ	जिनके लिए रिपोर्टिंग तिथि पर हानि का वस्तुनिष्ठ साक्ष्य है।	आजीवन ईसीएल

ख) परिशोधन जोखिम

परिशोधन ऐसा जोखिम है कि समूह के व्यवसाय क्रियाकलापों के लिए निधिकरण के उपयुक्त स्रोत संभवतः उपलब्ध न हों। समूह का उद्देश्य, अपनी नकदी की आवश्यताएँ पूरी करने के लिए परिशोधन का इष्टतम स्तर बनाए रखना है। समूह, अपनी परिशोधन स्थिति को निकटता से मॉनीटर करता है और जब कभी आवश्यक हो, अपनी अल्पावधि और दीर्घावधि निधि आवश्यकताओं का वित्तपोषण करने के लिए पर्याप्त स्रोत बनाए रखता है।

(i) वित्तपोषण व्यवस्थाएँ

समूह के पास, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निम्नलिखित आहरित न की गई उधार सुविधाएं थीं:

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को यथास्थिति	31 मार्च, 2022 को यथास्थिति
अस्थायी दर – एक वर्ष के अंदर समाप्त होने वाली (बैंक ओवरड्राफ्ट और अन्य सुविधाएँ)	शून्य	शून्य

समूह के पास ब्याज की अस्थायी दर पर बैंकों से नकद क्रेडिट सुविधा है, जिसे हर वर्ष नवीकृत किया जाता है।

(ii) वित्तीय देयताओं की परिपक्वता रूपरेखा

नीचे दी गई सारणी में, समूह की वित्तीय देयताओं का सभी गैर–व्युत्पन्न वित्तीय देयताओं के लिए अपनी संविदात्मक परिपक्वताओं पर आधारित सुसंगत परिपक्वता में विश्लेषण किया गया है, जिसके लिए नकदी प्रवाहों के समय को समझने के लिए संविदात्मक परिपक्वताएँ आवश्यक हैं:–

सारणी में विगोपित धनराशियाँ, उनके रखाव शेषों के बराबर, 12 महीने के अंदर देय संविदात्मक अबट्टाकृत नकदी प्रवाह शेष है, क्योंकि बट्टाकरण का प्रभाव महत्त्वपूर्ण नहीं है:–

(लाख रू. में)

विवरण	वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताएँ			वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताएँ		
	31 मार्च, 2023			31 मार्च, 2022		
	बैंक उधार	बाज़ार उधार	जोड़	बैंक उधार	बाज़ार उधार	जोड़
1 दिन से 30/31 दिनों तक (एक महीना)	19278.26	-	19278.26	27771.52	-	27771.52
1 महीने से अधिक 2 महीने तक	-	-	-	11270.03	-	11270.03
2 महीने से अधिक 3 महीने तक	131500.00	133.55	131633.55	15878.63	126.09	16004.72
3 महीने से अधिक 6 महीने तक	-	22.82	22.82	92579.82	21.55	92601.37
6 महीने से अधिक 1 वर्ष तक	-	156.37	156.37	-	147.63	147.63
1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक	-	625.48	625.48	-	590.52	590.52
3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक	-	625.48	625.48	-	590.52	590.52
5 वर्ष से अधिक	-	3245.01	3245.01	-	3359.26	3359.26

ग) बाज़ार जोखिम

बाज़ार जोखिम ऐसा जोखिम है कि किसी वित्तीय दस्तावेज़ के भावी नकदी प्रवाहों के उचित मूल्य में, बाज़ार मूल्यों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होगा। बाज़ार जोखिम में तीन प्रकार के जोखिम शामिल हैं– ब्याज दर जोखिम, मुद्रा जोखिम और अन्य मूल्य जोखिम जैसे इक्विटी मूल्य जोखिम और वस्तु जोखिम। बाज़ार जोखिम द्वारा प्रभावित वित्तीय दस्तावेज़ों में, ऋण और उधार शामिल हैं।

(i) विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम ऐसा जोखिम है कि कार्यात्मक मुद्रा के अलावा विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित किसी वित्तीय दस्तावेज़ के भावी नकदी प्रवाहों के उचित मूल्य में, विदेशी विनियम दरों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होगा।

समूह, मुख्यतः अपने विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित उधारों पर विनिमय मुद्रा जोखिम के प्रति आरक्षित है। समूह के विदेशी मुद्रा मूल्यवर्गित उधारों की रखाव धनराशि निम्नलिखित है:–

विवरण	31 मार्च 2023 को यथास्थिति		31 मार्च 2022 को यथास्थिति	
	विदेशी मुद्रा (यूरो में)	कार्यात्मक मुद्रा में (लाख रुपए में)	विदेशी मुद्रा (यूरो में)	कार्यात्मक मुद्रा में (लाख रुपए में)
केएफडब्ल्यू–XI	2471585.01	2249.39	2597362.81	2231.91
केएफडब्ल्यू–XII	2185261.45	1988.81	2352965.19	2021.90
आईएलसी	626866.10	570.51	677015.32	581.76

विदेशी मुद्रा जोखिम मॉनीटरिंग और प्रबंधन–

समूह द्वारा किए गए ऋण करार में, विनिमय उतार–चढ़ाव के जोखिम का ध्यान रखा जाता है और विनिमय उतार–चढ़ाव हानि, यदि कोई है, कूपन भुगतान में राहत द्वारा समायोजित हो जाती है। इसके अलावा, यह विनिमय उतार–चढ़ाव के कारण भावी हानियों को भी सुरक्षित करता है।

विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता विश्लेषण

समूह द्वारा किए गए ऋण करार में, विनिमय उतार–चढ़ाव के जोखिम का ध्यान रखा जाता है और विनिमय उतार–चढ़ाव हानि, यदि कोई है, कूपन भुगतान में राहत द्वारा समायोजित हो जाती है। इसके अलावा, यह विनिमय उतार–चढ़ाव के कारण भावी हानियों को भी सुरक्षित करता है। इसलिए, कोई संवेदनशीलता विश्लेषण नहीं किया गया।

(ii) नकदी प्रवाह और उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम ऐसा जोखिम है कि वित्तीय दस्तावेज़ के उचित मूल्य या भावी नकदी प्रवाह में बाज़ार ब्याज दरों में परिवर्तनों के कारण उतार–चढ़ाव होगा। बाज़ार ब्याज दरों में परिवर्तन के जोखिम के प्रति समूह की अरक्षितता, प्राथमिक रूप से अल्पावधि उधारों से संबंधित है। बाज़ार ब्याज दर का अल्पीकरण, बाज़ार स्थितियों, कारणों आदि की उचित समीक्षा द्वारा किया जाता है। समूह के उधार, परिशोधित लागत पर लिए जाते हैं।

(क) ब्याज दर जोखिम अरक्षितता

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ब्याज दर परिवर्तनों के प्रति समूह की अल्पावधि उधारों की अरक्षितता निम्नलिखित है:

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च 2023 को यथास्थिति	31 मार्च 2022 को यथास्थिति
परिवर्तनीय दर वाले उधार	3778.26	-
निश्चित दर वाले उधार	147000.00	147500.00
कुल उधार	**150778.26**	**147500.00**

(ख) संवेदनशीलता

चूंकि समूह के अधिकतम अल्पावधि उधार निश्चित लागतों वाले हैं, इसलिए वे भारतीय लेखांकन मानक–107 में यथापरिभाषित ब्याज दर जोखिम की शर्त के अधीन नहीं हैं क्योंकि न तो रखाव धनराशि में और न ही भावी नकदी प्रवाह में, बाज़ार ब्याज दरों में होने वाले किसी परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होगा।

(iii) मूल्य जोखिम

(क) अरक्षितता

इक्विटी प्रतिभूति मूल्य जोखिम, के प्रति समूह की आरक्षितता ओसीआई के जरिए उचित मूल्य के रूप में तुलन–पत्र में वर्गीकृत और समूह द्वारा रखे गए निवेशों से उत्पन्न होता है। हालांकि पोर्टफोलियो का अपवर्तन समूह द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुसार किया जाता है। तथापि समूह ने पिछले समय में केवल कुछ रणनीतिक निवेश ही किया है, जिसका भाग पूर्णतः हानिकृत किया गया है और पहले ही प्रावधान कर दिए गए हैं और शेष भाग को उचित मूल्य पर मूल्यांकित किया गया है तथा उसके लाभों को उचित ढंग से लेखे में लिया गया है।

(ख) संवेदनशीलता

समूह की इक्विटी में निवेश की बहुत कम धनराशि है और पिछले दो वर्षों में कोई संचलन नहीं हुआ है। जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, समूह ने इक्विटी में अपने उद्धृत निवेश को पहले ही उचित मूल्य पर मूल्यांकित कर दिया है और उसके लाभ को उचित ढंग से लेखे में ले लिया है और निवेश के शेष भाग के लिए पूर्णतः प्रावधान कर दिया है, इसलिए संवेदनशीलता का प्रकटीकरण किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत इक्विटी दस्तावेज़ पर लाभों/हानियों के परिणामस्वरूप इक्विटी में वृद्धि/कमी होगी।

(ग) उचित मूल्य मापन

समूह की वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं, में से कुछ रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य पर मापी जाती हैं। निम्नलिखित सारणियाँ, इन वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य पर मापे जाने के तरीके के बारे में सूचना देती हैं (विशेष रूप से उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन तकनीकों और इनपुटों के बारे में)।

उचित मूल्य क्रम–परंपरा

उचित मूल्य पर मापे गए और मान्यता दिए गए वित्तीय विलेख (एफवीटीओसीआई और एफवीटीपीएल)।

(लाख रू. में)

विवरण	उचित मूल्य पर धनराशि		उचित मूल्य क्रम–परंपरा	मूल्य तकनीकें और महत्त्वपूर्ण इनपुट
	31 मार्च, 2023 को यथास्थिति	31 मार्च, 2022 को यथास्थिति		
I. वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
एफवीटीओसीआई पर वित्तीय निवेश				
–इक्विटी विलेखों में निवेश	304.76	269.07	**स्तर 1**	**बाजार मूल्य उद्धृत**
एफवीटीपीएल पर वित्तीय निवेश				
	304.76	269.07		
जोड़	-	-		
II. वित्तीय देयताएं	-	-		
जोड़	-	-		

परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देयताएँ।

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को यथास्थिति		31 मार्च, 2022 को यथास्थिति		उचित मूल्य क्रम–परंपरा	मूल्यांकन तकनीकें और महत्त्वपूर्ण इनपुट
	परिशोधित मूल्य	उचित मूल्य	परिशोधित मूल्य	उचित मूल्य		
I. वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
कंपनियों को ऋण/ एलएलपी	265603.21	265603.21	247545.73	247545.73	**स्तर 3**	प्रभावी ब्याज दर
कर्मचारियों को ऋण	45.03	45.03	39.00	39.00	**स्तर 2**	अनुलाभों के लिए एसबीआई दर पर एनपीवी
जोड़	**265648.24**	**265648.24**	**247584.73**	**247584.73**		
II. वित्तीय देयताएं						
उधार	155586.97	155586.97	152335.57	152335.57	**स्तर 3**	प्रभावी ब्याज दर
जोड़	**155586.97**	**155586.97**	**152335.57**	**152335.57**		

भारतीय लेखांकन मानकों के अंतर्गत उचित मूल्य मापन, उतनी मात्रा पर आधारित स्तर 1, 2 या 3 में वर्गीकृत किए जाते हैं, जिस तक उचित मूल्य के प्रति इनपुट अवलोकन योग्य हैं और पूरी तरह उचित मूल्य मापन के प्रति इनपुटों का महत्त्व है, जिनका नीचे वर्णन किया गया है:

– स्तर 1: समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित) जिसे समूह, मापन की तिथि को प्राप्त कर सकता है।

– स्तर 2: स्तर–1 में शामिल किए गए उद्धृत मूल्यों के अलावा, अन्य इनपुट, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिसंपत्ति या देयता के लिए अवलोकन योग्य हैं।

– स्तर 3: परिसंपत्ति या देयता के लिए इनपुट जो अवलोकन योग्य बाज़ार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं (अवलोकन योग्य इनपुट), जिन्हें समूह, मापन की तिथि को प्राप्त कर सकता है।

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का रखाव मूल्य और उचित मूल्य दर्शाने वाली तालिका

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को यथास्थिति		31 मार्च, 2022 को यथास्थिति	
	परिशोधित मूल्य	उचित मूल्य	परिशोधित मूल्य	उचित मूल्य
I. वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
– नकदी और नकदी समतुल्य	9249.17	9249.17	18884.73	18884.73
– बैंक शेष	390.83	390.83	492.65	492.65
– प्राप्ति योग्य	16303.10	16303.10	14061.53	14061.53
– ऋण एवं अग्रिम	265648.23	265648.23	247551.40	247551.40
– निवेश	338.64	338.64	279.76	279.76
– अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	2034.58	2034.58	2065.69	2065.69
जोड़	**293964.55**	**293964.55**	**283335.76**	**283335.76**
II. वित्तीय देयताएं				
– देय	16576.94	16576.94	14460.64	14460.64
– उधार	155586.97	155586.97	152335.57	152335.57
– अन्य वित्तीय देयताएँ	20096.32	20096.32	21702.82	21702.82
जोड़	**192260.23**	**192260.23**	**188499.03**	**188499.03**

नकदी और नकदी समतुल्य, प्राप्तियोग्य, भुगतानयोग्य, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और अन्य वित्तीय देयताओं की रखाव धनराशियाँ, उनके स्वरूप के अल्पावधि होने के कारण उनके उचित मूल्यों के रूप में माना जाता है।

न. संपत्ति और देनदारियों के तहत प्रत्येक पंक्ति वस्तु हेतु 12 महीने और उससे अधिक के भीतर की जाने वाली वसूली/ निपटान की अपेक्षित राशि:

(लाख रू. में)

विवरण		31 मार्च, 2023 को यथास्थिति			31 मार्च, 2022 को यथास्थिति		
		12 महीनों के भीतर	12 महीने से अधिक	जोड़	12 महीनों के भीतर	12 महीने से अधिक	जोड़
परिसंपत्तियाँ							
1. वित्तीय परिसंपत्तियाँ							
(क)	नकद और नकद समतुल्य	9249.17	-	9249.17	18884.73	-	18884.73
(ख)	नकद और नकद समकक्षों में शामिल के अलावा अन्य बैंक शेष	390.83	-	390.83	492.65	-	492.65

(लाख रू. में)

विवरण		31 मार्च, 2023 को यथास्थिति			31 मार्च, 2022 को यथास्थिति		
		12 महीनों के भीतर	12 महीने से अधिक	जोड़	12 महीनों के भीतर	12 महीने से अधिक	जोड़
(ग)	व्यापार प्राप्य	16303.10	-	16303.10	14061.53	-	14061.53
(घ)	ऋण और अग्रिम	243720.65	21927.58	265648.23	247530.21	21.19	247551.40
(ङ)	निवेश	-	338.64	338.64	-	279.76	279.76
(च)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	318.08	1716.50	2034.58	1737.18	328.51	2065.69
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ (1)		269981.83	23982.72	293964.55	282706.30	629.46	283335.76
2. गैर–वित्तीय परिसंपत्तियाँ							
(क)	माल–सूची	11.48	-	11.48	12.26	-	12.26
(ख)	चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	247.22	-	247.22	646.33	-	646.33
(ग)	आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	-	3539.42	3539.42	-	3860.37	3860.37
(घ)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	-	28724.30	28724.30	-	28343.91	28343.91
(ङ)	चालू पूंजीगत कार्य	-	437.42	437.42	-	750.33	750.33
(च)	विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियाँ	-	35.65	35.65	-	23.39	23.39
(छ)	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	-	58.32	58.32	-	82.95	82.95
(ज)	परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार	-	54.16	54.16	-	55.00	55.00
(झ)	बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां	0.21	-	0.21	0.21	-	0.21
(ञ)	अन्य गैर–वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	4471.54	4471.54	-	1939.24	1939.24
कुल गैर–वित्तीय परिसंपत्तियाँ (2)		**258.91**	**37320.81**	**37579.72**	**658.80**	**35055.19**	**35713.99**
कुल परिसंपत्तियाँ (1+2)		**270240.74**	**61303.53**	**331544.27**	**283365.10**	**35684.65**	**319049.75**
देयताएँ							
1. वित्तीय देयताएँ							
(क)	व्यापार प्राप्य	6947.24	9629.70	16576.94	14460.64	-	14460.64
(ख)	उधार	150778.26	4808.71	155586.97	147795.27	4540.30	152335.57
(ग)	बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-	-	-
(घ)	अन्य वित्तीय देयताएँ	18820.58	1275.74	20096.32	20346.53	1356.29	21702.82
कुल वित्तीय देयताएँ (1)		**176546.08**	**15714.15**	**192260.23**	**182602.44**	**5896.59**	**188499.03**
2. गैर–वित्तीय देयताएँ							
(क)	चालू कर देयताएं (निवल)	-	-	-	-	-	-
(ख)	प्रावधान	5304.71	6109.18	11413.89	881.48	10162.24	11043.72
(ग)	आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	-	-	-	-	-	-
(घ)	अन्य गैर–वित्तीय देयताएँ	1860.83	286.30	2147.13	-	1978.73	1978.73
कुल गैर–वित्तीय देयताएँ (2)		**7165.54**	**6395.48**	**13561.02**	**881.48**	**12140.97**	**13022.45**
कुल देयताएँ (1+2)		**183711.62**	**22109.63**	**205821.25**	**183483.92**	**18037.56**	**201521.48**

प. **प्रस्तावित लाभांशः** इस वर्ष के लिए एनएसआईसी द्वारा प्रस्तावित लाभांश निम्नलिखित हैं:

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	
100–100 रुपए के इक्विटी शेयरों पर	एनएसआईसी	एनवीसीएफएल #	एनएसआईसी	एनवीसीएफएल #
–प्रस्तावित लाभांश की धनराशि (लाख रुपए में)	3314.48	91.10	3317.05	57.08
–लाभांश दर (प्रतिशत)	30% कर अदायगी के बाद लाभ		30% कर अदायगी के बाद लाभ	
–प्रति इक्विटी शेयर लाभांश (रुपए)	6.22	15.18	6.22	9.51

राशि एनएसआईसी को देय/भुगतान की गई है।

एनएसआईसी द्वारा प्रस्तावित लाभांश, एनएसआईसी के वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किए गए अनुसार करोपरांत लाभ और निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों पर आधारित है। एनएसआईसी के निदेशक मंडल ने, वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन की शर्त के अधीन, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के संबंध में 3314.48 लाख रू. (6.22 रू. प्रति शेयर) के अंतिम लाभांश का प्रस्ताव किया है, यदि अनुमोदन कर दिया जाता है तो इस लाभांश के परिणामस्वरूप 3314.48 लाख रू. का नकद बहिर्वाह होगा।

इसके अलावा 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष से संबंधित कारपोरेट लाभांश लेखांकन मानक (ए.एस)–10 दिनांक, 30 मार्च, 2016 के कंपनी (लेखांकन मानक) संशोधन नियमावली, 2016 में संशोधनों के जरिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित तुलन पत्र की तारीख के पश्चात उत्पन्न आकस्मिकताएं और घटनाएं के अनुसार वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के पश्चात आगामी वर्ष में लेखे में लिया जाएगा।

एनएसआईसी ने वित्त वर्ष 2022–23 में रु. 3317.05 लाख के लाभांश का भुगतान किया है जिसे वित्त वर्ष 2022–23 में प्रस्तावित किया गया था।

फ. **हड़ताल प्रभावित कंपनियों के साथ संबंध**

हड़ताल प्रभावित कंपनी का नाम	हड़ताल प्रभावित कंपनी के साथ लेनदेन की प्रकृति	बकाया शेष (रु. लाख में)		हड़ताल प्रभावित कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो
		31.03.2023	31.03.2022	
	प्रतिभूतियों में निवेश			
-	– हड़ताल प्रभावित कंपनी के शेयरों में निवेश	-	-	-
-	प्राप्य	-	-	-
-	देय	-	-	-
-	हड़ताल प्रभावित कंपनी के साथ अटके हुए शेयर	-	-	-
-	अन्य बकाया शेष (विनिर्दिष्ट किया जाए)	-	-	-

ब. **क्रिप्टो या आभासी मुद्रा पर प्रकटीकरण**

समूह ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो मुद्रा या आभासी मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

भ. **प्रमोटर्स की होल्डिंग पर प्रकटीकरण**

एनएसआईसी को भारत सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के पास वर्ष की शुरुआत और अंत में एनएसआईसी में 100 प्रतिशत इक्विटी हैं। इस प्रकार वर्ष के दौरान प्रमोटर्स की इक्विटी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

म. **रा.ल.उ.नि. भारतीय रिजर्व बैंक के मापदंडों के अंतर्गत प्रकट किए जाने के लिए आवश्यक अतिरिक्त सूचना**

क) हानिकरण आरक्षित

दिनांक 13.03.2020 की भा.रि.बैं. की अधिसूचना संख्या आरबीआई/2019–20/170 डीओआर (एनबीएफसी) सी.सी.पी.डी. संख्या 109/22.10.106/2019–20 के आधार पर, इसलिए वित्तीय वर्ष 2019–20 से भारतीय लेखांकन मानक–109 के अनुसार ईसीएलस, को वित्तीय विलेखों पर हानि छूट के रूप में मान्यता दी जाती है। इसके अलावा, जहाँ भारतीय लेखांकन मानक–109 के अंतर्गत हानिकरण छूट, आय मान्यता परिसंपत्ति वर्गीकरण और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए प्रावधानीकरण (आईआरएसीपी) मानकों (मानक परिसंपत्ति प्रावधानीकरण सहित) के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधानीकरण से निम्नतर है, एनएसआईसी ने यह अंतर अपने निवल करोपरांत लाभ से चालू वर्ष से संबंधित 'हानिकरण आरक्षित' में और 01.04.2019 को यथास्थिति मौजूद धारित अर्जनों में से विनियोजित किया है। पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना इस आरक्षित में से किसी आहरण की अनुमति नहीं है।

चूंकि 31.03.2023 तक इंड एएस–109 के संदर्भ में क्षति भत्ता की राशि रू.12265.28 लाख (12323.53 लाख रुपए) है, जो आईआरएसीपी मानदंडों के तहत आवश्यक प्रावधान की तुलना में रू. 14960.81 लाख (रू. 14802.00 लाख) से कम है, इसलिए आईआरएसीपी मानदंड और इंड एएस–109 के तहत रू. 2695.59 लाख (रू. 2478.47 लाख) की राशि के प्रावधान में अंतर को 31.03.2023 तक हानि आरक्षित के रूप में लेखांकित किया जाना है।

हालाँकि, 31.03.2023 को जिस हानि आरक्षित निधि का हिसाब लगाया जाना चाहिए, वह 31.03.2022 को पहले से ही विनियोजित हानि आरक्षित राशि से कम है, जो कि 4866.65 लाख रू. (4866.65 लाख रू.) है, इसलिए, पहले से ही विनियोजित हानि आरक्षित को उलटा नहीं किया गया है। 2171.12 लाख रू.(2388.18 लाख रू.) की सीमा तक निकासी की अनुमति नहीं है। इस प्रकार, 31.03.2023 तक हानि आरक्षित को 4866.65 लाख रू.(4866.65 लाख रू.) पर बनाए रखा गया है।

ख) आईआरएसीपी के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधान और भारतीय लेखांकन मानक–109 के अंतर्गत हानिकरण छूटों के बीच की गई तुलनाः

वित्तीय वर्ष 2022–23

(लाख रू. में)

भा.रि.बैं. के मापदंडों के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	भा.ले.मा. 109 के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	भा.ले.मा. के अनुसार सकल रखाव धनराशि	भा.ले.मा. 109 के अंतर्गत यथा अपेक्षित हानि छूट प्रावधान	निवल रखाव धनराशि	आईआरएसीपी के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	भा.ले.मा.–109 के प्रावधान और आईआर एसीपी मापदंडों के बीच अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)–(4)	(6)	(7)=(4)–(6)
निष्पादन परिसंपत्तियाँ						
मानक	चरण 1	262996.32	1295.18	261701.14	1181.94	113.24
	चरण 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उप जोड़		**262996.32**	**1295.18**	**261701.14**	**1181.94**	**113.24**
गैर–निष्पादन परिसंपत्तियाँ (एनपीए)						
उप मानक	चरण 3	1131.07	1131.07	0.00	2376.09	-1245.02
संदिग्ध – 1 वर्ष तक	चरण 3	0.00	0.00	0.00	732.85	-732.85
1 से 3 वर्ष तक	चरण 3	0.00	0.00	0.00	265.37	-265.37
3 वर्ष से अधिक	चरण 3	9102.35	9102.35	0.00	9667.89	-565.54

भा.रि.बैं. के मापदंडों के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	भा.ले.मा. 109 के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	भा.ले.मा. के अनुसार सकल रखाव धनराशि	भा.ले.मा. 109 के अंतर्गत यथा अपेक्षित हानि छूट प्रावधान	निवल रखाव धनराशि	आईआरए सीपी के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	भा.ले.मा.–109 के प्रावधान और आईआर एसीपी मापदंडों के बीच अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)–(4)	(6)	(7)=(4)–(6)
संदिग्ध का उप जोड़		**9102.35**	**9102.35**	**0.00**	**10666.10**	**-1563.76**
हानि	चरण–3	736.68	736.68	0.00	736.68	0.00
एनपीए का उपजोड़		**10970.10**	**10970.10**	**0.00**	**13778.88**	**-2808.78**
अन्य मदें जैसे गारंटियाँ, ऋण प्रतिबद्धताएं जो भारतीय लेखाकंन मानक–109 के दायरे में है। परंतु चालू आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण (आईआरएसीपी) मापदंडों के अंतर्गत कवर नहीं होती।	चरण–1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	चरण–2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	चरण–3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उप जोड़		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जोड़	**चरण–1**	262996.32	1295.18	261701.14	1181.94	113.24
	चरण–2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	चरण–3	10970.10	10970.10	0.00	13778.88	-2808.78
	जोड़	**273966.42**	**12265.28**	**261701.14**	**14960.82**	**-2695.54**

वित्तीय वर्ष 2021–22

(लाख रू. में)

भा.रि.बैं. के मापदंडों के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	भा.ले.मा. 109 के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	भा.ले.मा. के अनुसार सकल रखाव धनराशि	भा.ले.मा. 109 के अंतर्गत यथा अपेक्षित हानि छूट प्रावधान	निवल रखाव धनराशि	आईआरए सीपी के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	भा.ले.मा.–109 के प्रावधान और आईआर एसीपी मापदंडों के बीच अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)–(4)	(6)	(7)=(4)–(6)
निष्पादन परिसंपत्तियाँ						
मानक	चरण 1	243863.64	975.46	242888.18	877.62	97.84
	चरण 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उप जोड़		**243863.64**	**975.46**	**242888.18**	**877.62**	**97.84**
गैर–निष्पादन परिसंपत्तियाँ (एनपीए)						
उप मानक	चरण–3	1131.07	1131.07	0.00	1904.02	-772.95

भा.रि.बैं. के मापदंडों के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	भा.ले.मा. 109 के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	भा.ले.मा. के अनुसार सकल रखाव धनराशि	भा.ले.मा. 109 के अंतर्गत यथा अपेक्षित हानि छूट प्रावधान	निवल रखाव धनराशि	आईआरए सीपी के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	भा.ले.मा.–109 के प्रावधान और आईआर एसीपी मापदंडों के बीच अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)–(4)	(6)	(7)=(4)–(6)
संदिग्ध – 1 वर्ष तक	चरण–3	0.00	0.00	0.00	775.96	-775.96
1 से 3 वर्ष तक	चरण–3	0.00	0.00	0.00	461.87	-461.87
3 वर्ष से अधिक	चरण–3	9446.93	9446.93	0.00	10012.47	-565.53
संदिग्ध का उप जोड़		**9446.93**	**9446.93**	**0.00**	**11250.29**	**-1803.36**
हानि	चरण–3	770.07	770.07	0.00	770.07	0.00
एनपीए का उपजोड़		11348.07	11348.07	0.00	13924.38	-2576.31
अन्य मदें जैसे गारंटियाँ, ऋण प्रतिबद्धताएं जो भारतीय लेखाकंन मानक–109 के दायरे में है। परंतु चालू आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण (आईआरएसीपी) मापदंडों के अंतर्गत कवर नहीं होती।	चरण–1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	चरण–2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	चरण–3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उप जोड़		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जोड़	**चरण–1**	243863.64	975.46	242888.18	877.62	97.84
	चरण–2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	चरण–3	11348.07	11348.07	0.00	13924.38	-2576.31
	जोड़	**255211.71**	**12323.53**	**242888.18**	**14802.00**	**-2478.47**

ग) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईसी के अंतर्गत आरक्षित निधि

एनएसआईसी, भा.रि.बैं. अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईसी के तहत आवश्यकतानुसार आरक्षित निधि का सृजन कर रहा है, जिसमें लाभांश की घोषणा से पहले शुद्ध लाभ का कम से कम 20 प्रतिशत राशि स्थानांतरित करना आवश्यक है, तथा जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट किए गए उद्देश्य को छोड़कर, आरक्षित निधि से कोई समायोजन करने की अनुमति नहीं है, और आगे इस तरह के किसी भी समायोजन को ऐसे आहरण की तारीख से 21 दिनो के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक को प्रतिवेदित करना भी आवश्यक है।

इस वर्ष के दौरान धारा 45 आईसी के अंतर्गत 2209. 66 लाख रू. (2164.51 लाख रू.) की धनराशि की अन्य आरक्षित निधि सृजित की गई है, इस प्रकार 31.03.2023 को यथास्थिति कुल आरक्षित निधि 8389. 87 लाख रू. (6180.21 लाख रू.) की हो गई है।

इसके अलावा, सहायक अनुषंगी कंपनी, अर्थात एनवीसीएफएल को भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश – आरबीआई अधिनियम 1934 के प्रावधानों से छूट के अनुसार आरबीआई के साथ गैर–बैंकिंग

वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकरण से छूट दी गई है,, जैसा कि समय–समय पर इसे अद्यतन किया गया है, और सहायक कंपनी ने 31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि के लिए अपने वित्तीय विवरण तैयार करते समय कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–III के भाग–III का पालन किया है। भाग–III को कंपनियों (भारतीय लेखा मानक नियम) 2015 में परिभाषित किया गया है, जिसमें उद्यम पूंजी निधि कंपनिया शामिल हैं, और कंपनी को एआईएफ की स्थापना के विशिष्ट उद्देश्य के साथ एक उद्यम पूंजी निधि कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था, और दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि के दौरान सेबी से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में था। दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी को विधिवत पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है, और यह एक अनुमोदित एआईएफ है।

घ) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के उधारों के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग

निगम की बैंक सुविधाओं को केयर द्वारा रेटिंग दी गई है और "एए+" रेटिंग दी गई है, जिसे वित्तीय दायित्वों की समय पर सेवा के संबंध में उच्च स्तर की प्रतिभूति माना जाता है। उपरोक्त के अलावा, वर्ष के दौरान रेटिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है, निगम को क्रिसिल और एसीयूआईटीई के साथ वाणिज्यिक पेपर के लिए भी "ए1+" रेटिंग दी गई है, जिसे 'सुरक्षा की बहुत मजबूत डिग्री' माना जाता है।

ङ) दंड और शास्तियां

I. आरबीआई द्वारा लगाई गई – शून्य

II. किसी अन्य वैधानिक प्राधिकारी द्वारा लगाई गई – 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, निगम द्वारा 0.21 (शून्य) की राशि की शास्ति को अदा किया गया है।

च) पूंजी पर्याप्ता

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष			31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष			% परिवर्तन
	मीटर	भाजक	%	मीटर	भाजक	%	
i) पूंजी से जोखिम भारित अनुपात (सीआरएआर)	108901.31	311026.16	35.01	99290.18	286095.50	34.70	0.89
ii) सीआरएआर – टियर I पूंजी	107606.13	311026.16	34.60	98314.72	286095.50	34.36	0.70
iii) सीआरएआर – टियर II पूंजी	1295.18	311026.16	0.42	975.46	286095.50	0.34	23.53
iv) नगदी प्रवाह व्याप्ति अनुपात	8958.82	6942.46	129.04	18614.08	9334.32	199.42	-35.29
v) टियर II पूंजी के रूप में जुटाए गए अधीनस्थ ऋण की धनराशि	-	-	शून्य	-	-	शून्य	-
vi) चिरस्थायी ऋण विलेखों के निर्गम द्वारा जुटाई गई धनराशि	-	-	शून्य	-	-	शून्य	-

नकदी कवरेज अनुपात की गणना कुल उच्च गुणवत्ता वाली नकदी परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) को कुल शुद्ध नकदी बहिर्प्रवाह से विभाजित करके की जाती है। रू. 27771.52 लाख का कार्यशील पूंजी मांग ऋण (डब्ल्यूसीडीएल) वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 30 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान के कारण था, जबकि रू. 19278.26 लाख का डब्ल्यूसीडीएल वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान पुनर्भुगतान के कारण था, यानी वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान शुद्ध लागत बहिर्वाह कम हो गया था।

नोट: वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) को दी गई विशिष्ट नियामक छूट के परिणामस्वरूप सहायक कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी एनबीएफसी नियमों की प्रयोज्यता से छूट दी गई है।

छ) **निवेश:** एनएसआईसी के पास भारत के बाहर कोई निवेश नहीं है। हालाँकि, मूल कंपनी ने सहायक कंपनी मैसर्स एनवीसीएफल में 100 प्रतिशत अर्थात रु. 600 लाख और अन्य भारतीय कंपनियों में रु. 269.07 लाख का निवेश किया है।

2021–22 वर्ष के दौरान, सेल्फ रिलाएंट इंडिया फंड (एनवीसीएफएल की पहली योजना) को 'एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स' के रूप में स्थापित किया गया है, जिसके तहत फंड में योगदानकर्ता अर्थात भारत सरकार, मूल कंपनी (एनएसआईसी) और सहायक कंपनी (एनवीसीएफएल) 12 अक्टूबर 2021 के योगदान समझौते के अनुसार सदस्य होंगे। वर्ष के दौरान, सहायक कंपनी (एनवीसीएफएल) ने भारत सरकार से 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान रु. 18034.58 लाख (कुल योगदान का 99.94 प्रतिशत) की राशि प्राप्त की, और रु. 8.91 लाख की राशि (कुल योगदान का 0.05 प्रतिशत –0.089 यूनिट) सहायक कंपनी (एनवीसीएफएल) से, और रु. 1.78 लाख (कुल योगदान का 0.01 प्रतिशत –0.018 यूनिट) की राशि अपनी मूल कंपनी (एनएसआईसी) से, एसआरआई फंड में उनके योगदान के रूप में प्राप्त की।

चूंकि राशि कंपनी के बैंक खाते में प्राप्त हुई थी, लेकिन यह केवल एसआरआई निधि के लिए वांछित था, जो एक अलग निकाय है, 15234.36 लाख रुपए की शेष राशि (एसआरआई निधि के व्यय के समायोजन के पश्चात) को एसआरआई निधि की ओर से कंपनी द्वारा ट्रस्ट में धारित माना गया था। तदनुसार, एसआरआई निधि की ओर से न्यास में धारित की गई निधियों को कंपनी के नकदी और नकदी तुल्यों के प्रति निवल किया गया था और एक अलग देनदारी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया था। कंपनी की मंशा एक बार ऐसा लेखा स्थापित होने के बाद संपूर्ण शेष राशि को एसआरआई निधि के एक अलग बैंक खाते में स्थानांतरित करने की है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, सावधि जमा पर ब्याज की राशि 76.89 लाख है, जिसमें से 50.43 लाख एसआरआई निधि से संबंधित है और इसका एसआरआई निधि की बहियों में लेखांकन किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए एनवीसीएफएल की लेखापरीक्षा करते समय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने एसआरआई निधि संरचना के संबंध में कुछ प्रश्न उठाए थे। संरचना मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए 24.11.2022 को मुंबई में सेबी अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें एनवीसीएफएल को लिखित रूप में मामले का अभ्यावेदन देने का निर्देश दिया गया था। तदनुसार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को दिनांक 05.01.2023 का पत्र संख्या एनवीसीएफएल/2022–23/295 लिखा गया है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि एक कॉर्पोरेट संरचना के तहत व्यवस्थित की जाने वाली एसआरआई निधि की संरचना भारत सरकार द्वारा एक विशिष्ट ट्रस्ट संरचना के बजाय एक कॉर्पोरेट संरचना के तहत कार्यान्वित की जानी अधिदेशित थी ताकि कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के अनुसार एसआरआई निधि के संचालन में बेहतर प्रशासन और अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित किया जा सके। जहां कॉर्पोरेट संरचना एआईएफ के लिए एक सामान्य संरचना नहीं है, एआईएफ विनियमन एक कॉर्पोरेट संरचना को एआईएफ पंजीकरण के लिए पात्र मानता है। उपरोक्त संरचना के आधार पर, एनवीसीएफएल ने सेबी के साथ एआईएफ के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन किया था और एनवीसीएफएल की पहली योजना के रूप में एसआरआई निधि के निजी प्लेसमेंट ज्ञापन (पीपीएम) को प्रस्तुत किया था और उक्त को सेबी द्वारा अनुमोदित किया गया था और एआईएफ पंजीकरण एनवीसीएफएल को एसआरआई निधि के साथ इसकी पहली योजना के रूप में दिया गया था।

इस संबंध में, एनवीसीएफएल अपने मेल दिनांक 07.03.2023, 20.03.2023, 30.05.2023 और 01.08.2023 के माध्यम से सेबी के साथ लगातार संपर्क कर रहा है, लेकिन उत्तर आज तक प्रतीक्षित है।

क) निवेशों का अलग–अलग विवरण

(लाख रू. में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
1	निवेशों का मूल्य		
(i)	निवेशों का सकल मूल्य		
(क)	भारत में		
	ओसीआई के जरिए उचित मूल्य पर	314.76	279.07

	विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
(ख)	भारत से बाहर		
(ii)	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		
(क)	भारत में	10.00	10.00
(ख)	भारत से बाहर		
(iii)	निवेशों का निवल मूल्य		
(क)	भारत में	304.76	269.07
(ख)	भारत से बाहर		
(2)	निवेशों के प्रति रखे गए प्रावधानों का संचलन		
(i)	अथ शेष	10.00	15.00
(ii)	जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान		
(iii)	घटाएं वर्ष के दौरान अधिक प्रावधानों का पुरांकन/बट्टे खाते डालना	0.00	5.00
(iv)	अंत शेष	10.00	10.00
(3)	उद्धृत निवेशों की समग्र धनराशि	304.76	269.07
	उद्धृत निवेशों का बाज़ार मूल्य	304.76	269.07
(4)	अनुद्धृत निवेशों की समग्र धनराशि	43.88	20.69
(5)	निवेशों के मूल्य में घटाव के लिए समग्र प्रावधान	10.00	10.00

ख) निवेशों का मूल्यांकन

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
i) निवेशों का सकल मूल्य	279.76	195.06
ii) हानिकरण हानि के लिए छूट	10.00	10.00
iii) उचित मूल्य में परिवर्तन (निवल)	35.69	94.70
iv) निवेशों का उचित मूल्य	304.76	279.76
निवेश के उचित मूल्य परिवर्तन में संचलन (निवल)		
अथ शेष	269.07	174.36
जोड़ें: मूल्य में वृद्धि	35.69	94.70
घटाएं: मूल्य में कमी		-
अंत शेष	304.76	269.07

ज) व्युत्पत्तियां

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
व्युत्पन्न विलेखों/उत्पादों की अरक्षितता	शून्य	शून्य

झ) प्रतिभूतिकरण

क) परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण के लिए प्रायोजित एसपीवी के ब्यौरे

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
प्रायोजित एसपीवी	शून्य	शून्य

ख) परिसंपत्ति पुर्ननिर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण/पुर्ननिर्माण हेतु बेची गई वित्तीय परिसंपत्तियों के ब्यौरे

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
बेची गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ	शून्य	शून्य

ग) किए गए समनुदेशन लेनदेन के ब्यौरे

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
किए गए समनुदेशन लेनदेन	शून्य	शून्य

घ) खरीदी गई/बेची गई गैर–निष्पादनशील वित्तीय परिसंपत्तियों के ब्यौरे

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
खरीदी गई गैर–निष्पादनशील वित्तीय परिसंपत्तियाँ	शून्य	शून्य
बेची गई गैर–निष्पादनशील वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
i) बेचे गए खातों की संख्या		
ii) समग्र बकाया		
iii) प्राप्त किया गया समग्र प्रतिफल		
iv) निवल अंकित मूल्य पर लाभ/हानि		

ङ) एनबीएफसीएस के लिए स्केल आधारित विनियमन के तहत प्रकटीकरण आवश्यकताएँ

आरबीआई अधिसूचना सं. आरबीआई/2022–23/26 डीओआर.एसीसी.आरईसी. संख्या 20ध्21.01.018/2022–23 दिनांक 19 अप्रैल, 2022, एनबीएफसी के लिए स्केल आधारित नियमों के तहत प्रकटीकरण इस प्रकार हैरू

एक्सपोजर

I. पूंजी बाजार क्षेत्र में एक्सपोजर (सकल)

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसकी स्थायी निधि का विशेष रूप से कॉर्पोरेट ऋण में निवेश नहीं किया जाता है।	314.76	279.07

II ऋण और अग्रिमों का क्षेत्रीय एक्सपोजर

(लाख रूपये में)

सेक्टर	चालू वर्ष			पिछले वर्ष		
	बीजी के खिलाफ सुरक्षित	संपार्श्विक/ असुरक्षित के विरुद्ध सुरक्षित	कुल	विरुद्ध सुरक्षित बीजी	संपार्श्विक/ असुरक्षित के विरुद्ध सुरक्षित	कुल
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	**99.49**	-	**99.49**	**98.92**	-	**98.92**
उद्योग						
खाद्य एवं खाद्य उत्पाद	3327.43	-	3327.43	2935.87	-	2935.87
कपड़ा	1592.46	43.68	1636.14	1476.90	43.68	1520.58
लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद	523.65	-	523.65	464.20	-	464.20
कागज एवं कागज उत्पाद	931.75	6.33	938.08	912.17	6.33	918.50
चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद	142.38	-	142.38	409.89	-	409.89
रबर एवं रबर उत्पाद	2301.30	43.68	2344.99	1665.99	43.68	1709.67
रासायनिक एवं रासायनिक उत्पाद	6436.03	43.68	6479.71	5703.74	43.68	5747.42
गैर–धात्विक खनिज उत्पाद	2008.68	0.01	2008.69	2343.65	-	2343.65
धातु उत्पाद	69517	596.79	70113.79	65307.69	835.65	66143.34
निर्माण	105439.56	339.19	105778.75	95494.22	344.41	95838.64
इलेक्ट्रिक मशीनें और उपकरण	28352.35	126.87	28479.21	25480.46	126.87	25607.33
परिवहन उप. करण/ऑटोमोबाइल	2855.07	31.23	2886.30	2891.93	31.23	2923.16
मुद्रण उद्योग	1256.51	0.27	1256.77	1755.46	0.27	1755.73
प्लास्टिक एवं प्लास्टिक उत्पाद	4414.53	173.86	4588.40	4068.84	173.86	4242.70
अन्य	28179.04	8871.51	37050.55	28260	8972.01	37232
उद्योग का कुल	**257277.75**	**10277.10**	**267554.84**	**239171.01**	**10621.67**	**249792.68**
सेवाएं	**4799.77**	-	**4799.77**	**3890.40**	-	**3890.40**
व्यक्तिगत ऋण	-	**45.03**	**45.03**	-	**39.03**	**39.03**
अन्य	**199.68**	-	**199.68**	**69.49**	-	**69.49**
तुलन पत्र के अनुसार	**262376.68**	**10322.13**	**272698.81**	**243229.82**	**10660.70**	**253890.52**

ञ) **लाभ एवं हानि लेखे में व्यय शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए प्रावधान और आकस्मिकताओं का अलग–अलग विवरण**

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
क. निवेशों पर उचित मूल्य परिवर्तनों के लिए प्रावधान	शून्य	शून्य
ख. एनपीएज/संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	शून्य	68.97
ग. ऋणों की एनपीवी में घटाव के लिए प्रावधान	शून्य	शून्य
घ. निवेशों के मूल्य में घटाव के लिए प्रावधान	शून्य	शून्य
ङ. मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	319.72	67.33
च. आय कर के प्रति किया गया प्रावधान	3602.00	3555.25
छ. अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं (आस्थगित कर देयताएं)	311.21	222.45

ट) **अग्रिमों और गैर–निष्पादनशील परिसंपत्तियों (एनपीए) का संकेंद्रण**

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
I. अग्रिमों का संकेंद्रण		
बीस बड़े ऋणियों को कुल अग्रिम	12352.01	9960.49
बीस बड़े ऋणियों को अग्रिम का प्रतिशत	4.51	3.90
II. एनपीए का संकेंद्रण		
शीर्ष चार एनपीएज के प्रति कुल अरक्षितता	898.56	991.06

ठ) **सेक्टर–वार एनपीए (सकल)**

(लाख रू. में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
1	कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप	शून्य	शून्य
2	एमएसएमई	10970.10	11348.07
3	कॉरपोरेट ऋणी	शून्य	शून्य
4	सेवाएँ	शून्य	शून्य
5	अप्रतिभूति व्यक्तिगत ऋण	शून्य	शून्य
6	ऑटो ऋण	शून्य	शून्य
7	अन्य व्यक्तिगत ऋण	शून्य	शून्य

ड) एनपीएज का संचलन

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
1) निवल अग्रिमों के प्रति निवल एनपीएज (%)	–	–
2) सकल एनपीएज/संदिग्ध ऋणों का संचलन		
(क) अथ शेष	11348.07	11799.68
(ख) जोड़ें: वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	1.43	-
(ग) घटाएँ: वर्ष के दौरान कमी/बट्टा खाता	379.40	451.61
(घ) अंत शेष	10970.10	11348.07
3) निवल एनपीएज/संदिग्ध ऋणों का संचलन		
(क) अथ शेष	-	-
(ख) जोड़ें: वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	-	-
(ग) घटाएँ: वर्ष के दौरान कमी/बट्टा खाता	-	-
(घ) अंत शेष	-	-
4) एनपीए/संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान में संचलन		
(क) अथ शेष	113480.07	11799.68
(ख) जोड़ें: वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	1.43	-
(ग) घटाएं: वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए ऋण	-	-
(घ) घटाएं: पुरांकित प्रावधान	379.40	451.61
(ङ) अंत शेष	10970.10	11348.07

ढ) अन्य सूचना

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
i) सकल गैर–निष्पादनशील परिसंपत्तियाँ		
– संबंधित पक्षकार	-	-
– संबंधित पक्षकारों के अलावा	10970.10	11348.07
ii) निवल गैर–निष्पादनशील परिसंपत्तियाँ		
– संबंधित पक्षकार	-	-
– संबंधित पक्षकारों के अलावा	-	

ण) शिकायतें

I. ग्राहक एवं निवेशक शिकायतें

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
1. वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	5	शून्य
2. वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	104	55
3. वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	109	50
3.1 जिनमें से, एनबीएफसी द्वारा खारिज की गई शिकायतों की संख्या	6	शून्य
4. वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	**शून्य**	5

II. एनबीएफसी को ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पांच आधार

(लाख रू. में)

शिकायतों का आधार (अर्थात शिकायतों का कारण)	वर्ष के शुरू में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्षों में प्राप्त शिकायतों की संख्या में वृद्धि/कमी की प्रतिशतता	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	कॉलम 5 में से ऐसी शिकायतों की संख्या जो 30 दिन से अधिक समय से लंबित हैं
1	2	3	4	5	6
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष					
ग्राउंड–1 एससीएसटी हब	1	31	343% वर्धित	.	.
ग्राउंड – 2 एसपीआरएस	-	14	27% वर्धित	.	.
ग्राउंड – 3 आरएमडी	-	9	80% वर्धित	.	.
ग्राउंड – 4 एमएसएमई मार्ट	-	6	500% वर्धित	.	.
ग्राउंड – 5 आउटसोर्स कर्मचारियों को आरएमए और न्यूनतम वेतन का भुगतान	.	दोनों श्रेणियों में 3	300% वर्धित	.	.
कुल	**1**	**63**		.	.

शिकायतों का आधार (अर्थात शिकायतों का कारण)	वर्ष के शुरू में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्षों में प्राप्त शिकायतों की संख्या में वृद्धि/कमी की प्रतिशतता	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	कॉलम 5 में से ऐसी शिकायतों की संख्या जो 30 दिन से अधिक समय से लंबित हैं
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष					
ग्राउंड–1 एससीएसटी हब	-	7		1	-
ग्राउंड – 2 एसपीआरएस	-	11		-	-
ग्राउंड – 3 आरएमडी	-	5		-	-
ग्राउंड – 4 टेंडर मार्केटिंग	-	5		-	-
ग्राउंड – 5 एमएसएमई डेटाबैंक	-	2		-	-
कुल	-	**30**		**1**	-

III. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष (पिछले वर्ष शून्य) के दौरान उचित व्यवहार संहिता के तहत उधारकर्ताओं से निगम को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

त) किसी जमा स्वीकार न करने वाली गैर–वित्तीय कंपनी (यथासंशेधित, दिनांक 01 सिंतबर, 2016 के मास्टर निर्देश डीएनबीआर. पीडी.008/03.10.119/2016–17 के अंतर्गत जारी किए गए, गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ – व्यवस्थित रूप से महत्त्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 के मास्टर निर्देश के पैराग्राफ 18 के अनुसार यथा अपेक्षित) के तुलन–पत्र की अनुसूची

देयताएँ पक्ष

1.) उन पर उपार्जित ब्याज सहित गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा लिए गए परंतु भुगतान न किए गए ऋण और अग्रिमः

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को यथास्थिति		31 मार्च, 2022 को यथास्थिति	
	बकाया धनराशि	अतिदेय धनराशि	बकाया धनराशि	अतिदेय धनराशि
(क) डिबेंचर	-	-	-	-
(ख) आस्थगित क्रेडिट	-	-	-	-
(ग) सावधि ऋण	4817.23	-	4844.13	-
(घ) अंतर–कॉरपोरेट ऋण और उधार	-	-	-	-
(ङ) वाणिज्यिक पेपर	-	-	-	-
(च) सार्वजनिक जमा	-	-	-	-

विवरण	31 मार्च, 2023 को यथास्थिति		31 मार्च, 2022 को यथास्थिति	
	बकाया धनराशि	अतिदेय धनराशि	बकाया धनराशि	अतिदेय धनराशि
(छ) अन्य ऋण				
बैंक ओवरड्राफ्ट, नकद क्रेडिट एवं कार्यशील पूंजी मांग ऋण	150932.84	-	147502.51	-

2.) ऊपर 1(च) (उन पर उपार्जित ब्याज सहित बकाया परंतु भुगतान न की गई सार्वजनिक जमा राशियाँ) का अलग–अलग विवरण:

–लागू नहीं–

परिसंपत्ति पक्ष

3.) प्राप्तियोग्य बिलों सहित {नीचे (4) में शामिल किए गए के अलावा} ऋणों और अग्रिमों का अलग–अलग विवरण

(लाख रू. में)

विवरण	बकाया धनराशि	
	31 मार्च, 2023 को यथास्थिति	31 मार्च, 2022 को यथास्थिति
(क) प्रतिभूत (प्रावधान के पश्चात निवल)	-	-
(ख) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए (प्रावधान के पश्चात निवल)	261701.14	242888.18
(ग) अप्रतिभूत (प्रावधान के पश्चात निवल)	-	-

4.) एएफसी क्रियाकलापों के प्रति गिने जाने वाले किराये और बंधक–पत्र के ऋणों पर पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों और स्टॉक का अलग–अलग विवरण

–लागू नहीं–

5.) निवेशों का अलग–अलग विवरण (घटाव को छोड़कर निवल):

(लाख रू. में)

श्रेणी		बकाया धनराशि	
		31 मार्च, 2023 को यथास्थिति	31 मार्च, 2022 को यथास्थिति
चालू निवेश			
1	**उद्धृत**		
(i)	शेयर	शून्य	शून्य
(क)	इक्विटी		
(ख)	वरीयता		
(ii)	डिबेंचर और बांड		
(iii)	म्युचुअल फंड की यूनिटें		
(iv)	सरकारी प्रतिभूतियाँ		
(v)	अन्य		

श्रेणी		बकाया धनराशि	
		31 मार्च, 2023 को यथास्थिति	31 मार्च, 2022 को यथास्थिति
2	**अनुद्धृत**		
(i)	शेयर		
(क)	इक्विटी	शून्य	शून्य
(ख)	वरीयता	शून्य	शून्य
(ii)	डिबेंचर और बांड	शून्य	शून्य
(iii)	म्युचुअल फंड की यूनिटें	शून्य	शून्य
(iv)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य
(v)	अन्य	शून्य	शून्य
	लम्बी अवधि निवेश		
1	**उद्धृत**		
(i)	शेयर		
(क)	इक्विटी (उचित मूल्य)	304.76	269.07
(ख)	वरीयता	शून्य	शून्य
(ii)	डिबेंचर और बांड	शून्य	शून्य
(iii)	म्युचुअल फंड की यूनिटें	शून्य	शून्य
(iv)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य
(v)	अन्य	शून्य	शून्य
2	**अनुद्धृत**		
(i)	शेयरः		
(क)	इक्विटी (हानिकरण के पश्चात निवल)	शून्य	शून्य
(ख)	वरीयता	शून्य	शून्य
(ii)	डिबेंचर और बांड	शून्य	शून्य
(iii)	म्युचुअल फंड की यूनिटें	शून्य	शून्य
(iv)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य
(v)	अन्य	33.88	10.69

6.) ऊपर (3) और (4) में दिए गए अनुसार वित्तपोषित परिसंपत्तियों का ऋणी समूह–वार वर्गीकरण

(लाख रुपए में)

श्रेणी		31 मार्च, 2023 को यथास्थिति			31 मार्च, 2022 को यथास्थिति		
		प्रतिभूत (प्रावधान के पश्चात निवल)	बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किया गया (प्रावधान के पश्चात निवल)	अप्रतिभूत (प्रावधान के पश्चात निवल)	प्रतिभूत (प्रावधान के पश्चात निवल)	बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किया गया (प्रावधान के पश्चात निवल)	अप्रतिभूत (प्रावधान के पश्चात निवल)
1	संबंधित पक्षकार						
(क)	आर्थिक सहायता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ख)	उसी समूह में कंपनियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ग)	अन्य संबंधित पक्षकार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	संबंधित पक्षकारों के अलावा	शून्य	261701.14	शून्य	शून्य	242888.18	शून्य

7.) शेयरों और प्रतिभूतियों (उद्धृत और अनुद्धृत दोनों) में सभी निवेशों (चालू और दीर्घावधि) का निवेशक समूह–वार वर्गीकरण:

(लाख रुपए में)

श्रेणी		31 मार्च, 2023 को यथास्थिति		31 मार्च, 2022 को यथास्थिति	
		उचित मूल्य	अंकित मूल्य	उचित मूल्य	अंकित मूल्य
1	संबंधित पक्षकार				
(क)	आर्थिक सहायता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ख)	उसी समूह में कंपनियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ग)	अन्य संबंधित पक्षकार	33.88	33.88	10.69	10.69
2	संबंधित पक्षकारों के अलावा	304.76	304.76	269.07	269.07

5 सहायक कंपनी को समय–समय पर यथा अद्यतनीकृत भा.रि.बै. अधिनियम, 1934 के उपबंधों से, मास्टर दिशा–निर्देश छूट के अंतर्गत गैर–बैकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकरण से छूट प्राप्त प्रदान कर दी गई है, इसलिए कंपनी, ने अपने वित्तीय विवरण तैयार करते समय कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के प्रभाग III का पालन किया है, जो एनबीएफसीज पर लागू होते हैं, जैसाकि कंपनी (भारतीय लेखाकंन मानक) नियमावली, 2015 में परिभाषित है, जिसमें अन्य वेंचर कैपीटल फंड कंपनियां शामिल हैं।

6. वर्ष के दौरान, निगम ने अनुसंधान और विकास (आर एंड डी)/नवाचार पर रु. 347.77 लाख (रू. 211.86) का व्यय किया है।

7. 31.03.2023 (पिछले वर्ष शून्य) तक कोई बिल नहीं किया गया (व्यापार देय और व्यापार प्राप्य) नहीं है।

8. सभी धनराशियां लाख रुपयों में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

9. वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं।

10. पिछले वर्ष के आँकड़ों को जहाँ कहीं आवश्यक हो, पुनर्वर्गीकृत, पुनर्व्यवस्थित और पुनर्गठित किया गया है।

****

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

[सीआईएन नं. : यू74140डीएल1955जीओआई002481]

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि (वाणिज्य) का समेकित विवरण

(लाख रू. में)

विवरण		नोट संख्या	31.03.23 को यथास्थिति	31.03.22 को यथास्थिति
I	**राजस्व**			
क	प्रचालनों से राजस्व	**21**		
	उत्पादों की बिक्री		232491.66	221163.92
	सेवाओं की बिक्री		11380.67	9265.99
	ब्याज आय		28342.56	26153.92
	शुल्क और कमीशन आय		4730.12	4735.83
	[इसमें संचालित माल और प्रदान की गई सेवा के लिए 4730.12 लाख रू. (4735.83 लाख रू.) के मूल्य के अर्जित प्रोसेसिंग शुल्क सेवा प्रभार 1684329.65 लाख रू. (1819418.11 लाख रू.) शामिल है.]			
	अन्य प्रचालन आय		481.88	751.80
	प्रचालन से कुल राजस्व		**277426.89**	**262071.46**
ख	अन्य आय	**22**	143.40	191.24
ग	अनुदान और सब्सिडियां	**23**	0.00	0.00
	कुल राजस्व (क + ख + ग)		**277570.29**	**262262.70**
II	**व्यय**			
	उत्पादों की खरीद	**24**	231796.49	220204.04
	माल–सूचियों में परिवर्तन	**25**	0.00	1.91
	कर्मचारी लाभ व्यय	**26**	13049.65	13050.43
	वित्त लागतें	**27**	9084.67	6261.56
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	**28**	704.10	742.32
	निगमित सामाजिक जिम्मेदारी	**29**	278.27	230.60
	अन्य व्यय	**30**	7413.27	6926.75
	शुल्क और कमीशन व्यय	**34**	84.09	71.85
	कुल व्यय		**262410.54**	**247489.46**
III	**आपवादिक मदों, और कर से पूर्व लाभ**		**15159.75**	**14773.24**
	आपवादिक मदें (टिप्पणी–35 के बिंदु संख्या 4ई(बी) का संदर्भ लें)		-13.94	-6.20
IV	**कर पूर्व लाभ**		**15173.69**	**14779.44**
	कर व्यय	**31**		
	वर्तमान कर		3602.00	3555.25
	आस्थगित कर		311.21	222.45
	पूर्ववर्ती वर्ष		-34.37	-11.11
V	**कुल कर व्यय**		**3878.84**	**3766.59**
VI	**चल रहे प्रचालनों से अवधि के लिए कर–पश्चात लाभ**		**11294.85**	**11012.85**
VII	बंद हो गए प्रचालनों से लाभ		0.00	0.00
VIII	बंद हो गए प्रचालनों से कर व्यय		0.00	0.00
IX	बंद हो गए प्रचालनों से लाभ (कर–पश्चात)		0.00	0.00
X	**अवधि के लिए लाभ**		**11294.85**	**11012.85**

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

[सीआईएन नं. : यू74140डीएल1955जीओआई002481]

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि (वाणिज्य) का समेकित विवरण

(लाख रू. में)

विवरण		नोट संख्या	31.03.23 को यथास्थिति	31.03.22 को यथास्थिति
XI	**अन्य व्यापक आय**			
क	मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा–निवेश		35.69	94.70
	मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा–बीमांकिक सुनिश्चित लाभ स्कीमों पर लाभ/हानि		3.02	-141.37
	उन मदों से संबंधित आय कर जिन्हें लाभ/हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-9.73	11.75
	उप जोड़ (क)		**28.98**	**-34.92**
ख	मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा		0.00	0.00
	उन मदों से संबंधित आय कर, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा		0.00	0.00
	उप जोड़ (ख)		**0.00**	**0.00**
	अन्य व्यापक आय (क + ख)		**28.98**	**-34.92**
XII	**अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XI + XII) (लाभ/(हानि) सहित) और अवधि के लिए अन्य व्यापक आय)**		**11323.83**	**10977.93**
XIII	**प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (सतत प्रचालनों के लिए)**	**32**		
	मूल (रु.)		21.19	20.66
	तनुकृत (रु.)		21.19	20.66
XIV	**आकस्मिक देयताएं**	**33 (i)**	**3974.46**	**1286.20**
XV	**पूंजीगत प्रतिबद्धताएं**	**33 (ii)**	**986.82**	**1620.93**
	लेखाओं पर अन्य टिप्पणियां	**35**		
	कॉरपोरेट सूचना विवरण (टिप्पणी–1) और लेखांकन नीतियां (टिप्पणी–2)			
	टिप्पणी: उपर्युक्त संदर्भित टिप्पणियां 1 से 35 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं। इक्विटी स्टेटमेंट में परिवर्तन तुलन पत्र का अभिन्न अंग है और लाभ एवं हानि लेखों का विवरण के पश्चात रखा गया है			

इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
गोयल पारूल एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 016750एन

ह./–
(पारूल गोयल)
साझेदार
[सदस्यता सं.: 099172]
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.08.2023
यूडीआईएन : 23099172बीजीवीजेड़एयू5557

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह./–
गौरव गुलाटी
निदेशक (वित्त)
[डीआईएन नं.: 10144109]

ह./–
विपुल गोयल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
[डीआईएन नं.: 10229523]

ह./–
पार्थ माझी
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

ह./–
निष्ठा गोयल
कंपनी सचिव
[सदस्यता संख्या: ए22768]

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

[सीआईएन नं. : यू74140डीएल1955जीओआई002481]

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि (संवर्धनात्मक) का समेकित विवरण

(लाख रू. में)

विवरण		नोट संख्या	31.03.23 को यथास्थिति	31.03.22 को यथास्थिति
I	**राजस्व**			
क	प्रचालनों से राजस्व	21		
	उत्पादों की बिक्री		0.00	0.00
	सेवाओं की बिक्री		0.00	0.00
	ब्याज आय		0.00	0.00
	प्रोसेसिंग शुल्क		0.00	0.00
	अन्य प्रचालन आय		0.00	0.00
	प्रचालनों से कुल राजस्व		**0.00**	**0.00**
ख	अन्य आय	22	0.00	0.00
ग	अनुदान और सब्सिडियां	23	10508.11	6700.65
	कुल राजस्व (क + ख + ग)		**10508.11**	**6700.65**
II	**व्यय**			
	उत्पादों की खरीद	24	0.00	0.00
	माल–सूचियों में परिवर्तन	25	0.00	0.00
	कर्मचारी लाभ व्यय	26	357.85	379.50
	वित्त लागतें	27	0.00	0.00
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	28	0.00	0.00
	निगमित सामाजिक जिम्मेदारी	29	0.00	0.00
	अन्य व्यय	30	10150.26	6321.15
	शुल्क और कमीशन व्यय	34	0.00	0.00
	कुल व्यय		**10508.11**	**6700.65**
III	**आपवादिक मदों, और कर से पूर्व लाभ**		**0.00**	**0.00**
	आपवादिक मदें		0.00	0.00
IV	**कर पूर्व लाभ**		**0.00**	**0.00**
	कर व्यय	31		
	वर्तमान कर		0.00	0.00
	आस्थगित कर		0.00	0.00
	पूर्ववर्ती वर्ष		0.00	0.00
V	**कुल कर व्यय**		**0.00**	**0.00**
VI	**चल रहे प्रचालनों से अवधि के लिए कर–पश्चात लाभ**		**0.00**	**0.00**
VII	बंद हो गए प्रचालनों से लाभ		0.00	0.00
VIII	बंद हो गए प्रचालनों से कर व्यय		0.00	0.00
IX	बंद हो गए प्रचालनों से लाभ (कर–पश्चात)		0.00	0.00
X	**अवधि का लाभ**		**0.00**	**0.00**

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

[सीआईएन नं. : यू74140डीएल1955जीओआई002481]

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि (संवर्धनात्मक) का समेकित विवरण

(लाख रू. में)

विवरण		नोट संख्या	31.03.23 को यथास्थिति	31.03.22 को यथास्थिति
XI	**अन्य विस्तृत आय**			
क	मदें जिन्हें लाभ अथवा हानि–निवेश/सुनिश्चित लाभ योजनाओं पर बीमांकिक लाभ/हानि पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		0.00	0.00
	उन मदों से संबंधित आय कर, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		0.00	0.00
	उप जोड़ (क)		**0.00**	**0.00**
ख	मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा		0.00	0.00
	उन मदों से संबंधित आय कर, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा		0.00	0.00
	उप जोड़ (ख)		**0.00**	**0.00**
	अन्य व्यापक आय (क + ख)		0.00	0.00
XII	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XI + XII) (लाभ/हानि सहित) और अवधि के लिए अन्य व्यापक आय		0.00	0.00
XIII	**प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (सतत प्रचालनों से)**	**32**		
	मूल (रु.)		0.00	0.00
	न्यूनीकृत (रु.)		0.00	0.00
XIV	**आकस्मिक देयताएं**	**33 (i)**	**0.00**	**0.00**
XV	**पूंजीगत प्रतिबद्धताएं**	**33 (ii)**	**0.00**	**1675.82**
	लेखाओं पर अन्य टिप्पणियां	**35**		

कॉरपोरेट सूचना विवरण (टिप्पणी–1), लेखांकन नीतियां (टिप्पणी–2)

टिप्पणी: उपर्युक्त संदर्भित टिप्पणियां 1 से 35 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

इक्विटी स्टेटमेंट में परिवर्तन तुलन पत्र का अभिन्न अंग है और लाभ एवं हानि लेखों का विवरण के पश्चात रखा गया है

इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
गोयल पारूल एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 016750एन

ह./–
(पारूल गोयल)
साझेदार
[सदस्यता सं.: 099172]
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.08.2023
यूडीआईएन : 23099172बीजीवीजेड़एयू5557

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह./–
गौरव गुलाटी
निदेशक (वित्त)
[डीआईएन नं.: 10144109]

ह./–
विपुल गोयल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
[डीआईएन नं.: 10229523]

ह./–
पार्थ माझी
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

ह./–
निष्ठा गोयल
कंपनी सचिव
[सदस्यता संख्या: ए22768]

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के अधीन 129(4) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

टिप्पणियाँ	प्रबंधन का उत्तर
कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अधीन निर्धारित समेकित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। उक्त अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक उक्त अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। उनकी दिनांक 28 अगस्त 2023 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के जरिए बताया गया है।	
मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, कंपनी अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6गक) के अधीन राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। हमने उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (कंपनी) और एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (सहायक) के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यशील दस्तावेजों को प्राप्त किए बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ और कुछ लेखाकंन रिकार्डों की चयनात्मक जांच तक सीमित है।	तथ्य का विवरण
अपने पूरक ऑडिट के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(ख) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को रेखांकित करना चाहता हूँ जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरण और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ पैदा करने के लिए आवश्यक हैं।	

टिप्पणियाँ	प्रबंधन का उत्तर
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) की सहायक कंपनी एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड का गठन एमएसएमई क्षेत्र को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड[1] के नाम पर एमएसएमई फंड स्थापित करने के निर्णय के अनुसरण में किया गया था। एसआरआई फंड के लिए योजना संबंधी दिशानिर्देश में, अन्य बातों के साथ–साथ यह प्रावधान किया गया है कि मदर फंड (i) (एसआरआई फंड) को एनएसआईसी से 100 प्रतिशत इक्विटी प्राप्त करने वाले एसपीवी द्वारा एंकर किया जाएगा (ii) एसपीवी मदर फंड को श्रेणी I अथवा II वैकल्पिक निवेश फंड के रूप में पंजीकृत करने के लिए सेबी को आवेदन करेगा, (iii) एसपीवी को 1 प्रतिशत के प्रबंधन शुल्क की अनुमति दी जा सकती है जो वास्तव में मदर फंड के अधिकार में रखे गए संचय निधि के संबंध में देय होगा। इस प्रकार, एसपीवी (एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड) को एसआरआई फंड को सेबी के साथ वैकल्पिक निवेश फंड के रूप में पंजीकृत कराना था और इसका प्रबंधन करना था, जिसके लिए इसे प्रबंधन शुल्क प्राप्त होना था। लेकिन, एसआरआई फंड को पंजीकृत करने की बजाय, एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड ने स्वयं को सेबी के साथ श्रेणी–II वैकल्पिक निवेश फंड के रूप में पंजीकृत कराया है। एसआरआई फंड इस प्रकार पंजीकृत वैकल्पिक निवेश फंड की एक योजना है। इन तथ्यों के आलोक में निम्नलिखित टिप्पणियाँ की जाती हैं।	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MoMSME) द्वारा आत्मनिर्भर भारत निधि पर 17 अगस्त 2021 को जारी परिचालन दिशानिर्देश निम्नलिखित कहते हैं:– क) मदर फंड को एसपीवी द्वारा संचालित किया जाएगा (एनएसआईसी से 100% इक्विटी होगी जिसे एक अलग कानूनी इकाई के रूप में शामिल किया जाएगा। ख) एसपीवी मदर फंड को श्रेणी I या II वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ) के रूप में पंजीकृत करने के लिए सेबी को आवेदन करेगा। पंजीकरण के समय, उच्च प्रशासन, ट्रस्ट या एलएलपी की तुलना में कंपनी पर लागू मानकों के कारण एआईएफ को एक कंपनी के रूप में स्थापित करना विवेकपूर्ण माना गया और प्रत्येक बाद की योजना के अलग पंजीकरण से बचने के लिए, एनवीसीएफएल को पंजीकृत करने का निर्णय लिया गया। एआईएफ के रूप में। इसके अलावा, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) (एआईएफ) विनियम 2012 का विनियम 12 (1), एआईएफ को विभिन्न योजनाएं शुरू करने का अधिकार देता है। तदनुसार, एनवीसीएफएल ने भारत सरकार (जीओआई) द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने की दृष्टि से एओपी संरचना के तहत आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड के नाम से अपनी पहली योजना शुरू की। एमएसएमई मंत्रालय को एआईएफ और एसआरआई फंड के रूप में एनवीसीएफएल की पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में पता था क्योंकि एनवीसीएफएल की पहली योजना दिनांक 12 अक्टूबर 2021 को योगदान समझौते पर थी, जिस पर एमओएमएसएमई के अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार इसे MoMSME की मंजूरी माना जाता है और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MoMSME) द्वारा जारी परिचालन दिशानिर्देशों का कोई उल्लंघन नहीं है। उपरोक्त संरचना भी सेबी विनियमन के अनुपालन में थी और सेबी द्वारा अनुमोदित थी, (जो एआईएफ के पंजीकरण के लिए शीर्ष निकाय है, जिसे वर्ष 1992 में एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम के प्रावधान थे, 1992 (1992 का 15) लाइसेंस दिए जाने के समय 30 जनवरी 1992 को लागू हुआ।

टिप्पणियाँ	प्रबंधन का उत्तर
	यह ध्यान दिया जा सकता है कि सेबी, जो एआईएफ उद्योग के लिए नियामक संस्था है, ने एसआरआई फंड के पीपीएम को स्वीकार कर लिया है और एनवीसीएफएल को श्रेणी ii एआईएफ और एसआरआई को एनवीसीएफएल की पहली योजना के रूप में पंजीकृत किया है।
क. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी करें चूंकि एसआरआई फंड एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल) की एक योजना है और उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर एक अलग इकाई नहीं है, इसलिए एसआरआई फंड से संबंधित सभी लेनदेन को एनवीसीएफएल के वित्तीय विवरणों और बाद में शामिल किया जाना आवश्यक था। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी, कंपनी) के वित्तीय विवरण। हालाँकि, एनवीसीएफएल ने एसआरआई फंड को एक अलग इकाई मानते हुए अपने वित्तीय विवरणों में एसआरआई फंड से संबंधित लेनदेन को शामिल नहीं किया और इसलिए, इसे एनएसआईसी के वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया। एसआरआई फंड से संबंधित लेन–देन को एनवीसीएफएल और उसके बाद एनएसआईसी की किताबों में शामिल न करने के परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों और देनदारियों को ₹56,227.42 लाख (₹57,634.08 लाख[2] घटाकर ₹ 1,406.66 लाख) प्रत्येक कम बताया गया और वर्ष के लिए मुनाफे को अधिक बताया गया। ₹711.17 लाख[3] तक।	एओपी के रूप में एसआरआई फंड का निगमन और पंजीकृत एआईएफ के रूप में एनवीसीएफएल का पंजीकरण दो अलग–अलग संस्थाएं हैं। समय–समय पर संशोधित सेबी अधिनियम के एआईएफ विनियमन 20(16) के अनुसार, खातों की अलग–अलग पुस्तकों के रखरखाव के संबंध में, "प्रबंधक और या तो ट्रस्टी या ट्रस्टी कंपनी या निदेशक मंडल या नामित भागीदार एआईएफ, जैसा भी मामला हो, यह सुनिश्चित करेगा कि एआईएफ की प्रत्येक योजना की परिसंपत्तियों और देनदारियों को वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) की अन्य योजनाओं से अलग और घेरा गया है, और प्रत्येक योजना के बैंक खाते और प्रतिभूति खाते को अलग किया गया है। और रिंग–फेंस्ड।" यह अनिवार्य है कि प्रत्येक योजना की परिसंपत्ति और देनदारियों को अलग किया जाना चाहिए और अलग से हिसाब लगाया जाना चाहिए क्योंकि योजना की इन परिसंपत्तियों का लाभार्थी स्वयं एआईएफ नहीं है बल्कि योजना के योगदानकर्ता हैं। इस प्रकार एसआरआई फंड के लिए एनवीसीएफएल से अलग खाते रखना अनिवार्य है, जो एनएसआईसी की सहायक कंपनी है। एसआरआई फंड की संपत्तियों को एनवीसीएफएल की संपत्ति के रूप में प्रतिबिंबित करना स्पष्ट रूप से गलत होगा, क्योंकि यह कानूनी नहीं है या इन संपत्तियों का लाभार्थी मालिक नहीं है। इसके अलावा, जैसा कि एसआरआई फंड दिशानिर्देशों में बताया गया है, एसपीवी यानी एनवीसीएफएल ड्रॉडाउन राशि पर 1% का प्रबंधन शुल्क लेता है, यदि पुस्तकों का विलय कर दिया जाता है तो आय और व्यय के रूप में प्रबंधन शुल्क का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, जो निष्पक्षता को प्रतिबिंबित नहीं करेगा। खातों की पुस्तकों का दृश्य. इसके अलावा, एनवीसीएफएल एक कंपनी है और एसआरआई फंड अलग–अलग पैन और टैन के साथ एक एओपी है, जिसका विलय नहीं किया जा सकता है। विलय के लिए, इकाई को अन्य इकाई की सहायक कंपनी होनी चाहिए, एसआरआई फंड एनवीसीएफएल की सहायक कंपनी नहीं है। इसलिए, एसआरआई फंड और एनवीसीएफएल के खातों की पुस्तकों का विलय या समेकन संभव नहीं है।

टिप्पणियाँ	प्रबंधन का उत्तर
	उपरोक्त के मद्देनजर, एनवीसीएफएल और एसआरआई फंड की संपत्तियों और देनदारियों के विलय के आंकड़े खातों की किताबों के सही और निष्पक्ष दृश्य को प्रतिबिंबित नहीं करेंगे और एसआरआई फंड को अव्यवहारिक बनाने के साथ–साथ सेबी दिशानिर्देशों का उल्लंघन भी होगा। एनवीसीएफएल ने वही लेखांकन पद्धति अपनाई है जो पिछले वर्ष वित्त वर्ष 2021–22 में अपनाई गई थी। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि यह संरचना एनवीसीएफएल द्वारा पिछले वर्ष कई सलाहकारों से लिखित पेशेवर राय पर लागू की गई थी, जिसे वित्त वर्ष 2021–22 की ऑडिट प्रक्रिया के दौरान सीएजी के साथ भी साझा किया गया था। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, परिसंपत्तियों और देनदारियों को ₹56,227.42 लाख (₹57,634.08 लाख 2 घटाकर ₹1,406.66 लाख) प्रत्येक की सीमा तक कम नहीं बताया गया है और परिसंपत्तियों को शामिल न करने के कारण वर्ष के लिए लाभ को ₹711.17 लाख 3 से अधिक नहीं बताया गया है, और एनवीसीएफएल के वित्तीय विवरण में एसआरआई फंड की देनदारियां और बाद में एनएसआईसी की पुस्तकों में।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए और की ओर से **ह/–** **(संजय के झा)** प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक (उद्योग और कार्पोरेट मामले) स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 9 नवम्बर, 2023	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के लिए और की ओर से **ह/–** **(विपुल गोयल)** (अध्यक्ष) स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 12 दिसंबर, 2023

1. विकास पूंजी हासिल करने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा सामना की जा रही गंभीर कमी को दूर करने के लिए फंड ऑफ फंड्स (FoF) बनाया गया। फंड की मुख्य निवेशक भारत सरकार है।
2. एनवीसीएफएल का कुल बैलेंस शीटः ₹1,406.66 लाख प्लस एसआरआई फंड का बैलेंस शीट कुलः ₹56,869.46 लाख घटा अंतर–यूनिट समायोजन ₹642.04 लाख यानी एसआरआई फंड में एनवीसीएफएल का निवेशः ₹28.36 लाख और एसआरआई फंड से प्राप्तियांः ₹613.68 लाख (तदनुसार) एसआरआई फंड की पुस्तकों में देनदारियों के रूप में दिखाया गया है)।
3. एनवीसीएफएल और एसआरआई फंड का कुल राजस्व ₹872.92 लाख है और ₹39.71 लाख के अंतर–यूनिट लेनदेन को समाप्त करने के बाद कुल खर्च ₹1,280.43 लाख है। इससे एनवीसीएफएल की पुस्तकों में दर्शाया गया ₹303.66 लाख का लाभ ₹407.51 लाख के घाटे में बदल जाएगा।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)
एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट
नई दिल्ली – 110 020

सं. एसआईसीः एसईसीः 68वाँ एजीएम/2023 **दिनांकः 12 दिसंबर, 2023**

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के सदस्यों की 68वीं वार्षिक आम बैठक दिनांक 12 दिसंबर, 2023 को दोपहर 3.00 बजे आयोजित की जाएगी। निम्नलिखित व्यवसाय करने के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रीयल एस्टेट, नई दिल्ली–110020 पर संपर्क करें।

साधारण कार्य

1) दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों के साथ–साथ लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और उन पर निदेशकों, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ–साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों / अवलोकनों यदि कोई हो, को प्राप्त करना, पर विचार करना और उन्हें अंगीकृत करना।

2) 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश घोषित करना।

3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142(1) के उपबंधों के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्ति कंपनी के सावंधिक और शाखा लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत करना और साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प को संशोधन (संशोधनों) सहित या उनके बिना पारित करनाः

"**संकल्प किया जाता है** कि वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए कंपनी के सांविधिक एवं शाखा लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक, जैसा बोर्ड द्वारा उचित समझा जाए, निश्चित और निर्धारित करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।"

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

ह./–
(निष्ठा गोयल)
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12 दिसम्बर, 2023

टिप्पणीः

1. वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार कोई सदस्य, अपने बदले बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए कोई प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार है और प्रतिनिधि का कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।
2. यदि कोई सदस्य इस बैठक के कारोबार की किसी मद (मदों) के संबंध में सूचना प्राप्त करना चाहें, तो उनसे अनुरोध है कि वे वार्षिक आम बैठक की तारीख को पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी सचिव को अपने प्रदत्त भेजें, ताकि अपेक्षित सूचना बैठक के समय उपलब्ध करवाई जा सकें।
3. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार रखा जाने वाला सांविधिक रजिस्टर कंपनी की वार्षिक आम बैठक के स्थान और समय पर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा निरीक्षण करने के लिए उपलब्ध रहेगा।
4. खाली प्रोक्सी फार्म इसके साथ संलग्न है।
5. विधिवत मुहर लगा हुआ और भरा हस्ताक्षरित प्रोक्सी नियुक्त करने संबंधी लिखत, बैठक शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।

तृतीय वार्षिक रिपोर्ट

एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड

(एनएसआईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)

2022-2023

सीआईएन नं. यू65990डीएल2020जीओई1368828

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	**श्री विपुल गोयल** (01 जुलाई, 2023 से) **सुश्री मर्सी एपाओ** (01 जनवरी 2023 से 30 जून, 2023 तक) **श्री गौरांग दीक्षित** (01 अगस्त 2022 से 31 दिसंबर, 2022 तक) **श्री पी. उदयकुमार** (20 जून, 2022 से 31 जुलाई, 2022 तक) **सुश्री अलका नागिया अरोड़ा** (1 जून, 2022 तक)
मुख्य कार्यकारी निदेशक	श्री सरवण कुमार अनणथन
निदेशक	• श्री अतीश कुमार सिंह सरकारी नामित निदेशक • डॉ. इशिता गागुंली त्रिपाठी सरकारी नामित निदेशक (08 जुलाई, 2022 से) • श्री गौरव गुलाटी, निदेशक (14.06.2023 से) • श्री सरवण कुमार अनणथन, निदेशक
कंपनी सचिव	सुश्री निष्ठा गोयल
संविधिक लेखापरीक्षक	मैसर्स देवन्द्र कुमार जैन, एसोसिएट्स
मुख्य बैंकर	स्टैट बैंक ऑफ इंडिया
पंजीकृत कार्यालय	एनएसआईसी भवन ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट नई दिल्ली– 110 020
कॉर्पोरेट वेबसाइट	www.nvcfl.co.in

निदेशक मंडल



श्री विपुल गोयल, अध्यक्ष (डीआईएन : 10229523)

श्री विपुल गोयल भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में संयुक्त सचिव (एआरआई प्रभाग) हैं, जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग, कॉयर बोर्ड और महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान (एमजीआईआरआई) के कार्यों को देखते हैं। उन्हें 1 जुलाई, 2023 से एनएसआईसी के अध्यक्ष–एवं–प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

वह विभिन्न घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफार्मों पर नीति निर्माण और एमएसएमई को जोड़ने में अग्रणी रहे हैं। वह हारकोर्ट बटलर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर से इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में बी.टेक हैं और भारतीय रेलवे सिग्नल इंजीनियर्स सेवा (आईआरएसएसई) – 1992 बैच के अधकिारी है। उनके पास पूरे भारत में विभिन्न रेलवे जोन/मंडलों में विभिन्न क्षमताओं में तैनात रहते हुए रेलवे सिग्नलिंग और दूरसंचार प्रणालियों के रखरखाव, निर्माण/परियोजना, रेलवे सिग्नलिंग उपकरणों के डिजाइन और विकास, ईपीसी अनुबंधों की हैंडलिंग, सामग्री प्रबंधन में व्यापक कार्य अनुभव है। उन्होनें रेलवे सिग्नलिंग और दूरसंचार प्रणालियों के रखरखाव/निर्माण में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। डीडीयू डिवीजन में सिग्नलिंग प्रणाली के रखरखाव में उल्लेखनीय सुधार के लिए उन्हें जीएम वार्षिक पुरस्कार 2002 से सम्मानित किया गया है।

वह एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनएसआईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) के बोर्ड के पदेन अध्यक्ष भी हैं।



श्री अतीश सिंह, सरकारी नामिति निदेशक (डीआईएन : 06789077)

श्री अतीश सिंह, संयुक्त सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय – सिविल सेवा को नागरिक प्रशासन, नीति निर्माण और कार्यान्वयन, संस्थागत विनियमन और उत्पाद विकास में 25 से अधिक वर्षों का अनुभव है (1997–2021)।

उन्होंने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। उन्होंने एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार के विभिन्न मामलों पर कार्य किया है जैसे कि एमएसएमई क्रेडिट के लिए नीति निर्माण और निष्पादन, विश्व बैंक के साथ बातचीत, 4 बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) हेतु एमएसएमई क्षेत्र में वित्तीय सहायता के लिए केएफडब्ल्यू और राष्ट्रीय विकास बैंक, शिकायत निवारण/समाधान और प्रारंभिक सहायता हेतु चैंपियन पोर्टल की शुरुआत, जेड प्रमाणन पर सुधारित एमएसएमई योजना का विकास और निष्पादन, लीन प्रक्रियाएँ, ऊष्मायन, आईपीआर और डिजाइन आदि। वे देश भर में पीपीपी मोड पर 20 नए प्रौद्योगिकी केंद्रों और 100 विस्तार केंद्रों की स्थापना का हिस्सा थे। उन्होंने ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) पर ब्लॉक चेन प्रक्रियाओं को विकसित करने के लिए वित्त मंत्रालय और आरबीआई के साथ समन्वय किया। उन्होंने आरबीआई, राज्य सरकारों, निजी क्षेत्र और वित्त मंत्रालय के समन्वय से फिनटेक निकायों में अभिनव उत्पाद विकास किया है। उन्होंने मंत्रालय में सामान्य प्रशासन, सतर्कता और स्थापना से संबंधित मामलों से संबंधित कार्यों को भी संभाला। वह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चिकित्सा सेवा प्रदाताओं को कोविड प्रबंधन में संसाधन प्रदान करने के लिए एक पोर्टल covidwarriors.gov.in के संचालन और प्रबंधन का हिस्सा थे।

श्री अतीश सिंह को दिनांक 28 अगस्त 2020 से एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीएफसीएल) के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, जो एनएसआईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।



डॉ. इशिता गांगुली त्रिपाठी, सरकारी नामिति निदेशक (डीआईएन : 09661006)

डॉ. इशिता गांगुली त्रिपाठी, अतिरिक्त विकास आयुक्त, विकास आयुक्त कार्यालय (एमएसएमई) भारतीय आर्थिक सेवा 1999 बैच की एक अधिकारी हैं। पिछले 23 वर्षों में, उन्होंने वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, सड़क परिवहन मंत्रालय और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। उन्होंने अर्थशास्त्र और जनसंख्या अध्ययन विषयों में दो स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है और उन्होंने आईआईटी दिल्ली से प्रबंधकीय अर्थशास्त्र में पीएचडी पूर्ण किया है।

डॉ. इशिता गांगुली त्रिपाठी को दिनांक 8 जुलाई, 2022 से एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीएफसीएल) के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, जो एनएसआईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।



श्री सरवण कुमार अनणथन, निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (डीआईएन : 09769378)

श्री सरवण कुमार अनणथन आईआईएम–बैंगलोर से स्नातकोत्तर हैं, उनके पास बी.ई. की डिग्री है, और वे जीएआरपी–यूएसए से जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स से सीएआईआईबी की डिग्री धारक हैं और उन्होंने न्यूयॉर्क में मेरिल लिंच ग्लोबल मुख्यालय में प्रबंधन विकास कार्यक्रम में भाग लिया। उनके पास वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, एआईएफ, एमएसएमई सेक्टर, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, रिस्क मैनेजमेंट, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, ट्रेजरी मैनेजमेंट और कॉरपोरेट नियोजन में 32 वर्ष से ज्यादा का पेशेवर अनुभव है।

श्री अनणथन को 17 अक्टूबर 2022 को श्री फंड (एमएसएमई के लिए भारत सरकार की फंड ऑफ फंड स्कीम) को लागू करने के लिए एनवीसीएफएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने आईसीआईसीआई वेंचर्स और आईसीआईसीआई बैंक में एक वरिष्ठ प्रबंधन पेशेवर के रूप में कार्य किया और एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट, एलआईसी नोमुरा फंड्स मैनेजमेंट आदि में मुख्य निवेश अधिकारी के रूप में कार्य किया है।

वे विभिन्न परामर्शदात्री कार्य समूह समिति के सदस्य थे, जैसे (क) 2011 में जीवन बीमा क्षेत्र के लिए निवेश के पुनर्गठन पर आईआरडीएआई हेतु, (ख) एआईएफ फंड विकसित करने पर सेबी हेतु, और (ग) 2010 और 2013 के बीच अमेरिकन इंटरनेशनल एश्योरेंस (एआईए)–हांगकांग की कोर निवेश समिति के सदस्य रहे। उन्होंने मार्च 2013 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज से सर्वश्रेष्ठ एआईएफ फंड के लिए व्यक्तिगत रूप से 'विश्व वित्त' पुरस्कार प्राप्त किया था। 'विश्व वित्त', अर्थात् यूके आधारित निवेश प्रकाशन ने उपरोक्त पुरस्कार प्रदान किया था।



श्री गौरव गुलाटी, निदेशक (डीआईएन : 10144109)

श्री गौरव गुलाटी एक विशिष्ट पेशेवर पृष्ठभूमि रखते हैं, उन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के फेलो सदस्य का दर्जा प्राप्त है, साथ ही वे एक अर्हक लागत लेखाकार (आईसीएआई) और कंपनी सचिव (आईसीएसआई) भी हैं। अपनी प्रभावशाली शैक्षणिक योग्यताओं के अलावा, श्री गुलाटी के पास व्यापार प्रशासन में स्नातकोत्तर डिग्री भी है।

25 वर्षों से अधिक की व्यापक पेशेवर यात्रा के साथ, श्री गुलाटी ने एनबीसीसी (आई) लिमिटेड, एनटीपीसी, सेल और इंडसइंड बैंक जैसे प्रमुख संगठनों से समृद्ध अनुभव अर्जित किया है, जहां उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया। उनकी विशेषज्ञता में वित्त और लेखा, अनुबंध प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, आंतरिक लेखापरीक्षा, बजटीय नियंत्रण, वित्तीय स्वीकृति और सैप कार्यान्वयन सहित विविध क्षेत्र शामिल हैं।

एनएसआईसी में गौरव गुलाटी को 09 मई, 2023 से निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया।

एनएसआईसी में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, (धारक कंपनी एनवीसीएफएल) उन्होंने निदेशक (वित्त) के रूप में कार्य किया और क्षेत्रीय व्यापार समूह प्रमुख के रूप में एनबीसीसी (आई) लिमिटेड में रियल एस्टेट वर्टिकल का नेतृत्व किया।

अपने उल्लेखनीय संगठनात्मक कौशल और रणनीतिक आयोजना प्रखरता के साथ, श्री गुलाटी ने अपनी वर्तमान भूमिका में एनएसआईसी के भीतर आवश्यक सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेष रूप से आंतरिक नियंत्रण को बढ़ाने के अलावा योजनाओं के लिए नीतियों और दिशानिर्देशों को तैयार और सुदृढ़ करके कंपनी के एनबीएफसी कार्यक्षेत्र को मजबूत किया है।

इसके अलावा, श्री गुलाटी की उपलब्धियाँ उनके पेशेवर करियर से भी आगे फैली हुई हैं। वह न केवल उस टीम के प्रमुख सदस्य रहे हैं, जिसने ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन (एआईएमए) द्वारा आयोजित बिजनेस सिमुलेशन प्रतियोगिता, नेशनल मैनेजमेंट गेम्स (एनएमजी) में दो बार जीत हासिल की, बल्कि 2011 में कीव, यूक्रेन में ग्लोबल मैनेजमेंट चैलेंज (जीएमसी) में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया।

श्री गुलाटी की व्यापक वित्तीय प्रखरता, नेतृत्व और रणनीतिक क्षमताएं उन्हें एनएसआईसी के लिए एक मूल्यवान संपत्ति बनाती हैं और उनकी असाधारण उपलब्धियां और समर्पण संगठन की सफलता और वित्तीय स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

उन्हें एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनएसआईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) में निदेशक के रूप में भी नियुक्त किया गया है।

अध्यक्ष महोदय का संदेश



प्रिय शेयरधारकों,

''एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल)'' की तीसरी वार्षिक आम बैठक में आपका स्वागत करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कंपनी की बोर्ड की रिपोर्ट और उसके लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ आपके पास हैं। आपकी अनुमति से मैं इन्हें पढ़ा हुआ मानता हूं।

एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल) को भारत के माननीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत पैकेज के भाग के रूप में एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ रुपये की फंड ऑफ फंड्स योजना अर्थात आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड को निष्पादित करने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में अधिनिगमित किया गया था।

एसआरआई फंड को 1 सितंबर, 2021 को नियामक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ श्रेणी II वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) के रूप में पंजीकृत किया गया है। बाद में, एंकर निवेशक (एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार), प्रायोजक (एनएसआईसी), एआईएफ कंपनी (एनवीसीएफएल) और निवेश प्रबंधक (एसबीआईसीएपी वेंचर्स लिमिटेड – एसवीएल)) के मध्य योगदान समझौता निष्पादित किया गया था।

एसआरआई फंड मदर फंड – डॉटर फंड संरचना में संचालित होता है, जिसमें, एसआरआई फंड को मदर फंड के रूप में जाना जाता है जो विभिन्न डॉटर फंडों (सेबी के साथ श्रेणी I या श्रेणी II फंड के रूप में पंजीकृत निजी इक्विटी फंड) को पूंजी प्रतिबद्धता प्रदान करता है। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार, मदर फंड – डॉटर फंड संरचना के अंतर्गत, एसआरआई फंड द्वारा निवेश की गई प्रत्येक यूनिट के लिए, डॉटर फंड को 4 यूनिटों का निवेश करना आवश्यक है। इस प्रकार, कुल 5 यूनिटों का डॉटर फंड के माध्यम से एमएसएमई में निवेश किया जाएगा।

वर्ष 2022–2023 के दौरान, कंपनी ने प्रचालन से अपना राजस्व 413.12 लाख रुपए और लाभ (कर पूर्व) 405.63 लाख रुपए और कर पश्चात लाभ 303.66 लाख रुपए सूचित किया है। वर्ष के लिए, कंपनी का निवल मूल्य पिछले वर्ष 729.17 लाख रुपए की तुलना में 975.75 लाख रुपए था। 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रति शेयर आय (ईपीएस) पिछले वर्ष के 31.17 रुपये की तुलना में 50.61 रुपए थी।

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2022–2023 के लिए 91.10 लाख रुपये (कर पश्चात लाभ का 30 प्रतिशत) के लाभांश की सिफारिश की है जो इस वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

30 नवम्बर, 2023 तक कुल 48 डॉटर निधियों को एसआरआई फंड (मदर फंड) के साथ पैनलबद्ध किया गया है और इन डॉटर निधियों ने 382 संभावित एमएसएमई को 5,870 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता के माध्यम से सहायता प्रदान की है जिसमें से डॉटर फंड्स ने एसआरआई फंड से 951 करोड़ रुपए निकाले हैं। इन एमएसएमई की भारत के कम आय वाले राज्यों और आकांक्षी जिलों सहित पूरे भारत में मौजूदगी है। उन्होंने 54,430 रोजगार उत्पन्न करने में सहायता की है जिनमें से 20 प्रतिशत महिला रोजगार है।

एमएसएमई के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए, फंड और मंत्रालय ने विभिन्न आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए थे, जिसमें विचारों, अंतर्दृष्टि और अनुभवों के आदान–प्रदान को सुकर बनाने के लक्ष्य के साथ, प्रवाह नामक एक एलपी–जीपी कार्यक्रम शामिल है। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा राजकोट, गुजरात में एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें गुजरात के उद्यमियों के बीच वित्तपोषण के वैकल्पिक स्रोत के रूप में एसआरआई फंड पर चर्चा की गई थी। भारत के आठ उत्तर पूर्व राज्यों के एमएसएमई के लिए नागालैंड के दीमापुर में एसआरआई फंड हेतु एक आउटरीच कार्यक्रम बिजएम्प भी आयोजित किया गया था।

एसआरआई फंड के पास निर्धारित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के साथ एसआरआई फंड सलाहकार बोर्ड, एनवीसीएफएल बोर्ड और निवेश समिति (स्वतंत्र आईसी सदस्य सहित) द्वारा देखरेख की जाने वाली एक मजबूत शासन रूपरेखा है। साथ ही, साइड लेटर के अंतर्गत आवश्यकतानुसार प्रत्येक डॉटर फंड को अपनी निवेशिती

कंपनियों के लिए एक पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन मानक (''ईएसजी'') नीति/ढांचा विकसित करना और यह सुनिश्चित करना होता है कि वित्तीय जोखिम प्रबंधन और पर्यावरण और सामाजिक रक्षोपाय प्रबंधन प्रणालियाँ मौजूद हैं।

मैं निरंतर मार्गदर्शन और समर्थन के लिए एमएसएमई मंत्रालय, सेबी, डीपीई, एनएसआईसी लिमिटेड (धारक कंपनी) का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं एमएसएमई के विकास को सुकर बनाने और बढ़ावा देने की इस पहल में उनके योगदान के लिए हमारे सभी हितधारकों को अपना हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं सी एंड एजी, सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी से जुड़े अन्य पेशेवरों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं इस अवसर का उपयोग कंपनी के बोर्ड में अपने सहकर्मियों और सभी अधिकारियों को उनके सर्वसम्मत समर्थन के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं एनवीसीएफएल से जुड़े सभी कर्मचारियों का उनके अथक समर्थन के लिए भी अपना आभार व्यक्त करता हूं।

ह./–
(विपुल गोयल)
अध्यक्ष
डीआईएन नं. : 10229523

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11 दिसंबर, 2023

बोर्ड की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारक,

आपके निदेशक वित्तीय वर्ष 2022–2023 के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के साथ बोर्ड की तीसरी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्न हैं।

1. संचालन अवलोकन

एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल) एनएसआईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसे एसआरआई फंड को बढ़ावा देने के लिए 28 अगस्त, 2020 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। .आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड एनवीसीएफएल की पहली योजना है।

एसआरआई फंड का उद्देश्य एमएसएमई को इक्विटी/इक्विटी जैसे वित्तपोषण में वृद्धि करने और एमएसएमई व्यवसायों के तीव्र विकास का समर्थन करने के लिए इक्विटी या अर्ध–इक्विटी के स्वरुप में विकास पूंजी के रूप में डॉटर फंड के माध्यम से एमएसएमई को वित्तपोषण की सहायता प्रदान करना है और इसके द्वारा अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों का निर्माण करना है।

एनवीसीएफएल भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक निवेश कोष) विनियम, 2012 ('विनियम') के तहत श्रेणी– II वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में पंजीकृत है। 1 सितंबर 2021 को अपनी पहली योजना आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड के लिए। एसआरआई फंड मदर/डॉटर फंड का एक संयोजन है। भारत सरकार एकमात्र एंकर निवेशक है और चरणबद्ध तरीके से मदर फंड को 10,000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक बजटीय सहायता प्रदान करती है।

एसआरआई फंड के लिए योगदान समझौते पर 12 अक्टूबर, 2021 को एंकर निवेशक (भारत सरकार), प्रायोजक (एनएसआईसी), एआईएफ कंपनी (एनवीसीएफएल) और निवेश प्रबंधक (एसबीआईसीएपी वेंचर्स लिमिटेड) के बीच हस्ताक्षर किए गए। अपनी स्थापना के बाद से 31 मार्च 2023 तक फंड इस प्रकार है:

	डॉटर निधि की संख्या	कीमत
डाटर फंड के लिए प्रारंभिक आईसी अनुमोदन प्राप्त हुआ	51	रु. 6,310 करोड़
डाटर फंड के लिए अंतिम आईसी अनुमोदन प्राप्त हुआ	46	रु. 5,910 करोड़
सूचीबद्ध डॉटर निधि	42	रु. 5,420 करोड़

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कुल 42 सहायक निधियों को एसआरआई फंड (मदर फंड) के साथ सूचीबद्ध किया गया है और इन सहायक निधियों ने इन एमएसएमई में 4,187 करोड़ रुपये के निवेश के माध्यम से 315 संभावित एमएसएमई को सहायता प्रदान की है, जिसमें से सहायक निधियों ने रु. 31 मार्च 2023 तक एसआरआई फंड से 566 करोड़ रुपये निकाले। इन एमएसएमई की भारत के कम आय वाले राज्यों और आकांक्षी जिलों सहित पूरे भारत में उपस्थिति है। उन्होंने 37,500 से अधिक नौकरियाँ पैदा करने में मदद की है, जिनमें से ~20% महिला रोजगार है।

वर्ष के दौरान, फंड ने दो आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए थे: 1) फंड की एक वर्ष की सालगिरह के पूरा होने पर बैंगलोर में कार्यक्रम और 2) प्रवाह, एक एलपी–जीपी कार्यक्रम, जिसका लक्ष्य विचारों, अंतर्दृष्टि के आदान–प्रदान को सुविधाजनक बनाना था। और अनुभव. ये कार्यक्रम एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र में प्रमुख हितधारकों – सरकार, उद्यमियों और निवेशकों के बीच बातचीत को सक्षम करने और फंड द्वारा की गई पहलों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करते हैं। 3) एमएसएमई मंत्रालय द्वारा राजकोट, गुजरात में एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें गुजरात के उद्यमियों के बीच वित्तपोषण के वैकल्पिक स्रोत के रूप में एसआरआई फंड पर चर्चा की गई थी।



एमएसएमई के माननीय कैबिनेट मंत्री श्री नारायण तातु राणे ने 23 जनवरी, 2023 को आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड के एक कार्यक्रम ''प्रवाह'' का उद्घाटन किया।

2. वित्तीय अवलोकन

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, कंपनी ने परिचालन से अपना राजस्व रु. 413.12 लाख और लाभ (कर से पहले) रु. 405.63 लाख.

पिछले वित्तीय वर्ष के साथ, वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए कंपनी के अंकेक्षित वित्तीय विवरणों का सारांश निम्नानुसार दिया गया है:–

(ईपीएस को छोड़कर रुपये लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष
1.	प्रचालनों से राजस्व	413.12	201.60
2.	अन्य आय	39.78	69.37
3.	व्यय	47.27	40.03
4.	कर पूर्व लाभ / (हानि)	405.63	230.94
5.	कर व्यय	101.97	40.67
6.	कर पश्चात लाभ / (हानि)	303.66	190.27
7.	कुल मूल्य	975.75	729.17
8.	प्रति शेयर आय (रुपयों में)	50.61	31.71

3. लाभांश

निदेशक मंडल ने 28 अगस्त, 2023 को हुई अपनी बैठक में सिफारिश की है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए रु. 91.10 लाख (पीएटी का 30 प्रतिशत) के लाभांश की संस्तुति की है। अनुशंसित लाभांश वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।



सीईओ, एनवीसीएफएल ने एनएसआईसी के सीएमडी श्री विपुल गोयल को वर्ष 2022–23 के लिए लाभांश चेक प्रस्तुत किया। इस अवसर पर श्री कार्तिकेय सिन्हा, निदेशक (पी एंड एम) और श्री गौरव गुलाटी, निदेशक (वित्त) एनएसआईसी भी उपस्थित थे।

4. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (जे) के संदर्भ में आरक्षित निधि में स्थानांतरण

आपके निदेशक किसी भी राशि को आरक्षित निधि में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं।

5. जमा राशि

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 के अंतर्गत आने वाले नियमों के साथ पढ़ी गयी किसी भी जमा राशि को स्वीकार नहीं किया है।

6. व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन

कंपनी के कारोबार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

7. धारा 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी या निवेश के विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत, कोई ऋण नहीं दिया है या कोई गारंटी नहीं दी है या कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की है और/या कोई निवेश नहीं किया है और इसलिए उक्त प्रावधान लागू नहीं होते है। इसके अतिरिक्त, कंपनी द्वारा किए गए निवेश के विवरण नोट वर्ष 2022–23 के लिए अंकेक्षित वित्तीय विवरणों के लेखों की टिप्पणियों में से टिप्पणी 7 में उल्लिखित किया गया है।

8. शेयर पूंजी

कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी रु. 10 करोड़ है और कंपनी की प्रदत्त (पेड–अप) शेयर पूंजी रु. 6 करोड़ रुपये है जिसे रु. 100/– प्रत्येक के दर से 6,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया है और संपूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (धारक कंपनी) और उसके नामांकित व्यक्तियों ने अपने पास रोक रखा है।

9. प्रबंधक वर्ग की चर्चा और विश्लेषण

प्रबंधक वर्ग की चर्चा और विश्लेषण पर एक पृथक रिपोर्ट इस रिपोर्ट के **"अनुबंध –क"** के रूप में संलग्न है।

10. मानव संसाधन प्रबंधन

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, श्री सरवण कुमार अनणथन ने कंपनी के बोर्ड में मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। इसके अलावा, होल्डिंग कंपनी यानी एनएसआईसी लिमिटेड ने कंपनी के परिचालन सुविधा और दिन–प्रतिदिन के मामलों के प्रबंधन के लिए अपने कुछ कर्मचारियों को अंशकालिक/पूर्णकालिक आधार पर तैनात किया है, जो पेशेवर हैं और वित्तीय विशेषज्ञता रखते हैं।

कंपनी ने निदेशकों या प्रबंधन या उनके रिश्तेदारों या कंपनियों और प्रतिष्ठानों आदि के साथ किसी भी सामग्री, वित्तीय या वाणिज्यिक लेनदेन नहीं किया है, जिसमें वे प्रत्यक्ष रूप से या अपने रिश्तेदारों के माध्यम से निदेशक और/या भागीदार के रूप में रुचि रखते हैं।

11. कर्मचारियों के विवरण

कंपनी का कोई भी कर्मचारी कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) के अंतर्गत, निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर रहा था।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होते हैं।

12. ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय का संरक्षण

आपकी कंपनी में कोई निर्माण गतिविधि नहीं है, इसलिए ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और अवशोषण के संरक्षण पर कोई खर्च नहीं होता है। इसके अतिरिक्त, समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी की कोई विदेशी मुद्रा आय और व्यय के लेनदेन नहीं है।

13. संबंधित पक्षों के साथ किए गए अनुबंधों और व्यवस्थाओं के विवरण

वित्तीय वर्ष के दौरान, संबंधित पक्षों के साथ व्यवस्थाएं/लेन–देन व्यापार के सामान्य क्रम में और आमने–सामने बातचीत के आधार पर थे। कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसार निर्धारित प्रपत्र एओसी–2 में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) में संदर्भित संबंधित पार्टी लेनदेनों के रहस्योद्घाटन और अनुबंधों या व्यवस्थाओं के विवरण इस रिपोर्ट के लिए **"अनुबंध–"ख"** के रूप में संलग्न हैं।

14. सांविधिक लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने मैसर्स देविंदर कुमार. जैन एंड एसोसिएट्स को वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया है। वैधानिक लेखा परीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2022–2023 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर अपनी रिपोर्ट दी है। इस प्रकार से, अंकेक्षित वित्तीय विवरण, नकदी प्रवाह का विवरण और आवश्यक अनुबंधों के साथ लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग है।

कंपनी के वित्तीय विवरणों पर वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी, अवलोकन या आपत्ति नहीं है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर सी एंड एजी की टिप्पणियाँ, यदि कोई हो, वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग होंगी।

15. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

कंपनी के संचालनों को प्रभावशाली ढंग से नियंत्रित करने के लिए कंपनी आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं की एक उपयुक्त प्रणाली बनाए रखती है। आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड की निवेश प्रक्रिया को कुशल और पारदर्शी तरीके से और एमएसएमई मंत्रालय द्वारा जारी संचालनीय दिशानिर्देशों के पूर्ण अनुपालन में लागू करने के लिए कंपनी के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) है। विवरण का उल्लेख रिपोर्ट के साथ संलग्न प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में भी किया गया है।

16. वार्षिक विवरणी

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, निर्धारित प्रारूप में वार्षिक विवरणी http://www.nvcfl.co.in/AnnualReport वेबसाइट लिंक पर उपलब्ध है।

17. जोखिम प्रबंधन

कंपनी ने एसआरआई फंड (कंपनी की पहली योजना) से जुड़े जोखिमों की पहचान करने के लिए एक सुपरिभाषित जोखिम प्रबंधन नीति निर्धारित की है। वार्षिक रिपोर्ट में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में अधिक विवरण दिए गए हैं। कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति को Risk_Mgmt_Policy_30082022.pdf (nvcfl.co.in) पर देखा जा सकता है।

18. निदेशक मंडल

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान और आज तक निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:–

क) श्री विपुल गोयल को 06 जुलाई 2023 से कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।

ख) श्री गौरव गुलाटी को 14 जून 2023 से कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

ग) सुश्री मर्सी एपाओ 30 जून, 2023 तक अध्यक्ष और निदेशक के रूप में कार्यभार संभाल रही थीं।

घ) श्री गौरांग दीक्षित को दिनांक 01.12.2016 से कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। 1 अगस्त, 2022 से उनके पास अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख यानी 31 दिसंबर, 2022 तक एनवीसीएफएल के अध्यक्ष का प्रभार है।

ङ) श्री सरवण कुमार अनणथन को कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। 19 अक्टूबर, 2022 से वह कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी हैं।

च) डॉ. इशिता गांगुली त्रिपाठी को 8 जुलाई, 2022 से श्री राजीब कुमार सेन के स्थान पर एनवीसीएफएल के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशकों में से एक के रूप में नियुक्त किया गया है।

छ) श्री. पी. उदयकुमार को 20 जून, 2022 को कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि, अर्थात 31 जुलाई, 2022 तक एनवीसीएफएल के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है।

ज) 23 सितंबर 2021 को श्रीमती अल्का नांगिया अरोड़ा को कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने 20 जून, 2022 तक एनवीसीएफएल के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है।

वर्ष 2022–23 के दौरान निदेशक मंडल की छह बैठकें आयोजित की गई थी। बैठकों का विवरण कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दिया गया है जो इस रिपोर्ट के **"अनुबंध–ग"** के रूप में संलग्न है।

19. निदेशकों का दायित्व संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ग) के अपेक्षाओं के अनुसरण में निदेशक मंडल इस बात की पुष्टि करता है कि:

- अनुसरण में 2022–23 वार्षिक लेखे तैयार करते समय, सारवान विपथनों से संबंधित उपयुक्त स्पष्टीकरणों के साथ–साथ लागू होने वाले लेखांकन मानकों का पालन किया गया है;
- निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उनको लगातार लागू किया है और ऐसे निर्णय और आकलन किए हैं जो तर्कसंगत एवं विवेकपूर्ण हैं, ताकि वित्त वर्ष के अंत में कारपोरेशन की अद्यतन तथा उस अवधि में निगम के लाभ या हानि की सही और उचित तस्वीर प्रस्तुत की जा सके;
- निदेशक मंडल ने निगम की परिसंपत्तियों की रक्षा करने के लिए और कपट तथा अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और उनकी रोकथाम करने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों के रख–रखाव के लिए उपयुक्त और पर्याप्त सावधानी बरती है;
- वित्तीय विवरण, सतत कारोबार के आधार पर तैयार किए गए हैं;
- निदेशकों ने लागू होने वाले सभी कानूनों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की और यह प्रणालियाँ पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं।

20. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान "सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005" (आरटीआई) के अंतर्गत कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

21. नियामकों / न्यायालयों / न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और विशेष आदेश

कंपनी के खिलाफ नियामकों/अदालत/न्यायाधिकरणों द्वारा भविष्य में आपकी कंपनी की चालू प्रतिष्ठान की स्थिति और संचालन को प्रभावित करने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

22. कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं, यदि कोई हों, जो कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत के बीच हुई हैं, जिससे वित्तीय विवरण संबंधित हैं और रिपोर्ट की तारीख

जिस वित्तीय वर्ष से ये वित्तीय विवरण संबंधित हैं उसकी समाप्ति और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाला कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन या प्रतिबद्धता नहीं हुई।

23. आभार

आपके निदेशक एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार, सेबी, एमसीए के प्रति उनके दिशा–निर्देश और समर्थन के लिए आभारी हैं। निदेशक भी एनएसआईसी लिमिटेड (धारक कंपनी) को उनके निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। कंपनी वैधानिक लेखा परीक्षकों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, निवेश प्रबंधक, कानूनी सलाहकार के प्रति उनके महत्त्वपूर्ण योगदान के लिए भी आभार व्यक्त करती है। निदेशक कंपनी के दीर्घस्थायी प्रदर्शन को सुनिश्चित करने में कंपनी के सभी हितधारकों के बहुमूल्य योगदान और प्रयासों के लिए भी उनकी ईमानदारी से सराहना और धन्यवाद करते हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह./–
(विपुल गोयल)
अध्यक्ष
डीआईएन नं. : 10229523

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11 दिसंबर, 2023

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

(i) उद्योग संरचना और हालिया विकास

भारत की अर्थव्यवस्था ने अपने मजबूत मैक्रो–इकोनॉमिक फंडामेंटल्स और सरकार और आरबीआई की त्वरित नीति कार्रवाई के कारण वित्तीय वर्ष 2022–23 में अपनी विकास गति को बरकरार रखा है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में भारत की वास्तविक जीडीपी में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो कि प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है, जो कि रूस–यूक्रेन संघर्ष सहित सीओवीआईडी महामारी और भू–राजनीतिक विकास से उत्पन्न बाधाओं और चुनौतियों पर काबू पाती है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में घरेलू मांग में सुधार हुआ है और मजबूती से आगे बढ़ी है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था तिमाही उत्पादन के काफी करीब पहुंच गई है, अगर महामारी ने प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला होता। महामारी के बाद, उपभोग और निवेश के त्रैमासिक प्रक्षेपवक्र पहले ही अपने महामारी–पूर्व पथ को पार कर चुके हैं। इसके अलावा, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023–24[1] में भारत की जीडीपी वृद्धि 6% से 6.8% रहेगी।

भारत में लगभग 6.3 करोड़ सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) हैं, जिनमें से उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकृत एमएसएमई की संख्या 1.62 करोड़ इकाई थी। अधिकांश पंजीकृत एमएसएमई सेवा उद्यम हैं, लगभग 67%, जबकि शेष 33% विनिर्माण से जुड़े हैं। इसके अलावा, लगभग 95.88% पंजीकृत उद्यम सूक्ष्म–उद्यम हैं, इसके बाद 3.36% छोटे उद्यम और 32%[2] मध्यम आकार के उद्यम हैं।

एमएसएमई के सामने आने वाली संरचनात्मक चुनौतियों से निपटने के लिए सुधार हाल के वर्षों में देश की औद्योगिक नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। महामारी के दौरान एमएसएमई के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) और आत्मनिर्भर भारत के दायरे में एमएसएमई की परिभाषा में संशोधन के रूप में सहायता उपाय पेश किए गए, जिससे एमएसएमई को संकट के झटके को बेहतर तरीके से सामना करने में मदद मिली। ईसीएलजीएस से, विशेष रूप से, पिछले दो वर्षों में एमएसएमई को 1.14 करोड़ रु. का लाभ हुआ है। जिन्होंने 2.38 लाख करोड़. रुपये की राशि का संपार्श्विक–मुक्त ऋण लिया है। आगे के उपाय, जैसे एमएसएमई के लिए विलंबित भुगतान को संबोधित करने के लिए टीआरईडीएस पर नए सिरे से जोर, खुदरा और थोक व्यापारियों को एमएसएमई के रूप में शामिल करना, और एमएसएमई की स्थिति में ऊपर की ओर बदलाव के मामले में तीन साल के लिए गैर–कर लाभ का विस्तार ने एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए एक लचीली सहायता प्रणाली बनाई है। एमएसएमई को अपनी मार्केटिंग जरूरतों और आसान भुगतान के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंच से भी फायदा हुआ है। डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपननेटवर्क एमएसएमई के लिए ई–कॉमर्स तकनीक तक पहुंचने और अपने लक्षित बाजारों में विविधता लाने के अवसर पैदा कर रहा है, जिससे यह प्रवृत्ति और मजबूत होगी। इसके अलावा, जीएसटीएन को अकाउंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पर वित्तीय सूचना प्रदाता के रूप में शामिल करने से एमएसएमई के लिए ऋण तक पहुंच के रास्ते खुल जाएंगे। एमएसएमई क्षेत्र में अवसरों और उत्पादकता को बढ़ाने से एक लचीले उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र पर बड़े पैमाने पर प्रभाव पड़ता है, जिससे उद्योग और समग्र रूप से अर्थव्यवस्था की विकास संभावनाएं मजबूत होती हैं।[3]

(ii) उद्योग क्षेत्र का महत्त्व (एमएसएमई)

एमएसएमई क्षेत्र, विनिर्माण और सेवाएँ दोनों, अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और देश के सामाजिक–आर्थिक विकास में एक प्रमुख योगदानकर्ता हैं। भारत की 6.3 करोड़ एमएसएमई संस्थाएँ निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी हैं[4] –

- देश के कुल विनिर्माण उत्पादन का लगभग 40 प्रतिशत;
- सभी निर्यात का लगभग 42 प्रतिशत; तथा
- राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 33 प्रतिशत।

भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके शानदार योगदान के बाद भी,

[1] स्रोत: पीआईबी आर्थिक सर्वेक्षण

[2] स्रोत: भारत में एमएसएमई उद्योग – बाजार में हिस्सेदारी, रिपोर्ट, विकास और कार्यक्षेत्र। आईबीईएफ

[3] स्रोत: https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/

[4] स्रोत: https://www.forbes.com/advisor/in/business/msme-statistics/

भारत में एमएसएमई को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि तेजी से बदलती प्रौद्योगिकियों के साथ तालमेल बिठाना, उनकी बौद्धिक संपदा की सुरक्षा के मुद्दे और अंत में ऋण और इक्विटी दोनों के वित्त के स्रोतों की उपलब्धता और पहुंच।

"भारत के एमएसएमई का वित्तपोषण" 2018[5] पर आईएफसी की रिपोर्ट का अनुमान है कि एमएसएमई द्वारा ऋण और इक्विटी वित्त दोनों की कुल मांग लगभग 87.7 ट्रिलियन रुपये होने का अनुमान है, जिसमें 69.3 ट्रिलियन रुपये का ऋण और 18.4 ट्रिलियन रूपए की इक्विटी सम्मिलित है।

बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म जो असंगठित क्षेत्र से एसएमई को एक विनियमित और संगठित क्षेत्र में सूचीबद्ध करने में सक्षम बनाता है, द्वारा सूचित किया गया कि 452 सूचीबद्ध एसएमई कंपनियों ने उनके प्लेटफार्म का उपयोग करके 5,499.96 करोड़ रूपये की फंडिंग की गई है।[6]

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर, इमर्ज एसएमई कंपनियों के लिए एक नया मंच है जो कि बहुत आवश्यक विकास पूंजी जुटाने, परिपक्व होने और बाद में एनएसई के मुख्य बोर्ड में स्थानांतरित करने के लिए प्रारंभिक चरण के उपक्रमों और गुणवत्तायुक्त छोटी कंपनियों को प्रस्ताव देता है। वित्तीय वर्ष 2022–2023 में, इमर्ज ने 54 एमएसएमई की सूची देखी, जिन्होंने रु. 1180.31 करोड़ जुटाया था।[7] हालाँकि, जुटाई गई धनराशि की ये राशि एमएसएमई क्षेत्र के लिए वित्त पोषण की कुल आवश्यकता से कम है और अंतर को पाटने के प्रयास जारी हैं।

(iii) इस क्षेत्र में विकास

इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि घरेलू व्यापार को एक सुदृढ़ वित्तीय प्रोत्साहन की आवश्यकता है, जैसे कि भारत सरकार द्वारा एमएसएमई क्षेत्र में बड़े मूल्य के निवेश को वापस लाने की प्रत्याशा में कई उपायों की घोषणा की गई। शुरू किए गए महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं:

- स्टार्ट–अप इंडिया कार्यक्रम के तहत, सरकार ने XIV और XV वित्त आयोग की अवधि में स्टार्ट–अप के लिए फंडिंग सहायता प्रदान करने के लिए स्टार्ट–अप के लिए फंड ऑफ फंड्स (FFS) बनाया।
- भारत सरकार ने एमएसएमई के लिए फंड ऑफ फंड्स स्कीम बनाई, ताकि विभिन्न प्रकार के फंडों को कम सेवा वाले एमएसएमई की ओर मोड़ा जा सके और व्यावहारिक एवं उच्च विकास वाले एमएसएमई की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इस योजना को आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड योजना का नाम दिया गया और इसे राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) द्वारा एक स्पेशल पर्पस व्हीकल अर्थात् एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड के माध्यम से प्रशासित किया जाना था।

एमएसएमई को विशेष रूप से सरकारी ई–मार्केटप्लेस (जीईएम) के माध्यम से अपने उत्पादों को ई–कॉमर्स साइट पर बेचने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

सरकार ने वित्त वर्ष 2023–24 के बजट में एमएसएमई क्षेत्र के लिए लगभग 22,140 करोड़ रुपये, आबंटित किए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 42% की वृद्धि है। यह आवंटन एमएसएमई की मदद के लिए कई कर प्रोत्साहनों और सब्सिडी के साथ–साथ ऋण, प्रौद्योगिकी उन्नयन और बुनियादी ढांचे के विकास तक आसान और किफायती पहुंच प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करने की दिशा में जाएगा।

ख) आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड

आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक हिस्से के रूप में, वित्त मंत्री ने 2021–2022 के बजट भाषण में, एमएसएमई के लिए एक फंड ऑफ फंड योजना की घोषणा की थी, जिसे भारत सरकार द्वारा रुपये के योगदान के साथ वित्त पोषित किया जाएगा। 10,000 करोड़, और जिसे निजी भागीदारी के माध्यम से 5 गुना बढ़ाकर योजना के माध्यम से रु. 50,000 करोड़ की धनराशि जुटाई जानी थी।

एमएसएमई मंत्रालय (एमओएमएसएमई) को कार्यान्वयन मंत्रालय के रूप में नामित किया गया और आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) के रूप में नामित फंड ऑफ फंड को एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के माध्यम से सहारा दिया जाना था। एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल), एनएसआईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी, और कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी

---

[5] स्रोत: नवंबर 2018 को जापान सरकार की साझेदारी में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी), भारत के एमएसएमई को वित्त पोषण – भारत में एमएसएमई की ऋण आवश्यकता का अनुमान।

[6] स्रोत: https://www.bsesme.com/index.aspx

[7] स्रोत: https://nsearchives.nseindia.com/s3fs-public/inline-files/Emerge%20Brochure.pdf

आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड को लागू करने के लिए निर्मित एक एसपीवी है।

"आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड" एनवीसीएफएल की पहली योजना है जो 1 सितंबर, 2021 को श्रेणी II वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ) के रूप में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ पंजीकृत है। एमएसएमई क्षेत्र को विकास पूंजी प्रदान करने के उद्देश्य से 'फंड ऑफ फंड्स' को संचालित करने के लिए एसबीआईकैप वेंचर्स लिमिटेड "(निवेश प्रबंधक)" को निवेश प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है।

यह फंड इक्विटी, अर्ध–इक्विटी और ऋण के माध्यम से एमएसएमई को विकास पूंजी के रूप में आगे के प्रावधान के लिए डॉटर फंड को धनराशि की सहायता प्रदान करना है, जिसे सेबी के सम्बंधित दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनुमति प्रदान की जा सकती है। एसआरआई फंड द्वारा डॉटर फंड को बैक–एंडेड आधार पर उपलब्ध कराई गई धनराशि की प्रत्येक इकाई के लिए डॉटर फंड अपने स्वयं के स्रोतों से चार इकाई फंड जुटाएगा। इस प्रकार से, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए रु. 10,000 करोड़ के कोष में वृद्धि करते हुए रु. 50,000 करोड़ की धनराशि एमएसएमई को सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी।

एसआरआई फंड के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. एमएसएमई को सेबी के सम्बंधित दिशानिर्देशों के अंतर्गत, प्राप्त अनुमति के अनुसार इक्विटी, अर्ध इक्विटी और ऋण वित्तपोषण में वृद्धि करना;
2. एमएसएमई के व्यवसायों में तीव्र वृद्धि को समर्थन प्रदान करना और इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में जान फूँकना और रोजगार के अवसर पैदा करना;
3. ऐसे उद्यमों का समर्थन करना जिनमें एमएसएमई वर्ग से आगे निकल कर सक्षम होने और राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन बनने की क्षमता है; तथा
4. ऐसे एमएसएमई का समर्थन करना जो सम्बंधित प्रौद्योगिकियों, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करके भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करते हैं।

ग) परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन

12 अक्टूबर, 2021 को एंकर इन्वेस्टर (भारत सरकार), प्रायोजक (एनएसआईसी), एआईएफ कंपनी (एनवीसीएफएल) और निवेश प्रबंधक (एसबीआईसीएपी वेंचर्स लिमिटेड) के बीच एसआरआई फंड के लिए योगदान समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

एसआरआई फंड की स्थापना से लेकर 31 मार्च, 2023 तक की प्रगति इस प्रकार है:

	डॉटर फण्ड की संख्या	मूल्य
डॉटर फंड के लिए प्रारंभिक आईसी अनुमोदन प्राप्त हुआ	51	रु. 6,300 करोड़
डॉटर फंड के लिए प्राप्त अंतिम आईसी अनुमोदन	46	रु. 5,910 करोड़
पैनलबद्ध डॉटर फंड	42	रु. 5,420 करोड़

यह उल्लेख करना उचित है कि एआईएफ में फंड की तैनाती सूचीबद्ध डॉटर फंड द्वारा उठाई गई मांगों के अनुसार चरणों में होती है। डॉटर फंड्स ने 31 मार्च 2023 तक एसआरआई फंड से 566 करोड़ रुपये निकालने का अनुरोध किया।

घ) मानव संसाधन में सामग्री विकास

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, श्री सरवण कुमार अनणथन ने कंपनी के बोर्ड में मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। इसके अलावा, होल्डिंग कंपनी यानी एनएसआईसी लिमिटेड ने कंपनी के परिचालन सुविधा और दिन–प्रतिदिन के मामलों के प्रबंधन के लिए अपने कुछ कर्मचारियों को अंशकालिक/पूर्णकालिक आधार पर तैनात किया है, जो पेशेवर हैं और वित्तीय विशेषज्ञता रखते हैं।

कंपनी ने निदेशकों या प्रबंधन या उनके रिश्तेदारों या कंपनियों और फर्मों आदि के साथ कोई भी भौतिक, वित्तीय या वाणिज्यिक लेनदेन नहीं किया है, जिसमें वे सीधे या अपने रिश्तेदारों के माध्यम से निदेशक और/या भागीदार के रूप में रुचि रखते हैं

ङ) जोखिम, चिंताएँ और खतरे

एनवीसीएफएल और इसके निवेश प्रबंधक ने एसआरआई फंड के लिए जोखिम के आकलन, निगरानी और प्रबंधन के लिए एक सुदृढ़ ढाँचे को अपनाया है। यह ढाँचा एक जोखिम मैट्रिक्स प्रदान करता है जो किसी फण्ड के लिए जोखिम की सभी श्रेणियों, जोखिम के विवरण, प्रत्येक जोखिम के घटित होने की संभावना, परिणाम; यदि जोखिम वास्तव में घटित होता है, जोखिम रेटिंग, जोखिम शमन तंत्र और जोखिम की निगरानी की आवधिकता को सूचीबद्ध करता है।

एसआरआई फंड के लिए निगरानी किए जाने वाले प्रमुख जोखिम हैं – प्रतिबद्धता जोखिम, वितरण जोखिम, पोर्टफोलियो जोखिम, पुनर्निवेश जोखिम, अनुपालन जोखिम, फंड स्तर पर एकाग्रता जोखिम, फंड स्तर पर विदेशी मुद्रा जोखिम, फंड और डॉटर फंड स्तर पर लीवरेज जोखिम, फंड और डॉटर फंड स्तर पर वसूली जोखिम, डॉटर फंड स्तर पर रणनीति जोखिम, डॉटर फंड स्तर पर प्रतिष्ठा जोखिम, फंड और डॉटर फंड स्तर पर पर्यावरणीय, सामाजिक और कॉर्पोरेट प्रशासन जोखिम।

एसआरआई फंड द्वारा डॉटर फंड के लिए प्रतिबद्ध राशि को पूर्ण राशि के रूप में और साथ ही डॉटर फंड द्वारा जुटाए जाने वाले लक्षित कोष के प्रतिशत के रूप में, जो भी कम हो, दोनों में व्यक्त किया जाता है। एक पैनलबद्ध डॉटर फंड के लक्षित कोष की राशि को बढ़ाने में असमर्थ होने की स्थिति में, गिरावट राशि प्रतिशत क्लॉज द्वारा बाधित हो जाएगी और तदनुसार, एसआरआई फंड से गिरावट कम होगी और यह पूर्ण रूप से व्यक्त की गई प्रतिबद्धता की राशि के बराबर नहीं हो सकती।

निवेश प्रबंधक और कानूनी सलाहकार के परामर्श से एनवीसीएफएल फंड के संचालन में उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए नियंत्रण के विभिन्न उपायों को अपना रहा है, जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है:

क) फंड के लिए एक व्यापक निवेश नीति अपनाई गई है;

ख) डॉटर फंड में निवेश करने के लिए एक व्यापक निवेश प्रक्रिया को अनुमोदित किया गया है;

ग) बोर्ड द्वारा एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) टेम्प्लेट तैयार और अनुमोदित किया गया है, जिसके आधार पर विभिन्न पक्ष फंड के संबंध में अपनी भूमिका और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करती हैं।

घ) डॉटर फंड के मनोनयन के लिए पात्रता मापदंड बोर्ड द्वारा विकसित और अनुमोदित किया गया है;

ङ) संचालन दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रत्येक डॉटर फण्ड में अधिकतम एक्सपोजर की सीमा निर्धारित की गई है;

च) जहाँ पर हितों के टकराव की सूचना मिलती है, वहाँ पर प्रस्तावों के लिए बोर्ड का अनुमोदन माँगा जाता है;

छ) सीएजी द्वारा स्वतंत्र लेखापरीक्षक की नियुक्ति की गई है;

ज) स्वतंत्र लेखा परीक्षक को बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। एनएसआईसी/एनवीसीएफएल की खरीद नीति (जैसा लागू हो) में उल्लिखित प्रक्रियाओं के माध्यम से की जानी चाहिए, और विचलन, यदि कोई हो, तो बोर्ड को सूचित किया जाना चाहिए;

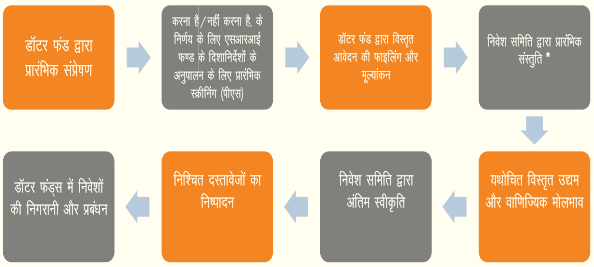
झ) उचित कानूनी परामर्श लेकर संरचनागत जोखिमों को कम किया जाता है;

ञ) विभिन्न जोखिमों को कवर करने वाली उपयुक्त बीमा पॉलिसियाँ लागू की जा रही हैं

एसआरआई फंड में परिभाषित भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों के साथ, एसआरआई फंड एडवाइजरी बोर्ड, एनवीसीएफएल बोर्ड और निवेश समिति (स्वतंत्र आईसी सदस्य सहित) की देखरेख में एक सुदृढ़ प्रशासन ढाँचा है। साथ ही, प्रत्येक डॉटर फंड, जैसा कि साइड लेटर के अंतर्गत आवश्यक है, अपनी निवेश प्राप्तकर्ता कंपनियों के लिए एक पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासन मानकों ("ईएसजी") नीति/ढांचे को विकसित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि वित्तीय जोखिम प्रबंधन और पर्यावरण एवं सामाजिक सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियाँ विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त, उन्हें किसी भी भौतिक उल्लंघन और भ्रष्टाचार विरोधी/धन–शोधन विरोधी, पर्यावरण, सामाजिक एवं व्यावसायिक प्रामाणिकता के पहलुओं पर रिपोर्ट करना आवश्यक है।

च) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

एसआरआई फंड अच्छी तरह से परिभाषित एक पारदर्शी निवेश प्रक्रिया का अनुसरण करता है जिसे विस्तृत एफएक्यू के एक भाग के रूप में एनवीसीएफएल और एसवीएल वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है। निवेश प्रक्रिया को नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है:



* हितों के टकराव के प्रकरण में, इस तरह के टकराव के लिए बोर्ड प्राधिकरण द्वारा पालन किया जाएगा

स्वतंत्र पेशेवर एजेंसी द्वारा किए गए यथोचित विस्तृत उद्यम के निष्कर्षों पर विचार करने के बाद निवेश समिति को अंतिम अनुमोदन प्रदान किया गया है – यथोचित विधिक उद्यम, यथोचित वित्तीय उद्यम और यथोचित कर उद्यम।

छ) दृष्टिकोण

एसआरआई फंड ने एसआरआई फंड से फंडिंग के लिए संभावित डॉटर फंड की एक मजबूत पाइपलाइन बनाई है। निधियों का परिनियोजन सहायक निधियों की निवेश अवधि के दौरान चरणों में होगा।

एसआरआई फंड स्तर (इसके योगदानकर्ताओं के लिए) और डॉटर फंड स्तर (एसआरआई फंड के लिए) पर विभिन्न रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के साथ एक नया फंड प्लेटफॉर्म स्थापित किया जा रहा है और वर्तमान में आईएम द्वारा आयोजित सभी पूर्व–निवेश गतिविधियों को टेक प्लेटफॉर्म पर नियंत्रित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के अंत तक फंड के सभी पहलुओं को कवर करते हुए टेक प्लेटफॉर्म पूरी तरह से तैनात कर दिया जाएगा।

इच्छित प्रभाव पैदा करने के लिए, एसआरआई फंड उपयुक्त उद्योग मंचों के साथ बातचीत करेगा और उनकी प्रतिक्रिया मांगेगा।

झ) सावधानीपूर्ण वक्तव्य

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में कंपनी के उद्देश्यों, अनुमानों, अपेक्षाओं, अनुमानों का वर्णन करने वाले विवरण वर्तमान कारोबारी माहौल पर आधारित हैं। वास्तविक परिणाम सरकारी नीति निर्णयों और भविष्य के आर्थिक माहौल के आधार पर व्यक्त या निहित परिणामों से भिन्न हो सकते हैं। कंपनी बाद की घटनाओं या विकास के आधार पर ऐसे बयानों को संशोधित करने या संशोधित करने के लिए किसी भी तरह से कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है।

ह./–
(विपुल गोयल)
अध्यक्ष
डीआईएन नं. : 10229523

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11 दिसंबर, 2023

फॉर्म - एओसी-2
वार्षिक अनुपालन से संबंधित पक्ष के लेनदेन

(अधिनियम की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसार)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप–धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरण के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र जिसमें उनके प्रावधान के अंतर्गत, आमने–सामने के कुछ लेन–देन सम्मिलित हैं

1. अनुबंध या व्यवस्था या लेन–देन का विवरण जो हाथ की लंबाई के आधार पर नहीं है: वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी द्वारा किसी भी संबंधित पार्टी के साथ कोई सामग्री अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन दर्ज नहीं किया गया था।

2. वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, आमने–सामने संपन्न हुए भौतिक अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन–देनों का विस्तृत विवरण:

क्र. सं.	संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति	अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेनों की प्रकृति	अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेनों की अवधि	अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेनों की मुख्य शर्तें; मूल्य सहित, यदि कोई हो:	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि, यदि कोई हो:	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो:
1.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (धारक कंपनी)	एनवीसीएफएल की ओर से जनशक्ति समर्थन लागत, मुद्रण और स्टेशनरी, यात्रा, संवहन एवं वाहन शुल्क और धारक कंपनी द्वारा उठाए गए मनोरंजन व्यय की प्रतिपूर्ति। (करों को छोड़कर)	जारी लेनदेन	जनशक्ति समर्थन लागत – रु. 60.26 लाख प्रिंटिंग और स्टेशनरी, यात्रा, संवहन एवं वाहन शुल्क और मनोरंजन – रु. 3.83 लाख (सभी राशियाँ वास्तविक आधार पर)	प्रयोजनीय नहीं है, क्योंकि अनुबंध व्यापार के सामान्य क्रम में और आमने–सामने बातचीत के आधार पर किया गया था।	शून्य
2.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (धारक कंपनी)	एनएसआईसी को भुगतान किया गया किराया (करों को छोड़कर)		किराया रु. 5.93 लाख		

ह./–
(विपुल गोयल)
अध्यक्ष
डीआईएन नं. : 10229523

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11 दिसंबर, 2023

कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट

एनवीसीएफएल हमेशा कॉरपोरेट गवर्नेंस की सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करने के लिए समर्पित है। एनवीसीएफएल अपनी पहली योजना यानी आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड के माध्यम से इक्विटीध्अर्ध–इक्विटीध्इक्विटी जैसे संरचित उपकरणों के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को विकास पूंजी प्रदान कर रहा है। सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर जारी दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप एक रिपोर्ट निदेशक की रिपोर्ट के एक भाग के रूप में नीचे दी गई है, साथ ही अनुपालन के संबंध में एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी दिया गया है। कॉर्पोरेट प्रशासन के प्रावधान.

1. निदेशक मंडल

एनवीसीएफएल राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। एसआरआई फंड योजना एनवीसीएफएल की पहली योजना है। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा अनुमोदित आत्मनिर्भर भारत निधि दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी के पास एक स्वतंत्र बोर्ड होगा जिसमें सीएमडी एनएसआईसी इसके अध्यक्ष, दो सरकारी नामित निदेशक, एक एनएसआईसी नामित निदेशक और एक पेशेवर सीईओ होंगे।

31 मार्च, 2023 को बोर्ड में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे:

क्र. सं.	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)	निदेशक का नाम	पदनाम
1	09331424	सुश्री मर्सी एपाओ	अध्यक्ष
2	09661006	डॉ. इशिता गागुंली	निदेशक
3	06789077	श्री अतीश कुमार सिंह	निदेशक
4	09769378	श्री सरवण कुमार अनणथन	निदेशक एण्ड सीईओ

सुश्री मर्सी एपाओ 30 जून, 2023 तक अध्यक्ष और निदेशक के रूप में कार्यभार संभाल रही थीं।

एसआरआई दिशानिर्देशों के संदर्भ में, श्री विपुल गोयल को 6 जुलाई, 2023 से कंपनी के पदेन अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।

2. निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान और आज तक निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:–

क) श्री विपुल गोयल को 06 जुलाई 2023 से कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।

ख) श्री गौरव गुलाटी को 14 जून 2023 से कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

ग) सुश्री मर्सी एपाओ 30 जून, 2023 तक अध्यक्ष और निदेशक के रूप में कार्यभार संभाल रही थीं।

घ) श्री गौरांग दीक्षित को दिनांक 1 अगस्त, 2022 से कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। उनके पास अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख यानी 31 दिसंबर, 2022 तक एनवीसीएफएल के अध्यक्ष का प्रभार है।

ङ) श्री सरवण कुमार अनणथन को कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी हैं।

च) डॉ. इशिता गांगुली त्रिपाठी को 8 जुलाई, 2022 से श्री राजीब कुमार सेन के स्थान पर एनवीसीएफएल के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशकों में से एक के रूप में नियुक्त किया गया है।

छ) श्री. पी. उदयकुमार को 20 जून, 2022 को कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि, अर्थात 31 जुलाई, 2022 तक एनवीसीएफएल के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है।

ज) 23 सितंबर 2021 को श्रीमती अल्का नांगिया अरोड़ा को कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने 20 जून, 2022 तक एनवीसीएफएल के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है।:

3. बोर्ड के बैठकों की संख्या, बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल की सात (7) बैठकें आयोजित की गईं। i) 8 जुलाई, 2022, ii)

28 जुलाई, 2022, iii) 19 अक्टूबर, 2022, iv) 16 दिसंबर, 2022, v) 17 जनवरी, 2023 और vi) 30 जनवरी, 2023 और vii) 16 मार्च, 2023.

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, निदेशक मंडल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति और निदेशकों द्वारा आयोजित अन्य निदेशकों की संख्या का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	बोर्ड बैठक			31 मार्च, 2023 तक अन्य निदेशकों की संख्या (एनवीसीएफएल के अतिरिक्त)
		कार्यकाल के दौरान आयोजित	बोर्ड की बैठकों की संख्या जिसमें भाग लिया गया	16/12/2022 को आयोजित एजीएम में उपस्थिति	
1.	सुश्री मर्सी एपाओ	3	3	लागू नहीं	एनएसआईसी, डीएसआईआईडीसी और आईटीपीओ
2.	श्री गौरांग दीक्षित	4	4	हां	एनएसआईसी
3.	श्री पी. उदयकुमार	2	2	लागू नहीं	एनएसआईसी
4.	डॉ. इशिता जी. त्रिपाठी	7	7	हां	वैश्विक नवप्रवर्तन एवं प्रौद्योगिकी गठबंधन (जीआईटीए) दिनांक 15.3.2022 से
5.	श्री अतीश कुमार सिंह, निदेशक	7	6	हां	लागू नहीं
6.	श्री सरवण कुमार अनणथन	5	5	हां	लागू नहीं

4. निदेशकों का पारिश्रमिक

श्री सरवण कुमार अनणथन को छोड़कर सभी निदेशक कंपनी से किसी भी पारिश्रमिक के हकदार नहीं हैं, क्योंकि वे होल्डिंग कंपनी में अपने पदेन पदों के अनुसार निदेशक पद संभाल रहे हैं और/या एमएसएमई मंत्रालय द्वारा नामित हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान भुगतान किये गये पारिश्रमिक का विवरण इस प्रकार है:–

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सरवण कुमार अनणथन दिनांक 17.10.2022 से 31.03.2023 (लाख रुपये में)
1	सकल वेतन (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार)	17.38
2	भंडार विकल्प	-
3	उद्यम इक्विटी	-
4	लाभ के % के रूप में कमीशन; अन्य (निर्दिष्ट करें	-
5	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें (नियोक्ता पीएफ और पेंशन पर निर्भर है)	7.40
	कुल	**24.78**

5. लेखा परीक्षा समिति की बैठक

यह कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 की उप–धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी मापदंड के अंतर्गत नहीं आती है, इसके लिए एक लेखा परीक्षा समिति के गठन की कोई आवश्यकता नहीं है।

6. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

चूंकि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उप–धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी मापदंड के अंतर्गत नहीं आती है, इसलिए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व ("सीएसआर") समिति का गठन करने की आवश्यकता नहीं है।

7. संबंधित पक्षकारों के साथ अनुबंधों और व्यवस्थाओं का विवरण

वित्तीय वर्ष के दौरान, संबंधित पक्षों के साथ व्यवस्थाएँ/लेन–देन व्यापार के सामान्य क्रम में और आमने–सामने के आधार पर थे। कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसार निर्धारित प्रपत्र एओसी–2 में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) में संदर्भित संबंधित पक्ष के लेनदेनों और अनुबंधों या व्यवस्थाओं के प्रकटीकरण बोर्ड की रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

8. सामान्य निकाय की बैठक

कंपनी के गठन के बाद से आयोजित कंपनी की वार्षिक आम बैठकों का विवरण इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	तारीख	समय	कार्यक्रम का सीन	विशेष व्यवसाय (यदि कोई हो)
2021-22	16/12/2022	प्रातः 11.00 बजे	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय	क) कंपनी के निदेशक के रूप में अतिरिक्त निदेशक, डॉ. इशिता जी. त्रिपाठी (डीआईएन–09661006) का नियमितीकरण। ख) कंपनी के निदेशक के रूप में अतिरिक्त निदेशक, श्री सरवण कुमार अनणथन (डीआईएन नंबर–09769378) का नियमितीकरण।
2020-21	26/11/2021	प्रातः 11.00 बजे		कंपनी के निदेशक के रूप में अतिरिक्त निदेशक, सुश्री अलका नांगिया अरोड़ा (डीआईएन नंबर–03165567) का नियमितीकरण।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान सदस्यों की कोई असाधारण आम बैठक आयोजित नहीं की गई।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक आम बैठक 11 दिसंबर, 2023 को आयोजित की जाएगी।

9. कारपोरेट सुशासन संबंधी सरकारी उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुपालन के विवरण

केंद्र सरकारी क्षेत्र उद्यमों के लिए कारपोरेट सुशासन संबंधी सरकारी उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं का कंपनी द्वारा विधिवत पालन किया गया है। इस बारे में मैसर्स कुमार वाधवा एण्ड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिवों द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र इस रिपोर्ट के साथ "अनुबंध –I" के रूप में संलग्न है, जिसमें कारपोरेट सुशासन संबंधी सरकारी उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अधीन निर्धारित शर्तों के अनुपालन की पुष्टि की गई है।

10. कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ

इस रिपोर्ट में प्रकटीकरण यदि कोई हो के अलावा, कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले ऐसे कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हैं, जो कंपनी के उस वित्तीय वर्ष के अंत, जिनसे वित्तीय विवरण संबंधित हैं और जिस तारीख की यह रिपोर्ट है, के बीच हुई हों।

ह./–
(विपुल गोयल)
अध्यक्ष
डीआईएन नं. : 10229523

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11 दिसंबर, 2023

कॉरपोरेट सुशासन अनुपालन प्रमाण-पत्र

सेवा में,

सदस्यगण

एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड

रजि. पताः एनएसआईसी ओखला इंडस्ट्रीयल एस्टेट फेज–III

नई दिल्ली–110020

हमने, भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए केंद्र सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईज) के लिए कॉरपोरेट सुशासन संबंधी दिशानिर्देशों में उल्लिखित, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के संबंध में **एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड,** सीआईएनः U65990DL2020GOI368828 के कॉरपोरेट सुशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार तथा प्रबंधकवर्ग द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने उक्त दिशानिर्देशों में उल्लिखित कॉरपोरेट सुशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

कॉरपोरेट सुशासन प्रणाली की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच, भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय, सरकारी उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए केंद्र सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कॉरपोरेट सुशासन संबंधी दिशानिर्देशों में उल्लिखित कॉरपोरेट सुशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अंगीकृत प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन की समीक्षा करने तक सीमित थी। यह न तो कंपनी के वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा है और न ही इन पर राय की कोई अभिव्यक्ति।

हम यह भी उल्लेख करते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन, न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में या उस दक्षता या प्रभावकारिता के बारे में कोई आश्वासन है, जिससे प्रबंधक वर्ग ने कंपनी के कारोबार का संचालन किया है।

कृते कुमार वाधवा एण्ड कंपनी
कंपनी सचिव

ह./–
(पीसीएस संजय कुमार)
प्रबंधन साझेदार
सदस्यता सं.: 9211
सी.पी. सं.: 7027
यूडीआईएनः एफ009211ई001714475

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 7 नवंबर, 2023

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्य

एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड

वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

हमने, **एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड** ('कंपनी') के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2023 को यथास्थिति तुलन–पत्र और उसी तिथि को समाप्त लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन विवरण और नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों सहित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ और ऐसी अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल हैं ('वित्तीय विवरण')।

हमारे अभिमत में और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त उक्त वित्तीय विवरण, यथा अपेक्षित तरीके से, कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') द्वारा अपेक्षित सूचना देते हैं और 31 मार्च, 2023 को यथास्थिति निगम के कारोबार की, उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, सहित इसकी हानियों इक्विटी में परिवर्तन तथा इसके नकदी प्रवाह की, भारत में आमतौर पर स्वीकार किए गए अन्य लेखाकंन मानकों के अनुरूप सच्ची और सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

मूल अभिमत

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानक (एसए) के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियाँ में वर्णित हैं। हम, नैतिकता अपेक्षाओं, जो अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा से सुसंगत हैं, के साथ–साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी की गई नैतिकता संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं और नैतिकता संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियाँ पूरी की हैं। हम विश्वास करते हैं कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किया है, वह हमारी मूल अभिमत उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और समुचित है।

महत्वपूर्ण विषय

हम, वित्तीय विवरणों पर नोट 35 की ओर भी ध्यान आकर्षित करते हैं, जो एक एआईएफ योजना के रूप में एसआरआई निधि की स्थापना के संबंध में तथ्यों की व्याख्या करता है, जो कंपनी द्वारा शुरू की गई है और एक अलग उपक्रम है स्वतंत्र वित्तीय ऑडिट के अधीन और वित्तीय विवरणों में वर्णित राशि की भी व्याख्या करती है जो संबंधित अंशदाताओं द्वारा एसआरआई निधि में अंशदान के रूप में प्राप्त की गई थी, लेकिन ऐसी राशि जो कंपनी के बैंक खाते में प्राप्त हुई थी।

उपर्युक्त मामले के संबंध में हमारा अभिमत सीमित नहीं है।

वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अलावा सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य सूचना में, बोर्ड रिपोर्ट के अनुबंधों सहित बोर्ड रिपोर्ट में शामिल की गई सूचना शामिल है परंतु इसमें वित्तीय विवरण और उन पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में अन्य सूचना शामिल नहीं की गई है और हम उस पर किसी भी रूप में कोई आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी, ऊपर पहचान की गई अन्य सूचना को पढ़ना है और ऐसा करने में, यह विचार करना कि क्या अन्य सूचना एकल अकेले वित्तीय विवरणों के या लेखापरीक्षा में प्राप्त की गई हमारी जानकारी के साथ सारवान रूप से असंगत है या अन्यथा सारवान रूप से गलत विवरण देने के रूप में प्रतीत होती है। यदि जो कार्य हमने किया है, यदि उसके आधार पर हम यह निष्कर्ष देते हैं कि इस अन्य सूचना का कोई सारवान मिथ्या विवरण है तो हमारे लिए उस तथ्य की सूचना देना आवश्यक है। इस संबंध में हमें कुछ भी सूचित नहीं करना है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियाँ

ये वित्तीय विवरण, जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकंन मानकों सहित भारत में आमतौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य–निष्पादन, की सही और सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा करने के लिए और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमिताओं का पता लगाने और उनकी रोकथाम के लिए, समुचित लेखांकन नीतियों के चयन और अनुप्रयोग ऐसे निर्णय लेने और अनुमान लगाने, जो तर्कसंगत और विवेकपूर्ण हों, ऐसे उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिज़ाइन, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण,

जो वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए सुसंगत लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और परिपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रचालरत हों, जो सच्ची और सही तस्वीर प्रस्तुत करते हों और सारवान मिथ्याकथन, चाहे धोखाधड़ी के कारण या गलती के कारण, से मुक्त हों, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड का रखरखाव भी शामिल है।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन एक चलते रहने वाले प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखे जाने की कंपनी की योग्यता का मूल्यांकन करने, चलते रहने वाले प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों के प्रकटीकरण, जैसा लागू हो और लेखांकन के चलते रहने वाले आधार का उपयोग करने, जब तक प्रबंधन के परिसमापन करने की या प्रचालन बंद करने की मंशा न रखे या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई अन्य वास्तविक विकल्प न हो, के लिए भी जिम्मेदार है।

यह निदेशक मंडल, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियाँ

हमारे उद्देश्य, इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या पूरे वित्तीय विवरण, सारवान मिथ्याकथन से मुक्त हैं, चाहे वे धोखाधड़ी के कारण हों या गलती के कारण और लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना है, जिसमें हमारा अभिमत शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन, आश्वासन का एक उच्च स्तर है परंतु यह गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा, सदैव किसी सारवान मिथ्या कथन का पता लगा लेगी, जब यह मौजूद हो। मिथ्या कथन, धोखाधड़ी या गलती से उत्पन्न हो सकता है और उसे सारवान तभी माना जाता है यदि अलग–अलग या स्वीकृत रूप से उनसे, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक विषयों को प्रभावित करने की संभावना हो।

लेखांकन मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय का उपयोग करते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संदेह बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों के सारवान मिथ्या कथन के जोखिमों की पहचान करना और उनका मूल्यांकन करना, चाहे वे धोखाधड़ी के कारण हों या गलती के कारण और, इन जोखिमों के प्रति लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ तैयार करना और लागू करना तथा ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना, जो हमारे अभिमत के लिए एक आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और समुचित है। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप किसी सारवान मिथ्या कथन का पता न लगाए जाने का जोखिम गलती के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम की तुलना में उच्चतर होता है, क्यों कि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूकें, मिथ्य निरूपण या आंतरिक नियंत्रणों का अधिक्रमण शामिल हो सकता है।
- ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ तैयार करने की दृष्टि से, जो परिस्थितियों में समुचित हों, लेखापरीक्षा से सुसंगत आंतरिक नियंत्रण की समझबूझ प्राप्त करना। कंपनी अधिनियम की धारा 143 (3)(i) के अंतर्गत, हम इस पर भी अपना अभिमत व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं कि क्या निगम के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और उन नियंत्रणों का प्रचालनरत प्रभावीपन मौजूद हैं।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के चल रहे प्रतिष्ठान आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष देना और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह पता लगाना कि क्या घटनाओं या शर्तों से संबंधित कोई सारवान अनिश्चितता मौजूद है, जो चल रहे प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखे जाने की निगम की योग्यता पर महत्त्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सारवान अनिश्चितता मौजूद है तो हमारे लिए यह आवश्यक होगा कि हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में, वित्तीय विवरणों में संबंधित विगोपनों की ओर ध्यान आकर्षित करें या यदि ये प्रकटीकरण हमारा अभिमत संशोधित करने के लिए अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भावी घटनाएँ या स्थितियाँ निगम के लिए चल रहे प्रतिष्ठान के रूप में जारी न रहने का कारण बन सकती हैं।
- प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण, संरचना और विषय–वस्तु का मूल्यांकन करना और क्या वित्तीय विवरण, किसी ऐसे तरीके से, जो उचित प्रस्तुतिकरण प्राप्त करता है, से अंतर्निहित लेन–देनों और घटनाओं को प्रदर्शित कर रहा है।

हम अन्य मामलों के साथ–साथ लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा आंतरिक नियंत्रण में किसी महत्त्वपूर्ण कमी, जिसका पता हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान लगाते हैं, सहित सारवान लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में अभिशासन के प्रभार वाले व्यक्तियों के साथ पत्र–व्यवहार करते हैं।

हम अभिशासन के प्रभार वाले व्यक्तियों को एक विवरण भी उपलब्ध कराते हैं, जो हमने स्वतंत्रता के संबंध में सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं के साथ संकलित किया है और उनके साथ पत्र व्यवहार करने के लिए सभी संबंध और अन्य मामले, जो हमारी स्वतंत्रता के संबंध में तर्क संगत समझे जाते हैं और जहाँ लागू हों, संबंधित रक्षोपाय भी उपलब्ध कराते हैं।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. जैसाकि अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (11) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') द्वारा अपेक्षित है, हम उक्त आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर लागू सीमा तक एक विवरण "अनुबंध–क" देते हैं।

2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम लागू सीमा तक यह सूचित करते हैं कि:

   (क) हमने वे सभी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक थे।

   (ख) हमारे अभिमत में कंपनी ने कानून द्वारा यथा अपेक्षित उचित लेखा–बहियाँ रखी गई हैं, जैसाकि लेखा–बहियों की जांच करने से हमें पता चला है।

   (ग) इस रिपोर्ट से संबंधित अन्य व्यापक आय सहित तुलन–पत्र, लाभ और हानि विवरण इक्विटी में परिवर्तन विवरण नकद प्रवाह विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

   (घ) हमारे अभिमत में, वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक (Ind AS), जैसा भी लागू हो, का अनुपालन करते हैं।

   (ङ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या सा. का. नि. (जीएसआर) 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, इस अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान इस कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।

   (च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों के प्रचालनात्मक प्रभावीपन के संबंध में अनुबंध–ख के रूप में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें;

   (छ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) के अनुसार, अधिनियम की धारा 197 के उपबंध, एक सरकारी कंपनी होने के कारण, इस कंपनी पर लागू नहीं होते।

   (ज) अधिनियम की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार रिपोर्ट के संबंध में, अनुबंध–ग में हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें;

   (झ) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षकों) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे अभिमत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

      i. कंपनी में कोई ऐसे लंबित मुकदमे नहीं है जिनका वित्तीय स्थिति पर प्रभाव होगा।

      ii. कंपनी के पास व्युत्पत्ति संविदाओं सहित कोई ऐसी दीर्घावधि संविदा नहीं था, जिनके लिए कोई महत्त्वपूर्ण अनुमानित हानियाँ थी।

      iii. कोई ऐसी राशियाँ नहीं थीं, जिन्हें कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाना अपेक्षित था।

      iv. पिछले वर्ष के लिए घोषित लाभांश के संबंध में कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान भुगतान किया गया अंतिम लाभांश कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के अनुसार है, यह लाभांश के भुगतान पर लागू होता है।

      जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट 37 में कहा गया है, कंपनी के निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव दिया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। घोषित लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है, यह लाभांश की घोषणा पर लागू होता है।

      v. (क) प्रबंधन ने दर्शाया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा कोई भी धनराशि उन्नत या उधार या निवेश नहीं की गई है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी प्रकार के फंड से)

या विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थ") सहित किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं में, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो, कि मध्यस्थ यह करेगा:

- प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों अथवा संस्थाओं में ("अंतिम लाभार्थियों") उधार देगा या निवेश करेगा; अथवा
- अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई प्रतिभूति प्रदान करेगा।

(ख) प्रबंधन ने प्रतिवेदित किया है, कि अपने सर्वोत्तम संज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से कोई धन प्राप्त नहीं किया गया है, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("वित्त पोषक पार्टियां") शामिल हैं, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में प्रलेखित किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी:

- प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वित्त पोषक पार्टियों द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों अथवा संस्थाओं में ("अंतिम लाभार्थियों") उधार देगा या निवेश करेगा; अथवा
- अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई प्रतिभूति प्रदान करेगा

(ग) ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जैसा कि उन परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि उपखंड (डी)(i) और (डी)(ii) के तहत अभ्यावेदन में शामिल किसी भी सामग्री व विषयवस्तु में कोई गलत या त्रुटिपूर्ण उल्लेख किया गया हो।

vi. कंपनी (खाता) नियम, 2014 के नियम 3(1) के प्रावधान के अनुसार लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके खाते की किताबें बनाए रखने के लिए जिसमें ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करें) को रिकॉर्ड करने की सुविधा है, 1 अप्रैल 2023 से लागू है, नियम के तहत रिपोर्टिंग कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 का 11(जी) 31 मार्च 2023 का समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

देवन्द्र कुमार जैन एण्ड एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 007799एन

ह./–
सीए डी.के. जैन
साझेदार
सदस्यता सं. : 083417
यूडीआईएन: 23083417बीजीएक्सएचसीजे2856

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.08.2023

31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड के सदस्यों को हमारी स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में उल्लिखित अनुबंध क

उपरोक्त वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 पर रिपोर्ट

(i) (क) (क) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण संबंधी मात्रात्मक विवरणों और अवस्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए समुचित प्रलेखों का अनुरक्षण किया है।

(ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अमूर्त संपत्तियों का पूर्ण विवरण दर्शाते हुए समुचित प्रलेखों का अनुरक्षण किया है।

(ख) जैसा कि हमें स्पष्टीकरण दिया गया है, प्रबंधन द्वारा अपनाए गए सत्यापन के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार, अवधि के दौरान प्रबंधन द्वारा स्थिर परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन किया गया है, जो हमारे अभिमत में, उचित अंतरालों पर सभी स्थिर परिसंपत्तियों को वास्तविक सत्यापन उपलब्ध कराता है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार इस सत्यापन पर कोई सारवान विसंगति जानकारी में नहीं आई है।

(ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी के स्वामित्व में कोई अचल संपत्ति नहीं है।

(घ) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के प्रलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति का पूर्नमूल्यांकन नहीं किया है।

(ङ) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के प्रलेखों की हमारी जांच के आधार पर, बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 और इसके अधीन बनाए गए नियम के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही प्रक्रियाधीन या लंबित नहीं है।

(ii) (क) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के व्यवसाय में कोई भौतिक माल–सूची शामिल नहीं है और तदनुसार आदेश के अनुच्छेद 3 (ii) (ए) में निर्दिष्ट आवश्यकताएं कंपनी पर लागू नहीं होती हैं।

(ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के प्रलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को वर्तमान संपत्तियों की प्रतिभूति सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3 (ii) (बी) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(iii) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के प्रलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारों या किसी अन्य पक्ष को कोई गारंटी या प्रतिभूति सुरक्षा प्रदान नहीं की है।

कंपनी ने एक निधि में निवेश किया है और ऐसी निधि को एक प्रतिभूति–रहित ऋण प्रदान किया है, जिसके संबंध में:

(क) हमारे द्वारा की गई ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी के एक निदेशक को अग्रिम राशि प्रदान की है। कंपनी ने वर्ष के दौरान उन्हें उपलब्ध कराए गए परिवहन के लिए वसूली के कारण 0.12 लाख रुपये की अग्रिम राशि दी है और समीक्षाधीन अवधि के अंत तक 0.12 लाख रुपये की शेष राशि बकाया है। वर्ष के दौरान किसी अन्य पार्टी को कोई अन्य ऋण या अग्रिम नहीं दिया गया है।

(ख) हमारी राय में, एसआरआई फंड में किए गए निवेश, भारत सरकार और कंपनी की होल्डिंग कंपनी (द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) के साथ कंपनी द्वारा स्थापित पहली एआईएफ योजना, एसआरआई फंड में योगदानकर्ता के रूप में और अग्रिम अनुदान निदेशक के प्रति, प्रथम दृष्टया, कंपनी के हित के प्रति प्रतिकूल नहीं हैं।

(ग) कंपनी द्वारा दिए गए ऋण के संबंध में, मूलधन के पूर्नभुगतान और ब्याज के भुगतान की कोई विशिष्ट अनुसूची निर्धारित नहीं की गई है।

(घ) कंपनी द्वारा दिए गए ऋणों के संबंध में, तुलन पत्रों की तिथि के अनुसार कोई अतिदेय राशि बकाया नहीं है।

(ङ) कंपनी द्वारा दिया गया कोई भी ऋण, जो वर्ष के दौरान देय हो गया है, का नवीनीकरण या विस्तार नहीं किया गया है, या उसी पार्टी को दिए गए मौजूदा ऋणों के अतिदेय को निपटाने के लिए कोई नए ऋण नहीं दिए गए हैं।

(च) जैसा कि ऊपर अनुच्छेद (iii)(क) में उल्लिखित है, कंपनी के निदेशक और संबंधित पक्ष श्री सरवण कुमार अनणथन को 0.12 लाख रुपये की अग्रिम राशि दी है। संबंधित अनुषंगी पार्टी को इस तरह का अग्रिम, मांग पर चुकाने योग्य है और यह कंपनी द्वारा दिए गए कुल ऋण या अग्रिम के सौ प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है। किसी भी प्रमोटर को कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया गया है और ऐसी किसी भी पार्टी को कोई ऋण और अग्रिम नहीं दिया गया है जहाँ चुकौती की शर्तें या अवधि निर्दिष्ट नहीं है।

(iv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने ऋणों, निवेशों, गारंटियों और प्रतिभूतियों के संबंध में लागू होने की सीमा तक, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के उपबंधों का पालन किया है।

(v) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013 धारा 73 से 76 तक के उपबंधों और अन्य सुसंगत उपबंधों तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में यथा उल्लिखित कोई जमा राशियाँ स्वीकार नहीं की हैं। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(v) कंपनी पर लागू नहीं होता।

(vi) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, केन्द्र सरकार ने, कंपनी द्वारा किए गए क्रियाकलापों में से किसी क्रियाकलाप के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप–धारा (1) के अंतर्गत लागत रिकार्डों का रखरखाव विनिर्धारित नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(vi) लागू नहीं है।

(vii) (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के रिकार्डों को हमारी जांच के आधार पर, आय कर और अन्य सारवान सांविधिक देय धनराशियों सहित अवविवादित सांविधिक देय धनराशियों के संबंध में लेखा बहियों में काटी गई/उपर्जित धनराशियाँ आमतौर पर कंपनी द्वारा समूचित प्राधिकरणों के पास नियमित रूप से जमा की गई हैं।

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, 31 मार्च, 2023 को यथास्थिति कोई अविवादित भुगतानयोग्य धनराशियाँ, भुगतान योग्य होने की तारीख से 6 महीने से अधिक की अवधि तक बकाया नहीं थी।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, ऐसे आयकर, बिक्रीकर, वस्तु एवं सेवाकर और उप–कर सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और मूल्य वृद्धित कर कोई देय धनराशि नहीं है, जो किसी विवाद के कारण समुचित प्राधिकरणों के पास जमा नहीं की गई हैं।

(viii) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के प्रलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने आय कर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में किसी भी लेनदेन को वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्यर्पण या खुलासा नहीं किया है, जो पहले खाता बहियों में आय के रूप में दर्ज नहीं किया गया था।

(ix) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसारः

(क) कंपनी ने किसी भी ऋणदाता से कोई ऋण या अन्य उधार नहीं लिया है। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3(ix)(क) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

(ख) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान, या सरकार, या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा

जानबूझकर या इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और वर्ष की शुरुआत में कोई बकाया सावधि ऋण नहीं है और इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3(ix)(ग) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

(घ) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, अल्पावधि के आधार पर जुटाई गई धनराशि का, प्रथम दृष्टया तौर पर, कंपनी द्वारा दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए, वर्ष के दौरान उपयोग नहीं किया गया है।

(ङ) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, कंपनी ने सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के किसी भी दायित्व को पूरा करने के लिए किसी भी इकाई, फर्म या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है।

(च) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है और इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(च) पर रिपोर्टिंग कंपनी लागू नहीं है।

(x) (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने इस अवधि के दौरान सार्वजनिक प्रस्ताव या अगला सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण निवेशों सहित) आरंभ करके कोई धनराशि नहीं जुटाई। तदनुसार आदेश का पैरा 3(x)(क) कंपनी पर लागू नहीं होता।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के प्रलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने इस अवधि के दौरान शेयरों का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी तौर पर नियोजन या पूर्ण या आंशिक या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(x)(ख) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(xi) (क) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस अवधि के दौरान कंपनी पर या कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई अथवा प्रतिवेदित नहीं की गई है।

(ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (12) के तहत कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 13 के अधीन निर्दिष्ट प्रपत्र एडीटी–4 में केंद्र सरकार कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

(ग) जैसा कि प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किया गया है, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई मुखबिर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(xii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(xii) कंपनी पर लागू नहीं होता।

(xiii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी पर लागू होने वाली सीमा तक अधिनियम की धारा 177 और 188 का अनुपालन किया है और ऐसे लेनदेनों के ब्यौरे, लागू होने वाले लेखाकंन मानकों द्वारा यथा अपेक्षित, वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए हैं।

(xiv) (क) हमारे अभिमत में और हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के पास आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली नहीं है और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली रखे जाने की आवश्यकता नहीं है।

(ख) हमारे अभिमत में और हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के पास लेखापरीक्षा की जाने वाली अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली मौजूद नहीं थी और तदनुसार किसी आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार नहीं किया गया है।

(xv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 द्वारा कवर किए गए निदेशकों या उनसे संबंधित व्यक्ति के साथ कोई गैर–नकदी लेनदेन नहीं किए हैं।

(xvi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से एक वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) की स्थापना के लिए प्रमाण पत्र दिनांक 1 सितंबर 2021 के माध्यम से आवश्यक नियामक अनुमोदन प्राप्त कर लिया है और मास्टर निर्देश – आरबीआई अधिनियम 1934 के प्रावधानों से छूट के अनुसार, जैसा कि समय–समय पर अद्यतन किया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक ने विशेष रूप से (एआईएफ) को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ

पंजीकरण से छूट दी है। तदनुसार, अनुच्छेद 3 (xvi) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(xvii) कंपनी को चालू वित्त वर्ष में कोई नकद घाटा नहीं हुआ है।

(xviii) वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है।

(xix) वित्तीय अनुपात, काल प्रभावान और वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रापण तथा वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तारीखों के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी व निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी के अनुसार और समर्थक साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जो हमें यह विश्वास दिलाता है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की तिथि के अनुसार कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है और जो यह दर्शाता हो कि कंपनी तुलन पत्रों की तिथि पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है तथा जब कभी वे तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय हो जाते हैं। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के संबंध में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे उल्लेख करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं, कि तुलन पत्रों की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा, जब कभी भी वे देय हों, अदायगी कर दी जाएगी।

(xx) हमारे अभिमत में और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अधिनियम की धारा 135 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(xx) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

देवन्द्र कुमार जैन एण्ड एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 007799एन

ह./–
सीए डी.के. जैन
साझेदार
सदस्यता सं. : 083417

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.08.2023

31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए एनएसआईसी वेंचर कैपीटल लिमिटेड के सदस्यों को हमारी स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में उल्लिखित अनुबंध ख

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2023 तक "कंपनी" की स्थिति के अनुसार एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतारिक वित्तीय नियंत्रणों रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की उस तारीख को समाप्त वर्ष के कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ मिलाकर लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में प्रबंधक–वर्ग की जिम्मेदारी

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा संबंधी दिशा–निर्देश टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए कंपनी का प्रबंधक–वर्ग जिम्मेदार होता है। इस जिम्मेदारी में ऐसा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार करना, लागू करना और बनाए रखना भी शामिल है जो इसके कारोबार का विधिवत और प्रभावी रूप से संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहा हो। इसमें निगम की नीतियों, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, कपट और त्रुटि का निवारण तथा पता लगाना, लेखाकरण अभिलेखों की यथार्थता और पूर्णता तथा अधिनियम के अधीन अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार करना भी शामिल है।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित कंपनी के आंतारिक वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक टिप्पणी ("मार्गदर्शक टिप्पणी") तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा, दोनों पर प्रयोज्य सीमा तक लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित माने जाने वाले भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार की है। इन मानकों और मार्गदर्शक टिप्पणी द्वारा यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखापरीक्षा का नियोजन इस प्रकार करें, जिनसे यह उपयुक्त आश्वासन प्राप्त हो कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण स्थापित किए गए हैं और उनका संचालन किया गया एवं क्या ऐसे नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उसकी प्रचालन प्रभावोत्पादकता के बारे में लेखापरीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएँ अपनाना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करने, जोखिम, जिनसे महत्त्वपूर्ण हानि होती है, का निर्धारण तथा निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय प्रणाली की प्रचालन प्रभावोत्पादकता की जांच तथा मूल्यांकन एवं निरूपण शामिल है। चयन की प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षणों के निर्णयों पर आधारित होती हैं, जिनमें वित्तीय विवरणों की महत्त्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी हो या त्रुटि हो, के जोखिमों का निर्धारण भी शामिल करना है।

हम विश्वास करते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त किया है, वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की हमारी लेखापरीक्षा की अर्हक मूल अभिमत उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और समुचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से तात्पर्य

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन देने और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए बनाई गई है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो (1) अभिलेखों को उचित विवरणों, यथार्थता से बनाए रखने से संबंधित हों और जिनमें निगम की परिसंपत्तियों के लेन–देन या निपटान को सही तरीके से दर्शाया गया हो, (2) इस संबंध में उचित आश्वासन दे कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आवश्यक लेन–देनों को दर्ज किया गया है और कंपनी की प्राप्तियों और व्यय को निगम के प्रबंधक वर्ग और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही किया जाता है और (3) अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग

या निगम की परिसंपत्तियों के निपटान का निवारण करने या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन देता है, जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएँ

प्रबंधन की मिलीभगत की संभावना या अनुचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रण अधिभावी करने सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाओं से त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्त्वपूर्ण मिथ्या कथन किया जा सकता हो और जिसका पता नहीं लग पाया हो, शामिल है। इसके अलावा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर किसी मूल्यांकन को भविष्य में दर्शाना, जिससे जोखिम हो सकता है और जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में बदली हुई स्थितियों में अपर्याप्त हो सकता है या जिनसे नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा में गिरावट आ सकती हो।

अभिमत

हमारे अभिमत में, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों हेतु वित्तीय विवरणों के संदर्भ में एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, 31 मार्च 2023 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे और जो इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर वित्तीय प्रतिवेदन हेतु मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय विवरण मानदंड के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण पर आधारित हैं।

देवन्द्र कुमार जैन एण्ड एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 007799एन

ह./–
सीए डी.के. जैन
साझेदार
सदस्यता सं. : 083417

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.08.2023

31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए एनएसआईसी वेंचर कैपीटल लिमिटेड के सदस्यों को हमारी स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में उल्लिखित अनुबंध ग

31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड के वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर रिपोर्ट।

क्र. सं.	निर्देश	उत्तर
I	क्या कंपनी में सभी लेखांकन लेन–देन आईटी प्रणाली के जरिए प्रोसेस करने की प्रणाली विद्यमान है? यदि हाँ तो वित्तीय प्रभावों, यदि कोई हैं, के साथ–साथ लेखाओं के एकीकरण पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन–देनों की प्रसंस्करण के प्रभावों का उल्लेख किया जाए।	हाँ, कंपनी में सभी लेखांकन लेन–देन आईटी प्रणाली के जरिए प्रोसेस करने के लिए प्रणाली विद्यमान है। कंपनी लेखांकन के लिए टेली, सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहा है। लेखापरीक्षा प्रक्रिया के आधार पर और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार आईटी प्रणाली के बाहर कोई लेखांकन लेन–देन प्रोसेस नहीं किया गया है/ना ही बाहर लेकर गए हैं।
II	क्या ऋण की अदायगी के लिए कंपनी की देयता के कारण, कंपनी को ऋणदाताओं द्वारा दिए गए कर्जों/ऋणों/ब्याज आदि की छूट/बट्टेखाते डालने के मामलों या मौजूद ऋण की कोई पुनर्संरचना की गई है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव का उल्लेख किया जाए।	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर किसी मौजूदा ऋण या कंपनी ने इस अवधि के दौरान ऋण दाताओं से कोई ऋण स्वीकार नहीं किया है।
III	क्या केंद्र/राज्य सरकार की एजेंसियों से विशिष्ट स्कीमों के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों को उचित ढंग से लेखे में लिया गया है/शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार उनका उपयोग किया गया है? विपथन के मामलों की सूची दें।	हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और प्रलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को 12 अक्टूबर 2021 के योगदान समझौते के अनुसार, एसआरआई फंड में अपने योगदान के रूप में केंद्र सरकार से धनराशि प्राप्त हुई है। एसआरआई फंड की ओर से कंपनी द्वारा किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति को छोड़कर, इसका समुचित लेखा–जोखा रखा है और एक अलग बैंक खाते में रखा गया है तथा तुलन–पत्र की तिथि के अनुसार इसका उपयोग नहीं किया गया है।

देवन्द्र कुमार जैन एण्ड एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 007799एन

ह./–
सीए डी.के. जैन
साझेदार
सदस्यता सं. : 083417

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.08.2023

अनुपालन संबंधी प्रमाणपत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड के 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लेखाओं की लेखापरीक्षा की है और प्रमाणित किया जाता है कि हमने, हमें जारी किए गए सभी निर्देशों/उप–निर्देशों का पालन किया है।

देवन्द्र कुमार जैन एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या : 007799एन

ह./–
सीए डी.के. जैन
साझेदार
सदस्यता सं. : 083417
यूडीआईएनः 23083417बीजीएक्सएचसीजे2856

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.08.2023

टिप्पणियाँ, जो 31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

टिप्पणी – 1 : कॉरपोरेट सूचना एवं लेखांकन का आधार

क. कंपनी सूचना

एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड ('एनवीसीएफएल' या 'कंपनी'), एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है, जो भारत में अवस्थित है और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत 28 अगस्त, 2020 को निगमित की गई है। कंपनी भारत सरकार के एक उद्यम राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड ('एनएसआईसी'), के अंतर्गत एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और इसका पंजीकृत कार्यालय एनएसआईसी भवन, ओखला औद्योगिक एस्टेट, फेस–III, नई दिल्ली–110020 (भारत) में स्थित है। दिनांक 1 सितंबर 2021 से, एनवीसीएफएल को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') के साथ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक निवेश कोष) विनियम, 2012 ('विनियम') के तहत आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड ("योजना" या "निधि") नामक इसकी पहली योजना के लिए श्रेणी II वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में पंजीकृत किया गया और पंजीकरण संख्या IN/AIF2/21-22/0924 प्राप्त हुई है। इस योजना में भारत सरकार, एनएसआईसी और कंपनी इसके योगदानकर्ता हैं और इसे एक अलग 'एसोसिएशन ऑफ पर्सन' (व्यक्तियों का संघ) के रूप में माना गया है। इस योजना का उद्देश्य इक्विटी, अर्ध–इक्विटी और ऋण के माध्यम से एमएसएमई को विकास पूंजी के रूप में सहायता के प्रावधान के लिए संतति/अनुषंगी निधियों (डॉटर फंड) को वित्त पोषण सहायता प्रदान करना है।

ख. लेखांकन का आधार

I. अनुपालन कथन

कंपनी अधिनियम, 2013 ("एक्ट") के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय लेखाकरण मानकों का अनुपालन करते हुए वित्तीय विवरण तैयार किया जाएगा। यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियमावली 2015 और इस अधिनियम के अन्य संबन्धित प्रावधानों का अनुपालन करते हुए भारतीय लेखाकरण मानकों का निर्धारण अधिनियम के अनुच्छेद 133 अंतर्गत किया गया है।

II. तैयार करने और प्रस्तुत करने का आधार

भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण एक चल रहे प्रतिष्ठान के रूप में उपार्जित आधार पर और ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत तैयार किए गए हैं, सिवाय कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों के और वित्तीय देयताओं, जिन्हें सुसंगत भारतीय लेखांकन मानकों के अंतर्गत यथापेक्षित रिपोर्ट की प्रत्येक तिथि के अंत में उचित मूल्य पर मापा जाता है। इन नीतियों को वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों / समय के लिए लगातार लागू किया गया है।

हालांकि, मास्टर निदेश – आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों से छूट के अनुसार कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ गैर–बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकरण से छूट दी गई है, जैसा कि समय–समय पर अद्यतन किया जाता है, दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए अपने वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III की डिवीजन III का पालन किया है। डिवीजन III एनबीएफसी पर लागू होता है जैसा कि कंपनियों (भारतीय लेखा मानक नियम) 2015 में परिभाषित किया गया है, जिसमें उद्यम पूंजी निधि कंपनियाँ शामिल हैं और कंपनी को एआईएफ की स्थापना के विशिष्ट उद्देश्य के साथ एक उद्यम पूंजी निधि कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है।

III. निर्णयों और अनुमानों का उपयोग

कम्पनी की लेखांकन नीतियों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधन से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे अनुमान लगाएगा और कल्पना करेगा, जो वित्तीय विवरणों की तिथि को यथास्थिति आकस्मिक देयताओं के विगोपन और परिसंपत्तियों तथा देयताओं की रिपोर्ट की गई धनराशियों, रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान राजस्व और खर्चों की धनराशि तथा वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों को प्रभावित करेगा। हालांकि ये अनुमान प्रबंधन की

वर्तमान कार्यक्रमों और कार्यवाहियों की सर्वोत्तम जानकारी पर आधारित हैं, परंतु वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों में किए गए किसी संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें ये परिणाम स्पष्ट हो जाएँ।

IV. महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान और प्रबंधन निर्णय

लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग में, कम्पनी के प्रबंधन से यह अपेक्षा की जाती है कि वह परिसंपत्तियों और देयताओं की लागत धनराशियों के बारे में निर्णय करे, अनुमान लगाए और कल्पना करें, जो अन्य स्रोतों से आसानी से स्पष्ट न हो सके। ये अनुमान और कल्पनाएँ ऐतिहासिक अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित है, जिन्हें सुसंगत माना जाता है। लेखांकन नीतियाँ, जिनका वित्तीय विवरणों में मान्यता दी गई धनराशियों पर सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, लागू करने में उपयोग किए गए अनुमान, अनिश्चितता और महत्त्वपूर्ण निर्णयों के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में सूचना नीचे दी गई है:

- **संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) अमूर्त परिसंपत्तियाँ:** परिसंपत्तियों के स्वरूप, परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोग, परिसंपत्ति की परिचालनात्मक स्थिति, प्रतिस्थापन के पिछले इतिवृत्त और अनुरक्षण सहायता को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट की गई प्रत्येक तिथि को पीपीईज और अमूर्त परिसंपत्तियों के अवशिष्ट मूल्य और अनुमानित उपयोगी जीवनकाल का मूल्यांकन किया जाता है। समीक्षा करने पर प्रबंधन, मूल्यह्रास/मौद्रिकीकरण के परिकलन के लिए दिया गया उपयोगी जीवनकाल और अवशिष्ट मूल्य स्वीकार करता है।

- **आय कर:** भुगतान की जाने वाली प्रत्याशित धनराशि/अनिश्चित कर स्थितियों के लिए वसूल की गई धनराशि सहित आय कर के लिए प्रावधान निर्धारित करने में अनुमान शामिल होते हैं। स्थगित कर परिसंपत्ति का मूल्यांकन करने के लिए प्रत्याशित भावी लाभप्रदाता के संबंध में निर्णय लिए जाते हैं।

- **वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि:** व्यापार प्राप्य और ऋण और अग्रिम सहित वित्तीय साधनों की हानि का मूल्यांकन, प्रत्याशित हानि और चूक के जोखिम के बारे में लगाए गए अनुमानों के आधार पर किया जाता है। हानिकरण के परिकलन के लिए इनपुट का चयन, अनुमान, पिछले इतिवृत्त, बाजार स्थितियों और रिपोर्ट की जाने वाली प्रत्येक तिथि के अंत में भावी अनुमानों पर विचार करते हुए प्रबंधन के निर्णय पर आधारित है।

- **गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों का हानिकरण (पीपीई):** गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों के हानिकरण का मूल्यांकन उन परिसंपत्तियों की वसूलीयोग्य धनराशि के अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। वसूलीयोग्य धनराशि का परिकलन करने में उपयोग किए गए अनुमान प्रबंधन के निर्णय पर आधारित होते हैं।

- **सुनिश्चित लाभ योजनाएं और अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ:** वर्तमान में, कंपनी में केवल एक कर्मचारी है, परिभाषित लाभ योजना की लागत और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ और ऐसे दायित्व का वर्तमान मूल्य स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित किया जाता है। बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ बनाना शामिल होता है जो वास्तविक से भिन्न हो सकती हैं। प्रबंधन का मानना है कि छूट दर, भविष्य में वेतन वृद्धि, मृत्यु दर और नौकरी छोड़ने की दर के निर्धारण में बीमांकिक द्वारा उपयोग की गई धारणा उचित है।

- **वित्तीय विलेखों का उचित मूल्य मापन:** जब वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्यों के आधार पर नहीं मापे जा सकते तो ऐसी स्थिति में प्रबंधन इसके उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए अन्य

मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करता है। ये तकनीकें लागू करने के लिए इनपुट, जहां कही संभव हो, अवलोकनयोग्य बाजारों से प्राप्त किए जाते हैं, परंतु जहाँ ऐसा करना व्यवहार्य नहीं है, उचित मूल्य स्थापित करने में निर्णय का उपयोग किया जाता है। इन निर्णयों में परिशोधन जोखिम, क्रेडिट जोखिम और सचलता जैसे इनपुटों पर विचार शामिल हैं।

- **प्रावधान और आकस्मिकताएँ:** अन्य प्रावधानों की मान्यता और मापन, संसाधनों के बहिर्वाह की संभाव्यता के मूल्यांकन और रिपोर्टिंग की तिथि को ज्ञात परिस्थितियों तथा पिछले अनुभव पर आधारित होते हैं। इसलिए, भविष्य की किसी तिथि को संसाधनों का वास्तविक बहिर्वाह, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमानित आंकड़ों से भिन्न हो सकता है।

- **निधि द्वारा व्यय की प्रतिपूर्ति:** निधि द्वारा किए गए खर्चों हेतु निधि में से प्रतिपूर्ति की गई राशि, जो निधि की ओर से कंपनी द्वारा वहन की जाती है, निधि दस्तावेजों के अनुसार, निधि के व्यय के सापेक्ष उचित व्यय खाते की प्रस्तुति के 30 (तीस) कैलेंडर दिनों के भीतर, जो उपयुक्त चालान और/या रसीदों द्वारा समर्थित हो, एनवीसीएफएल की विधिवत प्रतिपूर्ति की जाती है और इसे कंपनी के बही खातों में समायोजित किया जाता है।

V. कार्यात्मक और प्रस्तुतिकरण मुद्रा

ये भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण भारतीय रुपयों, जो भारत की मुद्रा है और कम्पनी की कार्यात्मक मुद्रा है।

टिप्पणी – 2 : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने में लागू की गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का एक साथ जो नीचे दिया गया है। वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत की गई सभी अवधियों के लिए निरंतर लागू किया गया है।

2.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) – मूर्त पीपीईज

2.1.1 आरंभिक मान्यता और मापन

I. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मदों को आरंभतः लागत आधार पर मान्यता दी जाती है। उत्तरवर्ती मापन से संचित मूल्यह्रास, पट्टा समाप्ति समायोजन और संचित हानिकरण हानियाँ, यदि कोई हैं। घटाकर निकाली गई लागत पर मापन किया जाता है। उक्त लागत में ऐसा व्यय शामिल है जो प्रत्यक्षतः परिसंपत्ति को स्थान तक लाने और इसके अभीष्ट उपयोग के लिए आवश्यक कार्य स्थिति में लाने के कारण हुआ है।

II. जब पीपीई की किसी मद के भागों का उपयोगी जीवनकाल भिन्न होता है तो उन्हें ऐसे संघटकों का पता लगाकर अलग से मान्यता जाती है।

III. उक्त लागत में ऐसा व्यय शामिल है जो प्रत्यक्षतः परिसंपत्ति को स्थान तक लाने और इसके अभीष्ट उपयोग के लिए आवश्यक कार्य स्थिति में लाने के कारण हुआ है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की विनिर्दिष्ट मद के प्रत्यक्षतः कारण उधार लेने की लागतें (उधार ली गई निधियों, यदि कोई हो, के अस्थायी निवेश पर आय घटाने के पश्चात) उन मदों के प्रति पूंजीकृत की जाती है।

2.1.2 उत्तरवर्ती लागतें

उत्तरवर्ती खर्च को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत धनराशि में वृद्धि के रूप में मान्यता दी जाती है, जब यह संभावना हो कि लगाई गई लागत से प्राप्त होने वाले भावी आर्थिक लाभ उद्यम में प्राप्त होंगे और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत विश्वसनीय ढंग से मापी जा सकती है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी मद के प्रतिस्थापन भाग की लागत को उस मद की लागत धनराशि में मान्यता दी जाती है, यदि यह संभावना हो कि उस भाग के अंदर शामिल भावी आर्थिक लाभ कम्पनी को प्राप्त

होंगे और इसकी लागत विश्वसनीय ढंग से मापी जा सकती है। प्रतिस्थापित भाग की लागत धनराशि का विमान्यताकरण कर दिया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की दिन–प्रतिदिन की सर्विसिंग की लागतों को लाभ या हुई हानि में मान्यता दी जाती है।

2.1.3 विमान्यताकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को विमान्यताकृत कर दिया जाता है, जब उनके उपयोग से या उनके निपटान पर किसी भावी आर्थिक लाभ की आशा न हो। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी मद के निपटान पर हुए लाभ और हानियाँ संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत धनराशि के साथ निपटान से प्राप्त धनराशि की तुलना करके निर्धारित किए जाते हैं और इन्हें लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.1.4 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का हानिकरण

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण को हानिकृत के रूप में माना जाता है, जब परिसंपत्तियों की रखाव लागत इसकी वसूलीयोग्य धनराशि से अधिक हो हानिकृत हानि को उस वर्ष में लाभ एवं हानि विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है जिस वर्ष में परिसंपत्ति की पहचान हानिकृत के रूप में की गई हो और संपत्ति की लागत धनराशि इसकी वसूलीयोग्य धनराशि से घटा दी गई हो, जब तक संबंधित परिसंपत्ति पूर्नमूल्यकृत धनराशि पर लाई गई हो, जब हानिकृत हानि को पुनर्मूल्यांकन कमी के रूप में माना गया हो। यदि ऐसा कोई संकेत मिलता है कि पहले मूल्यांकन किया गया हानिकरण हानि अब मौजूद नहीं है तो ऐसी स्थिति में वसूलीयोग्य धनराशि का पूर्नमूल्याकन किया जाता है और परिसंपत्ति को वसूलीयोग्य धनराशि के रूप मे दर्शाया जाता है।

2.1.5 मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास

I. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग ग में विनिर्दिष्ट उपयोगी जीवनकाल के अनुसार, मोबाइल फोन उपकरण को छोड़कर मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है।

क्र. सं.	परिसंपत्तियों के स्वरूप	उपयोगी जीवन	दर	अवशिष्ट मूल्य
1	कंप्यूटर, लैपटाप और प्रोसेसिंग यूनिट्स	3 वर्ष	31.67%	मूल लागत का 5%
2	मोबाइल फोन उपकरण	3 वर्ष	33.33%	रु. 1/–
3	कार्यालय उपकरण	10 वर्ष	9.50%	मूल लागत का 5%

II. वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) से घटावों/अभिवृद्धियों पर मूल्यह्रास उस तिथि, जिसको परिसंपत्ति उपयोग/निपटान के लिए उपलब्ध है, से/तक यथा अनुपात आधार पर प्रभारित किया जाता है।

III. 0.10 लाख रूपये तक की लागत की परिसंपत्तियाँ, अवशिष्ट मूल्य के रूप में मूल लागत का 5% रखने के पश्चात खरीद के वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रासित की जाती है, सिवाय मोबाइल फोन उपकरण के, जहाँ 1 रूपये को अवशिष्ट मूल्य के रूप में रखा जाता है।

IV. 0.10 लाख से अधिक मूल्य के मोबाइल फोन उपकरण, अवशिष्ट मूल्य के रूप में 1/– रुपया रखने के पश्चात, उस वर्ष, जिसमें यह प्राप्त किया गया था, से आरंभ करके प्रबंधन के अनुसार उनके उपयोगी जीवन के अनुमान पर विचार करते हुए 3 वर्ष की अवधि में मूल्यह्रासित किया जाता है।

2.2 अमूर्त संपत्तियाँ

2.2.1 प्रारंभिक मान्यता और माप

निगम द्वारा अर्जित की गई अमूर्त संपत्ति, जिनका सीमित उपयोगी जीवनकाल है, किसी भी इकाई द्वारा प्रतिपूर्ति की गई किसी भी लागत से कम के रूप में लागत के आधार पर मान्यता दी जाती

हैं। बाद में माप लागत, कम संचित परिशोधन और संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, के आधार पर किया जाता है। लागत में ऐसे कोई भी प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार आकस्मिक व्यय भी शामिल है, जो संपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा, यदि कंपनी द्वारा अमूर्त आस्तियों के विकास द्वारा खर्च की गई राशि की किसी भी इकाई द्वारा पूरी तरह से प्रतिपूर्ति की जाती है, तो अमूर्त परिसंपत्तियों को उसके अस्तित्व को दर्ज करने के लिए खातों की पुस्तकों में रु. 1 के नाममात्र मूल्य पर दर्ज किया जाता है।

2.2.2 अनुवर्ती लागतें

बाद के अनुवर्ती व्यय को परिसंपत्ति की वहन राशि में वृद्धि के रूप में माना जाता है, जब यह संभव हो कि भविष्य में होने वाली लागत से प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभ उद्यम में प्रवाहित होंगे और वस्तु की लागत को उसके टिकाऊपन के आधार पर मापा जा सकता है।

2.2.3 विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियाँ

कंपनी द्वारा किए गए व्यय जो विशेष रूप से एक अमूर्त परिसंपत्ति के विकास के लिए समर्पित हों और यदि इसमें भारतीय लेखांकन मानक 38 का अनुपालन किया जाता है और विकास पूरा होने पर इनमें मान्यता और माप मानदंडों को पूरा करने की संभावना है तो इसे ''विकास के तहत अमूर्त संपत्ति'' के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। कंपनी ने एआईएफ के संचालन के लिए सेबी से एक नियामक अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया पर खर्च किया है और सभी प्रत्यक्ष रूप से समर्पित खर्च, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक लाभ की संभावना है, को पूंजीकृत किया गया है और विकास के तहत अमूर्त संपत्ति के रूप में प्रकट किया गया है और ऐसी संपत्ति सेबी अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि से परिशोधित होगी। इसके अलावा, यदि कंपनी द्वारा किए गए किसी भी राशि की प्रतिपूर्ति किसी भी संस्था द्वारा की जाती है, तो विकास के तहत अमूर्त संपत्ति की लागत को खाता बहियों में प्रतिपूर्ति की गई राशि के साथ समायोजित किया जाता है।

2.2.4 अमान्य किया जाना

एक अमूर्त परिसंपत्ति को तब अमान्य कर दिया जाता है, जब उनके उपयोग या उनके निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती है। अमूर्त संपत्ति की एक वस्तु के निपटान पर लाभ और हानि को अमूर्त परिसंपत्तियों की अग्रणी राशि के साथ निपटान से प्राप्त आय की तुलना करके निर्धारित किया जाता है और लाभ और हानि के विवरण में दर्ज किया जाता है।

2.3 राजस्व मान्यता

राजस्व प्राप्त किए गए और प्राप्तियोग्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर मापा जाता है। आय/राजस्व की सभी मदें और व्यय प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिए जाते हैं जहाँ नीचे उल्लिखित वसूली के बारे में निश्चित हो:

2.3.1 ब्याज आय

सावधि जमा पर ब्याज आय समय के आधार पर, बकाया मूलधन और लागू प्रभावी ब्याज दर के संदर्भ में अर्जित की जाती है, यह वो दर है जिस पर प्रारम्भिक पहचान के बाद उस परिसंपत्ति की निवल अग्रणीत राशि पर वित्तीय आस्तियों के अपेक्षित जीवनकाल के माध्यम से अनुमानित भावी नकद प्राप्ति को सटीक रूप से छूट देती है।

2.3.2 प्रबंधन शुल्क

भारत सरकार द्वारा जारी परिचालन दिशा–निर्देशों और निधि के योगदानकर्ताओं के साथ हस्ताक्षरित योगदान समझौते के अनुसार, एनवीसीएफएल द्वारा एक निवेश प्रबंधन शुल्क ('प्रबंधन शुल्क') प्राप्त किया जा सकता है। योगदान समझौते में निर्दिष्ट प्रतिशत के रूप में एनवीसीएफएल द्वारा प्राप्य प्रबंधन शुल्क, वास्तव में निधि के निपटान में रखी गई राशि से है।

2.3.3 व्यय की प्रतिपूर्ति

ऐसी राशि जो एसआरआई फंड की ओर से कंपनी द्वारा खर्च की जाती है, निधि के दस्तावेजों के अनुसार निधि द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है और यह लाभ और हानि खाते में जमा की जाती है।

2.3.4 व्यय का आवंटन

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यय प्रोद्भवन के आधार पर लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित किए जाते हैं।

2.4 कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभ में वेतन और मजदूरी, भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और अन्य टर्मिनल लाभ शामिल हैं।

(क) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभों में कर्मचारी लागत जैसे वेतन, भत्ते, वार्षिक अवकाश और बीमार अवकाश शामिल होते हैं जो उस वर्ष के दौरान अर्जित होते हैं जिसमें निगम के कर्मचारियों द्वारा संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

अल्पकालिक कर्मचारी लाभों के संबंध में मान्यता प्राप्त देनदारियों को संबंधित सेवाओं के बदले भुगतान किए जाने वाले अपेक्षित लाभों की बिना छूट वाली राशि पर मापा जाता है।

(ख) रोजगार के बाद के लाभ और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

(i) परिभाषित योगदान योजना

परिभाषित योगदान एक रोजगारोत्तर लाभ योजना है जहां निगम विभिन्न संगठनों में निश्चित योगदान का भुगतान करता है और आगे की राशि का भुगतान करने के लिए कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होगा। निगम द्वारा भविष्य निधि, पेंशन फंड और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) में किए गए योगदान को परिभाषित योगदान योजना के रूप में माना जाता है। वर्ष के दौरान भुगतान/देय ऐसे योगदान को उस वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

भविष्य निधि में योगदान का भुगतान एक अलग ट्रस्ट के माध्यम से प्रशासित निधि में किया जाता है और पेंशन निधि में योगदान ट्रस्ट के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान किया जाता है। पीआरएमबी के संबंध में, चिकित्सा कोष सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार बनाया जाता है जिसका उपयोग किया जाता है बीमा कंपनी को प्रीमियम का भुगतान।

(ii) परिभाषित लाभ योजना

एक परिभाषित लाभ योजना, परिभाषित अंशदान योजना के अलावा एक रोजगारोत्तर लाभ योजना है। ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण और अन्य कर्मचारियों के लाभ अर्थात् बीमारी की छुट्टी और टी.ए. के प्रति निगम की देनदारी। सेवानिवृत्ति पर, निगम द्वारा किए गए, परिभाषित लाभ योजना के तहत विचार किए जाते हैं।

ऐसी परिभाषित लाभ योजनाओं के तहत दायित्व का वर्तमान मूल्य अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

उपरोक्त मामलों के संबंध में बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार निर्धारित प्रकटीकरण नीचे दिया गया है: –

योजना देयता

(लाख रुपए में)

विवरण	सीवाई/ पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर
अवधि के अंत में यथास्थिति दायित्व का वर्तमान मूल्य	सीवाई	0.53	1.06	0.28	-
	पीवाई	0	0	0	0

सेवा लागत

(लाख रुपए में)

विवरण	सीवाई/ पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर
चालू सेवा लागत	सीवाई	0.53	1.06	0.28	-
	पीवाई	0	0	0	0
कटौती लाभों/ हानियों सहित पिछली सेवा लागत	सीवाई	0	0	0	0
	पीवाई	0	0	0	0
गैर–नैत्यक करारों पर लाभ या हानियाँ	सीवाई	0	0	0	0
	पीवाई	0	0	0	0
कुल सेवा लागत	सीवाई	0.53	1.06	0.28	-
	पीवाई	0	0	0	0

निवल ब्याज लागत

(लाख रुपए में)

विवरण	सीवाई/ पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर
सुनिश्चित लाभ दायित्व पर ब्याज लागत	सीवाई	0	0	0	0
	पीवाई	0	0	0	0
योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	सीवाई	0	0	0	0
	पीवाई	0	0	0	0
निवल ब्याज लागत (आय)	सीवाई	0	0	0	0
	पीवाई	0	0	0	0

लाभ दायित्व में परिवर्तन

(लाख रुपए में)

विवरण	सीवाई/ पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर
अवधि आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	सीवाई	0	0	0	0
	पीवाई	0	0	0	0
ब्याज लागत	सीवाई	0	0	0	0
	पीवाई	0	0	0	0
सेवा लागत	सीवाई	0.53	1.06	0.28	-
	पीवाई	0	0	0	0
लाभ/हानि मे कटौती सहित पिछली सेवा लागत	सीवाई	0	0	0	0
	पीवाई	0	0	0	0

(लाख रुपए में)

विवरण	सीवाई/ पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर
भुगतान किए गए लाभ	सीवाई	0	0	0	0
	पीवाई	0	0	0	0
दायित्व पर कुल बीमांकिक (लाभ)/ हानि	सीवाई	0	0	0	0
	पीवाई	0	0	0	0
अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	सीवाई	0.53	1.06	0.28	-
	पीवाई	0	0	0	0

दायित्व पर बीमांकिक लाभ/हानि का अलग–अलग विवरण

(लाख रुपए में)

विवरण	सीवाई/ पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर
जनसांख्यिकीय अनुमान में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/ हानि	सीवाई	0	0	0	0
	पीवाई	0	0	0	0
वित्तीय अनुमान में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/ हानि	सीवाई	0	0	0	0
	पीवाई	0	0	0	0
अनुभव समायोजन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/ हानि	सीवाई	0	0	0	0
	पीवाई	0	0	0	0

तुलन–पत्र और संबंधित विश्लेषण

(लाख रुपए में)

विवरण	सीवाई/ पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर
अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	सीवाई	0.53	1.06	0.28	-
	पीवाई	0	0	0	0
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
तुलन–पत्र में अनिधिकृत देयता/ प्रावधान	सीवाई	(0.53)	(1.06)	(0.28)	-
	पीवाई	0	0	0	0

आय विवरण में मान्यताप्राप्त धनराशियाँ

(लाख रुपए में)

विवरण	सीवाई/ पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर
कुल सेवा लागत	सीवाई	0.53	1.06	0.28	-
	पीवाई	0	0	0	0
निवल ब्याज लागत	सीवाई				
	पीवाई	0	0	0	0
अवधि में मान्यताप्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि	सीवाई				
	पीवाई	0	0	0	0
आय विवरण में मान्यताप्राप्त व्यय	सीवाई	0.53	1.06	0.28	-
	पीवाई	0	0	0	0

अन्य व्यापक आय (ओसीआई)

(लाख रुपए में)

विवरण	सीवाई/ पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर
आरंभिक निवल संचयी गैर–मान्यताप्राप्त बीमांकिक लाभ/(हानि)	सीवाई	0	0	0	0
	पीवाई	0	0	0	0
पीबीओ पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)	सीवाई	0	0	0	0
	पीवाई	0	0	0	0
परिसंपत्ति पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)	सीवाई	0	0	0	0
	पीवाई	0	0	0	0
अवधि के लिए गैर–मान्यताप्राप्त बीमांकिक लाभ/(हानि)	सीवाई	0	0	0	0
	पीवाई	0	0	0	0

निवल सुनिश्चित लाभ दायित्व में परिवर्तन

(लाख रुपए में)

विवरण	सीवाई/ पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर
अवधि के आरंभ में निवल सुनिश्चित लाभ देयता	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-

(लाख रुपए में)

विवरण	सीवाई/ पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर
अधिग्रहण समायोजन	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
कुल सेवा लागत	सीवाई	0.53	1.06	0.28	-
	पीवाई	0	0	0	0
निवल ब्याज लागत (आय)	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
पूर्नमापण	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
निधि में भुगतान किया गया अंशदान	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
उद्यम द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भुगतान किया गया लाभ	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
अवधि के अंत में निवल सुनिश्चित लाभ देयता	सीवाई	0.53	1.06	0.28	-
	पीवाई	0	0	0	0

वर्तमान और गैर–वर्तमान में वर्ष के अंत में पीबीओ का द्विभाजन

(लाख रुपए में)

विवरण	सीवाई/ पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर
वर्तमान देयता (एक वर्ष के भीतर राशि)	सीवाई	0.005	0.07	0.04	0
	पीवाई	0	0	0	0
गैर–वर्तमान देयता (एक वर्ष से अधिक राशि)	सीवाई	0.52	0.99	0.24	-
	पीवाई	0	0	0	0
वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	सीवाई	0.53	1.06	0.28	-
	पीवाई	0	0	0	0

अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए प्रत्याशित अंशदान

(लाख रुपए में)

विवरण	सीवाई/ पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर
सेवा लागत	सीवाई	1.31	2.57	0.68	-
	पीवाई	0	0	0	0

(लाख रुपए में)

विवरण	सीवाई/ पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर
निवल ब्याज लागत	सीवाई	0.04	0.08	0.02	-
	पीवाई	0	0	0	0
अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए प्रत्याशित व्यय	सीवाई	1.35	2.65	0.70	-
	पीवाई	0	0	0	0

बीमांकिक मूल्यांकन के लिए उपयोग किए गए प्रधान अनुमान निम्नलिखित हैं:

(लाख रुपए में)

विवरण	2022–23	2021–22
उपयोग की गई पद्धति	अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति	अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति
बट्टा दर	7.38%	लागू नहीं
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ की प्रत्याशित दर	0	लागू नहीं
भावी वेतन में वृद्धि	5.50%	लागू नहीं
मर्त्यता दर	100 प्रतिशत आईएएलएम (2012-14)	लागू नहीं
आयु (आहरण दर) (प्रतिशत)		लागू नहीं
30 वर्ष तक	3	लागू नहीं
31 से 44 वर्ष तक	2	लागू नहीं
44 वर्ष से अधिक	1	लागू नहीं

सुनिश्चित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता

(लाख रुपए में)

विवरण	सीवाई/ पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी
बट्टा दर में परिवर्तन का प्रभाव				
अवधि के अंत में दायित्व को वर्तमान मूल्य	0.53	1.06	0.28	
0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	(.008)	(0.015)	(.004)	-
0.50 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	0.007	0.016	0.04	-
वेतन की वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव				
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य				
0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	0.53	1.06	0.28	-
0.50 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	0.008	0.016	(0.004)	-
बट्टा दर में परिवर्तन का प्रभाव	(0.008)	(0.016)	0.004	-

सुनिश्चित लाभ दायित्व की परिपक्वता रूपरेखा

(लाख रुपए में)

विवरण	सीवाई/ पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी
0 से 1 वर्ष	0.005	0.007	0.004	0
1 से 2 वर्ष	0.005	0.002	0.005	0
2 से 3 वर्ष	0.005	0.002	0.005	0
3 से 4 वर्ष	0.003	0.79	0.20	0
4 से 5 वर्ष	0.46	0.06	0.002	0
5 से 6 वर्ष	0.001	0.03	0.01	0
6 वर्ष से आगे	0.003	0.09	0.01	0

2.5 कराधान

अवधि के खर्चों में, चालू कर और आस्थापित कर शामिल होते हैं। कर को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय उस सीमा तक, जिस सीमा तक यह अन्य व्यापक आय या प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित है, जहाँ कर को अन्य व्यापक आय या इक्विटी में भी मान्यता दी जाती है।

2.5.1 वर्तमान कर

वर्तमान कर लागू होने वाली कर दरों और आय कर अधिनियम, 1961 तथा लागू होने वाले अन्य कर कानूनों के अनुसार यथानिर्धारित वर्ष के लिए करयोग्य आय पर भुगतानयोग्य कर है।

2.5.2 आस्थगित कर

आस्थगित कर को, वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देयताओं की रखाव धनराशियों के बीच अस्थायी अंतरों के संबंध में मान्यता दी जाती है और तदनुसार धनराशियों का उपयोग, कराधान उद्देश्य के लिए किया जाता है।

I. आस्थगित कर देयताओं को आमतौर पर, सभी करयोग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है।

II. आस्थगित कर परिसंपत्तियों को आमतौर पर, केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जिस सीमा तक यह संभावना हो कि भावी करयोग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके प्रति परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकता है।

III. आस्थगित कर परिसंपत्तियों की रखाव धनराशि की समीक्षा, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है और उस सीमा तक घटा दिया जाता है, जिस सीमा तक अब यह संभावना न हो कि संबंधित कर लाभ प्राप्त हो जाएंगे।

2.6 प्रति शेयर अर्जन

उस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से इक्विटी शेयरधारकों से संबंधित शुद्ध लाभ या हानि को विभाजित करके प्रति शेयर मूल आय की गणना की जाती है। कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या, साथ ही इक्विटी शेयरों की उस भारित औसत संख्या जो मूल कंपनी के इक्विटी शेयरों में सभी संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी की जाएगी, से विभाजित करके प्रति शेयर नकदी आय की गणना की जाती।

2.7 नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी में, हस्तगत नकदी, हस्तगत चेक/ड्राफ्ट, बैंकों में मांग जमा राशियाँ आदि शामिल होती हैं। कम्पनी, नकदी समतुल्य को, सभी अल्पावधि शेषों अत्याधिक अस्थिर निवेशों,

जो नकदी की ज्ञात धनराशियों में तत्काल परिवर्तित हैं और जो मूल्य परिवर्तनों के नगण्य जोखिम के अधीन हों, के रूप में मानती है।

2.8 नकदी प्रवाह विवरण

"नकदी प्रवाह विवरण", भारतीय लेखांकन मानक–7 नकदी प्रवाह विवरण में यथाविनिर्धारित अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करके, रिपोर्ट किए जाते हैं।

2.9 प्रावधान और आकस्मिक देयताएँ

2.9.1 प्रावधान

किसी प्रावधान को उस समय मान्यता दी जाती है, जब किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप कम्पनी का कोई वर्तमान दायित्व (विधिक या रचनात्मक) हो, यह संभव है कि आर्थिक लाभों को शामिल करने वाले संसाधनो बहिर्वाह के लिए इस दायित्व का निपटान करना आवश्यक होगा और दायित्व की धनराशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर इन अनुमानों की समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाने के लिए इन्हें नियोजित किया जाता है।

2.9.2 आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

I. एक आकस्मिक दायित्व एक संभावित दायित्व है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है जिसका अस्तित्व कंपनी के नियंत्रण अथवा किसी ऐसे वर्तमान दायित्व जिसका महत्व नहीं है, से परे भविष्य की एक या अधिक अनिश्चित घटनाओं अथवा घटना के बिना पुष्टि की जाएगी क्योंकि इस बात की संभावना नहीं है कि दायित्वों को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह (आउटफ्लो) की आवश्यकता होगी। आकस्मिक दायित्व भी अत्यंत दुर्लभ मामलों में उत्पन्न होता है, जहाँ ऐसी देयता होती है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इसे विश्वसनीय रूप से नहीं मापा जा सकता है। कंपनी आकस्मिक दायित्व को स्वीकार नहीं करती है, लेकिन वित्तीय स्थिति में इसके अस्तित्व का खुलासा करती है जब तक कि संसाधनों के बहिर्वाह की बहुत कम संभावना हो।

II. वित्तीय विवरणों में आकस्मिक परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है। यदि आर्थिक लाभ का अंतर्वाह संभावित है, तो वित्तीय विवरणों में इसका खुलासा किया जाता है।

III. प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं, आकस्मिक परिसंपत्तियों और प्रतिबद्धताओं की समीक्षा की जाती है।

2.10 वित्तीय विलेख

वित्तीय विलेख, एक ऐसा अनुबंध है, जिससे किसी कम्पनी की वित्तीय संपत्ति और किसी अन्य कम्पनी की वित्तीय देयता या इक्विटी विलेख उत्पन्न होता है।

2.10.1 आरंभिक मान्यता और मापन

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को आरंभ में उचित मूल्य पर मापा जाता है, सिवाय व्यापार प्राप्यों के मामले में, जिसमें इन्हें लेन–देन के मूल्य पर मापा जाता है। लेन–देन लागतें, जो प्रत्यक्ष वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं (लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्ति के अलावा) के अर्जन या निर्गमन के कारण होती हैं, आरंभिक मान्यता पर, वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं, जैसा भी उपयुक्त हो, के उचित मूल्य में जोड़ दी जाती हैं या उनमें से घटा दी जाती हैं। एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्ति के अर्जन के कारण प्रत्यक्षत लेन–देन लागतों को लाभ एवं हानि विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है।

2.10.2 वित्तीय परिसंपत्तियाँ

I. उत्तरवर्ती मापन

वित्तीय संपत्तियों में नकद और नकद समकक्ष, नकद और नकद समकक्षों के अलावा बैंक शेष, ऋण और अग्रिम, प्राप्य निवेश और अर्जित ब्याज लेकिन देय

नहीं हो आदि शामिल हैं। मापन, उस उद्देश्य, जिसके लिए ये परिसंपत्तियां अर्जित की गई थीं, पर निर्भर करते हुए आरंभिक मान्यता पर किसी परिसंपत्ति का वर्गीकरण निर्धारित करता है।

उत्तरवर्ती मापन के उद्देश्य के लिए, वित्तीय परिसंपत्तियाँ, आरंभिक मान्यता पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत की जाती हैं:

- प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करके परिशोधित लागत पर
- लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर
- अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य (एफवीओसीआई) पर

एफवीटीपीएल पर परिसंपत्तियों के अलावा, अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियां, कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर हानिकरण हेतु समीक्षा के अधीन हैं।

क. परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ – कोई वित्तीय परिसंपत्ति, परिशोधित लागत पर मापी जाएगी, यदि निम्नलिखित शर्तों में से दोनों शर्तें पूरी की गई हों:

क) वित्तीय परिसंपत्ति किसी ऐसे व्यवसाय मॉडल के अंदर रखी गई हो, जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह प्राप्त करने की दृष्टि से वित्तीय परिसंपत्तियाँ रखना है।

ख) वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदात्मक शर्तें, विशेष तिथि को ऐसे नकदी प्रवाह उत्पन्न करना है, जो अनन्य रूप से मूलधन और मूलधन की बकाया धनराशि पर ब्याज के भुगतान हों।

आरंभिक मापन के पश्चात, ये वित्तीय परिसंपतियाँ बाद में प्रभावी व्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं। यह (ईआईआर) पद्धति किसी वित्तीय परिसंपति की लागत का परिकलन करने और सुसंगत अवधि में आप आबंटित करने की एक पद्धति है। प्रभावी ब्याज दर वह दर है जो वित्तीय परिसंपत्ति के प्रत्याशित जीवनकाल के जरिए या जहाँ उपयुक्त हो आरंभिक मान्यता पर निवल रखरखाव धनराशि की अपेक्षाकृत अवधि की प्रत्याशित भावी नकदी प्राप्तियों (भुगतान की गई या प्राप्त की गई सभी शुल्कों सहित, जो प्रभावी ब्याज दर, लेन–देन लागते और अन्य प्रीमियमों और छूट का एक अभिन्न अंग है) में सही–सही बट्टाकृत करती है।

कंपनी की नकदी और नकदी समतुल्य, तथा नकदी से भिन्न दूसरे बैंक बैलेंस तथा नकदी समतुल्य वित्तीय विलेखों की इस श्रेणी में आते हैं।

ख. अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर (एफवीटीओसीआई) – कोई वित्तीय परिसंपति अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर मापी जाएगी, यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी की गई हैं:

क) व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य, संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करके और वित्तीय परिसंपत्तियाँ बेचकर प्राप्त किया गया हो।

ख) परिसंपत्तियों की संविदात्मक शर्तें, विशिष्ट तिथि को ऐसे नकदी प्रवाह उत्पन्न करना है, जो अनन्य रूप से मूलधन और मूलधन की बकाया धनराशि पर ब्याज के भुगतान (एसपीपीआई) हैं।

ग) उचित मूल्य संचालनों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है और आरक्षित में संचित किया जाता है। वर्तमान में, एफवीटीओसीआई वर्गीकृत करने के लिए कोई विलेख नहीं है।

ग. **लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)** – कोई वित्तीय परिसंपत्ति, एफवीटीपीएल पर मापी जाती है, जब तक यह लाभ एवं हानि विवरण में माने गए उचित मूल्य में सभी परिवर्तनों के साथ परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई पर न मापी गई हो।

II. वित्तीय परिसंपत्तियों में हानिकरण

प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में कम्पनी साक्ष्य या सूचना, जो अनुचित लागत या प्रयास के बिना उपलब्ध हो, के आधार पर हानिकरण के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह (लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर रखी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा) की जांच करता है। प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का मूल्यांकन किया जाता है और हानिकरण क्षति को मान्यता दी जाती है, यदि वित्तीय परिसंपत्ति के क्रेडिट जोखिम में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है।

हानिकरण क्षतियों और प्रत्यावर्तनों को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अंतर्गत हानिकरण मॉडल, वित्तीय विलेखों पर लागू होता है, जो नीचे सूचीबद्ध हैं:

- वित्तीय परिसंपत्तियां, जो ऋण विलेख हैं, परिशोधित लागत पर मापी जाती है। जैसे बैंक शेष।

III. वित्तीय परिसंपत्तियों की विमान्यताकरण

वित्तीय परिसंपत्तियों का विमान्यताकरण तब किया जाता है जब वित्तीय परिसंपत्तियों से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाता है या परिसंपत्तियों से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के संविदात्मक अधिकार अंतरित कर दिए जाते हैं।

पूरी तरह किसी वित्तीय परिसंपत्ति के विमान्यकरण पर परिसंपत्ति की रखाव धनराशि और प्राप्त हुए या प्राप्तियोग्य प्रतिफल तथा संचयी लाभ या हानि, जिसे अन्य व्यापक आय और इक्विटी में संचित के रूप में मान्यता दी गई थी, की रकम के बीच के अंतर को लाभ एवं हानि के रूप में मान्यता दी जाती है, यदि ऐसे लाभ या हानि को उस वित्तीय परिसंपत्ति के निपटान पर लाभ एवं हानि विवरण में अन्यथा मान्यता दी गई हो।

2.10.3 वित्तीय देयताएं और इक्विटी विलेख

2.10.3.1 इक्विटी विलेख

इक्विटी विलेख ऐसा अनुबंध है जो किसी प्रतिष्ठान की सभी देनदारियों को हटाने के बाद उसकी परिसंपत्तियों में अवशिष्ट हित का प्रमाण देता है। प्रतिष्ठान द्वारा जारी किए गए इक्विटी विलेखों को प्राप्त आय पर, प्रत्यक्ष निर्गम लागतों के निवल पर मान्यता दी जाती है।

2.10.3.2 वित्तीय देयताएं

कम्पनी की वित्तीय देयताओं में व्यापार तथा अन्य भुगतानयोग्य सांविधिक बकाया शामिल होता है। सभी वित्तीय देयताओं को आरंभतः उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है।

I. उत्तरवर्ती मापन

क. **परिशोधित लागतों पर वित्तीय देयताएँ–** आरंभिक मापन के पश्चात ये वित्तीय परिसंपत्तियाँ बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं। लाभ और हानियों को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है जब ये देयताएं विमान्यताकृत कर दी गई हों और इन्हें ईआईआर परिशोधन की प्रक्रिया के जरिए मान्यता दी जाती है। परिशोधित लागत, किसी अधिग्रहण पर किसी बड़े या प्रीमियम और ऐसे शुल्कों या लागतों, जो ईआईआर का अभिन्न अंग है, को ध्यान में रखते हुए परिकलित की जाती है। ईआईआर परिशोधन को लाभ

एवं हानि विवरण में वित्तपोषण लागत के रूप में शामिल किया जाता है। यह श्रेणी आमतौर पर उधारों भुगतानयोग्य राशियों और अन्य संविदात्मक देयताओं पर लागू होती है।

ख. **लाभ एवं हानि विवरण के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं** में ट्रेडिंग के लिए रखी गई वित्तीय देयताएं और लाभ एवं हानि विवरण के जरिए उचित मूल्य पर आरंभिक मान्यता पर नामजद वित्तीय देयताएं शामिल हैं। उन वित्तीय देयताओं, जिनका निपटान 12 महीनों के अंदर किया जाना हो, के अग्रेनीत मूल्य को उसका उचित मूल्य माना जाता है।

II. **वित्तीय देयताओं का विमान्यकरण**

किसी वित्तीय देयता को उस समय विमान्यताकृत किया जाता है जब देयता के अंतर्गत दायित्व का निर्वहन कर दिया गया हो या रद्द कर दिया गया हो या उसकी अवधि समाप्त हो गई हो। जब कोई वर्तमान वित्तीय देयता उत्तरवर्ती भिन्न शर्तों या किसी वर्तमान देयता की शर्तों पर उसी ऋणदाता से अन्य ऋणदाता द्वारा प्रतिस्थापित कर दी जाती है तो उसे बाद में संशोधित कर दिया जाता है और इस प्रकार की अदला–बदली या संशोधन को मूल देयता का विमान्यकरण और नई देयता की मान्यता माना जाता है। संबंधित रखाव धनराशियों में आए अंतर को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.11 पट्टे

पट्टाकर्ता के रूप में कम्पनी

वर्तमान में, कंपनी के साथ पट्टेदार के रूप में कोई लीज (ऑपरेटिंग या फाइनेंस लीज) करार नहीं किया गया है।

पट्टेदार के रूप में कंपनी

कंपनी ने लीज पर ऑफिस स्पेस ले लिया है जिसके लिए लीज रेंटल भुगतान किया जाता है। ये पट्टा व्यवस्था आमतौर पर पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर नवीकरणीय होती है। भारतीय लेखा मानक–116 द्वारा निर्धारित पट्टेदार द्वारा लेखांकन निम्नानुसार है:

कंपनी परिसंपत्तियों को उपयोग करने के अधिकार और सभी पट्टा व्यवस्थाओं के लिए तदनुरूप पट्टा देयता को स्वीकार करती है, जिसमें इन्हें पट्टे पर दिया जाता है। लेकिन बारह महीने या कम (अल्पकालिक पट्टों) की अवधि के संबंध में यह पट्टा स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि बिना लिखित करार और कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टे को स्वीकार नहीं किया जाता है।

अल्पकालिक पट्टे बारह महीने या बारह महीने से अधिक के पट्टा करारों से कम के संबंध में यह पट्टा करार लागू नहीं होता है, क्योंकि कुछ नोटिस अवधि देकर किसी भी समय इन्हें रद्द किया जा सकता है।

मानक में कम मूल्य की परिसंपत्तियों की कोई सीमा नहीं बताई गई है, लेकिन इसमें टेबलेट्स, पर्सनल कंप्यूटर / लैपटॉप और पीपीई की छोटी मदें आदि जैसी कम मूल्य की परिसंपत्तियाँ शामिल होती हैं।

अल्पकालिक और कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के संबंध में कंपनी पट्टे की अदायगी को पट्टे की अवधि के संबंध में स्ट्रेट लाइन आधार पर प्रचालन व्यय के रूप में स्वीकार करती है।

परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार को प्रारंभ में लागत पर स्वीकार किया जाता है, जिसमें पट्टा देयता की आरंभिक राशि शामिल होती है, जो ऐसे पट्टे भुगतान के संबंध में समायोजित की जाती है। जो किसी पट्टा प्रोत्साहन की प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत से कम और पट्टे की तिथि से या उससे पहले अदा की जाती है। इनका मापन बाद में ऐसी कम लागत पर किया जाता है, जिसमें संचित मूल्यह्रास/ परिशोधन और हानियाँ शामिल होती हैं। परिसंपत्तियों के उपयोग का आधार भारतीय लेखांकन मानक 16–संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) के अनुसार कम किया जाएगा।

शुरू में पट्टे के दायित्व को भावी पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है। पट्टे के भुगतान पर बट्टा दिया जाता है। जिसमें पट्टे पर लागू ब्याज की दर या यदि ब्याज दर तत्काल सुनिश्चित न की जा सके, तो बढ़ोत्तरी वाली उधार की दर का प्रयोग करके तय की जाती है।

एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड

("एनएसआईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी")
पंजीकृत कार्यालयः एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज–III, नई दिल्ली–110020
(सीआईएन नंबरः यू65990डीएल2020जीओआई368828)

31.03.2023 के यथास्थिति तुलन–पत्र

(लाख रू. में)

क्र. सं.	विवरण	नोट संख्या	31.03.2022 को यथास्थिति		31.03.2021 को यथास्थिति	
	परिसंपत्तियां					
I	**वित्तीय परिसंपत्तियां**					
(क)	नकदी एवं नकदी समतुल्य	3	352.79		329.48	
(ख)	नकदी और नकदी के अलावा बैंक शेष	4	328.39		433.82	
(ग)	ऋण और अग्रिम	5	0.00		0.00	
(घ)	प्राप्य					
	(I) व्यापार प्राप्तियां – बिल नहीं की गई	6	0.19		1.25	
(ङ)	प्राप्य	7	28.36		8.91	
(च)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	8	621.09	1330.82	116.80	890.26
II	**गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां**					
	वर्तमान कर संपत्ति (शुद्ध)	9	61.11		0.00	
(क)	आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	10	11.28		11.80	
(ख)	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	11	3.45		0.68	
(ग)	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	11	0.00		0.00	
(घ)	विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	-	0.00		0.00	
(ङ)	अन्य गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां	12	0.00	75.84	0.83	13.31
	कुल परिसंपत्तियां			**1406.66**		**903.57**
	देयताएं और इक्विटी					
	देयताएं					
I	**वित्तीय देयताएं**					
(क)	**देय**	13				
	(I) व्यापार देय					
	(i) सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		0.00		0.00	
	(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		0.00		0.00	
(ख)	अन्य वित्तीय देयताएं	14	429.04	429.04	121.49	121.49
II	**गैर–वित्तीय देयताएं**					
(क)	वर्तमान कर देयताएं (निवल)	15	0.00		52.91	**52.91**
(ख)	वर्तमान कर देनदारियां (शुद्ध)	16	1.87	1.87		
	कुल देयताएं					**174.40**
III	**इक्विटी**					
(क)	इक्विटी शेयर पूंजी	17	600.00		600.00	
(ख)	**अन्य इक्विटी**	18	375.75	975.75	129.17	729.17
	कुल इक्विटी					
	कुल देयताएं और इक्विटी			**1406.66**		**903.57**
कॉर्पोरेट जानकारी का विवरण नोट 1 लेखांकन नीति नोट 2 संलग्न नोट वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा हैं		**1 से 39**				

इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
देवन्द्र कुमार जैन एण्ड एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं.: 007799एन

ह./–
डी के जैन
साझेदार
{ सदस्यता सं.: 083417}
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.08.2023
यूडीआईएन : 23083417बीजीएक्सएचसीजे2856

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड

ह./–
विपुल गोयल
अध्यक्ष
{ डीआईएन नं.: 10229523}

ह./–
सरवण कुमार अनणथन
निदेशक एण्ड सीईओ
{ डीआईएन नं.: 09769378}

ह./–
राजेश मदान
महाप्रबंधक

ह./–
आदर्श कुमार कंसल
मुख्य प्रबंधक (लेखा)

ह./–
निष्ठा गोयल
कंपनी सचिव
{ सदस्यता सं.: ए22768}

एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड

("एनएसआईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी")
पंजीकृत कार्यालयः एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज–III, नई दिल्ली–110020
(सीआईएन नंबरः यू65990डीएल2020जीओआई368828)

01.04.2022 से 31.03.2023 तक की अवधि के लिए लाभ और हानि का विवरण

(लाख रू. में)

क्र. सं.	विवरण	नोट संख्या	31.03.2023 को यथास्थिति	31.03.2022 को यथास्थिति
I	**प्रचालनों से राजस्व**	19	413.12	201.60
	प्रचालनों से कुल राजस्व		**413.12**	**201.60**
II	अन्य आय	20	39.78	69.37
III	**कुल आय (I+II)**		**452.90**	**270.97**
IV	**व्यय**			
	कर्मचारी लाभ व्यय	21	30.22	0.00
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	22	0.51	0.32
	अन्य व्यय	23	16.54	39.71
	कुल व्यय (IV)		**47.27**	**40.03**
V	**लाभ/(हानि) कर से पहले (III-IV)**		**405.63**	**230.94**
VI	**कर व्यय**			
	वर्तमान कर	24	102.00	55.25
	आस्थगित कर		0.53	-11.80
	पूर्व वर्ष कर		-0.56	-2.78
	कुल कर व्यय (VI)		**101.97**	**40.67**
VII	**वर्ष के लिए लाभ/(कर) (V-VI)**		**303.66**	**190.27**
VIII	**अन्य व्यापक आय**			
(क)	मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि के लिए वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		0.00	0.00
(ख)	**मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि के लिए वर्गीकृत किया जाएगा**		0.00	0.00
	कुल अन्य व्यापक आय (क + ख)		**0.00**	**0.00**
IX	**इस अवधि के लिए कुल व्यापक आय इस अवधि के लिए (VII + VIII) (सम्मिलित लाभ/हानि) और अन्य व्यापक आय**		**303.66**	**190.27**
X	**प्रति इक्विटी शेयर आय/(हानि)**	25		
	मूल (रु.)		50.61	31.71
	तनुकृत (रु.)		50.61	31.71
	संलग्न नोट वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा हैं	**1 से 39**		

इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
देवन्द्र कुमार जैन एण्ड एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं.: 007799एन

ह./–
डी के जैन
साझेदार
{ सदस्यता सं.: 083417}
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.08.2023
यूडीआईएन : 23083417बीजीएक्सएचसीजे2856

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड

ह./–
विपुल गोयल
अध्यक्ष
{ डीआईएन नं.: 10229523}

ह./–
सरवण कुमार अनणथन
निदेशक एण्ड सीईओ
{ डीआईएन नं.: 09769378}

ह./–
राजेश मदान
महाप्रबंधक

ह./–
आदर्श कुमार कंसल
मुख्य प्रबंधक (लेखा)

ह./–
निष्ठा गोयल
कंपनी सचिव
{ सदस्यता सं.: ए22768}

टिप्पणी – 3 : नकदी एवं नकदी समतुल्य

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.2023 को यथास्थिति	31.03.2022 को यथास्थिति
बैंक में शेष:		
चालू खाते में (एसआरआई फंड की ओर से प्राप्त राशि को छोड़कर)	352.79	327.70
हाथ में चेक, ड्राफ्ट	0.00	1.78
कुल	**352.79**	**329.48**

3.1 उपर्युक्त रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक रोकड़ और रोकड़ समतुल्यों के संदर्भ में प्रत्यावर्तन पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

टिप्पणी – 4 : नकदी और नकदी समतुल्यों के अलावा बैंक शेष

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.2023 को यथास्थिति	31.03.2022 को यथास्थिति
सावधि जमा	328.39	433.82
कुल	**328.39**	**433.82**

टिप्पणी: सावधि जमा राशि रु. 328.39 लाख (पीवाय रु. 433.82 लाख) 1 वर्ष से अधिक की परिपक्वता के लिए हैं (नोट संख्या 7 देखें – निवेश)

4.1 जमा खातों में बैंकों के साथ शेष राशि पर एक दिन से लेकर 365 दिनों तक की अवधि के लिए दैनिक बैंक जमा दरों के आधार पर निश्चित दर पर ब्याज मिलता है।

टिप्पणी – 5 : प्राप्य

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.2023 को यथास्थिति	31.03.2022 को यथास्थिति
व्यापार प्राप्य		
गैर–जमानती, विचारार्थ माल	0.00	-
कुल	**0.00**	**-**

5.1 व्यापार प्राप्य निधि से देय है जिसमें अध्यक्ष और निदेशक और सीईओ एक निवेश समिति के सदस्य हैं।

5.2 व्यापार प्राप्तियां काल प्रभावन अनुसूची

भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया

क्र. सं.	विवरण	6 महीने से कम	6 महीने – 1 वर्ष	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	कुल
1	अविवादित व्यापार प्राप्तियां – विचारार्थ माल		0.00	-	-	-
			(-)	(-)	(-)	(-)
2	अविवादित व्यापार प्राप्तियां – क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि		0.00	-	-	-
			(-)	(-)	(-)	(-)
3	अविवादित व्यापार प्राप्तियां – क्रेडिट क्षीणता		0.00	-	-	-
			(-)	(-)	(-)	(-)
4	विवादित व्यापार प्राप्तियां – विचारार्थ माल		0.00	-	-	-
			(-)	(-)	(-)	(-)

क्र. सं.	विवरण	6 महीने से कम	6 महीने – 1 वर्ष	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	कुल
5	विवादित व्यापार प्राप्तियां – क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि		0.00	-	-	-
			(-)	(-)	(-)	(-)
6	विवादित व्यापार प्राप्तियां – क्रेडिट क्षीणता		0.00	-	-	-
			(-)	(-)	(-)	(-)
7	बिल नहीं किए गए व्यापार प्राप्तियां					-
						(-)
	कुल		**0.00**	**-**	**-**	**-**
			(-)	**(-)**	**(-)**	**(-)**

पिछली अवधि की राशियों को (कोष्ठक) में दर्शाया गया है

टिप्पणी: व्यापार प्राप्य को फिर से समूहीकृत किया गया है और पिछले वर्ष, वित्त वर्ष 2021–22 की शेष राशि रू. 109.42 लाख को अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में पुनर्समूहित किया गया है

टिप्पणी – 6 : ऋण और अग्रिम

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.2023 को यथास्थिति	31.03.2022 को यथास्थिति
संबंधित पार्टियों / प्रमोटरों / निदेशकों / केएमपी के लिए		
आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड के लिए अग्रिम	0.00	**1.25**
कंपनी के निदेशक	0.12	**-**
अन्य		
अन्य कर्मचारी	0.07	**-**
कुल	**0.19**	**1.25**

टिप्पणी – 7 : निवेश

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.2023 को यथास्थिति	31.03.2022 को यथास्थिति
परिशोधन लागत पर	0.00	0.00
एसआरआई निधि में निवेश (देखें टिप्पणी 35)	28.36	8.91
कुल	**28.36**	**8.91**

7.1 निधि दस्तावेज के अनुसार एआईएफ फंड में निवेश, जिसमें निदेशक और सीईओ एक निवेश समिति के सदस्य हैं।

7.2. 313.82 लाख रुपये की सावधि जमा राशि को नकद और नकद समकक्षों के अलावा बैंक शेष के साथ पुनः संयोजित किया गया है

टिप्पणी – 8 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.2023 को यथास्थिति	31.03.2022 को यथास्थिति
सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	7.41	7.38
आत्मनिर्भर भारत निधि से वसूली योग्य	613.68	109.42
कुल	**621.09**	**116.80**

टिप्पणी – 9 : वर्तमान कर संपत्ति (शुद्ध)

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.2023 को यथास्थिति	31.03.2022 को यथास्थिति
अग्रिम कर	110.00	0
जोड़ें: टीडीएस	53.11	0
घटाएं: प्रोव. टैक्स के लिए	102.00	0
वर्तमान कर संपत्ति (शुद्ध)	**61.11**	**0**

टिप्पणी – 10 : वर्तमान कर देयताएं (निवल)

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.2023 को यथास्थिति	31.03.2022 को यथास्थिति
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
– आयकर प्रावधानों के अनुसार परिशोधित व्यय	10.53	11.81
वित्तीय पुस्तकों में प्रावधान कर में लंबित भत्ता	0.77	
सकल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (क)	11.30	
आस्थगित कर देयताएं		
– मूल्यह्रास और परिशोधन	0.02	0.01
सकल आस्थगित कर देयताएं (ख)	0.02	0.01
मान्यता प्राप्त निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति (क–ख)		
कुल	**11.28**	**11.80**

टिप्पणी – 11 : सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण

(लाख रू. में)

विवरण	कम्प्यूटर, लैपाटाप एवं प्रोसेसिंग यूनिट	मोबाइल	कार्यालय उपकरण	फर्नीचर और स्थिरता	कुल
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए					
सकल वहन राशि					
आरंभिक शेष	0.88	0.13	-	0.00	1.01
वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.95	0.61	0.93	0.79	3.28
वर्ष के दौरान जमा	-	-	-	0.00	-
31 मार्च, 2023 को यथास्थिति के अनुसार सकल वहन राशि	**1.83**	**0.74**	**0.93**	**0.79**	**4.29**
संचित मूल्यह्रास और हानि					
आरंभिक शेष	0.28	0.05	-	0.00	0.33
वर्ष के लिए मूल्यह्रास व्यय	0.39	0.10	-	0.02	0.51
वर्ष के दौरान जमा	-	-	-	0.00	-
31 मार्च, 2023 को यथास्थिति के अनुसार संचित मूल्यह्रास और हानि	**0.67**	**0.15**	**0.01**	**0.02**	**0.84**
31 मार्च, 2023 को यथास्थिति के अनुसार कुल वहन राशि	**1.16**	**0.59**	**0.92**	**0.77**	**3.45**

(लाख रू. में)

विवरण	कम्प्यूटर, लैपाटाप एवं प्रोसेसिंग यूनिट	मोबाइल	कुल
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए			
सकल वहन राशि			
आरंभिक शेष	0.88	0.14	1.01
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-	-
वर्ष के दौरान जमा	-	-	-
31 मार्च, 2022 को यथास्थिति के अनुसार सकल वहन राशि	**0.88**	**0.14**	**1.01**
संचित मूल्यह्रास और हानि			
आरंभिक शेष	-	0.01	0.01
वर्ष के लिए मूल्यह्रास व्यय	0.28	0.04	0.29
वर्ष के दौरान जमा	-	-	-
31 मार्च, 2022 को यथास्थिति के अनुसार संचित मूल्यह्रास और हानि	**0.28**	**0.05**	**0.33**
31 मार्च, 2022 को यथास्थिति के अनुसार कुल वहन राशि	**0.59**	**0.08**	**0.68**

टिप्पणी – 11 : अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां

(लाख रू. में)

विवरण	फर्नीचर और स्थिरता	कुल
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए		
सकल वहन राशि		
आरंभिक शेष	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
वर्ष के दौरान जमा	-	-
31 मार्च, 2023 को यथास्थिति के अनुसार सकल वहन राशि	**-**	**-**
संचित मूल्यह्रास और हानि		
आरंभिक शेष	**-**	**-**
वर्ष के लिए ऋणमुक्ति व्यय	-	-
वर्ष के दौरान जमा	-	-
31 मार्च, 2023 को यथास्थिति के अनुसार संचित मूल्यह्रास और हानि	**-**	**-**
31 मार्च, 2023 को यथास्थिति के अनुसार कुल वहन राशि	**-**	**-**

(लाख रू. में)

विवरण	व्यवसाय लाइसेंस	कुल
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए		
सकल वहन राशि		
आरंभिक शेष	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
वर्ष के दौरान जमा	-	-
31 मार्च, 2021 को यथास्थिति के अनुसार सकल वहन राशि	**-**	**-**
संचित मूल्यह्रास और हानि		
आरंभिक शेष	-	-
वर्ष के लिए ऋणमुक्ति व्यय	-	-
वर्ष के दौरान जमा	-	-
31 मार्च, 2023 को यथास्थिति के अनुसार संचित मूल्यह्रास और हानि	**-**	**-**
31 मार्च, 2021 को यथास्थिति के अनुसार कुल वहन राशि	**-**	**-**

टिप्पणी – 12 : अन्य गैर वित्तीय परिसंपत्तियां

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.2023 को यथास्थिति	31.03.2022 को यथास्थिति
सरकारी प्राधिकरणों में शेष	0.00	0.83
कुल	**0.00**	**0.83**

टिप्पणी – 13 : देय

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.2023 को यथास्थिति	31.03.2022 को यथास्थिति
देय व्यापार		
(i) सूक्ष्म और लघु उद्यमों की बकाया कुल देयताएं	0.00	0.00
(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों की बकाया कुल देयताएं	0.00	0.00
कुल	**0.00**	**0.00**

टिप्पणी: ऐसा कोई भी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम नहीं है, जिसके लिए कंपनी की बकाया राशि वर्ष के दौरान 45 दिनों से अधिक के लिए बकाया हो। ऐसी सूचना, जिसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रकट करने की आवश्यकता हो, आपूर्तिकर्ता की स्थिति के बारे में कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर इस तरह की पार्टियों की पहचान की गई है। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार की किसी भी पार्टी के भुगतान करने के लिए कोई भी ब्याज बकाया नहीं है। सांविधिक लेखा–परीक्षा शुल्क के प्रावधान के सूक्ष्म, और लघु उद्यम के बकाया के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि लेखा फर्म एक सूक्ष्म उद्यम हैं, तथापि, कोई भी बकाया देय नहीं है चूंकि वास्तविक भुगतान लेखा परीक्षा को पूरा होने पर चालान जारी करने पर देय हो जाएगा।

13.1 व्यापार देय काल प्रभावन

भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 को यथास्थिति	31.03.2022 को यथास्थिति	6 महीने – 1 वर्ष	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
1	एमएसएमई	**0.00**	0.00	-	-	-	-	-
		0.00	0.00	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
2	अन्य	0.00	0.00	-	-	-	-	-
		0.00	0.00	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3	विवादित देय बकाया – एमएसएमई	0.00	0.00	-	-	-	-	-
		0.00	0.00	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
4	विवादित देय बकाया – अन्य	0.00	0.00	-	-	-	-	-
		0.00	0.00	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
5	बिल नहीं किए गए बकाया – एमएसएमई	0.00	0.00					-
		0.00	0.00					-
6	बिल नहीं किए गए बकाया – अन्य	0.00	0.00					-
		0.00	0.00					-
	कुल	**0.00**	**0.00**	-	-	-	-	-
		0.00	**0.00**	**(-)**	**(-)**	**(-)**	**(-)**	**(-)**

पिछली अवधि की रकम (कोष्ठक) में बताई गई है

देय व्यापार को फिर से समूहीकृत किया गया है और पिछले वर्ष 2021–22 की शेष राशि –78.41 लाख रुपये को खर्चों के लिए वर्तमान देयता में फिर से समूहीकृत किया गया है।

टिप्पणी – 14 : अन्य वित्तीय देयताएं

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.2023 को यथास्थिति	31.03.2022 को यथास्थिति
सांविधिक बकाया देय	97.36	43.08
अन्य देय – कर्मचारी	1.19	0.00
व्ययों के लिए वर्तमान देनदारियाँ	322.52	78.41
अन्य देय – पीआरपी (कर्मचारी – निदेशक)	7.97	0.00
कुल	**429.04**	**121.49**

टिप्पणी – 15 : वर्तमान कर देयताएं (निवल)

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.2023 को यथास्थिति	31.03.2022 को यथास्थिति
टीडीएस काटा गया	0.00	0.00
आय कर के लिए प्रावधान	0.00	55.25
घटाएं: भुगतान किया गया आयकर	0.00	-2.34
कुल	**0.00**	**52.91**

टिप्पणी – 16 : प्रावधान

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.2023 को यथास्थिति	31.03.2022 को यथास्थिति
ग्रेच्युटी के लिए	0.53	0.00
अवकाश नकदीकरण के लिए	1.06	0.00
अर्ध वेतन अवकाश के लिए	0.28	0.00
टीए के लिए	0.00	0.00
कुल	**1.87**	**0.00**

टिप्पणी – 17 : इक्विटी शेयर पूंजी

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.2023 को यथास्थिति	31.03.2022 को यथास्थिति
(क) प्राधिकृत शेयर पूंजी		
रू. 100 प्रति का 10,000,000 इक्विटी शेयर	1000.00	1000.00
कुल	**1000.00**	**1000.00**
(ख) जारी, सब्सक्राइब और भुगतान की गई शेयर पूंजी		
रू. 100 प्रति का 6,00,000 इक्विटी शेयर	600.00	600.00
कुल	**600.00**	**600.00**

(ग) वर्ष के आरंभ में अंत में बकाया शेयरों की संख्या का मिलानः

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.2023 को यथास्थिति		31.03.2022 को यथास्थिति	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
वर्ष के आरंभ में शेष राशि	600000	600.00	600000	600.00
जोड़/(घटाएँ) : वर्ष के दौरान जारी	-	-	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	**600000**	**600.00**	**600000**	**600.00**

(घ) 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक के पास कंपनी में इक्विटी शेयर और धारित इक्विटी शेयरों की संख्या निम्नानुसार हैः

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.2023 को यथास्थिति		31.03.2022 को यथास्थिति	
	शेयरों की संख्या	कुल प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कुल प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी प्रतिशत
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी)	600000*	100	600000*	100
कुल	**600000**	**100**	**600000**	**100**

* कंपनी के नामित व्यक्ति के रूप में अन्य लोगों दवारा रखे गए 6 शेयर इसमें शामिल है।

(ङ) होल्डिंग कंपनी द्वारा रखे गए शेयरों की संख्या

विवरण	31.03.2023 को यथास्थिति	31.03.2022 को यथास्थिति
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी)	600000*	600000*
कुल	**600000**	**600000**

* कंपनी के नामित व्यक्ति के रूप में अन्य लोगों दवारा रखे गए 6 शेयर इसमें शामिल है।

(ङ) होल्डिंग कंपनी द्वारा रखे गए शेयरों की संख्या :

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है, जिसमें प्रतिशेयर 100 रू. का है। इक्विटी शेयरों का प्रत्येक शेयर धारक एक वोट का हकदार है।

कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयर धारक सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

(च) बोनस शेयर :

स्थापना के बाद से काई भी बोनस शेयर जारी नहीं किया गया है।

(छ) प्रमोटर और प्रमोटर समूह का विवरण :

वर्ष के अंत में प्रमोटर और प्रमोटर समूह द्वारा धारित शेयर

प्रमोटर और प्रमोटर समूह का नाम	31.03.2023 को यथास्थिति		31.03.2022 को यथास्थिति		31.03.2021 को यथास्थिति	इस अवधि के दौरान परिवर्तन का प्रतिशत
	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी)	600,000	100%	600,000	100%	600,000	**0%**
कुल	**600,000**	**100%**	**600,000**	**100%**	**600,000**	**0%**

टिप्पणी – 18 : अन्य इक्विटी

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.2023 को यथास्थिति	31.03.2022 को यथास्थिति
प्रतिधारित आय/संचित हानि		
अवधि के आरम्भ में शेष	129.17	-61.10
अवधि के लिए लाभ/(हानि)	303.66	190.27
वर्ष 2020–21 के लिए लाभांश भुगतान	-57.08	-
अवधि के अंत में शेष राशि	**375.75**	**129.17**

टिप्पणी – 19 : प्रचालनों से राजस्व

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.2023 को यथास्थिति	31.03.2022 को यथास्थिति
एसआरआई निधि से प्रबंधन शुल्क	386.66	178.24
ब्याज आय	26.46	23.36
कुल	**413.12**	**201.60**

टिप्पणी – 20 : अन्य आय

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.2023 को यथास्थिति	31.03.2022 को यथास्थिति
बैंक में जमा सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	0.00	0.00
एसआरआई निधि की ओर से किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति रू. 39.71 लाख एमओएमएसएमई से प्राप्त और टैक्स से रिफंड के रूप में 0.07 लाख रू.	39.78	69.37
कुल	**39.78**	**69.37**

टिप्पणी – 21 : कर्मचारी लाभ व्यय

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.2023 को यथास्थिति	31.03.2022 को यथास्थिति
निदेशक:		
वेतन एवं भत्ते	17.38	0.00
को योगदान:–		
भविष्य निधि	1.44	0.00
सेवानिवृत्ति योजना	1.19	0.00
ग्रेच्युटी	0.53	0.00
कुल	**20.54**	**0.00**
अन्य लाभ:–		
नकदीकरण छोड़े	1.06	0.00
अर्ध वेतन अवकाश	0.28	0.00
चिकित्सा	0.37	0.00
प्रदर्शन संबंधी वेतन (पीआरपी)	7.97	0.00
कुल अन्य लाभ:–	**9.68**	**0.00**
कुल	**30.22**	**0.00**

टिप्पणी – 22 : अवमूल्यन और परिशोधन

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए
पर मूल्यह्रास		
सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	0.51	0.32
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार	**0.51**	**0.32**

टिप्पणी – 23 : अन्य व्यय

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए
जनशक्ति समर्थन लागत #	0.00	31.32
भर्ती व्यय	0.47	4.21
ब्याज/शुल्क/दंड/वैधानिक बकाया के लिए	7.03	0.00
विधिक और व्यावसायिक शुल्क	1.98	1.20
यात्रा, वाहन और वाहन प्रभार #	0.27	0.77
लेखा परीक्षकों को भुगतान – सांविधिक लेखा परीक्षा व्यय*	0.50	0.51
मनोरंजन #	1.10	0.50
मुद्रण और लेखन सामग्री पर व्यय #	0.87	0.46
वेबसाइट और वेब पोर्टल पर व्यय	0.00	0.29
किराया भुगतान #	0.00	0.14
संचार व्यय #	0.05	0.11
विविध व्यय	0.69	0.20
कम्प्यूटरों की मरम्मत एवं रख–रखाव	1.04	0.00
निदेशक अन्य व्यय	2.54	0.00
कुल	**16.54**	**39.71**

*** वैधानिक लेखापरीक्षा शुल्क के अलावा वैधानिक लेखापरीक्षक को कोई अन्य भुगतान नहीं किया गया**

 # संदर्भ संख्या 29

टिप्पणी – 24 : कर व्यय

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए
वर्तमान कर		
इस अवधि की कर योग्य राशि पर वर्तमान कर	102.00	55.25
कुल वर्तमान कर	**102.00**	**55.25**
पिछले वर्ष के करों का समायोजन		
आयकर का पुनर्लिखित अतिरिक्त प्रावधान	-0.56	-2.78
कुल पूर्व वर्षों के कर	**-0.56**	**-2.78**
आस्थगित कर क्रेडिट		
अस्थायी विसंगतियों की उत्पत्ति	0.00	0.00
कुल आस्थगित कर क्रेडिट	**0.53**	**-11.80**
कुल	**101.97**	**40.67**

आयकर में वर्तमान कर और आस्थिगत कर शामिल है। वर्तमान कर को आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार वर्ष के लिए देय आय के संबंध में भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि पर मापा जाता है और यदि को अधिकता अथवा कमी होती है तो, उसे परिसंपत्तियों को अतिम रूप देते समय समायोजित कर लिया जाता है। देशी कंपनियों को कम कर्पोरेट कर दर का लाभ देने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 में धारा 115बीएए को जोड़ा गया है।

अनुबंध – 24.1 : लाभ और हानि के विवरण में रिपोर्ट किए गए आयकर व्यय हेतु सांविधिक दर पर अनुमानित कर व्यय का समायोजन

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए
कर से पहले लाभ / (हानि)	405.63	230.94
भारत में कंपनियों पर लागू होने वाली अधिनिगमित आय कर दर	25.17%	25.17%
परिकलित कर व्यय	102.09	58.12
लागूकरः		
कर योग्य लाभ निर्धारित करने में कटौती योग्य व्यय	-3.65	-3.05
कर योग्य लाभ निर्धारित करने में कटौती न करने योग्य व्यय	3.56	0.17
चालू का प्रावधान	102.00	55.25
आयकर का पुनर्लिखित अतिरिक्त प्रावधान	-0.56	-2.78
आस्थगित कर क्रेडिट	0.53	-11.80
लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त कर व्यय	**101.97**	**40.67**

टिप्पणी – 25 : प्रतिशेयर आय

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए
(क) इक्विटी शेयर धारको के कारण शुद्ध लाभ/(हानि)	303.66	190.27
(ख) प्रति शेयर मूल कमाई के लिए इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या	600000.00	600000.00
तनुकृत की प्रभाव*		
(ग) तनुकृत आय प्रति शेयर के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	600000.00	600000.00
प्रति शेयर आय (मूल) (रू.) (क/ख)	50.61	31.71
प्रति शेयर आय (तनुकृत) (रू.) (क/ग)	50.61	31.71

* प्रतिवेदन अवधि के दौरान कंपनी के पास कोई संभावित रूप से कमजोर प्रतिभूतियां नहीं थीं

टिप्पणी – 26 : खंड रिपोर्टिंग

कंपनी को वित्तीय और निवेश गतिविधियों के लिए स्थापित किया गया है और वर्तमान में एक ही व्यवसाय और भौगोलिक खंड में काम करती है।

टिप्पणी – 27 : आकस्मिक देयताएँ और प्रतिबद्धताएँ

(क) 31 मार्च 2023 को यथास्थिति कंपनी की कोई आकस्मिक देयता नहीं है।

(ख) भविष्य की अवधि के लिए विधि सलाहकार व्यय के प्रति प्रतिबद्धताएं 120.66 लाख रु. है। 31.03.2022 तक यही प्रतिबद्धता 175.89 लाख. रू. थी।

टिप्पणी – 28 : रिपोर्टिंग तिथि के बाद के कार्य

रिपोर्टिंग तिथि के बाद ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया जिसके लिए इन वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की आवश्यकता हो।

टिप्पणी – 29 : संबंधित पार्टियों का विवरण

क. संबंधित पार्टियों के नाम और उनसे संबंधों की प्रकृतिः	
संबंध का विवरण	**संबंधित पार्टी का नाम**
होल्डिंग कंपनी	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड
एनवीसीएफएल की पहली एआईएफ योजना	आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) निधि
मुख्य प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)	श्रीमती मर्सी एपाओ (अध्यक्ष) (02.01.2023 से 31.03.2023 तक)
	श्री गौरांग दीक्षित (01.04.2022 से 31.12.2022 तक)
	श्री सरवण कुमार अनणथन (निदेशक और सीईओ)
	श्रीमती निष्ठा गोयल (कंपनी सचिव)

वर्ष के दौरान कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ लेनदेन

(लाख रू. में)

क्र. सं.	लेन–देन की प्रकृति	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	
		2022–23	2021–22
1.	**व्ययः**		
क)	वेतन एवं भत्ते	17.38	लागू नहीं
ख)	अवकाश/एलटीसी नकदीकरण	-	लागू नहीं
ग)	भविष्य निधि अंशदान	1.43	लागू नहीं
घ)	पेंशन योजना में योगदान	1.19	लागू नहीं
ड़)	अन्य खर्चों	2.54	लागू नहीं
च)	चिकित्सा के खर्चे	0.37	लागू नहीं
छ)	सेवांत लाभ के लिए प्रावधान	1.87	लागू नहीं
2.	**बकाया राशिः**		**लागू नहीं**
क)	ऋण एवं ब्याज बकाया	0.12	लागू नहीं
ख)	यात्रा अग्रिम		
ग)	बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार अंतिम लाभ का प्रावधान	1.87	लागू नहीं
3.	**अन्य भुगतानः**	–	**लागू नहीं**

टिप्पणीः–

1. एनवीसीएफएल के सीईओ और निदेशक श्री सरवण कुमार अनणथन को वेतन और अन्य भत्ते का भुगतान किया गया है।
2. किसी अन्य प्रमुख प्रबंधन कार्मिक को किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया गया है।
3. श्री सरवण कुमार अनणथन सीईओ एवं निदेशक 17.10.2022 को कंपनी में शामिल हुए।

ख. वर्ष के दौरान संबंधित पार्टियों के नाम और लेनदेन की प्रकृतिः			(लाख रू. में)
संबंधित पार्टी का नाम	**लेन–देन की प्रकृति**	**31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि**	**31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि**
होल्डिंग कंपनी	कंपनी की ओर से संबंधित पार्टी द्वारा किए गए व्यय के किए की गई प्रतिपूर्ति		
	जनशक्ति समर्थन लागत	60.26	28.57
	भुगतान किया गया किराया	5.93	0.12
	यात्रा, वाहन और वाहन शुल्क	3.83	0.05
	संबंधित पार्टी की ओर से कंपनी द्वारा किए गए भुगतान के लिए प्राप्त प्रतिपूर्ति	0	1.78

(लाख रू. में)

संबंधित पार्टी का नाम	लेन–देन की प्रकृति	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि	31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि
एसआरआई निधि	लिया गया अग्रिम	0.00	1.25
	प्राप्त निधि/प्रतिपूर्ति की ओर से किया गया व्यय	551.53	304.39
	निवेश किया गया	19.45	8.91
	प्रबंधन शुल्क लिया गया	386.66	178.24

ग. संबंधित पार्टी लेनदेन के लिए बकाया राशि का विवरण:

(लाख रू. में)

संबंधित पार्टी का नाम	लेन–देन की प्रकृति	31.03.2023 को यथास्थिति	31.03.2022 को यथास्थिति
होल्डिंग कंपनी	अन्य वित्तीय दायित्व	80.24	33.33
	इक्विटी में योगदान	600	600
एसआरआई निधि	अग्रिम लाभ उठाया गया	0.00	1.25
	निवेश	28.36	8.91
	अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	613.68	109.42

घ. संबंधित पार्टियों के साथ लेन–देन उन शर्तों के बराबर किया जाता है जो सामान्यतः लेनदेन में प्रचलित होते हैं। उपरोक्त सभी मूल्य (टिप्पणी संख्या 29 [ख]) जहाँ लागू हो, जीएसटी के बिना हैं।

ड. संबंधित पार्टियों के लेनदेन के प्रमुख नियम और शर्तें:

1. **प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति का पारिश्रमिक सेवा नियमों के अनुरूप है।**
2. **रुपये की राशि. श्री सरवण कुमार अनणथन – सीईओ और निदेशक के नाम पर 0.12 लाख रुपये बकाया है, जो 0.19 लाख रुपये के कुल ऋण और अग्रिम का 63% है।**

टिप्पणी – 30 : पट्टे

भारतीय लेखांकन मानक–116 के अनुसार, पट्टों के अनुसार, अल्पकालिक पट्टे और कम मूल्य की संपत्ति के मामले में मानक में निर्धारित मुख्य सिद्धांतों को लागू करना वैकल्पिक है। चूंकि कंपनी का एकमात्र पट्टा अनुबंध 12 महीने से कम की अवधि के लिए है और महत्वहीन मूल्य का है, कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक–116 में बताए अनुसार मुख्य सिद्धांतों को लागू नहीं करने का विकल्प चुना है।

लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राशि

31.03.2023 को समाप्त अवधि के दौरान, लाभ और हानि के विवरण में परिचालन पट्टे की प्रकृति में शून्य (करों को छोड़कर) के पट्टा किराए को मान्यता दी गई है। 31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए, पट्टा किराया लाभ और हानि के विवरण में 0.14 लाख (कर को छोड़कर) को मान्यता दी गई थी। 11 महीने की अवधि के बाद कोई संविदात्मक पट्टा भुगतान प्रतिबद्धता नहीं है।

टिप्पणी – 31 : वित्तीय विलेख – उचित मूल्य

I. पूंजी प्रबंधन

कंपनी के पूंजी प्रबंधन के उद्देश्य के लिए, पूंजी में कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण जारी इक्विटी पूंजी और अन्य सभी इक्विटी रिजर्व शामिल किए जाते हैं। कंपनी के पूंजी प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य शेयर पूंजी की सुरक्षा और रक्षा और शेयरधारक के धन में वृद्धि करना। कंपनी अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है और आर्थिक स्थितियों में बदलाव और वित्तीय अनुबंधों की आवश्यकताओं के आलोक में समायोजन करती है। समय–समय पर, कंपनी शेयरधारकों को पूंजी पर वापसी के लिए पूंजी संरचना की समीक्षा करती है। 31 मार्च 2023 की यथास्थिति के अनुसार कंपनी पर कोई ऋण नहीं है।

II. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियों में व्यापार देय और अन्य वित्तीय देनदारियां शामिल हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य है कंपनी के संचालन को वित्तपोषित करना और इसके परिचालनों में सहयोग हेतु गारंटी प्रदान करना। कंपनी की प्रमुख वित्तीय संपत्तियों में नकदी एवं नकदी समतुल्य, अन्य बैंक शेष, ऋण और अग्रिम, व्यापार प्राप्य, निवेश और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ शामिल हैं जो सीधे इसके संचालन से प्राप्त होती हैं।

कंपनी बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और चलनिधि जोखिम का सामना करती है। विदेशों में कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों का प्रबंधन करते हैं। कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियों पर प्रबंधन द्वारा निरंतर निगरानी रखी जाती है और वित्तीय जोखिम की पहचान, मापन किया जाता है और वरिष्ठ प्रबंधन निर्णयों और नीतियों के अनुसार इनका प्रबंधन किया जाता है।

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम होता है जिसमें बाजार की कीमतों में बदलाव के कारण किसी वित्तीय साधन के भावी नकदी प्रवाह के उचित मूल्य में उतार–चढ़ाव आएगा। बाजार जोखिम में तीन प्रकार के जोखिम मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और इक्विटी मूल्य जोखिम शामिल हैं। इक्विटी मूल्य जोखिम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कंपनी के पास कोई उधार और विदेशी मुद्रा लेनदेन नहीं है, इसलिए ब्याज जोखिम के साथ ही मुद्रा जोखिम का सामना नहीं करना पड़ा।

ख) क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

क्रेडिट जोखिम वह जोखिम है जिसके अंतर्गत यदि कोई भी कंपनी वित्तीय साधनों और ग्राहक अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर सकेगी, तो उसे वित्तीय नुकसान होगा। कंपनी अपनी परिचालन गतिविधियों, मुख्य रूप से व्यापार प्राप्य, निवेश, बैंकों के साथ अन्य शेष और अग्रिमों से ऋण जोखिम के संपर्क में है। व्यापार प्राप्यों और अग्रिमों से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम की और पिछले अनुभव और इतिहास के आधार पर भी समय–समय पर समीक्षा की जाती है। क्रेडिट जोखिम निवेश से उत्पन्न होता है और बैंकों के साथ अन्य शेष राशि सीमित होती है और इनके खिलाफ कोई संपार्श्विक नहीं होता है काउंटर पार्टियां क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा सौंपी गई उच्च क्रेडिट रेटिंग वाले बैंक हैं और कंपनी के पास समीक्षा निवेश के लिए जोखिम प्रबंधन नीति भी है। कंपनी ने किसी भी क्रेडिट खराब करने वाली परिसंपत्ति का अधिग्रहण नहीं किया। किसी भी वित्तीय परिसंपत्ति में कोई संशोधन नहीं है।

ग) चलनिधि जोखिम प्रबंधन

कंपनी बैंकिंग सुविधाओं और आरक्षित उधार सुविधाओं को बनाए रखते हुए, पूर्वानुमान और वास्तविक नकदी प्रवाह की निरंतर निगरानी और वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं की परिपक्वता प्रोफाइल का मिलान करके चलनिधि जोखिम का प्रबंधन करती है। कंपनी के पास वित्त पोषण के पर्याप्त स्रोत है।

टिप्पणी – 32 : रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय देनदारियों की शेष संविदात्मक परिपक्वता निम्नानुसार है। यह राशि सकल राशि है और बिना रियायत के भुगतान की गई है।

(लाख रू. में)

वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता 31.03.2023	1 वर्ष या उससे कम	1–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
उधारी	0.00	0.00	0.00	0.00
व्यापार देयताएं	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य वित्तीय देयताएं	429.04	0.00	0.00	429.04

वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदात्मक परिपक्वता 31.03.2023	1 वर्ष या उससे कम	1–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
नकदी और नकदी समतुल्य	352.79	0.00	0.00	352.79
नकदी और नकदी समतुल्य के	328.39	0.00	0.00	328.39
अलावा अन्य बैंक शेष	0.19	0.00	0.00	0.19
ऋण एवं अग्रिम	0.00	0.00	0.00	0.00
व्यापार प्राप्य	0.00	0.00	28.36	28.36

(लाख रू. में)

वित्तीय परिसंप्पतियों की संविदात्मक परिपक्वता 31.03.2023	1 वर्ष या उससे कम	1–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
निवेश	621.09	0.00	0.00	621.09
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	621.09	0.00	0.00	621.09

(लाख रू. में)

वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता 31.03.2022	1 वर्ष या उससे कम	1–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
अन्य वित्तीय देनदारियों	121.49	0.00	0.00	121.49

वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदात्मक परिपक्वता 31.03.2022	1 वर्ष या उससे कम	1–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
नकदी और नकदी समतुल्य	329.48	0.00	0.00	329.48
नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष	433.82	0.00	0.00	433.82
ऋण एवं अग्रिम	1.25	0.00	0.00	1.25
व्यापार प्राप्य	0	0.00	0.00	0
निवेश	0.00	0	8.91	8.91
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	116.80	0.00	0.00	116.80

टिप्पणी – 33 : वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों का वर्गीकरण

निम्नलिखित तालिका में वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को उचित मूल्य पदानुक्रम में शामिल उनके स्तर की वहन राशि और उचित मूल्य को दर्शाया गया है। यदि वहन राशि उचित मूल्य का उचित अनुमान है, इसे उचित मूल्य पर मापा नहीं गया है, इसमें वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के लिए उचित मूल्य की जानकारी शामिल नहीं है।

(लाख रू. में)

31 मार्च, 2023 को वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देयताएं	नोट सं.	वहन राशि			कुल
		लाभ और हानि खाते के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत	
वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
नकदी और नकदी समतुल्य	3	-	-	352.79	352.79
नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष	4	-	-	328.39	328.39
ऋण एवं अग्रिम	6	-	-	0.19	0.19
व्यापार प्राप्य		-	-	0.00	0.00
निवेश	7	-	-	28.36	28.36
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	8	-	-	621.09	621.09
वित्तीय देयताएँ					
देय					
देय व्यापार		-	-	0	0
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	14	-	-	429.04	429.04

(लाख रू. में)

31 मार्च, 2022 को वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देयताएं	नोट सं.	वहन राशि			कुल
		लाभ और हानि खाते के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत	
वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
नकदी और नकदी समतुल्य	3	-	-	329.48	329.48
नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष	4	-	-	433.82	433.82
ऋण एवं अग्रिम	5	-	-	1.25	1.25
व्यापार प्राप्य	6	-	-	0	0
निवेश	7	-	-	8.91	8.91
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	8	-	-	116.80	116.80
वित्तीय देयताएँ					
देय					
देय व्यापार	13	-	-	0	0
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	14	-	-	121.49	121.49

(लाख रू. में)

31 मार्च, 2023 को वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देयताएं	नोट सं.	उचित मूल्य			कुल
		स्तर – 1	स्तर – 2	स्तर – 3	
वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
नकदी और नकदी समतुल्य	3	-	-	352.79	352.79
नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष	4	-	-	328.39	328.39
ऋण एवं अग्रिम	6			0.19	0.19
व्यापार प्राप्य				0.00	0.00
निवेश	7			28.36	28.36
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	8	-	-	621.09	621.09
वित्तीय देयताएँ					
देय					
देय व्यापार		-	-	0	0
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	14			429.04	429.04

(लाख रू. में)

31 मार्च, 2023 को वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देयताएं	नोट सं.	उचित मूल्य			कुल
		स्तर – 1	स्तर – 2	स्तर – 3	
वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
नकदी और नकदी समतुल्य	3	-	-	329.48	329.48
नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष	4	-	-	433.82	433.82
ऋण एवं अग्रिम	5			1.25	1.25
व्यापार प्राप्य	6			0	0
निवेश	7			8.91	8.91
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	8	-	-	116.80	116.80

(लाख रू. में)

31 मार्च, 2023 को वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देयताएं	नोट सं.	उचित मूल्य			कुल
		स्तर – 1	स्तर – 2	स्तर – 3	
वित्तीय देयताएँ					
देय					
देय व्यापार	13	-	-	0	0
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	14			121.49	121.49

क. उचित मूल्य पदानुक्रम

कंपनी निम्नलिखित उचित मूल्य पदानुक्रम का उपयोग करके उचित मूल्य को मापती है, जो माप बनाने में उपयोग किए गए इनपुट के महत्व को दर्शाती है।

स्तर – 1 : इनपुट जिनमें समान संपत्ति या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में बाजार मूल्य (असमायोजित) उद्धृत किए जाते हैं।

स्तर – 2 : उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके सक्रिय बाजारों में कारोबार नहीं किए जाने वाले वित्तीय साधनों का मूल्य निर्धारित किया जाता है, जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन योग्य बाजार डेटा के उपयोग को अधिकतम किया जाता है, जैसे कि सक्रिय बाजारों में समान संपत्ति और देनदारियों के लिए उद्धृत मूल्य, काफी हद तक वित्तीय साधन की पूरी अवधि के लिए होते हैं लेकिन स्तर 1 इनपुट के रूप में योग्य नहीं है। यदि एक उपकरण के उचित मूल्य के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण इनपुट देखे जा सकते हैं, तो उपकरण को स्तर 2 में शामिल किया जाता है।

स्तर – 3 : यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकन योग्य बाजार डेटा पर आधारित नहीं हैं, तो उपकरण स्तर 3 में शामिल किए जाते हैं। इस लिए, जोखिम के बारे में बाजार सहभागियों की धारणाएं और उस जोखिम को सहन करने के लिए बाजार सहभागियों द्वारा आवश्यक जोखिम प्रीमियम स्तर 3 इनपुट में शामिल किए जाते हैं। कंपनी परिस्थितियों में उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर स्तर 3 इनपुट विकसित करती है।

ख. वहनीय मूल्य पर वित्तीय विलेखों का मूल्य वहन

अन्य चालू बैंक शेष, अन्य प्राप्य और व्यापार और अन्य देय सहित अन्य वित्तीय देनदारियों सहित नकद समकक्ष की अग्रणी राशि को उनके, वर्तमान और इस तरह के शेष की कम समय अवधि की प्रकृति के कारण इन्हें उचित मूल्यों के समान माना जाता है।

टिप्पणी – 34 : बिक्री के लिए धारित गैर चालू संपत्तियाँ

भारतीय लेखांकन मानक–105 के अनुसार कोई भी परिसम्पत्ति बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत नहीं की गई हैं।

टिप्पणी – 35 : एसआरआई फंड की स्थापना

कंपनी को एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार की योजना – सेल्फ रिलाएंट इंडिया (एसआरआई) फंड के कार्यान्वयन हेतु स्थापित किया गया है। चूंकि कंपनी ने सेबी से श्रेणी–II वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में अनुमोदन प्राप्त किया था, एसआरआई फंड हमेशा एक ऐसी योजना के रूप में था, जिसे केवल कंपनी द्वारा प्रशासित किया जाए, लेकिन इसकी अपनी एक अलग पहचान थी। अपने कानूनी सलाहकारों के साथ विचार–विमर्श के उपरांत, कंपनी को आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार एसआरआई फंड को 'एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स' (व्यक्तियों का संघ) के रूप में स्थापित करने की सलाह दी गई, जिससे निधि में योगदानकर्ता अर्थात भारत सरकार, एनएसआईसी और कंपनी, दिनांक 12 अक्टूबर 2021 के योगदान समझौते की शर्तों के अनुसार सदस्य होंगे।

पिछले वर्ष, वित्त वर्ष 2021–22 में कंपनी इस नियामक संरचना को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया में थी, भारत सरकार ने 31 मार्च 2022 (पिछले वर्ष शून्य) को समाप्त वर्ष के दौरान रु. 18,034.58 लाख (राशि रु. 2500.00 लाख के पारगमन में प्रेषण सहित) की एक अलग राशि कंपनी द्वारा एसआरआई फंड के लिए अनुरक्षित एक अलग बैंक खाते में एसआरआई फंड में उनके योगदान के रूप में हस्तांतरित की। इसी प्रकार, राशि रु. 1.78 लाख (पिछले वर्ष शून्य) और राशि रु. 8.91 लाख (पिछले वर्ष शून्य) को भी एनएसआईसी और कंपनी द्वारा ऐसे अलग बैंक खाते में स्थानांतरित किया गया था, जो एसआरआई फंड में उनके संबंधित योगदान के रूप में था। चूंकि राशि कंपनी के बैंक खाते में प्राप्त हुई है, लेकिन केवल एसआरआई फंड के लिए अभिप्रेत है, जो एक अलग इकाई है, रु. 15,234.37 लाख की शेष राशि (एसआरआई फंड के व्यय के समायोजन के बाद) को एसआरआई फंड की ओर से कंपनी द्वारा ट्रस्ट में धारित माना गया है। तदनुसार, एसआरआई फंड की ओर से ट्रस्ट में रखी गई निधियों को कंपनी के नकद और नकद समकक्षों के विरुद्ध समायोजित कर दिया गया है और एक अलग देयता के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। एक बार ऐसा खाता स्थापित हो जाने पर, कंपनी संपूर्ण शेष राशि को एसआरआई फंड के एक अलग बैंक खाते में स्थानांतरित करने का इरादा रखती है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए एनवीसीएफएल का ऑडिट करते समय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने एसआरआई फंड संरचना के संबंध

में कुछ प्रश्न उठाए थे। संरचना मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए 24.11.2022 को मुंबई में सेबी अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें एनवीसीएफएल को लिखित रूप में मामले का प्रतिनिधित्व करने का निर्देश दिया गया था। तदनुसार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को एक पत्र संख्या एनवीसीएफएल/2022–23/295 दिनांक 05.01.2023 लिखा गया है जिसमें "यह उल्लेख किया गया है कि एक कॉर्पोरेट संरचना के तहत आयोजित किए जाने वाले एसआरआई फंड की संरचना अनिवार्य थी।" भारत सरकार (जीओआई) द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के अनुसार एसआरआई फंड के संचालन में बेहतर प्रशासन और अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से एक विशिष्ट ट्रस्ट संरचना के बजाय एक कॉर्पोरेट संरचना के तहत कार्यान्वित किया जाएगा। स्पष्ट रूप से एक कॉर्पोरेट संरचना एआईएफ के लिए एक सामान्य संरचना नहीं है, एआईएफ विनियमन एक कॉर्पोरेट संरचना को एआईएफ पंजीकरण के लिए पात्र मानता है। उपरोक्त संरचना के आधार पर, एनवीसीएफएल ने सेबी के साथ एआईएफ के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन किया था और एनवीसीएफएल की पहली योजना के रूप में एसआरआई फंड का निजी प्लेसमेंट ज्ञापन (पीपीएम) जमा किया था और इसे सेबी द्वारा अनुमोदित किया गया था और एआईएफ पंजीकरण एनवीसीएफएल को दिया गया था। एसआरआई फंड इसकी पहली योजना है।

इस संबंध में, एनवीसीएफएल अपने मेल दिनांक 7.03.2023, 20–03–2023, 30–05–2023 और 1–08–2023 के माध्यम से सेबी के साथ लगातार संपर्क कर रहा है, लेकिन आज तक जवाब का इंतजार है।

वर्ष वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, सावधि जमा पर ब्याज, जिसमें से 76.89 लाख रु. 50.43 लाख एसआरआई फंड से संबंधित है और इसका हिसाब एसआरआई फंड की पुस्तकों में किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा एसरआरआई फंड को अलग से ऑडिट किया गया था, वित्तीय वर्ष 2022–23 में भी अलग से ऑडिट किया जाएगा।

टिप्पणी –36 : परिसंपत्ति और देनदारियों के तहत प्रत्येक पंक्ति वस्तु के लिए 12 महीने और उसके बाद वसूली/निपटान की जाने वाली अपेक्षित राशि:

(लाख रू. में)

विवरण		31 मार्च, 2023 तक			31 मार्च, 2023 तक		
		12 महीने के भीतर	12 महीने से अधिक	कुल	12 महीने के भीतर	12 महीने से अधिक	कुल
परिसंपत्तियां							
1	वित्तीय परिसंपत्तियां						
क	नकदी एवं नकदी समतुल्य	352.79	0	352.79	329.48	0	329.48
ख	नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	328.39	0	328.39	433.82	0	433.82
ग	व्यापार प्राप्य	0	0	0	0	0	0
घ	ऋण एवं अग्रिम	0.19	0	0.19	1.25	0	1.25
ड़	निवेश	0	28.36	28.36	0	8.91	8.91
च	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	621.09	0	621.09	116.80	0	116.80
कुल वित्तीय संपत्ति (1)		**1302.46**	**28.36**	**1330.82**	**881.35**	**8.91**	**890.26**
2	**गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां**						
क	माल–सूचियां	0	0	0	0	0	0
ख	वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	61.11	0	61.11	0	0	0
ग	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	0	11.28	11.28	0	11.80	11.80
घ	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	0	3.45	3.45	0	0.68	0.68
ड़	चालू पूंजीगत कार्य	0	0	0	0	0	0
च	विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	0	0	0	0	0	0
छ	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	0	0	0	0	0	0
ज	उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियां	0	0	0	0	0	0
झ	बिक्री के लिए वर्गीकृत परिसंपत्तियां	0	0	0	0	0	0
ञ	अन्य गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां	0	0	0	0.83	0	0.83
कुल गैर वित्तीय संपत्ति (2)		**61.11**	**14.73**	**103.58**	**0.83**	**12.48**	**13.31**
कुल संपत्ति (1+2)		**1363.57**	**43.09**	**1406.66**	**882.18**	**21.39**	**903.57**

(लाख रू. में)

विवरण		31 मार्च, 2023 तक			31 मार्च, 2023 तक		
		12 महीने के भीतर	12 महीने से अधिक	कुल	12 महीने के भीतर	12 महीने से अधिक	कुल
देयताएं							
1	वत्तीय देनदारियाँ						
क	व्यापार देयताएं	0	0	0	0	0	0
ख	उधारी	0	0	0	0	0	0
ग	बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियों से जुड़ी देनदारियां	0	0	0	0	0	0
घ	अन्य वित्तीय देनदारियाँ	429.04	0	429.04	121.49	0	121.49
कुल वित्तीय देनदारियाँ (1)		**429.04**	**0**	**429.04**	**121.49**	**0**	**121.49**
2	गैर–वित्तीय देयताएं						
(क)	वर्तमान कर देयताएं (निवल)	0	0	0	52.91	0	52.91
(ख)	प्रावधान	0	1.87	1.87	0	0	0
(ग)	आस्थगित कर देयताएं (निवल)	0	0	0	0	0	0
(घ)	अन्य गैर–वित्तीय देयताएं	0	0	0	0	0	0
कुल गैर–वित्तीय देयताएं (2)		**0**	**1.87**	**1.87**	**52.91**	**0**	**52.91**
कुल देयताएं (1+2)		**429.04**	**1.87**	**430.91**	**174.40**	**0**	**174.40**

टिप्पणी – 37 : प्रस्तावित लाभांश

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
100 रू. प्रत्येक के इक्विटी शेयरों पर		
प्रस्तावित लाभांश की राशि (रू. लाख में)	91.10	57.08
लाभांश की दर (%)	30%	30%
प्रति इक्विटी शेयर लाभांश (रू.)	15.18	9.51

एनवीसीएफएल द्वारा प्रस्तावित लाभांश कर के बाद मुनाफे पर आधारित हैं जैसा कि निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा जारी वित्तीय विवरणों और दिशानिर्देशों में बताया गया है। एनवीसीएफएल के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2022–23 के लिए रू. 91.10 लाख (वित्त वर्ष 2021–22 के लिए वार्षिक रू. 57.08 लाख) के अंतिम लाभांश का प्रस्ताव रखा।

टिप्पणी – 38 : प्रदर्शन संबंधित वेतन (पीआरपी)

सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार, वित्त वर्ष 2022–23 के लिए प्रदर्शन संबंधित वेतन (पीआरपी) के लिए रू. 7.97 लाख (वित्त वर्ष 2021–22 – शून्य) की राशि का प्रावधान किया गया है।

टिप्पणी –39 : अतिरिक्त खुलासे

इरादतन चूककर्ता

कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

समाप्त की गई कंपनियों से संबंध

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत हटाई गई कंपनियों के साथ कंपनी का कोई लेनदेन नहीं है।

धारित बेनामी संपत्ति का विवरण

बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी पर कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित है।

कंपनियों की परतों की संख्या का अनुपालन

कंपनी भारत सरकार की कंपनी के रूप में पंजीकृत है और कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (87) के तहत परतों की संख्या पर प्रतिबंध से संबंधित प्रावधान लागू नहीं हैं।

व्यवस्थाओं की अनुमोदित योजना (योजनाओं) का अनुपालन

कंपनी ने ऐसी किसी भी व्यवस्था की योजना में प्रवेश नहीं किया है जिसका चालू या पिछले वित्तीय वर्ष पर लेखांकन प्रभाव पड़ता हो।

उधार ली गई धनराशि और शेयर प्रीमियम का उपयोग

(क) वर्ष के दौरान, कंपनी ने विदेशी संस्थाओं सहित किसी भी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (ओं) को अग्रिम या उधार या निवेशित धनराशि (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की धनराशि) नहीं दी है। मध्यस्थ) इस समझ के साथ (चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो) कि मध्यस्थ यह करेगा:

(i) कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देना या निवेश करनाय या

(ii) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई गारंटी प्रदान करना।

(ख) वर्ष के दौरान, कंपनी को विदेशी संस्थाओं (फंडिंग पार्टी) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (ओं) से कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ है (चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा) कि कंपनी:

(i) फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थियों) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देना या निवेश करनाय या

(ii) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई गारंटी प्रदान करना।

अघोषित आय

आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में चालू या पिछले वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या खुलासा की गई कोई आय नहीं है, जिसे खाते की किताबों में दर्ज नहीं किया गया है।

क्रिप्टो करेंसी या आभासी मुद्रा का विवरण

कंपनी ने चालू या पिछले वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या आभासी मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

पीपी एंड ई, अमूर्त संपत्ति और निवेश संपत्ति का मूल्यांकन

कंपनी ने चालू या पिछले वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों सहित) या अमूर्त संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

कंपनी रजिस्ट्रार के पास शुल्कों का पंजीकरण या संतुष्टि

ऐसा कोई शुल्क या संतुष्टि नहीं है जिसे वैधानिक अवधि के बाद कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत किया जाना बाकी है।

विश्लेषणात्मक अनुपात

वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) को दी गई विशिष्ट नियामक छूट के कारण कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी एनबीएफसी नियमों की प्रयोज्यता से छूट दी गई है। सीआरएआर और तरलता कवरेज अनुपात कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड

("एनएसआईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी")
पंजीकृत कार्यालयः एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज–III, नई दिल्ली–110020
(सीआईएन नंबरः यू65990डीएल2020जीओआई368828)

01.04.2022 से 31.03.2023 तक की अवधि के लिए नकदी प्रवाह का विवरण

(लाख रू. में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए
	प्रचालन कार्यों से प्राप्त नकदी प्रवाहः		
	कर पूर्व लाभ/(हानि) ।	405.63	**230.94**
	समायोजन से पहले शुद्ध हानिः		
	मूल्यह्रास	0.51	**0.32**
	पिछले वर्ष के लिए वसूली योग्य आयकर की मान्यता	0.00	**0.83**
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन हानि	406.14	232.09
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन		
	ऋण एवं अग्रिम में (वृद्धि)/कमी	1.06	**-1.25**
	व्यापार प्राप्य में (वृद्धि)/कमी	0.00	-109.42
	(वृद्धि)/वर्तमान परिसंपत्तियों में कमी	-163.11	0.00
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	-504.29	2.31
	अन्य गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	0.83	4.07
	व्यापार देय में वृद्धि/(कमी) ।	0.00	77.85
	अन्य वित्तीय देनदारियों में वृद्धि/(कमी) ।	307.55	41.47
	प्रावधान में वृद्धि/कमी	1.87	0.00
	परिचालन से नकदी (उपयोग)/उत्पन्न	-356.09	**247.12**
	भुगतान किया गया आयकर	-52.35	**-2.34**
I	**परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न/(इसमें उपयोग किया गया) शुद्ध नकदी**	**-408.44**	**244.78**
	निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाहः		
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद	-3.28	0.00
	विकासाधीन अमूर्त संपत्तियों के लिए प्रतिपूर्ति की गई राशि	0.00	16.93
	सावधि जमा में निवेश – (परिपक्वता 3 महीने से अधिक लेकिन 1 वर्ष से अधिक नहीं)		-70.00
	सावधि जमा में निवेश – (1 वर्ष से अधिक की परिपक्वता)	105.42	136.18
	एआईएफ – एसआरआई निधि में निवेश	-19.45	-8.91
II	**निवेश गतिविधियों से/(में प्रयुक्त) से उत्पन्न निवल नकदी**	**82.69**	**74.20**
	वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाहः		
	वित्त वर्ष 2021–22 के लिए लाभांश का भुगतान	-57.08	0.00
	शुद्ध नकदी (इसमें उपयोग किया गया)/ वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न	**-57.08**	**0.00**
III	**नकद एवं नकद समतुल्यों में निवल (कमी)/वृद्धि (I+II+III)**	**23.31**	**318.98**
	अवधि के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य	**329.48**	**10.50**
	अवधि के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य	**352.79**	**329.48**

संलग्न नोट वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा हैं

इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
देवन्द्र कुमार जैन एण्ड एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं.: 007799एन

ह./–
डी के जैन
साझेदार
{ सदस्यता सं.: 083417}
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.08.2023
यूडीआईएन : 23083417बीजीएक्सएचसीजे2856

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड

ह./–
विपुल गोयल
अध्यक्ष
{ डीआईएन नं.: 10229523}

ह./–
सरवण कुमार अनणथन
निदेशक एण्ड सीईओ
{ डीआईएन नं.: 09769378}

ह./–
राजेश मदान
महाप्रबंधक

ह./–
आदर्श कुमार कंसल
मुख्य प्रबंधक (लेखा)

ह./–
निष्ठा गोयल
कंपनी सचिव
{ सदस्यता सं.: ए22768}

एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड

("एनएसआईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी")
पंजीकृत कार्यालयः एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज–III, नई दिल्ली–110020
(सीआईएन नंबरः यू65990डीएल2020जीओआई368828)

01.04.2022 से 31.03.2023 तक की अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

I. इक्विटी शेयर कैपीटल

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.2023 को यथास्थिति	31.03.2022 को यथास्थिति
अंकित मूल्य रू. 100/– वाले शेयर		
अवधि के शुरूआत में संतुलन	600.00	600.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	0	0
अवधि के अंत में शेष	**600.00**	**600.00**

II. अन्य इक्विटी

(लाख रू. में)

विवरण	प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आय	कुल
01.04.2022 को अवधि की शुरुआत में शेष राशि	129.17	0.00	129.17
अवधि के लिए लाभ/(हानि)	303.66	0.00	303.66
अवधि के लिए व्यापक आय	0.00	0.00	0.00
लाभांश भुगतान	-57.08		-57.08
31 मार्च, 2023 को यथास्थिति	**375.75**	**0.00**	**375.75**
01.04.2021 को अवधि की शुरुआत में शेष राशि	-61.10	0.00	-61.10
अवधि के लिए लाभ/(हानि)	190.27	0.00	190.27
अवधि के लिए व्यापक आय	0.00	0.00	0.00
31 मार्च, 2022 को यथास्थिति	**129.17**	**0.00**	**129.17**

देवन्द्र कुमार जैन एण्ड एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं.: 007799एन

ह./–
डी के जैन
साझेदार
{सदस्यता सं.: 083417}
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.08.2023
यूडीआईएन : 23083417बीजीएक्सएचसीजे2856

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड

ह./–
विपुल गोयल
अध्यक्ष
{डीआईएन नं.: 10229523}

ह./–
सरवण कुमार अनणथन
निदेशक एण्ड सीईओ
{डीआईएन नं.: 09769378}

ह./–
राजेश मदान
महाप्रबंधक

ह./–
आदर्श कुमार कंसल
मुख्य प्रबंधक (लेखा)

ह./–
निष्ठा गोयल
कंपनी सचिव
{सदस्यता सं.: ए22768}

एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक वित्तीय खातों की अंतिम टिप्पणियों के उत्तर

क्र. सं.	टिप्पणियाँ	प्रबंधन का उत्तर
1	**31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ** कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। उक्त अधिनियम की धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक उक्त अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143 के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। उनकी दिनांक 28 जुलाई 2023 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के जरिए बताया गया है। मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, कंपनी अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अधीन एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यशील दस्तावेजों को प्राप्त किए बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ और कुछ लेखाकंन रिकार्डों की चयनात्मक जांच तक सीमित है। मेरे अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, इसके अलावा, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को रेखांकित करना चाहता हूँ जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरण और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ पैदा करने के लिए आवश्यक हैं।	तथ्य का विवरण

क्र. सं.	टिप्पणियाँ	प्रबंधन का उत्तर
2	कंपनी का गठन एमएसएमई क्षेत्र को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड[1] के नाम पर एमएसएमई फंड स्थापित करने के निर्णय के अनुसरण में किया गया था। एसआरआई फंड के लिए योजना संबंधी दिशानिर्देश में, अन्य बातों के साथ–साथ यह प्रावधान किया गया है कि (i) मदर फंड (एसआरआई फंड) को एनएसआईसी से 100 प्रतिशत इक्विटी प्राप्त करने वाले एसपीवी द्वारा एंकर किया जाएगा (ii) एसपीवी मदर फंड को श्रेणी I अथवा II वैकल्पिक निवेश फंड के रूप में पंजीकृत करने के लिए सेबी को आवेदन करेगा, (iii) एसपीवी को 1 प्रतिशत के प्रबंधन शुल्क की अनुमति दी जा सकती है जो वास्तव में मदर फंड के अधिकार में रखे गए संचय निधि के संबंध में देय होगा। इस प्रकार, एसपीवी (एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड) को एसआरआई फंड को सेबी के साथ वैकल्पिक निवेश फंड के रूप में पंजीकृत कराना था और इसका प्रबंधन करना था, जिसके लिए इसे प्रबंधन शुल्क प्राप्त होना था। हालांकि, एसआरआई फंड को पंजीकृत करने की बजाय, एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड ने स्वयं को सेबी के साथ श्रेणी–II वैकल्पिक निवेश फंड के रूप में पंजीकृत कराया है। एसआरआई फंड इस प्रकार पंजीकृत वैकल्पिक निवेश फंड की एक योजना है।	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MoMSME) द्वारा आत्मनिर्भर भारत निधि पर 17 अगस्त 2021 को जारी परिचालन दिशानिर्देश निम्नलिखित कहते हैं:– क) मदर फंड को एसपीवी द्वारा संचालित किया जाएगा (एनएसआईसी से 100% इक्विटी होगी जिसे एक अलग कानूनी इकाई के रूप में शामिल किया जाएगा। ख) एसपीवी मदर फंड को श्रेणी I या II वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ) के रूप में पंजीकृत करने के लिए सेबी को आवेदन करेगा। पंजीकरण के समय, उच्च प्रशासन, ट्रस्ट या एलएलपी की तुलना में कंपनी पर लागू मानकों के कारण एआईएफ को एक कंपनी के रूप में स्थापित करना विवेकपूर्ण माना गया और प्रत्येक बाद की योजना के अलग पंजीकरण से बचने के लिए, एनवीसीएफएल को पंजीकृत करने का निर्णय लिया गया। एआईएफ के रूप में। इसके अलावा, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) (एआईएफ) विनियम 2012 का विनियम 12 (1), एआईएफ को विभिन्न योजनाएं शुरू करने का अधिकार देता है। तदनुसार, एनवीसीएफएल ने भारत सरकार (जीओआई) द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने की दृष्टि से एओपी संरचना के तहत आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड के नाम से अपनी पहली योजना शुरू की। एमएसएमई मंत्रालय को एआईएफ और एसआरआई फंड के रूप में एनवीसीएफएल की पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में पता था क्योंकि एनवीसीएफएल की पहली योजना दिनांक 12 अक्टूबर 2021 को योगदान समझौते पर थी, जिस पर एमओएमएसएमई के अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार इसे MoMSME की मंजूरी माना जाता है और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MoMSME) द्वारा जारी परिचालन दिशानिर्देशों का कोई उल्लंघन नहीं है। उपरोक्त संरचना भी सेबी विनियमन के अनुपालन में थी और सेबी द्वारा अनुमोदित थी, (जो एआईएफ के पंजीकरण के लिए शीर्ष निकाय है, जिसे वर्ष 1992 में एक वैधानिक निकाय के रूप में

1. विकास पूंजी हासिल करने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा सामना की जा रही गंभीर कमी को दूर करने के लिए फंड ऑफ फंड्स (FoF) बनाया गया। फंड की मुख्य निवेशक भारत सरकार है।

क्र. सं.	टिप्पणियाँ	प्रबंधन का उत्तर
		स्थापित किया गया था और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम के प्रावधान थे, 1992 (1992 का 15) लाइसेंस दिए जाने के समय 30 जनवरी 1992 को लागू हुआ। यह ध्यान दिया जा सकता है कि सेबी, जो एआईएफ उद्योग के लिए नियामक संस्था है, ने एसआरआई फंड के पीपीएम को स्वीकार कर लिया है और एनवीसीएफएल को श्रेणी II एआईएफ और एसआरआई को एनवीसीएफएल की पहली योजना के रूप में पंजीकृत किया है।
3	**क. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी करें** चूंकि एसआरआई फंड एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल, कंपनी) की एक योजना है और उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर एक अलग इकाई नहीं है, इसलिए एसआरआई फंड से संबंधित सभी लेनदेन को एनवीसीएफएल के वित्तीय विवरणों में शामिल किया जाना आवश्यक था। हालाँकि, कंपनी ने एनवीसीएफएल और एसआरआई फंड को अलग–अलग संस्थाएँ मानते हुए अपने वित्तीय विवरणों में एसआरआई फंड से संबंधित लेनदेन को शामिल नहीं किया। एनवीसीएफएल की पुस्तकों में एसआरआई फंड से संबंधित लेनदेन को शामिल न करने के परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों और देनदारियों को ₹56,227.42 लाख (₹57,634.08 लाख[2] घटा ₹1,406.66 लाख) प्रत्येक से कम बताया गया और वर्ष के लिए मुनाफे को ₹711.17 लाख[3] से अधिक बताया गया।	एओपी के रूप में एसआरआई फंड का निगमन और पंजीकृत एआईएफ के रूप में एनवीसीएफएल का पंजीकरण दो अलग–अलग संस्थाएं हैं। समय–समय पर संशोधित सेबी अधिनियम के एआईएफ विनियमन 20(16) के अनुसार, खातों की अलग–अलग पुस्तकों के रखरखाव के संबंध में, ''प्रबंधक और या तो ट्रस्टी या ट्रस्टी कंपनी या निदेशक मंडल या नामित भागीदार एआईएफ, जैसा भी मामला हो, यह सुनिश्चित करेगा कि एआईएफ की प्रत्येक योजना की परिसंपत्तियों और देनदारियों को वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) की अन्य योजनाओं से अलग और घेरा गया है, और प्रत्येक योजना के बैंक खाते और प्रतिभूति खाते को अलग किया गया है। और रिंग–फेंस्ड।'' यह अनिवार्य है कि प्रत्येक योजना की परिसंपत्ति और देनदारियों को अलग किया जाना चाहिए और अलग से हिसाब लगाया जाना चाहिए क्योंकि योजना की इन परिसंपत्तियों का लाभार्थी स्वयं एआईएफ नहीं है बल्कि योजना के योगदानकर्ता हैं। इस प्रकार एसआरआई फंड के लिए एनवीसीएफएल से अलग खाते रखना अनिवार्य है, जो एनएसआईसी की सहायक कंपनी है।

2. एनवीसीएफएल का कुल बैलेंस शीटः ₹1,406.66 लाख प्लस एसआरआई फंड का बैलेंस शीट कुलः ₹56,869.46 लाख घटा अंतर–यूनिट समायोजन ₹642.04 लाख यानी एसआरआई फंड में एनवीसीएफएल का निवेशः ₹28.36 लाख और एसआरआई फंड से प्राप्तियांः ₹613.68 लाख (तदनुसार) एसआरआई फंड की पुस्तकों में देनदारियों के रूप में दिखाया गया है)।

3. एनवीसीएफएल और एसआरआई फंड का कुल राजस्व ₹872.92 लाख है और ₹39.71 लाख के अंतर–यूनिट लेनदेन को समाप्त करने के बाद कुल खर्च ₹1,280.43 लाख है। इससे एनवीसीएफएल की पुस्तकों में दर्शाया गया ₹303.66 लाख का लाभ ₹407.51 लाख के घाटे में बदल जाएगा।

क्र. सं.	टिप्पणियाँ	प्रबंधन का उत्तर
		एसआरआई फंड की संपत्तियों को एनवीसीएफएल की संपत्ति के रूप में प्रतिबिंबित करना स्पष्ट रूप से गलत होगा, क्योंकि यह कानूनी नहीं है या इन संपत्तियों का लाभार्थी मालिक नहीं है। इसके अलावा, जैसा कि एसआरआई फंड दिशानिर्देशों में बताया गया है, एसपीवी यानी एनवीसीएफएल ड्रॉडाउन राशि पर 1% का प्रबंधन शुल्क लेता है, यदि पुस्तकों का विलय कर दिया जाता है तो आय और व्यय के रूप में प्रबंधन शुल्क का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, जो निष्पक्षता को प्रतिबिंबित नहीं करेगा। खातों की पुस्तकों का दृश्य. इसके अलावा, एनवीसीएफएल एक कंपनी है और एसआरआई फंड अलग–अलग पैन और टैन के साथ एक एओपी है, जिसका विलय नहीं किया जा सकता है। विलय के लिए, इकाई को अन्य इकाई की सहायक कंपनी होनी चाहिए, एसआरआई फंड एनवीसीएफएल की सहायक कंपनी नहीं है। इसलिए, एसआरआई फंड और एनवीसीएफएल के खातों की पुस्तकों का विलय या समेकन संभव नहीं है। उपरोक्त के मद्देनजर, एनवीसीएफएल और एसआरआई फंड की संपत्तियों और देनदारियों के विलय के आंकड़े खातों की किताबों के सही और निष्पक्ष दृश्य को प्रतिबिंबित नहीं करेंगे और एसआरआई फंड को अव्यवहारिक बनाने के साथ–साथ सेबी दिशानिर्देशों का उल्लंघन भी होगा। कंपनी ने वही लेखांकन पद्धति अपनाई है जो पिछले वर्ष वित्त वर्ष 2021–22 में अपनाई गई थी। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, परिसंपत्तियों और देनदारियों को ₹56,227.42 लाख (₹57,634.08 लाख[4] घटाकर ₹1,406.66 लाख) प्रत्येक की सीमा तक कम नहीं बताया गया है और परिसंपत्तियों को शामिल न करने के कारण वर्ष के लिए लाभ को ₹711.17 लाख से अधिक नहीं बताया गया है। और एनवीसीएफएल के वित्तीय विवरण में एसआरआई फंड की देनदारियां।

4. एनवीसीएफएल का कुल बैलेंस शीटः ₹1,406.66 लाख प्लस एसआरआई फंड का बैलेंस शीट कुलः ₹56,869.46 लाख घटा अंतर–यूनिट समायोजन ₹642.04 लाख यानी एसआरआई फंड में एनवीसीएफएल का निवेशः ₹28.36 लाख और एसआरआई फंड से प्राप्तियांः ₹613.68 लाख (तदनुसार) एसआरआई फंड की पुस्तकों में देनदारियों के रूप में दिखाया गया है)।

क्र. सं.	टिप्पणियाँ	प्रबंधन का उत्तर
4	**ख. स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणी करें** **स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 28 अगस्त 2023** कंपनी के लाभ और हानि के विवरण में दर्शाए अनुसार ₹303.66 लाख के लाभ पर उपरोक्त टिप्पणी का प्रभाव 234.20 प्रतिशत (711.17 / 303.66*100) बनता है और इससे लाभ हानि राशि में बदल जाएगा। से ₹407.51 लाख। इसके अलावा, संपत्तिध्देनदारियां ₹56,227.42 लाख तक कम बताई गई हैं जो लगभग है। कंपनी की बैलेंस शीट में दर्शाई गई संपत्ति / देनदारियों की राशि का चार हजार प्रतिशत (56,227.42 / 1,406.66*100)। इसलिए, कंपनी के वित्तीय विवरण ''सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण'' प्रस्तुत नहीं करते हैं और स्वतंत्र लेखा परीक्षक की ओर से यह आश्वासन देना उचित नहीं था कि वित्तीय विवरण ''सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण'' प्रस्तुत करते हैं।	एनवीसीएफएल और एसआरआई फंड को दो अलग–अलग संस्थाओं के रूप में माना जाना आवश्यक है और उनकी संबंधित संपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय का अलग–अलग हिसाब लगाया जाना चाहिए। एसआरआई फंड कंपनी की एक योजना है, एनवीसीएफएल एक अलग बैंक खाते के साथ और कर उद्देश्यों के लिए आयकर विभाग द्वारा व्यक्तियों के एक विशिष्ट संघ के रूप में मान्यता प्राप्त है। सेबी एआईएफ विनियम एआईएफ को कंपनी, एलएलपी या ट्रस्ट के रूप में आयोजित करने की अनुमति देता है। इसके अलावा, एआईएफ विनियम सेबी के साथ पंजीकृत एआईएफ को योजनाएं शुरू करने की भी अनुमति देते हैं (चाहे उनका संविधान कुछ भी हो)। तदनुसार, एनवीसीएफएल एसआरआई फंड का संचालन कर रहा है जो एआईएफ विनियमों के प्रावधान के अनुसार शुरू की गई एआईएफ की एक योजना है। यह संरचना सरकार द्वारा अधिदेशित है और सेबी विनियमों के अनुपालन में है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि यह संरचना एनवीसीएफएल द्वारा पिछले वर्ष कई सलाहकारों से लिखित पेशेवर राय पर लागू की गई थी, जिसे कंपनी ने वित्त वर्ष 2021–22 की ऑडिट प्रक्रिया के दौरान सीएजी के साथ भी साझा किया था। वित्त वर्ष 2022–23 के लिए अपनाया गया लेखांकन उपचार पिछले वर्ष वित्त वर्ष 2021–22 के अनुरूप है। एक बार एसआरआई फंड को एक योजना के रूप में लॉन्च किया गया है, सेबी विनियमों के अनुसार यह अनिवार्य है कि प्रत्येक योजना की संपत्तियों को अलग किया जाना चाहिए और अलग से हिसाब लगाया जाना चाहिए क्योंकि किसी योजना की इन संपत्तियों का लाभार्थी एआईएफ नहीं बल्कि योजना में योगदानकर्ता है। इस प्रकार, एसआरआई फंड खातों को एनवीसीएफएल से अलग बनाए रखना अनिवार्य है जो एनएसआईसी की सहायक कंपनी है। एसआरआई फंड की संपत्तियों को एनवीसीएफएल की संपत्तियों के रूप में प्रतिबिंबित करना स्पष्ट रूप से गलत होगा क्योंकि यह इन संपत्तियों का कानूनी या लाभकारी मालिक नहीं है। हां, यह केवल एसआरआई फंड में इसके योगदान की सीमा तक लाभकारी ब्याज धारक है जो एसआरआई फंड में इसके द्वारा रखी गई इकाइयों के माध्यम से परिलक्षित होता है।

क्र. सं.	टिप्पणियाँ	प्रबंधन का उत्तर
		इसलिए, कंपनी के वित्तीय विवरण ''सच्चे और निष्पक्ष दृष्टिकोण'' का प्रतिनिधित्व करते हैं इसके अलावा, उपरोक्त के संबंध में, यह कहा गया है कि मामला लंबित है क्योंकि सेबी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। फंड की संरचना, दिनांक 07.03.2023, 20.03.2023, 30.05.2023, 01.08.2023 को ईमेल के माध्यम से सेबी के साथ निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है और 01.09.2023 को सेबी के साथ बैठक हुई, जिसके बाद फिर से एक अनुस्मारक पत्र दिया गया। दिनांक 05.09.2023, 05.10.2023 और 14.11.2023, सेबी के उत्तर का आज तक इंतजार है।
	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए और की ओर से **ह./–** **(संजय के झा)** प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक (उद्योग और कार्पोरेट मामले) स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 09 नवंबर, 2023	एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड के लिए और की ओर से **ह./–** **विपुल गोयल** (अध्यक्ष) स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 11 दिसंबर, 2023

एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड

(एनएसआईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)
सीआईएनः यू65990डीएल2020जीओआई368828
एनएसआईसी भवन, ओखला औद्योगिक एस्टेट
नई दिल्ली–110020
वेबसाइटः www.nvcfl.co.in

सं. SIC/SEC/NVCFL/3rd AGM/2023 दिनांकः 11 दिसंबर, 2023

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल या "कंपनी")की तीसरी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) दिनांक 11 दिसंबर, 2023 को दोपहर 3.00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय एनएसआईसी भवन, ओखला औद्योगिक एस्टेट नई दिल्ली–110020 में निम्नलिखित कार्य करने के लिए आयोजित की जाएगी:

साधारण कार्य

1. दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और उन पर निदेशक मंडल, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ–साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों, को प्राप्त करना, पर विचार करना और उन्हें अंगीकृत करना।

2. 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश घोषित करना।

3. वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल को कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत करना और साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प को पारित करना।

"संकल्प किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक निश्चित और निर्धारित करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।"

विशेष कार्य

निम्नलिखित पर विचार करना, तथा यथोचित पाए जाने पर, साधारण संकल्प(पों) के रूप में पारित करना:

4. **कंपनी के निदेशक के रूप में अतिरिक्त निदेशक, श्री विपुल गोयल (डीआईएन– 10229523) का नियमितीकरण**

"संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार श्री विपुल गोयल (डीआईएन– 10229523) जिन्हें 6 जुलाई, 2023 से अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, एतद् द्वारा कंपनी के निदेशक होने और कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।"

5. **कंपनी के निदेशक के रूप में अतिरिक्त निदेशक, श्री गौरव गुलाटी (डीआईएन सं. 10144109) का नियमितीकरण**

"संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार श्री गौरव गुलाटी (डीआईएन सं. 10144109 जिन्हें 14 जून, 2023 से अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, एतद् द्वारा कंपनी के निदेशक होने और कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।"

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

ह/–
(निष्ठा गोयल)
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11 दिसंबर, 2023

टिप्पणियाँ:

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 102 के अनुसार संलग्न सूचना के मद संख्या 4 और 5 के तहत कार्यवाही से संबंधित भौतिक तथ्यों को निर्धारित करते हुए, व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न किया गया है।

1. वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार कोई सदस्य, अपने बदले बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए कोई प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार है और प्रतिनिधि का कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।

2. यदि कोई सदस्य इस बैठक के कारोबार की किसी मद (मदों) के संबंध में सूचना प्राप्त करना चाहें, तो उनसे अनुरोध है कि वे वार्षिक आम बैठक की तारीख को पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी सचिव को अपने प्रदत्त भेजें, ताकि अपेक्षित सूचना बैठक के समय उपलब्ध करवाई जा सकें।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार रखा जाने वाला सांविधिक रजिस्टर कंपनी की वार्षिक आम बैठक के स्थान और समय पर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा निरीक्षण करने के लिए उपलब्ध रहेगा।

4. खाली प्रोक्सी फार्म इसके साथ भेजा जा रहा है।

5. विधिवत मुहर लगा हुआ और भरा हस्ताक्षरित प्रोक्सी नियुक्त करने संबंधी लिखत, बैठक शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार आम बैठकों पर सचिवीय मानक (एसएस–2) के साथ पठित व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 4

एमएसएमई मंत्रालय द्वारा अनुमोदित आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड (अर्थात एनवीसीएफएल की पहली योजना) के दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी के पास एक स्वतंत्र बोर्ड होगा जिसमें एनवीसीएफएल के अध्यक्ष के रूप में सीएमडी, एनएसआईसी शामिल होंगे। भारत सरकार, एमएसएमई मंत्रालय ने पत्र के–01/13/2021 – एसएमई दिनांक 30 जून, 2023 के माध्यम से श्री विपुल गोयल, संयुक्त सचिव (एम/वो एमएसएमई) को एनएसआईसी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।

तदनुसार, श्री विपुल गोयल को आपकी कंपनी के निदेशक बोर्ड में कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 161(1) के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार 6 जुलाई 2023 से इस वार्षिक आम बैठक की तिथि तक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तदनुसार, निदेशक के रूप में श्री विपुल गोयल की नियुक्ति पर इस वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा विचार किया जा सकता है।

आपकी कंपनी का निदेशक बोर्ड कंपनी के शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन हेतु निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति की सिफारिश करता है।

श्री विपुल गोयल को छोड़कर कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और/अथवा उनके रिश्तेदार उक्त प्रस्ताव को पारित करने में इच्छुक अथवा सम्मिलित, वित्तीय अथवा अन्यथा नहीं हैं, जैसा कि नोटिस के मद संख्या 4 में निर्धारित किया गया है।

बैठक की तिथि तक सभी कार्य दिवसों/समय पर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा उक्त मद के संबंध में संबंधित दस्तावेज निरीक्षण के लिए खुले हैं।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, नोटिस के मद संख्या 4 में साधारण संकल्प बाबत निर्धारित किया गया है, सहमति प्रदान करने का अनुरोध किया जाता है।

मद संख्या 5

एमएसएमई मंत्रालय द्वारा अनुमोदित आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड (यानी एनवीसीएफएल की पहली योजना) के दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी के पास एक एनएसआईसी नामित निदेशक के साथ एक स्वतंत्र बोर्ड होगा। एनएसआईसी ने श्री गौरव गुलाटी को एनवीसीएफएल के निदेशक के रूप में नामित किया है। तदनुसार, उन्हें दिनांक 14 जून, 2023 से अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक आपकी कंपनी के निदेशक मंडल पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) के

प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार। तदनुसार, इस एजीएम में शेयरधारकों द्वारा निदेशक के रूप में श्री गौरव गुलाटी की नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है।

श्री गौरव गुलाटी को छोड़कर कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और/अथवा उनके रिश्तेदार उक्त प्रस्ताव को पारित करने में इच्छुक अथवा सम्मिलित, वित्तीय अथवा अन्यथा नहीं हैं, जैसा कि नोटिस के मद संख्या 5 में निर्धारित किया गया है।

श्री गौरव गुलाटी, निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति की सीमा तक इस संकल्प में रुचि रखते हैं।

बैठक की तिथि तक सभी कार्य दिवसों/समय पर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा उक्त मद के संबंध में प्रासंगिक दस्तावेज निरीक्षण के लिए खुले हैं।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, नोटिस के मद संख्या 5 में साधारण संकल्प बाबत निर्धारित किया गया है, सहमति प्रदान करने का अनुरोध किया जाता है।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

एनएसआईसी भवन, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली – 110 020, भारत

Website: www.nsic.co.in

क्र. सं.	एनएसआईसी कार्यालय	पता	फोन/फैक्स	ई मेल
1	**पंजीकृत कार्यालय**	एनएसआईसी भवन ओखला इंडस्ट्रीयल एस्टेट नई दिल्ली – 110020	011-26926275, 26926370	info@nsic.co.in, dpu@nsic.co.in
2	**नार्थ–I** **जोनल कार्यालय**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड सी–41 सेक्टर–58 नोएडा–201301 (उत्तर प्रदेश)	0120-4546198, 4546197	zgmnorth1@nsic.co.in
3	**नोएडा**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय III–बी/118, सैक्टर–18, शोपिंग काम्पलैक्स, नोएडा – 201301 (उत्तर प्रदेश)	0120-4595000 से 4595045, 2511798 फैक्स-0120-4556450, 4556453	bonoida@nsic.co.in
4	**देहरादून**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय निरंजनपुर सब्जीमंडी के पास, सहारनपुर रोड़, देहरादून – 248001 (उत्तराखण्ड)	0135-2520501 फैक्स-2520501	bodehradun@nsic.co.in
5	**आगरा**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय 307/टी–6, तीसरी मंजिल, मारूति प्लाजा, (संजय टाकीज के पीछे) संजय पैलेस, आगरा – 282002 (उत्तर प्रदेश)	0562-2527862, 2525567 फैक्स-0562-2524842	boagra@nsic.co.in
6	**कानपुर**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय 112/1, दूसरी मंजिल बेनाझाबर रोड़, कानपुर – 208002	0512-2535049, 2556379 फैक्स-0512-2543217	bokan@nsic.co.in
7	**नैनी**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय इंडस्ट्रियल एस्टेट, पी.ओ–उद्योग नगर, नैनी, इलाहाबाद – 211009 (उत्तर प्रदेश)	0532-2697218, 2697050, 2695847 फैक्स-0532-2697218	boallahabad@nsic.co.in
8	**गोरखपुर**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, उप शाखा कार्यालय डीआईसी कैम्पस, गोरखनाथ, इंडस्ट्रीयल एस्टेट, गोरखपुर – 273015 (उत्तर प्रदेश)	7524043999	sogorakhpur@nsic.co.in
9	**वाराणसी**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, उप शाखा कार्यालय मानसरोवर कॉम्पलेक्स, सी–30/35–बी, द्वितीय तल मालदहिया, वाराणसी – 221001 (उत्तर प्रदेश)	542-2370223 फैक्स-0542-2370223	bovaranasi@nsic.co.in
10	**अलीगढ़**	उप शाखा कार्यालय एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र ए–1 इंडस्ट्रीयल एस्टेट अलीगढ़, उत्तर प्रदेश पिन कोड – 202001	8755170888	soaligarh@nsic.co.in
11	**नार्थ–II** **जोनल कार्यालय**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड गुरू गोबिंद सिंह टावर,नियर ढोलेवाल चौक, जी टी रोड़ लुधियाना – 141003 (पंजाब)	0161-2541946, 2530940, 2546523 फैक्स-0161-2531946	zgmnorth2@nsic.co.in
12	**लुधियाना**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय गुरू गोबिंद सिंह टावर, नियर ढोलेवाल चौक, जी टी रोड़ लुधियाना – 141003 (पंजाब)	0161-2541946, 2530940, 2546523 फैक्स-0161-2531946	boludh@nsic.co.in
13	**चंडीगढ़**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय भूतल, बीएसएनएल प्रशासन बिल्डिंग, सेक्टर 34–ए, चंडीगढ़ – 160022	0172-2620538/39, 2610537 फैक्स-0172-2600858	bochd@nsic.co.in

क्र. सं.	एनएसआईसी कार्यालय	पता	फोन/फैक्स	ई मेल
14	**जालंधर**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय प्रथम तल, 55 एक्रेड बी–1–823/4, टांडा रोड़ केएमवी कॉलेज के सामने, जलांधर – 144004 (पंजाब)	0181-2292242, 2295533, 6570257 फैक्स-0181-2299242	bojal@nsic.co.in
15	**अम्बाला**	उप शाखा कार्यालय अम्बाला, हरियाणा पिन कोड	श्री संजीवजी फोन नं.– 9415395089	-
16	**एनसीआर जोन जोनल कार्यालय**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड एनटीएससी कैम्पस गोविंद पुरी मेट्रो स्टेशन के पास, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110020	011-40584930 फैक्स-011-26382350	zgmncr@nsic.co.in
17	**दिल्ली**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय एनटीएससी कैम्पस गोविंद पुरी मेट्रो स्टेशन के पास, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110020	011-26382568-69, 41002319 फैक्स-011-26382568, 41002319-20	delhinsic@nsic.co.in
18	**गुड़गांव**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय प्लाट नं. 69, प्रथम तल आई.डी.सी. सेक्टर–16, एम.जी. रोड गुरूग्राम – 122001 (हरियाणा)	0124-2308913	bogur@nsic.co.in
19	**फरीदाबाद**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय प्लाट नं. 107, निशान हट, एनएच–5, रेलवे रोड, फरीदाबाद – 121001 (हरियाणा)	0129-4311249/52/ 92/93 फैक्स-0129-4311293	bofaridabad@nsic.co.in
20	**नारायणा**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय सीबी–326, द्वितीय तल, रिंग रोड, नारायणा, नई दिल्ली – 110028	011-64611484, 25775787 फैक्स-011-25775166	bonaraina@nsic.co.in
21	**दक्षिण–1 जोनल कार्यालय**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय नं. 25 फर्स्ट मेन रोड़ केएसएसआईडीसी इंडस्ट्रीयल एस्टेट, 6वां ब्लॉक राजाजीनगर, बेंगलुरू – 560010	080-23109059, 23307791, 23147858 फैक्स-080-23300070	zgmsouth1@nsic.co.in
22	**बेंगलुरू**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय नं. 25 फर्स्ट मेन रोड़ केएसएसआईडीसी इंडस्ट्रीयल एस्टेट, 6वां ब्लॉक राजाजीनगर, बेंगलुरू – 560010	080-23109059, 23307791, 23147858	boban@nsic.co.in
23	**बेलगांव**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय प्लाट नं. 60 अनुजय बिल्डिंग, 5वां क्रास, सुभाष चन्द्रा नगर, बेलगाांव फाउन्ड्री कलस्टर बिल्डिंग, नियर उत्सव होटल, उद्यमबाग बेलगांव – 590006 (कनार्टका)	0831-2449922	belgaum@nsic.co.in
24	**पीनिया**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय सी– 424, पीनिया इंडस्ट्रीयल एस्टेट फर्स्ट स्टेज, पीनिया पुलिस स्टेशन के पीछे, बेंगलुरू – 560058	080-28374676, 28394576, 28372977 फैक्स-080-28374676	bopeenya@nsic.co.in
25	**कोचीन**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय एस–67 जीसीडीए कर्मशियल कॉम्पलेक्स, मरीन ड्राइव शनगुमन रोड़, कोच्ची, कोचीन – 682031	0484-2381850/2368149 फैक्स-0484-2380155	bococh@nsic.co.in

क्र. सं.	एनएसआईसी कार्यालय	पता	फोन/फैक्स	ई मेल
26	**तृश्शूर**	उप शाखा कार्यालय एनएसआईसी लिमिटेड (अयानथोले पोस्ट आफिस के सामने) अयानथोले, तृश्शूर – 680003	9895571743	jjchalakkal@nsi.co.in
27	**दक्षिण–।। जोनल कार्यालय**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड 201, 203 श्री दत्तासाई काम्पलेक्स, आरटीसी क्रोस रोड़, हैदराबाद – 500020 (तेलगांना)	040-27615761, 27622097 फैक्स-040-27617777	zgmsouth2@nsic.co.in
28	**हैदराबाद**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय 301, 303 श्री दत्तासाई काम्पलेक्स, आरटीसी क्रोस रोड़, हैदराबाद – 500020 (तेलगांना)	040-27615764, 27615761, 27622097 फैक्स-040-27617777	bohyd@nsic.co.in
29	**बालानगर**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय 6–3–144 एण्ड 144/1, तृतीय तल जहांनारा करीम कॉम्पलेक्स, बाला नगर हैदराबाद –500037, (आन्ध्र प्रदेश)	040-23324769, 23344769	bobalanagar@nsic.co.in
30	**विजयवाड़ा**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय डोर नं. 59ए–8/8–6बी/1, तृतीय तल, मेन रोड़ गुरू नानक कालोनी, कृष्णा जिला विजयवाड़ा – 520008	0866-2541055 फैक्स-0866-2545055	bovijayawada@nsic.co.in
31	**विशाखापट्नम**	एनएसआईसी लिमिटेड, शाखा कार्यालय डी. नं. 32–6–1/13/49 फ्लैट नं. 107, प्रथम तल एमबीआर नियर शीला नगर विशाखापटनम – 530012	0891-2768554, 2758554	visakhapatnam@nsic.co.in
32	**साउथ–।।। जोनल कार्यालय**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, मॉड्यूल नं. 201, एनएसआईसी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी बिजनेस पार्क, गुइंडी इंडस्ट्रीयल एस्टेट, एक्काथुगंल, चैन्नई – 600032	044-2829 1943, 2829 4541 फैक्स-044-2829 5791	zgmsouth3@nsic.co.in
33	**चैन्नई**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, मॉड्यूल नं. 205, एनएसआईसी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी बिजनेस पार्क, गुइंडी इंडस्ट्रीयल एस्टेट, एक्काथुगंल, चैन्नई – 600032	044-28293347, 28294541 फैक्स-044-28295791, 28293347	bochen@nsic.co.in
34	**अम्बाटूर**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय 309 एसआईडीसीओ–एमा टावर्स, फर्स्ट मेन रोड़, अम्बाटूर इंडस्ट्रीयल एस्टेट, चैन्नई – 600058	044-26243984, 28291292 फैक्स-044-26246826	boambattur@nsic.co.in
35	**पुडुचेरी**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग इंडस्ट्रीयल एस्टेट, थट्टानचावड़े पुडुचेरी – 605009	0413-2248970, 2248940 फैक्स-0413-2248970	bopon@nsic.co.in
36	**कोयम्बतूर**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय 1055/10 गौथाम सेंटर, अविनाशी रोड़, कोयम्बतूर – 641018 (तमिलनाडु)	0422-2244618, 2247757 फैक्स-0422-2247764	bocomb@nsic.co.in
37	**मदुरै**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय 74, एडीआर टावर प्रथम तल, कलावसल, थेणी मेन रोड़, मदुरै – 625016	0452-2609992, 2609993, 2604322 फैक्स-0452-2380323	bomadu@nsic.co.in
38	**पूर्व–। जोनल कार्यालय**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय प्लाट नं. 7/7 एण्ड 7/8, ब्लॉक–सीपी, सेक्टर–**V,** सॉल्ट लेक कोलकाता – 700091 (पश्चिम बंगाल)	033-29861353, फैक्स- 033-22487359	zgmeast@nsic.co.in

क्र. सं.	एनएसआईसी कार्यालय	पता	फोन/फैक्स	ई मेल
39	**कोलकाता**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय 20–बी, सातवां तल, अब्दुल हमीद स्ट्रीट, सांतवा तल कोलकाता– 700069 (पश्चिम बंगाल)	033-2213-7084 033-2248-8288 फैक्स-033-2248-7359	bocal@nsic.co.in
40	**कोलकाता (साल्ट लेक)**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय प्लाट नं– 7/7 एण्ड 7/8, ब्लॉक–सीपी, साल्ट लेक सेक्टर–V कोलकाता – 700091 (पश्चिम बंगाल)	033-23671471, 23670155, 23672416	bosaltlak@nsic.co.in
41	**पटना**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय फ्लैट नं. 403, चतुर्थ तल, श्याम किशोरी होम्स, राजस्थान रेस्टोरेंट के पीछे, डॉक बेगलो चौराहा, फ्रेजर रोड़, पटना – 800001	0612-2354222, 3212403 फैक्स-0612-2354222	bopatna@nsic.co.in
42	**कोलकाता एल एण्ड आर**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड लीगल एण्ड रिकवरी सेल कमरा नं– 2/1 द्वितीय तल, हुडको टावर, न्यू मार्केट, 15 एन, नेली सेनगुप्ता सरनी, लिंडसवे स्ट्रीट कोलकाता – 700087	033-22522232	lrcellkol@nsic.co.in
43	**पूर्व–।। जोन जोनल कार्यालय**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, 304–बी, तृतीय तल, एनएसआईसी–आईएमडीसी धर्मपद भवन, आईडीसीओ प्लॉट नं. 6 ब्लॉक–डी मंचेश्चर इंडस्ट्रीयल एस्टेट, भुवनेश्वर – 751010	0674-2548875, 6510189 फैक्स-0674-2549780	zgmeast2@nsic.co.in
44	**भुवनेश्वर (शाखा कार्यालय)**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, 204–बी, द्वितीय तल, एनएसआईसी–आईएमडीसी धर्मपद भवन, आईडीसीओ प्लॉट नं. 6 ब्लॉक–डी मंचेश्चर इंडस्ट्रीयल एस्टेट, भुवनेश्वर – 751010	0674-2548875, 2549781	bobhubaneswar@nsic.co.in
45	**राउरकेला**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय प्लाट नं. जेजेजे–16, सिविल टाउनशिप राउरकेला – 769004	0661-2665059 फैक्स-0661-2664559	rourkela@nsic.co.in
46	**जमशेदपुर**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय फ्लैट नं. ए2/1, द्वितीय तल, निरोड अपार्टमेंट, एल–रोड़,पी.ओ. एण्ड पी.एस. बिस्तुपुर जमशेदपुर – 831001 (झारखण्ड)	0657-6004051, 6999000	bojms@nsic.co.in
47	**रांची**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय उद्योग भवन, कोकर औद्योगिक क्षेत्र रांची – 834001 (झारखण्ड)	0651-2543921	nsshoranchi@nsic.co.in
48	**बोकारो**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, उप शाखा प्लॉट नं. 7018 खाता नं. 566, नियर वैभव होटल, बाय पास रोड़, चौस बोकारो	827012-9431923065	bojam@nsic.co.in
49	**आईएमडीसी भुवनेश्वर**	आईडीसीओ प्लॉट नं. 6 ब्लॉक डी, मचेश्वर इंडस्ट्रीयल एस्टेट, भुवनेश्वर –751010	0674-2548875	imdcbbsr@nsic.co.in
50	**नार्थ ईस्ट जोनल कार्यालय**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड बाय लेन नं– 3, इंडस्ट्रीयल एस्टेट बामूनीमैडम, गुवाहाटी – 781021	0361-2960635, 2730219 फैक्स-0361-2558948	zgmne@nsic.co.in
51	**गुवाहाटी**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय (प्रशिक्षण केंद्र सहित) बाय लेन नं. 3 इंडस्ट्रीयल स्टेट, बामुनीमैडम, गुवाहाटी – 781021	0361-2960631 फैक्स-0361-2657948	bogwh@nsic.co.in

क्र. सं.	एनएसआईसी कार्यालय	पता	फोन/फैक्स	ई मेल
52	**इम्फाल**	उप शाखा उरीपोक अचोम लेकाई, इम्फाल (मणिपुर) – 795001	0385-2414270 08794362325	libetombidevi@nsic.co.in
53	**पश्चिम जोन जोनल कार्यालय**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड 505 पांचवा तल, मित्तल कर्मशियल बिल्डिंग, विंग–बी, गांव मरोल, कार्यालय एम.वी. रोड़, अंधेरी (ई) मुम्बई – 400059	022-28500377 फैक्स-022-2850 0375	zgmwest@nsic.co.in
54	**नवी मुम्बई**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय पी–104, खरैना एमआईडीसी, टीटीसी इंड. एरिया, कोपरखराने, नवी मुम्बई – 400710	022-23740268 23740272, 23740116 फैक्स-022-23741989	bomum@nsic.co.in
55	**अंधेरी मुम्बई**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय 3ए, तृतीय तल ए–विंग गंडेचा आनक्लेव खैराने रोड़, साकीनाका अंधेरी (ई), मुम्बई – 400072	022-2850 9915 / 16 फैक्स-022-28509917	boandheri@nsic.co.in
56	**नागपुर**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय न्यू सचिवालय बिल्डिंग प्रथम तल, पूर्व विंग, वीसीए स्टेडियम के सामने नियर उरसुला स्कूल सिविल लाइनस, नागपुर – 440001	0712-2543254, 2552023 फैक्स-0712-2543255	bonagpur@nsic.co.in
57	**पुणे**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय 211/212, द्वितीय तल, टाइम्स स्क्वायर बिल्डिंग पुणे–सतारा रोड़, नियर साईबाबा मंदिर, पुणे – 411037 (महाराष्ट्र)	020-24273800/ 48620207 फैक्स-020-24440546	bopune@nsic.co.n
58	**औरांगाबाद**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय पी/15, मासई, मोर चौक एमआईडीसी, वलुज, औरांगाबाद – 431136 (महाराष्ट्र)	0240-2552300 फैक्स-0240-2563799	boaurangabad@nsic.co.in
59	**रायपुर**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय 204, द्वितीय तल ब्लाक–ए क्रिस्टल अक्रेड नियर लोधीपारा चौक, शंकर नगर, रायपुर – 492007 (छत्तीसगढ़)	0771-4035388, 4006070	boraipur@nsic.co.in
60	**नासिक**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय गली नं. 13 तृतीय तल, उद्योग भवन, एमआईडीसी सतपुर, नासिक – 422007	0253-2365059 फैक्स-253-2365061	bonasik@nsic.co.in
61	**गोवा**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, उप शाख कार्यालय श्रीजी कॉम्पलेक्स चतुर्थ तल, नियर मनोशांति होटल, डॉ. दादा वैदया रोड़, पणजी – 403001	0832-2220540	bogoa@nsic.co.in
62	**सेंट्रल जोन जोनल कार्यालय**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड 202, 203 समृद्धि बिल्डिंग, गुजरात हाईकोर्ट के सामने, अहमदाबाद – 380014 (गुजरात)	079-27543228, 27544893, 27544254 फैक्स-079-27540159	zgmcentral@nsic.co.in
63	**अहमदाबाद**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय 202, 203 समृद्धि बिल्डिंग,गुजरात हाईकोर्ट के सामने, अहमदाबाद – 380014 (गुजरात)	079-27543228, 27544893, 27544254 फैक्स-079-27540159	boamd@nsic.co.in
64	**इंदौर**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय 10, पोलोग्राउंड इंडस्ट्रीयल एस्टेट, इंदौर – 452015 (मध्य प्रदेश)	0731-2424408, 2424409, 2422248 फैक्स-0731-2421566	boindore@nsic.co.in
65	**भोपाल**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय 110, मालवीय नगर, प्रथम तल, भोपाल – 462003 (मध्य प्रदेश)	0755-2766205, 4295152, 2766205 फैक्स-0755-2553183	bobpl@nsic.co.in

क्र. सं.	एनएसआईसी कार्यालय	पता	फोन/फैक्स	ई मेल
66	**जयपुर**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय एनएफ/0/2 नेहरू प्लेस, टोंक रोड, जयपुर – 302015	0141-2740191, 2742991, 2742372, 2744899 फैक्स-0141-2741277, 2740334	bojai@nsic.co.in
67	**वीकेआईए जयपुर**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय 513, अलंकार प्लाजा, सेंट्रल स्पाइन, सेक्टर–02 विद्याधर नगर जयपुर – 302039	0141-2231594, 2231573 फैक्स-0141-2231572	bovkijaipur@nsic.co.in
68	**कोटा**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, उप शाखा एसएसआई एसोसिएशन पुरुसारथा भवन, आईपीआईए, रोड़ नं. 5 कोटा – 324005	0744-2426104	sokota@nsic.co.in
69	**वड़ौदरा**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, उप शाखा (जिंक प्रोडेक्ट) सी/ओ सेंट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, नियर रानोली फलाईओवर, ब्रिज काराचाइया, वड़ौदरा – 391350	0265-2241430	intikafalam@nsic.co.in

एनटीएससी

क्र. सं.	एनएसआईसी कार्यालय	पता	फोन/फैक्स	ई मेल
70	**चैन्नई**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र (एलबीआई शामिल) सेक्टर–बी–24 गिन्डी औद्योगिक क्षेत्र इक्कादुथुंगल चैन्नई – 600032	044-22252335/6/7 फैक्स-044-22254500	ntscche@nsic.co.in
71	**हावड़ा**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र, जापानी गेट, बालटिकुरी हावड़ा – 711113	033-26530304, 26532962, 26534280 फैक्स-033-26531314	ntschow@nsic.co.in
72	**ओखला**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र, ओखला औद्योगिक क्षेत्र नई दिल्ली – 110020	011-26826801, 26826847, 26826846 फैक्स-011-26826783	ntscok@nsic.co.in
73	**हैदराबाद**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र, कमलानगर ईसीआईएल पोस्ट, हैदराबाद – 500062	040-27121422, 27126646, 27134025, 27124597 फैक्स-040-27122303	ntschy@nsic.co.in
74	**हैदराबाद (टीएससी) (बीओ)**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र, कमलानगर, ईसीआई। पोस्ट, हैदराबाद – 500062	040-27121422, 27126646, 27134025, 27124597 फैक्स-040-27122303	-
75	**राजकोट**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एलबीआई शामिल) एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र, भाव नगर रोड, अजी औद्योगिक क्षेत्र, राजकोट – 360003	0281-2387396/97/98 फैक्स-0281-2387729	ntscraj@nsic.co.in
76	**राजपुरा**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र, डी–82/83, फोकल प्वाइंट, राजपुरा – 140401	01762-232669 फैक्स-01762-232669	ntsec.rjp@nsic.co.in
77	**अलीगढ़**	एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र ए–1 इंडस्ट्रीयल एस्टेट अलीगढ़, उत्तर प्रदेश – 202001	0571-2403552	ntsecalig@nsic.co.in
78	**नीमका**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एलबीआई शामिल) एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र, टीगांव रोड, नीमका, फरीदाबाद – 121004	0129-2401101	ntscneemka@nsic.co.in
79	**डंडीगुल**	एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र शेड 27,29 एण्ड 30 सीडको इंडस्ट्रीयल एस्टेट, डंडीगुल – 624003 (तमिलनाडु)	0451-2911165	ntscche@nsic.co.in
80	**मंडी (टीसी)**	# 210/12, रामनगर (पालघराट) मंडी – 175001	01905-226471	nsic.mandi@gmail.com
81	**देवरिया (टीसी)**	प्लॉट नं. 18, सोंडा मोजा, नियर मंडी समिति, देवरिया – 274001	05568-651120	ticdeoria@nsic.co.in

क्र. सं.	एनएसआईसी कार्यालय	पता	फोन/फैक्स	ई मेल
82	**काशीपुर (एलबीआई)**	एनएसआईसी ट्रेनिंग कम इंक्यूबेशन सेंटर बी–5 इंडस्ट्रीयल एरिया, बाजपुर रोड़ काशीपुर, डिस्ट्रिक्ट–उद्यम सिंह नगर – 244713	05947-262453	punitkumar@nsic.co.in
83	**नवादा (एलबीआई)**	प्लॉट नं. 1619, गुरूदेव नगर नियर सरकारी आईटीआई, गोनावा रोड़ नवादा, बिहार – 805130	06324-8539038073	lbinawada@nsic.co.in
84	**नैनी–एलबीआई**	एलबीआई–नैनी, इंडस्ट्रीयल एस्टेट, उद्योग नगर, नैनी इलाहाबाद	0532-2697218, 2697050	bonaini@nsic.co.in
85	**राउरकेला–एलबीआई**	एनएसआईसी–लिवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन केन्द्र, सेक्टर–15 राउरकेला – 769003 (ओडिशा)	0661-2913931	lbirourkela@nsic.co.in

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब कार्यालय (एनएसएसएचओएस)

क्र. सं.	एनएसआईसी कार्यालय	पता	फोन/फैक्स	ई मेल
86	**सूरत (एनएसएसएच)**	राष्ट्रीय एससी–एसटी हब शाखा कार्यालय 306, तीसरा तल राजहंस बिल्डिंग जे.के. टॉवर के सामने रिंग रोड सूरत – 395002	0261-2345733, 4029735	nsshosurat@nsic.co.in
87	**आगरा (एनएसएसएच)**	यूनिट नं. 202, दूसरा तल सेक्टर–12 ए, पदम बिजनेस पार्क आवास विकास सिकन्दरा योजना आगरा – 282007 (उत्तर प्रदेश)	0562-2603131	nsshoagra@nsic.co.in
88	**भुवनेश्वर (एनएसएसएच)**	इंटिग्रेटेड मार्केटिंग डेवलपमेंट सेन्टर (आईएमडीसी) बिल्डिंग, धर्मपदा भवन, तृतीय तल आईडीसीओ प्लॉट नं. 6, तीसरा तल ब्लॉक–डी मनचेश्वर औद्योगिक क्षेत्र, भुवनेश्वर –751010 (उड़ीसा)	0674-2586780, 2580630	nsshobhub@nsic.co.in
89	**बंगलुरू (एनएसएसएच)**	नं. 6 एवं 7, इस्कोस बिल्डिंग, वेस्ट ऑफ चार्ड रोड, राजाजीनगर औद्योगिक टॉउन बंगलुरू – 560044	080-23147791, 29777790	nsshoban@nsic.co.in
90	**चैन्नई (एनएसएसएच)**	एमएसएमई–डीआई, कैम्पस नं. 65/1 जी.एस.टी रोड, गिन्डी, चैन्नई तमिलनाडु – 600032	044-48631200	nsshochen@nsic.co.in
91	**गुवाहाटी (एनएसएसएच)**	औद्योगिक क्षेत्र, बाई लेन नं. 3, बमुनीमेडम गुवाहाटी–781021	0361-2558947	nsshogwh@nsic.co.in
92	**हैदराबाद (एनएसएसएच)**	एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पलेक्स, कमलानगर हैदराबाद – 500062	040-29559801	nsshohyd@nsic.co.in
93	**जलुन (एनएसएसएच)**	राष्ट्रीय एससी/एसटी हब ऑफिस, सी/ओ उदय किरन निरंजन, गेट नं.212, नियर बंशीधर कॉलेज, झांसी रोड, ओरी, जिला जलुन, उत्तर प्रदेश – 285001	9926071861	-

क्र. सं.	एनएसआईसी कार्यालय	पता	फोन/फैक्स	ई मेल
94	**कोलकाता (एनएसएसएच)**	प्लॉट नं. 7/7 एवं 7/8, ब्लॉक सीपी सॉल्ट लेक, सेक्टर –5, कोलाकाता –700091 (पश्चिम बंगाल)	033-23672001, 29861253	nsshokol@nsic.co.in
95	**लखनऊ (एनएसएसएच)**	503, श्रीराम टॉवर, 5वां तल 13 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001	0522-2288589, 2288803	nssholucknow@nsic.co.in
96	**लुधियाना (एनएसएसएच)**	पहला तल, फ्रंटियर टॉवर, जीटी रोड मिल्लर गंज (फायर ब्रिगेड ऑफिस के पास) लुधियाना–141003	0161-4100939	nssholudh@nsic.co.in
97	**मुम्बई (एनएसएसएच)**	ऑफिस नं. 505, पांचवा तल, बी विंग मित्तल कर्मशियल बिल्डिंग, गांव मरोल, एम.वी. रोड़, मरोल नाका, अंधेरी (ईस्ट) मुम्बई – 400059	022-49710065, 23728902	nsshomum@nsic.co.in
98	**पुणे (एनएसएसएच)**	213, दूसरा तल, पुणे–सतारा रोड, नियर साईबाबा मंदिर, स्वारगेट पुणे – 411037	020-48620209	nsshopune@nsic.co.in
99	**सिंधुदुर्ग (एनएसएसएच)**	राष्ट्रीय एससी/एसटी हब ऑफिस प्लॉट नं.–16 नवानगर विकास प्राधिकरण, रेवानाथ अपार्टमेंट, प्रथम तल, नियर बैंक ऑफ महाराष्ट्रा, ओआरओएस, जिला– सिंधुदुर्ग महाराष्ट्रा – 416812	8329414955, 9673511537	nsshosindhudurg@nsic.co.in
100	**हैदराबाद (एमबीपी)**	मोडुल न. 207, कमलानगर ईसीआईएल पोस्ट, हैदराबाद – 500062	040-27141422, 27125802	emdbphyd@nsic.co.in
101	**एसटीबीपी चैन्नई (एमबीपी)**	बी–24, गुंडी इंडस्ट्रीयल एस्टेट, एकाथुगंल, चैन्नई – 600032	044-22250444, 22250445 फैक्स-044-22250343	stpchennai@nsic.co.in
102	**एनएसआईसी बिजनेस पार्क**	एनएसआईसी बिजनेस पार्क, ओखला इंडस्ट्रीयल एस्टेट, नई दिल्ली – 110020	011-26926275	-

टिप्पणी

टिप्पणी

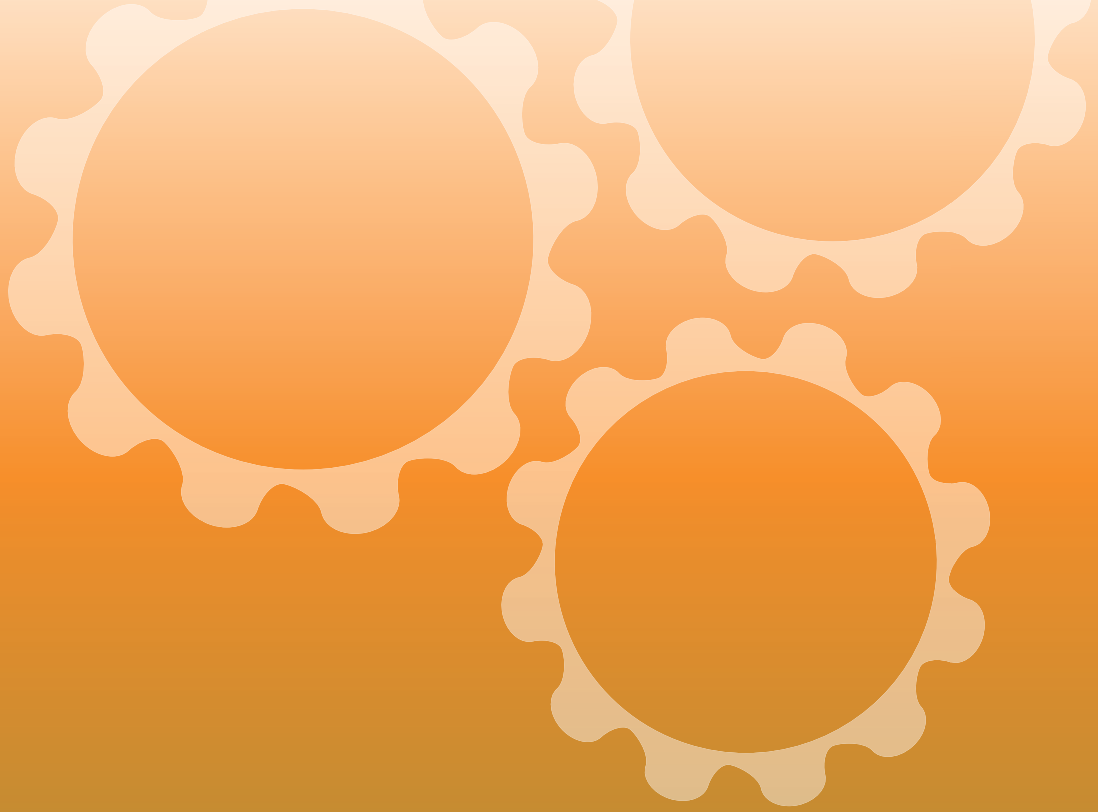
टिप्पणी

विज़न

वैश्विक चैंपियन बनने के लिए इक्विटी मार्ग के माध्यम से एमएसएमई के विकास को उत्प्रेरित करना।

मिशन

निवेश का एक पारिस्थितिकी तंत्र सृजित करने हेतु और सकारात्मक विकास गति रेखा वाले एमएसएमई हेतु विकास पूंजी उपलब्ध कराना, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिल सके।



एन एस आई सी
N S I C

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110 020

दूरभाषः 011-26926275, वेबसाइटः www.nsic.co.in